



बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**



BCC:ISD:117:16:182

29.05.2025

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA

Dear Sir/ Madam,

Re : Bank of Baroda - Annual Report 2024-25.

We refer to our letter no. BCC:ISD:117:16:179 dated 29.05.2025 and annex Annual Report 2024-25 of our Bank.

We request you to take note of the above under Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the same on your website.

Yours faithfully,

P K
AGARWAL
Date: 2025.05.29
21:20:10 +05'30'

P K Agarwal
Company Secretary



भविष्य के लिए तैयार

सुदृढ़, जिम्मेदार, विश्वस्त

FUTURE READY

RESILIENT, RESPONSIBLE, RELIABLE

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT 2024-25

bob Masterstroke SAVINGS ACCOUNT



Free Opulence Debit Card
and Lifetime Free Eterna
Credit Card



Unlimited Domestic &
International Airport
Lounge facilities



Complimentary
Airport Pick & Drop Service



Lifestyle Offers and
Discounts on Premium
Brands



*T&C Apply

बैंक ने अपने रिटेल व्यवसाय संबंधी पेशकशों को सशक्त करने के लिए क्रिकेट के लीजेंड श्री सचिन तेंदुलकर को अपना वैश्विक ब्रांड एंबेसडर बनाया है। सचिन तेंदुलकर और बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बीच रणनीतिक साझेदारी, उत्कृष्टता और विश्वास जैसे बुनियादी मूल्यों के गहन संबंधों पर आधारित है। बैंक ने उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और बैंक की ब्रांड छवि को मजबूत करने के लिए बॉब मास्टरस्ट्रोक बचत खाता आरंभ किया है। यह एक विशिष्ट बचत बैंक खाता है जिसे विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो उत्पाद की विशिष्टताओं में प्रीमियम सेवाओं, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन की अपेक्षा रखते हैं।

बैंक ने विभिन्न ग्राहकों की विविध बचत और निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई नए, अत्याधुनिक और अतिविशिष्ट बचत बैंक उत्पाद आरंभ किए हैं, जैसे कि बॉब उत्सव जमा योजना, बॉब एसडीपी और बॉब लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक ने बॉब परिवार अवधारणा, "मेरा परिवार, मेरा बैंक" की शुरुआत की है, जो परिवार के सदस्यों को कई तरह के लाभ प्रदान करती है। बैंक ने बॉब अर्थ ग्रीन डिपॉजिट के तहत महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जिसे बैंकिंग क्षेत्र में काफी सराहना मिली है। साथ ही, वीसीआईपी और टैब मोड का उपयोग करके पेपरलेस मोड में खाता खोलने पर जोर दिया गया है। प्रमुख कासा इनेबलर जिसमें पीओएस सिस्टम, साउंड बॉक्स के साथ क्यूआर कोड, आईपी और बीसीएमएस शामिल हैं, की पहुंच को संवृद्ध करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, डीईएफ सक्रियण आरंभ करने और शून्य शेष खातों की फंडिंग के प्रयास किए गए हैं।

The Bank onboarded cricket legend Shri Sachin Tendulkar as its Global Brand Ambassador to strengthen its retail proposition. The strategic partnership between Sachin Tendulkar and Bank of Baroda is built on a profound alignment of core values like excellence and trust. The Bank launched bob Masterstroke savings account to reflect its commitment to excellence and strengthening the Bank's brand image. It is an exclusive savings bank account designed especially for clients desiring premium services, reliability and long-term financial planning in its product construct and design.

Bank launched various innovative and cutting-edge high-end SB products to satisfy the diverse saving and investment needs of different customers such as bob Utsav Deposit Scheme, bob SDP and bob Liquid Fixed Deposits. The Bank introduced the bob Parivar Concept, "My Family, My Bank," which extends a range of benefits to family members. Bank has made significant growth under bob Earth Green Deposit which is well recognized among banking fraternity. Also, the thrust has been for opening of accounts in paperless mode using VCIP & TAB mode. Special emphasis has been placed on increasing the penetration of key CASA enablers, which include POS systems, QR codes with sound boxes, IP and BCMS. Additionally, efforts were made to activate dormant accounts, initiate DEAF activations, and funding of zero balance accounts.

bob Nari Shakti

Bane Lakhpatti Didi, bob Nari Shakti Ke Sang

- Collateral-free advances up to ₹5 lakhs*
- Nil margin for advances up to ₹1 lakh
- No prepayment charges
- 2% interest subvention on advances up to ₹1.5 lakhs on prompt repayment (available for 3 years)

*T&C Apply

समाज के सभी वर्गों विशेषकर ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी गरीबों को किफायती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, बैंक ने वित्तीय समावेशन को एक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में और बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट (बीसी) मॉडल के माध्यम से व्यवसाय में वृद्धि के अवसर के रूप में लिया है। बैंक अपनी शाखाओं और बीसी नेटवर्क के माध्यम से देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बैंक ने देशभर में ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए 31 मार्च, 2025 तक अपने बीसी नेटवर्क का विस्तार 48,120 तक कर दिया है। बीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं में काफी विस्तार किया गया है, जिसमें टीडीएस प्रमाणपत्र, ब्याज प्रमाणपत्र जनरेट करना, बीसी केंद्रों पर रि-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराना और नकद जमा के लिए आधार सक्षम प्रणाली उपलब्ध कराना शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को वित्तपोषित करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम की "नारी शक्ति" योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, बैंक में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते मार्च, 2024 में 616 लाख से बढ़कर मार्च, 2025 में 643.36 लाख हो गए हैं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.49% की वृद्धि है। पीएमजेडीवाई जमा राशि मार्च, 2024 के 32,337 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2025 तक 12.43% की वार्षिक वृद्धि के साथ 36,355 करोड़ रुपये हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच बैंक की हिस्सेदारी पीएमजेडीवाई खातों में 15.01% और पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि के लिए 17.73% रही। बैंक के शून्य शेष वाले पीएमजेडीवाई खाते 31 मार्च, 2024 के 4.98% की तुलना में 31 मार्च, 2025 को घटकर 4.71% हो गए। 31 मार्च, 2025 तक पीएमजेडीवाई योजना के तहत माइक्रो इंश्योरेंस नामांकन 70.99 लाख और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 271.81 लाख है।

In order to provide universal banking services to all sections of the society especially to rural, semi-urban and urban poor at an affordable cost, Bank has taken financial inclusion as a social commitment and also as an opportunity to tap business through Business Correspondent (BC) model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branches and BC network. Bank expanded its BC network to 48,120 as on March 31, 2025 to cater to rural, semi urban, urban and metro areas across the country. The online services provided by the BCs have been widened considerably to include services such as generation of TDS certificate, interest certificate, Re-KYC functionality is enabled at BC points and the Aadhar-enabled system is available for cash deposits. During FY 2024-25, the Bank has signed an MoU with the Ministry of Rural Development (MoRD) under "Nari Shakti" Scheme of DAY-NRLM for financing individual women entrepreneurs.

Further, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts in the Bank has increased from 616 lakhs in March 2024 to 643.36 lakhs in March 2025 with YoY growth of 4.49%. PMJDY deposits increased from ₹32,337 Crore as on March 2024 to ₹36,355 Crore as on March 2025 with YoY growth of 12.43%. The Bank's share among PSBs stood at 15.01% in PMJDY accounts and 17.73% for deposits in PMJDY accounts. Zero balance PMJDY accounts of the Bank reduced to 4.71% as on 31st March 2025 as against 4.98% as on 31st March 2024. As on 31st March 2025, Micro Insurance enrolment under PMJJBY scheme is 70.99 lakhs and under PMSBY scheme is 271.81 lakhs



Play The
Masterstroke
with
bob ₹ Pay
Live the Ease

- Scan QR & Pay • UPI Lite • Link RuPay Credit Card
- UPI Mandate Management
- Tap & Pay • Recharge & Bill Payments

*T&C apply

बैंक डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और लेनदेन को निरंतर डिजिटल चैनलों पर अंतरित करने का प्रयास करता है जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलता है। डिजिटल बैंकिंग का मुख्य फोकस बैंक के उत्पादों को डिजिटल और वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध कराना है। डिजिटल बैंकिंग में प्रमुख घटक बॉब वर्ल्ड, बॉब इ पे, बड़ौदा कनेक्ट, सीबीडीसी, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम और कैश रिसाइक्लर मशीन, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसएसपीबीपी), टैब बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल पेमेंट सर्विसेज (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस), आदि हैं।

यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी साझेदार बैंक का) में संक्षम बनाती है जिसमें कई बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेन्ट भुगतानों को एक ही ऐप में उपलब्ध कराया गया है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक ने अपने यूपीआई ऐप, बॉब वर्ल्ड यूपीआई को नया रूप दिया है और नए यूपीआई के साथ इसका नाम बदलकर बॉब इ पे कर दिया है। बॉब इ पे ग्राहकों और गैर-ग्राहकों दोनों के लिए उपलब्ध एक सुपर ऐप है।

31 मार्च, 2025 तक बैंक के पास 9,316 एटीएम और 1,671 कैश रि-साइक्लर का एक व्यापक नेटवर्क उपलब्ध है, जिसमें आसानी से उपयोग योग्य स्क्रीन हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में लेनदेन को सुगम बनाते हैं, जिससे ग्राहकों को उनके दैनिक बैंकिंग संचालन में सहजता का अनुभव होता है। निर्बाध और अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए, बैंक ने 12 एग्रीगेटर्स और मास्टर मर्चेन्ट के साथ टाई-अप किया है।

बैंक ने अपने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को आरबीआईएच के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) के लिए 20+ फिनटेक के साथ इंटीग्रेट किया है और भूमि स्वामित्व सत्यापन, कृषि उपज रिपोर्ट, डिजिटल सत्यापन, बैंक स्टेटमेंट का प्रमाणीकरण और विश्लेषण, क्रेडिट ब्यूरो, ई-मैंडेट, जीएसटी, आईटीआर, उद्यम, ई-केवाईसी, वी-केवाईसी, पैन, ई-स्टाम्पिंग / ई-साइनिंग आदि के लिए 100+ डिजिटल इंटीग्रेशन किए हैं।

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which leads to better customer experience. The major focus of digital banking is to make Bank's products available to customers through digital and alternate delivery channels. The key instruments in digital banking are bob World, bob ₹ Pay, Baroda Connect, CBDC, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers (SSBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS), etc.

UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood, during FY'25, Bank revamped its UPI app bob World UPI and renamed it bob ₹ Pay with fresh UI. bob ₹ Pay is a super app available for both customers and non customers.

Bank has a wide network of 9,316 ATMs and 1,671 Cash re-cyclers as on 31st March 2025 with very user friendly screens that allow navigation in Hindi, English and the local language of the place of deployment offering a smooth experience for the customers in their day to day banking operation. To provide a seamless and customizable service, Bank has tied up with 12 aggregators and master merchants.

Bank has integrated its Digital Lending Platform with RBIH's Unified Lending Interface (ULI), 20+ FinTechs and has 100+ digital integrations, for the purpose of land ownership verification, farm yield reports, digital verification, authentication & analysis of Bank statement, credit bureau, e-mandate, GST, ITR, Udyam, e-KYC, v-KYC, PAN, e-stamping / e-signing, etc.



Introducing ADITI

Your Gen AI Powered Virtual Relationship Manager

Key Capabilities

- Real-Time Product & Service Information
- Capturing Customer Interest/requirements for banking services
- Personalised interface-Video, Audio & Chat
- Customized Individual Preferences

Now say goodbye to lengthy queues

बैंक अपने परिचालन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहा है और ग्राहक अनुभव में सुधार, कर्मचारी दक्षता बढ़ाने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंक अपने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर अपग्रेड कर रहा है ताकि अनवरत सुविधा और कार्यनिष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

बैंक ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए तीन अलग-अलग जनरेटिव एआई-संचालित समाधान पेश किए हैं। 'अदिति' एक जेन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है जिसका उद्देश्य डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाना है। डिजिटल अवतार के रूप में प्रस्तुत ये मानव-समान इंटरफ़ेस, सेवाओं की श्रृंखला में संवादात्मक बैंकिंग प्रदान करते हैं। ये बैंक के वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और ऑडियो, वीडियो और चैट-आधारित सहायता उपलब्ध कराते हैं, जो बहुभाषी समर्थन के साथ 24x7 बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करते हैं, जिससे समग्र ग्राहक अनुभव में वृद्धि होती है।

बैंक ने डिजिटल ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और जेन एआई का उपयोग करके चैटबॉट के माध्यम से आवश्यक प्रश्नों को हल करने के लिए जेन एआई संचालित चैटबॉट 'ADI' भी आरंभ किया है।

ग्राहक-संबंधी नवाचारों के अलावा, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अपने कर्मचारियों के लिए बैंक के उत्पाद, नीतियों और प्रक्रियाओं तक सुलभ एक्सेस के लिए जेन एआई-सक्षम नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म 'GyanSahay.AI' (ज्ञान सहाय.एआई) भी आरंभ किया है।

बैंक ग्राहकों के साथ संवाद बढ़ाने, अपने कार्यबल को सशक्त बनाने और परिचालन एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अपने बैंकिंग परिचालन में जेन एआई तकनीकों को जोड़ने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है। अपनी मुख्य प्रक्रियाओं में बुद्धिमत्ता को शामिल करके, बैंक ने सभी के लिए निर्बाध, डेटा-संचालित और भविष्य के लिए तैयार बैंकिंग अनुभव प्रदान करना जारी रखा है।

The Bank is actively leveraging technology across various aspects of its operations and is focused on improving customer experience, enhancing employee efficiency, and optimizing business processes. Bank is continuously upgrading its infrastructure agility and resilience to support banking services, for higher uptime and performance.

The Bank has introduced three different generative AI-powered solutions for its customers and employees. 'Aditi' is a GenAI powered Virtual Relationship Manager aims to enhance the digital customer service experience. These human-like interface presented in the form of digital avatars, offer conversational banking across a range of services. It is available on the Bank's web portal and supports audio, video, and chat-based assistance, ensuring 24x7 banking services with multilingual support, thereby augmenting the overall customer experience.

Bank has also launched a GenAI powered chatbot 'ADI' to improve digital customer experience and get the required queries solved through chatbot by harnessing the power of GenAI.

In addition to customer-facing innovations, the Bank of Baroda has also launched a GenAI-enabled knowledge management platform, 'GyanSahay.AI' for its employees for easy access to Bank's product, policies and processes.

The Bank is dedicated to enhancing customer interactions, empowering its workforce and boosting operational agility and efficiency. Bank of Baroda has adopted a systematic approach to integrating Gen AI technologies into its banking operations. By embedding intelligence into its core processes, the Bank continues to deliver seamless, data-driven and future-ready banking experiences for all.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा सशक्त ईएसजी प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थायित्वपूर्ण और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने साहसिक कदम उठाते हुए संवहनीयता और ग्रीन फायनांस की ओर अपनी यात्रा को गति प्रदान की है, जो हरित, अधिक जिम्मेदार भविष्य के निर्माण के लिए बैंक की अटूट प्रतिबद्धता दर्शाती है। बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति, निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है, अनुपालन सुनिश्चित करती है, जोखिमों का प्रबंधन करती है, निवेश आकर्षित करती है और जवाबदेही में सुधार करती है। नीति के प्रमुख उद्देश्यों में स्थायित्वपूर्ण बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना, निर्णय लेने में ईएसजी सिद्धांतों को एकीकृत करना, इसे अंतर्राष्ट्रीय संवहनीयता फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करना और ईएसजी जोखिमों को कम करना शामिल है। राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप, हमने 2057 तक नेट जीरो हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखी है, जो बैंक के स्थापना दिवस समारोह के 150वें वर्ष के साथ मेल खाता है। ग्रीन फाइनेंस पहलों को और मजबूती प्रदान करने के लिए, बैंक आरबीआई के ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन कर रहा है, जिससे इन क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके। यह नीति ईएसजी-केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रदर्शन की निगरानी करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। नीति को एक मजबूत शासन ढांचे द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें शीर्ष स्तर पर बोर्ड-स्तरीय और कार्यपालक-स्तरीय सीएसआर एवं संवहनीयता समितियां और अंचल स्तर पर अंचल ईएसजी समितियां शामिल हैं। बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंस (पीसीएफ) के साथ जुड़कर ऋण और निवेश से जुड़े ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को मापने और प्रकट करने की पद्धति को मानकीकृत करने के वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है।

Bank of Baroda is committed to sustainable and inclusive growth through robust ESG practices. During FY 2024–25, Bank has accelerated its journey toward sustainability and green finance, making bold strides that powerfully reaffirm the unwavering commitment to building a greener, more responsible future. The Bank's Board-approved Environmental, Social and Governance (ESG) Policy guides decision-making, ensures compliance, manages risks, attracts investments, and improves accountability. Key objectives of the policy include promoting sustainable banking practices, integrating ESG principles into decision-making, aligning with international sustainability frameworks, and mitigating ESG risks. In alignment with national climate goals, we have set an aspiration for achieving Net Zero by 2057, coinciding with the 150th year of the Bank's foundation day celebration. To further strengthen the green finance initiatives, Bank is conducting impact assessment for the projects eligible under the RBI's Green Financing Framework, ensuring rigorous assessments for proposals within these sectors. The policy also focuses on fostering an ESG-centric culture and monitoring performance. The Policy is supported by a strong governance framework, featuring a Board-level and Executive-level CSR & Sustainability Committees at the top and Zonal ESG Committees at the field level. The Bank became a signatory to the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), joining a global effort to standardize the methodology for measuring and disclosing greenhouse gas (GHG) emissions linked to loans and investments.

पुरस्कार एवं सम्मान | Awards and Accolades



Bank of Baroda awarded prestigious accolades at Annual IBA Technology Awards 2024.
Best Bank in AI/ML Adoption and IT Risk Management



Bank of Baroda has secured the #1 position for People & HR Operations. #3 in Customer Service Excellence and Analytics-Driven Business Improvement in the EASE 6.0 Index

अपनी विविध पहलों के लिए बैंक द्वारा प्राप्त विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों में, बैंक द्वारा प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार में पीएसबी सुधार एजेंडा, संवर्धित एक्सेस और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के तहत प्राप्त पुरस्कार शामिल हैं, जिन्हें जनवरी 2018 में ईएएसई 6.0 फ्रेमवर्क के तहत आरंभ किया गया था। ये पुरस्कार बैंक की परिवर्तन और सेवा उत्कृष्टता की यात्रा के महत्वपूर्ण मील स्तंभ हैं।

ईज (EASE) 6.0 मुख्य रूप से डिजिटल सक्षमता, डिजिटल और एनालिटिक्स-संचालित व्यवसाय सुधार, तकनीक एवं डेटा-सक्षम क्षमता निर्माण तथा कर्मचारी विकास और मानव संसाधन संचालन को बढ़ाने के साथ ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता लाने पर केंद्रित है। ईज (EASE) 6.0 इंडेक्स में, बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच वित्त वर्ष 24 में चौथा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा, बैंक ने कर्मचारी और मानव संसाधन संचालन में पहला स्थान तथा ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान करने के साथ-साथ डिजिटल और एनालिटिक्स संचालित व्यवसाय सुधार में तीसरा स्थान हासिल किया है।

इसके अलावा, डेटा-संचालित यात्रा में बैंक की निरंतर प्रगति और प्रभावशाली व्यावसायिक परिणाम देने के लिए एआई/एमएल में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने संबंधी प्रयासों की मान्यता स्वरूप, बैंक को भारतीय बैंक संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ एआई/एमएल बैंक - 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में एआई-प्रेरित नवाचार में बैंक की अग्रणी स्थिति की पुष्टि करता है।

Among the various awards and recognitions achieved by the Bank for its diverse initiatives, the most significant award received by the Bank includes the awards received under the PSBs Reform Agenda, Enhanced Access and Service Excellence (EASE) launched in January 2018, under the EASE 6.0 framework marking a significant milestone in its journey of transformation and service excellence.

EASE 6.0 focused mainly on driving excellence in customer service with digital enablement, Digital and analytics-driven business improvement, Tech and data-enabled capability building and developing people and enhancing HR Operations. In EASE 6.0 index, Bank has secured 4th position in FY 24 amongst all the Public Sector Banks. Moreover, Bank secured 1st Position in People & HR Operations and 3rd Position in Delivering Excellence in Customer Service as well as Digital & Analytics Driven Business Improvement.

Further, as a part of the recognition of the Bank's continuous progress in its data-driven journey and continuing to scale its capabilities in AI/ML to deliver impactful business outcomes, the Bank has been honoured with the Best AI/ML Bank – 2024 award by the Indian Banks' Association, reaffirming its position at the forefront of AI-led innovation in the banking sector.



विषय	पृष्ठ	Contents	Page
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	8	MD & CEO's Statement	11
निदेशकों की रिपोर्ट	14	Directors' Report	54
कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	94	Auditors' Certificate on Corporate Governance	94
कॉर्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट	96	Corporate Governance Report	122
एमडी व सीईओ द्वारा घोषणा	148	Declaration by MD & CEO	148
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	149	Secretarial Audit Report	153
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	157	Key Financial Indicators	157
तुलन-पत्र	160	Balance Sheet	160
लाभ व हानि खाता	161	Profit & Loss Account	161
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	172	Significant Accounting Policies	180
नकदी-प्रवाह विवरण	274	Cash Flow Statement	274
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	276	Auditors' Report	285
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	294	Declaration of Unmodified Opinion	294
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	295	CEO / CFO Certification	295
समेकित वित्तीय विवरणियां	296	Consolidated Financial Statement	296
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा- समेकित	377	Declaration of Unmodified Opinion Consolidated	377
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	378	CEO/CFO Certification	378
लाभांश संवितरण नीति	379	Dividend Distribution Policy	383
नोटिस	387	Notice	401
दिव्यांगजनों का वित्तीय समावेशन	414	Financial Inclusion of PwDs	415

नोट : शेयरधारक “व्यावसायिक दायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट” और “बासेल-III प्रकटीकरण को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं।

Note : The Shareholders can view / download "Business Responsibility and Sustainability Report" and "Basel-III disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.in



निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS



श्री देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Debadatta Chand
Managing Director & CEO



श्री ललित त्यागी
कार्यपालक निदेशक
Shri Lalit Tyagi
Executive Director



श्री संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar
Executive Director



श्री लाल सिंह
कार्यपालक निदेशक
Shri Lal Singh
Executive Director



श्रीमती बीना वाहिद
कार्यपालक निदेशक
Smt. Beena Vaheed
Executive Director

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS



डॉ. एम. पी. तंगिराला
भारत सरकार के नामित निदेशक
Dr. M.P. Tangirala
GOI Nominee Director



श्री मनोरंजन मिश्रा
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Manoranjan Mishra
RBI Nominee Director



श्रीमती नीना नागपाल
शेयरधारक निदेशक
Smt. Nina Nagpal
Shareholder Director



श्री रवींद्रन मेनन
शेयरधारक निदेशक
Shri Ravindran Menon
Shareholder Director



श्री विजय दुबे
शेयरधारक निदेशक
Shri Vijay Dube
Shareholder Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)		CHIEF VIGILANCE OFFICER (CVO)
श्री दीक्षित सुरेंद्र कुमार		MR. DIXIT SURENDRA KUMAR
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी - पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा)		KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP – OTHER THAN WHOLE TIME DIRECTORS)
श्री चयानी मनोज सुंदर मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)		MR. CHAYANI MANOJ SUNDAR CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)
श्री एल श्रीधर आई वी महाप्रबंधक, सचिव-निदेशक मंडल		MR. L SRIDHAR INUMELLA V GENERAL MANAGER - SECRETARY TO BOARD
श्री अग्रवाल प्रशांत कमल कंपनी सचिव (सीएस)		MR. P K AGARWAL COMPANY SECRETARY (CS)
मुख्य समूह अनुपालन अधिकारी (सीजीसीओ)		CHIEF GROUP COMPLIANCE OFFICER (CGCO)
श्री एलंगो बालासुब्रमण्यम		MR. ELANGO BALASUBRAMANIAM
मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)		CHIEF RISK OFFICER (CRO)
श्री नेगी रवींद्र सिंह		MR. NEGI RAVINDRA SINGH
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / वर्टिकल प्रमुख		CGMs / GMs / VERTICAL HEADS
श्री मल्होत्रा राजेश		MR. MALHOTRA RAJESH
श्री डोभाल संजीव		MR. DOBHALL SANJEEV
श्री ग्रोवर संजय कुमार		MR. GROVER SANJAY KUMAR
श्री खोसला अजय के		MR. KHOSLA AJAY K
श्री सिंह शैलेन्द्र एच		MR. SINGH SHAILENDRA H
श्री दिनेश पंत		MR. DINESH PANT
श्रीमती पाण्डेय अर्चना		MRS. PANDEY ARCHANA
श्री शुक्ला सौरभ रविशंकर		MR. SHUKLA SAURABH RAVISHANKAR
श्रीमती कडगतूर शीतल वेंकटेशमूर्ति		MRS. KADGATOOR SHEETAL VENKATESMURTI
श्री रंजन निशांत		MR. RANJAN NISHANT
श्री शर्मा प्रभात के		MR. SHARMA PRABHAT K
श्री सोलंकी हर्षदकुमार टी		MR. SOLANKI HARSHADKUMAR T
सुश्री एम मिनी टी		MS. M MINI T
श्री नामदेव दिनेश कुमार		MR. NAMDEO DINESH KUMAR
श्री एस ए सुदर्शन		MR. S A SUDARSAN
श्री देवरकोंडा आनंद कुमार		MR. DEVARAKONDA ANANDA KUMAR
श्री वेणुगोपाल एन		MR. VENUGOPAL N
श्री ग्रोवर देविंदर पाल		MR. GROVER DEVINDER PAL
श्री धीरेंद्र सेट्टीपल्ली		MR. DHEERENDRA SETTIPALLI
श्री श्रीजीत कोट्टारथिल		MR. SREEJITH KOTTARATHIL
श्री कुमार मधुर		MR. KUMAR MADHUR
श्री कुमार अश्विनी		MR. KUMAR ASHWINI
श्रीमती गायत्री आर		MRS. GHAYATHRI R



श्री सिंह सुधांशु कुमार	MR. SINGH SUDHANSHU KUMAR
श्री सीताराम बुलुसु सूर्या	MR. SITARAM BULUSU SURYA
श्री डी दास	MR. D DAS
श्री सुशांत कुमार मोहंती	MR. SUSHANTA KUMAR MOHANTY
श्री सिंह इंदर मोहन	MR. SINGH INDER MOHAN
श्री शर्मा सुनील कुमार	MR. SHARMA SUNIL KUMAR
श्री भगोलीवाल संजय	MR. BHAGOLIWAL SANJAY
सुश्री शेटी सुजाया यू	Ms SHETTY SUJAYA U
श्री राव सिद्धेला प्रसाद	MR. RAO SIDDELA PRASAD
श्री कौरा मनीष	MR. KAURA MANISH
श्री मित्तल पंकज	MR. MITTAL PANKAJ
श्री तुली अमित	MR. TULI AMIT
श्री शंकर आनंद	MR. SHANKER ANAND
श्री तुंगरिया जगदीश कुमार	MR. TUNGARIA JAGDISH KUMAR
श्री नेगी विमल कुमार	MR. NEGI VIMAL KUMAR
श्री जक्कैया लालम	MR. JAKKIAH LALAM
श्री कुमार राजीव	MR. KUMAR RAJEEV
श्री सरवनकुमार ए	MR. SARAVANAKUMAR A
श्री बसेठा विजय कुमार	MR. BASETHA VIJAY KUMAR
श्री अग्रवाल रविंद्र	MR. AGGARWAL RAVINDER
श्रीमती बंदोपाध्याय स्वप्ना	Mrs BANDOPADHAYA SWAPNA
श्री सिंह राजेश कुमार	MR. SINGH RAJESH KUMAR
श्री संजीव	MR. SANJEEV
श्री अनुज भार्गव	MR. ANUJ BHARGAVA
श्री पांडा समीर रंजन	MR. PANDA SAMIRA RANJAN
श्री अग्रवाल योगेश कुमार	MR. AGRAWAL YOGESH KUMAR
श्री टी एन सुरेश	MR. T N SURESH
श्री राठी विनयकुमार सत्यनारायण	MR. RATHI VINAYKUMAR SATYNARAYAN
श्री नेमा राकेश	MR. NEMA RAKESH
श्रीमती सिंह कविता	MRS. SINGH KAVITA
श्री ठाकुर यादव श्रवण	MR. THAKUR YADAV SHRAWAN
श्री लाल सुशील कुमार	MR. LAL SUSHIL KUMAR
श्री एम रवींद्र राय	MR. M RAVINDRA RAI
श्री भुटिया सोनाम शेरिंग	MR. BHUTIA SONAM TSHERING
श्री सिन्हा शैलेंद्र कुमार	MR. SINHA SHAILENDRA KUMAR
श्री ललाई धीरेन महेंद्र	MR. LALAI DHIREN MAHENDRA
श्री तिवारी संजय कुमार	MR. TIWARY SANJAY KUMAR

श्री खन्ना राजेश	MR. KHANNA RAJESH
श्री एम अनिल	MR. M ANIL
श्री धर शशि जयकिशोर	MR. DHAR SHASHI JAIKISHORE
श्री शर्मा राकेश कुमार	MR. SHARMA RAKESH KUMAR
श्री रितेश कुमार	MR. RITESH KUMAR
श्री लंका बालासुब्रमण्यम	MR. LANKA BALASUBRAMANYAM
श्री अग्निहोत्री प्रतीक	MR. AGNIHOTRI PRATEEK
श्री कुमार अमूल्य	MR. KUMAR AMULYA
श्री स्वाई सुब्रत कुमार	MR. SWAIN SUBRAT KUMAR
श्री कुमार राजेश	MR. KUMAR RAJESH
श्री शाजन बाबू वी बी	MR. SHAJAN BABU V B
श्री सिंह हरदीप	MR. SINGH HARDEEP
श्री सिंह दिवाकर प्रसाद	MR. SINGH DIWAKAR PRASAD
श्री शर्मा रामानुज	MR. SHARMA RAMANUJ
श्री निशांत कुमार	MR. NISHANT KUMAR
श्री त्रिपाठी चंद्र मणि	MR. TRIPATHY CHANDRA MANI
श्री टी एम एल बालाजी	MR. T M L BALAJI
श्री मोहन निखिल	MR. MOHAN NIKHIL
श्री के सुरेश	MR. K SURESH
श्री सभैक सिंह	MR. SABHEAK SINGH
श्री खत्री पंकज	MR. KHATRI PANKAJ
श्री बंसल संतोष कुमार	MR. BANSAL SANTOSH KUMAR
श्री भैरवरासू मेहर कुमार	MR. BHAIKAVARASU MEHER KUMAR
श्री आर अजयकुमार के	MR. R AJAYAKUMAR K
श्री सिंह संजय कुमार	MR. SINGH SANJAY KUMAR
श्री सोमवंशी वीरेंद्र सूर्यभान	MR. SOMWANSHI VIRENDRA SURYABHAN
श्री सचदेवा सुमित	MR. SACHDEVA SUMIT
श्री गोयल महेश	MR. GOEL MAHESH
लेफ्टिनेंट जनरल सलारिया रणबीर सिंह	LT. GEN SALARIA RANBIR SINGH
श्री भट्टाचार्य ध्रुवाशीष	MR. BHATTACHARYA DHRUBASHISH
श्री पटनायक गिरीश	MR. PATNAIK GIRISH
श्री सबनवीस मदन	MR. SABNAVIS MADAN
श्री कैरुपाला सौरप्पा	MR. KAIRUPPALA SOWRAPPA



सांविधिक लेखापरीक्षक / Statutory Auditors

खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants

बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार

Batliboi & Purohit
Chartered Accountants

शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

Shah Gupta & Co
Chartered Accountants

एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants

वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा भवन, आर सी दत्त रोड,
अलकापुरी, वडोदरा - 390 007

कॉर्पोरेट कार्यालय

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26,
जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा पूर्व, मुंबई 400051

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा पूर्व, मुंबई 400051

रजिस्ट्रार एंड शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)

केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं. 31
व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी,
तेलंगाना, इंडिया - 500 032

डिबेंचर न्यासी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.

यूनिवर्सल इश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल, सर पीएम रोड
फोर्ट, मुंबई- 400001

कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.

यूनिट नं.- 901, 9वीं मंजिल, टॉवर-बी
पेनिनसुला, बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग
लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई - 400013

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया-एमएमओ सर्विसेज लि.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग,
तृतीय तल (ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट,
मुंबई - 400001

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड

द रुबी, द्वितीय तल (एसडब्ल्यू) 29,
सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई - 400028

Head Office

Bank of Baroda, Baroda Bhavan, RC
Dutt Road, Alkapuri, Vadodara-390 007

Corporate Office

Bank of Baroda, Baroda Corporate
Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla
Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Investor Services Department

Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda
Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Registrar and Share Transfer Agent (RTA)

KFin Technologies Limited
Unit: Bank of Baroda
Selenium Building, Tower-B, Plot
No 31 & 32, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad, Rangareddy,
Telangana, India - 500 032

Debenture Trustees

IDBI Trusteeship Services Ltd.

Universal Insurance Building,
Ground Floor, Sir P.M. Road, Fort,
Mumbai - 400001.

Catalyst Trusteeship Ltd.

Unit No- 901, 9th Floor, Tower B,
Peninsula Business Park, Senapati
Bapat Marg, Lower Parel (W),
Mumbai - 400013.

Centbank Financial Services Ltd.

Central Bank of India - MMO Building,
3rd Floor (East Wing), No.55,
M.G. Road, Fort, Mumbai 400 001.

Axis Trustee Services Ltd.

The Ruby, 2nd Floor (SW) 29,
Senapati Bapat Marg, Dadar West,
Mumbai - 400 028

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय हितधारकों,

नमस्कार! मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। बैंक द्वारा की गई पहलों एवं उपलब्धियों के विस्तृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

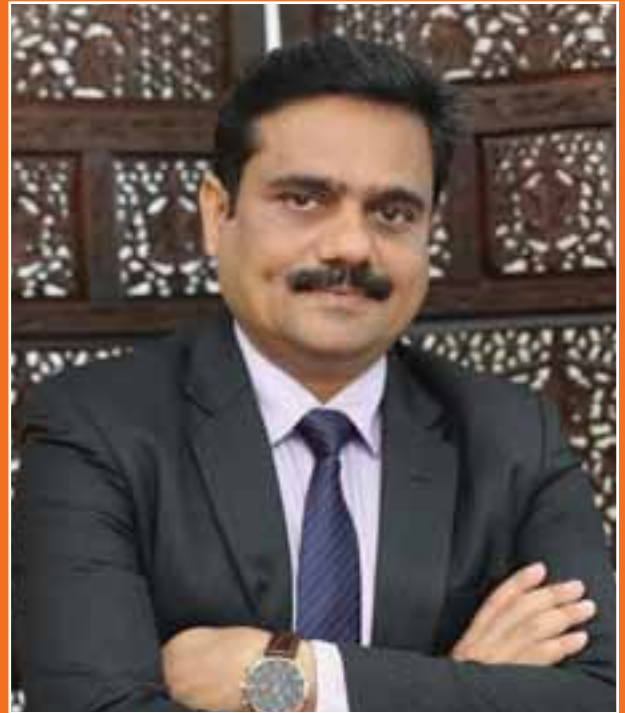
वित्त वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भौगोलिक-राजनीतिक तनाव, उच्च मुद्रास्फीति और वित्तीय अस्थिरता से उत्पन्न जटिल परिदृश्य को पार करते हुए उल्लेखनीय गतिशीलता प्रदर्शित की है। गौरतलब है कि इसने सतत वृद्धि बनाए रखते हुए अवस्फीति प्रक्रिया के दौरान वैश्विक मंदी को रोकने में सफल रही। भारतीय अर्थव्यवस्था ने उपभोग, सरकारी व्यय, मुद्रास्फीति में कमी और विभिन्न नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित बाजार तरलता के आधार पर वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अपनी विकास गति को बरकरार रखा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली उच्च आस्ति गुणवत्ता, उच्च स्तर की पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता के साथ बेहतर स्थिति में है। हालांकि, तरलता की कमी के कारण बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी देखी गई और नकदी की कमी के बीच जमा संग्रहण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस चुनौतीपूर्ण परिचालन परिवेश में कार्य करते हुए, बैंक ने न केवल इन चुनौतियों का सामना किया है, बल्कि एक संतुलित विकास पथ का अनुसरण और सफलता के नए मील के स्तंभ स्थापित करते हुए अपने हितधारकों के लिए संवहनीय मूल्य प्रदान करने हेतु सुदृढ़ आधार भी तैयार किया है।

वर्ष के दौरान, व्यवसाय विस्तार, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के प्रमुख मानदंडों की दृष्टि से समग्रतः बैंक के कार्य-निष्पादन में निरंतरता एवं स्थायित्व बना रहा। मार्च 2025 तक, बैंक का कुल व्यवसाय 27 लाख करोड़ रुपये के मीलस्तंभ को पार कर 27.02 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया और बैंक द्वारा स्टैंडअलोन आधार पर अब तक का सबसे अधिक निवल लाभ 19,581 करोड़ रुपये दर्ज किया गया और समेकित स्तर पर, यह 20,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर 20,716 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह ऐसे वर्ष में हुआ है जब आस्ति गुणवत्ता 2.26% के जीएनपीए अनुपात के साथ 13 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

देयता प्रबंधन

उद्योग स्तर पर, बैंकिंग क्षेत्र बढ़ती लागतों और उच्च-लाभ वाले निवेश विकल्पों की ओर ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं के बीच जमा संग्रहण की दृष्टि से चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बैंक ने एक स्थायी जमा आधार स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यनीतिक पहलों की एक श्रृंखला लागू की है। कासा जमा और रिटेल सावधि जमा को बढ़ाने के लिए बैंक नए उत्पाद पेशकशों, मूल्यवर्धित सेवाओं, लक्षित अभियानों और विशिष्ट विपणन पहलों का इष्टम उपयोग कर रहा है। अपने रिटेल व्यवसाय को और मजबूत करने के लिए, बैंक ने प्रीमियम सेवाओं की श्रृंखला की पेशकश के साथ मास्टरस्टोक बचत खाता की शुरुआत की है और विश्वास और उत्कृष्टता के मूल्यों के साथ रिटेल निवेशकों को आकर्षित करने हेतु दिग्गज क्रिकेटर श्री सचिन तेंदुलकर को अपने साथ जोड़ा है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने ग्राहकों जैसे महिलाओं, युवाओं और नाबालिगों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप बचत और निवेश उत्पाद पेश किए हैं, जिनमें विभिन्न ग्राहकों की बचत और निवेश आवश्यकताओं के अनुसार जमा राशियों के साथ अन्य अनेक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और



देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वैश्विक जमा राशि में 10.3%, घरेलू जमा राशि में 9.3% तथा अंतर्राष्ट्रीय जमा राशि में 15.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। घरेलू चालू जमा राशियों में 14.9% और बचत जमा दर 4.8% की वृद्धि के साथ घरेलू कासा जमा राशियों में 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। पहली बार बैंक एक वर्ष में 3 लाख से अधिक चालू खाते खोलने में कामयाब रहा है। मार्च 2025 तक घरेलू कासा अनुपात 39.97% था।

रिटेल ऋण केन्द्रित अग्रिम वृद्धि

उद्योग स्तर पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 25 में घटकर 12.1% रह गई, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह वृद्धि 16.3% (विलय के प्रभाव को छोड़कर) थी। उद्योग के अनुरूप, बैंक ने व्यापक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी ऋण वृद्धि को समायोजित किया और स्थायित्वपूर्ण वृद्धि के मार्ग का चयन किया। बैंक के वैश्विक अग्रिमों में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि घरेलू अग्रिमों में 13.7% की वृद्धि हुई। बैंक ने उच्च आय वाले रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएमएम) ऋण बही को बढ़ाकर ऋण बही के रिटेलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। बैंक के ऑर्गेनिक रिटेल ऋण बही में 19.4% की वृद्धि हुई है। रिटेल ऋण सेगमेंट में, ऑटो ऋणों में 20.3%, मॉर्गेज ऋणों में 18.9% और शिक्षा ऋणों में 15.9% की वृद्धि हुई है। ऑर्गेनिक एमएसएमई और कृषि ऋणों में क्रमशः 14.2% और 14.2% की वृद्धि हुई है। मार्च, 2025 तक सकल घरेलू ऋण में आरएमएम ऋण की हिस्सेदारी 59.6% हो गई, जो मार्च, 2024 को 57.7% थी। मार्च, 2025 तक कॉर्पोरेट ऋण में 8.6% की वृद्धि हुई है।

सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखा है और सकारात्मक वसूली प्रयासों, अपग्रेडेशन, नीतिगत राइट ऑफ, सुदृढ़ जोखिम मूल्यांकन मानकों के कारण



नए स्लिपेज में कमी के फलस्वरूप बैंक का जीएनपीए अनुपात लगातार घट रहा है। मार्च, 2025 को जीएनपीए अनुपात 2.26% और एनएनपीए अनुपात 0.58% रहा है। जीएनपीए और एनएनपीए विगत 13 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर हैं। वित्त वर्ष 25 के लिए ऋण लागत 0.47% और स्लिपेज अनुपात 0.78% रहा है, जो आस्तियों की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। मार्च 2025 तक टीडबल्यूओ सहित प्रावधान कवरेज अनुपात 93.29% रहा है और कृषि-इतर संग्रहण दक्षता 98.54% रही है।

सुदृढ़ लाभप्रदता

वित्त वर्ष 2025 में, बैंक ने स्टैंडअलोन आधार पर अब तक का सबसे अधिक निवल लाभ 19,581 करोड़ रुपये दर्ज किया है। बैंक की लाभप्रदता, गैर ब्याज आय, विशेष तौर पर उच्च ट्रेजरी आय के आधार पर प्राप्त की गई है। परिचालन परिवेश, जमा संग्रहण पर दबाव और बढ़ती जमा लागतों के साथ-साथ रेपो दर में कटौती के उपरांत ऋण मूल्य के पुनर्निर्धारण निर्धारण के कारण निवल ब्याज आय की वृद्धि दर में कमी आई क्योंकि जमा लागत के उच्च रहने के कारण ब्याज आय, ब्याज व्यय की तुलना में धीमी गति से बढ़ी। शुद्ध ब्याज आय वृद्धि 2.1% रही, जिसमें ब्याज आय 7.8% और ब्याज व्यय 11.6% बढ़ा। बैंक ने अपने खर्चों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित किया है, इसके परिचालन व्यय में 5.7% की वृद्धि हुई है, जबकि कर्मचारी लागत में 5.0% की वृद्धि हुई है और अन्य परिचालन लागत में 6.7% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025 में लागत-आय अनुपात 47.94% रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 47.71% था। परिचालन लाभ 4.7% बढ़कर 32435 करोड़ रुपये हो गया। बेहतर आस्ति गुणवत्ता के कारण प्रावधानों में गिरावट और न्यून कर-प्रावधानों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2025 के लिए शुद्ध लाभ 10.1% बढ़कर 19,581 करोड़ रुपये के स्तर पर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में लगातार 1% से अधिक आस्तियों पर प्रतिफल (ROA) रिपोर्ट किया है, जो कि 1.16% के स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025 में इक्विटी पर प्रतिफल 16.96% रहा है।

पूँजी पर्याप्तता

वर्ष के दौरान बैंक की पूँजीगत स्थिति मजबूत हुई है और बैंक का सीआरएआर मार्च 2025 तक 17.19% के स्तर पर रहा है, जिसमें CET-1 अनुपात 13.78% और टियर-II पूँजी 2.40% है। बैंक का लिक्विडिटी कवरेज अनुपात लगभग 123% है। बैंक ने अपेक्षित अनुमोदन के अधीन प्रति शेयर 8.35 रुपये का लाभांश घोषित किया है।

बुनियादी मूल्य के रूप में सम्मान – सुदृढ़ गवर्नेंस का आधार

बैंक का मानना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस केवल विनियामक आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका व्यवसाय, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व और शेयरधारक की धन-संपदा में अधिकतम वृद्धि से गहरा संबंध है। बैंक द्वारा अपने सभी क्रियाकलापों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अवधारणा को लागू किया गया है। बैंक के 117वें स्थापना दिवस पर, प्रत्येक कर्मचारी के अंतर्निहित मूल्य और गरिमा को सम्मान और महत्व देने के उद्देश्य से, बैंक ने सत्यनिष्ठा, ग्राहक केंद्रीयता, साहस, उत्साहपूर्ण स्वामित्व, नवोन्मेषिता और उत्कृष्टता के अपने मौजूदा बुनियादी मूल्यों में एक नए बुनियादी मूल्य “सम्मान” को जोड़ा है।

वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलें

फिजिटल शाखाएं - बैंकिंग सेवाओं का एक और अभिनव स्वरूप

ग्राहक पहुंच और सेवा को बढ़ाने के लिए, बैंक ने वर्ष के दौरान 188 शाखाएं जोड़कर अपनी भौतिक उपस्थिति का विस्तार किया है जिससे इसकी पहुंच व्यापक हो गई है। इसके पूरक के रूप में, बैंक 9,316 एटीएम और 1,671

कैश री-साइक्लर का विशाल नेटवर्क संचालित करता है, जो बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने ग्राहक अनुभव को और समृद्ध करने के लिए अधिक सहज और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजिटल और भौतिक बैंकिंग के सर्वोत्तम एकीकरण के रूप में 'फिजिटल' शाखाएं शुरू की हैं। अभी तक, बैंक ने ऐसी नौ शाखाओं का शुभारंभ किया है। इसके अलावा, बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार, परिचालन दक्षता को बढ़ाने और स्थायीत्वपूर्ण व्यवसाय वृद्धि के लिए चार नए अंचल गुवाहाटी, भुवनेश्वर, लुधियाना और रायपुर बनाते हुए अपनी अंचल संरचना को रणनीतिक रूप से पुनर्गठित किया है। इन टचपॉइंट्स के अतिरिक्त, बैंक के पास देशभर में 48,120 व्यवसाय मित्रों (बीसी) का मजबूत नेटवर्क है।

ग्राहक अनुभव और भविष्योन्मुख तकनीक का निर्माण

तेजी से बदलती तकनीक के दौर में उभरते हुए बैंकिंग परिदृश्य में, हम अपने ग्राहकों की सेवा, उनके अनुभवों में वृद्धि तथा नवोन्मेषिता एवं तकनीक के उपयोग द्वारा उनके वॉलेट के बड़े हिस्से को बैंक से जोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

डिजिटल बैंकिंग की ओर ग्राहकों के बढ़ते झुकाव के साथ बैंक डिजिटल परिवर्तन को तेज करके अपनी सेवा वितरण प्रणाली को तेजी से डिजिटल बना रहा है। बैंक ने 'जेन-एआई' संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर 'अदिति' की शुरुआत की है जो ऑडियो, वीडियो और चैट आधारित सहायता के माध्यम से 24/7 बहुभाषी बातचीत सहायता प्रदान करती है। बैंक ने डिजिटल ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और चैटबॉट के माध्यम से आवश्यक प्रश्नों को हल करने के लिए 'जेन-एआई' संचालित चैटबॉट 'आदि' की भी शुरुआत की है। बैंक ने किसी भी बैंक के खातों और रुपये क्रेडिट कार्ड को लिंक करके सहज भुगतान, त्वरित रिचार्ज और आसान बिल भुगतान के साथ वित्तीय यात्रा को सरल बनाकर, तेज और सुरक्षित भुगतान के लिए बड़ौदा ई-पे सेवाएं भी शुरू की हैं। बैंक विभिन्न रिटेल, कृषि और एमएसएमई ऋणों के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल यात्रा के माध्यम से डिजिटल ऋण की पेशकश कर रहा है।

ग्राहकों के लिए नवाचारों के अलावा, बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए 'जेन-एआई' सक्षम ज्ञान प्रबंधन प्लेटफॉर्म 'GyanSahay.AI' भी आरंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को तुरंत और सटीक उत्तर प्रदान करता है, जिससे वे ग्राहकों के प्रश्नों का सहजता से जवाब दे सकते हैं और प्रमुख परिचालन संबंधी जानकारी तक अधिक कुशलता से पहुंच सकते हैं। 'जेन-एआई' को अपनाने के साथ बैंक, बैंकिंग नवाचार में सबसे आगे रहने और आज की डिजिटल-प्रथम दुनिया में बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

डिजिटल पहलें

बैंक ने हाल ही में ग्राहकों और गैर-ग्राहकों दोनों के लिए बॉब ई-पे नामक एक सुपर ऐप आरंभ किया है। यह ऐप किसी भी बैंक के खाते और रुपये क्रेडिट कार्ड को लिंक करके सहज भुगतान, त्वरित रिचार्ज और आसान बिल भुगतान के साथ उपयोगकर्ता के लिए वित्तीय यात्रा को सरल बनाता है। यह उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्मार्ट, सुरक्षित ऐप है।

बैंक ने अपने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई), 20+ फिनटेक के साथ एकीकृत किया है और भूमि स्वामित्व सत्यापन, कृषि उपज रिपोर्ट, डिजिटल सत्यापन, बैंक विवरणी का प्रमाणीकरण और विश्लेषण, क्रेडिट ब्यूरो, ई-मैडेड, जीएसटी, आईटीआर, उद्यम, ई-केवाईसी, वी-केवाईसी, पैन, ई-स्टैम्पिंग / ई-साइनिंग आदि के लिए 100 से ज्यादा डिजिटल एकीकरण किए हैं।

हमारे बैंक की डिजिटल बैंकिंग पहलों की उपलब्धियां विश्व स्तरीय और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं जो बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हमारे ग्राहकों के विश्वास में वृद्धि करती हैं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के दौर में हमें अपने समकक्षों से अलग खड़ा करती हैं।

संवहनीयता

वित्त वर्ष, 2025 के दौरान, बैंक ने संवहनीयता और ग्रीन फाइनेंस की ओर अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाया है। यह हरित और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण भविष्य के निर्माण के प्रति बैंक की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति है जो निर्णय-प्रक्रिया में मार्गदर्शन करती है, अनुपालन सुनिश्चित करती है, जोखिमों का प्रबंधन करती है, निवेश आकर्षित करती है और जवाबदेही में सुधार करती है। इसके मुख्य उद्देश्यों में संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना, निर्णय की प्रक्रिया से ईएसजी सिद्धांतों को जोड़ना, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संवहनीयता फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करना और ईएसजी जोखिमों को कम करना शामिल है। इस नीति को एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क द्वारा सुदृढ़ किया गया है, जिसमें शीर्ष स्तर पर बोर्ड-स्तरीय और कार्यपालक-स्तरीय सीएसआर और संवहनीयता समितियां और अंचल स्तर पर अंचल ईएसजी समितियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप, बैंक ने 2057 तक नेट जीरो प्राप्त करने की आकांक्षा निर्धारित की है, जो बैंक के स्थापना दिवस के 150वें वर्ष के उत्सव के साथ मेल खाता है। बैंक ने “बॉब अर्थ” के दायरे में विभिन्न पहलें शुरू की हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं। हमारी ग्रीन फाइनेंस पहलों को और मजबूत करने के लिए, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रीन फाइनेंस ढांचे के तहत पात्र परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन कर रहा है, जिससे इन क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए कठोर मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके।

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने “बड़ौदा महिला स्वावलंबन योजना” की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को निर्बाध संस्थागत ऋण प्रदान करना है। इसके अलावा, बैंक अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित संवहनीयता से जुड़ी पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट स्कीम पर भी काफी बल दिया है, जिससे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बैंकिंग समाधानों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका और मजबूत बनी है। बैंक, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (पीसीएएफ) का हस्ताक्षरकर्ता बनकर ऋण और निवेश से जुड़े ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को मापने और प्रकट करने की कार्यप्रणाली को मानकीकृत करने के वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है।

बैंक ने उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण और पानी की खपत को कम करने के लिए कई पहलों को लागू किया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। वर्तमान में, लगभग 274 शाखाएं सौर ऊर्जा से संचालित होती हैं जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आती है।

बैंक के संवहनीयता प्रयासों को एक्यूट ग्रुप कंपनी, ईएसजी रिस्क एनालिसिस एंड इनसाइट्स द्वारा ईएसजी रेटिंग के साथ मान्यता दी गई है, जो ‘पर्याप्त’ से ‘सुदृढ़’ तक सुधार गई है, यह दर्शाता है कि प्रयास सही दिशा में हैं।

इसके अलावा, बैंक ने “बॉब अर्थ वेबस्पेस” (<https://www.bankofbaroda.in/bob-earth>) का अनावरण किया है, जो एक गतिशील और पारदर्शी सार्वजनिक मंच है, जिसे बैंक की संवहनीयता महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने, ईएसजी प्रगति पर प्रकाश डालने, ग्रीन उत्पाद पेशकशों को प्रदर्शित करने और अद्यतन आंकड़ों और प्रभावशाली कहानियों को साझा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जवाबदेही, नवाचार और हरित भविष्य के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पुरस्कार एवं सम्मान

बैंक को मिले विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों में सबसे प्रमुख हैं प्रगति के लिए निरंतर समर्पण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ईज़ 6.0 सुधार एजेंडे के तहत बैंक को प्राप्त सम्मान। बैंक ने ईज़ 6.0 इंडेक्स के तहत कार्यबल और मानव संसाधन संचालन में शीर्ष स्थान हासिल किया है और ग्राहक सेवा उत्कृष्टता और एनालिटिक्स-संचालित व्यवसाय सुधार, दोनों में, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा, बैंक को वार्षिक आईबीए टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में भारतीय बैंक संघ द्वारा एआई और एमएल अपनाने में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में पुरस्कृत किया गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में एआई-आधारित नवाचार में हमारे बैंक की अग्रणी भूमिका का परिचायक है। साथ ही, बैंक को “आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक” के रूप में पुरस्कृत किया गया है और बैंक श्रेणी में “सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक” के साथ-साथ ‘सर्वश्रेष्ठ टेक टेलेंट और संगठन’ श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया है।

भविष्य की राह

कम मुद्रास्फीति, बढ़ी हुई एवं टिकाऊ लिक्विडिटी, बेहतर मानसून की उम्मीद के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बेहतर हुआ है, जबकि भू-राजनीतिक तनाव अभी भी जारी हैं और व्यापार से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताएं अंतर्राष्ट्रीय विकास संभावनाओं को प्रभावित कर रही हैं।

फिर भी, बैंक ने परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन दोनों दृष्टि से एक सुदृढ़ आधार बनाया है, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने और अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्षम बनाता है। विस्तारित भौगोलिक उपस्थिति, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान और निर्बाध डिजिटल सेवाओं के साथ, बैंक स्थायित्वपूर्ण और सुदृढ़ विकास के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हमारा प्रयास भविष्य के लिए तैयार एक ऐसे विश्व स्तरीय बैंकिंग संस्थान बनाने का है जो अपने सभी हितधारकों के लिए अपने स्थायी मूल्य प्रदान करता हो, जो बुनियादी मूल्यों और अनुपालन के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित है।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और हमारे सभी प्रयासों में प्रबंधन को दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को भी समय-समय पर उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सभी कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका विश्वास हमारी सफलता का मूलमंत्र है और इससे हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा में, हम उत्कृष्टता की अपनी खोज पर आगे बढ़ते हुए आपके निरंतर संरक्षण, समर्थन और सद्भावना की आशा करते हैं।

देवदत्त चांद

देवदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MD & CEO's Statement

Dear Stakeholders,

Greetings! it gives me immense pleasure to present the highlights of your Bank's performance during the financial year 2024-25. Details of the achievements and initiatives taken are provided in the Annual Report.

In FY25, the global economy exhibited remarkable resilience, navigating a complex landscape marked by geopolitical tensions, elevated inflation, and financial volatility. Notably, it managed to avert a global recession during the disinflationary process, maintaining steady growth. Despite global uncertainties, Indian economy sustained its growth momentum, supported by consumption, government spending, moderation in inflation and various policy measures supporting market liquidity. The Indian Banking system has been well positioned in terms of robust asset quality, high levels of capital adequacy and robust profitability. However, the banking sector witnessed significant moderation in credit growth and challenges for deposit mobilisation amidst tight liquidity conditions. Amidst this operating environment, the Bank has not only navigated these challenges but has also built a foundation for delivering a sustainable value for our stakeholders by following a calibrated growth path and setting new milestones.

During the year, there has been consistency and stability in the Banks performance in terms of its key metrics including the business growth, profitability and asset quality. As of March 2025, the Bank crossed the milestone of INR 27 lakh crore to reach a level of INR 27.02 lakh crore and the Bank posted the highest ever net profit on standalone basis at INR 19,581 crore and at a consolidated level, it has crossed the INR 20,000 crore level mark to reach INR 20,716 crore. This is in a year when the asset quality touched a 13 year low level with GNPA ratio at 2.26%.

Financial Performance

Liability Management

At the industry level, the banking sector has been grappling with challenges in deposit mobilization, amidst rising costs and shifting customer preferences towards higher-yielding investment avenues. To address these challenges, the Bank has implemented a series of strategic initiatives aimed at establishing a sustainable deposit base. Our focus on growing CASA deposits and retail term deposits has been driven by innovative product offerings, value-added services, targeted campaigns, and unique marketing initiatives. To further strengthen our retail proposition, Bank has onboarded the cricket legend Shri Sachin Tendulkar to attract the retail investors by aligning values of trust & excellence and introduced masterstroke savings accounts which offers a range of premium services. Further, the Bank introduced savings and investment products for varying needs of its customers such as women, youngsters and minors by bundling the deposits with a host of features as per the savings and investment needs of the diverse customers. These efforts have yielded positive outcome with the global



Debadatta Chand
Managing Director and CEO

deposits growing at 10.3%, domestic deposits by 9.3% and International deposits by 15.8%. The domestic CASA deposits grew at 6.4% with domestic current deposits at 14.9% and saving deposits at 4.8% which is one of the best among public sector banks. For the first time, the Bank has opened more than 3 lakh current accounts in a year. The domestic CASA ratio stood at 39.97% as of March 2025.

Advances growth with a focus on Retail loans

At the industry level, the credit growth for Scheduled Commercial Banks has declined to 12.1% in FY25 as against a growth of 16.3% in FY24 (excluding merger impact). In line with the industry, the Bank calibrated its credit growth to align with the underlying macro environment and chose the sustainable growth path. The Bank's global advances grew by 12.8% with domestic advances growing by 13.7%. The Bank continued to focus on retalisation of the loan book by growing high yielding Retail, Agriculture and MSME (RAM) loan book. The organic retail loan book of the Bank has grown by 19.4%. Within retail loan segment, Auto loans have grown by 20.3%, mortgages loans by 18.9% and education loans by 15.9%. The organic MSME loan book has grown by 14.2% and Agriculture loan book has also grown by 14.2%. The RAM loans account for 59.6% of the gross domestic credit as of March'25 as against 57.7% as of March'24. The corporate loan book has grown by 8.6% as of March'25.

Strong Asset Quality

The Bank has been maintaining robust asset quality and its GNPA ratio trending down contributed by positive recovery efforts, upgradations, strategic write offs, slowdown in fresh

slippages underpinning the strong underwriting standards. The GNPA ratio as of March 2025 has been at 2.26% and NNPA ratio at 0.58%. Both the GNPA and NNPA ratios are lowest in last 13 years. The credit cost for FY25 has been at 0.47% and slippage ratio at 0.78% reflecting the high quality of the assets. The Provision Coverage Ratio (PCR) stands at 93.29% including TWO and the collection efficiency excluding agriculture stands at 98.54% as of March 2025.

Robust Profitability

In FY25, the Bank recorded the highest ever net profit on standalone basis at INR 19,581 crore. The profitability was driven by non-interest income with higher treasury earnings. The operating environment, marked by pressure on deposit mobilization and rising deposit costs, combined with repo rate cuts flowing in immediately in loan pricing, resulted in muted Net Interest Income growth as interest earnings grew slower than interest expenses as deposit costs remained elevated. The net interest income growth was at 2.1% with interest income growing at 7.8% and interest expenses at 11.6%. The Bank has managed its expenses prudently with its operating expenses growing at 5.7% with employee cost increasing by 5.0% and other operating expenses increasing by 6.7%. The cost to income ratio has been at 47.94% in FY25 as against 47.71% in FY24. The operating profits increased by 4.7% to INR 32,435 crore. With a decline in provisions on account of improved asset quality and lower tax provisions resulted in the net profit rising by 10.1% to touch a level of INR 19,581 crore for FY25. The Bank has consistently reported a Return on Assets (ROA) of above 1% at 1.16% in FY25. The Return on Equity (ROE) has been at 16.96% in FY25.

Capital Adequacy

The Bank's capital position has strengthened during the year with the CRAR of the Bank touching a level of 17.19% as of March 2025 with CET-1 ratio at 13.78% and Tier-II capital at 2.40%. The Bank has a healthy Liquidity Coverage Ratio (LCR) of approx. 123%. The Bank has declared a dividend of INR 8.35 per share, subject to requisite approvals.

Strong Governance – with Respect as a core Value

Bank believes that corporate governance is not just regulatory requirement but there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization. The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. On the Bank's 117th Foundation day, to recognise and value the inherent worth and dignity of every employee, the Bank has added a new core value "Respect" along with its existing core values of Integrity, Customer Centricity, Courage, Passionate Ownership, Innovation and Excellence.

Key Initiatives undertaken during the year

Phygital branches – yet another innovative way to banking services

To enhance customer accessibility and service, the Bank has expanded its physical presence by adding 188 branches during the year, thereby broadening its reach. Complementing this, the Bank operates a vast network of 9,316 ATMs and 1,671 Cash re-cyclers, offering a wide array of banking services.

Additionally, the Bank introduced 'phygital' branches—integrating the best of digital and physical banking—to provide a more seamless and convenient banking experience to further enrich the customer experience. To date, the Bank has inaugurated nine such branches. Moreover, the Bank has strategically realigned its zonal structure, creating four new zones: Guwahati, Bhubaneswar, Ludhiana, and Raipur to improve customer service, enhance operational efficiency, and drive sustainable business growth. Beyond these touchpoints, the Bank has a robust network of 48,120 Business Correspondents (BCs) across the country.

Customer Experience and Building Technology for the Future

In the evolving banking landscape around the fast changing technology, our unwavering focus remains on our customers, our commitment to enhancing customer experiences and obtaining increased share of their wallet through innovations and technology.

The Bank is increasingly digitalising its service delivery by accelerating digital transformation with the changing customer behaviour tending towards digital banking. The Bank has introduced GenAI powered virtual relationship manager 'Aditi' which offers conversational 24/7 multilingual support through audio, video and chat based assistance. Bank has also launched GenAI powered chatbot 'ADI' to improve digital customer experience and get the required queries solved through chatbot. The Bank has also introduced Baroda e-pay services for faster and safer payments by simplifying the financial journey with seamless payments, quick recharges, and easy bill payments by linking accounts and Rupay Credit cards of any bank. The Bank has been offering digital lending through end-to-end digital journey for various retail, agriculture and MSME loans improving turn around time and ease of banking.

In addition to customer-facing innovations, the Bank has also launched a GenAI-enabled knowledge management platform, 'GyanSahay.AI' for its employees. This platform provides employees with instant and accurate answers, enabling them to seamlessly handle customer queries and access key operational details more efficiently. With the adoption of GenAI, the Bank underscores its commitment to staying at the forefront of banking innovation and delivering superior customer service in today's digital-first world.

Digital Innovations

Bob e-Pay, a super app, has been launched recently by the Bank for both customers and non-customers. This app simplifies financial journey for the user with seamless payments, quick recharges and easy bill payments by linking account and rupay credit cards of any bank. It is a smart, secure app designed for convenience of the users.

Bank has integrated its Digital Lending Platform with Reserve Bank Innovation Hub's (RBIH) Unified Lending Interface (ULI), 20+ FinTech's and has 100+ digital integrations, for the purpose of land ownership verification, farm yield reports, digital verification, authentication & analysis of bank statement, credit bureau, e-mandate, GST, ITR, Udyam, e-KYC, v-KYC, PAN, e-stamping / e-signing, etc.



The achievements on our digital banking initiatives highlight our commitment to delivering world class and secure banking services, ensuring the safety and trust of our customers and making technology our key competitive differentiator.

Sustainability

During FY25, Bank has accelerated its journey toward sustainability and green finance reaffirming its unwavering commitment to building a greener, more responsible future. The Bank has a Board-approved Environmental, Social and Governance (ESG) Policy that guides decision-making, ensures compliance, manages risks, attracts investments, and improves accountability. Key objectives include promoting sustainable banking practices, integrating ESG principles into decision-making, aligning with international sustainability frameworks, and mitigating ESG risks. The Policy is supported by a strong governance framework, featuring a Board-level and Executive-level CSR & Sustainability Committees at the top and Zonal ESG Committees at the field level.

In alignment with national climate goals, the Bank has set an aspiration for achieving Net Zero by 2057, coinciding with the celebration of the 150th year of the Bank's foundation day. The Bank has launched various initiatives under the ambit of "bob earth", reaffirming its dedication to protecting and preserving nature for future generations. To further strengthen our green finance initiatives, Bank is conducting impact assessment for the projects eligible under the RBI's Green Financing Framework, ensuring rigorous assessments for proposals within these sectors.

During the financial year, the Bank launched the "Baroda Mahila Swavalamban Scheme," aimed at providing seamless institutional credit to women entrepreneurs. Furthermore, the Bank is actively supporting sustainability-linked initiatives, including renewable energy, waste management and electric mobility. The Bank has also placed significant emphasis on Green Deposit Scheme, further solidifying its leadership in promoting environmentally responsible banking solutions. The Bank became a signatory to the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), joining a global effort to standardize the methodology for measuring and disclosing greenhouse gas (GHG) emissions linked to loans and investments.

The Bank has implemented various initiatives to reduce emissions, conserve energy, and minimize water consumption. A key focus area has been the reduction of carbon emissions. Currently, around 274 branches are powered by solar energy, resulting in reduced power consumption and significant reductions in carbon dioxide emissions.

The Bank's sustainability efforts are recognized, with the ESG Rating, by ESG Risk Analysis & Insights, an Acuite Group Company, improving from Adequate to Strong, showcasing that the efforts are in the right direction.

Further, the Bank has unveiled the "bob earth Webpace" (<https://www.bankofbaroda.in/bob-earth>), a dynamic and transparent public platform designed to showcase the Bank's sustainability ambitions, highlighting ongoing ESG progress, featuring green product offerings, sharing real-time data and impactful stories-underscoring the Banks commitment to accountability, innovation, and a greener future.

Awards and Accolades

Among the various awards and accolades received by the Bank, the most prominent ones include the notable recognition under the EASE 6.0 reform agenda for Public Sector Banks received by the Bank for its dedication to progress as it secured the top spot in People & HR Operations and ranked third in both Customer Service Excellence and Analytics-Driven Business Improvement on the EASE 6.0 Index. Further, the Bank has been honoured with the Best Bank in AI & ML Adoption award by the Indian Banks' Association at the Annual IBA Technology Awards 2024, reaffirming its position at the forefront of AI-led innovation in the banking sector. Additionally, the Bank has been recognised as the Best Bank for IT Risk Management and secured the Runner-up position for Best Technology Bank as well as Best Tech Talent & Organization.

Going forward

The outlook for Indian economy has improved on back of lower inflation, increased durable liquidity, expectations of better monsoon, even as geopolitical escalations continue to loom and global uncertainties relating to trade continue to cast a shadow over international growth prospects.

Nevertheless, the Bank has established a strong foundation in both operational and financial performance, positioning itself to drive the growth of the Indian economy and meet the expectations of its stakeholders. With an expanded geographical footprint, technology-driven solutions, and seamless digital services, the Bank is well prepared for sustainable and steady growth. The endeavour is to build a future-ready, world-class banking institution that delivers enduring value for all its stakeholders, grounded in core values and a steadfast commitment to compliance.

I would like to acknowledge and thank all the members of the Board for their valuable support, guidance, and inputs to the management in all our endeavours. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time. I acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment. Your trust is fundamental to our success and inspire us every day. At Bank of Baroda, we look forward to your continued patronage, support and goodwill as we march ahead in our quest for excellence.

Debadatta Chand
MD & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट

"आपके निदेशकगण बैंक की एक सौ सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) के लिए लेखा-परीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा व्यवसाय और परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं."

वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं प्रमुख वित्तीय आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
वैश्विक जमाराशियां	13,35,136	14,72,035
जिसमें से - अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियां	1,98,444	2,29,866
घरेलू जमा राशियां	11,36,692	12,42,169
जिसमें से चालू खाता जमा राशियां	76,386	87,778
बचत बैंक जमाराशियां	3,90,014	4,08,684
घरेलू कासा जमाराशियां	4,66,400	4,96,462
घरेलू जमाराशियों में घरेलू कासा (%)	41.03	39.97
निवल अग्रिम	10,65,782	12,09,558
वैश्विक सकल अग्रिम	10,90,506	12,30,461
जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	1,923,90	2,09,349
घरेलू अग्रिम	8,98,116	10,21,112
कुल कारोबार (वैश्विक जमाराशि + वैश्विक सकल अग्रिम)	24,25,642	27,02,496
कुल आस्तियां	15,85,797	17,81,247
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	44,722	45,659
अन्य आय	14,495	16,647
जिसमें से - ट्रेडिंग अभिलाभ	1,492	2,266
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	59,217	62,306
परिचालन व्यय	28,252	29,871
परिचालन लाभ	30,965	32,435
प्रावधान (कर को छोड़कर)	6,076	5,980
जिसमें से - एनपीए व बढ़ाकृत अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	6,471	5,170
कर पूर्व लाभ	24,890	26,454
कर हेतु प्रावधान	7,101	6,873
निवल लाभ	17,789	19,581
विनियोजन / अंतरण		
सांविधिक प्रारक्षित निधि	4,447.20	4895.29
पूंजी प्रारक्षित निधि	104.17	451.49
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि		
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	8,079.23	8415.21
II) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (I) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि	615.92	1446.53
III) निवेश प्रारक्षित खाता	563.86	-
IV) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	-	-
V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	48.17	54.55
प्रस्तावित लाभांश	3,930.24	4318.09



वित्त वर्ष 2025 में बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर ₹14,72,035 करोड़ हो गई जो वित्त वर्ष 2024 में ₹13,35,136 करोड़ थी, इसमें 10.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक का घरेलू कासा 6.4% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹4,96,462 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। घरेलू जमा राशियां भी 9.3% की वार्षिक वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर ₹12,42,169 करोड़ हो गई। बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम 12.8 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी के साथ वित्त वर्ष 2024 के ₹10,90,506 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में ₹12,30,461 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। बैंक का कुल कारोबार वित्त वर्ष 2024 के ₹24,25,642 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर ₹27,02,496 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, इसमें 11.4% प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2024 के ₹44,722 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर ₹45,659 करोड़ हो गई, इसमें 2.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की अन्य आय वित्त वर्ष 2025 में ₹16,647 करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹14,495 करोड़ थी, इसमें 14.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का परिचालन व्यय वित्त वर्ष 2025 में ₹29,871 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह ₹28,252 करोड़ था। बैंक की परिचालन आय वित्त वर्ष 2024 के ₹59,217 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹62,306 करोड़ हो गई, इसमें 5.2% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में ₹19,581 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹17,789 करोड़ था, इसमें 10.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2024 के ₹30,965 करोड़ की तुलना में 4.7% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹32,435 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक (%)	3.18	3.02
लागत-आय अनुपात (%)	47.71	47.94
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	1.17	1.16
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	18.95	16.96
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	181.48	223.26
मूल ईपीएस (₹)	34.40	37.86

निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2024 के 3.18 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में 3.02% रहा। लागत-आय अनुपात वित्त वर्ष 2024 के 47.71% की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में 47.94% हो गया। वित्त वर्ष 2025 के लिए औसत आस्तियों पर प्रतिफल वित्त वर्ष 2024 के 1.17% की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में 1.16% हो गया। वित्त वर्ष 2025 में इक्विटी पर प्रतिफल 16.96% रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में 18.95% था। प्रति शेयर बही मूल्य वित्त वर्ष 2024 के ₹181.48 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹223.36 हो गया। प्रति शेयर अर्जन वित्त वर्ष 2024 के ₹34.40 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹37.86 हो गया।

निधियों की औसत लागत और आय तथा औसत ब्याज अर्जक आस्तियां

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
निधियों की औसत लागत (%)	5.12	5.27
निधियों पर औसत आय (%)	8.01	8.04
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)	14,05,271	15,10,144
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹ करोड़ में)	13,26,655	14,38,612

वित्त वर्ष 2025 में निधि की औसत लागत और निधि पर लाभ क्रमशः 5.27% और 8.04% रहा। औसत ब्याज अर्जक आस्तियां वित्त वर्ष 2024 के ₹14,05,271 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹15,10,144 करोड़ हो गई। औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं भी वित्त वर्ष 2024 के ₹13,26,655 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹14,38,612 करोड़ हो गई।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

(अनुपात % में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III सीईटी I	16.31	17.19
टियर I	12.54	13.78
टियर II	14.07	14.79
	2.24	2.40

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) दिनांक 31 मार्च, 2024 के 16.31% से बढ़कर 31 मार्च, 2025 को 17.19% हो गया। वित्त वर्ष 2025 के दौरान सीईटी-I अनुपात वित्त वर्ष 2024 के 12.54% से बढ़कर 13.78% हो गया। समेकित समूह पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2024 के 16.68% की तुलना में बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2025 को 17.60% हो गया।

बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹3500 करोड़ के टीयर 2 पूंजी बॉन्ड जारी किए।

निवल मालियत

बैंक की निवल मालियत वित्त वर्ष 2024 के ₹93,850.76 करोड़ के सापेक्ष में वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर ₹1,15,457.35 करोड़ हो गई। जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1,035.53 करोड़ और प्रारक्षित निधि ₹1,14,421.82 करोड़ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षित निधियों और अन्य अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) शामिल है।

शेयर (अंकित मूल्य 2) का बही मूल्य वित्त वर्ष 2024 के ₹181.48 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹223.26 रहा।

सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों के लिए प्रावधान

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बैंक ने ग्रेच्युटी (₹1206.71 करोड़), पेंशन फंड (₹2216.33 करोड़), छुट्टी नकदीकरण, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभों (₹467.15 करोड़) में अंशदान हेतु प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान इन श्रेणियों के तहत कुल प्रावधान ₹3890.19 करोड़ रहा।

लाभांश वितरण

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹8.35 के लाभांश का प्रस्ताव किया है। लाभांश के रूप में ₹4,318.09 करोड़ का कुल भार आया। लाभांश का भुगतान अपेक्षित मंजूरी के अधीन है।

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2024 में वैश्विक वृद्धि स्थिर रही, क्योंकि विश्व जीडीपी में 60% से अधिक योगदान देने वाली अर्थव्यवस्थाएं चुनाव प्रक्रिया से गुजर रही थीं। आईएमएफ के वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार, 2024 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि 3.2% पर सुदृढ़ रही, जबकि 2023 में यह 3.3% थी। सुदृढ़ वैश्विक वृद्धि के बावजूद, विभिन्न देशों और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर देखे गए हैं। मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक संघर्ष और मौसम की प्रतिकूल स्थिति के कारण कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए और

उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, अमेरिका ने 2024 में 2.8% की स्थायी वृद्धि दर्ज की, जबकि 2023 में 2.9% की वृद्धि थी। इसमें बढ़ते उपभोग और गैर-आवासीय निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यूरो क्षेत्र में, मांग की सुदृढ़ स्थिति के फलस्वरूप, जीडीपी वृद्धि वर्ष 2023 के 0.4% से बढ़कर वर्ष 2024 में 0.9% रही। उच्च मेहनताने ने भी खपत में मदद की। यूरो क्षेत्र के तहत, स्पेन ने 2024 में 3.2% (2023 में 2.7%) की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। जर्मनी में, संकुचन की गति 2023 में -0.3% के मुकाबले 2024 में मामूली रूप से धीमी होकर -0.2% हो गई। यूके ने 2024 में आर्थिक विकास 1.1% की वृद्धि के साथ काफी बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि 2023 में यह केवल 0.3% था। दूसरी ओर, कम मुद्रास्फीति के बीच जापान में विकास दर 2023 के 1.5% से घटकर 2024 में 0.1% हो गई।

उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) ने 2024 में 4.3% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। चीन में वृद्धि दर 2023 के 5.2% की तुलना में 2024 में मामूली कमी के साथ 5% रही। निर्यात द्वारा, विशेष रूप से वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान वृद्धि को सकारात्मक बढ़ावा दिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रॉपर्टी क्षेत्र जो 2021 में पीछे रह गया था उसमें सितंबर 2024 में नीति निर्माताओं के केंद्रित प्रयासों से स्थिरता के आरंभिक संकेत दिखाई दिए।

मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य 2023 में 4.6% से 2024 में 2.6% तक कम हो गए। यहां तक ईएमडीई के लिए भी, मुद्रास्फीति 2023 के 8% से घटकर 2024 में 7.7% हो गई। यह नरमी ऊर्जा और खाद्य कीमतों में कमी के कारण थी। इससे कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में भी उल्लेखनीय कमी आई और यह लक्षित स्तर से नीचे हो गई। मुद्रास्फीति को कम करने वाले प्रभाव के बावजूद, सेवा मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रों में कोर मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है।

2024 में, वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को आसान बनाने की दिशा में निर्णायक बदलाव किया। फेड ने सितंबर, 2024 में 50 बीपीएस दर कटौती के साथ उदारीकरण चक्र शुरू किया और 2024 में कुल 3 कटौतियों के साथ वर्ष का समापन किया जिससे फेडरल फंड रेट 4.25% से 4.5% हो गई। इसके अलावा, ईसीबी ने 2024 में 4 बार दर कटौती की, जिससे इसकी जमा दर पहले के 4% से घटकर 3% हो गयी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2024 में दो बार दरें कम कीं, जिससे ब्याज दर 5.25% से घटकर 4.75% हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति दर 2024 में केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहा, दरों को स्थिर रखा। दूसरी ओर, नीति विचलन का संकेत देते हुए, बीओजे ने 2024 में दरों को दो बार बढ़ाकर 0.1% कर दिया और ऋणात्मक ब्याज दर व्यवस्था से बाहर आ गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पूर्व में अभूतपूर्व झटकों की एक श्रृंखला देखी है। अब, वैश्विक विकास में स्थिरता के संकेत दिख रहे हैं, मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब पहुंच रही है और मौद्रिक उदारीकरण चक्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, भू-राजनीतिक संघर्षों, व्यापार नीति में प्रतिकूल बदलावों और नीति अनिश्चितता में वृद्धि से संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियां वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती हैं। इससे वैश्विक वित्तीय स्थितियों के सख्त होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 2025 में वैश्विक वृद्धि के भिन्न और अनिश्चित होने की संभावना है।

इस आधार पर, आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2025 में विश्व अर्थव्यवस्था 2.8% की धीमी गति से बढ़ेगी और जोखिमों में गिरावट का रुख रहेगा। नीतिगत बदलाव, बढ़ते व्यापारिक विवाद और अनिश्चितताओं से वैश्विक विकास में बाधा उत्पन्न होने की आशा है। व्यापार नीतियों में बदलाव के परिणामस्वरूप पूंजी का बहिर्गमन हो सकता है और वैश्विक वित्तीय स्थिति, खासकर उभरते बाजारों

के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। 2025 में ईएमडीई में वृद्धि कम, 3.7% होने का अनुमान है। यह चीन के कारण होगा, जिसके द्वारा कमजोर घरेलू मांग और टैरिफ के प्रभाव को देखते हुए 4% की कम जीडीपी वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। यहां तक कि रूस और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाओं में भी क्रमशः 1.5% और 2% की धीमी वृद्धि की संभावना है। भारत की जीडीपी वृद्धि 6.2% रहने की उम्मीद है, जो आरबीआई के 6.5% के अनुमान से थोड़ी कम है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए, 2025 में विकास दर, कमजोर 1.4% रहेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मांग की कमी, नीति अनिश्चितता और व्यापार तनाव के कारण 1.8% की दर से वृद्धि करने की संभावना है। टैरिफ और बढ़ती अनिश्चितता के कारण यूरो क्षेत्र में 0.8% की धीमी गति से वृद्धि होने का अनुमान है। 2025 में फ्रांस और इटली में वृद्धि दर क्रमशः 0.6% और 0.4% रहने की संभावना है, जबकि जर्मनी के मंदी से बाहर आने की संभावना है। दूसरी ओर, जापान में जीडीपी वृद्धि दर 0.6% तक बढ़ने की संभावना है, जबकि यूके में जीडीपी वृद्धि दर 1.1% पर स्थिर रहने की संभावना है।

2025 में वैश्विक मुद्रास्फीति दर 4.3% रहने का अनुमान है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के लक्षित स्तर तक रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति परिदृश्य में सुधार होने के बावजूद, टैरिफ लगाने के परिणाम विभिन्न देशों में अलग-अलग होंगे। व्यापार टैरिफ, आपूर्ति की दृष्टि से झटके के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि टैरिफ लगाने वाले देशों में उच्च यूनिट लागत और कम उत्पादकता की प्रवृत्ति विकसित होती है। दूसरी ओर, टैरिफ लगाने वाले देशों को नकारात्मक मांग का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि निर्यात मांग कम होगी और कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। व्यापार अनिश्चितता ने व्यवसायों के लिए मांग में कमी की एक और समस्या पैदा कर दी है और इसके परिणामस्वरूप उच्च विनिमय दर अस्थिरता के साथ-साथ कठिन वित्तीय स्थिति हो सकती है। टैरिफ प्रतिबंधों में वृद्धि के कारण वैश्विक व्यापार वृद्धि भी धीमी होने की उम्मीद है जो व्यापार प्रवाह को प्रभावित करेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास दर में थोड़ी कमी आने के बावजूद मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर विकास की ओर अग्रसर है। वित्त वर्ष 2025 में अर्थव्यवस्था ने 6.5% की वृद्धि दर्ज की, जबकि वित्त वर्ष 24 में 9.2% की वृद्धि हुई थी। उद्योग की वृद्धि दर सामान्य हो गई क्योंकि यह वित्त वर्ष 2024 के 10.8% के मुकाबले 5.6% बढ़ी। विनिर्माण क्षेत्र के मामले में यह प्रवृत्ति अधिक ध्यान देने योग्य थी, क्योंकि इसकी वृद्धि वित्त वर्ष 2024 में 12.3% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 4.3% हो गई, जो आधार-प्रभाव को दर्शाती है। अन्य उप-क्षेत्र जैसे खनन (2.8% बनाम 3.2%), निर्माण (8.6% बनाम 10.4%) और यूरिलिटी (6% बनाम 8.6%), ने केवल मामूली गिरावट दर्ज की।

सेवा क्षेत्र ने भी कुछ गिरावट दर्ज की (वित्त वर्ष 2025 में 7.3% के बनाम वित्त वर्ष 24 में 9%), लेकिन सार्वजनिक खर्च में निरंतर प्रगति (वित्त वर्ष 2025 में 8.8%, पिछले वर्ष के समान) की सहायता से इसमें 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, तथा वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं जैसे अन्य उप-क्षेत्रों में वृद्धि में कुछ गिरावट देखी गई। यह प्रवृत्ति संबंधित उच्च आवृत्ति संकेतकों जैसे कि सेवा पीएमआई, घरेलू यात्री ट्रैफिक, वाहन बिक्री, रेल माल ढुलाई और बंदरगाह कार्गो यातायात में भी दिखाई दी।

मूल्य के क्षेत्र में, समग्र मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 में औसतन 4.6% रही, जो वित्त वर्ष 2024 में 5.4% थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 6% के ऊपरी सहनशीलता मानक से काफी नीचे है। पहली तिमाही में 4.9% से, हेडलाइन मुद्रास्फीति दूसरी तिमाही में 4.2% तक कम हो गई, जो खाद्य मुद्रास्फीति में



कमी के कारण हुई। खाद्य के भीतर, अच्छे मानसून और अधिक खरीफ बुवाई के बीच अनाज, सब्जियों, फलों और दालों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, तीसरी तिमाही तक खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि का दबाव था, जिसने हेडलाइन मुद्रास्फीति को 5.6% तक बढ़ा दिया। इसके बाद चौथी तिमाही में, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं व्यापारिक युद्ध की घटनाओं से प्रभावित हुई, वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई। खाद्य मुद्रास्फीति में भी काफी कमी आई, जिसमें सब्जी मुद्रास्फीति का विशेष प्रभाव रहा। वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने हेडलाइन सीपीआई के, जोखिम के समसंतुलित होने तथा सामान्य मानसून की संभावना के आधार पर, कम होकर 4% हो जाने का अनुमान लगाया है।

अप्रैल-फरवरी 2025 (वित्त वर्ष 2025) के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 13.5 लाख करोड़ रुपये रहा, जो इस वर्ष के संशोधित वार्षिक लक्ष्य का लगभग 85.8% है। वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %) लक्ष्य 4.8% (15.7 लाख करोड़ रुपये पर) निर्धारित किया है, जो बजट अनुमानों के अनुसार 4.9% से कम है। वित्त वर्ष 2025 में अब तक केंद्र के शुद्ध कर राजस्व में 13.5% की वृद्धि हुई है, गैर-कर राजस्व में 36.9% का विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमान है कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य पिछले साल की तुलना में बहुत कम यानी जीडीपी का 4.4% होगा।

वित्त वर्ष 2025 में भारत की बाहरी स्थिति में सुधार के संकेत मिले, क्योंकि निर्यात वृद्धि में सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2024 में (-) 3.1% की गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2025 में निर्यात में 0.1% की वृद्धि हुई। मजबूत घरेलू मांग का संकेत देते हुए, और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में कम तीव्र गिरावट के कारण, आयात वृद्धि ने भी गति पकड़ी और वित्त वर्ष 2024 में (-) 5.3% की गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2024 में 241.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 282.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मुद्रा के मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2024 में 2.9% की गिरावट के मुकाबले वित्त वर्ष 2025 में भारतीय रुपये में कम गिरावट 2.1% रही। इस अवधि के दौरान डॉलर इंडेक्स में 1.4% की मजबूती आई।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले वित्त वर्ष (फरवरी 2025) के अंत से दरों में कटौती चक्र शुरू किया, जब उसने दरों में 25 बीपीएस की कटौती की घोषणा की। उस समय रुख अपरिवर्तित रहा। नए वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2026) की शुरुआत में, केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2025 में एक और 25 बीपीएस की दर में कटौती की और रुख को 'तटस्थ' से बदलकर 'समायोजनकारी' कर दिया। इसने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने विकास और मुद्रास्फीति अनुमानों को भी घटाकर क्रमशः 6.5% (फरवरी 2025 की नीति में 6.7% अनुमानित) और 4% (4.2%) कर दिया है। हमें उम्मीद है कि इसी अवधि में अर्थव्यवस्था 6.4 - 6.6% की वृद्धि दर्ज करेगी।

भारतीय बैंकिंग में विकास

वित्त वर्ष 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि घटकर 11% (18.1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि) हो गई, जबकि जमा वृद्धि घटकर 10.3% (21.1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि) रही, इससे अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। विशेष रूप से, वित्त वर्ष 2025 में ऋण और जमा दोनों की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। वित्त वर्ष 2024 में, ऋण और जमा क्रमशः 20.2% और 13.5% बढ़े। बैंकिंग प्रणाली का ऋण-जमा अनुपात वित्त वर्ष 2025 में 80.8% रहा, जो कि वित्त वर्ष 2024 में 80.5% से थोड़ा अधिक है। सेक्टर स्तर पर, सेवाओं को ऋण और व्यक्तिगत ऋणों में वित्त वर्ष 2025 में तेजी से कमी दर्ज की गई। हालांकि, फरवरी 2025 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बाहरी रेटिंग के अनुसार बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले ऋण पर जोखिम भार को बहाल कर दिया, जो वित्त वर्ष 2026 से लागू हो

गया और इससे इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलना चाहिए।

वित्त वर्ष 2025 में तरलता की स्थिति अस्थिर बनी रही, वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में मामूली अधिशेष और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में घाटा देखा गया। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में तरलता की कमी बहुत अधिक आई और औसत दैनिक तरलता घाटा 1.2 लाख करोड़ रुपये रहा। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपायों की घोषणा की, जिसमें दिसंबर 2024 में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की कटौती, सीआरआर को 4% पर बहाल करना शामिल है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को सुदृढ़ करने की शुरुआत से पहले मई 2022 में देखा गया था। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दैनिक परिवर्ती रेपो रेट ऑक्शन (वीआरआर), साथ ही यूएसडी/आईएनआर स्वेप विकल्प तथा ओएमओ खरीद की घोषणा की। इनसे हाल में तरलता स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2025 में अपनी नीति रेपो दर को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया, जो 5 वर्षों में इसकी पहली दर कटौती थी। रुपए में नए ऋणों पर एससीबी के लिए भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) वित्त वर्ष 2025 में लगभग स्थिर रही, जबकि वर्ष के दौरान भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीआर) में मामूली गिरावट देखी गई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार के उद्देश्य से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव भी किए, जो वित्त वर्ष 2026 से प्रभावी होने वाले हैं। इनमें कुछ क्षेत्रों पर बढ़ी हुई ऋण सीमा, नवीकरणीय ऊर्जा और कमजोर वर्गों के लिए बढ़ाया कवरेज और साथ ही शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पीएसएल में व्यापक बदलाव शामिल थे।

पर्याप्त पूंजी और तरलता बफर्स एवं बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ बैंकिंग प्रणाली की सेहत अच्छी बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, एससीबी की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनएनपीए) अनुपात सितंबर 2024 तक क्रमशः 2.9% और 0.9% के बहुवर्षीय न्यूनतम स्तर पर रहा। एससीबी का पूंजी जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) भी सितंबर 2024 में 16.7% पर स्वस्थ रहा। लाभप्रदता संकेतकों, आस्ति पर आय (आरओए) और इक्विटी पर आय (आरओई), में सुधार देखा गया। इसके अलावा, दबाव परीक्षण के परिणाम संकेत देते हैं कि आधारभूत परिदृश्य के तहत एससीबी का सीआरएआर मार्च 2026 तक मामूली रूप से घटकर 16.5% होने की संभावना है इसके अलावा, एससीबी का जीएनपीए अनुपात आधारभूत परिदृश्य के तहत मार्च 2026 में 3% तक बढ़ने की उम्मीद है, और प्रतिकूल परिदृश्य 1 और 2 के तहत क्रमशः 5% और 5.3% तक बढ़ने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण तरलता प्रबंधन के साथ-साथ हाल के नियामक परिवर्तनों से भारत के बैंकिंग उद्योग की मजबूती के रेखांकित होने की संभावना है। पर्याप्त पूंजी बफर, बेहतर लाभप्रदता और सुदृढ़ परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ, भारतीय बैंक अगले वर्ष भी सुदृढ़ वृद्धि दर्ज कर सकते हैं।

ईज

पीएसबी सुधार एजेंडा को जनवरी 2018 में एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (ईएएसई) के रूप में शुरू किया गया था। ईज सुधारों, ईज 1.0, ईज 2.0 और ईज 3.0 के प्रारंभिक सेट ने बैंकिंग के कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण जैसे डिजिटल-फर्स्ट सुधारों जैसे कि 'डायल-ए-लोन', 'क्रेडिट@क्लिक', प्रौद्योगिकी, एनालिटिक्स, आस्ति गुणवत्ता सुधार, परिणाम केंद्रित एचआर और समग्र गवर्नेंस का समर्थन किया। इन सुधारों ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रदर्शन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ईज का चौथा संस्करण ईज 4.0 मुख्य रूप से एनालिटिक्स द्वारा समर्थित स्मार्ट लेंडिंग, लचीली प्रौद्योगिकी और क्लाउड-आधारित आईटी प्रणालियों के साथ 24x7 बैंकिंग, डेटा-सक्षम कृषि वित्तपोषण और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहयोग करने पर केंद्रित था।

ईज 5.0 एजेंडा मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों और कृषि के सहयोग पर जोर देने के साथ डिजिटल ग्राहक अनुभव, डेटा-आधारित एकीकृत और समावेशी बैंकिंग को बेहतर करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, ईज 5.0 सह-उधार साझेदारी, मोबाइल बैंकिंग संवर्द्धन, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान, क्लाउड प्रक्रिया को अपनाने, सर्व इंजन अनुकूलन के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग बेहतर और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने जैसे एजेंडे पर कार्रवाई को गति दे रहा है।

ईज 6.0 मुख्य रूप से डिजिटल सक्षमता एवं डिजिटल तथा एनालिटिक्स संचालित व्यावसायिक सुधार, प्रौद्योगिकी एवं डेटा-सक्षम क्षमता निर्माण और मानव संसाधन को विकसित तथा मानव संसाधन परिचालन को समृद्ध करते हुए ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता लाने पर केंद्रित है। ईज 6.0 इंडेक्स में बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा, बैंक ने लोगों और मानव संसाधन परिचालनों में पहला स्थान और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान करने के साथ-साथ डिजिटल और एनालिटिक्स संचालित व्यवसाय सुधार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

ईज 7.0

ईज 7.0 सुधार एजेंडा (वित्त वर्ष 2024-25) 25 अप्रैल, 2024 को आरंभ किया गया, जिसमें बैंकों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने, सुदृढ़ ग्राहक सेवा उन्मुखीकरण बनाए रखने, परिचालन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और नए युग की आवश्यकताओं हेतु क्षमता निर्माण को उत्प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

ईज 7.0 सुधार एजेंडा के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां

- जेन एआई को अपनाना** - बैंक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बैंक की वेबसाइट पर जेन एआई चैटबॉट आदि और जेन एआई वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर 'अदिति' तथा सफल रेगुलेटेड सैंडबॉक्स परीक्षण के साथ कर्मचारी सहायता के लिए 'ज्ञान सहाय' की शुरुआत की है।
- जलवायु संबंधी पहलों की सफलता के लिए बैंक द्वारा ग्रीन सेल का गठन और आवश्यक बुनियादी संरचना का निर्माण किया गया है।**
- बैंक द्वारा 7 देशों में बैंक के यूपीआई एप्लिकेशन को आरंभ करके यूपीआई ऐप का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया।**
- मृत्यु दावा पोर्टल के शुभारंभ द्वारा मृत्यु दावा प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया।**
- वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल जर्नी के दौरान पहले से भरे हुए फॉर्म के आधार पर ऑनलाइन चालू खाता खोलने की प्रक्रिया आरंभ की गई।**
- अनुपालन में सुधार हेतु, व्यवसाय संवर्धन और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए एनालिटिक्स हेतु निर्देशात्मक मॉडलों का विकास किया गया और अपनाया गया।**
- चैटबॉट (एमबी/आईबी), व्हाट्सएप बैंकिंग, बैंक की यूपीआई एप्लिकेशन, शाखाओं में टैबलेट, आधार-इतर शाखाओं में, ज्यादा उपयोग की जाने वाली ग्राहक सेवाएं, शाखा में आए बिना ग्राहकों के लिए उपलब्ध सेवाएं आदि संबंधी सेवाओं को जोड़ना।**

- महिलाओं के लिए विशेष और युवा केंद्रित उत्पादों का शुभारंभ करना।**
- बैंक के जीएसटी पंजीकृत मौजूदा चालू खाताधारकों को असुरक्षित अल्पकालिक कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के लिए नए उत्पाद स्मार्ट ओडी का विकास।**
- ऑनलाइन शिशु मुद्रा ऋण टूट जर्नी का विकास** - 50,000 तक के मुद्रा ऋण के लिए अंतिम संवितरण चरण तक ग्राहक के लिए ऋण टूट डिजिटल एसटीपी जर्नी।
- चैंपियन सेक्टर की पहचान** - बैंक ने कॉर्पोरेट सेगमेंट के तहत चैंपियन सेक्टर के रूप में इन्फ्रा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की पहचान की है।
- बैंक की वेबसाइट पर ग्राहक के लिए गैर-भेदभावपूर्ण गैर-विवेकाधीन ईओटीएस पोर्टल का शुभारंभ।**

ईज कार्यक्रम के प्रत्येक चरण के अंतर्गत कार्रवाई की मंदां के मूल में पीएसबी में नई क्षमताओं के निर्माण की दृष्टि से आमूल-चूल परिवर्तन का उद्देश्य निहित है।

बैंक की विकास यात्रा में ईज सुधार एजेंडे ने परिचालन के लगभग सभी क्षेत्रों में दक्षता और सहजता बनाने में काफी योगदान दिया है, जिससे बैंक के ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने में मदद मिली है।

परिचालनगत कार्यनिष्पादन एवं प्रमुख अनुपात:

बैंक के परिचालनगत कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
अर्जित ब्याज	1,12,606	1,21,442
प्रदत्त ब्याज	67,884	75,783
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	44,722	45,659
अन्य आय	14,495	16,647
ट्रेडिंग लाभ	1,492	2,266
परिचालन आय (एनआईआई+अन्य आय)	59,217	62,306
परिचालन व्यय	28,252	29,871
कर्मचारी व्यय	15,816	16,608
अन्य परिचालन व्यय	12,436	13,264
परिचालन लाभ	30,965	32,435
प्रावधान (कर को छोड़कर)	6,076	5,980
जिसमें से - एनपीए और बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	6,471	5,170
स्टैंडर्ड अग्रिमों हेतु प्रावधान	-689	419
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	-31	37
अन्य प्रावधान	325	353
कर पूर्व लाभ	24,890	26,454
कर हेतु प्रावधान	7,101	68,73
निवल लाभ	17,789	19,581



बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2024 में ₹44,722 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹45,659 करोड़ हो गई, जिसमें 2.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025 में ब्याज आय 7.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर ₹1,21,442 करोड़ हो गई। ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2025 में ₹75,783 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹67,884 करोड़ था।

बैंक की अन्य आय वित्त वर्ष 2025 में ₹16,647 करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹14,495 करोड़ थी, इस प्रकार इसमें 14.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का परिचालन खर्च वित्त वर्ष 2025 में ₹29,871 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह ₹28,252 करोड़ था। बैंक की परिचालन आय वित्त वर्ष 2024 के ₹59,217 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹62,306 करोड़ रुपये हो गई, इस प्रकार इसमें 5.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

कुल प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिकताएं वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹5,980 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2024 के दौरान यह ₹6,076 करोड़ थी। कुल प्रावधान में से, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान वित्त वर्ष 2025 में ₹5,170 करोड़ रहा, जो कि वित्त वर्ष 2024 में यह ₹6,471 करोड़ था।

बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में ₹17,789 करोड़ के शुद्ध लाभ में 10.1% प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2025 में ₹19,581 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2024 के ₹30,965 करोड़ की तुलना में 4.7 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹32,435 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।

महत्वपूर्ण अनुपात

महत्वपूर्ण अनुपात	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
जमाराशियों की लागत - वैश्विक - (%)	4.92	5.10
जमाराशियों की लागत - घरेलू - (%)	4.97	5.21
जमाराशियों की लागत - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	4.57	4.46
अग्रिम पर प्रतिफल - वैश्विक - (%)	8.53	8.39
अग्रिम पर प्रतिफल - घरेलू - (%)	9.01	8.88
अग्रिम पर प्रतिफल - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	6.34	6.13
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक - (%)	3.18	3.02
निवल ब्याज मार्जिन - घरेलू - (%)	3.32	3.18
निवल ब्याज मार्जिन - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	1.97	1.94
लागत-आय अनुपात (%)	47.71	47.94
वैश्विक औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	1.17	1.16
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	18.95	16.96

वित्त वर्ष 2025 में जमा (वैश्विक) की लागत 5.10 प्रतिशत रही और अग्रिम (वैश्विक) पर प्रतिलाभ 8.39 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.02 प्रतिशत और घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.18 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2025 में लागत-आय अनुपात 47.94 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2025 के लिए औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.16% और इक्विटी पर प्रतिलाभ 16.96% दर्ज किया गया।

संसाधन संग्रहण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
I	कुल जमाएं	13,35,136	14,72,035
II	अंतर्राष्ट्रीय जमाएं	1,98,444	2,29,855
III	कुल कासा	5,14,367	5,56,666
IV	कुल चालू खाता जमाएं	1,20,411	143,729
V	कुल बचत बैंक जमाएं	3,93,956	412,937
VI	वैश्विक कासा %	38.53	37.82
VII	घरेलू जमाएं	11,36,692	12,42,169
VIII	घरेलू कासा जमाएं	4,66,400	4,96,462
IX	घरेलू चालू खाता जमाएं	76,386	87,778
X	घरेलू बचत खाता जमाएं	3,90,014	4,08,684
XI	घरेलू जमाओं में घरेलू कासा (%)	41.03	39.97

वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक की कुल जमाएं बढ़कर ₹14,72,035 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹13,35,136 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 10.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की कुल अंतर्राष्ट्रीय जमाराशि वित्त वर्ष 2024 में ₹1,98,444 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹2,29,855 करोड़ हो गई, जिसमें 15.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक का वैश्विक कासा वित्त वर्ष 2024 के ₹5,14,367 करोड़ से 8.2% की वार्षिक वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2025 में ₹5,56,666 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। बैंक की कुल चालू जमा राशि 31 मार्च 2024 को ₹1,20,411 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹1,43,729 करोड़ हो गई, जो कि 19.37% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। बैंक की कुल बचत जमा राशि 31 मार्च 2024 को ₹3,93,956 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹4,12,937 करोड़ हो गई, जो कि इस अवधि के दौरान 4.82% की वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक जमा की तुलना में वैश्विक कासा का प्रतिशत वित्त वर्ष 2024 में 37.82% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 38.53% रहा।

घरेलू जमा और घरेलू कासा

बैंक की घरेलू जमाराशि 31.03.2024 के ₹11,36,692 करोड़ से बढ़कर 31.03.2025 को ₹12,42,169 करोड़ हो गई, इस अवधि के दौरान 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च, 2025 को बैंक की घरेलू कासा जमा में 6.4% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹4,96,462 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक ने घरेलू जमाराशियों के सापेक्ष 39.97% के घरेलू कासा अनुपात को हासिल किया। 31.03.2025 को चालू खाता जमा में 14.9% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹87,778 करोड़ हो गया, जबकि बचत बैंक जमा, 4.8% की वृद्धि के साथ ₹4,08,684 करोड़ रही।

कम लागत वाली जमा जुटाने की पहल

वित्त वर्ष 2025 में, बैंक ने 93.37 लाख नए कासा खाते खोलकर मील स्तंभ अर्जित किया, चालू खाता खोलने की संख्या पहली बार 3 लाख को पार करते हुए रिकॉर्ड 3.11 लाख चालू खातों तक पहुंच गई। इस दौरान, वीसीआईपी और टीएबी-आधारित ऑनबोर्डिंग के माध्यम से पेपरलेस खाता खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैंक ने अत्याधुनिक डिजिटल बैंकिंग समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक नवोन्मेषी, उच्च-स्तरीय बचत उत्पाद-मास्टरस्ट्रोक बचत खाता भी पेश किया है।

पीओएस सिस्टम, साउंड बॉक्स के साथ क्यूआर कोड, आईपी और बीसीएमएस जैसे प्रमुख कासा साधकों तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, डीईएफ सक्रियण शुरू करने और शून्य शेष खातों की फंडिंग के प्रयास किए गए।

डिजिटल क्षेत्र में, बैंक ने वीसीआईपी और टैब मोड जैसे विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहक अधिग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक ने 1,19,158 वीसीआईपी एसबी खाते खोले। वित्त वर्ष 2025 में बैंक ने 3,17,735 चालू खाते खोले; जिनमें से 89.97% (2,85,857) खाते टैब मोड के माध्यम से खोले गए। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025 में 57,74,251 गैर-एफआई एसबी खाते खोले गए; जिनमें से 65.55% (37,85,178) खाते टैब मोड के माध्यम से खोले गए।

बैंक ने बॉब अर्थ ग्रीन डिपॉजिट के अंतर्गत उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसे बैंकिंग समुदाय में अच्छी मान्यता प्राप्त है।

बैंक ने बॉब परिवार अवधारणा, "मेरा परिवार, मेरा बैंक" पेश किया, जो परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इस पहल के अंतर्गत प्रीमियम ग्राहकों के लिए स्तरीय पेशकशें शामिल हैं, जो उन्हें उनके कासा शेषराशि के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित करती हैं: राइज़, शाइन और स्पार्कल। स्पार्कल ग्राहकों को निर्दिष्ट पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से सुदृढ़ संपर्क कायम करने एवं बेहतर बैंकिंग सेवा हेतु वैयक्तिकृत सेवाएं प्राप्त होती हैं।

नए वेतन खातों के लिए बैंक ने सरकारी विभागों एवं संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

नवगठित कंपनियों के चालू खाते खोलने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल के साथ बैंक के एकीकरण के परिणामस्वरूप कुल 3,794 चालू खाते खोले गए हैं।

बैंक ने एक समर्पित रक्षा बैंकिंग वर्टिकल की स्थापना की है, जिसके प्रमुख एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संवर्ग के मुख्य रक्षा बैंकिंग सलाहकार हैं। इस वर्टिकल को उप रक्षा बैंकिंग सलाहकारों द्वारा भी समर्थन किया जाता है जिन्हें रक्षा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रवेश करने के लिए प्रमुख स्थानों पर तैनात किया जाता है।

पीएसबी एलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से, डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में बैंक अग्रणी है। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 11,868 डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया।

बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं

बैंक का नकदी प्रबंधन सेवाएं प्लेटफॉर्म बड़ौदा डिजिनेक्स्ट, कॉर्पोरेट, एमएसएमई और सरकारी ग्राहकों के लिए उनके नकदी प्रवाह और लिक्विडिटी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए ओमनी-चैनल डिजिटल समाधानों की एक मजबूत श्रृंखला प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों में, इस प्लेटफॉर्म ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है तथा यह प्रमुख सरकारी विभागों

और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए अपने संग्रह का प्रबंधन करने हेतु एक पसंदीदा समाधान बन गया है।

बड़ौदा डिजिनेक्स्ट होस्ट-टू-होस्ट (एच2एच) और एपीआई चैनलों के माध्यम से एकीकृत, कागज रहित भुगतान समाधान प्रदान करता है, जिससे सरकारी और कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए निर्बाध लेनदेन संभव हो पाता है। यह प्लेटफॉर्म सभी प्रकार की प्राप्तियों की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, चेक क्लीयरेंस और देश भर की शाखाओं में नकद जमा शामिल हैं, को वास्तविक समय पर देखने की सुविधा भी प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2025 में बड़ौदा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज ने अपनी पहुंच का विस्तार जारी रखा और 1,800 से अधिक नए ग्राहक संबंध स्थापित किए। एमएसएमई, सप्लाय चैन फाइनेंस (एससीएफ) और माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीसीएमएस के भीतर एक समर्पित सेल भी बनाया गया है। वर्ष के दौरान, डिजिनेक्स्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 11.87 करोड़ से अधिक लेनदेन निष्पादित किए गए, जो इसकी बढ़ती स्वीकार्यता और परिचालन दक्षता को रेखांकित करता है।

ऋण विस्तार

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹10,90,506 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹12,30,461 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, इस प्रकार इसमें 12.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च, 2025 को सकल घरेलू अग्रिम बढ़कर ₹10,21,112 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च, 2024 को यह ₹8,98,116 करोड़ था, इस प्रकार इस अवधि में 13.7% की वृद्धि हुई। बैंक का अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम वित्त वर्ष 2025 के दौरान बढ़कर ₹2,09,349 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹1,92,390 करोड़ था, इस प्रकार इसमें 8.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक के मुख्य क्रेडिट पोर्टफोलियो में वृद्धि निम्नानुसार है:-

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक का ऋण पोर्टफोलियो			
सेगमेंट	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वर्ष दर वर्ष (%)
रिटेल *	2,14,942	2,56,633	19.40
कृषि	1,38,640	1,58,324	14.20
एमएसएमई *	1,19,415	1,36,377	14.20
कॉर्पोरेट	3,79,747	4,12,274	8.57
अन्य	45,372	57,503	26.74
सकल घरेलू अग्रिम	8,98,116	10,21,112	13.69
अंतर्राष्ट्रीय सकल अग्रिम	1,92,390	2,09,349	8.81
वैश्विक सकल अग्रिम	10,90,506	12,30,461	12.83

*पूर्व-पूल खरीद (ऑर्गेनिक)

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से वृद्धि, रिटेल ऋण (ऑर्गेनिक) द्वारा समर्थित है 19.40% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹2,56,633 करोड़ रहा, कृषि अग्रिम बढ़कर ₹1,58,324 करोड़ रहा और इसमें 14.62% की वृद्धि हुई, एमएसएमई ऋण (ऑर्गेनिक) बढ़कर ₹1,36,377 करोड़ रहा, इस तरह इसमें 14.20% की वार्षिक वृद्धि हुई। 31.03.2025 तक पूल खरीद सहित रिटेल अग्रिम ₹2,74,493 करोड़ रहा और पूल खरीद सहित एमएसएमई ₹1,42,750 करोड़ रहा।



बैंक का कॉर्पोरेट ऋण वित्त वर्ष 2024 के ₹3,79,747 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹4,12,274 करोड़ हो गया, इस तरह इसमें 8.6% की वार्षिक वृद्धि हुई।

बैंक ने रिटेल, कॉर्पोरेट, प्राथमिकता, एमएसएमई और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने अग्रिम पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए कई डिजिटल बैंकिंग पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया है। बैंक ने शाखा बैंकिंग के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अपने आस्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म, बैंकिंग परिदृश्य में कारोबार को आसान बनाने में निरंतर योगदान दे रहा है। बैंक ने, केंद्र और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, उच्च रेटिंग वाली कंपनियों आदि के कर्मचारियों के लिए डिजिटल व्यक्तिगत ऋण जर्नी तैयार की है। बैंक ने चालू खाता धारकों के लिए उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु चालान-आधारित वित्तपोषण 'जीएसटी सहाय' शुरू किया है। बैंक ने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म पर, संवितरण तक एंड टू एंड डिजिटल जर्नी की शुरुआत की है। बैंक ने डिजिटल गोल्ड लोन भी आरंभ किया, जिससे उसके ग्राहकों को स्वर्ण ऋण का त्वरित और परेशानी मुक्त वितरण संभव हो गया। ये कुछ डिजिटल पहलें हैं जो बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान रिटेल, एमएसएमई और कृषि पोर्टफोलियो सहित अपने अग्रिम पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए की हैं।

बैंक ने देश भर के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक कारोबार प्राप्त करने के लिए त्यौहारों के महीनों और अन्य अवसरों के आधार पर समय-समय पर अपने अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कई व्यावसायिक अभियान भी चलाए हैं।

कॉर्पोरेट क्रेडिट

बैंक में 33 विशेष कॉर्पोरेट फायनेंसियल सर्विसेज (सीएफएस) और मिड कॉर्पोरेट शाखाओं (एमसीबी) के माध्यम से सेवा प्रदान किए जाती हैं जो बैंक के कुल मानक कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो के लगभग 94% का प्रबंधन करते हैं। बैंक का कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर ₹4,12,275 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह ₹3,79,747 करोड़ था, इस तरह इसमें 8.6% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई।

क्रेडिट रेटिंग निर्धारण*	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
ए और इससे अधिक	90%	94%
बीबीबी	5%	3%
बीबीबी से कम	3%	1%
अनरेटेड	2%	2%

*50 करोड़ रुपये से अधिक के घरेलू अग्रिम का बाह्य रेटिंग निर्धारण

वित्त वर्ष 2025 में ए और उससे अधिक का कुल पोर्टफोलियो 94 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 90 प्रतिशत था।

कॉर्पोरेट बैंकिंग- स्ट्रक्चर

वर्ष के दौरान बैंक ने मिड कॉर्पोरेट अग्रिम पर अधिक जोर देने की कार्यनीति के साथ महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात् नई दिल्ली (उत्तर), चेन्नै (दक्षिण), मुंबई (पश्चिम) और कोलकाता (पूर्व) में स्थित स्थित -4- मिड कॉर्पोरेट कलस्टर खोले हैं और उनसे मिड कॉर्पोरेट शाखाओं को जोड़ा गया है।

लक्षित बाजार दृष्टिकोण

बैंक लक्षित बाजार दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- उद्योग दृष्टिकोण के आधार पर विकास के लिए उद्योगों / सेक्टरों की पहचान करना। इनमें विभिन्न उद्योग मापदंड जैसे बाजार का आकार, वृद्धि, मांग आपूर्ति परिदृश्य, लागत संरचना, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय प्रदर्शन, नीतियां और निवेश व्यय शामिल है।
- लक्षित बाजार को ऋण देने के लिए एक्सपोजर की सीमा, मौजूदा एक्सपोजर की स्थिति और नए अधिग्रहणों की संभावनाओं के आधार पर सेक्टरवार व्यावसायिक योजना बनाना।
- बैठकों के लिए व्यवस्थित कालिंग प्लान के साथ विस्तृत खातावार योजना बनाना, व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना।
- पूरे बैंक में समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर्स के माध्यम से लक्षित बाजार दृष्टिकोण के तहत कारोबार योजना का निष्पादन।
- बैंक का ध्यान केवल ब्याज आय पर न होकर, ग्राहक के समग्र प्रतिफल पर है, इसके लिए पूरक सेवाएं जैसे सप्लाय चैन फायनांस, वेल्थ चैन फायनांस, नकदी प्रबंधन प्रणाली एवं अन्य रिटेल उत्पाद प्रदान करता है।

एमएसएमई ऋण

बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2024 में ₹1,42,750 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹1,25,899 करोड़ (पूल खरीद सहित टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) हो गया, इसमें 13.38% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान, बैंक ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

- विशिष्ट टीम के साथ 359 विशेषीकृत एमएसएमई शाखाओं का गठन। इन केन्द्रित शाखाओं ने एमएसएमई बही में 24% का योगदान दिया है।
 - अत्याधुनिक "तेजस" प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई ऋण जर्नी का डिजिटलीकरण।
 - उभरते उत्पाद सेगमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से लक्ष्य की अधिक प्राप्ति हुई।
- TreDs ने 248% की वार्षिक वृद्धि हासिल की है।
 - सप्लाय चैन फाइनेंस ने 90% की वार्षिक वृद्धि हासिल की है।
 - सीवी/सीएमई सेगमेंट ने 43% की वार्षिक वृद्धि हासिल की है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने निम्नलिखित प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं-

- पीएमएमवाई योजना के तहत 103%
- स्टैंडअप इंडिया के तहत 102%
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत 95.6% (प्राप्त आवेदनों के एवज में संवितरण)।

रिटेल ऋण

बैंक की रिटेल आस्तियां (पूल खरीद सहित टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) वित्त वर्ष 2024 में ₹2,23,911 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹2,74,493 करोड़ हो गई, जो कि गत वर्ष की तुलना में 22.6% की वृद्धि को दर्शाता है। ऑर्गेनिक रिटेल ऋण वित्त वर्ष 2024 में ₹2,14,942 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹2,56,633 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.4% की वृद्धि को दर्शाता है। कुल घरेलू ऋण बही में रिटेल ऋण हिस्सेदारी (पूल, स्टाफ, एलएबीओडी और अन्य सहित) वित्त वर्ष 2024 में 28.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 30.1% हो गई। रिटेल पोर्टफोलियो के तहत स्वर्ण ऋण ने वार्षिक

आधार पर 55.6% की वृद्धि दर्ज की, और वित्त वर्ष 2025 में ₹7,076 तक पहुंच गया। वैयक्तिक ऋण सेगमेंट ने वार्षिक आधार पर 21.3% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, और वित्त वर्ष 2025 में 36,122 करोड़ तक पहुंच गया। ऑटो ऋण में वार्षिक आधार पर 20.3% की वृद्धि हुई, और ₹46,549 करोड़ तक पहुंच गया। मॉर्गेज ऋण में 18.9% की वृद्धि दर्ज की गई, गृह ऋण सेगमेंट में 17.3% की वृद्धि दर्ज की गई और शिक्षा ऋण में 15.9% की वृद्धि हुई।

रिटेल ऋण में हुई वृद्धि का विवरण निम्नांकित तालिका में दिया गया है।

बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो (ऑर्गेनिक)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक का रिटेल ऋण पोर्टफोलियो			
सेगमेंट	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वर्ष-दर-वर्ष (%)
गृह ऋण *	1,11,791	1,31,123	17.3
ऑटो ऋण *	38,697	46,549	20.3
मॉर्गेज ऋण *	18,715	22,255	18.9
शिक्षा ऋण	9,800	11,360	15.9
वैयक्तिक ऋण	29,784	36,122	21.3
स्वर्ण ऋण	4,546	7,076	55.6
अन्य	1,608	2,150	33.7
कुल रिटेल ऋण	2,14,942	2,56,633	19.4

*एक्स पूल खरीद (ऑर्गेनिक और टीडब्ल्यूओ को छोड़कर)

वित्त वर्ष 2024 में रिटेल व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

कुल घरेलू ऋण बही में रिटेल ऋण की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 के 23.95% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 26.88% हो गई। वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹1,01,075 करोड़ की राशि के साथ 13,29,896 नए रिटेल ऋण खाते स्वीकृत किए गए। रिटेल ऋण वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 2,500 रिटेल केंद्रित शाखाएं चिह्नित की गईं। 119 आरएपीसी ने कुल स्वीकृतियों (₹47,551 करोड़) में 47.05% का योगदान दिया; औसत टीएटी घटकर <5 दिन रह गया; आरएपीसी स्वीकृतियों में 21% वार्षिक वृद्धि हुई। आरएपीसी में बंधक-आधारित रिटेल ऋण प्रसंस्करण और स्वीकृति के लिए बैंक द्वारा संरचना एवं प्रक्रिया क्रियान्वित की गई है।

हमारी डिजिटल पहलों के तहत, वैयक्तिक ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, पेंशन ऋण, गृह प्रतिभूतियों की एवज में बड़ौदा फ्लेक्सी ऋण, रिटेल गोल्ड लोन, पीएम सूर्य घर योजना और दुपहिया वाहन ऋण में एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रियाएँ लागू की गईं। वर्ष 2025 के दौरान, वैयक्तिक ऋणों में ₹5,472 करोड़, ऑटो ऋणों में ₹565 करोड़, टॉप-अप ऋणों में ₹14 करोड़, शिक्षा ऋणों में ₹18 करोड़, पेंशन ऋणों में ₹4 करोड़ और स्वर्ण ऋणों में ₹46 करोड़ का संवितरण एंड-टू-एंड डिजिटल यात्राओं के माध्यम से किया गया। इसने भौतिक दस्तावेज़ीकरण और शाखाओं में जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है जिससे ग्राहक अनुभव में वृद्धि हुई है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2,872 करोड़ के शिक्षा ऋण संवितरित करके छात्रों को उनके सपने साकार करने में सहायता की है। शिक्षा ऋण में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना आरंभ की गई। शिक्षा ऋण लीड प्रवाह के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल को एलएलपीएस के साथ एकीकृत किया गया।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत स्टैंडअलोन और कम्पोजिट रूफटॉप सोलर योजनाएं शुरू की गई हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत

रूफटॉप सोलर ऋण की त्वरित मंजूरी के लिए जन समर्थ पोर्टल के साथ लोन ओरिजिनेशन सिस्टम (एलओएस) का एकीकरण किया गया है।

गृह ऋण सेगमेंट में, वित्त वर्ष 2025 में ₹35,112 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया और 1,02,190 नए ग्राहक जोड़े गए। शिक्षा ऋण में, 27,459 नए ग्राहक जोड़े गए और वित्त वर्ष 2025 में वैयक्तिक ऋण में 5,76,990 नए ग्राहक जोड़े गए। शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी सेगमेंट के लिए नई गृह ऋण नकदी प्रवाह योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया। CERSAI 2.0-फिनेकल एपीआई इन्टीग्रेशन का कार्य पूरा हो गया है।

ऑटो ऋण सेगमेंट में, वित्त वर्ष 2025 में ₹19,638 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया और 1,93,289 नए ग्राहक जोड़े गए। शाखा द्वारा जनरेट की गई लीड के माध्यम से अधिग्रहण लागत को कम करने के लिए बड़ौदा डायरेक्ट कार ऋण की शुरुआत की गई। ऑटो ऋण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ओइएम और डीलरों के साथ साझेदारी बढ़ाई गई। ऑटो ऋण व्यवसाय अधिग्रहण के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्त का लाभ उठाया गया। डिजिटल टू-व्हीलर ऋण जर्नी आरंभ की गई।

कॉर्पोरेट डीएसए, डीएसटी और बीसी के माध्यम से लीड जनरेशन को सुदृढ़ किया गया। रेफरल डीएसए (आरडीएसए) चैनल और लीड प्रस्तुत करने के पोर्टल का शुभारंभ किया गया। गृह, मॉर्गेज और ऑटो ऋण ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने संबंधी और क्रॉस-सेलिंग रणनीति जारी रखी गई। बाजार की प्रवृत्ति और ग्राहकों की मांग के अनुरूप उत्पादों की पेशकश की गई।

एलएलपीएस में प्रोजेक्ट अप्रूवल मॉड्यूल को सक्रिय किया गया। पूरे भारत में संशोधित ईएलएससी संरचना को लागू किया गया। लीड प्रस्तुतीकरण के लिए डीएसए और डीएसटी के लिए लीड फोर्स ऐप लॉन्च किया गया। सेवा प्रदाता और वेंडरों की ट्रेकिंग के लिए वेंडर प्रबंधन एप्लिकेशन की शुरुआत की गई। बड़े पैमाने पर रिटेल ऋण व्यवसाय में वृद्धि के उद्देश्य से बल्क रिटेल सोर्सिंग टीम बनाई गई।

ग्रामीण और कृषि ऋण

बैंक का नेटवर्क 8,424 घरेलू शाखाओं का है, जिनमें से 5,107 ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएं पूर्ण रूप से प्राथमिकता क्षेत्र और कृषि ऋण के लिए कार्यरत हैं। 31 मार्च, 2025 को बैंक का कृषि अग्रिम बढ़कर ₹1,58,324 करोड़ हो गया जो कि सकल घरेलू ऋण का 15.50% है।

बैंक 3 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) का संयोजक है। बैंक पूरे देश के 72 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहा है।

बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में अग्रणी बना हुआ है, जिसे सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" के विजन से प्रोत्साहन मिला है। बैंक किसानों के लिए पूंजी सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कृषि और पशुपालन की सुदृढ़ बुनियादी संरचना के निर्माण हेतु सरल कृषि आधारित ऋण प्रदान करने से इतर अधिक विविध ग्रामीण ऋण रणनीति पर ऋण उपलब्ध करा रहा है। बैंक नए पेश किए गए उत्पादों जैसे कृषि बुनियादी संरचना कोष (एआईएफ), पशुपालन बुनियादी संरचना विकास कोष योजना (एएचआईडीएफ), पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज का औपचारीकरण (पीएमएफएमई), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम कुसुम), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और संपीड़ित बायोगैस उत्पादों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करता है।



बैंक अपने प्रमुख उत्पादों जैसे केसीसी, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण, कृषि स्वर्ण ऋण, कृषि मशीनीकरण (ट्रैक्टर ऋण), बागवानी ऋण, किसान उत्पादक संगठन / किसान उत्पादक कंपनी (एफपीओ/एफपीसी) को वित्तपोषण, हाई-टेक कृषि और खाद्य और कृषि प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 4.29 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए हैं, जिनमें से 1.18 लाख पशुपालन और डेयरी (एएचडी) केसीसी हैं जो पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़े किसानों को जारी किए गए हैं। माइक्रोफाइनेंस पहल के एक भाग के रूप में, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹2,390.76 करोड़ की राशि संवितरित करके 56,689 एसएचजी को ऋण से जोड़ा है।

बैंक स्वयं सहायता समूहों के ऋण लिंकेज को बढ़ाने के लिए विभिन्न निजी साझेदारों के साथ गठजोड़ कर रहा है। बैंक ने टैब बैंकिंग सुविधा भी आरंभ की है, ताकि पूर्व निर्धारित समयसीमा में सुधार और स्वयं सहायता समूहों के लिए परेशानी मुक्त तत्काल बचत बैंक खाता खोला जा सके। किसानों की सुविधा के लिए ट्रैक्टर ऋण पर ब्याज दर को ट्रैक्टर के एलटीवी से जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, हमने वैयक्तिक महिला उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए डीएवाई-एनआरएलएम की "नारी शक्ति" योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने अन्य समकक्ष बैंकों द्वारा पेश की गई योजनाओं के अनुरूप पीएमकुसुम के संघटक-सी के तहत पोल्ट्री योजना और सोलर लेवल फ्रीडर योजना को भी संशोधित किया है। यह योजना सभी क्षेत्रों में लागू की गई है। कृषि ऋण के डिजिटलीकरण के अंतर्गत, डिजिटल स्वर्ण ऋण और डिजिटल बीकेसीसी अब सभी क्षेत्रों के लिए लाइव है। डिजिटल बीएचएफकेसीसी जर्नी आरबीआईएच सक्षम राज्यों में सीयूजी परीक्षण के अधीन है। ट्रैक्टर ऋण, एसएचजी, बीकेसीसी नवीनीकरण और ई-एनडब्ल्यूआर के लिए डिजिटल जर्नी यूएटी के अंतर्गत है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक के कृषि विपणन एवं प्रसंस्करण केंद्र (सीएएमपी), जो अपने विभिन्न अंचलों और क्षेत्रों में गैर-परंपरागत और उच्च मूल्य वाले कृषि अग्रिमों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि ऋणों के प्रसंस्करण के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत केंद्र है, ने 36,263 किसानों को ₹ 4,497.48 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं।

"बड़ौदा किसान पखवाड़ा" हमारे बैंक का वार्षिक किसान संपर्क कार्यक्रम है जो हर वर्ष मनाया जाता है। "बड़ौदा किसान पखवाड़ा" के दौरान, हमारे बैंक की शाखाएं अधिकतम किसानों से संपर्क करने के लिए किसानों/स्वयं सहायता समूहों के लिए विभिन्न समारोहों/कार्यक्रमों/पशुधन की स्वास्थ्य जांच/मृदा परीक्षण और अन्य गतिविधियों/बैठकों का आयोजन करती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सामान्य तौर पर 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक और चुनाव वाले राज्यों/निर्वाचन क्षेत्रों में 25 नवंबर से 7 दिसंबर 2024 तक "बड़ौदा किसान पखवाड़ा" मनाया गया और इस पखवाड़े भर के उत्सव के माध्यम से हम देश भर में 2,32,134 से अधिक किसानों से जुड़े और कुल मिलाकर ₹1225.79 करोड़ रुपये से अधिक के कृषि ऋण स्वीकृत किए।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

बैंक का औसत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण 15.09% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज कर वित्त वर्ष 2024 के ₹3,01,917 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹3,47,466 करोड़ हो गया।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को ऋण

31 मार्च, 2025 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) समुदायों पर बकाया ऋण ₹25,041 करोड़ हो गया। बैंक द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मंजूर किए गए अग्रिम का 18.68% हिस्सा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किया गया।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को वित्त पोषण पर बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है।

स्वर्ण ऋण

बैंक का स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो (टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) 31 मार्च, 2024 के ₹47,618 करोड़ से बढ़कर 34.32% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2025 को ₹63,959 करोड़ हो गया। स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत, कृषि स्वर्ण ऋण 32.30% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के ₹42,921 करोड़ से वित्त वर्ष 2025 में ₹56,783 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2025 में रिटेल स्वर्ण ऋण बढ़कर ₹7,076 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹4,546 करोड़ था। इस खंड में 55.65% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान बैंक ने 139 नई स्वर्ण ऋण संवितरण शाखाएं जोड़ी जिसके साथ स्वर्ण ऋण हेतु चयनित शाखाओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2024 में 5,990 शाखाओं से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 6,129 शाखाएं हो गई। दक्षिणी भागों के अलावा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी के साथ देश भर में चयनित स्वर्ण ऋण शाखाओं के विस्तार में वित्त वर्ष 2024 के 28.53% की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में 30.10% की बढ़ोत्तरी हुई। वित्त वर्ष 2025 में स्वर्ण ऋण का औसत टिकट साइज बढ़कर ₹2.09 लाख हो गया जो वित्त वर्ष 2024 में ₹1.79 लाख था। वित्त वर्ष 2025 में प्रति शाखा स्वर्ण ऋण की औसत राशि बढ़कर ₹10.44 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹7.95 करोड़ थी। 31 मार्च, 2025 को जीएनपीए अनुपात 0.19% के साथ स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता अच्छी रही।

वित्तीय समावेशन (एफआई)

किफायती लागत पर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी गरीबों को यूनिवर्सल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने वित्तीय समावेशन को सामाजिक प्रतिबद्धता और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने के लिए एक अवसर के रूप में माना है। बैंक अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। तकनीक के आगमन के साथ बैंकिंग से वंचित क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2025 को 48,120 तक अपने बीसी नेटवर्क में विस्तार किया है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए बीसी केंद्र पर निम्नलिखित पहलें शुरू की हैं:

- बीसी केंद्र पर टीडीएस प्रमाणपत्र का जनरेशन।
- बीसी केंद्र पर ब्याज प्रमाणपत्र का जनरेशन।
- बीसी केंद्र पर ग्राहकों के रि-केवाईसी हेतु कार्यप्रणाली को सक्षम किया गया है।
- ईपीएस ऑफ-अस नकद जमा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तीय समावेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते में मार्च 2024 में 615.74 लाख से बढ़कर मार्च 2025 में 643.36 लाख हो गए, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 4.49% की वृद्धि हुई।
- पीएमजेडीवाई जमाराशि मार्च 2024 में ₹32,337 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में ₹36,355 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.43% की वृद्धि हुई।

- पीएसबी के मध्य पीएमजेडीवाई खातों में बैंक की हिस्सेदारी 15.01% और पीएमजेडीवाई खातों में जमाराशि के लिए 17.73% थी, जो एसबीआई के बाद दूसरे स्थान पर है।
- बैंक के शून्य शेष राशि वाले पीएमजेडीवाई खाते, 31 मार्च 2024 को 4.98% से घटकर 31 मार्च 2025 को 4.71% रह गए।
- 31 मार्च 2025 तक, पीएमजेडीवाई योजना के तहत सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत 70.99 लाख और पीएमएसबीवाई योजना के अंतर्गत 271.81 लाख संचयी नामांकन है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

बैंक ने बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक नामक तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रायोजित किया है। इन तीनों आरआरबी का समग्र व्यवसाय 31 मार्च, 2024 के ₹1,67,173 करोड़ से 11.32% वार्षिक वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2025 को ₹1,86,088.63 करोड़ हो गया। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने समेकित रूप से वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹1121.36 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में 17.50% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2025 में ₹1317.63 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निवल मालियत 31 मार्च 2024 के ₹6,887 करोड़ के स्तर से बेहतर होकर 31 मार्च 2025 को ₹8,262 करोड़ हो गई।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राप्त पुरस्कार:

हमारे तीन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने निम्नानुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएफआरडीए, आईबीए, एनआरएलएम जैसे विभिन्न इकाईयों से विभिन्न सरकारी योजनाओं में तकनीकी संवर्धन के साथ-साथ उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन में उनके प्रयासों के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए हैं:

- ए) बड़ौदा यू.पी. बैंक (बीयूपीबी) को 03.09.2024 को कृषि मंत्रालय से एआईएफ उत्पाद के लिए "सर्वश्रेष्ठ अभियान और त्वरित अभियान" के लिए माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से -02- पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जबकि आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्रालय ने 11.09.2024 को बड़ौदा यू.पी. बैंक को "पीएमस्वनिधि प्रेज़ अवार्ड 2023-24" से सम्मानित किया है। बड़ौदा यू.पी. बैंक को हाल ही में चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए पीएफआरडीए से 9 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।**
- बी) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बीआरकेजीबी) को हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए पीएफआरडीए से 9 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।**
- सी) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (बीजीजीबी) ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए पीएफआरडीए से 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।**

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

बैंक यह मानता है कि निरंतर दैनिक निगरानी अनर्जक ऋणों में कमी और अतः अच्छी वसूली सुनिश्चित करने के प्रति पहला कदम है। इसके लिए बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं तथा वसूली बढ़ाने और स्लिपेज को कम करने के लिए कार्यनीति बनाई है।

बैंक प्रत्येक एनपीए खाते की विधिवत रूप से निगरानी हेतु कार्यनीति तैयार कर रहा है। इसलिए बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक विशिष्ट कौशल से युक्त अपेक्ष वर्टिकल 'दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल' की स्थापना की है। इस वर्टिकल के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के अंतर्गत सभी

खातों के लिए, आवश्यक विशेषज्ञों से -5- दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाओं को स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त एनसीएलटी से इतर ₹5 करोड़ से अधिक बकाया राशि वाले अन्य एनपीए खातों को हैंडल करने के लिए अंचल स्तर पर 12 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाओं (एसएआरबी शाखा) की स्थापना की गई है। टीएटी को कम करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय इन शाखाओं की सीधी निगरानी करता है। इसके अलावा ₹20 लाख से अधिक और ₹5 करोड़ तक बकाया राशि वाले एनपीए खातों को हैंडल करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर -69- दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएं (एसएआरबी शाखा) स्थापित की गई हैं।

भारत सरकार की डिजिटल पहल के अंतर्गत बैंक ने बिना किसी कागजी कार्रवाई और रियल टाइम के आधार पर वसूली और निगरानी की पूरी प्रक्रिया के संपूर्ण डिजिटलीकरण हेतु कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में, बैंक ने निम्नलिखित पहलों की हैं:

1. **"क्यूलिंक":** यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना वास्तविक समय के आधार पर फिनेकल से कई डेटा प्वाइंट्स को प्राप्त करता है और दैनिक डीग्रेडेशन के पूर्वानुमान के लिए डेज़ पास्ट ड्यू (डीपीडी) रिपोर्ट, एनपीए मूवमेंट चार्ट और मॉक रन की गणना करता है।
2. **"आईएलएमएस":** यह मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप आधारित पोर्टल है। सभी एनपीए खातों की ऑनलाइन रेपोजिटरी है, चाहे राशि कुछ भी हो। यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खातों की संपूर्ण ऑनलाइन लाइव निगरानी जैसे सरफेसी स्थिति, डीआरटी/ एनसीएलटी स्थिति, प्रावधान, दैनिक वसूली, वकीलों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण और ओटीएस की ऑनलाइन प्रस्तुति/ स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध कराता है जिससे टीएटी अवधि में सुधार होता है।
3. बैंक पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के BAANKNET (बैंक एसेट्स ऑक्शन नेटवर्क) पोर्टल का सदस्य है जिसके माध्यम से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) के तहत संपत्तियों की नीलामी की जा रही है।
4. **ई-ओटीएस:** ईज़ 7.0 के तहत एक गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण डिजिटल ई-ओटीएस योजना शुरू की गई है, जो सरकारी प्राथमिकताओं को पूरा करने में हमारे बैंक के नेतृत्व को सहयोग करती है। क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा के साथ-साथ डिजिटल प्रोसेसिंग से लागत और समय की बचत होती है और शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उधारकर्ता ऋण मंजूरी पत्र और ऋण-मुक्ति प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

बैंक ने वसूली को प्रभावी बनाने और स्लिपेज को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां भी अपनायी हैं।

1. कृषि, एमएसएमई और रिटेल ऋणों के पोर्टफोलियो की उचित निगरानी के लिए हमने विशिष्ट तौर पर नियुक्त वसूली अधिकारियों के साथ क्लस्टर/ एरिया संबंधी कार्यपद्धति को अपनाया है।
2. अंचल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभाग प्रबंधकों द्वारा वसूली एजेन्टों/ फ्रीट-ऑन-स्ट्रीट कर्मियों को कम ऋण राशि वाले एनपीए खातों / एसएमए खातों का उचित आबंटन तथा उनकी समुचित निगरानी की जाती है।
3. लोक अदालतों के दौरान उधारकर्ताओं की अधिकतम भागीदारी के लिए लोक अदालत से पूर्व बैठकों की शुरुआत की गई है तथा डीआरटी लोक अदालतों/राष्ट्रीय लोक अदालतों के तहत लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है।



- बैंक ने सभी पात्र एनपीए खातों में सरफेसी कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है और खाते में आस्ति और वसूली की प्रक्रिया पूर्ण होने/ निपटान होने तक कार्रवाई जारी रहती है। हम नीलाम की जाने वाली संपत्तियों के विवरणों को बैंक की वेबसाइट, समाचार पत्र, रेडियो, सोशल मीडिया वेब पोर्टलों और अग्रणी संपत्ति ब्रोकिंग वेब साइटों पर सूचीबद्ध/ प्रकाशित कर रहे हैं।
- बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों की समस्या को हल करने के लिए, बैंक ने जून-2024 में एमएसएमई के तहत ₹5.00 करोड़ तक, रिटेल ऋण के तहत ₹1.00 करोड़ और कृषि श्रेणी के तहत ₹0.25 करोड़ तक के बकाया शेष वाले असुरक्षित एनपीए (डीबी-II/डीबी-III/ लॉस)/ टीडब्ल्यूओ/ पीडब्ल्यूओ खातों के निपटान के लिए अपनी विशेष एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना "वसूली संकल्प 2.0" को फिर से शुरू किया है।
- बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्गठन के माध्यम से उद्यमियों की मदद करके राष्ट्र निर्माण में विश्वास करता है। बेहतर और लक्षित निगरानी प्रणाली और बड़े कॉर्पोरेट के एसएमए-1 और एसएमए-II खातों में कमी लाने के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग वर्टिकल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दबावग्रस्त प्रबंधन वर्टिकल द्वारा समाधान तलाशने और वसूली और अपग्रेडेशन की सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों के दौरान एनपीए मूवमेंट की स्थिति निम्नानुसार रही है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
सकल एनपीए	31834	27835
सकल एनपीए (%)	2.92%	2.26%
निवल एनपीए	7213	6994
निवल एनपीए (%)	0.68%	0.58%
एनपीए में वृद्धि	10397	9310
वसूली/ अपग्रेडेशन	4729	4320
टीडब्ल्यूओ सहित बट्टे खाते	10518	8980
बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली	5098	6373
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ सहित) (%)	93.30%	93.29%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) (%)	77.34%	74.87%

आस्ति वर्गीकरण के अनुसार, ऋण बही के घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आस्ति वर्गीकरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
स्टैंडर्ड अग्रिम	1058672	1202626
सकल एनपीए	31834	27835
कुल सकल अग्रिम	1090506	1230461
सकल एनपीए जिसमें		
सब-स्टैंडर्ड	7816	6806
डाउटफुल	13118	12119
हानि	10900	8910
कुल सकल एनपीए	31834	27835

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

हमारे बैंक की 17 देशों में 84 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय हैं, जिनमें 39 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय (गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात, भारत में 1 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट और यूएई में 9 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा यूनिट सहित) और बैंक की 7 विदेशी अनुषंगियों की 45 शाखाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा, बैंक का -1- संयुक्त उद्यम अर्थात् मलेशिया में इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी है और जांबिया में -1- एसोसिएट बैंक अर्थात् इंडो जांबिया बैंक लि. है जिसकी 37 शाखाएं हैं।

बैंक की विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में उपस्थिति है। इसके अलावा, गिफ्ट सिटी (एसईजेड), गुजरात, भारत में बैंक की एक शाखा है, जिसे एक ऑफशोर बैंकिंग इकाई के रूप में माना जाता है और अपार व्यावसायिक संभावनाओं, कर लाभ, सरकारी पहलों आदि को ध्यान में रखते हुए शाखा को व्यवसाय विकास केंद्र के रूप में चुना गया है। बैंक ने आईएफएससी में शाखा के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हेतु विभिन्न सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजरी हेतु वैश्विक मानक के अत्याधुनिक डीलिंग रूम की स्थापना भी शामिल है।

बैंक भारतीय कांफिडेंस की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारतीय और स्थानीय रूप से निगमित कंपनियों/ फर्मों के लिए इंडिया लिंकड क्रॉस बार्डर व्यापार प्रवाह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए पसंदीदा बैंक के रूप में व्यवसाय वृद्धि को गति देने और मूल्यसंवर्धन की कार्यनीति पर काम कर रहा है।

उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों को देखते हुए, बैंक प्राथमिक और गौण बाजार में भारत के अलावा अन्य संबंधित सिंडिकेशन ऋणों पर एक्सपोजर के साथ अग्रिम पोर्टफोलियो में भी विविधता ला रहा है। साथ ही, आस्ति के स्तर पर उत्पाद समूह को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न नए उत्पादों का शुभारंभ भी किया गया है।

इसके अलावा, विदेशी केंद्रों में उत्पादकता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संपूर्ण बिजनेस सोल्यूशन के लिए आईटी अपग्रेडेशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बेहतर तालमेल करने के लिए बैंक प्रौद्योगिकी के कई प्लेटफार्मों को लगातार एकीकृत कर रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने जोखिम और अनुपालन निगरानी को स्वचालित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

बैंक ने व्यापक मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर अपनी विदेशी उपस्थिति को नीतिपरक रूप से युक्तिसंगत बनाने का कार्य किया है। अब, बैंक नए वैश्विक परिवेश के अनुरूप अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए नई कार्यनीति बना रहा है तथा जोखिमों के प्रबंधन, कम लाभ वाली परिसंपत्तियों के निपटान तथा लाभप्रदता बढ़ाने के उद्देश्य से पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

31 मार्च, 2025 तक, अंतरराष्ट्रीय शाखाओं से बैंक का कुल कारोबार (निवल) ₹ 4,35,770 करोड़ रुपये रहा जो वैश्विक कारोबार का 16.25% है। कुल जमाराशियां ₹2,29,866 करोड़ रही जबकि निवल अग्रिम ₹2,05,904 करोड़ रहा।

विदेशी मुद्रा कारोबार

बेहतर परिचालन दक्षता, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने सहित मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुपालन के उच्च मानकों को लागू करने के उद्देश्य से, हमारे बैंक ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, (भारत के पहले स्मार्ट शहर) में ट्रेड फाइनेंस बैंक ऑफिस के साथ अपने अखिल भारतीय ग्राहकों की व्यापार

वित्त सेवाओं को पूरा करने के लिए बेंगलुरु में बीसीपी की स्थापना की है। चालू वित्त वर्ष में समग्र विदेशी मुद्रा कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विकास निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने निर्धारित उद्देश्यों के लिए 10,000.00 यूएस डॉलर से कम राशि के सीमा पार आवक धनप्रेषण को स्वचालित कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 59,368 लेनदेन की तुलना में वित्त वर्ष 2025 के दौरान हमने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के माध्यम से 64,885 सफल लेनदेन निष्पादित किए हैं। यह वित्त वर्ष 2025 के दौरान प्रोसेस किए गए कुल लेनदेन का 19.03% है और यह टर्नअराउंड समय में महत्वपूर्ण सुधार को भी दर्शाता है।
- बैंक ने बॉब-वर्ल्ड के माध्यम से उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) सुविधा शुरू की है, जिसके तहत व्यक्ति ग्राहक अपने मोबाइल से उपहार/परिवार के भरण-पोषण जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एलआरएस के तहत लेनदेन शुरू कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 3,759 लेनदेन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए गए हैं, जो वर्ष में प्रोसेस किए गए कुल एलआरएस लेनदेनों का 7.38% है।
- बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) सुविधा शुरू की है, जिससे ग्राहक अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल से सीधे उपहार/परिवार संबंधी व्ययों जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एलआरएस के तहत लेनदेन कर सकेंगे। आने वाले वर्षों के दौरान ग्राहकों द्वारा इस सुविधा के उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- बैंक ने अपने ग्राहकों हेतु 24/7 उपलब्ध स्मार्ट ट्रेड पोर्टल विकसित किया है, जिससे वे अपने कार्यालय से अंतर्देशीय और साथ ही विदेशी मुद्रा व्यापार लेनदेन शुरू कर सकते हैं, जिससे शाखा में जाने की जरूरत कम पड़ती है। इस चैनल से अब तक कुल 4,700 ग्राहकों को जोड़ा गया है, जिसमें से 921 ग्राहक चालू वित्त वर्ष के दौरान जोड़े गए हैं, कुल व्यापारिक लेनदेनों (देशी और विदेशी दोनों) के 12% लेनदेन पोर्टल के माध्यम से किए गए हैं।
- बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल मोड के माध्यम से बैंक गारंटी के एंड-टू-एंड जारी करने, सुरक्षा में वृद्धि के साथ और टर्नअराउंड टाइम (TAT) को कम करने के लिए NeSL (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) के साथ भागीदारी की है। इस पहल के हिस्से के रूप में, हमारे बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी करने में मील स्तंभ अर्जित करते हुए एक उद्योगव्यापी बेंचमार्क स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने 4,677 इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी कीं, जो वित्त वर्ष 2023-24 में जारी की गई 2,010 ई-बीजी से अधिक है। इससे नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल ई-बीजी जारी करने की शुरुआत के बाद से जारी की गई ई-बीजी की कुल संख्या 6,687 हो गई है।
- भारतीय रुपए में व्यापारिक लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की पहल के तहत बैंक ने 31 मार्च 2025 तक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो एकाउंट (एसआरवीए) प्रणाली के माध्यम से विश्व भर के बैंकों में 16 स्पेशल रुपी वोस्ट्रो एकाउंट खोले हैं।

घरेलू ट्रेजरी परिचालन

हमारा बैंक मुंबई में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित अत्याधुनिक डीलिंग रूम से ट्रेजरी परिचालनों का संचालन करता है। ट्रेजरी विभिन्न बाजारों जैसे विदेशी विनिमय, ब्याज दर, स्थायी आय, मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव्स, इक्विटी,

मुद्रा एवं ब्याज दर फ्यूचर्स एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। बैंक पूरे देश में विदेशी मुद्रा में डीलिंग करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से ब्याज दर स्वेप, करेंसी स्वेप, करेंसी ऑप्शंस और फारवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

ट्रेजरी बैंक की सीआरआर और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) संबंधी विनियामक आवश्यकताओं की देखरेख करती है और निधि की स्थिति का प्रबंधन करती है। ट्रेजरी, निधि प्रबंधन कार्यों के एक भाग के रूप में, मनी मार्केट और कॉर्पोरेट मार्केट लिखतों में ऋण लेने/ निवेश करने का कार्य करती है।

31 मार्च, 2025 को बैंक की कुल घरेलू निवेश बही ₹ 3,70,478 करोड़ रही। कुल निवेश में एसएलआर प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 82.74% रही। 31 मार्च, 2025 को निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के सापेक्ष एसएलआर प्रतिभूतियां (भारमुक्त) 25.30% रही। बैंक प्रतिफलों में हुई प्रगति के फलस्वरूप उपलब्ध हुए अवसरों को भुनाने में सक्षम रहा है। बैंक ने अपने पोर्टफोलियो का कुशलता से प्रबंधन किया है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज अर्जित करने वाले निवेश पर 7.09% (बिक्री पर लाभ सहित) लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान निवेश की बिक्री से हुआ लाभ ₹2,267.63 रहा।

सरकारी कारोबार

सरकारी संपर्क वर्टिकल बैंक के नीतिपरक फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ पूरे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की विविध बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। हमारी सेवाओं की विस्तृत रेंज में सरकारी निकायों के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पेंशन, डाक लेनदेन, कर वसूली (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) और ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी लेनदेन से संबंधित भुगतानों की बाधा-रहित प्रक्रिया हमारी प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। इसके अतिरिक्त, हम विभिन्न सरकारी बचत और निवेश योजनाओं जैसे लोक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना, ई-किसान विकास पत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक के बॉन्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, महिला सम्मान बचत योजना और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड का प्रबंधन करते हैं। ये सेवाएं न केवल बैंक की शुल्क आय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा और साख को भी बढ़ाती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में शुल्क आय उल्लेखनीय प्रगति के साथ ₹88.97 करोड़ रही है।

इसके अलावा, हमारी भूमिका लेनदेन संबंधी सेवाओं से कहीं अधिक है। हम राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के लिए खाते खोलने में सक्रिय रूप से सहायता करते हुए बैंक के लिए चालू खाता बचत खाता (कासा) जमा राशियां जुटाकर दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। समग्र समाधान प्रदान करने संबंधी हमारी प्रतिबद्धता सरकारी पोर्टल जैसे सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में ग्राहकों को ऑन-बोर्ड करने की सुविधा प्रदान करने के हमारे प्रयासों से स्पष्ट होती है। ये पहल न केवल हमारे मौजूदा संबंधों को सशक्त बनाती हैं बल्कि नई साझेदारियां स्थापित करने और हमारे कासा आधार का विस्तार करने का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। 31 मार्च, 2025 तक बैंक का कुल सरकारी कासा ₹ 63,180 करोड़ रहा, जो बैंक के कुल कासा का 12.72% है।

इसके अलावा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रति हमारा समर्पण सर्वोपरि है। हम देश भर के सरकारी विभागों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करते हुए कस्टमाइज़्ड आईटी समाधान प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, हम दक्षता में वृद्धि कर रहे हैं, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बना रहे हैं और बाधा रहित तरीके से सरकारी कासा जुटाना सुनिश्चित कर रहे हैं।



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय जैसे प्रतिष्ठित मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में, हम लेन-देन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने से आगे बढ़ते हुए अपने सरकारी साझेदारों के लिए मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें पीएफएमएस पोर्टल पर सरकारी विभागों को ऑन-बोर्ड करने, सक्रिय रूप से सरकारी कासा खाते जुटाने और सरकारी व्यवसाय से जुड़ी शाखाओं को व्यापक रूप से सहायता प्रदान करने जैसी पहलें शामिल हैं।

संक्षेप में, हमारा सरकारी संपर्क वर्टिकल, सरकारी संस्थाओं के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में कार्य करता है, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकिंग सेवाओं की विस्तृत रेंज उपलब्ध कराता है। उत्कृष्टता, नवोन्मेषिता और ग्राहक-केन्द्रीयता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ हम देश के आर्थिक विकास और गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

धन संपदा प्रबंधन

धन संपदा प्रबंधन वर्टिकल बैंक की एक महत्वपूर्ण प्रमुख रणनीतिक व्यावसायिक इकाई है, जिसका लक्ष्य निरंतर व्यवसाय वृद्धि करना और विविध ग्राहक संवर्गों के लिए सुदृढ़ एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) बनाना है। 8,400+ शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क और 170 मिलियन से अधिक ग्राहक आधार के सहयोग से यह वर्टिकल अपने ग्राहकों की उभरती वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ निवेश और बीमा समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उद्योग जगत के पुरस्कार

बैंक को उत्कृष्ट धन संपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर पुरस्कृत किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा लगातार तीसरे वर्ष बैंक ऑफ़ बड़ौदा को "म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए बैंक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन" का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- एएमएफआई पार्टनर्स इन एक्सीलेंस अवार्ड्स (वित्त वर्ष 2023-24) के उद्घाटन समारोह में बैंक श्रेणी के अंतर्गत "विजेता – नेट सेल्स – इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड कैटेगरी" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र

रिटेल और उच्च नेटवर्क, दोनों प्रकार के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक निम्नलिखित कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर रहा है:

- फ्रंट-लाइन परामर्श और बिक्री के प्रयासों को बढ़ाने के लिए **शाखा सक्रियण**
- ग्राहक जर्नी को सरल बनाने के लिए **डिजिटलीकरण**।
- संबंधों में प्रगाढ़ता के लिए **ग्राहक एवं कर्मचारी सहभागिता कार्यक्रमों** का आयोजन।
- कौशल संवर्धन** यह सुनिश्चित करता है कि रेडियंस और गैर-रेडियंस सेगमेंटों में सेवाएं देने वाले सभी कर्मचारी प्रशिक्षित हों और आवश्यक कौशल से पूरी तरह सुसज्जित हों।

डिजिटलीकरण संबंधी पहलें

ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने की दिशा में डिजिटलीकरण बैंक की धन संपदा प्रबंधन कार्यनीति का मूल आधार रहा है। इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति निम्नानुसार है:

- स्मार्टइन्वेस्ट** - बैंक का डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म अब म्यूचुअल फंड लेनदेन और 360° पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए स्टैंडअलोन और बॉब वर्ल्ड-एकीकृत जर्नी के माध्यम से एक सहज अनुभव प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म एपीआई-आधारित एकीकरण के माध्यम से सेल्फ-सर्विस और ब्रांच, दोनों का समर्थन करता है।
- स्मार्टइंश्योर** - यह प्लेटफॉर्म जीवन बीमा के लिए उपलब्ध है और इसे गैर-जीवन बीमा को कवर करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है, जिसकी जर्नी में कठोर नीति और अनुपालन जांच शामिल है।

कुशल कार्मिक और नैतिकतापूर्ण बिक्री

बैंक कर्मचारियों के कौशल निर्माण और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं पर जोर दे रहा है। बैंक ने कस्टमाइज्ड लर्निंग मॉड्यूल प्रदान करने के लिए तीन प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संगठनों के साथ साझेदारी की है ताकि बैंक के कार्मिकों द्वारा अनुपालन-आधारित, ग्राहक-प्रथम सलाहकार सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें। बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, धन संपदा प्रबंधन वर्टिकल ने जीवन बीमा प्रीमियम के क्षेत्र में ₹ 752 करोड़ का कारोबार, गैर-जीवन बीमा प्रीमियम के क्षेत्र में ₹ 589 करोड़ और ₹ 16,272 करोड़ का निवेश एयूएम हासिल किया है।

ग्राहक एवं हितधारक सहभागिता

बैंक नए ज्ञान को साझा करने और नेतृत्व संबंधी पहलों के माध्यम से निरंतर सहभागिता के लिए प्रतिबद्ध है:

- "वेल्थ इनसाइट"** - रेडियंस ग्राहकों हेतु मासिक ई-पत्रिका जो मार्केट का आउटलुक प्रदान करती है।
- "थर्सडे थौट्स"** - धन संपदा प्रबंधन संबंधी ज्ञान के प्रसार के लिए साप्ताहिक ई-मेलर।
- "वेल्थ बुलेटिन"** - धन संपदा प्रबंधन वर्टिकल की द्विमासिक ई-पत्रिका।
- "लीडरशिप क्रॉनिकल"** - बैंकिंग और वित्त क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के साथ एक ज्ञानवर्धक टॉक शो।
- "एक्सपर्ट इनसाइट"** - वार्षिक बजट को डिकोड करने, मार्केट साइकल को डिकोड करने, मार्केट आउटलुक आदि सहित बाजार के विशेषज्ञों के साथ विभिन्न वित्तीय पहलुओं पर वेबिनार/सत्र।

डिजिटल बैंकिंग उत्पाद

बैंक डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए नियमित रूप से लेनदेनों को डिजिटल चैनलों में माइग्रेट करने का प्रयास कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग का मुख्य ध्येय डिजिटल और वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को बैंक के उत्पाद उपलब्ध कराना है। डिजिटल बैंकिंग में प्रमुख सुविधाएं बॉब वर्ल्ड, बॉब वर्ल्ड यूपीआई, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसएसपीबीपी), टैब बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल भुगतान सेवाएं (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टेग, भारत क्यूआर, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), आदि शामिल हैं।

बॉब वर्ल्ड मर्चेट यूपीआई क्यूआर

वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक 25.48 लाख बॉब वर्ल्ड यूपीआई मर्चेट बेस हासिल करने में सफल रहा है और यूपीआई क्यूआर प्लेटफॉर्म पर 7.01 लाख नए मर्चेट जोड़े गए हैं। 31 मार्च, 2025 तक कुल 3.56 लाख बॉब वर्ल्ड मर्चेट यूपीआई क्यूआर एक्टिवेशन किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025 के दौरान बॉब वर्ल्ड मर्चेट यूपीआई क्यूआर के माध्यम से 50581.60 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 24.67 करोड़ के सफल वित्तीय लेनदेन किए गए हैं।

साउंड बॉक्स सुविधा

बैंक द्वारा अक्टूबर 2024 में अपने व्यापारियों के लिए साउंड बॉक्स सुविधा शुरू की गई और वित्त वर्ष 24 में 14 हजार डिवाइस सफलतापूर्वक इन्स्टॉल किए गए। वित्त वर्ष 25 के दौरान, बैंक 1.04 लाख साउंड बॉक्स डिवाइस सफलतापूर्वक इन्स्टॉल करने में सफल रहा।

बॉब वर्ल्ड

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बॉब वर्ल्ड के सक्रिय उपयोगकर्ता आधार में 21.43 लाख उपयोगकर्ताओं की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2025 तक बॉब वर्ल्ड पर कुल 327 लाख उपयोगकर्ता सक्रिय हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान बॉब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर कुल वित्तीय लेनदेन 13.62 करोड़ लेनदेन को पार कर गए हैं और गैर-वित्तीय लेनदेन 194.39 करोड़ लेनदेन को पार कर गए हैं।

डेबिट कार्ड

31 मार्च, 2025 तक बैंक के डेबिट कार्ड की संख्या 8.82 करोड़ रही है। ई-कॉमर्स और पीओएस लेनदेन को बढ़ावा देने और बैंक के डेबिट कार्ड को ग्राहकों के लिए पसंदीदा भुगतान विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए, बैंक ने डेबिट कार्डधारकों के लिए आकर्षक ऑफर प्रदान करने के लिए विभिन्न मर्चेन्ट्स के साथ साझेदारी की है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान, बैंक ने प्रख्यात मर्चेन्ट्स के साथ साझेदारी में 25 प्रचार अभियान शुरू किए।

वित्त वर्ष 2024-25 में, बैंक द्वारा विविध ग्राहक वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न नए डेबिट कार्ड वेरिएंट पेश किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख वेरिएंट निम्नानुसार हैं:

- **बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने ईजमाईट्रिप के साथ साझेदारी में ईजमाईट्रिप डेबिट कार्ड** पेश किया है, जो यात्रा और होटल बुकिंग पर छूट, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए निःशुल्क वार्षिक सदस्यता और अन्य मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करता है।
- **एनआरआई डेबिट कार्ड**, जिसे मास्टरकार्ड के सहयोग से विकसित किया गया है, जो विशेष रूप से एनआरआई ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति है और उनके समग्र बैंकिंग अनुभव में वृद्धि है।
- **बड़ौदा किसान प्राइड डेबिट कार्ड**, विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए है जिन्होंने बैंक की बड़ौदा किसान प्राइड योजना के तहत ऋण लिया है।

बड़ौदा फास्टैग (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण - एनईटीसी)

बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में 1.31 लाख फास्टैग जारी किए हैं और इससे बैंक का टैग बेस 12.20 लाख तक पहुंच गया है। हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में ₹ 530.29 करोड़ की राशि के 4.79 करोड़ फास्टैग टोल लेनदेन प्रोसेस किए हैं।

भारत कनेक्ट (पूर्व में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस))

भारत कनेक्ट बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) नियमित रूप से किए जाने वाले बिल भुगतान हेतु एक अतः प्रचलनीय प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को वास्तविक समय में बिल भुगतान और रिचार्ज संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। बीबीपीएस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एक उत्पाद है और इसका प्रबंधन एनबीबीएल (एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) द्वारा किया जाता है। हमारा बैंक बीबीपीएस सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राहक ऑपरेटिंग यूनिट (सीओयू) और बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू) के रूप में अधिकृत है। वित्त वर्ष 2025 में बैंक ने लगभग ₹ 11494 करोड़ की राशि के 1.96 करोड़ बिल भुगतान लेनदेन प्रोसेस किए हैं। बैंक के पास अपने बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर 11 एक्टिव बिलर्स का बिलर बेस उपलब्ध है।

एटीएम

31 मार्च, 2024 तक बैंक में 9,316 एटीएम एवं 1,671 कैश री-साइक्लर का व्यापक नेटवर्क है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्र विशेष की स्थानीय भाषा में नेविगेशन हेतु करने हेतु यूजर फ्रेंडली स्क्रीन है, जो हमारे ग्राहकों को दैनिक बैंकिंग परिचालन संबंधी सहज अनुभव प्रदान करती है। हमारे एटीएम ग्रीन पिन जनरेशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कैश ऑन मोबाइल सेवा जहां ग्राहक डेबिट कार्ड आदि का उपयोग किए बिना एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं जैसी सुविधाओं से युक्त हैं। हमारे बैंक ने 7145 स्थानों पर इंटरऑपरेबल कार्ड लेस नकदी आहरण (यूपीआई एटीएम) की सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक बैंक की यूपीआई क्यूआर सेवाओं (आईसीसीडबल्यू) का उपयोग करके राशि निकाल सकते हैं। 31 मार्च, 2025 तक 9316 एटीएम ओपीईएक्स मॉडल के तहत लाइव हैं ताकि ग्राहकों को बाधारहित एटीएम सेवाएं और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान किया जा सके।

इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी)

बैंक का आईपीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट गेटवे एक ऑनलाइन सेवा है जो ग्राहकों को उनके ऑनलाइन व्यवसाय के लिए सुरक्षित रूप से रियल टाइम में भुगतान स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इंटरनेट पेमेंट गेटवे ऑनलाइन मोड का उपयोग करके सुरक्षित भुगतान प्रोसेसिंग के लिए मर्चेन्ट और उनके ग्राहकों के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराता है।

बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट गेटवे डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, एईपीएस, आधार पे, क्यूआर कोड आदि द्वारा ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने और ऑफ़लाइन मोड अर्थात् एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से आसान और सुरक्षित तरीके से ई-कॉमर्स/ ऑनलाइन व्यवसाय के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करता है।

बाधारहित और ग्राहकोन्मुख सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने 12 एग्रीगेटर्स और मास्टर मर्चेन्ट के साथ टाई-अप किया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,832 मर्चेन्ट को ऑन-बोर्ड किया है, जिससे 7000+ आईपीजी मर्चेन्ट आधार प्राप्त हुआ है और मर्चेन्ट ऑन-बोर्डिंग में 35% की वृद्धि हुई है, वर्ष दर वर्ष आधार पर 20% औसत की वृद्धि के साथ ₹2,981 करोड़ से ₹ 3,566 करोड़ हो गया है।

बॉब ई Pay:

यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो विभिन्न बैंक खातों को एक मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भागीदार बैंक का) पर लेकर आता है, विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, बाधारहित निधि अंतरण एवं मर्चेन्ट भुगतान को एक प्लेटफॉर्म पर समेकित करता है। यह "पीयर टू पीयर" कलेक्शन अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा अनुसार शेड्यूल कर भुगतान किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025 में बैंक ने अपने यूपीआई ऐप बॉब वर्ल्ड यूपीआई को नया रूप दिया और नए यूजर इंटरफेस के साथ इसका नाम बदलकर बॉब ई पे कर दिया।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बैंक ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 21.34 लाख नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% की वृद्धि दर्शाता है।

बॉब वर्ल्ड (इंटरनेट बैंकिंग)

बैंक के इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2024 के 108.46 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 के दौरान 120.67 लाख हो गई।

बड़ौदा टैबिट:

बैंक ने अपने ग्राहकों को टैबलेट के माध्यम से त्वरित रूप से बचत एवं चालू खाता खोलने के लिए बोर्डिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के साथ-साथ विभिन्न



सेवाओं (व्यक्तिगत चेक बुक, व्यक्तिगत डेबिट कार्ड, व्हाट्सएप बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग) और पीओएस, साउंडबॉक्स, यूपीआई क्यूआर, आईपीजी लीड जनरेशन को अपने टैब बैंकिंग प्लेटफॉर्म - बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से शुरू किया। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से **37.96 लाख से अधिक बचत खाते और 2.85 लाख चालू खाते** खोले।

एनआरई/एनआरओ खाता: बैंक ने टैब के माध्यम से एनआरई/एनआरओ खाता खोलने की सेवा शुरू की है। यह सेवा एनआरआई ग्राहक को डिजिटल चैनल के माध्यम से अपना एसबी खाता खोलने की सुविधा देते हैं, जिससे हमारे ग्राहकों को एक बेहतर ग्राहक अनुभव मिलेगा। इसकी शुरुआत के बाद से अब तक टैब बैंकिंग के माध्यम से इन योजनाओं में **6333** खाते खोले गए हैं।

माइक्रो इश्योरेंस (पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई): टैब के माध्यम से माइक्रो इश्योरेंस की शुरुआत डिजिटल ग्रुप और वित्तीय समावेशन और सीएसआर विभाग की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य माइक्रो इश्योरेंस की पहुंच को और बढ़ाना और उसका विस्तार करना है। इसकी शुरुआत के बाद से बैंक द्वारा टैब के माध्यम से **52512 पीएमएसबीवाई और 25305-पीएमजेजेबीवाई बीमा पॉलिसियां** जारी की गई हैं।

बैंक ने टैब के माध्यम से मौजूदा खाता खोलने की प्रक्रिया में अतिरिक्त मोड के विकल्प **एसएचजी खातों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, चालू/बचत खातों में सीकेवाईसी नंबर-आधारित खाता खोलने की प्रक्रिया** विकल्प दिए हैं जैसे **खाता खोलने की प्रक्रिया** को आसान बना रहे हैं।

बैंक ने ईज 7.0 निर्देशों के तहत टैब में कई सेवाएँ भी सक्रिय की हैं। शुरू की गई प्रमुख सेवाओं में **लॉकर आबंटन, रिकेवाईसी, डेबिट कार्ड आवेदन और चेक बुक सेवाएँ** शामिल हैं।

बैंक ने हाल ही में टैब बैंकिंग के माध्यम से सरकारी योजना **सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसए)** की शुरुआत की है। अभी तक, शाखाएं केवल सीबीएस के माध्यम से ही एसएसए खोल सकती थीं। टैबलेट के माध्यम से एसएसए खाता खोलने से शाखाएं असिस्टेड मोड के तहत डिजिटल रूप से खाता खोल सकेंगी।

सुविधाएं	वित्त वर्ष 2025
बचत बैंक खाता	37.96 लाख
चालू खाता	2.91 लाख
एसएचजी खाता	29,167
एनआरई/एनआरओ खाता	6333
फास्टैग	2013
कंपनी खाता	3299
यूपीआई मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग	7.07 लाख
भीम आधार लीड जनरेशन	50,311
पीओएस लीड	44,222
टैब के माध्यम से आईपीजी लीड जनरेशन	3426

व्हाट्सएप बैंकिंग

- बैंकिंग उपयोगकर्ता पंजीकरण –

व्हाट्सएप बैंकिंग उपयोगकर्ता पंजीकरण (वर्ष दर वर्ष) (ग्राहक + गैर-ग्राहक) लाखों में			
वर्ष	ग्राहक	गैर-ग्राहक *	कुल उपयोगकर्ता
वि.व. 2021	5.03	1.1	6.13
वि.व. 2022	9.62	4.2	13.82
वि.व. 2023	40.49	3.61	44.1
वि.व. 2024	30.14	6.46	36.6
वि.व. 2025	37.15	8.55	45.70
	कुल पंजीकरण		146.35

*गैर-ग्राहक उपयोगकर्ता पंजीकरण में उन उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण शामिल है जो बैंक के ग्राहक नहीं हैं + बैंक के उन ग्राहकों का पंजीकरण जो व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए अपात्र योजना कोड के अंतर्गत आते हैं।

व्हाट्सएप बैंकिंग लेन-देन –

वर्ष	व्हाट्सएप बैंकिंग लेनदेन की संख्या (लाखों में)
वि.व. 2021	47.8
वि.व. 2022	207.5
वि.व. 2023	343.4
वि.व. 2024	701.72
वि.व. 2025	1095.27

डिजिटल बैंकिंग यूनिट

आरंभिक चरण में हमारे बैंक को डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (डीबीयू) की स्थापना के लिए 8 जिले आबंटित किए गए थे, बाद में हमारे बैंक ने 10 और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित की हैं। अब हमारे बैंक के पास बैंकिंग उद्योग में किसी भी बैंक की तुलना में सबसे अधिक डीबीयू (18) हैं। दिनांक 31.03.2025 तक इन डीबीयू द्वारा कुल ₹89.22 करोड़ का कारोबार किया गया है।

डिजिटल ऋण

डिजिटल ऋण परिदृश्य में अग्रणी बैंक बनने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए, बैंक ने 2020 में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल साधनों का उपयोग करके विभिन्न सेगमेंट से नए ग्राहकों को लक्षित करना और उन्हें बैंक से जोड़ना है। बैंक ने लीड जनरेशन के शुरुआती चरण से लेकर संवितरण तक एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस) डिजिटल जर्नी को सक्रिय कर दिया है।

वर्तमान में बैंक में 70 से अधिक डिजिटल ऋण जर्नी लाइव कर दी गई हैं।

बैंक ने अपने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को आरबीआईएच के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (यूएलआई), 20 से अधिक फिनटेक के साथ इंटीग्रेट किया है और भूमि स्वामित्व सत्यापन, कृषि उपज रिपोर्ट, डिजिटल सत्यापन, बैंक स्टेटमेंट का प्रमाणीकरण और विश्लेषण, क्रेडिट ब्यूरो, ई-मैडेड, जीएसटी, आईटीआर, उद्यम, ई-केवाईसी, वी-केवाईसी, पैन, ई-स्टाम्पिंग / ई-साइनिंग आदि के उद्देश्य से 100 से अधिक डिजिटल एकीकरण किए हैं।

कुल 26+ लाख ग्राहकों को 30,000+ करोड़ रुपये के डिजिटल ऋण स्वीकृत और संवितरित किए गए हैं।

डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म व्यवसाय को सरल बनाने में लगातार योगदान दे रहा है।

रिटेल पहले:

- वैयक्तिक ऋण (पूर्व-स्वीकृत/गैर-पूर्व-स्वीकृत), शिक्षा ऋण (प्रीमियर संस्थान और ईडीपी), ऑटो-ऋण (पूर्व-स्वीकृत/गैर-पूर्व-स्वीकृत), रिटेल स्वर्ण ऋण, पेंशन ऋण, गृह-ऋण टॉप-अप (पूर्व-स्वीकृत), गृह ऋण (इन प्रिंसिपल) और लाबोड।
- डिजिटल गोल्ड और सिल्वर पर्सनल लोन:** बैंक ने केंद्र और राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, उच्च रेटेड कॉरपोरेट्स आदि के कर्मचारियों के लिए डिजिटल पर्सनल लोन जर्नी तैयार की है।
- बेहतर गुणवत्तापूर्ण वाले ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए **पूर्व-स्वीकृत वैयक्तिक ऋणों की अंडरराइटिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया गया है।**

एमएसएमई पहले:

- बड़ौदा स्मार्ट ओडी** - यह सुविधा आवेदकों के जीएसटी रिटर्न पर आधारित है।
- जीएसटी सहाय** - चालू खाताधारकों के लिए उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालान-आधारित फायनांस के लिए डिजिटल जर्नी।
- डिजिटल मुद्रा ऋण** - बैंक ने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म पर संवितरण तक एंड-टू-एंड डिजिटल जर्नी शुरू की है।
- एमएसएमई नवीकरण, एमएसएमई (इन प्रिंसिपल) स्वीकृतियाँ।

कृषि पहले:

- डिजिटल स्वर्ण ऋण** - बैंक ने त्वरित और बाधारहित स्वर्ण ऋण संवितरण के लिए एक सहज डिजिटल जर्नी की शुरूआत की है।
- डिजिटल बीकेसीसी** - बैंक ने ऑनबोर्डिंग से लेकर संवितरण तक को कवर करने वाले एक एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान की शुरूआत की है।

एनालिटिक्स सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (एसीओई)

बैंक एआई और एमएल मॉडल को लागू करके अपनी डेटा-संचालित यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के क्षेत्र में अपने नेतृत्व को और सुदृढ़ बना रहा है और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए और प्रभावशाली व्यावसायिक परिणाम हासिल कर रहा है। बैंक को लगातार तीसरे वर्ष, भारतीय बैंक संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ एआई/एमएल बैंक - 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में एआई-आधारित नवाचारों में सबसे अग्रणी बैंक होने की पुष्टि करता है।

बैंक ने एआई को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और ग्राहक और कर्मचारी दोनों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जेनएआई-संचालित उत्पाद विकसित किए हैं। इनमें वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर "अदिति" शामिल है जो बातचीत के माध्यम से ग्राहकों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान कर रही है, वर्चुअल एजेंट "आदि" ग्राहक पूछताछ प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बना रहा है और सेवा दक्षता में सुधार कर रहा है और नॉलेज मैनेजमेंट बॉट "ज्ञान सहाय" कर्मचारियों को वास्तविक समय में प्रासंगिक जानकारी तक एक्सेस प्रदान करता है, जिससे उत्पादकता और निर्णय लेने में वृद्धि होती है।

अपनी प्रमुख प्रक्रियाओं में इंटेलिजेंस को शामिल करते हुए, बैंक सभी के लिए बाधारहित, डेटा-संचालित और भविष्य-उन्मुख बैंकिंग अनुभव प्रदान करना जारी रख रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

- बैंक ने बेहतर अनुकूलन के लिए नए यूआई/यूएक्स के साथ यूपीआई ऐप को नया रूप दिया है और यूपीआई प्लेटफॉर्म पर नई सेवाएं जैसे यूपीआई के लिए 22 देशों से लेनदेन स्वीकार करना, यूपीआई के माध्यम से नकद निकासी, मर्चेन्ट पोर्टल में रिफंड सुविधा, तत्काल पूर्व-स्वीकृत रुपये क्रेडिट कार्ड जारी करना और लिंक करना, पी2पी वाउचर जारी करना, लाइट ऑटो टॉप-अप, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, क्रेडिट कार्ड ईएमआई सुविधा, टैप एंड पे सुविधाएं शुरू की हैं।
- बैंक ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) जिसे e₹ (डिजिटल रुपया) के रूप में संदर्भित किया जाता है, में अतिरिक्त कार्यक्षमताएं जैसे यूपीआई भुगतान के तहत सीबीडीसी एप्लिकेशन के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प, सीबीडीसी में ऑटो लोड, पी-सीबीडीसी डिप्लॉयमेंट, डिजिटल रुपया टोकन के माध्यम से डीबीटी का संवितरण शुरू की हैं।
- बैंक ने ग्राहकों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में अतिरिक्त सेवाएं, सिस्टम नियंत्रण और सुरक्षा फीचर्स उपलब्ध कराए हैं। इनमें एनपीएस खाता खोलना, ग्राहक प्रोफाइल अपडेट करना, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, एनआरआई और मिलेनियल ग्राहकों के लिए पर्सनलाइज्ड थीम, अस्थायी ब्लॉक/अनब्लॉक, नया यूआई, बॉबवर्ल्ड के माध्यम से आईआरसीटीसी एंटीग्रेसन, बॉबवर्ल्ड के माध्यम से जीएसटी अपडेट, ऑनलाइन डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना शामिल हैं।
- बैंक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म में नई सेवाएं/ सुविधाएं जैसे एलआरएस के तहत धन प्रेषण, क्रेडिट कार्ड प्रबंधन सेवाएं, भुगतान के लिए विभिन्न राज्य कोषागारों के साथ इंटीग्रेशन, वर्चुअल डेबिट कार्ड का क्रियान्वयन, म्यूचुअल फंड खरीद के विकल्प जोड़े हैं।
- बैंक ने लोन लाइफ सायकल प्रबंधन (एलएपीएस) को नए संस्करण में अपग्रेड किया है और नई सेवाएं/उत्पाद जैसे बड़ौदा स्कॉलर कोलेटरल मुक्त शिक्षा ऋण, पीएम सूर्यघर संयुक्त योजना, शिक्षा ऋण के लिए सब्सिडी विवरण, क्षेत्र विशिष्ट गृह ऋण आदि जोड़े हैं।
- बैंक ने ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी शुरू की है। इससे एक्सेस में सुधार होगा और ग्राहक अपने प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक की सेवाओं से आसानी से जुड़ सकेंगे।
- क्यूआर कोड के माध्यम से ग्राहक प्रतिक्रिया: शाखाओं में क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे ग्राहक द्वारा विजिट की गई शाखा के बारे में तत्काल फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है।
- बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग में मराठी भाषा की शुरूआत की है और 15जी/एच स्थिति पूछताछ, ब्याज प्रमाणपत्र अनुरोध, चेक भुगतान रोकें, नए मास्टरस्ट्रोक योजना कोड, एसएसवाई बैलेंस पूछताछ, राज्य-विशिष्ट बैंकिंग अवकाश कैलेंडर जैसी नई सुविधाएं जोड़ी हैं।
- बैंक ग्राहकों को नई सुविधाएं और सेवाएं जैसे एनआरआई टैब सुविधा में वृद्धि से बेहतर सेवाएं आदि प्रदान करने के लिए टैबलेट बैंकिंग को लगातार बेहतर बना रहा है।
- बैंक ने एटीएम में नई सेवाएं जैसे एटीएम के माध्यम से रि-केवाईसी सेवा शुरू की है, ताकि ग्राहक एटीएम के माध्यम से डेबिट कार्ड का



उपयोग करके रीकेवाईसी कर सकें। बैंक ने कार्ड के विभिन्न वेरिएंट जैसे ईजमाईट्रिप डेबिट कार्ड, फुदलवन डेबिट कार्ड, एनआरआई ग्राहकों के लिए विशेष मास्टरकार्ड आदि भी पेश किए हैं, ।

- बैंक उच्चतर कार्य-समय और कार्य-निष्पादन के लिए बैंकिंग सेवाओं और लेनदेन को समर्थन देने के लिए अपने बुनियादी फ्रेमवर्क की सुदृढ़ और इन्फ्रास्ट्रक्चर को निरंतर बेहतर बना रहा है।

साइबर सुरक्षा

बैंक ने एक विस्तृत साइबर सुरक्षा प्रशासन फ्रेमवर्क स्थापित किया है, जिसमें एक सुदृढ़ प्रबंधन संरचना, परिभाषित नीतियां और परिचालन नियंत्रण शामिल हैं। ये फ्रेमवर्क बैंक की व्यावसायिक कार्यनीतियों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है ताकि एंड टू एंड आईटी जोखिम प्रबंधन और उद्यम-व्यापी साइबर सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। बैंक सुरक्षा के क्षेत्र में जोखिम-सूचित और अनुकूलित दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से एनआईएसटी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क और आरबीआई साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क दोनों का पालन करता है।

अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संदर्भ में जोखिम और अनुपालन संबंधी विचारों को शामिल करते हुए उन्नत जीआरसी प्रक्रियाओं को अपनाया है। इस जर्नी में एक प्रमुख एनेबलर के रूप में एक उद्यम-व्यापी चिन्हीकरण और फीडबैक (एक्सडीआर) प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जो एंडपॉइंट्स, नेटवर्क और ईमेल में वास्तविक समय के खतरे का पता लगाने, सहसंबंध और स्वचालित प्रतिक्रिया को बढ़ाता है।

साइबर सुरक्षा को एक केंद्रीकृत वैश्विक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) द्वारा 24x7x365 प्रबंधित किया जाता है, जो सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। सीएसओसी उभरते खतरों की सक्रिय रूप से पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए थ्रेट मॉडलिंग, डिजिटल जोखिम निगरानी (डीआरएम) और निरंतर स्वचालित रेड टीमिंग (सीएआरटी) सहित उन्नत क्षमताओं का लाभ उठाता है। बैंक का डेटा सेंटर और डिजिस्टर रिकवरी सेंटर आईएसओ/आईसी 27001:2022 के तहत प्रमाणित है, जो एक विश्वसनीय सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है।

मौजूदा नियंत्रणों के अतिरिक्त, बैंक ने निम्नलिखित कार्यनीतिक पहलों को क्रियान्वित किया है:

- सुरक्षा नियंत्रणों की प्रभावशीलता को सत्यापित करने और जोखिम न्यूनीकरण के लिए कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए उल्लंघन और आक्रमण सिमुलेशन (बीएसएस) उपकरणों का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।
- रैंडम अलर्ती डिटेक्शन(आईडी) टीम अभ्यास, नियंत्रण तत्परता का आकलन करने और घटना प्रतिक्रिया कार्यनीतियों को परिष्कृत करने के लिए वास्तविक स्वरूप के जोखिम परिदृश्यों का अनुकरण करता है।
- साइबर बीमा कवरेज साइबर-संबंधित घटनाओं और धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए एक प्रतिष्ठित बीमाकर्ता के माध्यम से बनाए रखा जाता है।
- सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल चैनलों (एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया, एटीएम और बैंक की वेबसाइट) पर ग्राहक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- डेटा हानि रोकथाम (डीएलपी) प्रौद्योगिकियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संवेदनशील जानकारी बैंक के नेटवर्क

के भीतर बनी रहे, जिससे अनुपालन और आंतरिक नीति प्रवर्तन को सहायता मिले।

- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) समाधान दृश्यता प्रदान करते हैं और एक्सेस नियंत्रण लागू करते हैं, जिससे नेटवर्क के भीतर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एक्सेस सीमित हो जाती है।
- बैंक के डिजिटल फुटप्रिंट की निगरानी और बाहरी खतरों से सुरक्षा के लिए एंटी-फिशिंग, एक्सटर्नल अटैक सरफेस मैनेजमेंट (ईएएसएम) और डीआरएम के लिए समृद्ध उपकरण मौजूद हैं।
- बैंक ने प्रतिष्ठित आईबीए पुरस्कार 'सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन पुरस्कार' (वित्त वर्ष 2025 के दौरान) भी जीता है, जिसमें बैंक के डिजिटल ईको सिस्टम की सुरक्षा के लिए आईटी, सूचना सुरक्षा, जोखिम और कारोबार टीमों के बीच समन्वय द्वारा संचालित साइबर सुरक्षा के संबंध में बैंक की साइबर सुरक्षा कार्यनीतियों को मान्यता दी गई है।

साथ में, ये उपाय बैंक की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं, इसके हमले के प्रभाव को कम करते हैं और व्यावसायिक उद्देश्यों और नियामक अपेक्षाओं के साथ संरेखित एक सक्रिय, गोपनीय रूप से संचालित रक्षा कार्यनीति का समर्थन करते हैं।

विपणन

वर्ष 2025 अभिनव विपणन कार्यनीतियों, बढ़ी हुई ब्रांड दृश्यता और सार्थक सामुदायिक जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण रहा, इन सभी ने एक प्रगतिशील, ग्राहक-केंद्रित संगठन के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुदृढ़ मीडिया आउटरीच के साथ-साथ डिजिटल परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने हमारी ब्रांड इकटि की और सुदृढ़ किया है और बाजार में हमारी स्थिति को सुदृढ़ किया है।

वित्त वर्ष 2025 में, बैंक ने एक महत्वाकांक्षी और बहुआयामी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कार्यनीति को लागू किया, जिसमें विभिन्न चैनल और संपर्क बिंदु शामिल हैं। हमारे प्रयासों को प्रमुख उत्पादों की शुरूआत, राष्ट्रीय आयोजनों और त्यौहारी सीजन के साथ जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमारे अभियान पूरे भारत में विविध ग्राहक वर्गों के बीच प्रतिध्वनित हों।

हमने एक व्यापक मल्टी-चैनल विज्ञापन अभियान शुरू किया जिसमें टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और सिनेमा शामिल थे, जिसकी कुल दृश्यता लगभग 200 करोड़ तक थी। हमारे टेलीविजन अभियान, प्रमुख समाचार और मनोरंजन चैनलों पर प्रसारित हुए, जिसमें सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान (एसडीपी), बॉब परिवार खाता, बॉब मास्टरस्ट्रोक खाता और बॉब ग्रीन डिपॉजिट प्लान जैसे प्रमुख रिटेल उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त, हमने ग्राहक जुड़ाव के लिए प्रभावी वातावरण बनाने के लिए आईपीएल 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 और हमारे 117वें स्थापना दिवस जैसे आयोजनों का लाभ उठाया।

हमारे रेडियो अभियान, जिसमें बिग एफएम अंताक्षरी और धुन बदल के तो देखो सीजन 3 और महाकुंभ शामिल हैं, को हमारे लक्षित ग्राहकों ने खूब सराहा और देश भर में लाखों श्रोताओं तक पहुंचा। रेडियो सिटी के साथ साझेदारी में वृक्षारोपण अभियान जैसी विशेष पहल ने सामाजिक उद्देश्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जबकि हमारे उत्पाद-केंद्रित विज्ञापन ने त्यौहारी सीजन के दौरान हमारी पेशकशों को और सुदृढ़ किया। हमारे स्थापना दिवस वृक्षारोपण अभियान ने बैंक को हरित प्रतिज्ञा लेकर वृक्षारोपण के लिए सबसे अधिक संख्या में ई-प्रतिज्ञा के लिए इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में स्थान अर्जित करने में सक्षम बनाया।

प्रिंट में, हमने प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में अपनी सुदृढ़ उपस्थिति बनाए रखी, जिसमें हमारे उत्पादों और सेवाओं को उजागर करने वाले प्रभावशाली अभियान चलाए गए। त्यौहारों के दौरान सचिन तेंदुलकर के साथ अभिनीत “बॉब के संग, त्यौहार की उमंग” जैसे उल्लेखनीय अभियान ने हमारी ब्रांड छवि को और सुदृढ़ किया।

डिजिटल परिवर्तन हमारी मार्केटिंग कार्यनीति का आधार रहा है। हमने डिजिटल स्पेस में महत्वपूर्ण प्रगति की है, हमारी सोशल मीडिया उपस्थिति विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फ़ेसबुक पर 51.19 लाख, इंस्टाग्राम 18.69 लाख, X पर 9.99 लाख, यूट्यूब पर 8.24 लाख, लिंकडइन पर 4.59 लाख, कोरा 0.49 लाख के साथ 9.32 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुँच गई है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बैंक ने खेल, वित्तीय साक्षरता, थोखाधड़ी जागरूकता और साइबर सुरक्षा से जुड़े 30 से अधिक प्रभावशाली अभियान चलाए। उल्लेखनीय पहलों में #Pinkathon, #FinancialLiteracyWeek, #PehchaanCon, #CyberJagrootaDiwas, और #StayWiseActWise शामिल हैं। #BOBatMahakumbh2025, #PlayTheMasterstroke, #SabMeinhainKhiladi, और #bobKeSangTyohaarKiUmang जैसे उच्च-सहभागिता अभियानों ने डिजिटल आउटरीच को बढ़ावा दिया।

सांस्कृतिक, शैक्षिक और खेल आयोजनों के साथ हमारी कार्यनीतिक भागीदारी हमारे ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने में निर्णायक रही है। हमने महाराजा रणजीतसिंह गायकवाड़ बड़ौदा कला महोत्सव जैसे प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रायोजित किया और आईआईएम बैंगलोर के विस्टा, आईआईएम अहमदाबाद के सीएचएओएस, आईआईएम कोझीकोड के वार्षिक सम्मेलन, आईआईटी बॉम्बे के मूड इंडिगो और आईआईएम लखनऊ के सीएमईई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसी शैक्षिक पहलों का समर्थन किया। इन साझेदारियों ने न केवल हमें प्रतिभाशाली छात्र समुदायों से जुड़ने में मदद की, बल्कि हमें कला, संस्कृति और शिक्षा के संरक्षक के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में भी मदद की।

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को हमारे वैश्विक ब्रांड एंबेसडर के रूप में बैंक के साथ जोड़ना हमारे ब्रांड की दृश्यता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। सचिन की मौजूदगी वाला “प्ले द मास्टरस्ट्रोक” अभियान सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी सफलता थी और इसने रिटेल खाता खोलने और ऋण वितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि में योगदान दिया।

हमने खेल के क्षेत्र में भी अपनी प्रभावी उपस्थिति की परंपरा को जारी रखा, जिसमें प्रमुख प्रायोजन के रूप में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग (आईएमएल) का प्रायोजन शामिल था, जिसमें हमारे वैश्विक ब्रांड एंबेसडर सचिन तेंदुलकर शामिल थे। इस साझेदारी ने 200 मिलियन से अधिक दर्शकों के माध्यम से असाधारण ब्रांड दृश्यता और जुड़ाव प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, आरंभिक स्तर की खेल पहलों के साथ हमारे सहयोग ने युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एथलीटों का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

हमारी डिजिटल कार्यनीति के हिस्से के रूप में, हमने वेबसाइट केंद्रीकरण पहल की, जिसमें उपयोगकर्ता अनुभव और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 19 वेबसाइटों को नया रूप देना शामिल था। बेहतर सर्व कार्यक्षमता, बहुभाषी क्षमताओं और उन्नत फ़िल्टर सहित उन्नत सुविधाओं के कारण समग्र वेबसाइट ट्रैफ़िक में 12% सुधार हुआ है। हमने ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक में भी 30% की वृद्धि दर्ज की, वित्त वर्ष 2024-25 में 42 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं ने हमारी वेबसाइट को देखा।

वर्ष के लिए अपनी जनसंपर्क संबंधी कार्यनीति बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ब्रांड को सुदृढ़ करने, दृश्यता को प्रभावी बनाने, भारत के शीर्ष 5 बैंकों में अपनी स्थिति बनाए रखने के साथ-साथ ब्रांड प्रतिष्ठा की रक्षा करने पर केंद्रित थी। बैंक के

वित्तीय प्रदर्शन के अलावा, वर्ष के दौरान कई तरह की घोषणाएँ हुईं, जिनमें सचिन तेंदुलकर को बैंक का वैश्विक ब्रांड एंबेसडर बनाना, बॉब उत्सव डिपॉजिट स्कीम, बॉब एसडीपी और बॉब लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे उत्पादों की शुरुआत, उन्नत जेनआई तकनीकों को अपनाना, फिजिटल और विशेषतः महिला कर्मचारी द्वारा संचालित शाखाओं की शुरुआत के साथ-साथ बड़ौदा किसान पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम और आगंतुकों का समर्थन करने के लिए महाकुंभ मेले में की गई पहल शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025 में, बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच मीडिया शेयर ऑफ वॉयस में द्वितीय स्थान अर्जित करते हुए स्थिति को सुदृढ़ किया।

इसी क्रम में, हम अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने, अपनी पहुंच का विस्तार करने और विभिन्न टचपॉइंट्स पर ग्राहकों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे। सामाजिक जिम्मेदारी, वित्तीय साक्षरता और ग्राहक-केंद्रित पहलों पर हमारा निरंतर जोर हमारे हितधारकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने के हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करेगा।

हम सांस्कृतिक, शैक्षिक और खेल संस्थानों के साथ अपनी साझेदारी को भी सुदृढ़ करना जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा वित्तीय सेवा क्षेत्र में एक विश्वसनीय और प्रगतिशील ब्रांड बना रहे।

बैंक ने सुनियोजित विपणन प्रयासों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा और ब्रांड दृश्यता को बढ़ाया है। बैंक के सुदृढ़ वित्तीय प्रदर्शन, अभिनव डिजिटल पहल, नए ग्राहक-केंद्रित उत्पादों और सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रचारित किया गया और प्रमुख सेगमेंट और लक्षित दर्शकों तक पहुँचाया गया। इस सफल आउटरीच के परिणामस्वरूप बाजार से सकारात्मक प्रतिसाद मिला, बैंक को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिससे विपणन, प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा, वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन दक्षता और नवाचार में हमारी उपलब्धियों को रेखांकित किया। वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक को प्राप्त उल्लेखनीय पुरस्कारों का विवरण भी इस रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

कॉर्पोरेट नैतिकता - "विश्वास के साथ मूल्य सृजन"

भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा हमेशा अपने परिचालन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। ग्राहक-केंद्रित और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएसयू बैंकों के अंतर्गत नैतिक आचरण संहिता की शुरुआत करने वाला अग्रणी बैंक बना। बैंक में एक समर्पित कॉर्पोरेट नैतिक आचरण संहिता विभाग है, जो बैंक के नैतिक मूल्यों का नेतृत्व करता है। "नैतिक आचरण संहिता" को अपनाकर, बैंक ने गतिशील वित्तीय दुनिया में दीर्घकालिक सफलता और संवहनीयता सुनिश्चित करते हुए, नैतिक बैंकिंग प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है। बैंक ने संगठन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए लिंग, जाति, संवर्ग, भौगोलिक स्थिति, कार्य, दिव्यांग व्यक्ति, खेल और पूर्व सैनिकों जैसों के विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ 'शीर्ष स्तरीय नैतिक आचरण समिति' का गठन किया है।

हमारी नैतिक आचरण संहिता हमारे बुनियादी मूल्यों, साझा जिम्मेदारियों, वैश्विक प्रतिबद्धताओं और पांच स्तंभों के प्रति हमारी प्रतिज्ञा को निर्धारित करती है, अर्थात्

- हम बड़ौदियन
- हमारे ग्राहक
- हमारे अन्य बाहरी हितधारक



- हमारा व्यवसाय
- हमारे समुदाय

20 जुलाई 2024 को बैंक के 117वें स्थापना दिवस पर, बैंक ने प्रत्येक कर्मचारी के निहित मूल्य और गरिमा को पहचानने और महत्व देने के लिए एक और बुनियादी मूल्य, "सम्मान" को अपनाया। हमारी नैतिक आचरण संहिता का दस्तावेज़ बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

नैतिक आचरण संहिता को हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को इस संस्कृति के कर्ता-धर्ता और प्रणालियों के संचालक के रूप में केंद्र में रखा गया है। नैतिक आचरण संहिता का हमारे बुनियादी मूल्यों के साथ एक सुदृढ़ जुड़ाव है, यह हमारे सहकर्मियों, हमारे हितधारकों और हमारे साथ काम करने वालों से हमारी अपेक्षाओं के लिए एक मार्गदर्शी रूपरेखा निर्धारित करता है। यह संहिता उन समकालीन चुनौतियों और नैतिक दुविधाओं का समाधान करती है जिनका सामना बैंक और उसके कर्मचारी करते हैं और बैंकिंग परिचालन और साइबर सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उभरती महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करते समय उनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।

बैंकिंग उद्योग ने समय के साथ कई चुनौतियों का सामना किया है, फिर भी नैतिकता और विश्वासनीयता इसकी नींव बने हुए हैं। संहिता हमें सही काम करने का अधिकार देती है और हमारे बैंक के ब्रांड और प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे नेतृत्व ने विभिन्न कर्मचारी जुड़ाव पहलों के माध्यम से संहिता के प्रचार को लगातार आगे बढ़ाया है।

वर्ष भर शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, हमारे नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली कार्यनीतियों में से एक सुदृढ़ संचार चैनल विकसित करना है। इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, **नैतिक आचरण संहिता** के साथ संरेखित **'स्पीक अप!'** पहल की शुरुआत की गई, ताकि बैंक के भीतर विभिन्न चैनलों पर प्रकाश डाला जा सके जो कर्मचारियों को अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट करने और चिंताओं को उठाने के लिए सशक्त बनाते हैं।

पारदर्शिता और सहभागिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बैंक **'बड़ौदा संस्कृति'** भी प्रकाशित करता है, जो एक त्रैमासिक इन-हाउस न्यूज़लेटर है जिसमें कर्मचारियों के रचनात्मक योगदान शामिल हैं। नैतिक आचरण संहिता के अंशों, प्रश्नोत्तरी, हमारी नैतिक आचरण संहिता की द्विभाषी ऑडियोबुक और डिजिटल संचार उपकरणों जैसे कि नैतिक सीरीज नैतिक दुविधाओं को दर्शाने वाली वीडियो कहानियाँ- और टीईडी टॉक प्रारूप पर आधारित **'एथिक्स टॉक'** के नियमित प्रसार के माध्यम से नैतिक जागरूकता को और बढ़ावा दिया जाता है जो बैंक के कॉर्पोरेट दृष्टिकोण और नैतिकता की कार्यनीति की भूमिका को रेखांकित करता है।

वर्ष के दौरान उच्च जोखिम वाली शाखाओं के लिए कॉर्पोरेट नैतिकता पर एक केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। नैतिक दुविधाओं का सामना करने वाले कर्मचारियों को निरंतर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों में नैतिकता परामर्शदाता तैनात किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे बैंक में नैतिकतापूर्ण व्यावसायिक आचरण कायम रहे।

हमारे मूल्यों को व्यवहार में लाने के लिए, बैंक ने 'लिविंग द वैल्यूज़! - वॉल्यूम 1' ई-बुकलेट पेश की है, जो 'लिविंग द वैल्यूज़' श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें कर्मचारियों की प्रेरक लघु कहानियाँ शामिल हैं जो हमारे बुनियादी मूल्यों: ईमानदारी, ग्राहक केंद्रीयता, साहस, उत्साहपूर्ण स्वामित्व, नवाचार, उत्कृष्टता

और सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नैतिक आचरण संहिता के सिद्धांत संगठन के हर स्तर तक पहुँचें, बैंक सभी कर्मचारियों के लिए वेबिनार, सेमिनार, विशेष प्रशिक्षण सत्र और अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल आयोजित करता है। ये प्रयास हमारी नैतिकता की संस्कृति को सुदृढ़ करते हैं और पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।

इन पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, बैंक सभी कर्मचारियों के लिए एक गोपनीय वार्षिक नैतिकता सर्वेक्षण आयोजित करता है। इससे हमें नैतिक व्यवहार का आकलन करने, सांस्कृतिक प्रगति की निगरानी करने और अपने नैतिक फ्रेमवर्क में निरंतर सुधार करने का मौका मिलता है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, "जो मापा जाता है, उसमें सुधार होता है।"

बैंक ऑफ़ बड़ौदा महज एक वित्तीय संस्थान नहीं है; यह ऐसी संस्था है जो सफलता को परिभाषित करने वाले मूल्यों से प्रेरित है, इसकी पारदर्शिता विश्वास को बढ़ाती है तथा इसकी ईमानदारी एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देती है।

ग्राहक सेवा

बैंक लगातार उद्योग बेंचमार्क निर्धारित करने और उत्पाद, प्रक्रिया तथा सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी नवोन्मेषी प्रयासों में अग्रणी रहता है जो अपने ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। ग्राहक **आईवीआर/एजेंट के माध्यम से 20 भाषाओं** में, बॉट में 11 भाषाओं में और वीडियो कॉल, वेब चैट, ईमेल जैसे अन्य तरीकों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे ग्राहक अनुभव और उपयोग में आसानी बढ़ जाती है। बैंक ने दक्षता के साथ ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के लिए समय-समय पर एआई और जनरेटिव एआई आधारित सुविधाओं को शामिल करना सुनिश्चित किया है।

संपर्क केंद्र के कार्य-निष्पादन के मुख्य बिंदू

1. संपर्क केंद्र में वर्ष के दौरान प्रति दिन 1.48 लाख से अधिक औसत इनबाउंड ग्राहक कॉल प्राप्त हुए और आईवीआर के माध्यम से प्रतिदिन 1.19 लाख से अधिक कॉल का जवाब दिया गया।
2. बिक्री और सर्वेक्षण के लिए प्रति दिन औसतन 1.89 लाख से अधिक आउटबाउंड कॉल।
3. बैंक आईवीआर पर लगभग 80% कॉल का जवाब दे रहा है।
4. संपर्क केंद्र ने 6 विदेशी क्षेत्रों अर्थात् बोत्सवाना, मॉरीशस, युगांडा, ओमान, फिजी और सेशेल्स को आपातकालीन सेवाएं प्रदान कीं।
5. संपर्क केंद्र ने कई नई कार्यक्षमताएं शुरू की हैं जैसे- फिजिटल शाखाओं और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से वीडियो कॉल कार्यक्षमता, किसी भी दिन लेनदेन, प्रेषण जानकारी, आईवीआर पर एनआरआई भाषा चयन, आईवीआर पर जीबीएम कार्यक्षमता, जीरो टच एनपीएस सर्वेक्षण।
6. एनआरआई/एचएनआई, बीसी शिकायत डेस्क, वीआरएम शाइन डेस्क, स्टाफ हेल्प डेस्क, एनआरआई ग्लोबल ई-मेल डेस्क, बॉब वर्ल्ड इंटरनेट और बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग से संबंधित मुद्दे, शिकायतें, पीएमजेडीवाई आदि से संबंधित मदद के लिए संपर्क केंद्र में कई विशेष हेल्पडेस्क हैं।
7. संपर्क केंद्र, एजेंटों के माध्यम से 24*7 आधार पर 24 आईवीआर सेवाएं और 26 अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है।
8. संपर्क केंद्र ने ग्राहकों के लिए लाइव वीडियो कॉल एवं लाइव वेब चैट सुविधा आरंभ की है।

9. संपर्क केंद्र में एआई-आधारित कई तकनीक जैसे स्पीच एनालिटिक्स, सोशल मीडिया टूल्स, स्वचालित ई-मेल टूल, जीनी प्रशिक्षण टूल, ऑन कॉल कालिटी टूल, कार्य बल प्रबंधन, स्मार्ट डैशबोर्ड और कई अन्य तकनीक उपलब्ध हैं।
10. हमारा संपर्क केंद्र 07.09.2024 एवं 14.03.2025 से क्रमशः 140 और 1600 श्रृंखला नंबरों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हुए आरबीआई और ट्राई के निर्देशों का अनुपालन करता है।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बैंक ने शिकायतों को प्रबंधित करने के लिए दूरस्थ चैनलों के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लगभग 95.3% शिकायतों का निपटान पूर्व-निर्धारित टर्न अराउंड टाइम के भीतर किया गया। बैंक ने न केवल शिकायत निवारण के मात्रात्मक कार्यनिष्पादन संकेतकों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निवारण की गुणवत्ता में भी सुधार किया है। शाखाओं के नेटवर्क में सेवा स्तर की निगरानी मिस्ट्री शॉपिंग/ सेवा लेखापरीक्षा और कार्यशालाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के लिए महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं को प्रधान नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, सभी उप अंचल प्रमुखों और क्षेत्रीय प्रमुखों को उनके संबंधित अंचलों एवं क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम और उनके संपर्क नंबर बैंक की सभी शाखाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं। बैंक ने ग्राहकों को उनकी शिकायतों के निस्तारण हेतु एक आंतरिक लोकपाल फोरम उपलब्ध कराया है, जहां वे भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल से पहले संपर्क कर सकते हैं। ऐसी सभी शिकायतें जो बैंक द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, उन्हें समीक्षा के लिए आंतरिक लोकपाल के पास व्यवस्थित रूप से भेज दिया जाता है। इससे बैंक के सिस्टम के प्रति ग्राहकों के विश्वास और सुटढ़ होता है तथा शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी आती है जिससे यह और भी अधिक पारदर्शी बन जाती है।

विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और नीतियों में पारदर्शिता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष बैंकिंग प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राहकों और एमएसएमई के लिए बैंक की प्रतिबद्धता संहिता, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण नीति और भारतीय रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना को बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। निदेशक मंडल स्तर पर, ग्राहक सेवा बोर्ड की उप समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियों के निर्माण और इसके अनुपालन के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देती है।

बैंक के चैटबॉट "आदि" और वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर "अदिति" को बैंकिंग क्षेत्र में पहली बार AI सक्षम ग्राहक सेवा वृद्धि का उपयोग करके आरंभ किया गया है जो हमारी वेबसाइट पर कार्यात्मक है। **आदि**, एक टेक्स्ट और वॉयस-आधारित चैट इंटरफ़ेस है जो जेनरेटिव एआई मॉडल की क्षमताओं का उपयोग करता है। **आदि** को लगभग वास्तविक दुनिया के इंटरैक्शन अनुभव प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है, जो ग्राहक जुड़ाव और संतुष्टि को काफी बढ़ाता है। 'अदिति' एक अभिनव डिजिटल महिला है, जिसे परिष्कृत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) एल्गोरिदम का उपयोग करके ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'अदिति' को एक कम्प्यूटरीकृत 3डी ग्राफ़िकल चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक जीवंत और आकर्षक ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए उन्नत जेनरेटिव एआई मॉडल की शक्ति का लाभ उठाता है।

बैंक ने शाखा क्यूआर कोड के माध्यम से ग्राहकों और गैर-ग्राहकों दोनों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए 10.12.2024 को एक नया चैनल आरंभ किया है। यह क्यूआर कोड उपयोगकर्ताओं को उनके अनुभव के पाँच पहलुओं शाखा का परिवेश, लेन-देन में आसानी, कर्मचारियों का व्यवहार और एटीएम का परिवेश पर वास्तविक समय के आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करने की सुविधा देता है।

क्यूआर कोड को स्कैन करके, उपयोगकर्ता प्रत्येक विशेषता को रेट करने और अपनी टिप्पणियाँ साझा करने के लिए एक फीडबैक फॉर्म तक तत्काल पहुँच सकता है। यह फीडबैक हमें अपनी सेवाओं को लगातार बेहतर बनाने और ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि करने मदद करता है।

ग्राहक शिकायत पर कार्यवाई

ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर जाकर और उपयुक्त लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से सीधे बैंक में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, ग्राहक टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और बैंक के सीआरएम पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ग्राहकों के लिए शाखाओं और अन्य कार्यालयों में किसी भी माध्यम से अपनी शिकायतें भेजने का विकल्प भी उपलब्ध है। सभी शिकायतें सीआरएम पोर्टल में दर्ज की जाती हैं। शिकायतें, शिकायत दर्ज करते समय चुनी गई शिकायत की श्रेणी के आधार पर स्वचालित रूप से संबंधित निस्तारणकर्ता को भेज दी जाती हैं।

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहकों में उनकी शिकायतों के निस्तारण के संबंध में विश्वास जगाने के लिए बैंक में एक आंतरिक लोकपाल तंत्र भी उपलब्ध है।

ऑनलाइन लेन-देन संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बैंक ने एक ऑनलाइन विवाद निवारण (ओडीआर) तंत्र भी लागू किया है। साथ ही, संपर्क केंद्र में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआर) के माध्यम से बड़ौदा कनेक्ट सुविधा की ब्लॉकिंग प्रदान की जाती है।

ग्राहकों को दिए जा रहे समाधान की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, बैंक ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से बैंक द्वारा विकसित एआई टूल के माध्यम से 100% गैर-एडीसी और एडीसी शिकायतों की गुणवत्ता जांच की है, जिससे निवारण की गुणवत्ता का आकलन होता है तथा समय और मानवशक्ति की बचत होती है। गुणवत्ता जांच के परिणाम को विश्लेषण और समाधान में सुधार के लिए संबंधित रिज़ॉल्वर ग्रुप के साथ साझा किया जाता है।

शाखा नेटवर्क

बैंक ने सभी शाखा श्रेणियों में देश के प्रमुख स्थानों पर 188 शाखाएँ (मौजूदा शाखाओं के साथ 07 शाखाएँ विलय) जोड़कर अपनी कुल घरेलू शाखा संख्या को वित्त वर्ष 2024 में 8243 शाखाओं से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025 में 8424 कर दिया है। 31 मार्च 2025 तक बैंक के घरेलू और विदेशी नेटवर्क का विवरण नीचे दिया गया है।

घरेलू शाखाएं	वित्त वर्ष 2024		वित्त वर्ष 2025	
	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा
मेट्रो	1,789	21.70	1,815	21.55
शहरी	1,488	18.05	1,502	17.83
अर्द्ध-शहरी	2,094	25.41	2,179	25.87
ग्रामीण	2,872	34.84	2,928	34.76
कुल घरेलू शाखाएँ	8,243	100.00	8,424	100.00
विदेशी शाखाएं / कार्यालय (विदेशी अनुषंगियों की शाखाओं सहित)	91		84	



करेंसी चेस्ट

31 मार्च 2025 तक करेंसी चेस्ट की संख्या 137 थी। ये चेस्ट बैंक में प्रभावी नकदी प्रबंधन के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नकदी को सुरक्षित रखने में भी मदद करते हैं। सभी करेंसी चेस्ट के साथ-साथ नकद लेनदेन करने वाली शाखाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार नोट सॉर्टिंग मशीन एनएसएम) प्रदान की जाती है।

जोखिम गवर्नेंस एवं आंतरिक नियंत्रण

एक सुदृढ़ आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखापरीक्षा कार्य बैंक द्वारा विनियामक अनुपालन सहित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर प्रबंधन को उच्च गुणवत्ता वाली सलाह प्रदान करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) प्रणाली लागू की है। जोखिम पर अधिक ध्यान केंद्रित और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का समर्थन के तहत जोखिम की पहचान करने, इसकी निगरानी करने एवं जोखिम से निपटने और उसका प्रबंध करने हेतु बैंक के स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्धारण करना शामिल है।

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन को बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता के बारे में महत्वपूर्ण आश्वासन प्रदान करता है। ऐसा करने में, यह कार्य बैंक को होने वाले नुकसान और प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान के जोखिम को रोकने/कम करने में मदद करता है। इसलिए, यह बैंक के सुरक्षित और सुदृढ़ संचालन के लिए एक अपरिहार्य और अभिन्न कार्य है।

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य बचाव मॉडल के 3 स्तरों में अंतिम स्तर की भूमिका निभाता है।

- बचाव का प्रथम स्तर स्वयं परिचालन/व्यवसाय इकाइयां हैं, जिनके पास स्रोत पर जोखिम को रोकने की जिम्मेदारी है।
- बचाव का दूसरा स्तर बैंक का अनुपालन और जोखिम प्रबंधन कार्य से संबंधित है।
- लेखापरीक्षा, बचाव का तीसरा स्तर है, जो बैंक को जोखिमों से बचाने और लेखापरीक्षित इकाइयों और स्वयं बैंक के जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के मामले में बैंक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का एक अविभाज्य अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और प्रतिलाभ के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करना है। संवहनीय एवं निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है ताकि बैंक द्वारा धारित जोखिमों का सही मूल्यांकन और निगरानी की जा सके। बैंक निर्धारित जोखिम क्षमता सीमा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अंदर ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करता है। विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है। निदेशक मंडल ने विभिन्न प्रकार के जोखिमों की निगरानी के लिए निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का भी गठन किया है। इसे निदेशक मंडल की विशेषज्ञ जोखिम सलाहकार का सहायता मिलता है। निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल की समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित नीति प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए गवर्निंग फ्रेमवर्क तैयार करती है।

बासेल III फ्रेमवर्क

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढांचा तीन बेसल स्तंभों, यानी स्तंभ I- न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता, स्तंभ II- पर्यवेक्षी समीक्षा और स्तंभ III- बाजार अनुशासन पर मजबूती से टिका हुआ है। बैंक सुदृढ़ पूंजी स्तर बने रहने से मजबूत हुआ है। बैंक ने अपेक्षित पूंजी संरक्षण बफर सहित सामान्य इक्विटी टियर I, अतिरिक्त टियर I और टियर II पूंजी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखा है। प्युचरिस्टिक कैपिटल प्रोजेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए हमेशा तैयार है। ऋण जोखिम और पूंजी पर्याप्तता टीम द्वारा जोखिम भारित आस्तियों की सुदृढ़ पूंजी स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जाती है। पर्याप्त पूंजी और औचित्यपूर्ण जोखिम भारित आस्तियां बैंक के लिए जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु मजबूत पूंजी सुनिश्चित करती हैं।

बैंक के पास व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है। पूंजी पर्याप्तता का आकलन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर 2 जोखिमों जैसे चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेद्रण जोखिम आदि और दबाव वाली स्थितियों (सामान्य और प्रतिकूल दोनों स्थितियों के तहत) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बैंक के भीतर मुख्य जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए प्रणाली की एक संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

बैंक के व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के लिए सशक्त जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने, सभी जोखिमों की जल्द पहचान, मूल्यांकन, मापन, एकत्रीकरण और प्रबंधन में मदद करने और पूंजी आबंटन की सुविधा के लिए एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

बैंक ने अपने संगठन में एक मजबूत जोखिम संस्कृति स्थापित की है, जहां यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बचाव के सभी तीनों स्तर जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में पूर्णतः सक्षम हैं। जोखिम संस्कृति को बनाए रखने में विभिन्न हितधारकों के मध्य जोखिम संस्कृति से संबंधित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। निरंतर प्रशिक्षण प्रयासों के माध्यम से, बैंक के कर्मचारी सभी स्तरों पर बैंक की जोखिम वहनीय सीमाओं के अनुरूप कार्य करने और उनका पालन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल रखते हैं। यह दूरगामी दृष्टिकोण न केवल जोखिम संबंधी जागरूकता को बढ़ाता है बल्कि समग्र रूप से जोखिम संस्कृति को भी मजबूत करते हुए एक सतर्क और जानकार कार्यबल को प्रोत्साहन देता है।

अपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को गति प्रदान करने की अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में, बैंक ने उभरते जोखिमों की पहचान करने और उनके वास्तविक स्वरूप का आकलन करने के लिए एक समर्पित फ्रेमवर्क की स्थापना की है। यह फ्रेमवर्क विशेष रूप से उन सभी जोखिमों की व्यापक पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बैंक से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, यह उन प्रमुख जोखिमों को इंगित करते हुए उनके वास्तविक प्रभावों का आकलन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है जो संभावित रूप से बैंक के उद्देश्यों और कार्यनीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता परिवर्तनशील है और यह व्यवसाय प्रोफाइल, रणनीति, आर्थिक वातावरण और शेयरधारकों की अपेक्षाओं के साथ विकसित होगी। जोखिम वहन करने की क्षमता का ढांचा व्यवसाय और वित्तीय नियोजन के लिए जोखिम वहन करने की क्षमता के साथ एकसूत्रित होता है और बैंक की बदलती जोखिम प्रोफाइल के साथ जोखिम वहन करने की क्षमता की सीमाओं को संशोधित करने और/या विकसित करने की आवश्यकता होती है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप नीतियां, प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग पद्धति को निर्धारित करते हैं। बैंक के पास क्रेडिट एक्सपोजर में जोखिम की पहचान, आकलन और नियंत्रण हेतु मजबूत ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क है।

बैंक उधारकर्ता-वार ऋण जोखिम के मूल्यांकन के लिए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडलों एवं स्कोरकार्डों का उपयोग करता है। उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के लिए विभिन्न क्रेडिट जोखिम मॉडल आंतरिक/बाह्य रूप से विकसित किए गए हैं। उनकी समीक्षा व्यापक आंतरिक/बाह्य सत्यापन के माध्यम से समय-समय पर की जाती है और उनका पुनः परीक्षण किया जाता है। आंतरिक रेटिंग को स्वतंत्र रेटिंग मानक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

संवहनीय पोर्टफोलियो का निर्माण और पोर्टफोलियो संकेन्द्रण से जोखिम को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन करने हेतु उद्योगों, क्षेत्रों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेक सम्मत उच्चतम ऋण सीमाएं तय कर रखी हैं। बैंक ने विभिन्न देशों, राज्य सरकारों, समूह उधारकर्ताओं आदि के जोखिम मूल्यांकन के लिए इन-हाउस मॉडल विकसित किए हैं और जोखिम की सीमा तय की है। बेहतर जोखिम निगरानी के एक भाग के रूप में बैंक के प्रमुख एक्सपोजर, सेगमेंट, उद्योगों और सेक्टरों के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। एक समर्पित टीम पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर प्रभाव का आकलन करने के लिए आंतरिक और बाहरी कारकों को ट्रैक करती है और अपेक्षित कार्रवाइयों की सिफारिश करती है। बैंक व्यापक विषयगत समीक्षा भी करता है जिसमें सेक्टर आउटलुक और अन्य घटना-विशेष प्रभाव का अध्ययन शामिल होता है। बैंक ने सीआरएआर और एक्सपोजर गणना के ऑटोमेशन की पहल की है।

बेहतर ऋण संस्कृति और एक सुव्यवस्थित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की स्थापना के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम का अर्थ बाजार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण अर्जन या आर्थिक मूल्य के नुकसान का जोखिम है। विभिन्न बाजार उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव के मुख्य कारकों में ब्याज आदि की दरें, विनिमय दरें, आर्थिक विकास तथा कारोबार विश्वास में परिवर्तन शामिल हैं। बैंक ने अपने ट्रेजरी-कार्यों को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं जिसके तहत बाजार जोखिम स्थितियों की देखभाल की जाती है।

जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में मिड ऑफिस दैनिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर के जोखिम का आकलन करता है और निगरानी करता है। दैनिक आधार पर नेट ओवरनाईट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल), वीएआर सीमा, इंडिविजुअल गैप लिमिट (आईजीएल), एग्रीगेट गैप लिमिट्स (एजीएल) तथा टोटल एग्रीगेट गैप लिमिट (टीएजीएल) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा जोखिम का आकलन किया जाता है और निगरानी की जाती है। इक्विटी मूल्य जोखिम का वीएआर सीमाओं और पोर्टफोलियो आकार सीमाओं के माध्यम से आकलन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है। लेनदेन स्तर पर स्टॉप लॉस सीमा और डीलर-वार सीमा निर्धारित और कार्यान्वित की गई है। मिड ऑफिस दैनिक आधार वीएआर नंबरों की बैंक टेस्टिंग भी करता है। अपने दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के तहत, बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी व्यापारिक

बही-पोर्टफोलियो और ट्रेजरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के रिस्क रिटर्न का व्यापक दबाव विश्लेषण करता है। बैंक के लिए बाजार जोखिम पूंजी प्रभाव की गणना मिड ऑफिस द्वारा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन

चलनिधि जोखिम, उचित लागत पर अपेक्षित और अनपेक्षित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने संबंधी एक असमर्थता है। बैंक में प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विवेकपूर्ण माध्यमों से चलनिधि जोखिम निर्धारण किया जाता है एवं इसकी निगरानी की जाती है। बैंक ने चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क, तरलता कवरेज अनुपात, चलनिधि जोखिम मॉनीटरिंग टूल्स और एलसीआर घोषणा मानकों को कार्यान्वित कर दिया है। एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके, जो महत्वपूर्ण गंभीर चलनिधि दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा कर सके। बैंक में एकल के साथ-साथ समेकित आधार पर भी एलसीआर की स्थिति हमेशा निर्धारित स्तर से ऊपर रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (निवल स्थिर निधियां अनुपात) भी लागू किया है जो लंबी अवधि में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है जिससे बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता होती है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। बैंक का एनएसएफआर 100% के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील आस्तियों और देनदारियों के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जो बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय/आर्थिक मूल्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम के आकलन और निगरानी के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन माध्यमों का उपयोग करता है जैसे कि पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की परिवर्तित अवधि। निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दर संचलन का अल्पकालिक प्रभाव 'जोखिम पर आय' दृष्टिकोण के माध्यम से निर्धारित होता है, जिसमें आय वक्र जोखिम, बेसिस जोखिम और निहित ऑप्शन्स जोखिम में समानांतर रूप से परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। ब्याज दर संचलन के दीर्घकालीन प्रभाव को इक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) में परिवर्तन के माध्यम से आकलन किया जाता है एवं उसकी निगरानी की जाती है।

परिचालन जोखिम

संगठन में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) है। ओआरएमएफ में परिचालन जोखिम, शासकीय संरचना, नीतियां, प्रक्रिया और प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना शामिल है। ओआरएमएस में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी, नियंत्रण और इसे कम करने संबंधी प्रणालियां शामिल हैं। बैंक के पास डाटा कैप्चर करने एवं परिचालनगत जोखिम के एकीकृत प्रबंधन के लिए वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम है। बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के हमारे प्रयासों के तहत परिचालनगत जोखिम अनुपालन एवं गवर्नेंस को लागू करने के लिए हमारे बैंक वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम को प्राप्त किया है। मुख्य जोखिम संकेतक प्रोग्राम (केआरआई), रिस्क कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम (आरसीएसए) की निगरानी और मूल कारण विश्लेषण ने नियंत्रण वातावरण को और मजबूत



किया है। बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में आंतरिक क्षति डेटा का भंडार बनाया है। बदलते व्यवसायी माहौल में उत्पादों और प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा जोखिम संस्कृति को और मजबूत बनाती है। कर्मचारियों के बीच जोखिम संस्कृति, मूल्यों, विश्वासों, ज्ञान, दृष्टिकोण और जोखिम के बारे में समझ को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए ईमेल, वर्कशॉप, वेबिनार, मीटिंग, फ़्लायर, मैगज़ीन, ई-लर्निंग मॉड्यूल आदि के माध्यम से कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा, बॉटम-अप दृष्टिकोण के माध्यम से जोखिम जागरूकता संस्कृति को और मजबूत करने के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों से युक्त जोखिम परिषद का गठन किया गया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के समुचित उपयोग के माध्यम से, धोखाधड़ी की प्रचलित घटनाओं के बारे में ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के लिए पहलें की गई हैं। साथ ही, ऐसी धोखाधड़ी वाली संदेहास्पद गतिविधियों की रोकथाम के लिए कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

व्यवसाय निरंतरता कार्यक्रम

व्यवधानों के दौरान शाखाओं और कार्यालयों में परिचालन की निरंतरता और ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बैंक के पास एक विस्तृत और प्रभावी व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीएम) है। ये फ्रेमवर्क भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। बैंक व्यवसाय निरंतरता तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य करता है। व्यवसाय निरंतरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के माध्यम से, बैंक ग्राहकों को यह आश्वासन प्रदान करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विश्वस्त और सुरक्षित सेवाएं मिलती रहेंगी। जोखिमों की पहचान के आधार पर, व्यवसाय प्रभाव विश्लेषण (बीआईए) किया जाता है तथा सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए एनेबलर आधारित मैपिंग की जाती है, जिससे बैंक को संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक आबंटन करने, सुदृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने तथा गैर-महत्वपूर्ण व्यय में कटौती करने में सहायता मिलती है। बैंक के पास आईएसओ 27001:2022 प्रमाणित डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट है। डेटा सेंटर में किसी भी प्रकार की बाधा की स्थिति में बैंक की डिजास्टर रिकवरी साइट सीबीएस और बैंक के अन्य कार्यों को संभालने में सक्षम है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन, डिजिटल समूह और ट्रेजरी विभाग हेतु ISO 22301:2019 प्रमाणन प्राप्त किया है।

संवहनीयता, ईएसजी और जलवायु जोखिम

एक सदी से अधिक की विरासत के साथ बैंक ऑफ़ बड़ौदा मजबूत ईएसजी प्रथाओं के माध्यम से संवहनीय और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अपने परिचालन में जलवायु जोखिम संबंधी विचारों को शामिल करके, बैंक का लक्ष्य सामुदायिक सुदृढ़ता बढ़ाना, दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना और कम कार्बन वाले भविष्य का समर्थन करना है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने संवहनीयता और हरित वित्त की दिशा में साहसिक कदम उठाते हुए अपनी यात्रा को अधिक गति प्रदान की है, जो हरित, अधिक जिम्मेदार भविष्य के निर्माण के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हमारे जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) के अंदर एक समर्पित जलवायु जोखिम प्रकोष्ठ की स्थापना एक प्रमुख पहल थी, जिसे बैंक के हरित वित्त और संवहनीयता प्रयासों की देखरेख करने का कार्य सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ संवहनीयता, ईएसजी और नैतिकता विभाग के एकीकरण का उद्देश्य एक व्यापक ढांचा तैयार करना है जो पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस जोखिमों के व्यापक प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। ये पहलें जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने और हमारे परिचालन और जिन समुदायों को हम सेवाएं प्रदान करते हैं, उन पर इसके प्रभाव को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) नीति हमारे निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने, जोखिमों का प्रबंधन करने, निवेश आकर्षित करने और जवाबदेही में सुधार करने में हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रमुख उद्देश्यों में स्थायित्वपूर्ण बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना, निर्णय लेने में ईएसजी सिद्धांतों को एकीकृत करना, अंतर्राष्ट्रीय संवहनीयता ढांचे के साथ संरेखित करना और ईएसजी जोखिमों को कम करना शामिल है। प्रमुख पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) मानदंडों में हमारे मजबूत लक्ष्य और मेट्रिक्स में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, कार्बन उत्सर्जन में कमी और सभी स्तरों पर शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल हैं। राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप, हमने 2057 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो हमारे बैंक की स्थापना के 150वें वर्ष के साथ मेल खाता है। हमारी हरित वित्त पहलों को और मजबूत करने के लिए इन क्षेत्रों के प्रस्तावों का गंभीरतापूर्वक मूल्यांकन सुनिश्चित करते हुए, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के हरित वित्तपोषण फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं के लिए प्रभावी मूल्यांकन कर रहा है।

यह नीति ईएसजी केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देने और कार्यनिष्पादन की निगरानी पर भी केंद्रित है। यह नीति एक मजबूत शासन ढांचे द्वारा समर्थित है, जिसमें शीर्ष स्तर पर बोर्ड-स्तर और कार्यकारी स्तर की सीएसआर और संवहनीयता समितियां और फील्ड स्तरीय अंचल ईएसजी समितियां शामिल हैं।

बैंक अपनी हरित पहलों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानता है, जो एक संवहनीय भविष्य में सक्रिय रूप से योगदान देता है। इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, बैंक ने "बॉब अर्थ" की संकल्पना में विभिन्न पहलें शुरू की हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा और संरक्षण के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करती हैं।

हमने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन फाइनेंसिंग योजना शुरू की, जो एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य कैपेक्स उपभोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली परियोजनाओं का समर्थन करना है। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, बैंक ने संवहनीय अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों, संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों और किसानों के लिए सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए फायनांस करना।

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने महिला उद्यमियों को निर्बाध संस्थागत ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से "बड़ौदा महिला स्वावलंबन योजना" शुरू की। इसके अलावा, बैंक अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित संवहनीयता से जुड़ी पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। हम अभिनव, संवहनीयता-केंद्रित वित्तीय उत्पादों को विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति समर्पित हैं।

हमने पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार बैंकिंग समाधानों को बढ़ावा देने में अपने नेतृत्व को और मजबूत करते हुए ग्रीन डिपॉजिट स्कीम पर भी काफी जोर दिया है। ग्रीन टर्म डिपॉजिट, जमाकर्ताओं को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं और गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो संवहनीय विकास में योगदान करते हैं।

हमारा बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (पीसीएएफ) के लिए साझेदारी का एक हस्ताक्षरकर्ता बनकर ऋण और निवेश से जुड़े ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को मापने और प्रकट करने की पद्धति को मानकीकृत करने के वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया।

बैंक ने उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण और पानी की खपत को कम करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। एक प्रमुख फोकस क्षेत्र कार्बन

उत्सर्जन में कमी रहा है। वर्तमान में, लगभग 274 शाखाएँ सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत कम हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आई है।

इसके अतिरिक्त, सभी घरेलू शाखाओं में एलईडी लाइट्स के उपयोग ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में योगदान दिया है। बैंक हितधारकों के बीच संवहनीयता जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है और उसने **"स्वच्छता अभियान"** जैसी पहल का आयोजन किया है जिसमें टिकाऊ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 23,000 पौधे लगाए गए।

बैंक अपने प्लेटफॉर्म **"बॉबवर्ल्ड"** के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम बैंकिंग पर जोर देता है, जो लेनदेन के लिए कागज के उपयोग और शाखाओं में भौतिक दौरे की आवश्यकता को कम करते हुए हमारे ग्राहकों के लिए निर्बाध और सुविधाजनक बैंकिंग संचालन को सक्षम बनाता है। बैंक ने आंतरिक रूप से एक कागज रहित अनुमोदन प्रक्रिया लागू की है और दस्तावेज़ प्रबंधन को डिजिटलीकृत किया है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सहयोग मिला है।

हमारे संवहनीयता प्रयासों को **एक्यूइट ग्रुप कंपनी, ईएसजी रिस्क एनालिसिस एंड इनसाइट्स** द्वारा मान्यता दी गई है, जिन्होंने हमारी ईएसजी रेटिंग को पर्याप्त से सुदृढ़ में परिवर्तित किया है, जो हमारे प्रयासों की सही दिशा को प्रदर्शित करता है।

बैंक अपने मूल में संवहनीयता के साथ एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने के लिए प्रतिबद्ध है और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में कार्य करना जारी रखेगा। इस प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए, बैंक ने **"बॉब अर्थ वेबस्पेस"** (<https://www.bankofbaroda.in/bob-earth>) का अनावरण किया है, जो एक गतिशील और पारदर्शी सार्वजनिक मंच है जो हमारी स्थिरता महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने, चल रही ईएसजी प्रगति को उजागर करने, हमारे हरित उत्पाद की पेशकश को प्रदर्शित करने और रियल टाइम डेटा और प्रभावशाली कहानियों को साझा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है- जो जवाबदेही, नवाचार और एक हरित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

अनुपालन

अनुपालन कार्यकलाप बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक है। बैंक में अनुपालन कार्य पर्याप्त रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र है। बैंक का निदेशक मंडल बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन की निगरानी करता है। बैंक ने एक मजबूत अनुपालन प्रणाली स्थापित की है जिसमें बैंक के अनुपालन दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाली एक सुपरिभाषित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति शामिल है। शीर्ष स्तर का मत संगठन के मार्गदर्शक मूल्यों और नैतिक परिवेश को निर्धारित करता है। कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता और अन्य सदस्यों, जिसमें व्यवसायिक क्षेत्रों और सहायक कार्यों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होते हैं, की एक "उच्च स्तरीय अनुपालन समिति" अनुपालन संबंधी सभी मुद्दों पर निगरानी रखती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में मुख्य समूह अनुपालन अधिकारी (सिजीसीओ) के रूप में नामित मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन प्रभाग स्थापित किया गया है।

अनुपालन प्रभाग विभिन्न कानूनों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम आदि में निहित सभी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है और साथ ही

समय-समय पर जारी किए गए अन्य नियामक दिशानिर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करता है। बैंक उन विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों के नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है जहां विदेशी केंद्रों पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं हैं। यह आईबीए (इंडिया बैंक्स एसोसिएशन), एफआईडीआईआई (फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया), एफआईएमएमडीए (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय कानूनों और आवश्यकताओं द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करता है।

बैंक में अनुपालन को और मजबूत करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र, अंचल और विदेशी क्षेत्र में समर्पित अनुपालन अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही, अनुपालन कार्य के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय के प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी निर्धारित किया गया है। इन अनुपालन अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी कॉर्पोरेट कार्यालय से की जाती है। इसी तरह का अनुपालन ढांचा बैंक की घरेलू और विदेशी सहायक कंपनियों में प्रचलित है, जिनके पास समर्पित अनुपालन अधिकारी और टीम हैं। बैंक अनुपालन के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाकर बैंक में अनुपालन संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बैंक में अनुपालन संस्कृति के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए साप्ताहिक अंतराल पर "अनुवृत्ति" शीर्षक से साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन

बैंक के पास एक सुव्यवस्थित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति है। इस नीति के आधार पर, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक के केवायसी मानदंडों, एएमएल मानकों एवं सीएफटी उपायों तथा बैंक के दायित्वों को कार्यान्वित किया जाता है। बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप से नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर), जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), गैर लाभकारी संगठनों की लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर (ईएफटी) रिपोर्ट को एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली के पोर्टल पर प्रत्येक माह निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करता है।

बैंक ने केन्द्रीय लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) की स्थापना की है और ग्राहकों के खातों में संदिग्ध लेन-देन पैटर्न की निगरानी और पहचान तथा सिस्टम में पूर्व निर्धारित अलर्ट मानदंडों के आधार पर सिस्टम आधारित लेन-देन अलर्ट जनरेट करने के लिए एक एएमएल सॉल्यूशन स्थापित किया है। ग्राहकों के खातों का अर्धवार्षिक आधार पर सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (धन शोधन निवारण जोखिम वर्गीकरण) किया जाता है। केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए, बैंक ने स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है जो केवाईसी हेतु लंबित ग्राहकों को चिन्हित कर उन्हें एसएमएस/मेल/भौतिक नोटिस भेजकर केवाईसी पूर्ण करने के लिए सूचित करती है। बैंक व्यक्तिगत ग्राहकों को डिजिटल/नॉन फेस टू फेस चैनल भी उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी बैंक शाखा में आए बिना अपना रि-केवाईसी पूर्ण कर सकें।

बैंक ने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री पर नए ऑन-बोर्ड वैयक्तिक ग्राहकों की केवायसी जानकारी के पंजीकरण के लिए सेंट्रल केवायसी (सीकेवायसी) प्रक्रिया को क्रियान्वित किया है। 31 मार्च, 2025 तक 827.03 लाख ग्राहकों को सीकेवायसी नंबर आबंटित किया गया।

बैंक ने नए कर निवासी भारतीय वैयक्तिक ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग और उनके केवाईसी (रि-केवाईसी) के आवधिक अद्यतनीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू किया है।



आंतरिक लेखा परीक्षा

मुख्य महाप्रबंधक के नेतृत्व में बैंक का केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग (सीआईएडी) आंतरिक लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा एवं प्रबंधन लेखा परीक्षा कार्यों की देख रेख करता है। बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक स्वतंत्र गतिविधि है और बैंक के भीतर यह पर्याप्त रूप से सक्षम होने के साथ-साथ इसे और प्राधिकार प्राप्त है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में काम करता है। बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य अन्य एश्योरेस फंक्शन अर्थात् जोखिम प्रबंधन विभाग और अनुपालन विभाग के साथ निकट समन्वय में काम करता है।

केंद्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति द्वारा लिए गए निर्णय की आवश्यकता के अनुसार -25- अंचल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभागों के माध्यम से शाखाओं/ कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य करता है। सभी शाखाएं, केंद्रीकृत इकाइयां, प्रशासनिक कार्यालय जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 को सभी 8242 शाखाओं और स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा की जोखिम धारणा निम्नानुसार है -

- न्यूनतम जोखिम शाखाएं - 6627 शाखाएं (80.40%)
- मध्यम जोखिम शाखाएं - 1408 शाखाएं (17.08%)
- उच्च जोखिम शाखाएं - 255 शाखाएं (3.09%)
- -135- शाखाओं की कोई रेटिंग नहीं हुई (नई शाखाएं)
- स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा न्यूनतम जोखिम में रही।

समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत कुल -1702- बैंक शाखाएं और अन्य इकाइयां (31-12-2024 की स्थिति में) शामिल हैं, जिनमें 52.54% जमा, 64.74% अग्रिम और 58.17% समग्र व्यवसाय (31-03-2025 की स्थिति में) कवरेज हैं। सभी श्रेणी बी शाखाएं, करेंसी चेस्ट और केंद्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत आते हैं।

₹10.00 करोड़ और उससे अधिक (एफबी + एनएफबी) के कुल जोखिम वाले रिटेल ऋण और पुनर्गठित खातों सहित सभी नई स्वीकृतियों/ मौजूदा खातों का क्रेडिट ऑडिट किया जाता है और 5% उधारकर्ता खातों को नए खातों से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और कुल राशि में वृद्धि के साथ ₹1.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹10.00 करोड़ से कम के संबंध में एक्सपोजर (एफबी + एनएफबी) समीक्षा की जाती है।

शाखाओं के आरबीआईए के हिस्से के रूप में आईटी से संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए बैंक की सभी शाखाएं सूचना प्रणाली ऑडिट ("आईएस ऑडिट") के अधीन हैं। डेटा सेंटर और आईटी एप्लिकेशन का आईएस ऑडिट भी समय-समय पर सीआईएसए / डीआईएसए योग्य आईएस ऑडिटर्स और बाहरी सीईआरटी फर्मों की एक टीम द्वारा किया जाता है।

कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नया ऑडिट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर (eTHIC)**- आंतरिक ऑडिट कार्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकि इसकी भूमिका को उचित ठहराया जा सके और शीर्ष प्रबंधन और नियामक की अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सके, हमने नई ऑडिट ऑटोमेशन प्रणाली खरीदी है, जो हमें बेहतर MIS और वांछित डैशबोर्ड प्रदान करेगी।
- अंचल आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के उप प्रमुख द्वारा मासिक आधार पर यादृच्छिक रूप से चयनित 5 से 10 शाखाओं के लिए रोविंग/औचक

लेखा परीक्षा शुरू किया गया, जिसमें सालाना कम से कम 10% शाखाएं शामिल रहें।

- CEMU द्वारा रिपोर्ट की गई किसी भी विसंगति/अपवाद के लिए शीघ्र सुधार/अनुपालन सुनिश्चित करने और अनुपालन को बनाए रखने के लिए, 65 CEMU रिपोर्टों की आवृत्तियों को त्रैमासिक/मासिक से मासिक/साप्ताहिक आधार पर संशोधित किया गया है।
- **ऑफ-साइट निगरानी** प्रणाली के तहत, सीआईएडी फिनेकल के प्रणालीगत अंतराल और विभिन्न अंतर्निहित पैटर्न और संबंधों की पहचान करता है। निष्कर्षों को सुधार के लिए संबंधित वर्टिकल के साथ साझा किया जाता है और प्रणालीगत अंतराल को दूर करने के लिए मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) किया जाता है।
- लेखापरीक्षा बजट की योजना/अनुमोदन के समय, सीआईएडी द्वारा नियामक/हितधारक की अपेक्षाओं, उभरते जोखिमों, चिंता के क्षेत्र, उद्योग आधारित अभ्यास आदि के आधार पर लेखा परीक्षा किए जाने वाले इकाइयों के साथ साझा किए जाने हेतु प्रमुख फोकस क्षेत्रों (केएफए) की पहचान की जाती है।
- वर्टिकल और उसके विभागों के विभिन्न प्रकार के लेखा परीक्षा (जैसे आरबीआईए, समवर्ती ऑडिट, व्यय ऑडिट, प्रबंधन ऑडिट आदि) का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, इन लेखा परीक्षा की गुणवत्ता, कवरेज और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत इकाई, वीआईएडी (सीआईएडी का उप-प्रभाग) के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऑडिट फ्रेमवर्क की आवश्यकतानुसार बाहरी फर्म द्वारा स्वतंत्र समीक्षा की जाती है। पिछली बार ये आकलन मैसर्स ई एंड वाई एलएलपी द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया था और उनके आकलन के अनुसार बैंक का आंतरिक ऑडिट फ्रेमवर्क मजबूत है और समकक्ष बैंकों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।

ऋण निगरानी

ऋण निगरानी, ऋण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी करने और बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है। ऋण निगरानी में संभावित जोखिम की पहचान करने के लिए उधारकर्ता के वित्तीय व्यवहार और ऋण पात्रता पर नज़र रखना भी शामिल है। यह ऋण शर्तों का अनुपालन और निधियों का अंतिम उपयोग भी सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण आस्तियां मानक श्रेणी में रहें, निर्धारित दबावग्रस्त खातों की आस्ति गुणवत्ता को उन्नत करने का प्रयास करें और खातों की स्लिपेज को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करें। दबावग्रस्त खातों की पहचान और निगरानी के उद्देश्य से, बैंक विभिन्न उपकरणों और विधियों का उपयोग कर रहा है ताकि संभावित स्लिपेज को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हुए बेहतर आस्ति गुणवत्ता बनाए रखी जा सके।

दक्षतापूर्ण निगरानी और नियंत्रण प्रक्रिया हेतु दृष्टः-

व्यूलिक सेंस पोर्टल के माध्यम से शाखाओं को एसएमए और स्लिपेज डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता

- खातों की आसान और कुशल दैनिक निगरानी के लिए दैनिक आधार पर वैश्विक एसएमए 0, 1, 2 उपलब्ध हैं।
- सभी देय खातों की समीक्षा और स्टॉक स्टेटमेंट जैसे तकनीकी पहलू भी दैनिक आधार पर उपलब्ध हैं और प्रगति की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है।

- नियंत्रण कार्यालयों से डेटा के लिए उनकी निर्भरता को कम करने और उनकी आसानी के लिए सभी शाखाओं को पोर्टल हेतु एक्सेस उपलब्ध कराई गई है।
- अनुवर्ती और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए दैनिक आधार पर मॉक रन डेटा (किसी भी वित्तीय / गैर-वित्तीय कारण से महीने के लिए अनुमानित गिरावट) उपलब्ध कराया जाता है।
- डिग्रेडेशन और अपग्रेडेशन फाइलें दैनिक आधार पर संबंधित अंचल/शाखाओं को साझा की जाती हैं।

पूर्व चेतावनी संकेत:

- अगस्त 2020 से हमारे बैंक में पूरी तरह से तकनीक आधारित ईडब्ल्यूएस समाधान लागू किया गया है।
- स्वचालित अलर्ट जनरेशन खातों में प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करके प्रभावी निगरानी में मदद करता है।
- एचएमएल (उच्च, मध्यम और निम्न) में खातों का जोखिम वर्गीकरण ईडब्ल्यूएस अलर्ट पर आधारित है।
- मौजूदा ईडब्ल्यूएस प्रणाली को हमारे मौजूदा सिस्टम के विस्तृत ऑडिट और शीर्ष प्रबंधन द्वारा गहन समीक्षा के बाद पूरी तरह से नया स्वरूप दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, अद्यतन ईडब्ल्यूएस प्रणाली को शुरू किया जा रहा है। जोखिम निर्धारण हेतु नए मानदंड की शुरुआत की गई है और ऋण निर्णय लेते समय प्रक्रिया नोट में एचपी रेटिंग को शामिल करने की सलाह दी गई है।
- अग्रिम खातों की बेहतर निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए ईडब्ल्यूएस पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
- यह समाधान बैंक को खातों में आरएफए/धोखाधड़ी (यदि कोई हो) की शीघ्र पहचान करने में मदद करता है। यह समाधान शाखाओं को उपयुक्त समाधान/कार्रवाई सहित खातों की निरंतर निगरानी करने में सक्षम बनाता है।
- उधारकर्ता के लिए जोखिम निर्धारण मानदंड (एचपी) भी पेश किया गया है जो उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग (बॉब आइकॉन) और ईडब्ल्यूएस रेटिंग का एक संयोजन है। इसके अलावा, हमारी विदेशी शाखाओं के अग्रिमों/ ऋण की बेहतर निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए ईडब्ल्यूएस पोर्टल की भी शुरुआत की गई है।

स्टॉक लेखा परीक्षा पोर्टल

- स्टॉक लेखा परीक्षा से संबंधित स्टॉक और डेटा की उचित निगरानी के लिए, बैंक ने स्टॉक लेखा परीक्षा पोर्टल विकसित किया है, जो सूचीबद्ध सनदी लेखाकार को स्टॉक ऑडिट का ऑनलाइन असाइनमेंट प्रदान करता है। स्टॉक लेखा परीक्षा रिपोर्ट भरने और जमा करने के लिए सूचीबद्ध सनदी लेखाकार को एक्सेस प्रदान किया गया है।
- शाखाओं द्वारा अनुपालन और सीआरसी प्रस्तुत करना और सक्षम अधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृति।
- इस पोर्टल की मदद से बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्टॉक लेखा परीक्षा और वास्तविक समय आधार पर डेटा संग्रह को पूरा करने के कार्य की निगरानी संभव होगी।

पीएसआर पोर्टल

बैंक ने मंजूरी पश्चात रिपोर्टिंग (पीएसआर) प्रक्रिया को नोट करने और निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष पोर्टल विकसित किया है। इस पहल का उद्देश्य ऋणों के लिए मंजूरी के पश्चात की गतिविधियों की उचित और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके बैंक के हितों की रक्षा करना है। विभिन्न ऋण-संबंधी कार्रवाइयों जैसे कि नई ऋण स्वीकृतियाँ, समीक्षा (वृद्धि या कमी के साथ), अस्थायी ओवरड्राफ्ट (टीओडी) की अनुमति, एडहॉक ऋण, अतिरिक्त स्वीकृतियाँ और स्वीकृति प्रक्रिया के बाद शर्तों में संशोधन के दौरान पीएसआर नोटिंग महत्वपूर्ण है।

सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग:

एसएमए श्रेणी में खातों का निर्धारण, सुधारात्मक पहलों जैसे मानकीकरण, पुनर्संरचना आदि के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सक्रिय करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, ₹.5 करोड़ और उससे अधिक के ऋण जोखिम वाले दबावग्रस्त खातों की रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाती है।

आस्ति वर्गीकरण का प्रणाली आधारित आकलन : बैंक के पास प्रणाली आधारित आकलन प्रक्रिया है जो वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर स्टॉक / कर्ज बही विवरणी/ लंबित समीक्षा, कैश क्रेडिट खातों में अपर्याप्त/कोई जमा नहीं, जैसी तकनीकी अनियमितताओं को दर्शाने वाले खातों के आधार पर दो महीने से अधिक की अवधि के अतिदेय को दर्शाने वाले संभावित स्लिपेज की पहचान कर रहा है। यह ऐसे खातों का डाउनग्रेड होने से रोकने के लिए केंद्रीकृत रूप से समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्रिय करता है। मानक आस्तियों की स्लिपेज को कम करने के लिए इन खातों की निगरानी विशेष रूप से विभिन्न परिचालन इकाइयों द्वारा की जाती है।

निगरानी हेतु अन्य टूल :

- बैंक ने स्टॉक और बही ऋण विवरणी की प्रस्तुति को भी डिजिटल कर दिया है, जो वास्तविक समय आधारित और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल है।
- व्यवसाय की सुदृढ़ता का विश्लेषण करने के लिए बैंक ने सशक्त निगरानी के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग संबंधी कई टूल जैसे समय-समय पर उधारकर्ता के खातों पर नज़र रखने और निगरानी आदि के लिए जीएसटी, आईटीआर और स्टेटमेंट एनालाइजर आदि की शुरुआत की है।
- पूर्व-निर्धारित अवधि में डिजिटल निगरानी रिपोर्ट का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और ₹1 करोड़ और उससे अधिक के बड़े खातों के संबंध में जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
- बैंक ने क्रेडिट अनुशासन में सुधार लाने के लिए डीएलपी उल्लंघन के मामलों की निगरानी हेतु एक डैशबोर्ड पेश किया है।

सतर्कता

बैंक में सतर्कता प्रशासन पेशेवर रूप से प्रबंधित है और प्रबंधन के कार्यों का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न सतर्कता कार्यों के नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के अलावा पारदर्शी व्यवसायिक लेन-देनों, व्यावसायिकता, उत्पादकता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। बैंक के पास एक बहुत मजबूत और पारदर्शी सतर्कता प्रशासन है जिसके प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सभी सतर्कता कार्यों की देखरेख करते हैं। सहभागी/ सक्रिय और निवारक सतर्कता बैंक के सतर्कता



प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी को तीन अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी, जो मुंबई और दिल्ली में पदस्थ हैं, का सहयोग प्राप्त होता है।

बैंक में सतर्कता तंत्र, सतर्कता कार्यों के बारे में सभी स्तरों पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है, विभिन्न अनुशासनात्मक अधिकारियों और उपयुक्त अधिकारियों को धोखाधड़ी, शिकायतों और शाखाओं/ कार्यालयों की विभिन्न निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई गंभीर अनियमितताओं से उत्पन्न होने वाले मामलों की जांच में त्वरित और उचित कार्रवाई करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में कॉर्पोरेट कार्यालय में सतर्कता व्यवस्था को प्रत्येक अंचल के अंचल सतर्कता विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो नियमित अंतराल पर सभी शाखाओं में निवारक लेखा परीक्षा की कार्रवाई करता है और प्राप्त सूचना पर पूरी सक्रियता से कार्य करते हुए क्षति को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है।

बैंक में सतर्कता कार्यों के निम्नलिखित तीन पहलू शामिल हैं:

- 1. निवारक सतर्कता:** भ्रष्ट और अन्य कदाचारों का पता लगाने और दंड की तुलना में क्षति को रोकने में निवारक उपायों का अधिक महत्व है। निवारक उपाय जैसे व्यवसाय के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण, संवेदनशील पदों की पहचान और उन पर पदस्थ कर्मचारियों की जांच, आचरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शाखा विशिष्ट अतिसंवेदनशील विषयों पर चर्चा करने के लिए शाखा स्तर पर मासिक बैठकें, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अंतराल विश्लेषण करना तथा प्रणालीगत सुधार के लिए परामर्श जारी करना और सतर्कता मामलों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों द्वारा निवारक सतर्कता पर परिपत्र नियमित रूप से जारी और प्रसारित करना।
- 2. खोजी सतर्कता:** खोजी सतर्कता में संवेदनशील क्षेत्र का नियमित और औचक निरीक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि कर्मचारियों द्वारा कोई भ्रष्ट या अनुचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की त्वरित जांच करना और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई करना, शिकायत का निस्तारण, अपने स्रोत से गलत आचरण/कदाचार के बारे में गोपनीय जानकारी एकत्र करना, उचित प्रक्रिया के बाद समुचित कार्रवाई के माध्यम से तार्किक निष्कर्ष के लिए उसकी जांच और गहन जांच करवाना शामिल हैं।
- 3. दंडात्मक सतर्कता:** यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी स्तरों पर नियमों और प्रावधानों के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन में शामिल कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दंडित किया जाए, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान लिए गए वास्तविक निर्णयों का मूल्यांकन निष्पक्ष और आवश्यक विवेक के साथ किया जाता है।

बैंक में सतर्कता कार्य, निवारक सतर्कता प्रशासन के माध्यम से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर देकर सक्रिय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा धोखाधड़ी के निवारण के लिए नीतियों को तैयार करने में शीर्ष प्रबंधन को सुझाव प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सक्रिय संप्रेषण के कारण अनुशासनात्मक मामलों के टर्नअराउंड समय में सुधार हुआ है जिसने त्वरित निवारण के साथ कर्मचारियों को प्रेरित करने में मदद की है। सीवीओ सतर्कता संबंधी मामलों पर आवश्यक मार्गदर्शन और फीडबैक के लिए सीवीसी और डीएफएस के साथ

समन्वय करता है तथा धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्रवाई के लिए सीबीआई और एबीबीएफएफ जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

विधिक सेवाएं

बैंक में एक सक्रिय विधि विभाग है जिसमें योग्य और अनुभवी विधि अधिकारी हैं। विधि विभाग की मुख्य भूमिका बैंक के कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा संदर्भित या उनसे संबंधित विभिन्न मामलों में राय, दस्तावेजीकरण, मुकदमा आदि के लिए समर्थन और सहायता प्रदान करना है। यह विभाग विधिक पहलुओं से संबंधित मामलों पर बैंक के विभिन्न अंचलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, घरेलू और विदेशी शाखाओं और अनुषंगियां कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संदर्भों के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग ऋण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के अनुकूल रिटेल और एसएमई सुविधाओं के लिए दस्तावेजों का एक सेट तैयार किया गया है, जो बैंक के ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दस्तावेजों को निष्पादित करने में सक्षम बनाएगा। ऋण दस्तावेज नियमावली पर पुनः अवलोकन किया गया है और दस्तावेजों को सरल बनाया गया है।

बैंक की वैश्विक ऋण नीति के अनुसार ऋण राशि के वितरण से पहले बैंक के विधि अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते हैं। सामान्य व्यवहार में या तो विधि अधिकारी संबंधित शाखा में जाते हैं, जहां दस्तावेजों को निष्पादित किया गया है या दस्तावेजों को संबंधित प्रशासनिक कार्यालय में मंगवाया जाता है, जहां विधि अधिकारी पदस्थ हैं। डिजिटलीकरण प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए, विधि अधिकारियों को अपने कार्यालय से दस्तावेजों की जांच करने में सक्षम बनाकर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए "ऋण दस्तावेजों की जांच के लिए पोर्टल" विकसित किया गया है। पोर्टल का मूल उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से वास्तविक समय में ऋण दस्तावेजों की जांच / सत्यापन सुनिश्चित करना है ताकि जांच की प्रक्रिया में तेजी आए और बैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दस्तावेजों की अनावश्यक आवाजाही को प्रतिबंधित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, एक अधिवक्ता पोर्टल विकसित किया गया है जिसके माध्यम से वकीलों को सूचीबद्ध किया जाना है और पोर्टल के माध्यम से ही वकीलों को काम सौंपा जाना है।

इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले न्यायालयों द्वारा कानूनों के निरंतर बदलते स्वरूप, नवीनतम संशोधन और कानूनों की व्याख्या के बारे में विभाग 'परिपत्र', तिमाही 'विधिक समाचार फ्लैश' आदि जारी करके ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। एपेक्स अकादमी और एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म के सहयोग से, विभाग विधिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है ताकि उन्हें विशिष्ट कानूनी क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके और साथ ही उन्हें निरंतर बदलते अधिनियमों, नियमों और विनियमों से अवगत कराया जा सके।

31.03.2025 तक, विभिन्न न्यायालयों/फोरम/ट्रिब्यूनल के समक्ष कुल 3989 मामले लंबित (बैंक के खिलाफ मुकदमे) हैं। हम वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 608 मामलों का निपटान करने में सफल रहे। कुल निपटाए गए मामलों में से 399 मामले (अर्थात् 65.62%) बैंक के पक्ष में निर्णीत किए गए, 49 मामले (अर्थात् 8.05%) निपटाए गए और 160 मामले (अर्थात् 26.31%) बैंक के विरुद्ध निर्णीत किए गए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कुल निर्णीत मामलों में से 12 मामलों (जिनका मौद्रिक मूल्य एक करोड़ और उससे अधिक है) का भी निपटान किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक का दृढ़ विश्वास है कि इसके लोग इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं और इसकी निरंतर सफलता की आधारशिला हैं। 74,000 से अधिक कर्मचारियों के प्रतिभाशाली कार्यबल के साथ, बैंक बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अपनी मानव पूंजी को पोषित करने, सशक्त बनाने और उन्हें इस कार्य में संबद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बैंक ने क्षमता निर्माण, संरचित भर्ती, कर्मचारी कल्याण और समावेशी कार्यस्थल संस्कृति पर केंद्रित रणनीतिक मानव संसाधन पहलों की एक श्रृंखला को संस्थागत स्वरूप दिया है। ये पहलें बैंक के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें जोड़े रखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं जो इसके मूल्यों और विकास आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होती हैं।

सक्रिय कार्यबल नियोजन, नीतिगत संवर्द्धन और कर्मचारी अनुभव पर विशेष जोर देने के माध्यम से, बैंक बेहतर प्रदर्शन करने वाले और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को बढ़ावा देना जारी रखता है। इस दिशा में इसके निरंतर प्रयासों ने न केवल आंतरिक क्षमताओं को मजबूत किया है, बल्कि मानव संसाधन और कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए उद्योग की मान्यता भी प्राप्त की है। इस दिशा में बैंक की पहल को उद्योग द्वारा मान्यता दी गई है और बैंक को इसके लिए निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

- 30.03.2025 को सीआईआई द्वारा "सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन एचआर एक्सीलेंस" पुरस्कार
- भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए 2024-25 के लिए "गोल्डन पीकॉक अवार्ड"।
- वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 से लगातार दो बार जोम्बे-वाउ वर्कप्लेस पुरस्कार

ज्ञानार्जन और विकास

बैंक कर्मचारी विकास को एक नीतिपरक प्राथमिकता के रूप में महत्व देता है और संगठन में एक मजबूत ज्ञानार्जन संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखा है। वित्त वर्ष 2025 में, 95% से अधिक कार्यबल अर्थात् 70,000 से अधिक कर्मचारियों को अखिल भारतीय प्रशिक्षण कैलेंडर के माध्यम से उनकी नौकरी की भूमिकाओं के अनुरूप तैयार क्लासरूम प्रशिक्षण दिया गया।

परिवर्तनशील बैंकिंग परिदृश्य में अग्रणी बने रहने के लिए, बैंक ने अपनी ज्ञानार्जन और विकास नीति को नया रूप दिया और बड़ौदा गुरुकुल 2.0 लॉन्च किया, जो एक उन्नत ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) है जो कक्षा सत्रों और डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से मिश्रित शिक्षण प्रदान करती है। साप्ताहिक क्विज़, पॉडकास्ट, डिजिटल लाइब्रेरी और शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए मान्यता जैसी पूरक पहलों ने निरंतर सीखने को और बढ़ावा दिया है।

बैंक ने गांधीनगर में अंचल प्रशिक्षण केंद्रों और एपेक्स अकादमी के साथ अपने शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत किया है और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में संवर्धन के लिए आईआईएम, एएससीआई, आईडीआरबीटी और एनएफएसयू जैसे प्रीमियर संस्थानों के साथ भागीदारी की है। आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से "ट्रांसफॉर्मिंग टुमॉरो" लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक प्रमुख आकर्षण है, जिसे एक्शन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीनियर लीडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं पर क्रॉस-बैंक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिससे उद्योग-व्यापी क्षमता निर्माण में बैंक की भूमिका को बल मिला। ये प्रयास बेहतर प्रदर्शन करने वाले और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

कोचिंग और परामर्श कार्यक्रम

समानता, समावेशन और नेतृत्व विकास के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक ने प्रेरणा - प्रेरणा का मार्ग, एक सुगठित परामर्श पहल शुरू की जिसका उद्देश्य पेशेवर विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। आरंभिक चरण में वरिष्ठ महिला नेतृत्व द्वारा जूनियर महिला कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने, अंतर्दृष्टि, कार्यनीति और व्यक्तिगत अनुभव साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि उन्हें कैरियर की चुनौतियों से निपटने और अपनी क्षमता को उजागर करने में मदद मिल सके।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में कैरियर विकास, कौशल वृद्धि और कार्यस्थल की परिवर्तनशीलता पर केंद्रित व्यक्तिगत परामर्श सत्र शामिल हैं। यह पहल न केवल व्यक्तिगत विकास का समर्थन करती है बल्कि महिला नेतृत्व की अगली पीढ़ी को पोषित करने के बैंक के दृष्टिकोण को भी मजबूत करती है।

इसकी सफलता के आधार पर, प्रेरणा मेंटरशिप कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2025-26 में विस्तारित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न नेतृत्व स्तरों के अनुरूप मॉड्यूल और प्रशिक्षुओं का एक नया समूह शामिल होगा जो बैंक की प्रेरणा और प्रभाव की यात्रा को जारी रखेगा।

कैरियर विकास

बैंक सुसंगठित कैरियर प्रगति अवसरों के माध्यम से कर्मचारी के कार्यनिष्पादन को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पदेन्नति के अलावा, कर्मचारियों को कार्यो और विदेशी प्लेसमेंट में समानांतर अवसरों की पेशकश की जाती है, जिससे विविध अनुभव प्राप्त होते हैं और समग्र विकास में योगदान मिलता है।

'वॉयस ऑफ बड़ौदियन' - कर्मचारी जुड़ाव संबंधी सर्वेक्षण

कर्मचारी-केंद्रित संगठन के रूप में, बैंक अपने कर्मचारियों के साथ दो-तरफ़ा संचार को बढ़ावा देने में दृढ़ता से विश्वास करता है ताकि दृष्टिकोण साझा किए जा सकें और संगठनात्मक प्रभावशीलता को सहयोगात्मक रूप से बढ़ाया जा सके। इस मत के अनुरूप, बैंक पिछले कुछ वर्षों से 'वॉयस ऑफ बड़ौदियन' - कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है।

इन सर्वेक्षणों से मिली जानकारी ने मौजूदा नीतियों को बेहतर बनाने, नए कर्मचारी-केंद्रित पहलों को आकार देने और कार्यस्थल प्रथाओं को बेहतर बनाने में मदद की है। उल्लेखनीय रूप से, मार्च 2025 में किए गए नवीनतम सर्वेक्षण ने कर्मचारी भावना में सकारात्मक बदलाव को दर्शाया, जिसमें समग्र जुड़ाव स्कोर 71% से बढ़कर 75% हो गया, जो बैंक और उसके कर्मचारियों के बीच बढ़ते तालमेल और विश्वास को रेखांकित करता है।

बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम

सभी स्तरों पर कर्मचारी जुड़ाव को मजबूत करने के लिए, बैंक ने बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य व्यवस्थित जुड़ाव गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से समग्र कर्मचारी अनुभव को समृद्ध करना है। ये पहल टीम भावना को बढ़ावा देती हैं, अपनेपन की भावना का निर्माण करती हैं और गहराई से जुड़े एवं प्रेरित कार्यबल में योगदान देती हैं, जिससे अंततः बेहतर संगठनात्मक परिणाम सामने आते हैं।

कार्य करने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, बैंक व्यापक समुदाय के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को भी महत्व देता है। बैंक के स्थापना दिवस (20 जुलाई) और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर, कर्मचारी बड़ौदा अनुभूति बैनर के तहत आयोजित सामुदायिक सेवा पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।



वित्त वर्ष 2024-25 में, बैंक ने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई प्रभावशाली सीएसआर गतिविधियाँ शुरू कीं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- रक्तदान अभियान – 22,700 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया
- वृक्षारोपण पहल – लगभग 1,20,000 पौधे लगाए गए
- स्वच्छता अभियान – विभिन्न इलाकों में 4,700 से अधिक अभियान चलाए गए
- वंचितों को वितरण – 1,25,000 से अधिक आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं
- सामाजिक संस्थाओं को सहायता – वृद्धाश्रमों, अनाथालयों और दिव्यांगता केंद्रों को 85,000 से अधिक वस्तुएं दान की गईं
- स्वास्थ्य जांच शिविर – 10,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ
- बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सहायता- सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौरा, एर्नाकुलम में पुस्तकालय का नवीकरण

बड़ौदा अनुभूति के माध्यम से बैंक आंतरिक सहभागिता को सामाजिक योगदान के साथ मिश्रित करना जारी रखे हुए है, जो देखभाल, समावेशिता और साझा प्रगति के इसके मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है।

अंतर-अंचल खेल और सांस्कृतिक टूर्नामेंट:

वार्षिक अंतर-अंचल खेल और सांस्कृतिक टूर्नामेंट में सभी अंचलों के कर्मचारियों की ओर से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जो कर्मचारी कल्याण और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस श्रृंखला की शुरुआत जयपुर अंचल द्वारा आयोजित एक उत्साहपूर्ण संगीत और नृत्य प्रतियोगिता के साथ हुई, जिसके बाद चेन्नई में अंतर-अंचल कैरम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके बाद विभिन्न अंचलों में क्रिकेट, ड्रामा, बैडमिंटन और शतरंज टूर्नामेंट सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें चयनित टीमों ने प्रत्येक खेल में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

ये पहल न केवल सौहार्द, टीम भावना और अंतर-कार्यात्मक संबंध को बढ़ावा देती हैं, बल्कि शारीरिक गतिविधि, मानसिक कल्याण और संतुलित जीवनशैली को भी प्रोत्साहित करती हैं, जो बैंक के अपने कार्यबल के समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने को प्रदर्शित करती हैं।

राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह

बैंक ने 26 से 31 अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया, जिसमें फिटनेस और कल्याण संबंधी पहलों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें वॉकथॉन, वृक्षारोपण अभियान, फिट इंडिया शपथ दिलाना और भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेल आयोजन शामिल हैं।

एक विशेष पहल के तहत, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक के खिलाड़ियों को बैंक के ब्रांड एंबेसडर सुश्री पीवी सिंधु (अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी) और सुश्री शैफाली वर्मा (अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी) के साथ एक ऑडियो-विजुअल अभियान में दिखाया गया, ताकि पूरे संगठन में फिटनेस और उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रेरित किया जा सके।

बैंक के 7वें बुनियादी मूल्य के रूप में 'सम्मान' को शामिल करना :

20 जुलाई, 2024 को बैंक के 117वें स्थापना दिवस पर, बैंक ने प्रत्येक कर्मचारी की अंतर्निहित योग्यता और गरिमा को सम्मान देने के उद्देश्य से एक और बुनियादी मूल्य "सम्मान" को अपनाया। हमारी नैतिक आचरण संहिता

दस्तावेज़ बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बैंक के बुनियादी मूल्य अब निम्नलिखित हैं:

1. सत्यनिष्ठा : हम अपने हितधारकों के साथ बातचीत और आचरण में नैतिकता और पारदर्शिता बरतते हैं।
2. ग्राहक केन्द्रीयता : हमारी सभी गतिविधियों के केंद्र में हमारे ग्राहकों का हित निहित है।
3. साहस : हम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते हैं और हमारे बुनियादी मूल्य हमें साहस प्रदान करते हैं।
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्व : हम अपने बैंक के लिए मिलकर काम करते समय ऊर्जा, उत्साह और अपनत्व का भाव रखते हैं।
5. नवोन्मेषिता : हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं।
6. उत्कृष्टता : हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं।
7. सम्मान : हम प्रत्येक ग्राहक के अंतर्निहित मूल्य और गरिमा का सम्मान करते हैं और उसको महत्व देते हैं।

हाल ही में 'वॉयस ऑफ बड़ौदियन' कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त मूल्यवान फीडबैक पर कार्य करते हुए, बैंक ने अपने 7वें बुनियादी मूल्य के रूप में 'सम्मान' को शामिल किया है, जिसका अनावरण बैंक के 117वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया गया।

यह बैंक की एक समावेशी, सहायक और सशक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां प्रत्येक कर्मचारी को महत्व दिया जाता है, सुना जाता है और सम्मानित किया जाता है। जब मौजूदा छह बुनियादी मूल्य लंबे समय से हमारे परिचालन और हितधारकों से इंटरैक्शन का मार्गदर्शन करते रहे हैं, 'सम्मान' को शामिल करने से संगठन के सभी स्तरों पर आपसी सम्मान और सहयोग की संस्कृति विकसित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।

कर्मचारी आरोग्य संबंधी पहलें

प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं वाले संगठन के रूप में, बैंक ने हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई पर बल दिया है, यह मानते हुए कि उनका स्वास्थ्य और खुशी बैंक की निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ, समर्पित कार्यबल उत्पादकता को बढ़ाता है, परिवर्तनशीलता को अपनाता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। वेलनेस की संस्कृति को पोषित करके, बैंक कर्मचारियों की जिजीविषा और संगठनात्मक जीवन शक्ति दोनों को बढ़ाने का प्रयास करता है।

इस दृष्टिकोण के अनुरूप, बैंक नवंबर को 'वेलनेस माह' के रूप में मनाता है, जो विभिन्न पहलों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अवधि है। बैंक में आयोजित गतिविधियों में ऑनलाइन योग और मेडिटेशन सत्र, स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा वेबिनार, स्वस्थ बड़ौदियन फिटनेस चैलेंज और स्वस्थ व्यंजनों को साझा करना शामिल है, जिसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है।

कर्मचारियों से मिले उत्साहजनक प्रतिसाद के कारण, ऑनलाइन योग और मेडिटेशन कक्षाएं पूरे वर्ष जारी रहीं। अनुभव को और समृद्ध बनाने के लिए, बैंक के कर्मचारियों में से प्रमाणित योग प्रशिक्षकों को कभी-कभी सत्रों का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो सीखने की हमारी साझा संस्कृति को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ भागीदारी की है, जिसका पूरा खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा या प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह पहल कर्मचारी स्वास्थ्य के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और हमारे इस विश्वास को पुष्ट करती है कि स्वास्थ्य, संगठन की मजबूती की कुंजी है।

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम

अपने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) के हिस्से के रूप में, बैंक ने तनाव और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहायता के लिए कार्यस्थल परामर्श शुरू किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में, दूरस्थ हेल्थ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से "समग्र कल्याण: माइंडफुलनेस मेडिटेशन के माध्यम से तनाव को नियंत्रित करना" पर 70 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जो विभिन्न स्थानों पर 3,330 से अधिक कर्मचारियों तक पहुँचीं।

कर्मचारियों ने विभिन्न माध्यमों- व्यक्तिगत रूप से, फोन, वीडियो, ईमेल और चैट के माध्यम से परामर्श सेवाएँ प्राप्त कीं, जबकि महिला सशक्तीकरण, पालन-पोषण और व्यसन मुक्ति पर समर्पित ऑनलाइन सहायता समूहों ने सहकर्मि शिक्षण और स्वयं सहायता में लाभ प्राप्त किया।

जागरूकता बढ़ाने के लिए, 12.02.2025 को बेंगलुरु में एक मानसिक स्वास्थ्य रोड शो- 'प्रयास' आयोजित किया गया, जिसमें कल्याणकारी खेल, मनोरंजक गतिविधियाँ और परामर्श सत्र शामिल थे, जो समग्र कर्मचारी कल्याण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।

विविधता और समावेशिता पर जोर

बैंक पदोन्नति, कैरियर प्रगति, स्थानांतरण और कर्मचारी कल्याण पर पारदर्शी और निष्पक्ष नीति द्वारा निर्देशित एक विविध और समावेशी कार्यबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए एक औपचारिक विविधता, समानता और समावेश (डीआईआई) नीति लागू की गई है।

महिला कर्मचारियों की विशिष्ट जिम्मेदारियों को समझते हुए, बैंक ने सहायक उपाय शुरू किए हैं जैसे कि सबैटिकल अवकाश, स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम और क्रेच सुविधाएँ। कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के तहत परामर्श सहायता सहित, करियर ब्रेक के बाद उनकी तैनाती और पुनः एकीकरण के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, 519 से अधिक महिला कर्मचारियों को ऐसे समाधानों से लाभ हुआ।

इसके अतिरिक्त, बैंक क्षमता निर्माण, प्रेरणा और पीओएसएच (POSH) दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे सभी के लिए सुरक्षित, सशक्त और न्यायसंगत कार्यस्थल बनाने में मदद मिलती है।

पूर्व कर्मचारी

अपने पूर्व कर्मचारियों के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए, बैंक ने सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में उनकी सहायता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ प्रदान की हैं। इनमें हॉलिडे होम की सुविधा, अंशकालिक चिकित्सा सलाहकारों से परामर्श, विशेष चिकित्सा सहायता और चिकित्सा बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

सुविधा बढ़ाने के लिए, पेंशन पे स्लिप और पीपीओ जनरेशन, कर गणना, मेडिकल प्रीमियम रसीदें, टीए/डीए दावे और हॉलिडे होम बुकिंग जैसी प्रमुख मानव संसाधन सेवाओं को एचआर कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन में एकीकृत किया गया है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से 24x7 पहुँच

प्रदान करता है।

अपनी डिजिटल पहलों को आगे बढ़ाते हुए, बैंक ने जीवन प्रमाण को एचआर कनेक्ट के साथ एकीकृत किया है, जिससे जीवन प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन प्रस्तुति और स्वतः सत्यापन संभव हो गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता के बिना निर्बाध पेंशन वितरण सुनिश्चित किया गया है।

आरक्षण प्रकोष्ठ:

अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ दिव्यांग(पीडब्ल्यूडी)/ भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों के लिए आरक्षण की निगरानी करने व अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक को अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनसे संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

1 फरवरी, 2019 से बैंक में सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया है।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अधिकारी (निर्धारित पद), लिपिक और सब-स्टाफ संवर्ग में वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के 4% के अनुपात में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण प्रदान करता है।

जातिगत श्रेणीवार गणना: 31 मार्च, 2025						
संवर्ग	कुल	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडबल्यूएस
अधिकारी	42959	19065	7545	3381	12845	123
लिपिक	25319	10450	4140	2624	7977	128
सब-स्टाफ	5464	1559	1809	547	1549	0
कुल	73742	31074	13494	6552	22371	251
कुल कर्मचारियों का %		42.14	18.30	8.89	30.34	0.34

संवर्ग	दिव्यांगजन	पूर्व - सैनिक
अधिकारी	646	1172
लिपिक	3048	992
सब-स्टाफ	438	104
कुल	4132	2268
कुल कर्मचारियों से %	5.60	3.08

आवधिक बैठकें:

बैंक, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ऑल इंडिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा एससी/ एसटी (एआईबीएससीएसटी) एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक बैठकें और ऑल इंडिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा ओबीसी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन (एआईबीओबीसी) के प्रतिनिधियों के साथ छमाही बैठकें आयोजित करता है।

कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम:

बैंक एआईबीएससीएसटी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन और एआईबीओबीसी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन के सदस्यों तथा एससी/ एसटी एवं ओबीसी संपर्क अधिकारियों के लिए हर वर्ष अपनी विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है:



- एससी/ एसटी/ ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण।
- आरक्षण नीति के संबंध में कार्यशाला।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली

अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान कराने के लिए अपनी शाखाओं में एक स्वच्छ और व्यवस्थित परिवेश उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बैंक रिकॉर्ड का प्रबंधन करने हेतु पेशेवर कंपनियों को नियुक्त कर दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) (रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन को लागू करने वाले पीएसबी में पहला) की पहल का क्रियान्वयन करने वाला अग्रणी पीएसबी है।

डीएमएस के अंतर्गत भौतिक रिकॉर्ड को बारकोड किया जाता है, अनुक्रमित किया जाता है और उन्हें स्टोरेज के लिए रिकॉर्ड स्टोरेज एजेंसी के वेयरहाउस में ले जाया जाता है, जिसे बैंक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार खाली हुई जगह का उपयोग ग्राहक सेवा दक्षता, बेहतर शाखा परिवेश आदि के लिए किया जा रहा है।

रिकॉर्ड डिजिटलीकरण/ डीएमएस, हरित पहल के तहत पेपरलेस बैंकिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें निर्धारित दस्तावेजों (ऋण फाइलें/ मानव संसाधन संबंधी दस्तावेज/ विधिक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज) की स्कैनिंग और "बड़ौदा दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (बीडीएमएस)" सर्वर, एक डिजिटल रिपॉजिटरी, पर स्कैन किए गए डेटा को अपलोड करना शामिल है।

यह हमारे बैंक की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके अंतर्गत अब तक -7436- से अधिक शाखाओं/ कार्यालयों को कवर करते हुए लगभग 63.01 करोड़ इमेज को स्कैन किया गया है। साथ ही, 2.31 करोड़ बारकोडेड और अनुक्रमित फाइलों को एजेंसी के वेयरहाउस में स्थानांतरित करके बैंक की चिन्हित शाखाओं/ कार्यालयों में लगभग -3.40- लाख वर्ग फीट जगह उपलब्ध कराई गई है।

बैंक की मेट्रो और शहरी शाखाओं और अर्ध-शहरी क्षेत्र की निर्धारित शाखाओं में रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)/ दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के सफल क्रियान्वयन के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय/ अंचल कार्यालय/ बीसीसी स्तर पर रिकॉर्ड डिजिटलीकरण परियोजना की बेहतर निगरानी के लिए डैशबोर्ड पोर्टल की शुरुआत की गई है।

परिसरों का आधुनिकीकरण

- पूरे भारत में -09- फिजिटल शाखाओं की शुरुआत की गई है।
- लॉ गार्डन, अहमदाबाद में एपेक्स अकादमी के अत्याधुनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है जिसका उद्घाटन किया जाना शेष है।
- सम्पूर्ण भारत में चल रही विभिन्न अन्य परियोजनाओं जैसे देहरादून, एर्णाकुलम में प्रशासनिक भवन का निर्माण पूरा होने वाला है।
- जोगेश्वरी, मुंबई में पुनर्विकास परियोजना के तहत आवासीय भवन का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है।
- अन्य निर्माण परियोजनाएँ जैसे फाइनेंशियल सिटी, बेंगलुरु, फाइनेंशियल सिटी, कोलकाता, एर्णाकुलम में कैनेन शेड रोड, जयपुर में मनोहरपुरा में वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाएँ जल्द ही शुरू होने वाली हैं।
- 50 आर-सेटी भवनों का निर्माण पूरा हुआ।
- GeM पोर्टल के माध्यम से 99% से अधिक योग्य खरीद (1830 करोड़) की गई है।

हरित/ अन्य पहलें

- ग्रामीण/ अर्ध शहरी क्षेत्रों में -210- लीज वाली शाखाएं सौर ऊर्जा पर चल रही हैं, इस पहल की शुरुआत से अब तक उत्पन्न 1.5 मेगा वाट बिजली के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 4739 टन की कमी आई है।
- बैंक के स्वामित्व वाले 76 परिसरों में सौर पैनल स्थापित किए गए। संस्थापित क्षमता 1.73 मेगावाट है, जिससे हर साल लगभग 1619 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होता है।
- बैंक की एमएमओ बिल्डिंग में 125 Kwp क्षमता के सौर पैनल, बड़ौदा एपेक्स अकादमी बिल्डिंग में 100 किलोवाट क्षमता के सौर पैनल लगाए गए।
- बैंक ने 18 प्रशासनिक भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली इंस्टाल की गई है।
- कई प्रशासनिक भवनों में 1300 से अधिक वॉटर एफ़िशिएंट टैप और वॉटरलेस यूरिनल इंस्टाल किए गए हैं जिनसे प्रति वर्ष लगभग 30 लाख लीटर पानी की बचत होती है।
- वृक्षारोपण- स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान पूरे भारत में स्कूलों, पार्कों, आवासीय सोसायटियों आदि में 24000 पेड़/ पौधे लगाए गए।
- बैंक की स्वामित्व वाली 3 इमारतों में आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन। -19- अन्य इमारतों के लिए शीघ्र ही अनुमोदन प्राप्त होगा।
- कॉर्पोरेट कार्यालय में पायलट परियोजना के रूप में कार्यालय उपयोग के लिए रिसायकल्ड कागज की शुरुआत की गई, हरित पहल-बॉब अर्थ के तहत प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग की प्रथा को बंद किया गया।
- बैंक की आईटी टीम के माध्यम से सुरक्षा रिपोर्ट और रिटर्न का डिजिटलीकरण
- संपूर्ण भारत में बैंक की सभी ऊंची इमारतों में अग्नि अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- विभिन्न चिकित्सा केंद्रों/ अस्पतालों के साथ टाई-अप करके स्टाफ सदस्यों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए।
- बीसीसी में 24*7 एम्बुलेंस सुविधा।
- दिसंबर 2024 में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों के साथ उनके परिवार भी शामिल हुए।
- अंतर-आंचलिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की चयन प्रक्रिया पूरी की गई।
- पूरे भारत में मासिक और त्रैमासिक खरीद रिपोर्ट जनरेट करने के लिए वर्क ऑर्डर पोर्टल का स्वचालन।
- पूरे भारत में लीज़ प्रबंधन पोर्टल का स्वचालन।

राजभाषा (रा.भा.) नीति का कार्यान्वयन

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि के साथ-साथ ग्राहकों को डिजिटल उत्पाद प्रदान करना बैंक की राजभाषा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत सरकार और नियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर इस दृष्टिकोण की सराहना की गई है। बैंक ने वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2024-25 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों और

बैंक के विभिन्न कार्यालयों/ शाखाओं के निरीक्षण के दौरान राजभाषा संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों के संबंध में एक सुव्यवस्थित वार्षिक कार्य योजना को अपनाया है।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की गईं और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कई नई पहलें प्रारम्भ की गईं। बैंक ने हिंदी और 12 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग तथा लेनदेन संबंधी एसएमएस सेवाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं अब हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं और हमारे ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा हिंदी में भी उपलब्ध है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक नई पहल के रूप में, बैंक के वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर "अदिति", चैटबॉट "आदि", आईएलएमएस पैकेज, डिजिटल ऋण मंच और बीसी ज्ञान पोर्टल को हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है। बैंक के विभिन्न ऐप और डिजिटल चैनलों/ पोर्टलों के माध्यम से ऑटो जनरेट होने वाले सभी ईमेल तथा बैंक के एलएलपीएस पैकेज के माध्यम से जनरेट होने वाले नियम एवं शर्तों से युक्त ऋण मंजूरी पत्र द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराए गए हैं। डिजिटल बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड और गोल्ड लोन की जर्नी भी हिंदी में उपलब्ध कराई गई है। री-केवाईसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे गए सभी ई-मेल भी द्विभाषी में उपलब्ध कराए गए हैं।

बैंक ने अपनी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए राजभाषा रेटिंग प्रणाली और अपने स्टाफ सदस्यों के लिए 'भाषाई चौपाल' कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत की है वर्ष के दौरान दोनों गतिविधियां जारी रहीं। बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय/ अंचल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं में बैंक द्वारा संचालित विभिन्न राजभाषा (ओएल) संबंधी गतिविधियों, पुरस्कारों और बैंक से संबंधित अन्य राजभाषा से संबंधित सूचनाओं के रिकार्ड को संरक्षित करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर एक 'शब्दनाद' पेज तैयार किया है।

बैंक ने अंचलों में स्थापित विभिन्न विभागों (यथा जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी, ऋण) में हिंदी पत्राचार में वृद्धि हेतु तिमाही आधार पर अलग-अलग अभियानों का आयोजन किया। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और मातृभाषा दिवस पूरे भारत एवं विदेशों में स्थित विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं में मनाए गए। आपका बैंक स्टाफ-सदस्यों के सृजनात्मक एवं लेखन कौशल में वृद्धि करने के लिए कॉर्पोरेट स्तर की दो पत्रिकाएं - बॉबमैत्री (गृह पत्रिका) और अक्षय्यम् (हिंदी पत्रिका) प्रकाशित कर रहा है। आपका बैंक सभी सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए निर्मित 'बॉब अभिव्यक्ति 2.0' नामक एक मोबाइल ऐप को लगातार व्यापक बनाने का कार्य कर रहा है यह ऐप बॉबमैत्री और अक्षय्यम् सहित सभी पत्रिकाओं/ समाचार पत्रों/ हाउस जर्नलों को ऑनलाइन पढ़ने का रोचक अनुभव प्रदान करता है। साथ ही, यह बैंक में गो-ग्रीन पहल को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की स्वयं-सेवा पासबुक मुद्रण मशीन 'कियोस्क' को हिंदी में पासबुक मुद्रित करने में सक्षम बनाया गया है। ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हुए, आपका बैंक सभी वित्तीय समावेशन खातों में भारतीय भाषाओं में एसएमएस भेजने की सुविधा प्रदान कर रहा है। आपका बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से द्विभाषी प्रमाण पत्र/ विवरण/ रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा ग्राहकों को हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगाली भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। बैंक ने कर्मचारियों के उपयोग के लिए एचआर कनेक्ट पोर्टल को द्विभाषी बनाया है। बैंक की हिंदी वेबसाइट को आकर्षक रूप दिया गया है और इसकी सामग्री को अद्यतन रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप आगंतुकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बैंक ने ग्राहकों को टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलते समय अपनी भाषा में एसएमएस और व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा

चुनने की सुविधा प्रदान की है। बैंक ने समय-समय पर अवसर के अनुरूप सोशल मीडिया हैंडल पर हिंदी सामग्री पोस्ट करना सुनिश्चित किया है।

वर्तमान बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने तथा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करने के लिए विभिन्न ई-टूल्स के बारे में स्टाफ सदस्यों को जागरूक करने के लिए बैंक द्वारा एक एआई आधारित "सामर्थ्य टूलकिट 3.0" (तकनीकी टूलकिट) विकसित किया गया है। इस टूल के उपयोग के बारे में स्टाफ सदस्यों को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, युवा पीढ़ी को बैंक से जोड़ने के लिए देश भर के स्कूलों/ कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन भी किया गया, जिससे बैंक को युवा पीढ़ी के बीच बैंक की छवि को सुदृढ़ करने एवं व्यवसाय जुटाने/ बढ़ाने में मदद मिली।

बैंक के प्रयासों की भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सराहना की जाती रही है। वर्ष के दौरान बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भारत सरकार की "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, बैंक के तत्वाधान में वडोदरा में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) को नराकास राजभाषा सम्मान योजना के तहत बैंक को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार, भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा बैंक के संयोजन में कार्यरत वाराणसी, अहमदाबाद और जयपुर, नराकास को पुरस्कार के लिए चयनित गया। हमारे अंचल कार्यालय, बड़ौदा, लखनऊ और क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर एवं वाराणसी को भी भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। बैंक को गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 में कुल 9 पुरस्कार प्रदान किए गए जिसमें कीर्ति पुरस्कार/ क्षेत्रीय पुरस्कार/ अन्य पुरस्कार शामिल हैं। चालू वर्ष में बैंक के विभिन्न कार्यालयों को गृह मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत नराकास से कुल 64 पुरस्कार प्राप्त हुए।

बैंक ने बैंक के संयोजन में कार्यरत 28 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कीं तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया। बैंक ने देश के 71 विश्वविद्यालयों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने हेतु अपनी विशिष्ट योजना 'मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना' को जारी रखा। इस योजना के तहत नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति उन दो विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने प्रत्येक अकादमिक वर्ष की एम. ए. (हिन्दी) में सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

संक्षेप में, आपका बैंक राजभाषा संबंधी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने के साथ-साथ भारतीय भाषाओं का व्यवसाय विकास एवं ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि से उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बैंक की विरासत में सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु अपने विभिन्न विकास कार्यों के जरिए समाज सेवा का एक लंबा इतिहास है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक समाज कल्याण में एवं पर्यावरण संरक्षण विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए और उनके जीवन में सतत सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, मानव कल्याण और महिलाओं एवं हेल्थ केयर आदि के उत्थान के लिए अन्य सामाजिक गतिविधियां बैंक के प्रमुख केन्द्र बिन्द हैं। बैंक कमजोर वर्ग और ग्रामीण नागरिकों के लाभार्थ विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे विभिन्न संगठनों की मदद कर रहा है।

बैंक के पास देश के 11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 65 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) केंद्र हैं जो ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के नवयुवकों



को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्व-रोजगार सृजित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रारम्भ से इन केंद्रों ने 26,640 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 7.46 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है जिनमें से 5.16 लाख अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं या पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमने 62 आरएसईटीआई में आईपी-सक्षम सीसीटीवी कैमरा और 12 आरएसईटीआई में सौर पैनल स्थापित किए हैं, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय/ एनएसईआर द्वारा आरएसईटीआई में प्रशिक्षण कार्यक्रम की ऑनलाइन निगरानी के लिए अच्छा संकेत होगा और इससे भविष्य में बिजली की लागत में बचत होगी।

बैंक ने 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 86 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसीसी) भी स्थापित किए हैं जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं और शिक्षा प्रदान करते हैं। ये केंद्र वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा जागरूकता, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय नियोजन और व्यक्ति के ऋण-संबंधी संकट के निवारण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां भी करते हैं।" इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश भर में हमारे एफएलसी केंद्रों ने 3,91,580 लोगों को वित्तीय जागरूकता प्रदान करने के लिए 7933 बैठकें/ शिविर आयोजित किए।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक ने 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 196 वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्र (सीएफएल) भी स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य अभिनव पहलों और सहभागिता आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आदिवासी और पिछड़े ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों के तहत, बैंक प्रत्येक ऑटो ऋण/ आवास ऋण संवितरण के लिए एक पेड़ लगाने की परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

बैंक ने विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए भी दान दिया है, जैसे योग्य गरीब छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, स्कूल जाने के लिए चिल्ड्रन होम को यात्री वाहन का दान, अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य सेवा का दान, अस्पताल को जनरेटर सेट का दान, आरओ जल शुद्धिकरण प्रणाली की स्थापना के लिए दान, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत कोष के लिए दान और किसानों को कृषि उपकरण और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दान।

घरेलू अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

बॉबकार्ड लिमिटेड

बॉबकार्ड लिमिटेड (पहले बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की स्थापना 1994 में बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख व्यवसाय क्रेडिट कार्ड जारी करना है इसकी मुख्य विशेषता जो इसे दूसरों से अलग करती है, सरल, आसानी से समझ में आने वाले उत्पाद हैं, जो उचित मूल्य, सक्षम सेवा और सम्पूर्ण डिजिटल आवेदन के साथ आते हैं।

वित्त वर्ष 2025 बॉबकार्ड के लिए निरंतर विकास का वर्ष रहा जिसमें उसने अपने उद्योग की स्थिति को मजबूत करने और मूल बैंक के साथ निर्बाध एकीकरण गया। फरवरी, 2025 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने क्रेडिट कार्ड उद्योग में कार्ड और खर्च हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि जारी रखी। हम 2.7% की हिस्सेदारी के साथ कार्डों की बाजार हिस्सेदारी के मामले में 9वें स्थान पर हैं और 1.7% की खर्च हिस्सेदारी के साथ, मासिक खर्च के मामले में बॉबकार्ड 11वें स्थान पर है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में लगभग दस लाख से अधिक नए क्रेडिट कार्ड जारी किए और वृद्धिशील ग्राहक अधिग्रहण के मामले में सबसे बड़े जारीकर्ताओं में से एक बनी रही। कंपनी ने दोनों पोर्टफोलियो यानी स्वामित्व को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके अपनी दो-आयामी विकास रणनीति (एक तरफ बॉब ग्राहकों और दूसरी तरफ प्रमुख साझेदारियों) को मजबूत किया, जहां संरचना में विविधता लाने के लिए वित्त वर्ष 2025 में भुगतान और प्रीमियम कार्ड पर ध्यान केंद्रित किया गया और सह-ब्रांडेड कार्ड, जहां ग्राहक आधार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पिछले एक साल में, बॉबकार्ड की प्रौद्योगिकी पहलों ने उत्पाद, बुनियादी ढांचे, डिजिटल और अनुपालन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। यह यात्रा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू हुई। एक सहज सोर्सिंग क्षमता शुरू की गई, जिससे कागज रहित यात्रा संभव हुई और खुले बाजार में सक्रियता में सुधार हुआ। कार्ड पेशकशों का विस्तार करने और बाजार में पैठ बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता के तहत रूपे नेटवर्क पर ETERNA और TIARA नाम के दो नए उत्पाद सफलतापूर्वक आरंभ किए गए।

डिजिटल इकोसिस्टम में, मोबाइल ऐप में डीप लिंकिंग और सेल्फकेयर सर्विस के साथ स्मार्ट ईमआई विकल्प जैसी सुविधाओं के साथ रणनीतिक संवर्द्धन देखा गया। इन परिवर्तन को उपयोगिता में सुधार और उच्च ग्राहक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। साथ ही, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत, बहु-उपयोग के मामलों को शुरू करने और पूरे उद्यम में डेटा-संचालित निर्णयों को सशक्त बनाने के साथ हमारी एनालिटिक्स नींव को मजबूत किया गया।

बॉबकार्ड यूएनआई कार्ड जैसे प्रमुख लॉन्च ने हमारे निरंतर प्रदर्शन के दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। साथ ही, केंद्रीकृत व्यवसाय नियमों और डेटा संसाधन के साथ उद्यम-व्यापी ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भविष्य की विस्तार क्षमताओं के लिए आधार तैयार किया गया।

रिटेल और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ट्रिपस्टैक और ज़ैगल एकीकरण सेवा की पेशकश के साथ साझेदारी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्डधारकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नए यात्रा और होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म की अवधारणा बनाई गई, जिसने जीवनशैली सक्षमता में बॉबकार्ड की पहचान बनाई है।

व्यवसाय-आधारित नवाचार, तकनीक-संचालित निष्पादन और ग्राहक अनुभव के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के माध्यम से, वित्त वर्ष 2024-25 आधारभूत परिवर्तन का वर्ष था। अब हम वित्तीय सेवाओं के भविष्य को बढ़ाने, सुरक्षित करने और सरल बनाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

वित्त वर्ष 24-25 बॉबकार्ड के ब्रांड और मार्केटिंग प्रयासों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, जिसने कस्टमर – फ्रस्ट क्रेडिट कार्ड ब्रांड के रूप में अपनी मजबूत नींव रखी। टीम ने "रीइमेजिन क्रेडिट फॉर इंडिया" के तहत सर्वश्रेष्ठ अभियान शुरू किए- जिससे प्रासंगिकता, विश्वास और महत्वाकांक्षा को गहरा करने के लिए अंतर्दृष्टि-आधारित, उद्देश्य-संचालित संचार का लाभ प्राप्त हुआ। इन पहलों ने सभी प्लेटफॉर्म पर ब्रांड की प्रमुखता और ग्राहक जुड़ाव को मजबूत किया। #AurKyaChahiye, #LifeIsBetterWithBOBCARD, #ReimagineTheWomanCard, #ReimagineFestiveFun आदि प्रमुख अभियानों ने मजबूत डिजिटल दृश्यता प्रदान की और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया जुड़ाव को बढ़ावा दिया। बॉबकार्ड ब्लॉग की शुरुआत ने ग्राहक जागरूकता के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता को और बढ़ाया। इन निरंतर प्रयासों से न केवल व्यापार को गति मिली, बल्कि उद्योग जगत में भी मान्यता मिली, जिसमें कई सफलताएं शामिल हैं - पिच बीएफएसआई मार्केटिंग अवार्ड्स 2024 में रजत और कांस्य, और कैपेन इंडिया पीआर अवार्ड्स 2025 में दोहरा कांस्य - जिससे

बॉबकार्ड की स्थिति एक प्रदर्शन-संचालित, विपणन-नेतृत्व वाले ब्रांड के रूप में पुनः स्थापित हुई।

वित्तीय वर्ष 2025 (आईजीएपी वित्तीय) के लिए बॉबकार्ड लिमिटेड की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ में)

बॉबकार्ड लिमिटेड		
विवरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
कुल आस्तियां	5,217.15	6,671.78
चालू वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ/ (हानि)	59.27	56.74
चालू वित्तीय वर्ष में निवल एनपीए स्तर	32.65	137.30
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल ए 1+	क्रिसिल ए 1+
	इंडिया रेटिंग A1+	इंडिया रेटिंग A1+
आस्तियों पर रिटर्न	1.14%	0.85%

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बॉबकैप्स), बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जो सेबी पंजीकृत श्रेणी- मर्चेन्ट बैंकर है और साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सदस्यता के साथ स्टॉक ब्रोकर भी है।

बॉबकैप्स वित्तीय सेवाओं का विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें प्राइमरी मार्केट/ पीई फंड, ऋण समूहन, दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान, ऋण सिंडिकेशन, ऋण समाधान विलय एवं अधिग्रहण एडवाइजरी तथा स्टॉक ब्रोकिंग (संस्थागत और रिटेल दोनों) शामिल है। इसमें दो परिचालन सेगमेंट हैं यथा – निवेश बैंकिंग और ब्रोकिंग।

बॉबकैप्स ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान अपने व्यवसायों के लिए अच्छा कर्षण प्राप्त करना जारी रखा। निवेश बैंकिंग टीम ने मार्की आईपीओ, ओएफएस, राइट्स ऑफ़र, ऋण समाधान, ऋण सिंडिकेशन, डीसीएम और एम एंड ए सलाह सहित कई लेनदेन सफलतापूर्वक बंद कर दिए। निवेश बैंकिंग इक्विटी टीम ने भारती हेक्साकॉम, ओला इलेक्ट्रिक और पीएनजी ज्वेलर्स के आईपीओ; कोचीन शिपयार्ड और जीआईसी के ओएफएस; धनलक्ष्मी बैंक और शोभा डेवलपर्स के राइट्स ऑफ़र और कैस्पियन इम्पैक्ट के मर्जर एंड एक्जिजिशन परामर्श सलाह को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है। इन मैडेत्स ने डील क्रेडेंशियल्स स्थापित करने में मदद की है जो नए मैडेत्स हासिल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष के लिए, कंपनी को मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के निर्माण और खाता-अधिग्रहण लागतों के कारण नुकसान हुआ। कंपनी ने कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से अपने संपूर्ण रिटेल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को नया रूप दिया है। आईपीओ और ओएफएस के लिए निवेश बैंकिंग लीग तालिका में, कंपनी को इस वर्ष शीर्ष 15 में स्थान दिया गया है।

वित्त वर्ष 2025 के लिए बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

विवरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
कुल आस्तियां (करोड़ में)	169.00	160.88
वित्त वर्ष के लिए निवल लाभ/ हानि (करोड़ में)	(12.50)	(8.79)
ग्राहक आधार (संख्या)	2,08,768	3,17,264
शाखाओं की कुल संख्या (संख्या)	3	3

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज 2017 में बैंक-ऑफिस सेवाओं को एक इकाई में एकीकृत करने संबंधी रणनीतिक निर्णय का परिणाम है, जिससे कार्यों के दुहराव और बिजनेस यूनिट साइलो को कम करने, तालमेल लाने तथा अधिकतम कार्य परिणाम हासिल करने में मदद मिली है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में साझा सेवा प्रदाता के रूप में अग्रणी यह कंपनी 8 वर्षों के परिचालन के दौरान एक अग्रणी कंपनी और संबन्धित परिवेश के भीतर कई अन्य बैंकों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरी है।

एक साझा सेवा संगठन के रूप में, हम रिटेल आस्तियों (बिक्री, परिचालन और संग्रह); रिटेल देयता बैंक ऑफिस; व्यापार वित्त बैंक ऑफिस; कॉल सेंटर परिचालन; वित्तीय समावेशन सेवाएं; सरकारी व्यवसाय समर्थन सेवाएं; अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सपोर्ट (बॉब यूके सपोर्ट परिचालन) सहित उत्पादों और सेवाओं के व्यापक पोर्टफोलियो के माध्यम से मूल बैंक के लिए मूल्य सृजन कर रहे हैं। बीजीएसएस का लक्ष्य के लिए कम लागत आय अनुपात, कम क्रेडिट हानि, नए व्यवसाय संग्रहण और ग्राहक प्रतिधारण के माध्यम से स्वामित्व वाली बैंक के मूल्य सृजन करना है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने गृह ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, ट्रैक्टर ऋण के लिए ग्राहकों के संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने सेल्स टीम का अधिकतम लाभ उठाते हुए ~ 14 हजार करोड़ रुपये के कारोबार का योगदान दिया साथ ही सीओए को नियंत्रण में रखते हुए उत्पादकता में पर्याप्त सुधार दर्ज किया।

ऋण वसूली के संबंध में, कंपनी ने टेली-कॉलिंग (एसएमए0) सहायता प्रदान करके बैंक का सहयोग किया और ~₹65 करोड़ का पीओएस समाधान प्राप्त किया। इसके अलावा, उच्च व्यावसायिक प्रदर्शन करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, बीजीएसएसएल का कॉर्पोरेट बिजनेस कॉर्रेस्पॉन्डेंट (सीबीसी) परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹8.5 करोड़ हो गया, जबकि बीसी पाइंट्स की संख्या बढ़ाकर 1815 हो गई।

सुदृढ़ अनुपालन के साथ निरंतर सुधार पर जोर देते हुए, बीजीएसएसएल ने बैंक-ऑफिस परिचालन में अपनी उत्पादकता/दक्षता को ~14% वर्ष-दर-वर्ष बढ़ाया और 9 प्रक्रियाओं में आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन), आईएसओ 22301:2019 (व्यावसायिक निरंतरता) और आईएसओ 27001:2013 (सूचना सुरक्षा) के लिए निगरानी ऑडिट को सफलतापूर्वक पूरा किया।

सूचना सुरक्षा के महत्व को समझते हुए, कंपनी ने विभिन्न समाधानों को लागू किया है, जैसे कि रियलटाइम प्रबंधित जांच और प्रतिक्रिया संचालित साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र; डेटा हानि रोकथाम समाधान; अगली पीढ़ी का फ़ायरवॉल; सुरक्षित वेब गेटवे।

वार्षिक सीएसएटी सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 91.41% का बेहतर स्कोर प्राप्त हुआ। बीजीएसएसएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित



दर्पण सर्वेक्षण (कर्मचारी सर्वेक्षण) में 4.40 का स्कोर प्राप्त किया। कंपनी ने योग्यता आधारित प्रतिभा अधिग्रहण (सीबीटीए) प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया। इसने एक अत्याधुनिक शिक्षण उपकरण - "ज्ञानसागर एडुरिंगो" भी लागू किया।

बीजीएसएस वित्तीय प्रदर्शन का एक संक्षिप्त झलक

(₹ करोड़ में)

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड (बीजीएसएस)		
विवरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025*
कुल आय	348.74	285.13
खर्च	323.25	265.55
पीबीटी	25.49	19.58
पीएटी	19.77	16.00
पीएटी %	5.67%	5.61%

* वित्त वर्ष 2025 के आकड़ें गैर लेखापरिचित हैं।

बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 5 जुलाई, 2017 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज, मुंबई, महाराष्ट्र में पंजीकृत हुई। कंपनी को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में बदलते आईटी समर्थित व्यवसाय समाधान/ आईटी सॉफ्टवेयर उत्पाद की प्रयोक्ता और क्रियान्वयन से संबंधित मामलों पर सिस्टम इंटीग्रेट/ परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित गया है।

कंपनी ने अभी तक पूर्ण परिचालन शुरू नहीं किया है और यह बैंक के विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों में तकनीकी दक्षता प्रदान करने वाली विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए उद्यमवार आईटी परियोजनाओं और वित्तीय उत्पादों के विकास और समाधानों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम / परियोजना प्रबंधन जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

नैनीताल बैंक लिमिटेड (एनबीएल), जिसे मूल रूप से स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा 1922 में प्रवर्तित किया गया था, 1973 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की सहायक कंपनी बन गई। नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक की हिस्सेदारी 98.57% है। एनबीएल का पंजीकृत कार्यालय नैनीताल में है और यह पाँच राज्यों में परिचालन करता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), हरियाणा और राजस्थान। 31 मार्च 2025 तक एनबीएल की 173 शाखाएँ हैं। 31 मार्च 2025 को NBL का कुल कारोबार ₹13,225.68 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च 2024 तक ₹13,086.87 करोड़ था। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में ₹50.61 करोड़ का शुद्ध लाभ पोस्ट किया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ ₹47.10 करोड़ था।

बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीबीएनपीए एएमसी)

बीबीएनपीपी एएमसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा की बहुसंख्यक स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। बीबीएनपीपी एएमसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा (50.10% शेयरधारिता) और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (49.90% शेयरधारिता) की एक संयुक्त उद्यम है। यह कंपनी बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजर है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बीएनपी परिबास एएम दोनों के पास भारत में तत्कालीन निधि प्रबंधन व्यवसाय थे, जिन्हें इस संयुक्त उद्यम

बनाने के लिए मार्च 2022 में विलय कर दिया गया था।

बीबीएनपीपी एएमसी अपने प्रायोजकों की ताकत पर विश्वास करती है। एएमसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा के विशाल नेटवर्क और स्थानीय पहुंच तथा बीएनपी परिबास आस्ति प्रबंधन की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और बाजार ज्ञान का लाभ उठाता है। पिछले कुछ वर्षों में, एएमसी ने निवेश क्षमताओं, उत्पाद रेंज, पहुंच और वितरण को मजबूत करने में आक्रामक रूप से निवेश किया है। एएमसी ने जनवरी-मार्च 2025 के दौरान 45,541 करोड़ रुपये के एमएफ एयूएम का प्रबंधन किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 28% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, एएमसी ने गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोली और फंड मैनेजमेंट एंटीटी (एफएमई) के रूप में पंजीकृत हुई और वर्तमान में 31 मार्च, 2025 तक 4,105 करोड़ रुपये के एयूएम के साथ विदेशी ग्राहकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन और सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। सुदृढ़ एयूएम वृद्धि और लागत अनुशासन से प्रेरित होकर, इसने उल्लेखनीय लागत बचत की है। सकारात्मक जॉ प्रभाव से वित्त वर्ष 24-25 के लिए लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 24-25 के लिए बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(₹करोड़ में)

बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		
विवरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025**
कुल आस्तियां	191.43	258.53
चालू वित्त वर्ष के लिए निवल लाभ	6.11	51.88
प्रबंधन के तहत औसत आस्तियां (एयूएम)	37,903*	49,646*
कुल एयूएम के लिए इक्विटी (%)	62%	64%

* इसमें वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में ₹ 2,257 करोड़ और वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में ₹ 4,105 करोड़ की एडवाइज़री एयूएम शामिल है।

** वित्त वर्ष 2025 के आकड़ें गैर लेखापरिचित हैं।

म्यूचुअल फंड के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ भारतीय मध्यम वर्ग की बढ़ती आकांक्षा के कारण भारतीय एमएफ उद्योग में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। एक उत्साहजनक प्रवृत्ति यह है कि छोटे शहर इस दृष्टि से बड़े शहरों की तुलना में दोगुनी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। भारत के पास संभवतः दुनिया में सबसे अच्छा डिजिटल लेनदेन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे ग्राहक तेजी से डिजिटल अपना रहे हैं। हमारी एएमसी भारत में सुदृढ़ उपस्थिति बनाने के लिए इन सभी रुझानों का लाभ उठा रही है।

एएमसी एक शीर्ष स्तरीय फंड हाउस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो भारत में घरेलू ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार तक पहुंचने में मदद करें।

बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का विलय बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के साथ 14.03.2022 से प्रभावी हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गठन हुआ जिसमें बैंक की हिस्सेदारी 50.10% और बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड की हिस्सेदारी 49.90% है। यह बड़ौदा म्यूचुअल फंड / बीबीएनपीपी एएमसी के लिए एक शासकीय निकाय है, जिसमें सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत निर्धारित अनुसार एक विधिवत गठित निदेशक मंडल है।

इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, बैंक ऑफ़ बड़ौदा की एक घरेलू अनुषंगी है जो कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रवर्तित है, जिसका स्वामित्व वारबर्ग पिंग्स एलएलसी द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी फंडों के पास है। यूनिन बैंक ऑफ़ इंडिया कंपनी का एक निवेशक है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी ₹1,435 करोड़ है (शेयर प्रीमियम सहित)

वित्त वर्ष 2025 में, इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ ने 3.5% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹7,218 करोड़ का कुल सकल लिखित प्रीमियम पोस्ट किया। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में निजी जीवन बीमा कंपनियों के बीच व्यक्तिगत नए व्यवसाय एपीई (नियमित प्रीमियम + 10% पर एकल प्रीमियम) पर 12वां स्थान बनाए रखा। 31 मार्च 2025 तक इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ की प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) ₹30,968 करोड़ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए ₹102.3 करोड़ का शुद्ध लाभ और ₹9,238 करोड़ की कुल आय दर्ज की। इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ ने वित्त वर्ष 2024-25 में 41,668 दावों का निपटारा किया, जिनकी राशि 801 करोड़ रुपये से अधिक थी।

इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ को लगातार सातवीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क (जीपीटीडब्ल्यू) के रूप में प्रमाणीकृत किया गया जिसे जीपीटीडब्ल्यू द्वारा 'बीएफएसआई में भारत के 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल' में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ व्यावसायिक, शैक्षणिक और सरकारी संगठनों में उत्कृष्ट कार्यस्थलों को परिभाषित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक के रूप में माना जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ को 2024 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के रूप में भी सम्मानित किया गया है। इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ को नवभारत बीएफएसआई कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2025 में 'निजी जीवन बीमा में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता' भी नामित किया गया है।

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड (इंफ्राडेब्ट) भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ़) - एनबीएफसी है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इस इंफ्राडेब्ट के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और सिटी कॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड एवं भारतीय जीवन बीमा निगम इसके अन्य शेयरधारकों में शामिल हैं। यह इंफ्राडेब्ट अपेक्षाकृत ऐसी सुरक्षित, पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है जिन्होंने एक वर्ष का वाणिज्यिक परिचालन पूर्ण कर लिया हो। इसकी स्थापना के बाद से इसे क्रिसिल, आईसीआरए और भारत रेटिंग द्वारा एएए/ स्टेबल आउटलुक के रूप में रेट किया गया है। इंफ्राडेब्ट को इसकी सभी आय पर 100% आयकर रियायत प्राप्त है।

मजबूत, स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं- विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और सड़क परियोजनाओं और हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए ऋण देने पर इंफ्राडेब्ट का ध्यान केंद्रित होने के कारण बैंक में सहक्रियता उत्पन्न होती है और इस प्रकार भारत में हरित ऊर्जा को बढ़ावा तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जाता है। इंफ्राडेब्ट का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है। वित्त-वर्ष 2025 के दौरान को इसकी ऋण बही ₹ 25,595 करोड़ रही और निवल लाभ ₹ 518 करोड़ और इक्विटी पर रेटर्न 14.9% रहा। इंफ्राडेब्ट पिछले आठ, वर्षों से लगातार लाभांश भी दे रही है।

बैंक की सभी घरेलू अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों का वित्तीय वर्ष 2025 का संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

इकाई	स्वामित्व वाली धनराशि	कुल आस्ति	निवल लाभ	कार्यालय	कर्मचारी
बॉबकार्ड लिमिटेड	1441.10	6,671.78	56.74	40	554
बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	140.00	160.88	(8.79)	4	140
**बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड	4.96	5.06	0.17	1	0
**बड़ौदा ग्लोबल शेयर्स सर्विसेज लिमिटेड	74.85	102.68	16.00	4	4195
दि नैनीताल बैंक लिमिटेड	837.34	9360.48	50.61	173	1211
**बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	208.98	258.53	51.88	18	359
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,285.00	30,968	102.00	63	4,740
इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड	3708.94	28074.74	518.47	1	31

*3489 बीजीएसएस पेरोल पर एवं 706 थर्ड पार्टी कर्मचारी

** वित्त वर्ष 2025 के आकड़ों गैर लेखापरिचित हैं।

बैंक को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान

विपणन, प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा, वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन दक्षता और नवाचार में हमारी उपलब्धियों को उजागर करने वाले बैंक के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए, बैंक को वित्त वर्ष 2025 के दौरान कई पुरस्कारों और सम्मान प्रदान किए गए जो निम्नानुसार हैं;

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स की श्रेणी में सीएक्सओ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने द ग्रेट इंडियन बीएफएसआई अवार्ड्स 2024 में तीन पुरस्कार जीते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:
 - वर्ष का सोशल मीडिया अभियान - बॉब x स्पॉटिफ़ाई
 - इंफ्लुएंसर कैम्पेन ऑफ़ द इयर - पहचानकॉन
 - सोशल मीडिया कैम्पेन ऑफ़ द इयर - बॉब के संग त्यौहार की उमंग
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अखिल भारतीय सीआईआई एसईसीईक्स 2024 में तीन शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में स्थान दिया गया। सीआईआई एसईसीईक्स एक राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना साइबर सुरक्षा संचालन अभ्यास है, जिसे एनसीआईआईपीसी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने आईबीएस - इंडिया बैंकिंग समिट एंड अवार्ड्स 2024 में 'सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन समाधान प्रदाता' का पुरस्कार जीता।



- ई4एम गोल्डन माइक्स रेडियो और ऑडियो सम्मेलन और पुरस्कार 2024 में, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:
 - गोल्ड मेटल - बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ बिग एफएम के बिग ग्रीन गणेश के लिए दीर्घकालिक प्रभावशीलता के लिए रेडियो का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी के लिए।
 - सिल्वर मेटल - बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ बिग एफएम की बिग अंताक्षरी के लिए सबसे अनोखी प्रोग्रामिंग अवधारणा/विचार श्रेणी श्रेणी के लिए।
 - सिल्वर मेटल - बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ बिग एफएम की बिग अंताक्षरी के लिए रेडियो पर सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम लॉन्च श्रेणी श्रेणी के लिए।
 - सिल्वर मेटल - बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ बिग एफएम की बिग अंताक्षरी के लॉन्च/रीलॉन्च के लिए रेडियो के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी श्रेणी के लिए।
 - रेड एफएम पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बॉब आर्मी अभियान के लिए कांस्य पदक।
- वर्ल्ड फायनांस बैंकिंग अवार्ड 2024 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग समूह घोषित किया गया।
- क्वांटिक इंडिया द्वारा आयोजित सीएक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ संपर्क केंद्र (बैंकिंग)' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अफाक्स मार्केटर्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 में #PehchaanCon के लिए 'बेस्ट इन्फ्लुएंसर कैपेन' का पुरस्कार जीता।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने बड़े बैंकों (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) श्रेणी में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट सार्वजनिक क्षेत्र उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 जीता।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने बीएफएसआई क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए एलेट्स बीएफएसआई राइजिंग लीडर्स अवार्ड 2024 जीता।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने फिनक्राइम एक्सपर्ट कॉन्क्लेव में दो पुरस्कार जीते: 1) एएमएल के लिए प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में उत्कृष्टता 2) एएमएल के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाली बीएफएसआई टीम।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने कलेक्शन एंड रिकवरी समिट इंडिया में तीन पुरस्कार जीते।
 - जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क - पीएसबी श्रेणी में वसूली प्रथाएँ।
 - प्राप्य प्रबंधन कार्य-पीसीबी श्रेणी में बिजनेस रिइजीनियरिंग।
 - पोर्टफोलियो प्रबंधन रणनीतियाँ- पीएसबी श्रेणी में प्राप्य प्रबंधन-आरएएम।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अपने 117वें स्थापना दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान की शपथ के लिए इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।
- राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा को वर्ष 2023-2024 के लिए भारत सरकार की 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना के अंतर्गत 'प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।
- प्रमुख - विपणन एवं ब्रांडिंग, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को लक्ष्य पिच बेस्ट सीएमओ अवार्ड्स 2024 में अग्रणी सीएमओ के रूप में मान्यता दी गई है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ईटी नाउ आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ़ इंडिया के 7वें संस्करण में भारत के आइकॉनिक ब्रांड्स में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
- प्रमुख - विपणन एवं ब्रांडिंग, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को मार्केटिंग मेवरिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में 'डन एंड ब्रैडस्ट्रीट मार्केटिंग मेवरिक्स 2024' में से एक के रूप में चुना गया है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की ऋण देने वाली कंपनियों पर एसोचैम के 19वें वार्षिक शिखर सम्मेलन और पुरस्कार में बड़े और मध्यम आकार के बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को लगातार तीसरे वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए 'बैंक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बीएफएसआई श्रेणी में डिजिटल संपर्क केंद्र के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2024 प्राप्त हुआ।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ईटी नाउ द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को वार्षिक आईबीए टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
 - एआई/एमएल अपनाने में सर्वश्रेष्ठ बैंक- विजेता
 - आईटी जोखिम प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ बैंक-विजेता
 - बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक- उपविजेता
 - बेस्ट टेक टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन- उपविजेता
 - विशेष उल्लेख- सर्वश्रेष्ठ फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने वित्तीय क्षेत्र (बैंकिंग) के अंतर्गत गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2024 जीता।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को आईबीईएक्स इंडिया 2025 बीएफएसआई प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया - प्रौद्योगिकी के सर्वाधिक नवीन उपयोग में उपविजेता।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को आईबीईएक्स इंडिया 2025 बीएफएसआई प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में सम्मानित किया गया - उन्नत ग्राहक सेवा अनुभव के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट उपयोग में उपविजेता स्थान।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को आईबीए-ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए "पीएसयू कंज्यूमर सेगमेंट" में सर्वश्रेष्ठ डेटा पूर्णता पुरस्कार (प्रथम रनर अप) प्राप्त हुआ।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एएमएफआई म्यूचुअल फंड समिट 2025 में "नेट सेल्स - इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड" श्रेणी में विजेता बैंक घोषित किया गया।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने ईज 6.0 इंडेक्स में कर्मचारी और मानव संसाधन संचालन के लिए #1 स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक को

ग्राहक सेवा उत्कृष्टता और एनालिटिक्स-संचालित व्यवसाय सुधार में #3 स्थान दिया गया है।

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को सीआईआई द्वारा 'मानव संसाधन उत्कृष्टता में उल्लेखनीय उपलब्धि' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ईटी नाउ बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड्स 2025 पुरस्कार मिला।

लाभांश वितरण नीति

बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹ 8.35 का लाभांश की अनुशंसा की है। इस प्रकार लाभांश के रूप में कुल व्यय ₹ 4,318.09 करोड़ का व्यय होगा। इस लाभांश का भुगतान अपेक्षित अनुमोदनों के अधीन है। लाभांश वितरण नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / उनके कार्यकाल की समाप्ति)

नियुक्तियां

डॉ. एम.पी. तंगिराला को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 13 मई, 2024 से अगले आदेश तक पद पर बने रहने के लिए सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

श्री रवीन्द्रन मेनन को बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत 16 मई, 2024 से 15 मई, 2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया।

श्री विजय दुबे को बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत 9 जुलाई, 2024 से 8 जुलाई, 2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया।

श्रीमती बीना वाहिद को बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 9 अगस्त, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री मनोरंजन मिश्रा को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 12 दिसंबर, 2024 से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया, जो अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।

कार्यकाल की समाप्ति:

श्री अजय के. खुराना अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 1 अप्रैल, 2024 से कार्यकारी निदेशक के पद पर नहीं रहे।

डॉ. एम.पी. तंगिराला की नियुक्ति के पश्चात श्री मुकेश कुमार बंसल, 13 मई, 2024 से सरकारी नामित निदेशक के पद पर नहीं रहे।

श्री आलोक वाजपेयी 3 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा होने पर 9 जुलाई, 2024 से शेयरधारक निदेशक के पद से मुक्त हो गए।

श्री मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति के बाद श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम 12 दिसंबर, 2024 से आरबीआई नामित निदेशक के पद पर नहीं रही।

श्री अजय सिंघल 21 दिसंबर, 2024 को अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर नहीं रहे।

बोर्ड का मूल्यांकन

बैंक, पीएसबी गवर्नेस सुधार - गैर-सरकारी निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेस में वृद्धि हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 30 अगस्त, 2019 का पालन कर रहा है।

कॉर्पोरेट गवर्नेस पर लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र :

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के 'भाग ई' के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है।

व्यावसायिक दायित्व और स्थिरता संबंधी रिपोर्ट (बीआरएसआर)

सेबी द्वारा आवश्यक, व्यावसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.co.in) पर उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशकगण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

- तथ्यात्मक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सही एवं विश्वसनीय स्थिति तथा उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके;
- निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने तथा उनका पता लगाने हेतु बैंक के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखों को व्यवसाय की निरंतरता के आधार पर तैयार किया है; और
- निदेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनाया जा रहा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहे हैं। स्पष्टीकरण : इस खंड के उद्देश्यों के अनुरूप "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" शब्दावली का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है। इसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता और संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना शामिल है;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनाई थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थीं।



आभार

निदेशकों ने श्री अजय के. खुराना निवर्तमान कार्यकारी निदेशक, श्री मुकेश कुमार बंसल निवर्तमान भारत सरकार नामित निदेशक, श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम निवर्तमान आरबीआई नामित निदेशक, श्री आलोक वाजपेयी निवर्तमान शेयरधारक निदेशक और श्री अजय सिंघल निवर्तमान गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा किए गए योगदान की सराहना की।

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकरणों और विदेशी विनियामकों के प्रति उनके सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति बैंक के साथ उनके विश्वसनीय नियमित बैंकिंग संबंधों के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल सभी शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक एक्सचेंजों और भारत तथा विदेश स्थित अपने हितैषियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता एवं समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल बैंक के कर्मचारियों के कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्ण समर्पण के लिए उनकी सहृदय प्रशंसा व्यक्त करता है।

देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIRECTORS' REPORT

“Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Seventeenth Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2025(FY 2025)”.

Business Performance & Key Financials

(₹ in Crore)

		FY 2024	FY 2025
Global Deposits		13,35,136	14,72,035
	of which - International Deposits	1,98,444	2,29,866
Domestic Deposits		11,36,692	12,42,169
of which	Current Account Deposits	76,386	87,778
	Savings Bank Deposits	3,90,014	4,08,684
Domestic CASA Deposits		4,66,400	4,96,462
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)		41.03	39.97
Net Advances		10,65,782	12,09,558
Global Gross Advance		10,90,506	12,30,461
of which	International Advances	1,923,90	2,09,349
	Domestic Advance	8,98,116	10,21,112
Total Business (Global Deposit + Global Gross Advance)		24,25,642	27,02,496
Total Assets		15,85,797	17,81,247
Net Interest Income (NII)		44,722	45,659
Other Income		14,495	16,647
	Of which Trading Gains	1,492	2,266
Operating Income (NII + Other Income)		59,217	62,306
Operating Expenses		28,252	29,871
Operating Profit		30,965	32,435
Provisions (Other than Tax)		6,076	5,980
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off		6,471	5,170
Profit Before Tax		24,890	26,454
Provision for Tax		7,101	6,873
Net Profit		17,789	19,581
Appropriations/Transfers			
Statutory Reserve		4,447.20	4895.29
Capital Reserve		104.17	451.49
Revenue and Other Reserves			
I) General Reserve		8,079.23	8415.21
II) Special Reserve u/s 36 (I) (viii) of the Income Tax Act 1961		615.92	1446.53
III) Investment Reserve Account		563.86	-
IV) Investment Fluctuation Reserve		-	-
V) Statutory Reserve (Foreign)		48.17	54.55
Proposed Dividend		3,930.24	4318.09



Total deposits of the bank increased to ₹14,72,035 crore in FY 2025 from ₹13,35,136 crore in FY 2024, there by registered a growth of 10.3 % on a YoY basis. The domestic CASA of the bank grew by 6.4% on a YoY basis, to reach to the level of ₹4,96,462 crore in FY 2025. The Domestic Deposit grew by 9.3% on a YoY basis and reached to ₹12,42,169 crore in FY 2025. The Global Gross advance of the Bank reached to the level of ₹12,30,461 crore in FY 2025 as compared with ₹10,90,506 crore in FY 2024 by registering a growth of 12.8% on a YoY basis. The Total Business of the Bank grew to ₹27,02,496 crore in FY 2025 crore from ₹24,25,642 crore in FY 2024, registered a growth of 11.4% on YoY basis.

Net Interest Income of the Bank increased to ₹45,659 crore in FY 2025 from ₹44,722 crore in FY 2024, grew by 2.1% on a YoY basis. Other Income of the Bank increased to ₹16,647 crore in FY 2025 which was at ₹14,495 crore in FY 2024, thereby registered a growth of 14.8% on a YoY basis. Operating expenses of the Bank stood at ₹29,871 crore in FY 2025 as compared with ₹28,252 crore in FY 2024. Operating Income of the Bank increased to ₹62,306 crore in FY 2025 from ₹59,217 crore in FY 2024, registered a growth of 5.2% on a YoY basis.

The Bank reported a Net Profit of ₹19,581 crore in FY 2025 against ₹17,789 crore in FY 2024, grew by 10.1% on a YoY basis. The Operating profit of the Bank grew by 4.7% at ₹32,435 crore in FY 2025 as compared with ₹30,965 crore in FY 2024.

Key Performance indicators

Key Performance Indicators	FY 2024	FY 2025
Net Interest Margin – Global (%)	3.18	3.02
Cost-Income Ratio (%)	47.71	47.94
Return on Average Assets (ROAA) (%)	1.17	1.16
Return on Equity (%)	18.95	16.96
Book Value per Share (₹)	181.48	223.26
Basic EPS (₹)	34.40	37.86

Net Interest Margin (NIM) stood at 3.02% in FY 2025 as against 3.18% in FY 2024. Cost to income ratio stood at 47.94% in FY 2025 from 47.71% in FY 2024. Return on Avg.Assets stood at 1.16% in FY 2025 as against 1.17% in 2024. Return on Equity stood at 16.96% in FY2025 as against 18.95% in FY2024. Book value per share increased to ₹223.36 in FY 2025 from ₹181.48 in FY 2024. Earnings Per share increased to ₹37.86 in FY 2025 from ₹34.40 in FY 2024.

Average Cost & Yield of funds and Average Interest earning Assets

Key Performance Indicators	FY 2024	FY 2025
Average Cost of Funds (%)	5.12	5.27
Average Yield on Funds (%)	8.01	8.04
Average Interest Earning Assets (₹ in crore)	14,05,271	15,10,144
Average Interest Bearing Liabilities (₹ in crore)	13,26,655	14,38,612

The average cost of fund and yield of fund stood at 5.27% and 8.04% in FY 2025. Average Interest Earning asset increased

to ₹15,10,144 crore in FY 2025 from ₹14,05,271 crore in FY 2024. The Average Interest Bearing Liabilities also increased to ₹14,38,612 crore in FY 2025 from ₹13,26,655 crore in FY 2024.

Capital Adequacy Ratio

(Ratio in %)

Particulars	FY 2024	FY 2025
Capital Adequacy Ratio Basel III	16.31	17.19
CET I	12.54	13.78
Tier I	14.07	14.79
Tier II	2.24	2.40

The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank increased to 17.19% as of March 31, 2025 from 16.31% as of March 31, 2024. CET-1 ratio increased to 13.78% in FY 2025 from 12.54% in FY 2024. The consolidated capital adequacy ratio of the Bank was 17.60 % as of March 31, 2025 against 16.68% as of March 31, 2024.

During FY 2025, the Bank issued Tier 2 capital of ₹ 3500 crore.

Net worth

The Bank's net worth for FY 2025 increased to ₹1,15,457.35 crore from ₹93,850.76 crore for the FY 2024. The net worth comprising of paid-up equity capital of ₹1,035.53 crore and reserves of ₹1,14,421.82 crore (excluding revaluation reserves, foreign currency translation reserves and other intangible assets).

Book value per share (Face Value ₹2) increased to ₹223.26 in FY 2025 from ₹181.48 in FY 2024.

Provisions towards Retirement and other benefits

During FY 2025, the Bank made provision towards contribution to gratuity (₹1206.71 crore), pension funds (₹2216.33 crore), leave encashment, additional retirement benefits and other benefits (₹467.15 crore). Total provisions under these categories amounted to ₹3890.19 crore during FY 2025.

Dividend Distribution

Board of Directors of the bank has recommended a dividend of ₹8.35 per share for the financial year ended March 31, 2025. The total outgo in the form of dividend will be ₹4,318.09 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals.

Management Discussion and Analysis

Global Economy

Global growth in 2024 remained steady with economies that contribute over 60% to the world GDP witnessing election. According to the IMF's World Economic Outlook, global GDP growth was solid at 3.2% in 2024 compared with 3.3% in 2023. Despite stable global growth, significant differences have been noted across various countries and regions. The ongoing geopolitical conflict in the Middle East and extreme weather conditions resulted in some disruptions and had an adverse impact on emerging and developing economies.

Within the advanced economies, US registered stable growth of 2.8% in 2024 compared with 2.9% growth in 2023. This was supported by stronger consumption and non-residential investment. In Euro Area, GDP growth was recorded at 0.9% in 2024, up from 0.4% in 2023, driven by strong demand conditions. High real wages also helped consumption. Within the Euro Area, Spain recorded a robust growth of 3.2% in 2024 (2.7% in 2023). In Germany, the pace of contraction has slowed marginally to -0.2% in 2024 against -0.3% in 2023. Economic growth in the UK performed much better than expected at 1.1% in 2024 compared with just 0.3% in 2023. On the other hand, growth in Japan decelerated to 0.1% in 2024 from 1.5% in 2023 amidst lower inflation.

Emerging and Developing economies (EMDE) registered stable growth of 4.3% in 2024. Growth in China moderated marginally to 5% in 2024 from 5.2% in 2023. Positive impetus to growth was provided by exports, especially during the last months of the year. Notably, property sector which declined back in 2021, showed early signs of stabilisation supported by concerted efforts of policymakers in Sep'24.

On the inflation front, consumer prices in the advanced economies eased down to 2.6% in 2024 from 4.6% in 2023. Even for EMDEs, inflation cooled off to 7.7% in 2024 from 8% in 2023. The moderation was led by lower energy and food prices. This has also led to a significant moderation in inflation in a few advanced economies which started to fall below the target. Despite the disinflationary impact, core inflation in certain pockets have remained elevated due to pick up in service inflation.

In 2024, global central banks made the decisive shift towards easing monetary policy. The Fed began the easing cycle with 50bps cut in Sep'24, and ended the year with a total of 3 cuts in 2024 bringing the federal fund rate to 4.25% to 4.5%. Separately, ECB has made 4 rate cuts in 2024, lowering its deposit rate to 3% from 4% earlier. Bank of England lowered rates twice in 2024, bringing the interest rate down from 5.25% to 4.75%. Given that inflation rate did not align to the central bank target mark in 2024, Reserve Bank of Australia kept rates steady. On the other hand, signalling policy divergence, BoJ raised rates twice in 2024 to 0.1%, moving away from the negative interest rate regime.

Global economy has witnessed unprecedented series of shocks in the past. However, global growth is showing signs of stabilizing with inflation inching closer to the target mark, and a pivot towards monetary easing cycle. However, there are headwinds pertaining to geopolitical conflicts, adverse shift in trade policy, and heightened policy uncertainty pose downside risks to global economic outlook. This raises the possibility of tighter global financial conditions, thereby raising the prospects of global growth to be divergent and uncertain in 2025.

Based on this, IMF has projected world economy to grow at a slower pace of 2.8% in 2025, with risks tilted to the downside. The policy shifts, escalating trade conflicts and uncertainties is expected to hinder global growth. The shift in trade policies could result in capital outflows and tightening of global financial conditions, especially for emerging markets.

Growth in EMDEs is projected to be lower at 3.7% in 2025. This will be driven by China which is expected to register a lower GDP growth of 4%, given weaker domestic demand and the impact of tariffs. Even economies such as Russia and Brazil are expected to clock slower growth 1.5% and 2% respectively. India's GDP growth is expected at 6.2%, which is tad lower than RBI projection of 6.5%.

For AEs, growth will be weaker at 1.4% in 2025, with the US economy expected to grow by 1.8% amidst softer demand outlook, policy uncertainty and trade tensions. Euro Area is projected to grow at a slower pace of 0.8%, weighed down by tariffs and growing uncertainty. Growth in France and Italy is expected to moderate to 0.6% and 0.4% respectively in 2025, while Germany is expected to come out of the recession. On the other hand, GDP growth in Japan is expected to expand by 0.6%, while GDP growth in UK is expected remain stable at 1.1%.

Global inflation is projected to moderate to 4.3% in 2025, with inflation in advanced economies expected to converge to the target mark compared with emerging market and developed economies. Even as the inflation outlook has improved, the effects of tariffs impositions will vary across countries. Trade tariffs act as a supply shock with countries imposing the tariffs experiencing higher unit costs and lower productivity. On the other hand, tariffed countries are expected to face negative demand shock as export demand will be lower and there will be downward pressure on prices. The trade uncertainty has also added a layer of demand shock for businesses and these could result in tighter financial conditions along with higher exchange rate volatility. The global trade growth is also expected to slow down on account of increased tariff restrictions which will affect the trade flows.

Indian Economy

Growth in the Indian economy continues to showcase resilience backed by strong macro fundamentals, even as growth came off a high base. The economy clocked a growth of 6.5% in FY 2025 compared with a growth of 9.2% in FY 2024. Industry growth normalised as it rose by 5.6% against 10.8% in FY 2024. This trend was more noticeable in case of manufacturing sector, as its growth eased to 4.3% in FY 2025 from 12.3% in FY 2024, reflecting base-effect. Other sub-sectors such as mining (2.8% versus 3.2%), construction (8.6% versus 10.4%) and utilities (6% versus 8.6%), recorded only marginal softening.

Services sector too registered some moderation (7.3% in FY 2025 versus 9% in FY 2024), but continued to record above 7% growth, supported by sustained momentum in public spending (8.8% in FY 2025, unchanged from last year). Other sub-sectors such as trade, hotels, transport, communication & services related to broadcasting, and financial, real estate & professional services noted some softening in growth. This trend was also visible in related high frequency indicators such as services PMI, domestic passenger traffic, vehicle sales, rail freight and port cargo traffic.

On price front, headline inflation averaged 4.6% in FY 2025 down from 5.4% in FY 2024. This is well-below RBI's upper tolerance band of 6%. From 4.9% in Q1, headline inflation



eased to 4.2% in Q2, driven by moderation in food inflation. Within food, downward pressure was recorded in prices of cereals, vegetables, fruits and pulses, amidst good monsoon and higher Kharif sowing. However, by Q3 there was some upward pressure in food and fuel prices, which pushed headline inflation higher to 5.6%. Following this in Q4, when economies around the world were hit by trade war shock, global commodity prices softened. Food inflation also came down significantly, led by vegetable inflation. For FY26, RBI expects headline CPI to moderate further to 4% with risks evenly balanced and assuming a normal monsoon.

India's fiscal deficit for Apr-Feb'25 (FYTD25) stood at ₹13.5 lakh crore which is around 85.8% of the revised annual target for the year. For FY 2025, government has set fiscal deficit (% of GDP) target at 4.8% (at ₹15.7 lakh crore) lower than 4.9% set as per budget estimates. In FYTD25 so far, centre's net tax revenues has risen by 13.5%, non-tax revenues have expanded by 36.9%. For FY26, it is estimated that the fiscal deficit target will be much lower than last year at 4.4% of GDP.

India's external position in FY 2025 showed signs of revival, as export growth improved. Exports rose by 0.1% in FY 2025, after declining by (-) 3.1% in FY 2024. Signalling robust domestic demand, and led by less sharp decline in international oil prices, import growth also picked up pace and rose by 6.2% in FY 2025 following (-) 5.3% decline in FY 2024. With this India's trade deficit widened to US\$ 282.6bn in FY 2025 from US\$ 241.1bn in FY 2024. On the currency front, INR ended lower by 2.1% in FY 2025 against a depreciation of 2.9% in FY 2024. Dollar index during this period strengthened by 1.4%.

On monetary policy front, RBI embarked upon rate cut cycle from end of the last fiscal year (Feb'25) when it announced 25bps reduction in rates. At that time stance was left unchanged. At the beginning of the new financial year (FY26), the central bank has delivered another 25bps rate cut in Apr'25 and has changed the stance to 'accommodative' from 'neutral'. It has also lowered both its growth and inflation projections for FY26 to 6.5% (6.7% estimated in Feb'25 policy) and 4% (4.2%) respectively. We expect the economy to clock a growth of 6.4-6.6% in the same period.

Developments in Indian Banking

Credit growth of SCBs decelerated in FY 2025 to 11% (increase of Rs. 18.1 lakh crore), while deposit growth was lower at 10.3% (increase of Rs. 21.1 lakh crore), which explained the liquidity deficit in the system. Notably, both credit and deposit growth in FY 2025 was lower than last year. In FY 2024, credit and deposit rose by 20.2% and 13.5% respectively. The credit deposit ratio of the banking system stood at 80.8% in FY 2025, marginally higher than 80.5% in FY 2024. On a sectoral level, credit to services and personal loans moderated sharply in FY 2025. This can be attributed to an increase in risk weights on banks' lending to NBFCs and certain categories of personal loans. However, in Feb'25, RBI restored the risk weights on NBFCs lending by banks as per the external rating, which became applicable from FY26 and should boost credit growth to this sector.

Liquidity situation continued to remain volatile in FY 2025, with a marginal liquidity surplus in H1FY 2025, which turned into a deficit in H2FY 2025. The liquidity deficit was much more acute in Q4FY 2025, with an average daily liquidity deficit of Rs. 1.2 lakh crore. In response, RBI announced a slew of measures including a cut in the cash reserve ratio (CRR) by 50bps in Dec'24, restoring the CRR to 4%, a level last seen in May'22, before the start of monetary policy tightening by the RBI. In consonance, RBI also announced daily variable rate repo auctions (VRR), as well as USD/INR swap auctions and OMO purchases. This resulted in a noticeable improvement in liquidity conditions recently.

RBI also reduced its policy repo rate to 6.25% in Feb'25 from 6.5%, marking its first rate cut in 5 years. The weighted average lending rate (WALR) for SCBs on fresh rupee loans remained virtually flat in FY 2025, while there was a marginal decline in the weighted average domestic term deposits rate (WADTR) during the course of the year.

RBI also introduced significant changes to the priority sector lending (PSL) guidelines aimed at improving credit access for essential sectors, set to take effect from FY26. These included enhanced loan limits on certain segments, enhanced coverage for renewable energy and weaker sections as well as a comprehensive change in PSL for urban cooperative banks (UCB).

Health of the banking system remains robust with strong capital and liquidity buffers as well as improved asset quality. As per latest data from the RBI's Financial Stability Report, the gross non-performing asset (GNPA) and net non-performing asset (NNPA) ratio of SCBs stood at a multi-year low of 2.9% and 0.9% respectively as of Sep'24. The capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) of SCBs also remained healthy at 16.7% in Sep'24. Profitability indicators also witnessed an improvement with return on assets (RoA) and return on equity (RoE). Further, stress test results indicate that the CRAR of SCBs is likely to decline only marginally to 16.5% by Mar'26 under baseline scenario. Even under adverse scenarios, the CRAR of SCBs is likely to remain significantly higher than the minimum regulatory requirements. Further, the GNPA ratio of SCBs is expected to rise to 3% in Mar'26 under the baseline scenario, and 5% and 5.3% under adverse scenario 1 and 2 respectively.

Overall, prudent liquidity management by the RBI along with recent regulatory changes are likely to underline the strength of India's banking industry. With adequate capital buffers, improved profitability and strong asset quality, Indian banks are likely to witness another year of robust growth.

EASE

The PSBs Reforms Agenda was launched as Enhanced Access and Service Excellence (EASE) in January 2018. The initial set of EASE reforms, EASE 1.0, EASE 2.0, and EASE 3.0 supported capacity building in multiple areas of banking - such as the Introduction of digital-first reforms such as "Dial-a-Loan", "Credit @ Click", technology, analytics, asset quality improvement, outcome-centric HR, and overall governance. These reforms had a significant contribution to increasing performance, transparency, and accountability across the banking landscape.

EASE 4.0 focused mainly on smart lending backed by analytics; 24x7 banking with resilient technology and cloud-based IT systems; data-enabled agriculture financing; and collaborating with the financial ecosystem.

EASE 5.0 agenda mainly focused on Enhancing Digital Customer Experience, Data-driven Integrated and Inclusive Banking with emphasis on supporting small businesses and agriculture. Further, EASE 5.0 continues to drive progress in ongoing agendas such as co-lending partnerships, mobile banking enhancements, payments in semi-urban and rural areas, cloud adoption, digital marketing improvement through Search Engine Optimization and deepening financial inclusion.

EASE 6.0 focused mainly on driving excellence in customer service with digital enablement, Digital and analytics-driven business improvement, Tech and data-enabled capability building and developing people and enhancing HR Operations. In EASE 6.0 index, Bank has secured 4th position in FY 24 amongst all the Public Sector Banks. Moreover, bank secured 1st Position in People & HR Operations and 3rd Position in Delivering Excellence in Customer Service as well as Digital & Analytics Driven Business Improvement.

EASE 7.0

EASE 7.0 reforms agenda (FY 2025) was launched on 25th April 2024 with an emphasis on enabling banks to drive national priorities, maintaining a strong customer service orientation, managing operational risks effectively and catalysing new age capability building.

Major Accomplishments under EASE 7.0 Reform Agenda

- **Gen AI Adoption** – Bank has rolled out Gen AI Chatbot ADI & Gen AI Virtual RM Aditi on Bank's Website for improving Customer Experience & Gyan Sahay for Employee Assistance with successful controlled sandbox testing.
- **Formation of Green Cell & Setting up of Essential Infrastructure** by the Bank for catering to climate-related initiatives
- **Internationalization of UPI App by the Bank** by launch of Bank's UPI Application in 7 Countries
- **Simplified Death Claim Processing** by launch of Death Claim Portal
- **Simplified Online Current Account** through website by prefilling of Forms during Digital Journey
- **Development & Adoption of Prescriptive Models** for Analytics, Business Augmentation and Strengthening Internal Controls thereby improving Compliance.
- **Addition of Services** on Chatbot (MB / IB), WhatsApp Banking, Bank's UPI Application, Tablets at Branches, Services at Non-Home Branches, Frequently availed customer services, Services available to customers without Branch visit etc.
- **Launch of Women Specific & Youth Oriented products**

- **Development of New Product Smart OD** for unsecured short-term working capital financing existing current account holders of the Bank having GST Registration
- **Development of Online Shishu Mudra E2E Journey** – A Complete customer facing E2E Digital STP Journey up to final disbursement stage for Mudra Loans upto 50,000.
- **Identification of Champion Sector** – Bank has identified infra power renewable energy as Champion Sector under Corporate Segment
- **Launch of customer facing Non-Discriminatory Non-Discretionary E OTS Portal** on Bank's Website

The action points under each phase of EASE Programme envisaged deep-rooted transformation in approach and building new capabilities in PSBs.

EASE reforms agenda has contributed immensely towards the Bank's journey in achieving efficiency and ease of operations in almost all areas of operations, helping in providing an enhanced experience to its customers.

Operating Performance & Key Ratios

The highlights of operating performance of the bank are as below:

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2024	FY 2025
Interest Earned	1,12,606	1,21,442
Interest Expended	67,884	75,783
Net Interest Income (NII)	44,722	45,659
Other Income	14,495	16,647
Trading Gains	1,492	2,266
Operating Income (NII + Other Income)	59,217	62,306
Operating Expenses	28,252	29,871
Employee Expenses	15,816	16,608
Other Operating Expenses	12,436	13,264
Operating Profit	30,965	32,435
Provisions (Other than Tax)	6,076	5,980
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off	6,471	5,170
Provision for Standard Advances	-689	419
Provision for Depreciation on Investment	-31	37
Other Provisions	325	353
Profit Before Tax	24,890	26,454
Provision for Tax	7,101	6,873
Net Profit	17,789	19,581



Net Interest Income of the Bank increased to ₹45,659 crore in FY 2025 from ₹44,722 crore in FY 2024, grew by 2.1% on a YoY basis. The Interest Income increased to ₹1,21,442 crore in FY 2025 by registering a growth of 7.8% on a YoY basis. The Interest Expense stood at ₹75,783 crore in FY 2025 which was at ₹67,884 crore in FY 2024.

Other Income of the Bank increased to ₹16,647 crore in FY 2025 which was at ₹14,495 crore in FY 2024, thereby registered a growth of 14.8% on a YoY basis. Operating expenses of the Bank stood at ₹29,871 crore in FY 2025 as compared with ₹28,252 crore in FY 2024. Operating Income of the Bank increased to ₹62,306 crore in FY 2025 from ₹59,217 crore in FY 2024, registered a growth of 5.2% on a YoY basis.

Total provisions (other than tax) and contingencies was ₹5,980 crore during FY 2025 against ₹6,076 crore during FY 2024. Out of the Total Provision, Provisions for Non-Performing Assets (NPA) was at ₹5,170 crore in FY 2025 against at ₹ 6,471 crore in FY 2024.

The Bank reported a Net Profit of ₹19,581 crore in FY 2025 increased from ₹17,789 crore in FY 2024, grew by 10.1% on a YoY basis. The Operating profit of the Bank grew by 4.7% at ₹32,435 crore in FY 2025 as compared with ₹30,965 crore in FY 2024.

Key Ratios

Key Ratios	FY 2024	FY 2025
Cost of Deposits - Global (%)	4.92	5.10
Cost of Deposits - Domestic (%)	4.97	5.21
Cost of Deposits - International (%)	4.57	4.46
Yield on Advances – Global (%)	8.53	8.39
Yield on Advances (Domestic) (%)	9.01	8.88
Yield on Advances (International) (%)	6.34	6.13
Net Interest Margin – Global (%)	3.18	3.02
Net Interest Margin – Domestic (%)	3.32	3.18
Net Interest Margin – International (%)	1.97	1.94
Cost-Income Ratio (%)	47.71	47.94
Return on Average Assets (ROAA) (%)	1.17	1.16
Return on Equity (%)	18.95	16.96

Cost of deposit (global) stood at 5.10% and Yield on Advances (global) at 8.39% in FY 2025. Net Interest Margin (NIM) global stood at 3.02% and NIM domestic stood at 3.18% in FY 2025. Cost to income ratio stood at 47.94% in FY 2025. Return on Avg. Assets for FY 2025 reported at 1.16% and Return on Equity reported at 16.96% in FY2025.

Resource Mobilisation

(₹ in crore)

SL No.	Particulars	FY 2024	FY 2025
I	Total Deposits	13,35,136	14,72,035
II	International Deposits	1,98,444	2,29,855
III	Total CASA	5,14,367	5,56,666
IV	Total Current Account Deposits	1,20,411	143729
V	Total Savings Bank Deposits	3,93,956	412937
VI	Global CASA %	38.53	37.82
VII	Domestic Deposits	11,36,692	12,42,169
VIII	Domestic CASA Deposits	4,66,400	4,96,462
IX	Dom. Current Account Deposits	76,386	87,778
X	Dom. Savings Bank Deposits	3,90,014	4,08,684
XI	Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	41.03	39.97

Total deposits of the bank increased to ₹14,72,035 crore in FY 2025 from ₹13,35,136 crore in FY 2024, there by registered a growth of 10.3 % on a YoY basis. Total international deposits of the bank increased to ₹2,29,855 crore in FY 2025 from ₹1,98,444 crore in FY 2024, there by registered a growth of 15.8% on a YoY basis.

The global CASA of the bank grew by 8.2% on a YoY basis, to reach to the level of ₹5,56,666 crore in FY 2025 from 5,14,367 crore in FY 2024. The total current deposit of the bank increased to ₹1,43,729 crore as on 31st March 2025 from ₹1,20,411 crore as on 31st March 2024, marked a growth of 19.37 % on a YoY basis. The total Savings deposit of the bank increased to ₹4,12,937 crore as on 31st March 2025 from ₹3,93,956 crore as on 31st March 2024, recorded a growth of 4.82% during the period. The global CASA % to global deposit stood at 37.82% in FY 2025 as compared with 38.53% in FY 2024.

Domestic Deposits and Domestic CASA

Domestic Deposit of the Bank increased to ₹12,42,169 crore as on 31.03.2025 from ₹11,36,692 crore as on 31.03.2024, registering a growth of 9.3 % during the period.

Bank's domestic CASA deposits increased by 6.4% and rose to ₹4,96,462 crore as on March 31, 2025. Bank's CASA Ratio stood at 39.97%. Dom. Current Account deposits registered growth of 14.9% and reached to ₹87,778 crore, while Dom. Savings Bank deposits reached to ₹4,08,684 crore with an increase of 4.8% as on 31.03.2025.

Low-cost deposit mobilization initiatives

In FY 2025, the Bank achieved a milestone by opening 93.37 lakh new CASA accounts, with current account openings crossing 3 lakh for the first time, reaching a record 3.11 lakh current accounts. A key focus was driving paperless account openings through VCIP & TAB-based onboarding. The Bank has also introduced an innovative, high-end savings product—the Masterstroke SB Account—reinforcing its commitment to cutting-edge digital banking solutions.

Special emphasis was placed on increasing the penetration of key CASA enablers, which include POS systems, QR codes with sound boxes, IP and BCMS. Additionally, efforts were made to activate dormant accounts, initiate DEAF activations, and funding of zero balance accounts.

On the digital front, the Bank has significantly increased client acquisition through various digital channels such as VCIP and TAB mode. During the FY-2025, the Bank opened 1,19,158 VCIP SB Accounts. Bank opened 3,17,735 Current Accounts in FY-2025; of which 89.97 % (2,85,857) accounts opened through TAB mode. Furthermore, 57,74,251 Non-FI SB Account opened

in FY 2025; of which 65.55 % (37,85,178) accounts opened through TAB mode.

Bank has made significant growth under bob Earth Green Deposit which is well recognized among banking fraternity.

The Bank introduced the bob Parivar Concept, “My Family, My Bank,” which extends a range of benefits to family members. This initiative includes tiered offerings for Premium Customers, segmenting them based on their CASA balances into three categories: RISE, Shine, and Sparkle. Sparkle. These customers receive personalized services through assigned personal Relationship Managers to build strong connect and improvise the banking services.

Bank executed MoUs with Govt Dept & Institutions for acquiring new Salary accounts.

Bank’s integration with the Ministry of Corporate Affairs Portal for opening Current Accounts of newly formed companies has resulted in the opening of a total of 3,794 current accounts.

Bank has established a dedicated Defence Banking Vertical, which is headed by a Chief Defence Banking Advisor, a retired Lieutenant General. This vertical is further supported by Deputy Defence Banking Advisors who are posted at key locations to effectively penetrate the Defence segment.

Bank is leading in providing Doorstep Banking Services through the PSB Alliance Doorstep Banking Services initiative. During FY 2025, the Bank successfully completed 11,868 Doorstep Banking services.

Baroda Cash Management Services

Baroda DigiNext, the Bank’s Cash Management Services platform, offers a robust suite of omni-channel digital solutions designed for Corporate, MSME, and Government customers to efficiently manage their cash flows and liquidity. Over the past three years, the platform has witnessed remarkable growth, becoming a preferred solution for key

government departments and corporate entities to manage their collections.

Baroda DigiNext provides integrated, paperless payment solutions through both Host-to-Host (H2H) and API channels, enabling seamless transactions for both government and corporate clients. The platform also delivers real-time visibility into all types of receipts—including electronic payments, cheque clearances, and cash deposits made at branches across the country.

In FY 2025, Baroda Cash Management Services continued to expand its reach, establishing over 1,800 new client relationships. A dedicated cell has also been created within BCMS to cater to MSMEs, Supply Chain Finance (SCF), and Microfinance Institutions (MFIs). During the year, more than 11.87 crore transactions were executed through the DigiNext platform, underscoring its growing adoption and operational efficiency.

Credit Expansion

The Global Gross advance of the bank increased to ₹12,30,461 crore during FY 2025 from ₹10,90,506 crore during FY 2024, thereby registering a growth of 12.8% on YoY basis. The Gross Domestic Advance increased to ₹10,21,112 crore as on 31st March 2025 from ₹8,98,116 crore as on 31st March 2024, there by marked a growth of 13.7% during the period. The international advance of the bank increased to ₹2,09,349 crore during FY 2025, from ₹1,92,390 crore during FY 2024, there by registered a growth of 8.8% on a YoY basis.

The growth in major credit portfolio of the Bank is given below;

(₹ in crore)

Credit Portfolio of the Bank			
Segment	FY 2024	FY 2025	YoY (%)
Retail*	2,14,942	2,56,633	19.40
Agriculture	1,38,640	1,58,324	14.20
MSME*	1,19,415	1,36,377	14.20
Corporate	3,79,747	4,12,274	8.57
Others	45,372	57,503	26.74
Gross Domestic Advances	8,98,116	10,21,112	13.69
International Gross Advances	1,92,390	2,09,349	8.81
Global Gross Advances	10,90,506	12,30,461	12.83

*Ex-pool purchase (Organic)

The growth in Advance portfolio was mainly led by Retail Advance (organic) which increased to ₹2,56,633 crore grew by 19.40%, Agriculture advance which increased to ₹1,58,324 crore grew by 14.20%, MSME (organic) segment which rose to ₹1,36,377 crore by 14.20%, on a YoY basis in FY 2025. The retail advance including pool purchase was at ₹2,74,493 crore and MSME including pool purchase was at ₹1,42,750 crore as on 31.03.2025.



Corporate Loan of the Bank increased to ₹4,12,274 crore in FY 2025 from ₹3,79,747 crore in FY 2024, grew by 8.6% on YoY basis.

The Bank has successfully implemented numerous digital banking initiatives to enhance its Advance Portfolio across various segments, including Retail, Corporate, Priority, MSME, and Agriculture. The Bank has equally focused on expanding its asset portfolio through branch banking as well as digital banking channels. Digital Lending Platform continuously contributing EASE of doing business in banking landscape. Bank has designed digital Personal Loan journeys for employees of Central & State Government, PSUs, Autonomous Bodies, high rated corporates, etc. The Bank has launched 'GST Sahay' an invoice-based financing for Current Account Holders to meet their working capital requirements. Bank has launched Digital Mudra Loan end-to-end digital journeys till disbursement on Digital Lending Platform. The Bank also launched Digital Gold Loan enabling its customers a quick and hassle-free disbursement of gold loans. These are the some of the digital initiative that Bank has taken during FY 2025 to expand its Advance portfolios including Retail, MSME and Agri portfolios.

The Bank has implemented many business campaigns through its Zonal and Regional Office from time to time based on the festival season and other opportunities to grab more business at various geographies across the country.

Corporate Credit

Corporate credit in the Bank is serviced through 33 specialized Corporate Financial Services (CFS) & Mid Corporate branches (MCB) which manages approximately 94% of the total standard corporate credit portfolio of the Bank. The corporate credit portfolio of the Bank has increased to ₹4,12,275 crore in FY 2025 as compared with ₹3,79,747 crore in FY 2024, there by recorded a growth rate of 8.6% on a YoY basis.

Credit Rating Distribution*	FY 2024	FY 2025
A and above	90%	94%
BBB	5%	3%
Below BBB	3%	1%
Unrated	2%	2%

*External Rating Distribution of Domestic Advances above ₹50 crore

Total portfolio comprising of A & above in FY 2025 was 94% as against 90% in FY 2024.

Corporate Banking – Structure

During the year, bank has continued with its strategy to focus on Mid Corporate Advances, through -4- Mid Corporate Clusters located at strategic locations i.e. New Delhi (North), Chennai (South), Mumbai (West) and Kolkata (East) and Mid Corporate Branches tagged to them.

Target Market approach

The Bank follows a target market approach which has the following features:

- Identification of industries / sectors for growth based on industry outlook i.e. the combined output of various industry parameters including market size, growth, demand-supply outlook, cost structure, competition, financial performance, government policies and investment outlay.
- Sector-wise business plan for target market lending, based on exposure caps, existing exposures and further appetite for fresh acquisitions.
- Detailed account planning with structured calling plans for meetings, identifying business opportunities, approval and closure.
- Execution of the business plan under target market approach through dedicated relationship managers across the Bank.
- The Bank focuses on overall yield from the customer rather than interest income by offering ancillary services like supply chain finance, value chain finance, cash management system facility and other retail products.

MSME Credit

The MSME portfolio of the Bank (excluding TWO, including pool purchase) increased to ₹1,42,750 crore in FY 2025 from ₹1,25,899 crore in FY 2024, registered a growth of 13.38% on a YoY basis. During the year, the Bank has taken the following initiatives to augment MSME business with improved asset quality.

1. Formation of 359 specialized MSME Branches with exclusive team. These focussed branches have contributed 24% of the MSME book
 2. Digitalization of MSME loan journey through the state of art "Tejas" Platform.
 3. Enhanced focus on emerging product segments leading to over achievement of Target.
- TreDs has achieved a YOY growth of 248%.
 - Supply Chain Finance has achieved a YOY growth of 90%
 - CV/CME segment has achieved a YOY growth of 43%.

Additionally, Bank has achieved almost all the Targets under the following key Government schemes-

1. 103% under PMMY Scheme.
2. 102% under Standup India.
3. 95.6 % under PM Svanidhi scheme (Disbursement against the applications received).

Retail Credit

The Retail Asset of the Bank (excluding TWO, including pool purchase) increased to ₹2,74,493 crore in FY 2025 from ₹2,23,911 crore in FY 2024, registered a growth of 22.6% on a YoY basis. The organic Retail Loans increased to ₹2,56,633 crore in FY 2025 from ₹2,14,942 crore in FY 2024, an increase of 19.4% over the previous year. Retail loan share (including

Pool, staff, LABOD and others) in total domestic loan book increased to 30.1% in FY 2025 from 28.3% in FY 2024. The gold loan under the retail portfolio registered a growth of 55.6% on a YoY basis, reached to ₹7,076 in FY 2025. The Personal Loan segment marked a robust growth of 21.3% on a YoY basis, reached to ₹36,122 crore in FY2025. The Auto loan grew by 20.3% o a YoY basis. to reach to ₹46,549 crore. The Mortgage Loans marked a growth of 18.9%, Home Loan segment registered a growth of 17.3% and Education Loans grew by 15.9% on a YoY% in FY 2025. The detail of the growth of Retail loan segment is given in the below table.

Retail portfolio (organic) of the Bank

(₹ in crore)

Retail Credit Portfolio of the Bank			
Segment	FY 2024	FY 2025	YoY (%)
Home Loans*	1,11,791	1,31,123	17.3
Auto Loans*	38,697	46,549	20.3
Mortgages Loan*	18,715	22,255	18.9
Education Loans	9,800	11,360	15.9
Personal Loans	29,784	36,122	21.3
Gold Loans	4,546	7,076	55.6
Others	1,608	2150	33.7
TOTAL RETAIL CREDIT	2,14,942	2,56,633	19.4

*Ex-pool purchase (Organic & Excl. TWO)

The key highlights of retail business in FY 2025 include:

Retail loan share in total domestic loan book increased to 26.88% in FY 2025 from 23.95% in FY 2024.

New 13,29,896 number of retail loan accounts have been sanctioned amounting to ₹1,01,075 Cr during FY 2025. 2,500 Retail Thrust Branches have been identified for focused growth in retail segment. 119 RAPCs contributed 47.05% of total sanctions (₹47,551 Cr) with a YoY growth of 21% in RACPC sanctions during FY 2025. The average TAT reduced to <5 days. The Bank has revamped structure and implemented new process for mortgage-based retail loan and sanction at RAPCs.

In our digital front initiative, end-to-end digital processes has been implemented in Personal Loan, Auto Loan, Education Loan, Pension Loan, , Baroda Flexi loan over home securities, Retail Gold Loan, PM Surya Ghar Scheme and in two-wheeler loans. During the FY 2025, the Bank has digitally disbursed ₹5,472 crore in Personal Loans, ₹565 crore in Auto Loans, ₹14 crore in Top-Up Loans, ₹18 crore in Education Loans, ₹4 crore in Pension Loans, and ₹46 crore in Gold Loans through end-to-end digital journeys. This has enhanced customer experience by eliminating the need of Physical documentation and the branches visit.

The Bank has helped students to realise their academic dreams by disbursing education loans of ₹2,872 crore in FY 2025. The Bank has launched PM Vidya Lakshmi Scheme in education loan. PM Vidya Lakshmi Portal integrated with LLPS for education loan lead flow.

Standalone and composite rooftop solar schemes have been launched under PM Surya Ghar Yojana. The Integration of Loan Origination System (LOS) with Jan Samarth Portal has been done successfully for faster rooftop solar loan sanctions under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.

In Home Loan segment, ₹35,112 crore loan was disbursed and 1,02,190 number of new customers were added in FY 2025. In Education Loan 27,459 new customers added and in Personal Loan 5,76,990 new customers were added in FY 2025. New Home Loan Cash Flow Scheme introduced for EWS, LIG, and MIG segments in urban areas. Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 has been launched. CERSAI 2.0–Finacle API integration has been completed.

In Auto Loan segment, ₹19,638 Crore loan was disbursed, and 1,93,289 number of new customers were added in FY 2025. Baroda Direct Car Loan rolled out to lower acquisition cost from branch-generated leads. Enhanced partnerships with OEMs and dealers to expand Auto Loan business. Supply chain finance leveraged for Auto Loan business acquisition. Digital two-wheeler loan journey launched.

Strengthened lead generation through Corporate DSAs, DSTs, and BCs. Bank has launched Referral DSA (RDSA) channel and lead submission portal. Continued retention and cross-selling strategy for Home, Mortgage, and Auto Loan customers. Product offerings have been aligned with market trends and customer demand.

Project Approval Module deployed in LLPS. Revised ELSC structure implemented on a Pan-India basis. Lead Force App launched for DSAs and DSTs for efficient lead submission. Vendor Management Application introduced for service provider and vendor tracking. Bulk Retail Sourcing Team has been set up to target large-volume retail loan business..

Rural and Agricultural Lending

Bank has a network of 8,424 domestic branches, of which 5,107 rural and semi urban branches are leveraged fully for priority sector and agriculture lending. The Bank's agriculture advances increased to ₹1,58,324 Crore as on 31st March 2025 forming about 15.50% of the gross domestic credit.

Bank is the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in 3 states i.e. Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan and Union Territory Level Bankers' Committee (UTLBC) in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Bank also shoulders the Lead Bank responsibility in 72 districts across the country.

Bank continues to be one of the leaders in lending to agriculture sector, which received an impetus with the Government's vision of "Atmanirbhar Bharat". The Bank has moved beyond granting simple farm based credit to a more diversified rural lending strategy to encourage capital generation to farmers and build a robust infrastructure in agriculture and Animal Husbandry. The Bank also focus more on newly introduced products such as Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund Scheme (AHIDF), PM Formalisation



of Micro Food Processing Enterprises (PMFME), National Livestock Mission (NLM), Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme (PM Kusum), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme (PMMSY) and compressed biogas products.

Bank continues to focus on its flagship products like KCC, Financing to Self Help Groups (SHGs), Agri Gold Loans, Farm mechanisation (Tractor loans), Horticulture loans, Financing to Farmer Producer Organization / Farmer producer company (FPO/FPC), Hi-tech Agriculture and Food and agro-processing. During the year, the Bank has issued 4.29 lakh new Kisan Credit Card (KCC) of which 1.18 lakh are Animal Husbandry and Dairy (AHD) KCC issued to farmers engaged in animal husbandry and fisheries activities. As part of microfinance initiatives, Bank has credit linked 56,689 SHGs by granting loans amounting to ₹2,390.76 crore during FY 2025.

Bank is pursuing tie ups with various private partners to enhance credit linkage of SHGs. Bank has also introduced TAB banking facility, to improve Turnaround Time and to enable hassle free instant Savings Bank Account opening for SHGs. In Tractor loans, rate of interest has been linked with LTV of Tractor for the convenience of farmers. During FY 2025, we have signed MoU with Ministry of Rural Development (MoRD) under “NARI SHAKTI” Scheme of DAY-NRLM for financing individual women entrepreneurs. We have also revised Poultry Scheme & Solar level feeder scheme under component C of PMKUSUM in line with the schemes offered by the other Peer Banks. This scheme was implemented in all Zones. Under Digitization of Agri Lending, Digital Gold loan & Digital BKCC is now live for all Zones. Digital BAHFKCC journey is under CUG testing in RBIH enabled states. Digital journey for Tractor loan, SHG, BKCC renewal & e-NWR is under UAT.

During the financial year, the Bank’s Centre for Agriculture marketing and Processing (CAMP), a dedicated centralized centres for processing of agriculture loans with a special focus on non-traditional and high value Agri advances at its various zones and regions has sanctioned loans to 36,263 farmers, amounting to ₹ 4,497.48 Cr.

“BARODA KISAN PAKHWADA” is Our Bank’s annual farmer outreach programme which is observed every year. During “BARODA KISAN PAKHWADA”, Branches of our Bank organize various functions/ events of farmers/SHG/ health check-ups of live stocks /Soil Testing and other activities/ meetings to reach out to maximum number of farmers. During FY 2025 “BARODA KISAN PAKHWADA” was observed from 11th Nov. to 22nd Nov. 2024 in general and from 25th Nov. to 7th Dec.2024 in election bound states/constituencies and through this fortnight long festival we have connected with over -2,32,134- farmers Nationwide and cumulatively sanctioned agri loans of over ₹1225.79 crore.

Priority Sector Lending

Average Priority sector advances of the bank increased to ₹3,47,466 crore during FY 2025 from ₹ 3,01,917 crore as of FY 2024 and registered YoY growth of 15.09%.

Advances to SC/ST Communities

The outstanding advances to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe (SC/ST) communities went up to ₹ 25,041 crore as of 31st March 2025. The SC/ST communities accounted for 18.68%% share in total advances granted to weaker sections by the Bank.

Further, special thrust is given by the Bank in financing SC/ST communities under various Government sponsored schemes such as National Rural Livelihood Mission (NRLM), MUDRA Loan, Startup India and Stand-Up India.

Gold Loan

Bank’s gold loan portfolio (excluding TWO) increased to ₹63,959 crore, as on 31st March 2025, from ₹47,618 crore, on 31st March 2024, registering a growth of 34.32%. Within gold loan portfolio, Agriculture gold loans grew by 32.30%, reaching ₹56,783 crore in FY 2025 from ₹42,921 crore in FY 2024. Retail gold loan increased to ₹7,076 crore in FY 2025 from ₹4,546 crore in FY 2024, registering a growth of 55.65%. During the year, the Bank has added 139 new gold loan disbursing branches, taking the total number of Gold Loan designated branches to 6,129 in FY 2025 from 5,990 branches in FY 2024. The increase in spread of Gold loan designated branches across the country with share of geographies other than southern parts stands at 30.10% in FY 2025 as compared to 28.53% in FY 2024. Average ticket size of a gold loan increased to ₹2.09 lakhs in FY 2025 from ₹1.79 lakhs FY 2024. Average amount of gold loan per branch increased to ₹10.44 crore in FY 2025 from ₹7.95 crore in FY 2024. Credit quality of the Gold Loan portfolio remained healthy, with a GNPA ratio of 0.19% as on 31st March 2025.

Financial Inclusion (FI)

In order to provide universal banking services to all sections of the society especially to rural, semi-urban and urban poor at an affordable cost, Bank has taken financial inclusion as a social commitment and also an opportunity to tap business through BC model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branches and BC network. With the advent of technology, innovative steps are being taken for serving the unbanked areas. Bank expanded its BC network to 48,120 as on March 31, 2025 to cater to rural, semi urban, urban & metro areas across the country.

Bank took the following additional initiatives at BC Point towards promoting financial inclusion:

- Generation of TDS Certificate at BC Points
- Generation of Interest Certificate at BC Points
- The functionality for **RE-KYC** of Customer is enabled at BC Points
- AePS Off US Cash Deposit

Performance highlights under financial inclusion during FY 2025:

- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts increased from 615.74 lakhs in March 2024 to 643.36 lakhs in March 2025 with YoY growth of 4.49%.

- PMJDY deposits increased from Rs. 32,337 crore as on March 2024 to Rs. 36,355 crore as on March 2025 with YoY growth of 12.43%.
- The Bank's share among PSBs stood at 15.01% in PMJDY accounts and 17.73% for deposits in PMJDY accounts, second highest only after SBI.
- Zero balance PMJDY accounts of the Bank reduced to 4.71% as on 31st March 2025 as against 4.98% as on 31st March 2024.
- As on 31st March 2025, Micro Insurance enrolment under PMJJBY scheme is 70.99 lakhs and under PMSBY scheme is 271.81 lakhs.

Performance of RRBs sponsored by Bank of Baroda

The Bank sponsors three Regional Rural Banks (RRBs) namely Baroda U.P. Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank and Baroda Gujarat Gramin Bank in the state of Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat respectively. The aggregate business of these three RRBs increased to ₹1,86,088.63 crore as on 31st March 2025 from ₹1,67,173 crore as on 31st March 2024 i.e. 11.32 % on YoY basis. These RRBs together posted a net profit of ₹1,317.63 crore during FY 2025, increased by 17.50 % as compared with net profit of ₹1,121.36 crore during FY 2024. The net worth of these RRBs put together improved to ₹8,262 crore as of 31st March 2025 from the level of ₹6,887 crore as of 31st March 2024.

Awards received by our sponsored RRBs during FY 2025:

Our three sponsored RRBs have received numerous prestigious appreciations and awards for their efforts in technology upgradation as well as outstanding performance in various Govt. schemes from various bodies like PFRDA, IBA, NRLM during the Financial Year 2025 as under:

- A) Baroda U. P. Bank (BUPB)** has received -02- awards from Ministry of Agriculture on 03.09.2024 for "Best Campaign and Rapid Campaign" for AIF Product from Hon'ble Minister Shri Shivraj Singh Chouhan, whereas Ministry of State of Housing and urban Affairs has awarded BUPB with "PMSVANidhi PRAISE AWARD 2023-24" on 11.09.2024. BUPB has recently won 9 National Awards from PFRDA for good performance in Atal Pension Yojana (APY) in Financial Year 2025.
- B) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (BRKGB)** has recently won 9 National Awards from PFRDA for good performance in Atal Pension Yojana (APY) in Financial Year 2025.
- C) Baroda Gujarat Gramin Bank (BGGB)** has recently won 10 National Awards from PFRDA for good performance in Atal Pension Yojana (APY) in Financial Year 2025.

Stressed Asset Management

The Bank believes that continuous day-to-day monitoring is the first step towards reduction in non-performing loans and thus ensuring good recovery. For this, the Bank undertook various steps and formulated strategies to augment recoveries and reduce slippages.

Bank is strategizing to touch each and every NPA account in a scientific manner. Bank has a special skill-set under an Apex Vertical 'Stressed Assets Management Vertical', at Corporate Office. Under the vertical there are -5- Stressed Assets Branches (SAM) with special skill set to cater all accounts under National Company Law Tribunal (NCLT), -12- Stressed Assets Recovery Branches (SARB Branch) at Zonal level to handle NPA accounts other than NCLT with outstanding balance above ₹5 crore. These Branches are under direct supervision of Corporate Office to reduce TAT. Further -69- Regional Stressed Assets Recovery Branches (ROSARB Branch) at Region level are also established to handle NPA accounts with outstanding balance above ₹20 lacs to ₹5 crore.

Under Govt of India Digital Initiative, Bank has taken several steps for end-to-end digitalization of the entire recovery and monitoring procedure without paper movement and Real Time basis. In this connection bank has taken following initiatives:

1. **QLICK:** It picks several data points from FINACLE on real time basis without manual intervention and calculates Days Past Due (DPD) Report, NPA Movement Chart and Mock Runs – for forecasting daily degradations.
2. **ILMS:** Mobile app and Desktop based portal which is an online repository of entire NPA A/Cs irrespective of amount. It provides online 360-degree live monitoring of accounts without any manual intervention, like SARFAESI status, DRT/NCLT status, Provisioning, Daily Recovery, lawyers performance analysis and online submission/ sanction of OTS proposals to reduced the TAT.
3. Bank is member of BAANKNET (Bank Assets Auction Network) portal of PSB alliance Pvt Ltd. which is being used for auction of properties under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI).
4. **E-OTS:** A Non-discretionary, and Non-discriminatory Digital E-OTS scheme has been introduced under EASE 7.0, which reinforces our Bank's leadership in meeting government priorities. Digital processing enables cost and time savings, with payments made via QR code and no need for branch visits. Borrowers can download the sanctioned letter and No Dues Certificate online.

Bank also adopted the following strategies for recoveries and reduce slippages.

1. To have a proper monitoring of the portfolio of Agriculture, MSME and Retail Loans we have taken a cluster / area approach with dedicated recovery officers.
2. Proper allocation of small NPA/SMA accounts to Recovery Agents / Feet on Street is done by Portfolio Managers at ZO/RO level to have a monitoring.
3. Introducing the Pre Lok-Adalat meetings for maximum participation of borrower during the Lok Adalats and resolved the long pending cases under the DRT Lok-Adalats /National Lok-Adalats.



- Bank has initiated the SARFAESI action in all eligible NPA accounts and continue the action till conclusion / disposal of asset & recovery in the account. We are also listing/ publishing the auction property details on Bank's website, Newspaper, Radio, social media web portals and as well as leading property broking web sites.
- To address the large number of small NPA accounts, Bank has re-introduced in June-2024 its special One-Time Settlement (OTS) scheme "Vasooli Sankalp 2.0" for settlement of unsecured NPA (DBII/DBIII/Loss) / TWO/ PWO accounts having outstanding balance up to ₹5.00 crore under MSME, ₹1.00 crore under Retail and ₹0.25 crore under Agriculture category.
- Bank believes in Nation Building by extending hands to stressed entrepreneurs through restructuring as per RBI guidelines. Also to have better and targeted monitoring mechanism & reduction in SMA – I & SMA - II accounts of large corporate are being monitored by Stressed Asset Management Vertical in coordination with Credit Monitoring Vertical to find out the resolution and exploring all prospects of recovery and up gradation.

The movement of NPAs during the last two years is as under:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2024	FY 2025
Gross NPA	31834	27835
Gross NPA (%)	2.92%	2.26%
Net NPA	7213	6994
Net NPA (%)	0.68%	0.58%
Additions to NPAs	10397	9310
Recovery/ Upgradations	4729	4320
Write offs including TWOs/ PWOs	10518	8980
Recoveries in write off accounts	5098	6373
Provisional Coverage Ratio (including TWO) (%)	93.30%	93.29%
Provisional Coverage Ratio (excluding TWO) (%)	77.34%	74.87%

As per asset classification, the bifurcation of loan book is as given below:

(₹ in crore)

Asset Category	FY 2024	FY 2025
Standard Advances	1058672	1202626
Gross NPA	31834	27835
Total Gross Advances	1090506	1230461
Gross NPAs comprising		
Sub-standard	7816	6806
Doubtful	13118	12119
Loss	10900	8910
Total Gross NPA	31834	27835

International Banking

The Bank has -84- overseas branches/offices across -17- countries comprising of -39- overseas branches/offices (including -1- International Banking Unit in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, India and -9- EBSUs in UAE), -45- branches of the Bank's -7- overseas subsidiaries. In addition, Bank has -1- Joint Venture viz. India International Bank (Malaysia) Bhd. in Malaysia and -1- associate bank viz. Indo Zambia Bank Ltd. in Zambia with -37- branches.

The Bank has presence in the world's major financial centers of New York, London, Dubai, Singapore and Australia. In addition, Bank has a branch in GIFT City (SEZ), Gujarat, India which is treated as an offshore banking unit and has been chosen as a center for business growth taking into consideration the immense business potential, tax advantage, Government initiatives etc. Bank has taken various proactive steps in creating world class infrastructure for the branch in IFSC including state of the art dealing room for International treasury of global standard.

Bank pursues a strategy of driving growth and value by meeting the international banking requirements of Indian corporates; catering to India linked cross-border trade flows for Indian and locally incorporated companies or firms and being the preferred Bank for NRIs/ Persons of Indian Origin.

Looking into the available business opportunities, Bank has also diversified the advances portfolio by taking exposure on Non-India related syndication loans in the primary and secondary market. Also, various new products have been launched to broaden the product basket on the asset side

Further, in overseas centers, substantial progress has been made in IT up gradation for end-to-end business solution, with a focus on digitization and centralization, to improve productivity and customer experience. Bank is continuously integrating multiple platforms of technology to generate synergies. During the year, Bank has taken various steps to automate the Risk & Compliance monitoring.

Bank has strategically undertaken rationalization of its overseas presence based on a comprehensive evaluation framework. Now, the Bank is re-strategising its International Operations in line with the new global environment and focused on rebalancing the portfolio with a view to manage risks, shed low-yield assets and increase profitability.

As of March 31, 2025, the Bank's total business (net) from international branches was ₹4,35,770 crore and constituted 16.25% of the global business. Total deposits were at INR 2,29,866 crore while net advances were ₹2,05,904 crore.

Foreign Exchange Business

With an objective to implement high standards of compliance in line with extant regulatory guidelines with improved operational efficiency, service delivery and quality, our Bank has set up Trade Finance Back Office at GIFT City, Gandhinagar(India's 1st smart city) along with BCP set up at Bengaluru to cater trade finance services of its pan India customers. The significant developments aimed at enhancing the overall foreign exchange business in the current financial year are as follows:

- Bank has automated cross border inward remittances below USD10,000.00 for certain purposes. During FY 2025 we have successfully handled 64,885 transactions through Straight through processing as compared to 59,368 transactions in FY 2023-24. This accounts for 19.03% of total transactions processed during the FY 2025 and reflects a significant improvement in turnaround time (TAT).
- Bank has launched Liberalized Remittance Scheme (LRS) facility through BOB-World enabling individual customers to initiate transactions under LRS for specific purposes viz. gift / family maintenance from their Mobile. A total of 3,759 transactions have been facilitated through the platform in the FY 2025, accounting for 7.38% of the total LRS transactions processed in the year.
- Bank has launched the Liberalized Remittance Scheme (LRS) facility through Internet Banking application, enabling customers to initiate transactions under LRS for specific purposes viz. gift / family maintenance directly from their Internet Banking portal. The facility is expected to see increased adoption by customers in the coming years.
- Bank has created an accessible 24/7 SMART TRADE PORTAL to its customers, enabling them to initiate inland as well as forex trade transactions from the comfort of their home or office, reducing the necessity for branch visits. This channel has onboarded a total of 4,700 customers, including 921 during the current financial year, facilitating 12% of the total trade transactions (both inland and foreign) through the portal.
- The Bank has partnered with NeSL (National E-Governance Services Limited) to enable end-to-end issuance of Bank Guarantees through a fully digital mode, enhancing security and significantly reducing turnaround time (TAT). As part of this initiative, our Bank has set an industry benchmark by rapidly achieving key milestones in the issuance of Electronic Bank Guarantees (e-BGs) on the National E-Governance Services Limited (NeSL) platform. During FY 2024-25, the Bank issued 4,677 Electronic Bank Guarantees (e-BGs), an increase from 2,010 e-BGs issued in FY 2023-24. This brings the total number of e-BGs issued to 6,687 since the commencement of digital issuance through the National E-Governance Services Limited (NeSL) platform.
- As on 31st Mar 2025, Bank has established 16 Special Rupee Vostro Accounts for Banks worldwide, to spearhead the Government of India's drive to promote INR denominated trade transactions via the Special Rupee Vostro Account (SRVA) mechanism.

Domestic Treasury Operations

The Bank operates its treasury operations from a state of the-art dealing room at its Corporate Office in Mumbai. The treasury is a prominent player in various markets such as foreign exchange, interest rates, fixed income, money

market, derivatives, equity, currency and interest rate futures and other alternate asset classes. The Bank offers various services like interest rate swaps, currency swaps, currency options and forward contracts through authorised branches dealing in foreign exchange across India.

Treasury maintains the regulatory requirements of CRR and Statutory Liquidity Ratio (SLR) and manages the fund position. Treasury borrows/invests in money market and capital market instruments as part of fund management operations.

The total size of the Bank's domestic investment book as of 31st March 2025 stood at ₹3,70,478 crore. The share of SLR securities in total investments was 82.74%. The percentage of SLR securities (unencumbered) to Net Demand and Time Liabilities (NDTL) as of 31st March, 2025 was at 25.30%. The Bank capitalized on the opportunities offered by yield movements. The Bank managed its portfolio efficiently and maintained yields on interest bearing investments for FY 2025 at 7.09%. During FY 2025, the profit on sale of investment was ₹2,267.63 crore.

Government Business

The Government Relationships Vertical plays a pivotal role in the strategic framework of the bank. It serves as a cornerstone in meeting the diverse banking needs of both Central and State Governments, as well as Public Sector Undertakings (PSUs) across India. Our comprehensive suite of services encompasses a wide array of financial transactions crucial to the functioning of government bodies.

One of our primary responsibilities involves the seamless processing of payments related to Central Government and State Government pensions, postal transactions, Tax collections (Direct & Indirect) and Treasury/sub-Treasury transactions. Additionally, we manage various Government savings and investment schemes such as the Public Provident Fund, Senior Citizens' Saving Scheme, Sukanya Samridhi Yojana, National Pension System, Atal Pension Yojana, e-Kisan Vikas Patra, RBI bonds Gold Monetization Scheme, Mahila Samman Saving scheme, and Sovereign Gold Bonds. These services not only contribute significantly to the bank's fee income, with a notable ₹88.97 crore in FY 2025, but also bolster our reputation and goodwill in the banking sector.

Moreover, our role extends beyond transactional services. We actively assist in the opening of accounts for various State and Central Government organizations, fostering a symbiotic relationship by mobilizing Current Account Savings Account (CASA) deposits for the bank. Our commitment to providing holistic solutions is evidenced by our efforts in facilitating the onboarding of customers to government portals such as the Government e-Marketplace (GEM) portal and the Public Financial Management System (PFMS). These initiatives not only strengthen our existing relationships but also pave the way for establishing new partnerships and expanding our CASA base. As of March 31, 2025, the total Government CASA of the bank amounted to ₹63,180 crore, representing 12.72% of the total bank's CASA.



Furthermore, our dedication to innovation and technology is paramount. We offer customized IT solutions to government departments nationwide, catering to their specific needs and requirements. By leveraging technology, we enhance efficiency, streamline processes, and ensure the seamless mobilization of government CASA.

As an accredited banker to esteemed ministries such as the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Law & Justice. Our focus extends beyond transactional efficiency; we prioritize providing allied services that add value to our government partners. This includes initiatives such as facilitating the onboarding of government departments onto the PFMS Portal, actively canvassing government CASA accounts, and providing comprehensive support to branches engaged in government business.

In essence, our Government Relationships Vertical serves as a trusted partner to government entities, offering a comprehensive suite of banking services tailored to their unique needs. With a steadfast commitment to excellence, innovation, and customer-centricity, we continue to play a pivotal role in the nation's economic development and governance.

Wealth Management

The Wealth Management vertical continues to be a key Strategic Business Unit of the Bank, with a consistent focus on nett business growth and building stronger Assets Under Management (AUM) across diverse client segments. Supported by an expansive network of 8,400+ branches and a customer base exceeding 170 million, the vertical is committed to delivering best-in-class investment and insurance solutions tailored to the evolving financial needs of its clientele.

Industry Recognition

The Bank's excellence in Wealth Management has been recognized at national platforms, including:

- "Best Performance in Bank's Category for Mutual Fund Business" by the Bombay Stock Exchange (BSE) — awarded to Bank of Baroda for the third consecutive year.
- "Winner - Net Sales - Equity & Hybrid Funds Category" under the Banks category at the inaugural AMFI Partners in Excellence Awards (FY 2023-24).

Strategic Focus Areas

To cater to both retail and affluent clients, the Bank has concentrated efforts on the following key areas:

- **Branch Activation** to enhance front-line advisory and sales efforts.
- **Digital Adoption** to streamline customer journeys.
- **Client & Employee Engagement Programs** to foster stronger relationships.
- **Talent Enhancement** ensuring all certified staff serving Radiance and non-Radiance segments are trained and fully equipped with the required skills.

Digitization Initiatives

Digitization remained the central pillar of Bank's wealth strategy for enhanced service efficiency and customer convenience. Notable developments include:

- **SMARTINVEST** – The Bank's digital investment platform now offers a seamless experience via standalone and BOB World-integrated journeys for Mutual Fund transactions and 360° portfolio management. The platform supports both self-service and branch-assisted sales through API-based integration.
- **SMARTINSURE** – The platform is live for Life Insurance and is being expanded to cover Non-Life Insurance, with rigorous policy and compliance checks embedded in the journey.

Skilled Workforce & Ethical Sales

A strong emphasis continues to be placed on staff capability building and ethical business practices. The Bank has extended its partnerships with three reputed training organizations to deliver customized learning modules that ensure compliance-led, customer-first advisory services. Despite market volatility, the Wealth Management vertical achieved significant milestones life ₹752 crore business in Life Insurance Premium mobilisation, ₹589 crore in Non-Life Insurance Premium mobilisation and Investment AUM of Rs 16,272 crore.

Customer & Stakeholder Engagement

The Bank remains committed to continuous engagement through innovative knowledge-sharing and thought leadership initiatives:

- **"Wealth Insight"** – Monthly e-magazine for Radiance customers featuring market outlooks.
- **"Thursday Thoughts"** – Weekly emailer designed to spread financial knowledge.
- **"Wealth Bulletin"** – A bi-monthly internal publication for the Wealth Management Services (WMS) team.
- **"Leadership Chronicle"** – A talk show series featuring thought leaders from banking and finance.
- **"Expert Insight"** – A platform for webinars and interactive sessions with market experts covering key financial topics, including Budget analysis and market trends.

Digital Banking products

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which leads to better customer experience. The major focus of digital banking is to make Bank's products available to customers through digital and alternate delivery channels. The key instruments in digital banking are bob World, bob World UPI, Baroda Connect, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers(SSPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS), etc.

bob World Merchant UPI QR

During the FY2025 the Bank has been able to achieve 25.48 Lacs bob World UPI Merchant base and added 7.01 Lakh new merchants on UPI QR platform. As of March 31, 2025 a total of 3.56 Lakhs bob World Merchant UPI QR activations have been achieved. The bank has also been able to achieve a total of 24.67 crore valued ₹ 50581.60 crore Financial transactions through bob World Merchant UPI QR during FY2025.

Sound Box initiative

Bank has launched Sound box facility to its merchants in October 2024 and successfully installed 14K device in FY 2024. During FY '25, bank could successfully achieve an installed base 1.04 Lacs sound box devices.

bob World

During the FY'2025, bob World activated user base has been increased by 21.43 lacs users. As of March 31, 2025 a total of 327 lacs users have been activated on bob World. The total Financial transactions over bob World platform have crossed 13.62 crore transactions and Non-Financial transactions have crossed 194.39 crore transactions during FY 2024-2025.

Debit cards

As of 31st March 2025, the Bank has a debit card base of 8.82 crore. To boost e-commerce and POS transactions and position the Bank's debit card as the preferred payment option for customers, the Bank collaborated with various merchants to provide attractive offers for debit cardholders. During the period from April 2024 to March 2025, the Bank launched 25 promotional campaigns in partnership with popular merchants.

In FY 2024-25, the Bank introduced various new debit card variants to cater to diverse customer segments out of which the prominent variants are mentioned as under:

- **Bank of Baroda EaseMyTrip Debit Card**, introduced in partnership with EaseMyTrip, offering a mix of travel and hotel booking discounts, complimentary annual subscriptions to OTT platforms, and other value-added benefits.
- **NRI Debit Card**, developed in collaboration with MasterCard to specifically address the unique requirements of NRI customers and enhance their overall banking experience.
- **Baroda Kisan Pride Debit Card**, exclusively for customers who have availed loans under the Baroda Kisan Pride scheme of the bank.

Baroda FASTag (National Electronic Toll Collection - NETC)

Bank has issued 1.31 lakh FASTag in FY2025 and tag base reached to 12.20 lakh. Our Bank has processed 4.79 crore FASTag toll transactions amounting ₹530.29 crore in FY2025.

Bharat Connect (Formerly Known as Bharat Bill Payment System (BBPS))

Bharat Connect (BBPS) is an interoperable platform for repetitive bill payments which offers real time bill payment and

rechargeservice to customers. BBPS is an RBI initiative product and managed by NBBL (wholly owned subsidiary of NPCI). Our Bank is authorized as Customer Operating Unit (COU) and Biller Operating Unit (BOU) for facilitating BBPS services. In FY2025, Bank has processed 1.96 crore bill payment transactions amounting approx. ₹11494 crore. Bank has a biller base of 11 active billers on Bank's BBPS platform.

ATM

The Bank has wide network of 9,316 ATMs and 1,671 Cash recyclers as on 31st March 2025 with very user friendly screens that allow navigation in Hindi, English and the local language of the place of deployment offering a smooth experience for our customers in their day to day banking operation. Our ATMs are enriched with features such as green pin generation, National Electronic Fund transfer, Cash on mobile services where customer can withdraw money from ATM without using Debit card etc. Our Bank has launched the facility of Interoperable Card less Cash withdrawal (UPI ATM) at 7145 locations where customer can withdraw money using UPI QR services (ICCW) of Bank. As of 31st March 2025, all our 9316 ATMs are made live under OPEX model for seamless ATM services and enhanced customer's experience.

Internet Payment Gateway (IPG)

The Bank's IPG infrastructure bob World Merchant Gateway is an online service that is being offered to customers to conduct their business online by accepting payments securely in real time. The Internet Payment Gateway provides an interface between merchants and their customers for secure payment processing using online modes.

bob World Merchant Gateway facilitates receiving payment online from Debit/Credit card, Net Banking, UPI, Wallet, AEPS, AADHAR PAY, QR code etc. and offline modes i.e. NEFT/ RTGS in a simple and secured manner, which is essential for e-Commerce/online business.

To provide a seamless and customizable service, Bank has tied up with -12- aggregators and master merchants. Bank has on-boarded 1,832 merchants in FY2025 achieving a landmark of 7000+ IPG merchants base with 35% growth in merchant on-boarding and registering an increase in average CASA growth of 20% from ₹2,981 crore to ₹3,566 crore on YoY basis.

bob ₹ Pay:

UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood. It also caters to the "Peer to Peer" collect requests which can be scheduled and paid as per requirement and convenience. In FY-25, Bank revamped its UPI app bob World UPI and re-named it bob ₹ Pay with fresh UI.

During FY-2025, Bank has on boarded 21.34 lacs new users on its UPI Platform which showed approximately 20% growth than previous year.

bob World (Internet Banking):

The total number of Internet Banking users of the bank increased to 120.67 lakh during FY 2025 from 108.46 Lakh during FY 2024.



Baroda TabIT:

The Bank embarked upon digitizing its customer on boarding process through tablet for instant CASA opening along with bundle of services (Personalized Cheque Book, Personalized Debit Card, WhatsApp Banking, SMS Alert, Internet Banking) and POS, Soundbox, UPI QR, IPG lead generation through its TAB banking platform – bob World Tab. Bank opened more than **37.96 lakh Savings account** and **2.85 Lakh Current account** through this platform during the FY2025.

NRE/NRO account: Bank has launched NRE/NRO account opening service through TAB. This functionality will enable NRIs to open their SB accounts through a digital channel thereby providing a seamless experience to our customers. Since its launch **6333** account have been opened in these schemes through Tab Banking

Micro Insurance (PMJJBY/PMSBY): Introduction of Micro Insurance through Tab is a joint initiative from **Digital Group and Financial Inclusion and CSR Department** with aim of further enhancing accessibility and expanding the reach of Micro Insurance. Since its launch Bank has issued **PMSBY-52512 and PMJJBY - 25305** through Tab.

Bank has enabled additional modes in existing account opening process through Tab like **Biometric Authentication in SHG accounts, CKYC number-based account opening journey in Current/Savings accounts**. These functionalities will make account opening process smoother.

Bank has also implemented many services in TAB under EASE 7.0 directives. Major services launched are Locker Allotment, Re-KYC, Debit card Application & Cheque book services.

Bank has recently launched Govt. Scheme **Sukanya Samriddhi Yojana** (SSA) issuance through TAB banking. As of now, branches have to open SSA through CBS only. SSA account opening through Tablet will allow branches to open account digitally under assisted mode.

Functionality	FY 2025
Saving Bank Account	37.96 L
Current Account	2.91 L
SHG A/c	29,167
NRE/NRO A/c	6333
Fastag	2013
Company account	3299
UPI Merchant On boarding	7.07 L
BHIM Aadhar Lead Generation	50,311
POS Leads	44,222
IPG Lead Generation through TAB	3426

WhatsApp Banking:

- WhatsApp Banking User registration –

WhatsApp Banking Users Registration YOY (Customers + Non Customers) in Lacs			
Year	Customer	Non Customers *	Total User
FY 2021	5.03	1.1	6.13
FY 2022	9.62	4.2	13.82
FY 2023	40.49	3.61	44.1
FY 2024	30.14	6.46	36.6
FY 2025	37.15	8.55	45.70
	Total registration		146.35

*Non-customers user registration includes registration of users who are not customers of the bank + registration of customers of the bank who are under in-eligible scheme codes for WhatsApp banking.

WhatsApp Banking Transactions -

Year	Number of WhatsApp Banking Transactions (in lacs)
FY 2021	47.8
FY 2022	207.5
FY 2023	343.4
FY 2024	701.72
FY 2025	1095.27

Digital Banking Units:

Initially our bank was allotted 8 districts for setting up of Digital Banking Units, subsequently our Bank has set up 10 more DBUs. Now our Bank has Bank of Baroda has most number of DBUs (18) by any Bank in the industry. Total business of ₹89.22 crore have been canvassed by these DBUs as on 31.03.2025.

Digital Lending

To support the objective of being a pioneer Bank in Digital Lending landscape, Bank has launched Digital Lending Platform in 2020 with the purpose to target and acquire new customers from diverse segments using digital means. Bank has operationalized STP (Straight through Process) Digital Journeys from initial stage of lead generation till disbursement.

At present 70+ digital lending journeys are live in the Bank.

Bank has integrated its Digital Lending Platform with RBIH's Unified Lending Interface (ULI), 20+ FinTech's and has 100+ digital integrations, for the purpose of Landownership verification, Farm Yield Reports, digital verification, authentication & analysis of Bank statement, Credit Bureau, e-mandate, GST, ITR, Udyam, e-KYC, v-KYC, PAN, e-stamping / e-signing, etc.

Total of 26+ Lac customers have been sanctioned and disbursed Digital Loans value Rs.30,000+ Cr.

Digital Lending Platform continuously contributing EASE of doing business.

Retail Initiatives:

- Personal Loan (Pre-approved/non-pre-approved), Education Loan (Premier Institutes & EDP), Auto-Loan (Pre-approved/non-pre-approved), Retail Gold Loan, Pension Loan, Home-Loan Top-up (Pre-approved), Housing Loan (in-principle) and LABOD.
- **Digital Gold & Silver Personal Loan:** Bank has designed digital Personal Loan journeys for employees of Central & State Government, PSUs, Autonomous Bodies, high rated corporates, etc.
- **Strengthened underwriting of Pre-Approved Personal Loans** to ensure better quality customer onboarding.

MSME Initiatives:

- **Baroda Smart OD** - The facility is based on applicants' GST returns.
- **GST Sahay** - Digital journey for invoice-based financing for Current Account Holders to meet their working capital requirements.
- **Digital Mudra Loans** - Bank has launched end-to-end digital journeys till disbursement on Digital Lending Platform.
- MSME Renewals, MSME (in-principle) sanctions.

Agri Initiatives:

- **Digital Gold Loan** - Bank has launched a seamless digital journey enabling quick and hassle-free disbursement of gold loans.
- **Digital BKCC** - Bank has launched an end-to-end digital solution covering onboarding to disbursement.

Analytics Centre of Excellence (ACoE)

The Bank continues to advance its data-driven journey by implementing an increasing number of AI and ML models, further strengthening its leadership in the field of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) and continuing to scale its capabilities and deliver impactful business outcomes. For the third consecutive year, the Bank has been honoured with the Best AI/ML Bank – 2024 award by the Indian Banks' Association, reaffirming its position at the forefront of AI-led innovation in the banking sector.

The Bank has made significant progress in its AI adoption journey and have developed GenAI-powered products to enhance both customer and employee experiences. These include Virtual Relationship Manager "ADITI" offering personalized assistance to customers through intelligent interactions, Virtual Agent "ADI" streamlining the customer inquiry process and improving service efficiency and Knowledge Management Bot "Gyan Sahay" which

provides employees with contextual and real-time access to information, thereby boosting productivity and decision making.

By embedding intelligence into its core processes, the Bank continues to deliver seamless, data-driven and future-ready banking experiences for all.

Information Technology

- Bank has Revamped UPI app with new UI/UX for better adoptability and introduced new services on the UPI platform, such as accepting Transactions from 22 countries for UPI, Cash withdrawal through UPI, Refund functionality in Merchant Portal, Preapproved Rupay credit card instant issuance & linking, P2P voucher issuance, Lite Auto Top-up, Credit Card Bill payment, Credit Card EMI feature, Tap & Pay Feature.
- Bank introduced additional functionalities in Central Bank Digital Currency (CBDC) referred to as e₹ (Digital Rupee) viz option to pay through CBDC application under UPI payment, Auto Load in CBDC, P-CBDC deployment, Disbursement of DBT through Digital Rupee tokens.
- Bank has introduced additional services, enhancements in system controls and security features in its mobile banking application for customers. These include NPS account opening, Update customer profile, Credit Card EMI, Persona based theme for NRIs and Millennial customers, Temporary Block/ Unblock, Revamped UI, IRCTC Integration through bobWorld, GST update through bob World, Online Demat & Trading A/c Opening
- Bank added new services/ features in Internet Banking Platform to enhance customer experience viz. Remittance under LRS, Credit Card management services, integration with various state treasuries for payments, Implementation of Virtual Debit Card, option for Mutual Fund purchase.
- Bank has upgraded Loan Life cycle Management (LLPS) to new version and added new services/ products viz. Baroda Scholar Collateral free Education Loan, PM Suryaghar Bundled Scheme, Subsidy details for Education Loan, Area Specific Home Loan etc.
- Bank has enabled online account opening facility in Hindi Language along with English. It will improve accessibility and aligns with customer preferences to engage easily with the bank's services.
- Customer Feedback through QR Code: QR codes have been placed in branches, enabling customers to provide instant feedback about the branch they visited.
- Bank has enabled Marathi Language for Whatsapp Banking and added New features viz 15G/H Status Inquiry, Interest Certificate Request, Stop Cheque Payment, New Masterstroke Scheme Codes, SSY Balance Inquiry, State-specific banking holiday calendar



- Bank is continuously enhancing Tablet Banking to offer new features and services to customers i.e.. Enhancements to the NRI TAB feature offer improved services etc.
- Bank has introduced new services in ATM viz enabling Re-KYC Service through ATMs so customer will be able to do reKYC using debit card through ATMs,. Bank also introduced range of Card Variants viz. EaseMyTrip Debit Card, Phudalvan Debit Card, Exclusive Mastercard for NRI customers etc.
- Bank is continuously upgrading its infrastructure agility and resilience to support banking services and transactions, for higher uptime and performance.

Cyber Security

The Bank has established a comprehensive Cyber Security Governance framework, integrating a robust management structure, well-defined policies, and operational controls. This framework is tightly aligned with the Bank's business strategies to ensure end-to-end IT risk management and enterprise-wide cyber resilience. The Bank follows both the NIST Cybersecurity Framework and the RBI Cyber Security Framework, enabling a risk-informed and adaptive approach to security.

To further strengthen its cybersecurity posture, the Bank has adopted enhanced GRC processes, embedding risk and compliance considerations into all critical decision-making layers. A key enabler in this journey is the deployment of an enterprise-wide Extended Detection and Response (XDR) platform, which enhances real-time threat detection, correlation, and automated response across endpoints, networks, and email environments.

Cybersecurity is managed 24x7x365 by a centralized Global Cyber Security Operations Centre (CSOC), fully integrated with all domestic and international business verticals. The CSOC leverages advanced capabilities including Threat Modelling, Digital Risk Monitoring (DRM), and Continuous Automated Red Teaming (CART) to proactively identify and mitigate emerging threats. The Bank's Data Centre and Disaster Recovery Centre are certified under ISO/IEC 27001:2022, reflecting a mature information security management system.

In addition to existing controls, the Bank has implemented the following strategic initiatives:

- Breach and Attack Simulation (BAS) tools are used regularly to validate the effectiveness of security controls and provide actionable insights for risk mitigation.
- Random Early Detection (RED) team exercises simulate real-world attack scenarios to assess control readiness and refine incident response strategies.
- Cyber Insurance coverage is maintained through a reputed insurer to mitigate financial exposure from cyber-related incidents and frauds.
- Customer Awareness campaigns are conducted across digital channels (SMS, email, social media, ATMs, and

the Bank's website) to promote safe banking practices.

- Data Loss Prevention (DLP) technologies are deployed to ensure sensitive information remains within the Bank's network, supporting compliance and internal policy enforcement.
- Network Access Control (NAC) solutions provide visibility and enforce access controls, limiting lateral movement within the network.
- Advanced tools for Anti-Phishing, External Attack Surface Management (EASM), and DRM are in place to monitor and safeguard the Bank's digital footprint against external threats.
- Bank has also won prestigious IBA award 'Best IT Risk Management Award' (during FY 2025) recognizing bank's cyber security strategies with respect to cyber security driven by coordination between IT, Info. Security, Risk & Business teams to safeguard Bank's digital ecosystem.

Together, these measures significantly enhance the Bank's cybersecurity capabilities, reduce its attack surface, and support a proactive, intelligence-driven defense strategy aligned with business objectives and regulatory expectations.

Marketing

The year 2025 was characterized by innovative marketing strategies, enhanced brand visibility, and meaningful community engagement, all of which played a key role in reinforcing our reputation as a progressive, customer-centric organization. Our commitment to digital transformation, along with strong media outreach, has further bolstered our brand equity and strengthened our position in the market.

In FY 2025, the Bank executed an ambitious and multi-faceted marketing and branding strategy that spanned multiple channels and touchpoints. Our efforts were aligned with key product launches, national events, and festive seasons, ensuring that our campaigns resonated with diverse customer segments across India.

We embarked on an extensive multi-channel advertising campaign that included Television, Radio, Print, and Cinema with a cumulative reach of approx. 200 crore. Our television campaigns, aired across major news & entertainment channels promoting key retail products such as the Systematic Deposit Plan (SDP), Bob Parivar Account, Bob Masterstroke Account & Bob Green Deposit Plan. Additionally, we leveraged events like the IPL 2024, Paris Olympics 2024 and our 117th Foundation Day to create high-impact moments for customer engagement.

Our radio campaigns, including the BIG FM Antakshari & Dhun Badal ke toh Dekho Season 3 & Mahakumbh were well received with our target customers and reached over millions of listeners across the country. Special initiatives such as the tree plantation drive in partnership with Radio City underscored our commitment to social causes while our product-centric jingles reinforced our offerings during

the festive season. Our Foundation Day Tree Plantation drive enabled the Bank to enter into India Book of Records for most number of e-pledges for tree plantation by taking Green Pratigya pledge.

In print, we maintained a strong presence across leading national and regional newspapers, delivering impactful campaigns that highlighted our products and services. Noteworthy campaigns during the festive period, such as “BOB ke Sang, Tyohar ki Umang” featuring Sachin Tendulkar, further solidified our brand image.

Digital transformation has been a cornerstone of our marketing strategy. We have made significant strides in the digital space, with our social media presence reaching a new milestone of 9.32 million followers across various platforms like Face book with 51.19 lakh, Instagram 18.96Lakh, X 9.99Lakh. Youtube 8.24 Lakh, LinkedIn 4.59Lakh and Quora 0.49 Lakh followers/ Subsribers. During FY 2025, the Bank executed over 30 impactful campaigns spanning sports, financial literacy, fraud awareness and cybersecurity. Notable initiatives included #Pinkathon, #FinancialLiteracyWeek, #PehchaanCon, #CyberJagrooktaDiwas, and #StayWiseActWise. High-engagement campaigns like #BOBatMahakumbh2025, #PlayTheMasterstroke, #SabMeinhainKhiladi, and #bobKeSangTyohaarKiUmang boosted digital outreach.

Our strategic engagement with cultural, educational, and sporting events has been instrumental in enhancing our brand’s visibility. We sponsored key cultural events such as the Maharaja Ranjitsinh Gaekwad Baroda Festival of Arts and supported educational initiatives like IIM Bangalore’s VISTA, IIM Ahmedabad’s CHAOS, IIM Kozhikode’s Annual Conference, IIT Bombay’s Mood Indigo, and IIM Lucknow’s CMEE International Conference. These partnerships not only helped us connect with elite student communities but also allowed us to strengthen our position as a patron of arts, culture, and education.

The appointment of cricket icon Sachin Tendulkar as our global brand ambassador was a significant milestone in enhancing our brand appeal. The “Play The Masterstroke” campaign, featuring Sachin, was a major success across all media platforms and contributed to a significant uptick in retail account openings and loan disbursements.

We also continued to build our presence in the sports arena, with a major sponsorship in the International Masters League (IML), which featured our global brand ambassador, Sachin Tendulkar. This partnership provided exceptional brand visibility and engagement through over 200 million viewers. Additionally, our collaborations with grassroots sports initiatives underscored our commitment to fostering youth talent and supporting national athletes.

As part of our digital strategy, we undertook the website centralization initiative, which involved revamping 19 websites to improve user experience and customer convenience. The enhanced features, including improved search functionality, multilingual capabilities, and advanced filters, have led to a 12% improvement in overall website traffic. We also saw a 30% increase in organic traffic, with over 42 million users visiting our website in FY 2025.

The PR strategy for the year focused on strengthening Bank of Baroda’s brand, improving visibility, maintaining its position among India’s Top 5 banks as well as protecting brand reputation. In addition to the Bank’s financial performance, there were a diverse mix of announcements during the year including onboarding Sachin Tendulkar as the Bank’s Global Brand Ambassador, launch of products such as the bob Utsav Deposit Scheme, bob SDP and bob Liquid Fixed Deposits, adopting advanced GenAI technologies, launch of Phygital and all-women branches as well as programmes such as the Baroda Kisan Pakhwada and initiatives undertaken at the Maha Kumbh Mela to support visitors. In FY2025, the Bank consolidated its #2 position in Media Share of Voice among public sector banks.

As we look ahead, we remain focused on enhancing our digital capabilities, expanding our reach, and engaging with customers across multiple touchpoints. Our continued emphasis on social responsibility, financial literacy, and customer-centric initiatives will guide our efforts to build long-term relationships with our stakeholders.

We will also continue to strengthen our partnerships with cultural, educational, and sports institutions, ensuring that Bank of Baroda remains a trusted and progressive brand in the financial services sector.

The Bank has enhanced its reputation and brand visibility through strategic marketing efforts. Bank’s strong financial performance, innovative digital initiatives, new customer-centric products and services were effectively promoted and reached to the key segments and target audiences. This successful outreach has resulted in market recognition, earning the Bank numerous prestigious awards, highlighting our achievements in marketing, technology, customer service, financial performance, operational efficiency and innovation. The details of the notable awards received by the Bank during FY 2025 is also given at the end of this report.

Corporate Ethics - “Creating Value with Trust”

Bank of Baroda, one of India’s largest and most trusted public sector banks, has always been committed to maintaining the highest standards of integrity, transparency, and accountability in its operations. In line with its vision to be customer-centric and globally competitive, Bank of Baroda has pioneered, among the PSU Banks, the launch of its Code of Ethics and has a dedicated Corporate Ethics Department, which leads the bank’s ethical agenda. By adopting the “Code of Ethics”, the Bank reinforced its commitment to ethical banking practices, ensuring long-term success and sustainability in a dynamic financial world. The bank has constituted the Apex Level Ethics Committee from a cross-section of the entire workforce, with diverse representations like gender, caste, cadre, geography, function, Persons With Disabilities, sports, and ex-servicemen to uphold the ethical values in the organization.

Our Code of Ethics sets forth our core values, shared responsibilities, global commitments, and promises towards our Five Pillars, i.e.,

- We Barodians



- Our Customers
- Our Other External Stakeholders
- Our Business
- Our Communities

On the 117th Foundation Day of the bank on 20th July 2024, the bank adopted one more core value, “RESPECT” to recognize and value the inherent worth and dignity of every employee. Our Code of Ethics document is placed on the Bank’s website.

The Code of Ethics has been structured on a stakeholder-centric approach with the employees at the centre as the ultimate owners of processes and drivers of culture. There is a strong alignment of the Code of Ethics with our Core Values, it sets out a guiding framework for how we behave with our colleagues, our stakeholders, and our expectations from those who work with us. The Code addresses contemporary challenges and ethical dilemmas that the bank and its employees face and outlines the responsibilities they carry when addressing emerging critical issues in the banking operations and important areas like cybersecurity and protecting the environment.

The banking industry has faced numerous challenges over time, yet ethics and trust continue to be its foundation every single day. The Code empowers us to do what is Right and plays a vital role in strengthening our Bank’s brand and reputation. Our leadership has consistently championed the promotion of the Code through various employee engagement initiatives.

Apart from conducting round-the-year education and awareness programmes, one of the most impactful strategies for advancing our ethics agenda is developing strong communication channels. As part of this commitment, the ‘**Speak Up!**’ initiative, aligned with the **Code of Ethics**, was introduced to spotlight the various channels within the bank that empower employees to report unethical practices and raise concerns.

To foster a culture of transparency and engagement, the Bank also publishes **Baroda Sanskriti**, a quarterly in-house newsletter that features creative contributions from employees. Ethical awareness is further promoted through regular dissemination of **Snippets from the Code of Ethics**, quizzes, bilingual audiobook of our Code of Ethics, and a suite of digital communication tools such as the ‘**Naitik Series**’—video stories illustrating ethical dilemmas—and ‘**Ethics Talk**’, modelled on the TED Talk format that underscores the Bank’s corporate vision and the strategic role of ethics.

A focused training programme on Corporate Ethics was rolled out for branches identified as high risk during the year. Ethics Counsellors are stationed at Corporate and Zonal Offices to offer ongoing support and guidance to employees facing ethical dilemmas, ensuring that ethical business conduct is upheld across the Bank.

To celebrate our values in action, the Bank introduced ‘Living the Values! – Vol 1’ e-booklet, being the part of the ‘Living the Values’ series, features inspiring short stories from employees

that exemplify our core values: Integrity, Customer Centricity, Courage, Passionate Ownership, Innovation, Excellence, and Respect. To ensure the principles of the Code of Ethics reach every level of the organization, the Bank conducts webinars, seminars, specialized training sessions, and mandatory e-learning modules for all staff members. These efforts strengthen our culture of ethics and reinforce our commitment to transparency.

To assess the effectiveness of these initiatives, the Bank conducts an anonymous Annual Ethics Survey for all employees. This allows us to assess ethical behavior, monitor cultural progress, and continuously improve our ethical framework, because, as the saying goes, “What gets measured, gets improved.”

Bank of Baroda is not just a Financial Institution; it is an institution driven by values that define success, its transparency fosters trust, and integrity fuels a sustainable future.

Customer Service

Our Bank constantly endeavours to set industry benchmarks and pioneer innovations across products, processes and service delivery that are imperative to providing seamless experiences to its customers. Customer can **interact in 20 languages through IVR/Agent**, 11 languages in Bot & in other modes like Video call, Web chat, Email enhances customer experience and ease of use. The Bank ensured time to time addition of AI & Generative AI based features to improve customer’s satisfaction with efficiency.

The highlight of Contact Centre:

1. The Contact Centre handled 1.48 lakh average inbound customer calls per day during the year and over 1.19 lakh calls daily responded to through IVR.
2. Average more than 1.89 lakh outbound calls per day for sales and surveys.
3. Bank is handling around 80% call on IVR.
4. Contact Centre provided emergency services to 6 overseas territories i.e. Botswana, Mauritius, Uganda, Oman, Fiji & Seychelles.
5. Contact centre has initiated many new functionalities like- Video call functionality through Phygital branches & Mobile Banking, Any day transaction, despatch information, NRI language selection at IVR, GBM Functionality on IVR, Zero touch NPS Survey
6. Many special helpdesk at Contact Centre for exclusively helping the NRI/HNI, BC Complaint Desk, VRM Shine Desk, Staff Help Desk, NRI global e-mail desk, bob World internet and bob World mobile banking related issue, Complaints, PMJDY.
7. Contact Centre is providing 24 IVR services and 26 services through agents 24*7
8. Contact Centre started live Video call and live web chat facility for customers.

9. Contact Centre is equipped with many AI-based technologies like Speech Analytics, Social Media Tools, Automated Email Tool, Genie training Tool, AURA call quality Tool, Work force management, smart dashboard and many more technologies.
10. Our Contact Centre complies with RBI and TRAI directives by adopting the 140 and 1600 series numbers since 07.09.2024 & 14.03.2025 respectively.

During FY 2025, the Bank saw significant improvement in the usage of remote channels for managing grievances. Approximately 95.3% of the grievances were resolved within the pre-defined turnaround time. The Bank not only focussed on improving the quantitative performance indicators of grievance redressal but also on improving the quality of resolution to improve customer satisfaction. Service levels across the network of branches are monitored through mystery shopping / service audits and workshops. General Manager, Operations and Services, is designated as Principal Nodal Officer for customer complaints in the Bank. Moreover, all Deputy Zonal Heads and Regional Heads are designated as nodal officers for their respective zones and regions. The Bank has appointed an Internal Ombudsman which is a forum made available for the grievance redressal of customers before they approach the RBI Ombudsman. All complaints, which are rejected or partially accepted by the Bank, are systematically escalated to the Internal Ombudsman for review. This enhances customer confidence in the Bank's systems and expedites the process of grievance redressal, thus making it even more transparent.

The Bank's code of commitment to customers and MSMEs, citizen charter, grievance redressal policy, and RBI Integrated Ombudsman scheme are available on the Bank's website to promote fair banking practices by maintaining transparency in various products, services and policies. At the Board level, the subcommittee of the Board for Customer Services addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of compliance with the aim of consistent improvement in the quality of customer service.

Bank's ChatBot "ADI" and Virtual Relationship Manager "ADITI" was launched for the first time in the banking sector using AI enabled customer enhancement service is functional on our website. ADI, a text and voice-based chat interface that harnesses the capabilities of Generative AI models. ADI is engineered to deliver a near-real-world interaction experience, significantly enhancing customer engagement and satisfaction. ADITI is innovative digital human, designed to interact with customers using sophisticated Natural Language Processing (NLP) algorithms. ADITI is presented as a computerized 3D graphical illustration, leveraging the power of advanced Generative AI models to provide a lifelike and engaging customer experience.

Bank has launched a new channel on 10.12.2024 to capture feedback from both customers and non-customers via Branch QR Code. This QR Code allows users to provide real-time feedback on five aspects of their experience: Branch Ambience, Ease of Transactions, Staff Behaviour, and ATM Ambience. By scanning the QR Code, users can quickly access a feedback form to rate each attribute and share

comments. This feedback helps us continuously improve our services and enhance customer satisfaction.

Handling Customer Complaints

Customers can very easily lodge their complaints directly with the Bank by visiting its website of the Bank and clicking the appropriate link. Alternatively, the customers may also call the toll-free number and get their complaints lodged in the CRM portal of the Bank. Customers also have the option of sending their complaints to Branches and other offices via any mode. All the complaints will be entered into the CRM portal. The complaints are automatically addressed to the concerned resolver based on the category of complaint selected at the time of lodging the complaint.

Bank also has an Internal Ombudsman mechanism in place, as per regulatory guidelines, to instil confidence in the customers regarding the resolution of their complaints.

Bank has also implemented an Online Dispute Redressal (ODR) mechanism for the speedy resolution of online transaction related complaints. Also, the blocking of Baroda Connect facility has been extended via Interactive Voice Response System (IVR) in the contact centre.

To monitor the quality of resolution being given to the customers, Bank subjects 100% of Non – ADC and ADC complaints to quality check through an AI tool developed by Bank, in collaboration with IIT Mumbai which assess the quality of redressal, thus reducing the time and manpower required. The outcome of the quality check is shared with the concerned resolver group for analysis and improvement in resolution.

Branch Network

The Bank has increased its total domestic branch strength to 8424 in FY 2025 from 8243 branches in FY 2024 by adding 188 branches (merged 07 branches with existing branches) at prominent locations of the country across all branch categories. The details of Bank's domestic and overseas network as of 31st March 2025 is given below.

Branches	FY 2024		FY 2025	
	Number of Branches	% Share in Total	Number of Branches	% Share in Total
Metro	1,789	21.70	1,815	21.55
Urban	1,488	18.05	1,502	17.83
Semi Urban	2,094	25.41	2,179	25.87
Rural	2,872	34.84	2,928	34.76
Total Domestic Branches	8,243	100.00	8,424	100.00
Overseas Branches/ Offices (including branches of overseas subsidiaries)	91		84	



Currency Chests

The number of currency chests stood at 137 as on 31st March 2025. These chests support effective cash management in the Bank as well as vaulting cash on behalf of RBI. All the currency chests as well as branches dealing in cash transactions are provided with Note Sorting Machine (NSMs) as per RBI guidelines.

Risk Governance and Internal Controls

A sound internal audit function plays an important role in contributing to the effectiveness of the internal control system. The audit function provides high quality counsel to the management on the effectiveness of risk management and internal controls including regulatory compliance by the bank. The Bank has implemented a Risk Based Internal Audit (RBIA) System in line with the guidelines issued by Reserve Bank of India. The increased focus on risk and the supporting governance framework includes identification, measurement, monitoring and controlling of risks as well as ensuring that risk-taking activities are in line with the Bank's strategy and risk appetite.

The Internal Audit function provides vital assurance to the Bank's Board of Directors and Senior Management as to the quality of the Bank's internal control system. In doing so, the function helps to prevent/reduce the risk of loss and reputational damage to the Bank. It is, therefore, an indispensable and an integral function for the safe and sound operation of a Bank.

Internal Audit Function serves the role of the last line in the 3 lines of defence model.

- The first line of defence being the Operations / Business Units themselves who have the responsibility to prevent the risk at the source.
- The second line of defence being the Compliance and Risk Management Function of the Bank.
- Audit being 3rd line of defence plays the vital role in the Bank in terms of safeguarding the Bank against risks and assessing the risk profile of the auditee units and Bank itself.

Risk Management and Compliance

Risk Management and Compliance are integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of Directors of the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focussed oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the different type of risks. It is supported by specialist Risk advisor on Board. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk.

Basel III Framework

The Bank's risk management framework rests firmly on the three Basel pillars, i.e. Pillar I- Minimum Capital Requirement, Pillar II- Supervisory Review and Pillar III-Market Discipline. The Bank is strengthened by a healthy level of capital. The Bank maintains adequate levels of Common Equity Tier I, Additional Tier I and Tier II Capital including required Capital Conservation Buffer. Futuristic capital projection ensures that the Bank is always ready to raise additional capital from the market as per business necessity. The position of risk weighted assets is constantly under strong vigil by the credit risk and capital adequacy team. Adequate capital and rationalised risk weighted assets ensures strong Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) for the Bank.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and Stress Testing Policy in place. Capital Adequacy is assessed considering Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, etc. and stressed conditions (under both normal and adverse scenarios) as per the extant guidelines. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing the major risks within the Bank is given below:

Enterprise Risk Management

The diversity of the Bank's business lines requires a comprehensive Enterprise Risk Management approach to promote a strong risk management culture to help in the early identification, assessment, measurement, aggregation and management of all risks and to facilitate capital allocation among various business lines.

The bank has instilled a robust risk culture across its organization, ensuring that all three lines of defence are equipped to effectively manage risk. Roles and responsibilities pertaining to risk culture amongst various stakeholders in upholding risk culture are clearly defined. Through continuous training efforts, employees at all levels are equipped with the knowledge and skills necessary to navigate and adhere to the bank's risk appetite limits. This proactive approach not only enhances risk awareness but also strengthens the overall risk culture, promoting a vigilant and informed workforce.

As part of its ongoing commitment to elevate its Enterprise Risk Management practices, Bank has established a dedicated framework to identify emerging risks and gauge their material significance. This framework is specifically designed to comprehensively identify all risks the Bank is exposed to. Additionally, it provides guidance for conducting materiality assessments to pinpoint key risks that could potentially impact the Bank's objectives and strategies adversely.

The risk appetite of the Bank is dynamic and will evolve with business profile, strategy, economic environment, and shareholders' expectations. The risk appetite framework aligns the risk appetite to business and financial planning and requires revising and/or developing Risk Appetite limits with the evolving risk profile of the Bank.

Credit Risk

Credit risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in line with best practices. Bank has a strong credit appraisal and risk management framework for identification, measurement, monitoring and control of the risks in credit exposures.

Bank uses various Internal Credit Risk Assessment Models and scorecards to assess borrower-wise credit risk. Various Credit Risk models for internal credit ratings of the borrowers were developed internally/externally. They are reviewed and back tested periodically through comprehensive internal/external validation. The internal ratings are validated by independent rating validating authority.

The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers with an objective to build a resilient portfolio and de-risk from portfolio concentration. The Bank has developed in-house models for risk assessment of various Countries, State Governments, Group Borrowers etc. and setting exposure caps. As a part of enhanced exposure monitoring, quarterly reviews are carried out for the Bank's key exposures, segments, industries and sectors. A dedicated team tracks internal & external developments to assess impact on the portfolio performance and recommend pro-active remedial actions. The Bank also conducts comprehensive Thematic review comprising sector outlook & other event-specific impact studies.

Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process.

Market Risk

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertakes various market risk positions.

Mid-Office as a part of Risk Management, measures and monitors interest rate risk in its trading book through risk limits like modified duration, PV01 and Value at Risk (VaR) on a daily basis. The foreign exchange risk is measured and monitored in terms of Net Overnight Open Position limits (NOOPL), VaR limits, Individual Gap Limits (IGL), Aggregate Gap Limits (AGL) and total Aggregate Gap Limit (TAGL) on a daily basis. Equity price risk is measured and monitored through VaR limits. At a transaction level, stop loss limits and dealer wise limits have been prescribed and implemented as per the extant guidelines of the Bank. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis. Risk-return analysis of treasury trading portfolio is also conducted on a quarterly basis. The market risk capital charge for the Bank is computed by mid office as per the Standardised Duration Approach (SDA) in line with the regulatory guidelines.

Asset Liability Management

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. In the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow Approach and Stock Approach and other prudential stipulations as per the latest guidelines of the RBI. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR on a solo basis as well as on a consolidated basis. The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and rate sensitive liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates in the market. For measurement and monitoring of interest rate risk in banking book, the Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Duration Gap Approach. The short-term impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) is worked out through the 'Earnings at Risk' approach by taking into consideration parallel shift in yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity.

Operational Risk

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management System (ORMS) for effective management of Operational Risk in the organization. ORMF comprises the organizational structure for management of Operational Risk, Governance Structures, Policies, Procedures and Processes whereas ORMS consists of the systems used by the Bank in identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating Operational Risk. The Bank has a web based Operational Risk Management System for data capturing and for systemic and integrated management of Operational Risk. In our endeavour to use the best of technology, Bank is using a web based Operational Risk Management System for Operational Risk Compliance & Governance. Monitoring of Key Risk Indicators Programme (KRI), Risk & Control Self-Assessment Programme (RCSA) and Root Cause Analysis of various loss incidents strengthen the control environment. The Bank has created a repository of Internal Loss Data as part of Operational Risk Management. Ongoing review of products and processes in the light of the



changing business environment further strengthens the risk culture. Efforts are made for inculcation of risk culture, values, beliefs, knowledge, attitudes and understanding about risk among the staff. In order to ensure this, Campaigns are carried out to create awareness in the staff by the means of emails, workshops, on-the-job trainings, webinars, meetings, fliers, magazines, E-Learning modules etc. Also, Risk Council comprising of frontline staff has been formed to further strengthen the Risk Aware Culture through bottom-up approach. Furthermore, through strategic utilization of social media platforms, initiatives have been deployed to increase customer awareness regarding prevalent fraud incidents, accompanied by actionable guidance to mitigate susceptibility to such fraudulent activities.

Business Continuity Plan

Bank has a detailed and effective Business Continuity Management (BCM) framework in place for ensuring continuity of operations and rendering customer service at the Branches and Offices during disruptions. The framework is in line with the guidelines issued by RBI and global best practices. The Bank continuously works towards strengthening the business continuity preparedness. Through the exhibition of the Business Continuity Plan, the bank provides customers with the assurance that their services will persist in being dependable and secure, even in the face of adversity. Basis the understanding of risks, Business Impact Analysis (BIA) conducted and mapping of dependencies across enablers for all the critical processes, helps the Bank to allocate resources more efficiently, investing in resilience-critical areas and cutting non-critical spending. The Bank has ISO 27001:2022 certified Data Centre and Disaster Recovery site. Bank's Disaster Recovery site is capable of handling the CBS and other functions of the bank in case of any disruption at Data Centre. The Bank achieved ISO 22301:2019 Certification covering Risk Management, Digital Group and Treasury Department.

Sustainability, ESG and Climate Risk

Bank of Baroda, with over a century of legacy, is committed to sustainable and inclusive growth through robust ESG practices. By embedding climate risk considerations into its operations, Bank aims to enhance community resilience, ensure long-term economic progress, and support a low-carbon future. During FY 2024–25, Bank has accelerated its journey toward sustainability and green finance, making bold strides that powerfully reaffirm our unwavering commitment to building a greener, more responsible future. A key initiative was the establishment of a dedicated Climate Risk Cell within our Risk Management Department (RMD), tasked with overseeing the bank's green finance and sustainability efforts. Additionally, the integration of the Sustainability, ESG & Ethics Department with the RMD aims to create an overarching framework that ensures comprehensive management of environmental, social, and governance risks. These initiatives underscore our commitment to addressing climate change and minimizing its impact on our operations and the communities we serve.

The bank's Board-approved **Environmental, Social and Governance (ESG) Policy** guides decision-making, ensures compliance, manages risks, attracts investments, and improves accountability. Key objectives include promoting sustainable banking practices, integrating ESG principles into decision-making, aligning with international sustainability frameworks, and mitigating ESG risks. Our robust targets and metrics across key Environmental, Social, and Governance (ESG) parameters include ambitious goals for renewable energy adoption, carbon emission reductions, and comprehensive capacity building for top management and employees at all levels. In alignment with national climate goals, we have set an aspiration for achieving **Net Zero by 2057**, coinciding with the 150th year of our bank's founding. To further strengthen our green finance initiatives, Bank is conducting impact assessment for the projects eligible under the RBI's Green Financing Framework, ensuring rigorous assessments for proposals within these sectors.

The policy also focuses on fostering an ESG-centric culture and monitoring performance. The Policy is supported by a strong governance framework, featuring a Board-level and Executive-level CSR & Sustainability Committees at the top and Zonal ESG Committees at the field level.

The bank is dedicated to driving positive change through its green initiatives and recognizes the urgent need to address environmental challenges, actively contributing to a sustainable future. As part of this commitment, the bank has launched various initiatives under the ambit of **"bob earth"**, reaffirming its dedication to protecting and preserving nature for future generations.

We launched our **Green Hydrogen Financing Scheme**, an exclusive initiative aimed at supporting projects producing Green Hydrogen for captive consumption. This scheme highlights our dedication to the clean energy transition. In alignment with this vision, the Bank has also undertaken efforts to promote sustainable opportunities, such as financing solar-powered irrigation pumps, compressed biogas plants, and the installation of solar and other renewable energy systems for farmers.

During the financial year, the Bank launched the "Baroda Mahila Swavalamban Scheme," aimed at providing seamless institutional credit to women entrepreneurs. Furthermore, the Bank is actively supporting sustainability-linked initiatives, including renewable energy, waste management and electric mobility. We remain steadfast in our commitment to developing innovative, sustainability-focused financial products.

We have also placed significant emphasis on Green Deposit Scheme, further solidifying our leadership in promoting environmentally responsible banking solutions. The Green Term Deposit encourages depositors to invest in environmentally friendly projects and activities that contribute to sustainable development.

Our bank became a signatory to the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), joining a global effort to standardize the methodology for measuring and disclosing greenhouse gas (GHG) emissions linked to loans and

investments.

The bank has implemented various initiatives to reduce emissions, conserve energy, and minimize water consumption. A key focus area has been the reduction of carbon emissions. Currently, around 274 branches are powered by solar energy, resulting in reduced power consumption and significant reductions in carbon dioxide emissions.

Additionally, the installation of LED lights in all domestic branches has contributed to enhanced energy efficiency. The bank actively promotes sustainability awareness among stakeholders and has organized initiatives such as “**Swachhata Abhiyaan**” in which 23,000 saplings were planted to foster a culture of sustainable living, environmental preservation, and cleanliness.

The bank places significant emphasis on technology-enabled banking through our platform “**bobWorld**,” enabling seamless and convenient banking operations for our customers while reducing paper usage for transactions and the need for physical visits to branches. The bank has implemented a paperless approval process internally and has digitized document management, contributing to enhanced operational efficiency and reduced environmental impact.

Our sustainability efforts are recognized, with our ESG Rating, by **ESG Risk Analysis & Insights, an Acuite Group Company**, improving from Adequate to Strong, showcasing our efforts in the right direction.

The bank remains committed to being a responsible corporate citizen with sustainability at its core and will continue to work towards minimizing its impact on the environment. To support this commitment, the bank has unveiled the “**bob earth Webspace**” (<https://www.bankofbaroda.in/bob-earth>), a dynamic and transparent public platform designed to showcase our sustainability ambitions, highlight ongoing ESG progress, feature our green product offerings, and share real-time data and impactful stories—underscoring our commitment to accountability, innovation, and a greener future.

Compliance

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank’s Compliance Risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank. The tone at the top sets an organization’s guiding values and ethical climate. A “High Level Compliance Committee” under the chair of Executive Director and other members comprising of Senior Executives from business verticals and support functions, maintains oversight on all compliance related issues.

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Function headed by Chief General Manager designated as Chief Group Compliance Officer (CGCO) has been set up in the Bank.

The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas centres. It also ensures adherence of various guidelines/ instructions issued by IBA (India Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.

To further strengthen the compliance in Bank, dedicated Compliance Officer is posted in each Region, Zone and Overseas Territory. Also, a nodal Officer is identified in each Department of Corporate Office & Head Office for Compliance function. The activities of these Compliance Officials are being monitored from Corporate Office. Similar Compliance Framework is prevalent in Bank’s Domestic and Overseas Subsidiary having dedicated Compliance Officer and Team. Bank is making sustained efforts in improving the compliance culture in Bank by increasing awareness amongst the employees about Compliance. Weekly Newsletter titled “Anuvritti” is published on weekly interval to spread awareness of Compliance Culture in Bank.

KYC/ AML Compliance

The Bank has a well-defined KYC-AML-CFT policy. On the basis of this policy, KYC norms, AML standards and CFT Measures and obligations of the bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, are implemented. The Bank electronically files Cash Transaction Reports (CTRs), Counterfeit Currency Reports (CCRs), Non-profit organizations Transaction Reports (NTRs) and cross border wire transfer (EFT) reports to Financial Intelligence Unit India (FIU-IND), New Delhi on its portal every month within prescribed timelines.

The Bank has an established Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) and put in place AML Solution for monitoring of transactions and detection of suspicious activities in customers’ accounts on the basis of predefined alert parameters in the system. System based risk categorization (money laundering risk categorization) of customers’ is done on dynamic basis. For Periodic Updation of KYC (ReKYC), Bank has developed an automated process for identification of customers due for ReKYC and sending SMS/email/ physical notices to notify them to complete their ReKYC. Bank also provides Digital / Non-Face-To-Face channels to the Individual customers to complete their Re-KYC without visiting their Bank branch.

Bank has implemented Central KYC (CKYC) process for registration of newly on-boarded customers’ KYC information on Central KYC Registry. CKYC number was allotted to 827.03 lakh customers as of March 31, 2025.



Bank has also implemented Video based Customer Identification Process (V-CIP) as an alternate method of establishing the customer's identity for on boarding new Resident Indian Individual customers and facilitating their Periodic Updation of KYC (ReKYC).

Internal Audit

The Bank's Central Internal Audit Division is headed by Chief General Manager administers various types of Audits i.e. Internal Audit, IS Audit, Credit Audit, Concurrent Audit & Management Audit. Internal Audit function in the Bank is an independent activity and has sufficient standing and authority within the Bank. The Internal Audit Department, works under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board. Bank's Internal Audit Function works in close co-ordination with other Assurance functions i.e Risk Management Department & Compliance Department.

Bank's Central internal Audit Division operates through -25- Zonal Internal Audit Divisions to carry out internal Audit of Branches / offices as per the periodicity decided by RBIA Policy. All Branches, Centralized Units, Administrative Offices are covered under Risk Based Internal Audit. The summarized risk perception of all 8242 Branches & Specialized Integrated Treasury Branch as on 31st March 2025 are as under:

- Low Risk Branch – 6627 Branches (80.40 %)
- Medium Risk Branch – 1408 Branches (17.08 %)
- High Risk Branch – 255 Branches (3.09 %)
- 135- Branches with no Rating (New Branches)
- Specialized Integrated Treasury Branch was in Low Risk.

Total -1702- Branches and other units (as on 31.03.2025) are covered under Concurrent Audit covering Bank's 52.54 % Deposit, 64.74 % Advances & overall 58.17 % Business coverage (as on 31.12.2024). All Category B Branches, Currency Chests & Centralized Processing Cells are covered under Concurrent Audit.

Credit Audit is carried out of all Fresh Sanctions/ Existing Accounts including Retail Loans and Restructured Accounts with aggregate exposure of ₹10.00 crore and above (FB + NFB) and 5% of borrower accounts are randomly selected from fresh Accounts and Reviewed with increase having aggregate exposure of ₹1.00 crore above but below ₹10.00 crore (FB + NFB).

All Bank's branches are subjected to Information System (IS) Audit to assess the IT-related risks as part of the RBIA of the Branches. IS Audit of Data Centre & IT Applications are also carried out periodically by a team of CISA /DISA qualified IS Auditors and external CERT-in Firms.

Few Key initiatives include the following:

- New Audit Automation Software (eTHIC)- To enhance the capability of Internal Audit function to justify it's role and live upto the expectations of top management and regulator, we have procured the new Audit Automation System, which will provide us better MIS & desired dashboard.

- Roving/surprise Audit by Dy. Head of Zonal Internal Audit Division was initiated for randomly selected 5 to 10 branch on monthly basis, covering at least 10% branches annually.
- In order to ensure early rectification/compliance for any discrepancy/exception reported by CEMU, and to achieve sustenance of compliance, the frequencies of 65 CEMU reports have been modified from Quarterly/ Monthly to Monthly/Weekly basis.
- Under Off-site Surveillance system, CIAD identifies the Systemic gaps of Finacle and also various underlying patterns and relationship. The findings are shared with respective verticals for rectification and carrying out root cause analysis (RCA) for plugging the systematic gaps.
- At the time of planning/approval of audit budget, CIAD identifies, include and share the Key Focus Areas (KFAs) basis the regulatory /stakeholder expectations, emerging risks, area of concern, industry based practice etc to ACE/ACB to be appraised to the auditee units.
- To have a wholesome view of various types of audits (e.g. RBIA, Concurrent Audit, Expenditure Audit, Management Audit etc.) of Verticals and its departments, a Centralized unit to enhance the quality, coverage & effectiveness of these audits, approval for VIAD (sub-vertical of CIAD) has been obtained.

External Review of Internal Audit Framework is carried out by External Firm as and when felt necessary. Last such assessment was carried out by M/s E & Y LLP during FY 2022-23 and as per their assessment Internal Audit Framework in Bank is robust and one of the best in peer Banks.

Credit Monitoring

Credit Monitoring is an important part of the credit management, which is essential to monitor credit portfolio and improve the asset quality of the Bank and minimize credit risk. Credit Monitoring also involves tracking the borrower's financial behaviour and credit worthiness to identify potential risk. It also ensures compliance with loan terms and end use of funds. It must ensure that the credit assets remain in regular category, to make endeavour for upgrading asset quality of identified stressed accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts. For the purpose of identifying and monitoring the stress accounts, Bank is using various tools and methods so as to maintain good asset quality with containment of probable slippage in effective way.

Tools for efficient monitoring & control process: -

Online availability of SMA & Slippage data to Branches through QLIK sense portal

- Global SMA 0, 1, 2 are available on daily basis for easy and efficient day to day monitoring of accounts.
- Technical aspects like review and stock statement of all due accounts are also available on daily basis and progress is being monitored on daily basis.

- Access to portal has been made available to all the branches for their ease and reduction in their dependency for data from controlling offices.
- Mock Run data (projected degradation for the month on account of any financial/non- financial reason) is made available on daily basis for follow up and corrective actions.
- Degradation and upgradation files are shared to concerned Zone / Branches on daily basis.

Early Warning Signal

- A fully tech based EWS solution is implemented in our Bank since August 2020.
- Automated alert generation helps in effective monitoring by identifying the Early Warning Signals in the accounts.
- Risk Categorization of Accounts in HML (High, Medium & Low) are based on the EWS alerts.
- The existing EWS system has been thoroughly revamped after a detailed audit of our existing system and a thorough review by the top Management. After getting approval from the Competent Authority, the updated EWS system is being rolled out. During revamped health code parameters has been introduced and it is advised to field to incorporate HP rating in process note while taking credit decision
- EWS portal for international territories has also been launched for better monitoring of advances.
- The solution helps the Bank in early identification of RFA/fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches to closely monitor the accounts with appropriate resolution/ action.
- A Health Parameter (HP) has also been introduced for borrower which is a combination of internal rating (BOBICON) and EWS rating of a borrower. Further, EWS portal for international territories has also been launched for better monitoring of advances of our overseas branches.

Stock Audit Portal

- For proper monitoring of stock & data pertaining to stock audit, Bank has developed Stock Audit Portal, which allows online assignment of Stock Audit to empanelled CA's. Access to empaneled CA for filling and submission of Stock Audit report.
- Submission of Compliance and CRCs by the Branches and acceptance of same by the Competent authorities
- Monitoring of completion of Stock audits and real time basis data collection will be possible with the help of this portal within prescribed guidelines of the Bank.

PSR Portal

The bank has developed a specialized portal designed for noting and monitoring the Post-Sanction Reporting (PSR) process. This initiative is aimed at safeguarding the interests of the bank by ensuring proper and timely reporting of the

post-sanction activities for loans. PSR noting is crucial during various loan-related actions such as fresh loan sanctions, reviews (with increase or decrease), the allowance of Temporary Overdraft (TOD), Adhoc loans, excess sanctions, and modifications in terms after the sanctioning process.

CRILC Reporting

Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps, such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's guidelines, stressed accounts with credit exposure of ₹5 crore and above are reported to RBI on CRILC platform on a weekly basis.

System based prediction of Asset Classification: Bank has a predictive program to identify the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/Book Debt statement, review pendency, insufficient/ no credit in CC accounts, inadequate margins in LABOD/ODBOD accounts etc. These triggers focus on taking timely corrective action to prevent downgrading of such accounts. Those accounts are monitored specifically by various operational units for minimizing the slippage of standard assets.

Other monitoring tools:

- The Bank has also digitized the stock and book Debt statement submission, which is real time and user friendly.
- The Bank has also initiated many tools in credit monitoring for robust monitoring like GST, ITR & Statement analyser to analyse, track and monitor the borrower's accounts periodically.
- Digital monitoring reports at pre-determined period are regularly evaluated & taken up for corrective measures wherever required in respect of big accounts of ₹1 crore & above.
- Bank has launched a Dashboard to monitor the cases of DLP violation to improve credit discipline.

Vigilance

The Vigilance administration in the Bank is professionally managed and an integral part of management function. It promotes clean business transactions, professionalism, productivity and ethical practices apart from control, monitor and supervision of various vigilance functions. The Bank has a very strong and transparent Vigilance Administration headed by Chief Vigilance Officer who oversees all vigilance functions of the Bank as per the guidelines from the Central Vigilance Commission. Participative / Proactive & Preventive vigilance are the important functions of Bank's vigilance administration. The Chief Vigilance Officer is supported by three Additional Chief Vigilance Officers, who are stationed at Mumbai and Delhi.

The vigilance machinery in the Bank also imparts knowledge at all levels about vigilance functions, extends help to various disciplinary authorities and appropriate authorities to act swiftly and correctly in examining issues arising out of frauds,



complaints and serious irregularities pointed out in various inspection reports of branches/ offices.

Vigilance setup at Corporate Office headed by Chief Vigilance Officer is supported by Zonal Vigilance department at each zone, which conduct preventive audits of branches at regular intervals and to act proactively on information that controls the damage at bare minimum level.

The vigilance function in the Bank comprises of three aspects:

- 1. Preventive Vigilance:** Preventive measures hold greater significance in containing damage than detection and punishment of corrupt and other malpractices. Preventive measures such as inspections of sensitive areas of business, identification of sensitive posts and scrutiny of personnel posted thereon, ensuring observance of conduct rules, monthly meetings at branch level to discuss branch specific vulnerabilities, training programs for staff, regular scrutiny of inspections and audit reports, conducting gap analysis of systems and procedures and issuance of advisories for Systemic improvements and undertaking circulars on preventive vigilance to be regularly issued and circulated by various business verticals to reduce the number of vigilance cases.
- 2. Detective Vigilance:** Detective Vigilance includes conducting regular and surprise inspection in the sensitive area to detect if there have been any instances of corrupt or improper practices by the staff, undertaking prompt scrutiny of annual property returns and take further action if called for, handling complaints, gathering intelligence from own source about the misconduct/ malpractices, getting in-depth investigations done and examining the same for logical conclusion through appropriate action after due process.
- 3. Punitive Vigilance:** In addition to ensuring that employees at all levels indulging in wilful and mala fide transgressions of rules and provisions are not allowed to go unpunished. The Bank also ensures that bonafide decisions taken in normal course of business are evaluated objectively and with required prudence.

The vigilance function in the Bank enables proactive decisions by stressing on strengthening systems and procedures through preventive vigilance administration. It also plays a major role in identifying and plugging loopholes and providing inputs to the top management in framing policies in fraud prevention. The turnaround time of disciplinary cases improved due to proactive communication which helped in motivating the employees with quick redressals. CVO also coordinates with CVC & DFS for necessary guidance & feedback on vigilance related matters and Law Enforcement Agencies like CBI & ABBFF for criminal actions in case of frauds.

Legal Service

The Bank has a vibrant legal department consisting of qualified and experienced legal officers. The main role of the Legal Department is to support and to provide assistance for various matters relating to Opinion, Documentation, Litigation, etc., referred by or in relation to various functional departments

of the Bank. The department also provides support for references submitted by the various Zones, Regional Offices, domestic and foreign branches, and subsidiaries of the Bank on the matters related to legal aspects.

Further, in order to meet the digitalization of banking loan process, a set of documents for retail and SME facilities compatible with digital lending platform has been prepared which will enable Bank's customers to execute the documents through electronic means. Loan Document Manual has been revisited and simplified the documents.

Law Officers of the Bank vet the documents before disbursement of loan amount as per Bank's Global Credit Policy. In the normal practice either the Law Officer Travels to the concerned branch where the documents have been executed or the Documents are brought at the concerned administrative office where the law officers are posted. In order to pace with the digitalization process, "Portal for Vetting of Loan Documents" has been developed to ease the process by enabling the Law Officers to vet the documents from their office. The basic object of the portal is to ensure vetting / verification of Loan documents in real time through digital mode to expedite the process of vetting and restrict the unnecessary movement of Bank's officers as well as of the documents.

Additionally, an Advocate Portal has been developed through which advocates are to be empanelled and for assignment of work to the advocates through portal itself.

Further, the Department has been promoting environment of knowledge sharing by issuing 'Circulars', quarterly 'Legal News Flash', etc. regarding ever changing set of laws, latest amendments and interpretation of laws by Courts affecting the Banking sector. In association with APEX Academy the Department has conducting Training Program for Law Officers to groom them in specific legal fields as well as to make them conversant with ever changing enactments, Rules and Regulations.

As on 31.03.2025, total pending cases (Litigation Against Bank) before the various Courts/Forum/Tribunals are 3989. We succeeded to get disposal of total 608 cases during financial year 2025. Out of the total disposal of cases 399 cases (i.e. 65.62 %) were decided in favour of the Bank, 49 cases (i.e. 8.05 %) were settled and 160 cases (i.e. 26.31 %) were decided against the Bank. Further 12 cases (having monetary value more than one crore and above) out of total decided cases were also disposed of during the Financial Year 2025.

Human Resources Management

The Bank firmly believes that its people are its greatest strength and the cornerstone of its sustained success. With a talented workforce of over 74,000 employees, the Bank remains committed to nurturing, empowering, and engaging its human capital to meet the evolving demands of the banking sector.

In pursuit of this objective, the Bank has institutionalized a series of strategic HR initiatives focused on capacity building, structured recruitment, employee well-being, and inclusive

workplace culture. These initiatives are aligned with the Bank's long-term vision and are designed to attract and retain talent that resonates with its values and growth aspirations.

Through proactive workforce planning, policy enhancements, and a strong emphasis on employee experience, the Bank continues to foster a high-performing and future-ready workforce. Its sustained efforts in this direction have not only strengthened internal capabilities but have also garnered industry recognition for HR and corporate excellence. Bank's initiative in this direction has been recognized by the industry and Bank has been awarded for

- "Significant Achievement in HR Excellence" Award by CII on 30.03.2025
- "GOLDEN PEACOCK AWARD" for 2025 for Corporate Excellence by Institute of Directors (IOD) in India.
- JOMBAY- WOW WORKPLACE for FY 2023-24 and 2025 consecutively.

Learning and Development

The Bank views employee development as a strategic priority and continues to foster a strong learning culture across the organization. In FY 2025, over 70,000 employees more than 95% of the workforce underwent structured, in-class training, aligned with their job roles through a pan-India training calendar.

To stay ahead in the dynamic banking landscape, the Bank revamped its Learning & Development policy and launched Baroda Gurukul 2.0, an enhanced Learning Management System (LMS) offering blended learning through classroom sessions and digital modules. Complementary initiatives such as weekly quizzes, podcasts, digital libraries, and recognition for top performers have further promoted continuous learning.

The Bank has also strengthened its learning ecosystem with Zonal Training Centres and the Apex Academy in Gandhinagar, and partnered with premier institutions like IIMs, ASCI, IDRBT, and NFSU to enhance training delivery. A key highlight is the "Transforming Tomorrow" Leadership Development Program, in collaboration with IIM Ahmedabad, designed for senior leaders with a focus on action learning.

Additionally, cross-bank training programs on international trade practices were successfully conducted, reinforcing the Bank's role in industry-wide capability building. These efforts reflect the Bank's commitment to building a future-ready and high-performing workforce.

Coaching and Mentoring Programme

In line with the commitment to equity, inclusion, and leadership development, the Bank launched Prerna – Path to Inspiration, a structured mentorship initiative aimed at fostering professional growth and empowerment. The inaugural phase focused on senior women leaders mentoring junior women employees, sharing insights, strategies, and personal experiences to help them navigate career challenges and unlock their potential.

Key features of the program include one-on-one mentorship sessions focused on career development, skill enhancement,

and navigating workplace dynamics. This initiative not only supports individual growth but also reinforces the Bank's vision of nurturing the next generation of women leaders.

Building on its success, the Prerna Mentorship Program will be expanded in FY 2025–26 with tailored modules for different leadership levels and a new cohort of mentees continuing the Bank's journey of inspiration and impact.

Career Progression

The Bank remains committed to recognizing and rewarding employee performance through structured career progression opportunities. In addition to vertical growth, employees are offered horizontal movement across functions and overseas placements, providing diverse exposure and contributing to holistic development.

'Voice of Barodians' – Employee Engagement Survey

As an employee-centric organization, the Bank firmly believes in fostering two-way communication with its workforce to share perspectives and collaboratively enhance organizational effectiveness. In line with this philosophy, the Bank has been conducting the 'Voice of Barodians' Employee Engagement Survey over the past few years.

Insights from these surveys have helped fine-tune existing policies, shape new employee-centric initiatives, and improve workplace practices. Notably, the latest survey conducted in March 2025 reflected a positive shift in employee sentiment, with the overall engagement score rising from 71% to 75%, underscoring growing alignment and trust between the Bank and its employees.

Baroda Anubhuti Program

To strengthen employee engagement across all levels, the Bank launched the Baroda Anubhuti Program, aimed at enriching the overall employee experience through a series of structured engagement activities. These initiatives foster team spirit, build a sense of belonging, and contribute to a more connected and motivated workforce ultimately driving better organizational outcomes.

As part of its commitment to building a Great Place to Work, the Bank also recognizes its responsibility toward the broader community. On significant occasions such as the Bank's Foundation Day (20th July) and Republic Day, employees actively participate in community service initiatives organized under the Baroda Anubhuti banner.

In FY 2024–25, the Bank undertook several impactful CSR activities through this program, including:

- Blood Donation Drives – Over 22,700 units of blood collected
- Tree Plantation Initiatives – Approximately 1,20,000 saplings planted
- Cleanliness Drives – Conducted 4,700+ drives across various localities
- Distribution to the Underprivileged – More than 1,25,000 essential items distributed
- Support to Social Institutions – Over 85,000 items



donated to old age homes, orphanages, and disability centres

- Health Check-up Camps – Benefitting 10,000+ individuals
- Infrastructure Support – Renovation of the library at Govt. Higher Secondary School, Chowara, Ernakulam

Through Baroda Anubhuti, the Bank continues to blend internal engagement with social contribution, reflecting its values of care, inclusivity, and shared progress.

Inter-Zonal Sports and Cultural Tournaments:

The Annual Inter-Zonal Sports and Cultural Tournaments witnessed enthusiastic participation from employees across all zones, reflecting the Bank's continued commitment to fostering employee well-being and engagement. The series commenced with a vibrant Music and Dance competition hosted by the Jaipur Zone, followed by the Inter-Zonal Carrom Tournament held in Chennai. Subsequent events including Cricket, Drama, Badminton, and Chess tournaments were organized across various zones, with selected teams participating wholeheartedly in each discipline.

These initiatives not only promote camaraderie, team spirit, and cross-functional bonding but also encourage physical activity, mental well-being, and a balanced lifestyle demonstrating the Bank's focus on the holistic health of its workforce.

National Sports Day Celebrations

The Bank celebrated National Sports Day from 26th to 31st August 2024 through a series of fitness and wellness initiatives, including Walkathons, Tree Plantation drives, Fit India Pledge administration, and a variety of indoor and outdoor sporting events in line with guidelines issued by the Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India.

In a special initiative, the Bank's sportspersons who have represented India at international events were featured in an audio-visual campaign alongside the Bank's endorers Ms. P.V. Sindhu (International Badminton Player) and Ms. Shafali Verma (International Women's Cricket Player) to inspire a culture of fitness and excellence across the organization.

Incorporation of 'Respect' as Bank's 7th Core Value:

On the 117th Foundation Day of the bank on 20th July 2024, the bank adopted one more core value, **"RESPECT"** to recognize and value the inherent worth and dignity of every employee. Our Code of Ethics document is placed on the Bank's website.

The Core values of the Bank now are as follows;

1. Integrity: We are ethical and transparent in our words and conduct with all our stakeholders.
2. Customer Centricity: Our customers' interests lie at the core of all our actions.
3. Courage: We are resilient in the face of adversity, drawing strength from our Bank's values.

4. Passionate Ownership: We display energy, enthusiasm and commitment while working together for our Bank.
5. Innovation: We create value through new ideas.
6. Excellence: We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.
7. Respect: We recognize and value the inherent worth and dignity of every employee.

In response to valuable feedback received during the recent 'Voice of Barodians' Employee Engagement Survey, the Bank has introduced 'Respect' as its 7th Core Value, unveiled by our MD & CEO on the occasion of the Bank's 117th Foundation Day.

This addition reflects the Bank's commitment to fostering an inclusive, supportive, and empowering workplace where every employee feels valued, heard, and recognized. While the existing six Core Values have long guided our operations and stakeholder interactions, the inclusion of 'Respect' further reinforces our dedication to cultivating a culture of mutual regard and collaboration across all levels of the organization.

Employee wellness Initiatives

As an organization with progressive HR practices, the Bank places strong emphasis on the well-being of its employees, recognizing that their health and happiness are vital to the Bank's sustained success. A healthy, engaged workforce drives productivity, fosters resilience, and fuels innovation. By nurturing a culture of wellness, the Bank seeks to enhance both employee lives and organizational vitality.

In alignment with this vision, the Bank observes November as 'Wellness Month' a dedicated period to promote physical and mental well-being through various initiatives. Activities organized across the Bank include online yoga and meditation sessions, webinars by health experts, the Swasth Barodian Fitness Challenge, and healthy recipe sharing, all aimed at encouraging holistic wellness.

Owing to the encouraging response from staff, Online Yoga & Meditation Classes have been continued throughout the year. To further enrich the experience, certified yoga instructors from within the Bank's workforce are occasionally invited to lead sessions, reflecting our culture of shared learning.

Additionally, the Bank has partnered with reputed hospitals to provide comprehensive health check-ups for employees and their spouses, with the cost fully borne or reimbursed by the Bank. This initiative underscores our long-term commitment to employee health and reinforces our belief that wellness is key to organizational strength.

Employee Assistance Programme

As part of its Employee Assistance Program (EAP), the Bank has introduced Workplace Counselling to support employees in managing stress and mental health challenges. In FY 2024–25, over 70 workshops on "Holistic Well-Being: Mastering Stress through Mindfulness Meditation" were conducted in collaboration with Truworth Health Technologies Pvt. Ltd., reaching more than 3,330 employees across locations.

Employees accessed counselling services through various channels in-person, phone, video, email, and chat while dedicated online support groups on women empowerment, parenting, and addiction facilitated peer learning and self-help.

To further raise awareness, a Mental Health Roadshow – PRAYAS was held in Bengaluru on 12.02.2025, featuring wellness games, recreational activities, and counselling sessions, reinforcing the Bank's commitment to holistic employee well-being.

Thrust On Diversity & Inclusion

The Bank is committed to building a diverse and inclusive workforce, guided by a transparent and non-discriminatory policy on promotions, career progression, transfers, and employee welfare. A formal Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Policy has been implemented to reinforce this commitment.

Recognizing the unique responsibilities of women employees, the Bank has introduced supportive measures such as Sabbatical Leave, Health Check-up Programs, and Crèche facilities. Special provisions are also in place for their deployment and reintegration post-career breaks, including counselling support under the Employee Assistance Program. In FY 2024–25, over 519 women employees benefited from such interventions.

Additionally, the Bank organizes training programs focused on capability building, motivation, and awareness on POSH guidelines, fostering a safe, empowering, and equitable workplace for all.

Ex-Employees

In appreciation of the invaluable contributions of its former employees, the Bank has implemented several welfare measures to support them in their post-retirement years. These include access to Holiday Homes, consultations with Part-Time Medical Consultants, Special Medical Aid, and reimbursement of Medical Insurance premiums.

To enhance convenience, key HR services such as Pension Pay Slip and PPO generation, tax computation, medical premium receipts, TA/DA claims, and Holiday Home bookings have been integrated into the HR Connect mobile application, offering 24x7 access through a user-friendly interface.

Furthering its digital initiatives, the Bank has also integrated Jeevan Pramaan with HR Connect, enabling online submission and auto-verification of Life Certificates, ensuring uninterrupted pension disbursements without the need for physical documentation.

Reservation Cell

An exclusive cell has been functioning to monitor the reservation and other enabling provisions for employees belonging to Scheduled Castes (SC) /Scheduled Tribes (ST) / Person with Disabilities (PWD) /Ex-Serviceman (Ex-SM) and Other Backward Classes (OBC).

Executives in the rank of General Managers are appointed as Chief Liaison Officers for SC/ST/PWD and Ex-Serviceman employees and for OBC employees respectively who ensure compliance of various guidelines pertaining to them.

With effect from 1st February, 2019 reservation of 10% for Economically Weaker Sections (EWS) in direct recruitment in the Bank was implemented.

The Bank provides reservations for Persons with Disabilities (PwDs) at the rate of 4% of the total vacancies arising in officer, (identified posts), clerical and sub-staff cadre in a year, as per Government guidelines.

Caste category wise count as on March 31, 2025						
Cadre	Total	GEN	SC	ST	OBC	EWS
Officer	42959	19065	7545	3381	12845	123
Clerk	25319	10450	4140	2624	7977	128
Sub staff	5464	1559	1809	547	1549	0
Total	73742	31074	13494	6552	22371	251
% to total staff strength		42.14	18.30	8.89	30.34	0.34

Cadre	PwD	Ex-SM
Officer	646	1172
Clerk	3048	992
Sub staff	438	104
Total	4132	2268
% to total staff strength	5.60	3.08

Periodical Meetings

The Bank holds Quarterly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda SC/ST (AIBOBSCST) Employees' Welfare Association and Half Yearly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda OBC Employees' (AIBOBOBC) Welfare Association, for addressing their concerns.

Workshops and Training Programmes

Bank conducts following training programmes every year for members of AIBOBSCST Employees' Welfare Association and AIBOBOBC Employees' Welfare Association and Liaison Officers of SC/ STs and OBCs at its various training academies:

- Pre-promotion training for SC/ST/OBC candidates.
- Workshop on reservation policy.
- Training programme on disciplinary proceedings.

Document Management System

Our Bank is one of the pioneer PSB to initiate implementation of Document Management System (DMS) (First among PSBs to implement Records Digitisation) by engaging professional companies to manage the records so that our Branches give a neat & clean look providing better feel and experience to our customers.



Under DMS, physical records are barcoded, indexed and moved to the warehouse of Record Storage Agency for storage thereof, which can be retrieved at any time as per Bank's requirement. The space which is unlocked is being utilized for customer service efficiency, better branch ambience etc.

Records Digitisation/DMS, a major step towards paperless banking under green initiative, encompasses scanning of identified documents (Loan Files/ HR documents/Legal documents and other critical documents) and uploading the scanned data on "Baroda Document Management System (BDMS) server, a digital repository.

This is an ambitious project of our Bank under which around 63.01 Cr images have so far been scanned covering more than -7436- branches/offices. Also, around approx. -3.40- lac sq. ft. of space has been unlocked in identified Branches/offices of the Bank by shifting 2.31 Cr barcoded and indexed files to Vendor's warehouse

After successful implementation of the Records Digitisation/DMS in Bank's identified Branches/Offices, DASHBOARD is being implemented for better monitoring of Records Digitization project at RO/ZO/BCC level.

Premises Re-engineering

- -09- numbers of PHYGITAL Branches designed PAN India.
- State of the Art construction of Apex Academy Building at Law Garden, Ahmedabad completed. Inauguration awaited.
- Various other Projects ongoing PAN India viz. Administrative Building at Dehradun, Ernakulam nearing completion.
- Construction of Residential Building- Redevelopment Project at Jogeshwari, Mumbai- Work has commenced.
- Other construction projects viz. Commercial & Residential projects are set to commence shortly at Financial City, Bengaluru, Financial City, Kolkata, Canon Shed Road at Ernakulam, Manoharpura at Jaipur.
- Construction of 50 RSETI Buildings completed.
- Over 99% of eligible procurement were made through GeM Portal (1830 crore).

Green/other Initiatives

- 210 Leased Branches in rural/semi urban areas being run on Solar Energy capacity of 1.5 Mega Watts reducing approx. 4739 Tons of Carbon Dioxide Emission since inception.
- Installed Solar Panels in 76 owned Premises of the Bank. Installed capacity 1.73 Mega Watts reducing approx. 1619 Tons of Carbon Dioxide Emission each year
- Solar Panels of Capacity 125 KWp installed at Bank's MMO Building, 100 KWp at Barda Apex Academy Building.

- Bank has set up Rain Water Harvesting system in 18 Administrative Buildings.
- More than 1300 Water Efficient Taps & Waterless Urinals installed in several Administrative Buildings saving approx. 30 lakh Liters of water a year.
- Tree Plantation- 24000 No. of trees/sapling planted in Schools, parks, residential societies etc. – PAN India during the event of Swachhata Pakhwada
- IGBC Green Building Certification in Bank's 3 Owned Buildings. -19- other buildings are in process of receiving the approval shortly
- Introduced Recycled Paper for office use as pilot project in Corporate Office, Ceased the practice of using plastic water bottles under Green initiatives-BOB Earth.
- Digitization of Security Reports & Returns though Bank's IT Team
- Conducted Fire drills at all High-rise Buildings of the Bank all over India.
- Health Checkup camps for staff members in tie-ups with various Medical Centers/Hospitals conducted.
- 24*7 Ambulance facility at BCC.
- Annual Sports Day organized in the month of December 2024 involving all the staff members along with their families.
- Various sports and cultural activities' selection procedure done to participate in Interzonal sports tournament.
- Automation of work order portal to generate monthly & quarterly procurement reports PAN India.
- Automation of Lease Management Portal PAN India.

Implementation of Official Language (OL) Policy

Use of Hindi and other Indian Languages for promoting business as well as providing digital products to the customers is a significant characteristic of the Bank's Official Language policy. This approach has been well appreciated by Government of India and regulatory authorities from time to time. Bank adopted a well-structured Annual Action Plan for Official Language in order to achieve various targets set by the Government of India under its Annual Implementation Programme FY 2025 and the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language during its visits to various offices/branches of the Bank.

The Meetings of Central Official Language Implementation Committee, presided over by MD & CEO/ Executive Director of the Bank, were organized regularly on quarterly basis and various new initiatives were taken during the year FY 2025. Bank has made remarkable progress to provide Mobile Banking and transactional SMS services in Hindi and 12 other regional languages. Whatsapp Banking services are now available in Hindi, Gujarati, Bengali, Marathi and English and Internet Banking services are available to our customers in Hindi too. As a new initiative during the period under review, Bank's Virtual Relationship Manager "Aditi", Chatbot "Adi",

ILMS package, Digital lending platform and BC knowledge portal have been made available in Hindi also. All the auto generated emails from various apps and digital channels/portals of the Bank and loan sanction letters containing terms and conditions generated through Bank's LLPS package have been made available in bilingual i.e. Hindi & English. The journey of digital Baroda Kisan Credit card and Gold loan have also been made available in Hindi. All the mails sent through the Re-KYC platform have been also made available in bilingual.

Bank had introduced official language rating system for Branches/ offices and 'Bhashayi Choupal' programs for staff members, the same were continued during the year. Bank has created a 'Shabdnaad' page on the Bank's website to preserve records of various Official Language (OL) related activities conducted by the Bank at Corporate Office /Zonal Office/Regional Office and Branches, awards and other OL related information pertaining to the Bank.

Bank conducted different campaigns on quarterly basis to increase Hindi correspondence in various departments of the zones (viz. Risk Management, Information Technology, Legal, Credit). Hindi Diwas, World Hindi Day and Mother Language Day were celebrated at various offices/branches all over India and abroad. In order to enhance the creative and writing skills of staff members, the Bank is publishing two corporate magazines – Bobmaitri (House Journal) and Akshayyam (Hindi Magazine). Bank is continuously working to enhance the feature of 'BOB Abhivyakti 2.0' mobile app, designed for all serving and retired staff members to provide an interesting online reading experience with respect to all magazines/newspapers/house journals published by the Bank including Bobmaitri and Akshayyam. It has proved to be a significant step in promoting the Go-Green initiative in the Bank.

Bank's Self-service Passbook printing machine 'Kiosk' were enabled for printing of Passbook in Hindi for the convenience of customers. While providing digital banking facilities to customers, bank is offering the facility of sending SMS in Indian languages in all the Financial Inclusion accounts. Bank is providing the facility to generate bilingual certificates/statements/ reports through mobile banking app. Further, WhatsApp banking service has been made available to customers in Hindi, Gujarati, Marathi and Bengali languages. Bank has made the HR Connect portal bilingual for the use of staff members. Bank's Hindi website has been given an attractive look and its content has been kept updated resulting in significant increase in number of visitors. Bank has provided customers the facility to opt for SMS and WhatsApp Banking facility in their own language at the time of opening an account through tab banking. Bank has introduced bilingual (Hindi and English) digital journey facility for opening savings account online. Further, the Bank has ensured translation of Bank's all promotional materials in Hindi and other Indian languages on a regular basis. Bank has ensured to post Hindi content on social media handles from time to time befitting the occasion.

In line with the present Banking requirements, an AI based "Samarthya Toolkit 3.0" (Technical Toolkit) has been developed by the Bank to promote implementation of Official

Language in the Bank and to sensitize staff members about various e-tools for working in Hindi and regional languages. Training to staff members on usage of this tool has been imparted at various levels. In addition, various programs/competitions were also organized in schools/colleges across the country to connect with the young generation of our country, which helped the Bank to strengthen its brand image among the younger generation and mobilize/increase business.

The efforts of the Bank have been appreciated by the Government of India from time to time. During the year, the Bank was awarded with the First prize under the "Rajbhasha Kirti Puruskar" scheme of the Government of India for its outstanding performance in the field of Official Language Implementation. In addition, the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Vadodara working under the convenorship of the Bank was awarded with the third prize under the Narakas Rajbhasha Samman Yojna. Similarly, Varanasi, Ahmedabad and Jaipur TOLIC working in convenorship of the Bank were selected for the award by the respective Regional OL Implementation Offices of the Government of India. Our Zonal Offices Baroda & Lucknow and Regional Offices Jaipur & Varanasi were also awarded for their outstanding performance in the field of Official Language implementation by the respective Regional OL Implementation Offices of the Government of India. Bank was conferred with a total 9 awards by the Ministry of Home Affairs in the year 2025 which includes Rajbhasha Kirti Puraskar/ Regional and other awards. Various offices of the Bank received a total of 64 awards from TOLIC, working under the aegis of Ministry of Home Affairs.

Bank organised regular meetings of the 28 TOLICs working under its convenorship and ensured compliance with the instructions laid down by the Government of India in this regard. Bank continued with its unique scheme "Medhavi Vidyarthi Samman Yojana" for popularising Hindi in 71 Universities of the country. Under this scheme, cash prizes and commendation certificates are given to two meritorious students securing first and second positions respectively in M.A. (Hindi) examinations every academic year.

In nutshell, the Bank is committed to fulfil its constitutional responsibilities regarding the use of Official Language and other Indian languages for regulatory compliance, business development and customer convenience.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Bank has a long legacy and tradition of actively contributing to the social and economic development of the communities through various development activities. The Bank as a responsible corporate citizen, continuously strives to contribute towards social welfare & environmental protection, particularly for the upliftment of the underprivileged sections of the society to make sustainable social changes in their lives. Skill development through training for gainful employment, human welfare and other social activities like women welfare, health care etc continues to remain the Bank's key focus areas. The Bank is helping different organizations engaged in various community development and socio-



economic welfare activities for the benefit of weaker sections and rural citizens.

The Bank has 65 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in 11 States/UTs across the country to impart skill development training to the youth of rural and semi urban areas for generating self-employment. Since inception, these centres have conducted 26,640 training programmes and imparted training to 7.46 lakh youth, out of which 5.16 lakh have already setup their own ventures or have secured wage employment. During this financial year we have installed IP-Enabled CCTV Camera in 62 RSETIs and solar panel in 12 RSETIs which will augur well for online monitoring of training programme at RSETI by MoRD/NACER and save electricity cost in future.

The Bank has also set up 86 Financial Literacy Centres (FLCs) in 12 States/UTs which provide financial counselling services and education to the people in rural, semi-urban and urban areas about various financial products and services available from the formal financial sector. These centres also take up activities that promote financial literacy, cyber security awareness, and awareness about banking services, digital banking, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.” During this financial year our FLCs centres across the country conducted 7933 meetings/camps to impart financial awareness to 3,91,580 people.

As per RBI directives, Bank has also set up 196 Centres for Financial Literacy (CFLs) spread across -9- states and -1- Union Territory that are aimed at imparting financial literacy in tribal and backward blocks through innovative and participatory approach.

As a part of Bank’s commitment towards protection of environment, under Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, Bank is implementing a project of planting a tree against each Auto loan/Housing loan disbursement.

Bank has also donated to various social causes viz., financial assistance to deserving poor students for their education, donation of passenger vehicle to Children home for traveling to school, donation of medical equipment and healthcare to hospitals, donation of generator set to hospital, donation towards installation of RO Water Purification System, donation towards relief fund in cyclone affected areas and donation towards providing farmers with agricultural tools and capacity building trainings.

Domestic Subsidiaries and Joint Ventures

BOBCARD Limited

BOBCARD Limited (formerly known as BOB Financial Solutions Limited) was established in 1994 as a Non-Banking Financial Company, wholly owned by the Bank. Its primary business is in credit cards with key differentiator being simple, easy-to-understand products that are fairly priced, efficiently serviced, and can easily be availed through a digital-all application process.

FY 2025 was a continued year of growth for BOBCARD consolidating its industry position and budling seamless integration with parent Bank. As per RBI data for Feb’25, the

company continued with steady increase in share across cards and spends in the credit card industry. We rank 9th in terms of market share of cards with a share of 2.7% and with a spends share of 1.7%, BOB Card ranks 11th in terms of monthly spends.

The company issued over a million new credit cards in FY 2025 and continued to be among the largest issuers in terms of incremental customer acquisition. The company further consolidated its two-pronged growth strategy (of BoB customers on one side and key partnerships on the other) by focusing on growing both portfolios i.e. proprietary cards, where the focus in FY 2025 has been on paid and premium cards to diversify the composition, and co-branded cards, where the focus has been on growing the customer base.

Over the past year, BOBCARD’s technology initiatives have driven significant transformation across product, infrastructure, digital, and compliance areas. The journey began with a sharp focus on enhancing the customer experience. A seamless sourcing capability was rolled out, enabling paperless journeys that improve open market activation. Two new products namely ETERNA and TIARA were successfully launched on Rupay Network towards our commitment to expanding card offerings and deepening market penetration.

In the digital ecosystem, the mobile app saw strategic enhancements with features like deep linking and smarter EMI options with selfcare service. These additions were designed to improve usability and drive higher customer engagement. Simultaneously, our analytics foundation was strengthened with the introduction of analytics platform, rolling out multiple use cases and empowering data-driven decisions across the enterprise.

Key launches such as BOBCARD UNI cards showcased our agile execution approach. Simultaneously, groundwork was laid for future scalability through enterprise-wide onboarding platforms with centralized business rule engines and de dupe.

Partnerships also played a pivotal role, with Tripstacc and Zaggle integration service offerings for both retail and corporate customers. A new travel and hotel booking platform was conceptualized to offer value-added services to cardholders, marking BOBCARD’s step into lifestyle enablement.

Through business-led innovation, tech-driven execution, and a deep commitment to customer experience, FY 2024–25 was a year of foundational transformation. We now stand well-positioned to scale, secure, and simplify the future of financial services.

FY 2025 was a landmark year for BOBCARD’s brand and marketing efforts, building on its strong foundation as a customer-first credit card brand. The team rolled out award-winning campaigns under the “Reimagine Credit for India” positioning—leveraging insight-led, purpose-driven communications to deepen relevance, trust, and aspiration. These initiatives strengthened brand salience and customer engagement across platforms. Flagship campaigns like #AurKyaChahiye, #LifelsBetterWithBOBCARD,

#ReimagineTheWomanCard, #ReimagineFestiveFun, etc. delivered strong digital visibility and drove significant social media engagement. The launch of the BOBCARD blog further amplified the brand's commitment to credit education. These sustained efforts not only fueled business momentum but also earned industry recognition, with multiple wins—Silver and Bronze at the Pitch BFSI Marketing Awards 2024, and a Double Bronze at the Campaign India PR Awards 2025—reimagining BOBCARD's position as a performance-driven, marketing-led brand.

Brief Highlights of BOBCARD limited for FY 2025 (IGAAP financials) are indicated below:

(₹in crore)

BOBCARD Ltd.		
Particulars	FY 2024	FY 2025
Total Assets	5,217.15	6,671.78
Net Profit/(Loss) for current FY	59.27	56.74
Net NPA levels for current FY	32.65	137.30
Credit rating	Crisil A1 +	Crisil A1 +
	India rating A1 +	India rating A1 +
Return on Assets	1.14%	0.85%

BOB Capital Markets Ltd.

BOB Capital Markets Ltd. (BOBCAPS), a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, is a SEBI registered Category-I Merchant Banker and also a Stock Broker with memberships of National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).

BOBCAPS offers a wide spectrum of financial services that includes fund raising from primary markets /PE funds, debt syndication, debt resolution, mergers and acquisitions advisory and stock broking (both institutional and retail). It has two operating segments, viz. Investment Banking and Broking.

BOBCAPS continued to receive good traction for its businesses during FY 2025. Investment banking team successfully closed several transactions including marquee IPOs, OFS, Rights Offers, Debt resolutions, Debt syndication, DCM and M&A advisory. Investment Banking Equity team successfully closed IPOs of Bharti Hexacom, Ola Electric & PNG Jewellers; OFS of Cochin Shipyard & GIC; Rights offer of Dhanlaxmi Bank & Shobha Developers and M & A advisory of Caspian Impact. These mandates have led to establishing deal credentials which is important for securing new mandates. For the year, Company incurred a loss, largely on account of creation of technology infrastructure & account-acquisition costs. The Retail Broking business revenue has demonstrated growth during the year and the customer base has significantly grown from 2.08 lacs to 3.34 lacs. The Depository participant business of Bank of Baroda was successfully migrated to the Company in Q4FY 2025 & this business will contribute significantly to Retail revenue in coming years. The Company has revamped its entire retail technology platform with an eye to scale up business.

In Investment Banking League table for IPO & OFS, the Company is ranked amongst Top 15 for the year.

Brief Highlights of BOB Capital Markets Ltd for FY 2025 are indicated below:

BOB Capital Markets Ltd		
Particulars	FY 2024	FY 2025
Total Assets (in crore)	169.00	160.88
Net Profit/Loss for FY (in crore)	(12.50)	(8.79)
Customer base (Nos)	2,08,768	3,17,264
Total number of branches (Nos)	3	3

Baroda Global Shared Services Ltd.

Baroda Global Shared Services, a wholly owned subsidiary of the Bank of Baroda, is an outcome of a strategic decision made by the Bank in 2017 to integrate back-office services into a single entity, thereby, reducing service replication & business unit silos, creating synergies, and improving economies of scale.

Pioneered as a Shared Services provider in the Public Sector Banking segment, the company has grown as a leading player and a role model for many other Banks within the ecosystem over the 8 years of operations.

As a Shared Services organisation, we continue to create value for the parent Bank through a wide portfolio of products & services including Retail Assets (Sales, Operations & collections); Retail Liabilities Back Office; Trade Finance Back Office; Call Centre operations; Financial Inclusion Services; Government Business Support services; International Banking Support (BOB UK Support Operations).

BGSS locus is in creating value for the parent bank through reduced cost-to-income ratio, reduced credit losses, new business generation & client retention.

During FY2025, the company played a pivotal role in sourcing customers for Home Loan, Auto Loan, Education Loan, Tractor Loan, leveraging its Sales team by contributing ~₹14K Cr of business & witnessed a substantial productivity improvement, while keeping COA under control.

In Collections, the company supported the Bank by providing Tele-Calling (SMAO) support & achieved POS resolution of ~₹65K Cr. Further, in continuation to our commitment to deliver high business performance, BGSSL's Corporate Business Correspondent (CBC) operations revenue increased to ₹8.5 Cr in FY2025, while expanding the number of BC points to 1815.

Continuing with our emphasis on continuous improvement with robust compliance, BGSSL enhanced its productivity/efficiency across back-office operations by ~14% Y-o-Y and successfully completed surveillance audits for ISO 9001:2015 (Quality Management) across 9 processes, ISO 22301:2019 (Business Continuity) & ISO 27001:2013 (Information



Security).

Realizing the importance of information security, the company has implemented various solutions viz, Realtime Managed Detection and Response driven Cyber Security Operations Centre; Data Loss Prevention solution; Next-Generation Firewall; Secure Web Gateway.

Annual CSAT survey was conducted, wherein an improved score of 91.41 % was achieved. BGSSL achieved a score of 4.40 in Darpan Survey (Employees' Survey) conducted during FY 2025. The Company successfully implemented Competency Based Talent Acquisition (CBTA) process. It also Implemented a Self-paced Learning Tool – "Gyansagar Eduringo".

A Snapshot of the BGSS Financial Performance

(₹ Cr)

Baroda Global Shared Services Ltd. (BGSS)		
Particulars	FY2024	FY2025*
Total Income	348.74	285.13
Expenses	323.25	265.55
PBT	25.49	19.58
PAT	19.77	16.00
PAT %	5.67%	5.61%

*FY 2025 figures are unaudited.

BarodaSun Technologies Ltd.

BarodaSun Technologies Limited has been incorporated as a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda on July 5, 2017 with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The company has been formed to deliver system integration and consultancy services on matters relating to ever evolving IT enabled business solutions, software product application and implementation across various lines of business, for Bank of Baroda.

The Company is yet to commence full-fledged operations and it is envisioned to initiate activities like programme / project management and support services to implement enterprise-wide IT projects and development of financial products and solutions to effectively cater to various business needs providing technological edge across different business verticals of the Bank.

The Nainital Bank Ltd.

The Nainital Bank Limited (NBL), originally promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant in 1922, became a subsidiary of Bank of Baroda in 1973. The Bank's holding in Nainital Bank Ltd is 98.57%. NBL has its registered office in Nainital and operates in five states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi and National Capital Region (NCR), Haryana, and Rajasthan. NBL has 173 branches as of March 31, 2025. The total business of NBL increased to ₹13,225.68 crore on

March 31, 2025, from ₹13,086.87 crore as of March 31, 2024. The Bank posted a net profit of ₹50.61 crore in FY 2025, compared to a net profit of ₹47.10 crore during the previous year.

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd (BBNPA AMC)

BBNPP AMC is a majority owned subsidiary of Bank of Baroda. It is a joint venture between Bank of Baroda (50.1% shareholding) and BNP Paribas Asset Management Asia Ltd (49.9% shareholding). The Company is the Asset manager for Baroda BNP Paribas Mutual Fund. Both Bank of Baroda and BNP Paribas AM had existing fund management businesses in India, which were merged in March 2022 to create this JV.

BBNPP AMC builds on the strength of its sponsors. The AMC leverages the vast network and local reach of the Bank of Baroda and global best practices and market knowledge of BNP Paribas Asset Management. Over the years, AMC has aggressively invested in strengthening investment capabilities, product range, reach, and distribution. The AMC managed MF AAUM of Rs 45,541 crs during Jan-Mar 2025, representing a strong growth of 28% yoy. Additionally, the AMC opened a branch in GIFT city and registered as Fund Management Entity (FME) and currently offers portfolio management and advisory services to offshore clients with AUM of Rs 4,105 crs as of Mar 31, 2025. Driven by strong AUM growth and cost discipline, it has resulted in significant cost savings. The positive jaw effect led to a significant jump in profitability for FY 24-25.

Brief Highlights of Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd for FY 2025 are indicated below:

(₹ in crore)

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.		
Particulars	FY 2024	FY 2025**
Total Assets	191.43	258.53
Net Profit for current FY	6.11	51.88
Average Assets under Management (AAuM)	37,903*	49,646*
Equity to overall AAuM (%)	62%	64%

*Includes advisory AAuM of ₹2,257 crore in Q4 24 and ₹4,105 crore in Q4 25. **FY 2025 figures are unaudited.

Indian MF industry is seeing accelerated growth driven by the rising aspiration of Indian middle class coupled with increased awareness about Mutual funds. An encouraging trend is that smaller towns are growing faster than the pace of larger cities. India has possibly the best digital transaction infrastructure in the world, leading to rapid digital adoption by clients. Our AMC is leveraging all these trends to create a strong presence in India.

The AMC is committed to building a top-tier fund house that serves both -clients at home in India as well as helps foreign investors access the Indian market.

Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd.

BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd. was merged with Baroda Trustee India Pvt. Ltd. (a wholly owned subsidiary of the Bank) with effect from 14.03.2022 leading to formation of Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd. wherein Bank's share is 50.10% and that of BNP Paribas Asset Management Asia Ltd is 49.90. It is a governing body for Baroda Mutual Fund / BBNPP AMC with a duly constituted Board of Directors, as prescribed under the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.

Headquartered in Mumbai, IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., is a domestic subsidiary of Bank of Baroda promoted along with Carmel Point Investments India Private Limited, owned by private equity funds managed by Warburg Pincus LLC. Union Bank of India is an investor in the Company. Total share capital of the Company is ₹1,435 crore (including share premium).

In FY 2025, IndiaFirst Life posted Total Gross Written Premium of ₹7,218 crore with YoY growth of 3.5%. The Company maintained 12th rank as compared to last year on Individual New Business APE (Regular premium + Single premium at 10%) amongst private Life Insurers. IndiaFirst Life's assets under management (AUM) is at ₹30,968 crore as on 31st March 2025. Company posted Net Profit of ₹102.3 crore and total Income of ₹9,238 crore for FY 2025. IndiaFirst Life settled over 41,668 claims in FY 2025 amounting to over INR 801 crore.

IndiaFirst Life was certified as a Great Place to Work (GPTW) for the seventh time in a row, a recognition considered as the gold standard for defining great workplaces across business, academia and government organisations. IndiaFirst Life was recognised among Best Brands of 2024 by The Economic Times. IndiaFirst Life was also named 'Best Employer in Private Life Insurance' at the NavaBharat BFSI Conclave & Awards 2025.

India Infradebt Ltd.

India Infradebt Limited (Infradebt) is the first Infrastructure Debt Fund (IDF)- NBFC to commence operations in India. Bank of Baroda and ICICI Bank Limited are the largest shareholders, while other shareholders include Citicorp Finance (India) Limited and Life Insurance Corporation of India. Infradebt finances the relatively safe, completed infrastructure projects which have achieved at least one year of commercial operations. Infradebt has been rated AAA/ Stable outlook by CRISIL and ICRA since inception. Infradebt also enjoys 100% income-tax exemption on all its income.

The synergy with the Bank arises from Infradebt's focus on lending to strong, stable infrastructure projects - mainly renewable energy projects, road projects and airport projects, thus promoting green energy in India and contributing to nation building. Infradebt business has grown steadily, with a loan book of ₹25,595 crore, Net Profit of ₹518 crore and

Return on Equity of 14.9% during FY2025. Infradebt has also been paying dividends continuously for the past eight years.

A brief summary of Bank's all the domestic subsidiaries and Joint Ventures is given below for FY 2025 :

(₹ in crore)

Entity	Owned funds	Total assets	Net profit	Offices	Staff
BOBCARD Ltd.	1441.10	6,671.78	56.74	40	554
BOB Capital Markets Ltd.	140.00	160.88	(8.79)	4	140
**BarodaSun Technologies Limited	4.96	5.06	0.17	1	0
**Baroda Global Shared Services Ltd	74.85	102.68	16.00	4	4195
The Nainital Bank Ltd.	837.34	9360.48	50.61	173	1211
**Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.	208.98	258.53	51.88	18	359
Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd.	0.36	0.54	0.085	1	1
IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	1,285.00	30,968	102.00	63	4,740
India Infradebt Limited	3708.94	28074.74	518.47	1	31

*3489 On BGSS payroll & 706 third party Employees

**FY 2025 figures are unaudited.

Awards & accolades received by the Bank

In recognition of Bank's excellent highlighting our achievements in marketing, technology, customer service, financial performance, operational efficiency and innovation., the Bank was conferred with many awards and accolades during FY 2025 which are given below;

- Bank of Baroda has been honoured with CXO Security Innovation Award 2024 in the category of IT Infrastructure Security Initiatives.
- Bank of Baroda has won three awards at The Great Indian BFSI Awards 2024 as given below:
- Social Media Campaign of the Year - bob x Spotify
- Influencer Campaign of the Year- PehchaanCon
- Social Media Campaign of the Year - BOB Ke Sang Tyohaar Ki Umang
- Bank of Baroda was ranked among three top performers at the All-India CII SECEX 2024. CII SECEX is a national-level critical information infrastructure cybersecurity operations exercises organised by NCIIPC annually.
- Bank of Baroda won the 'Best Risk Management Solution Provider' award at the IBS - India Banking Summit & Awards 2024.



- At the e4m Golden Mikes Radio and Audio Conference & Awards 2024, Bank of Baroda was bestowed with the following awards:
- Gold Metal – in the category Best Use of Radio for Long Term Effectiveness for BIG FM's BIG Green Ganesha with Bank of Baroda.
- Silver Metal – in the category Most Unique Programming Concepts/Ideas for BIG FM's BIG Antakshari with Bank of Baroda.
- Silver Metal – in the category Best Program Launch on Radio for BIG FM's BIG Antakshari with Bank of Baroda.
- Silver Metal – in the category Best Use of Radio for Launch/Relaunch for BIG FM's BIG Antakshari with Bank of Baroda.
- Bronze Metal for Bank of Baroda's BOB Army campaign on RED FM.
- Bank of Baroda was named Best Banking Group in India at the World Finance Banking Awards 2024.
- Bank of Baroda has been awarded "Best Contact Centre of the Year (Banking)" award at the CX Excellence Awards organised by Quantic India.
- Bank of Baroda won the 'Best Influencer Campaign' award for #PehchaanCon at the afaqs! Marketers' Excellence Awards 2024.
- Bank of Baroda won the Dun & Bradstreet Public Sector Excellence Award 2024 in the Large Banks (Central PSU) category.
- Bank of Baroda won the Elets BFSI Rising Leaders' Award 2024 for exceptional contribution to the BFSI sector.
- Bank of Baroda won two awards at the FinCrime Expert Conclave: 1) Excellence in Technology Implementation for AML 2) BFSI Team Adopting Emerging Technologies for AML.
- Bank of Baroda won three awards at The Collection & Recovery Summit India.
- i. Risk Management Framework- Collection Practices in the PSB Category.
- ii. Receivables Management Function-Business Re-engineering in the PSB Category.
- iii. Portfolio Management Strategies-Receivable Management-RAM in the PSB Category.
- Bank of Baroda enters India Book of Records for the Plantation drive pledge initiative on the occasion of 117th Foundation Day.
- Bank of Baroda has been awarded 'First Prize' under the Government of India's 'Rajbhasha Kirti Puraskar' Scheme for the year 2023-2024 for outstanding performance in Official Language Implementation.
- Head - Marketing & Branding, Bank of Baroda has been recognised as a leading CMO at the Laqshya Pitch Best CMO Awards 2024.
- Bank of Baroda has been recognised as one of the Iconic Brands of India at the 7th edition of the ET Now Iconic Brands of India.
- Head - Marketing & Branding, Bank of Baroda has been selected as one of the 'Dun & Bradstreet Marketing Mavericks 2024' at the 2nd edition of the Marketing Mavericks Summit.
- Bank of Baroda has been declared Runner-Up in the category Best Customer Experience among Large and Mid-Sized Banks at ASSOCHAM's 19th Annual Summit & Awards on Banking & Financial Sector Lending Companies.
- Bank of Baroda has been conferred with the 'Best Performance in Bank's Category' award for Mutual Fund Business by Bombay Stock Exchange (BSE) for the third consecutive year.
- Bank of Baroda receives SKOCH Gold Award-2024 for Digital Contact Centre in the BFSI Category.
- Bank of Baroda Receives India's Best Brands Award 2024 by ET Now.
- Bank of Baroda awarded prestigious accolades at Annual IBA Technology Awards 2024.
- Best Bank in AI/ML Adoption- Winner
- Best Bank in IT Risk Management-Winner
- Best Technology Bank- Runner-Up
- Best Tech Talent & Organization- Runner-Up
- Special Mention- Best Fintech & DPI Adoption.
- Bank of Baroda wins Golden Peacock HR Excellence Award 2024 under Financial Sector (Banking).
- Bank of Baroda felicitated at IBEX India 2025 BFSI Technology Awards - Runner-Up position in Most Innovative Use of Technology.
- Bank of Baroda felicitated at IBEX India 2025 BFSI Technology Awards – Runner-Up position in Outstanding Use of Emerging Technology for Enhanced Customer Service Experience.
- Bank of Baroda receives Best Data Completeness Award (First Runner Up) in the "PSU Consumer Segment" for FY 2025 by IBA-TransUnion CIBIL.
- Bank of Baroda declared as Winner Bank in "Net Sales – Equity and Hybrid Mutual Funds" category at the AMFI Mutual Fund Summit 2025.
- Bank of Baroda has secured the #1 position for People & HR Operations in the EASE 6.0 Index. Additionally, the Bank has been ranked #3 in Customer Service Excellence and Analytics-Driven Business Improvement.

- Bank of Baroda honoured with 'Significant Achievement in HR Excellence' Award by CII.
- Bank of Baroda received ET Now Best BFSI Brands 2025 Award.

Dividend Distribution Policy

Board of Directors of the bank has recommended a dividend of ₹8.35 per share for the financial year ended March 31, 2025. The total outgo in the form of dividend will be ₹4,318.09 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals. The dividend distribution policy is given in this Annual Report and is also available on the Bank's website.

Board of Directors (Appointment / Cessation of Directors during the year)

Appointments

Dr. M.P. Tangirala was nominated as Government Nominee Director w.e.f. 13th May, 2024 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.

Shri Ravindran Menon was elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from 16th May, 2024 to 15th May, 2027.

Shri Vijay Dube was elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from 9th July, 2024 to 8th July, 2027.

Smt. Beena Vaheed was appointed as Executive Director, with effect from 9th August, 2024 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Manoranjan Mishra was nominated as RBI Nominee Director w.e.f. 12th December, 2024 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.

Cessations

Shri Ajay K. Khurana ceased to be Executive Director w.e.f. 1st April, 2024 upon attaining the age of superannuation.

Shri Mukesh Kumar Bansal ceased as a Government Nominee Director w.e.f. 13th May, 2024 on the appointment of Dr. M.P. Tangirala.

Shri Alok Vajpeyi ceased to be a Shareholders Director w.e.f. 9th July, 2024 on completion of his tenure of -3- years.

Smt. Parvathy V. Sundaram ceased as a RBI Nominee Director w.e.f. 12th December, 2024 on the appointment of Shri Manoranjan Mishra.

Shri Ajay Singhal ceased to be a Non-Executive Director w.e.f. 21st December, 2024 on completion of his tenure of -3- years.

Board Evaluation

Bank is following Government of India guidelines dated August 30, 2019 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors.

Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors' Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2025 is annexed with this report pursuant to "Part E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR)

Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Report as required by SEBI has been hosted on the website of the bank (www.bankofbaroda.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the bank.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2025.

- The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the bank for that period;
- The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- The Directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by the RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Explanation: For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;



- f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

The Directors placed on record their appreciation for the contribution made by Shri Ajay K. Khurana outgoing Executive Director, Shri Mukesh Kumar Bansal outgoing GOI Nominee Director, Smt. Parvathy V. Sundaram outgoing RBI Nominee Director, Shri Alok Vajpeyi outgoing Shareholder Director and Shri Ajay Singhal outgoing Non-Executive Director.

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, RBI, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities and the overseas regulators for their continued co-operation, guidance and support.

The Directors would like to take this opportunity to express sincere thanks to our valued clients for their continued patronage and support.

The Directors acknowledge with deep appreciation for the cooperation extended by all shareholders, Banks and Financial Institutions, Rating Agencies, Stock Exchanges and all well-wishers in India and Abroad. The Directors also take this opportunity to place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the employees of the Bank.

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र।

सेवा में,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण,

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथासंशोधित ('सूचीयन विनियम') के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के उपखंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('बैंक') द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट' के अनुसार की गई हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित रही है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और सूचीयन विनियमन की अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में यथा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्य दायित्वों के निर्वहन के संबंध में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावशीलता पर कोई आश्वासन प्रदान करता है।

यह प्रमाणपत्र केवल बैंक द्वारा सूचीयन विनियमों के अनुपालन किए जाने के उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को दिखाने/किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या कानूनी या नैतिक उत्तरदायित्वों की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, AS AMENDED.

To
**The Members of
Bank of Baroda**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda ("the Bank") for the year ended on March 31, 2025, as stipulated in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the "Guidance Note on Certification of Corporate Governance" issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the "ICAI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations for the year ended March 31, 2025.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.



कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 105049W

(ऋषिकेश जोशी)

साझेदार

एम. नं.: 138738

यूडीआईएन: 25138738BMLJPY2413

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 101048W

(रमन हंगेकर)

साझेदार

एम. नं.: 030615

यूडीआईएन: 25030615BMOCPM4398

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109574W

(विपुल के. चोकसी)

साझेदार

एम. नं.: 037606

यूडीआईएन: 25037606BMMBTL9684

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109208W

(एस नागाभूषणम)

साझेदार

एम. नं.: 107022

यूडीआईएन: 25107022BMLYRT6547

स्थान: मुंबई

दिनांक: 06 मई, 2025

For Khandelwal Jain & Co

Chartered Accountants

FRN: 105049W

(Rishikesh Joshi)

Partner

M. No.: 138738

UDIN: 25138738BMLJPY2413

For Batliboi & Purohit

Chartered Accountants

FRN: 101048W

(Raman Hangekar)

Partner

M. No.: 030615

UDIN: 25030615BMOCPM4398

For Shah Gupta & Co

Chartered Accountants

FRN: 109574W

(Vipul K. Choksi)

Partner

M. No.: 037606

UDIN: 25037606BMMBTL9684

For S Venkatram & Co LLP

Chartered Accountants

FRN: 004656S/S200095

(S Sundarraman)

Partner

M. No.: 201028

UDIN: 25201028BMLMCR8496

For V Sankar Aiyar & Co

Chartered Accountants

FRN: 109208W

(S Nagabushanam)

Partner

M. No.: 107022

UDIN: 25107022BMLYRT6547

Place: Mumbai

Date: May 06, 2025

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2024-25

गवर्नेंस संहिता पर बैंक की मान्यता

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालन का एक अभिन्न अंग है।
- विश्व भर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं।
- बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस मान्यता पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्यकता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि संगठन में कारोबार, कॉर्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब परस्पर जुड़े हुए हैं।

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों को सर्वव्यापी रूप से अपनाया है। बैंक इस क्षेत्र के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने हेतु सदैव प्रयासरत है और अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, मूल्य श्रृंखला साझेदार और समग्र रूप से संपूर्ण समाज सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्यों में लगातार वृद्धि करता रहा है। बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है:

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना।
- सभी हितधारकों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता, नैतिकता एवं पारदर्शिता का समावेश।
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं वृहद् समाज सहित सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण।
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण।
- हमारे बुनियादी मूल्यों और आचरण संहिता का पालन करते हुए व्यवसाय में वृद्धि करना।
- उत्कृष्ट स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व तैयार करना।

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. सत्यनिष्ठा: हम अपने सभी हितधारकों के साथ बात करते समय और व्यवहार में नैतिकता और पारदर्शिता बरतते हैं।
2. ग्राहक केन्द्रीयता: हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है।
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने बैंक के मूल्यों पर विश्वास करते हैं।
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्व: हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं।

5. नवोन्मेषिता: हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं।
6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं।
7. सम्मान: हम प्रत्येक कर्मचारी के अंतर्निहित मूल्यों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं।

बैंक ने अपनी पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) नीति तैयार की है, जो बैंक के परिचालन में स्थायित्वपूर्ण वृद्धि को एकीकृत करती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, समुदायों को सशक्त बनाती है, वंचितों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है और परिचालन के सभी पहलुओं में गवर्नेंस के उच्चतम मानकों का पालन करती है। बैंक के पास सुनिश्चित आचरण संहिता है जो कर्मचारियों को केंद्र में रखते हुए हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है।

बैंक यह मानता है कि सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है। बैंक एक सूचीबद्ध संस्था है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत निकाय कॉर्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैंक ने सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय उन मामलों पर जहां इन विनियमन के प्रावधान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।

बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

कार्यदायित्व एवं गठन

अन्य दायित्वों के साथ-साथ, निदेशक मंडल के कार्यदायित्व निम्नानुसार हैं:

- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को तैयार करना,
- सार्थक एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का स्वरूप **अनुबंध-1 एवं 1ए** में प्रस्तुत है।

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी मुख्य महाप्रबंधक तथा विभागीय प्रमुख शामिल हैं, वे नैतिक आचरण संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (एसएमपी) ने नैतिक आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।



निदेशक मंडल की बैठकें :

निदेशक मंडल को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान -14- बैठकें संपन्न हुईं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 14

बैठकों की तारीखें:

30.04.2024 10.05.2024 30.05.2024 & 31.05.2024 05.07.2024
31.07.2024 03.10.2024 25.10.2024 13.11.2024 & 14.11.2024
26.11.2024 03.12.2024 18.12.2024 30.01.2025 13.02.2025
20.03.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री देबदत्त चांद	01.04.2024 से 31.03.2025	14	14
श्री ललित त्यागी	01.04.2024 से 31.03.2025	14	14
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2024 से 31.03.2025	14	14
श्री लाल सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025	14	13
श्रीमती बीना वाहिद	09.08.2024 से 31.03.2025	9	9
श्री मुकेश कुमार बंसल*	01.04.2024 से 12.05.2024	2	2
डॉ. एम. पी. तंगिराला	13.05.2024 से 31.03.2025	12	7
श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम*	01.04.2024 से 11.12.2024	10	10
श्री मनोरंजन मिश्रा	12.12.2024 से 31.03.2025	4	3
श्री अजय सिंघल*	01.04.2024 से 21.12.2024	11	11
श्री आलोक वाजपेयी*	01.04.2024 से 08.07.2024	4	4
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2024 से 31.03.2025	14	14
श्री रवीन्द्रन मेनन	16.05.2024 से 31.03.2025	12	11
श्री विजय दुबे	09.07.2024 से 31.03.2025	10	10

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त।

निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां / उप-समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
7. ग्राहक सेवा समिति
8. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति
9. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मंडल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. ग्रामीण एवं वित्तीय समावेशन पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
14. इरादतन चूककर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति
15. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्य निष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति

16. अनुशासनात्मक मामलों पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की समिति
17. निदेशक मंडल की सीएसआर और संवहनीयता समिति
18. गैर-कार्यपालक निदेशकों की बैठक

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

इसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (डी) (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से एक निदेशक होते हैं। बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 38

बैठकों की तारीखें:

05.04.2024, 16.04.2024, 25.04.2024, 07.05.2024, 03.06.2024, 06.06.2024, 12.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024, 09.07.2024, 19.07.2024, 29.07.2024, 12.08.2024, 20.08.2024, 29.08.2024, 06.09.2024, 17.09.2024, 24.09.2024, 26.09.2024, 10.10.2024, 31.10.2024, 11.11.2024, 29.11.2024, 11.12.2024, 21.12.2024, 26.12.2024, 30.12.2024, 07.01.2025, 16.01.2025, 04.02.2025, 17.02.2025, 20.02.2025, 27.02.2025, 07.03.2025, 13.03.2025, 19.03.2025, 21.03.2025, 26.03.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	38	34
श्री ललित त्यागी	01.04.2024 से 31.03.2025	38	37
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2024 से 31.03.2025	38	26
श्री लाल सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025	38	33
श्रीमती बीना वाहिद	09.08.2024 से 31.03.2025	26	21
श्रीमती पार्वती वी सुंदरम*	01.04.2024 से 11.12.2024	24	24
श्री मनोरंजन मिश्रा	12.12.2024 से 31.03.2025	14	13
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2024 से 31.03.2025	38	38

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त ।

2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रायोजित शक्तियों से अधिक हैं तथा ₹800/- करोड़ तक के हैं वैसे ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाता है। समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ, सीआरओ एवं संबद्ध वर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है। बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 31

बैठकों की तारीखें:

05.04.2024 16.04.2024 08.05.2024 13.05.2024 27.05.2024
 12.06.2024 26.06.2024 27.06.2024 15.07.2024 02.08.2024
 17.08.2024 03.09.2024 10.09.2024 12.09.2024 25.09.2024
 26.09.2024 01.10.2024 14.10.2024 15.10.2024 16.11.2024
 22.11.2024 27.11.2024 26.12.2024 01.01.2025 03.02.2025
 04.02.2025 25.02.2025 06.03.2025 11.03.2025 19.03.2025
 26.03.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	31	31
श्री ललित त्यागी	01.04.2024 से 31.03.2025	31	31
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2024 से 31.03.2025	31	22
श्री लाल सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025	31	26
श्रीमती बीना वाहिद	09.08.2024 से 31.03.2025	21	15
श्री इयान डिसूजा, सीएफओ*	01.04.2024 से 25.06.2024	6	2
श्री मनोज चयानी, सीएफओ	26.06.2024 से 31.03.2025	25	19
श्री एस अनंतरामन, सीआरओ*	01.04.2024 से 25.04.2024	2	2
श्री रवीन्द्र सिंह नेगी, सीआरओ	26.04.2024 से 31.03.2025	29	26

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त।

3. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

एसीबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालन को तथा लेखापरीक्षा आयोजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आन्तरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आन्तरिक/ समवर्ती/ सांविधिक/ बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों हेतु अनुवर्तन शामिल है। यह बैंक द्वारा केवाईसी - एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख कार्यों, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है।
- यह, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है।

- लेखापरीक्षा समिति बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है। यह समिति तिमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है; समीक्षा करती है तथा निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है।
- लेखापरीक्षा समिति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है। यह लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है।

इस समिति में -3- सदस्य (-2- गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक) शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और सभी कार्यपालक निदेशक समिति के आमंत्रित हैं।



आयोजित बैठकों की संख्या: 15

बैठकों की तारीखें:

29.04.2024	09.05.2024	10.05.2024	27.06.2024	30.07.2024	31.07.2024
23.08.2024	20.09.2024	24.10.2024	25.10.2024	18.12.2024	29.01.2025
30.01.2025	28.02.2025	05.03.2025			

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)*	01.04.2024 से 08.07.2024	4	4
श्री विजय दुबे (अध्यक्ष)	23.07.2024 से 31.03.2025	11	11
श्रीमती पार्वती सुंदरम*	01.04.2024 से 11.12.2024	10	10
श्री मनोरंजन मिश्रा	03.01.2025 से 31.03.2025	4	4
श्री अजय सिंघल*	01.04.2024 से 21.12.2024	11	11
श्री रवीन्द्रन मेनन	30.05.2024 से 31.03.2025	12	12
श्री मुकेश बंसल (आमंत्रिती)@	01.04.2024 से 12.05.2024	3	1
डॉ. एम. पी. तंगिराला (आमंत्रिती)	13.05.2024 से 31.03.2025	12	4
श्री ललित त्यागी (आमंत्रिती)	01.04.2024 से 31.03.2025	15	15
श्री संजय मुदालियर (आमंत्रिती)	01.04.2024 से 31.03.2025	15	14
श्री लाल सिंह (आमंत्रिती)	01.04.2024 से 31.03.2025	15	13
श्रीमती बीना वाहिद (आमंत्रिती)	09.08.2024 से 31.03.2025	9	9

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त।

@वर्ष के दौरान आमंत्रित सदस्यता समाप्त।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एसीबी ने नियमित कार्यसूची की मदों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन / समीक्षा की:

- संशोधित अनुपालन नीति का अनुमोदन।
- बैंक के विरुद्ध किंतु देनदारी हेतु मान्य न किए गए दावों पर नीति।
- बैंक की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा नीति (आईएस ऑडिट) के संशोधित संस्करण का अनुमोदन।
- कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति (एसीई) की मौजूदा संरचना में संशोधनों का अनुमोदन।
- भारतीय रिजर्व बैंक को आगे प्रस्तुत करने के लिए मार्च, 2024 की लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट पर बैंक के अनुपालन का अनुमोदन।
- बैंक की अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगी कंपनियों और निवेशित कंपनियों के बोर्ड में बैंक के नामित निदेशकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों पर नीति का अनुमोदन।
- 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत बैंक की शाखाओं और कार्यालयों के कवरज का अनुमोदन।
- बैंक के सभी विभागों/वर्टिकल के जोखिम मूल्यांकन और आरसीएम के लिए कार्यप्रणाली और रूपरेखा का अनुमोदन।
- फ्लोटिंग प्रावधान पर नीति का अनुमोदन।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा योजना और आंतरिक लेखा परीक्षकों की संख्या का अनुमोदन।

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जोखिम आधारित आईएस (सूचना प्रणाली) लेखा परीक्षा योजना का अनुमोदन।
- घटना/सूचना और प्रकटीकरण प्रथाओं की सत्यता के निर्धारण के लिए संशोधित नीति का अनुमोदन।
- संबंधित पार्टि लेनदेन और सहायक कंपनियों पर नीति के तहत ओमनीबस लेनदेन के नवीनीकरण का अनुमोदन।

4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखापरीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन संरचना को इस दृष्टि से तैयार किया है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके।

बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस समिति के संयोजक हैं। जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया है जो इस समिति का हिस्सा हैं। बैठकों की तारीखें एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 5

बैठकों की तारीखें:

19.06.2024, 21.08.2024, 16.12.2024, 21.02.2025, 11.03.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्रीमती नीना नागपाल (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
श्री देबदत्त चांद	01.04.2024 से 31.03.2025	5	3
श्री अजय सिंघल*	01.04.2024 से 21.12.2024	3	3
श्री आलोक वाजपेयी*	01.04.2024 से 08.07.2024	1	1
श्री रवीन्द्रन मेनन	30.05.2024 से 31.03.2025	5	5
श्री विजय दुबे	23.07.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री ललित त्यागी (आमंत्रिती)	01.04.2024 से 31.03.2025	5	4
श्री संजय विनायक मुदालियर (आमंत्रिती)	01.04.2024 से 31.03.2025	5	4
श्री लाल सिंह (आमंत्रिती)	01.04.2024 से 31.03.2025	5	3
श्रीमती बीना वाहिद (आमंत्रिती)	09.08.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री हिमाद्री भट्टाचार्य - सलाहकार	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त।

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन दिया / समीक्षा की/ नोट किया:

ऋण जोखिम

1. एनबीएफसी एमएफआई कैप में वृद्धि
2. वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग मॉडल की आंतरिक सत्यापन रिपोर्ट का सारांश
3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वैश्विक एक्सपोजर प्रूडेंशियल कैप
4. संशोधनों के साथ कंट्री रिस्क प्रबंधन नीति की समीक्षा
5. क्रेडिट जोखिम के तहत आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण के लिए नीति
6. विवेकाधीन ऋण शक्तियों के दिशा-निर्देशों में संशोधन
7. बेसल III पर्याप्तता फ्रेमवर्क के तहत 31 मार्च 2024 की तुलना में 31 दिसंबर 2023 तक पूंजी पर्याप्तता अनुपात की स्थिति
8. ऋण एक्सपोजर के ट्रांसफर के लिए बैंक की नीति का नवीनीकरण - (मानक आस्तियां) संशोधनों के साथ
9. संशोधनों के साथ विदेशी टेरिटरी के लिए कॉर्पोरेट निवेश नीति की समीक्षा
10. बैंक एक्सपोजर की स्थिति (तिमाही आधार पर)
11. रिटेल ऋण सेगमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
12. पर्सनल ऋण सेगमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
13. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेगमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
14. ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
15. कंट्री रिस्क एक्सपोजर की स्थिति (तिमाही आधार पर)
16. बैंक के ओवरसीज एडवांस पोर्टफोलियो की स्थिति (तिमाही आधार पर)
17. "ओवरसीज टेरिटरीज के लिए सिंडिकेशन लोन नीति" की संशोधन के

साथ समीक्षा

18. ग्लोबल क्रेडिट एक्सपोजर प्रबंधन नीति (जीसीईएमपी) 2024 में संशोधन
19. संशोधनों के साथ डिजिटल लेंडिंग नीति का नवीनीकरण
20. एमएस ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड द्वारा विकसित पर्सनल लोन (पीएल) और ऑटो लोन (एएल) के लिए सांख्यिकीय स्कोरकार्ड मॉडल
21. सांख्यिकीय स्कोरकार्ड मॉडल (ईटीसी, मेसर्स एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित होम लोन (एचएल) और मॉर्गेज लोन (एमएल) के लिए एनटीसी और देयता मॉडल।
22. बैंकों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि पद्धति रिटेल पर्सनल, गृह, शिक्षा ऋण, मॉर्गेज ऋण, ऑटो ऋण।
23. बैंकों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि पद्धति एमएसएमई – कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, दीर्घावधि ऋण और एमएसएमई – अन्य
24. ऋण नीति समिति की बैठकों के कार्यवृत्त

परिचालनगत जोखिम

1. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) और स्ट्रेस टेस्टिंग प्रभाव विश्लेषण
2. जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क (आरएएफ) के तहत विभिन्न सीमाओं की स्थिति (तिमाही आधार पर)
3. प्रमुख जोखिम संकेतकों की स्थिति (तिमाही आधार पर)
4. परिचालन जोखिम हानि डेटा की स्थिति (अर्ध वार्षिक आधार पर)
5. बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी योजना की समीक्षा और विभिन्न सीमाओं की स्थिति
6. समूह जोखिम प्रबंधन नीति 2024
7. डेटा गवर्नेंस नीति का नवीनीकरण
8. 31.03.2024 तक बैंक का परिचालन जोखिम प्रोफाइल
9. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति 2025 की संशोधन सहित समीक्षा



10. "मनी म्यूल खातों की पहचान और रिपोर्टिंग 2025" पर नीति।
11. दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (संरक्षण, निस्तारण और दस्तावेज़ प्रबंधन) और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण पर एकीकृत नीति का नवीनीकरण
12. अकाउंट एग्रीगेटर नीति 2024-26
13. सुरक्षित जमा लॉकर सुरक्षित अभिरक्षा आर्टिकल पर नीति
14. क्षतिपूर्ति नीति का नवीनीकरण
15. चेक अनादरण पर नीति
16. चेक संग्रहण पर नीति
17. निष्क्रिय खाते और अदावी जमाओं के संबंध में नीति का नवीनीकरण और संशोधन
18. सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा नीति का वार्षिक संशोधन
19. समूह जोखिम टेम्पलेट - Q2, वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर 23 दिसंबर 2024 को आयोजित पहली समूह जोखिम काउंसिल के कार्यवृत्त
20. एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

बाजार जोखिम/ एएलएम

1. समूह एएलएम नीति 2025
2. समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2025 में संशोधन/परिवर्तन
3. वित्त वर्ष 2024-27 के लिए फंड ट्रांसफर मूल्य निर्धारण नीति

4. एलसीआर पर आरबीआई की टिप्पणियां, वर्तमान स्थिति और एलसीआर अग्रेषण संबंधी कार्यनीतियां
5. लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की स्थिति (तिमाही आधार पर)
6. ट्रेजरी परिचालनों एवं पीडी व्यवसाय और डेरिवेटिव तथा डेरिवेटिव व्यवसाय के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बाजार जोखिम (तिमाही आधार पर)।
7. एकीकृत ट्रेजरी परिचालन (घरेलू) नीति 2025
8. बाजार जोखिम प्रबंधन नीति 2025-26 की संशोधनों के साथ समीक्षा
9. वैश्विक आस्ति और देयता प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

5. हितधारक संबंधपरक समिति

यह समिति शेयरों के ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/ डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि सहित सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों से संबंधित निगरानी करती है। यह समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है।

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (निदेशकगण) एवं एक गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 1
बैठकों की तारीखें: 27.06.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री अजय सिंघल (अध्यक्ष)*	01.04.2024 से 21.12.2024	1	1
श्री रवीन्द्रन मेनन (अध्यक्ष)	13.02.2025 से 31.03.2025	0	0
श्री ललित त्यागी	01.04.2024 से 31.03.2025	1	1
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2024 से 31.03.2025	1	1
श्री लाल सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025	1	1
श्रीमती बीना वाहिद	09.08.2024 से 31.03.2025	0	0
श्री आलोक वाजपेयी*	01.04.2024 से 08.07.2024	1	1
श्री रवीन्द्रन मेनन (सदस्य)	30.05.2024 से 12.02.2025	1	1
श्री विजय दुबे	23.07.2024 से 31.03.2025	0	0

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त।

वर्ष के दौरान प्राप्त और निस्तारित शिकायतों/अनुरोधों का विवरण निम्नानुसार है :

01.04.2024 तक लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निस्तारित	31.03.2025 तक लंबित
0	993	993	0

श्री पी के अग्रवाल, कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के तहत बैंक के "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल में शेरधारक निदेशकों के रूप में निर्वाचन हेतु व्यक्तियों के लिए "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति सुनिश्चित करती है और इन निदेशकों के लिए वार्षिक आधार पर भी यह सुनिश्चित करती है। यह समिति प्रमुख प्रबंधकीय पदों (केएमपी) हेतु संविदात्मक

नियुक्तियों के प्रतिफल पैकेज और बैंक में मार्केट से उच्च लागत वाली भर्तियों (रु. 2/- करोड़ से अधिक की सीटीसी के साथ) सहित नियुक्ति/नवीनीकरण और नियुक्ति/नवीनीकरण की शर्तों को तय करने पर भी निर्णय लेती है। इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 3

बैठकों की तारीखें: 15.04.2024 07.05.2024 24.06.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री अजय सिंघल (अध्यक्ष)*	01.04.2024 से 21.12.2024	3	3
श्री रवीन्द्रन मेनन (अध्यक्ष)	13.02.2025 से 31.03.2025	0	0
श्री आलोक वाजपेयी*	01.04.2024 से 08.07.2024	3	3
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2024 से 31.03.2025	3	3
श्री रवीन्द्रन मेनन (सदस्य)	30.05.2024 से 12.02.2025	1	1
श्री विजय दुबे	23.07.2024 से 31.03.2025	0	0

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

7. ग्राहक सेवा समिति

समितिके कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने एवं हर समय सभी संवर्ग के ग्राहकों की संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है।

समितिके पास निम्नलिखित कार्य भी हैं:

- सेवा के वर्तमान स्तर को बेंचमार्क करना और इस स्तर को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना।
- समय-समय पर विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करना, दोहराया जाने वाली प्रकृति की शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण करना और ऐसी शिकायतों को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना।
- अवार्ड्स की तारीख से 3 महीने से अधिक समय तक क्रियान्वित न होने की स्थिति और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पायी गई कमियों की समीक्षा करना।

- मृतक जमाकर्ताओं/लॉकर किराए पर लेने वालों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं के जमाकर्ताओं से संबंधित मृतक दावों के 15 दिनों से अधिक समय से निपटान के लिए लंबित/बकाया मृतक दावों की संख्या की स्थिति की समीक्षा करना।

- लंबित रहे कोपरा मामलों की स्थिति की समीक्षा करना।

- विवादित एटीएम लेनदेन की स्थिति पर चर्चा करना और ग्राहक फीडबैक सर्वेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करना।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

05.07.2024 19.09.2024 19.12.2024 27.03.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री अजय सिंघल (अध्यक्ष)*	01.04.2024 से 21.12.2024	3	3
श्री रवीन्द्रन मेनन (अध्यक्ष)	13.02.2025 से 31.03.2025	1	1
श्री देबदत्त चांद	01.04.2024 से 31.03.2025	4	3
श्री ललित त्यागी	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री संजय मुदालियर	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री लाल सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
श्रीमती बीना वाहिद	09.08.2024 से 31.03.2025	3	3
श्री आलोक वाजपेयी*	01.04.2024 से 08.07.2024	1	1
श्री रवीन्द्रन मेनन (सदस्य)	30.05.2024 से 12.02.2025	3	3
श्री विजय दुबे	23.07.2024 से 31.03.2025	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त।



8. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति

समिति का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:

- ए) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी करना।
- बी) मूल कारणों विश्लेषण सहित धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और निगरानी करना।
- सी) आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को सुदृढ़ और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए रोकथाम के उपायों का सुझाव देना।
- डी) धोखाधड़ी की अन्य श्रेणियों/प्रवृत्तियों के अलावा उद्योग/क्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित धोखाधड़ियों को कवरेज में शामिल करना।

(ई) धोखाधड़ी का पता लगाने में विलम्ब के कारणों, यदि कोई हो, की पहचान तथा शीर्ष प्रबंधन और भारतीय रिज़र्व बैंक को उसकी रिपोर्टिंग करना।

(एफ) धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही का परीक्षण सुनिश्चित करना और जहां आवश्यकता हो, स्टाफ पर अविलम्ब कार्रवाई करना।

(जी) धोखाधड़ी के विरुद्ध निवारक उपायों को सशक्त करने के लिए जरूरी समझे जाने वाले अन्य उपायों को लागू करना।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

28.05.2024 02.09.2024 25.11.2024 20.02.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री देबदत्त चांद (अध्यक्ष)*	01.04.2024 से 30.07.2024	1	1
श्री रवीन्द्रन मेनन (अध्यक्ष)	31.07.2024 से 31.03.2025	3	3
श्री ललित त्यागी (सदस्य)*	01.04.2024 से 02.10.2024	2	1
श्री ललित त्यागी (आमंत्रिती)	03.10.2024 से 31.03.2025	2	1
श्री संजय विनायक मुदालियर (सदस्य)*	01.04.2024 से 02.10.2025	2	2
श्री संजय विनायक मुदालियर (आमंत्रिती)	03.10.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री लाल सिंह (सदस्य)*	01.04.2024 से 02.10.2024	2	2
श्री लाल सिंह (आमंत्रिती)	03.10.2024 से 31.03.2025	2	1
श्रीमती बीना वाहिद (सदस्य) (कार्यपालक निदेशक-एफआरएम (03.10.2024 से)	09.08.2024 से 31.03.2025	3	3
श्री अजय सिंघल*	01.04.2024 से 21.12.2024	3	3
श्री आलोक वाजपेयी*	01.04.2024 से 08.07.2024	1	1
श्री विजय दुबे	23.07.2024 से 31.03.2025	3	3
श्री सुरेंद्र कुमार दीक्षित (सीवीओ) (आमंत्रिती)*	01.04.2024 से 31.03.2025	4	2
श्री रवीन्द्रन मेनन (विशेष आमंत्रिती)	28.05.2024	1	1
श्री रवीन्द्रन मेनन - सदस्य	30.05.2024 से 30.07.2024	0	0

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त।

9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी

कार्यनीति समिति का गठन किया। बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें की संख्या: 7

बैठकों की तारीखें:

28.05.2024 30.07.2024 02.09.2024 25.11.2024 13.12.2024
21.02.2025 27.03.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री अजय सिंघल - अध्यक्ष*	01.04.2024 से 29.05.2024	1	1
श्री रवीन्द्रन मेनन - अध्यक्ष	30.05.2024 से 31.03.2025	6	6
श्री रवीन्द्रन मेनन - सदस्य	01.04.2024 से 29.05.2024	1	1
श्री देबदत्त चांद	01.04.2024 से 31.03.2025	7	7
श्री संजय विनायक मुदालियर - कार्यपालक निदेशक (आईटी)	01.04.2024 से 31.03.2025	7	7
श्रीमती बीना वाहिद - कार्यपालक निदेशक (सीआईएसओ)	18.12.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री आलोक वाजपेयी (सदस्य)*	14.03.2024 से 08.07.2024	1	1
श्री अजय सिंघल - सदस्य*	30.05.2024 से 21.12.2024	4	4
श्री विजय दुबे	23.07.2024 से 31.03.2025	6	6
डॉ. दीपक बी. फाटक - सलाहकार	01.04.2024 से 31.03.2025	7	6

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त।

बैंक अपने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी डिजिटल चैनलों को बेहतर बनाने के लिए अपने आईटी संरचना को लगातार विकसित कर रहा है। बैंक ग्राहकों की संतुष्टि और व्यवसाय मॉडल को उत्तरोत्तर बेहतर बनाने के लिए लगातार एआई क्षमताओं का विकास कर रहा है। बैंकिंग सेवाओं और लेन-देन का समर्थन करने के लिए बैंक बुनियादी फ्रेमवर्क में नवीनता और सुदृढ़ता लेकर आ रहा है। बैंक दक्षता हासिल करने, उत्पादकता बढ़ाने और वितरण लागत को कम करने के लिए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में स्वचालन को सक्षम करने की दिशा में प्रयासरत है।

10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करती है। बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 5

बैठकों की तारीखें:

15.05.2024 27.08.2024 26.11.2024 20.03.2025 27.03.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	5	4
श्री लाल सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
श्री अजय सिंघल*	01.04.2024 से 21.12.2024	3	3
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
श्री रविन्द्रन मेनन	30.05.2024 से 31.03.2025	4	3
श्री ललित त्यागी (आमंत्रिती)	01.04.2024 से 31.03.2025	5	4
श्री संजय विनायक मुदालियर (आमंत्रिती)	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
श्रीमती बीना वाहिद (आमंत्रिती)	09.08.2024 से 31.03.2025	4	4

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, समिति द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/समीक्षा की गई:

- बैंक की स्टाफ आवास ऋण योजना के कुछ प्रावधानों में संशोधन।
- सीपीआई से जुड़े संशोधन के कारण 01.01.2023 से विदेश में तैनात भारतीय अधिकारियों (आईबीओ) का वेतन संशोधन और एरिअर के भुगतान और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और मनुकाउ में सूचीबद्ध स्कूलों में बच्चों की शिक्षा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति में संशोधन।
- बैंक में अप्रेंटिसशिप नीति का क्रियान्वयन
- विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई नीति) पर नीति में संशोधन
- स्टॉक एक्सचेंजों को केएमपी/एसएमपी में रिपोर्टिंग में परिवर्तन और आरबीआई को एसएमपी के एक्जिट की रिपोर्टिंग के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी)
- आईबीपीएस द्वारा आयोजित सीधी भर्ती और सीआरपी प्रक्रिया सीआरपी XIV के माध्यम से नियमित, संविदा आधार पर कर्मचारियों की भर्ती।
- स्टाफ़ जवाबदेही नीति (संस्करण 2024)
- संविदा आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति (ओसीबी) संबंधी नीति में संशोधन
- कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया नीति (संस्करण 4.1)
- घरेलू अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों (जेवी) और एसोसिएट्स (एमडी और सीईओ, स्वतंत्र और नामित निदेशकों के अलावा) और बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी (आरआरबी के अध्यक्ष के अलावा) में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए नीति

- अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए)/अपीलीय प्राधिकारी (एए)/समीक्षा प्राधिकारी (आरए)/सक्षम प्राधिकारी (सीए) का केंद्रीकरण
- बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं के लिए अनुबंध पर नियुक्त करने की बैंक की नीति - अल्पकालिक असाइनमेंट के आधार पर
- महिला प्रशिक्षण प्रतिभागियों को रात्रि प्रवास की आवश्यकता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने छोटे बच्चे और एक देखभालकर्ता को साथ लाने की अनुमति देने का प्रावधान
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी कल्याण निधि का बजट
- अनिवार्य अवकाश नीति - संशोधनों के साथ समीक्षा
- शिक्षा एवं विकास नीति
- बैंक में मुख्य महाप्रबंधकों, महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों और सहायक महाप्रबंधकों के पदों की संशोधित संख्या और अतिरिक्त रिक्तियों को भरने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को अपनाना।
- अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति में संशोधन के साथ समीक्षा
- वेतनमान - III तक के अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति की समीक्षा
- चौथे द्विपक्षीय समझौते के संबंध में समझौता ज्ञापन के अनुसार तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार कर्मिकों की कार्य-कुशलता की समीक्षा के लिए प्रक्रिया तथा अन्य तौर-तरीके विकसित करना।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 19 के अंतर्गत अधिकारियों की समीक्षा की प्रक्रिया।
- एसबीआई के पूर्व महाप्रबंधक श्री रामकृष्ण सुसरला की सलाहकार – केवाईसी एवं एएमएल/सीएफटी के रूप में नियुक्ति।



- 23 श्री कृष्ण शंकर की सलाहकार मानव संसाधन के रूप में नियुक्ति।
24 कार्यपालकों की दक्षता मूल्यांकन नीति।
25 महाप्रबंधक श्रेणी तक के अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ की सुविधाओं में वृद्धि।
26 पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य महाप्रबंधकों की सुविधाओं/लाभों में वृद्धि।
27 संशोधनों के साथ मध्य प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-III तक के अधिकारियों हेतु स्थानांतरण नीति की समीक्षा।
28 स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति।
29 इंटरशिप पॉलिसी।
- 30 संविदागत आधार पर अधिकारियों के नियोजन संबंधी नीति-2024 की समीक्षा।
31 मानव संसाधन नीति (भर्ती नीति 2025) की समीक्षा।
- 11. निदेशकों की समिति**
- यह समिति वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता/ गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:
- आयोजित बैठकों की संख्या: 4
बैठकों की तारीखें: 28.05.2024 30.07.2024 25.11.2024 21.02.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री मुकेश कुमार बंसल*	01.04.2024 से 12.05.2024	0	0
श्रीमती पार्वती वी सुंदरम*	01.04.2024 से 11.12.2024	3	3
डॉ. एम.पी. तंगिराला	13.05.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री मनोरंजन मिश्रा	12.12.2024 से 31.03.2025	1	1
श्री लाल सिंह (आमंत्रिती)	01.04.2024 से 31.03.2025	4	3
श्री सुरेन्द्र कुमार दीक्षित – मुख्य सतर्कता अधिकारी (आमंत्रिती)®	01.04.2024 से 31.03.2025	4	2

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त। ®वर्ष के दौरान आमंत्रित सदस्यता समाप्त।

12. वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा; वसूली प्रणाली और ऋण एवं अग्रिमों के वसूली का अन्वेक्षण और बड़ी राशि के एनपीए खातों की निगरानी करती है। बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 02

बैठकों की तारीखें:

24.07.2024 27.03.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री ललित त्यागी	01.04.2024 से 31.03.2025	2	1
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री लाल सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
श्रीमती बीना वाहिद	09.08.2024 से 31.03.2025	1	1
श्री आलोक वाजपेयी*	01.04.2024 से 08.07.2024	0	0
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री रवीन्द्रन मेनन	30.05.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री विजय दुबे	23.07.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री रविंद्र अग्रवाल – महाप्रबंधक – एलसीबी / श्री अमित तुली – महाप्रबंधक – एलसीबी	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री पंकज मित्तल – महाप्रबंधक – सीआरएम	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

समिति ने एनपीए और अपलिखित खातों में वसूली की समग्र स्थिति, एनपीए खातों में वसूली कार्रवाई की स्थिति, इरादतन चूककर्ताओं, आईबीसी के तहत प्रगति और वसूली को अधिकतम करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों/पहलों के समग्र क्रियान्वयन/प्रगति की समीक्षा की।

13. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति

समिति वित्तीय समावेशन के विकास पर विचार करती है, इसकी समीक्षा करती है और बैंक को कम लागत पर कठिन क्षेत्रों सहित बड़े भू-भाग तक तेजी से

पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने की सलाह देती है और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति पर बैंक को सलाह भी देती है। इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें : 4

बैठकों की तारीखें:

29.04.2024 24.07.2024 25.11.2024 20.02.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री ललित त्यागी	01.04.2024 से 31.03.2025	4	3
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
श्री लाल सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025	4	3
श्रीमती बीना वाहिद	09.08.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री अजय सिंघल*	01.04.2024 से 21.12.2024	3	3
श्री आलोक वाजपेयी*	01.04.2024 से 08.07.2024	1	1
श्री विजय दुबे	23.07.2024 से 31.03.2025	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त ।

14. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है।

आयोजित बैठकें: शून्य

15. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के निष्पादन मूल्यांकन पर समिति

यह समिति प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन

के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गई है:

आयोजित बैठकें : 02

बैठकों की तारीखें: 22.04.2024 16.01.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री मुकेश कुमार बंसल (अध्यक्ष)*	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
डॉ एम.पी. तंगिराला (अध्यक्ष)	13.05.2024 से 31.03.2025	1	1
श्री आलोक वाजपेयी*	01.04.2024 से 08.07.2024	1	1
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
श्री विजय दुबे	23.07.2024 से 31.03.2025	1	1

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त ।



16. अनुशासनात्मक मामलों पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की समिति

यह समिति शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान- VII में महाप्रबंधकों और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों में अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए गठित है।

1) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान- VII में महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों के लिए समीक्षा प्राधिकारी

2) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी

आयोजित बैठकें : 1
बैठकों की तारीखें: 03.10.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री मुकेश कुमार बंसल (अध्यक्ष)*	01.04.2024 से 12.05.2024	0	0
डॉ एमपी तंगिराला (अध्यक्ष)	13.05.2024 से 31.03.2025	1	1
श्रीमती पार्वती सुंदरम*	01.04.2024 से 11.12.2024	1	1
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2024 से 31.03.2025	1	1
श्री मनोरंजन मिश्रा	12.12.2024 से 31.03.2025	0	0

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त ।

17. निदेशक मंडल की सीएसआर एवं संवहनीयता समिति

यह समिति बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा सरकार/ विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सीएसआर गतिविधियों की देखरेख करती है।

आयोजित बैठकें : 5
बैठकों की तारीखें: 29.04.2024 24.07.2024 26.11.2024 20.02.2025 27.03.2025

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
श्री ललित त्यागी	01.04.2024 से 31.03.2025	5	3
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
श्री लाल सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
श्रीमती बीना वाहिद	09.08.2024 से 31.03.2025	3	3
श्री अजय सिंघल*	01.04.2024 से 21.12.2024	3	3
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2024 से 31.03.2025	5	5
श्री रवीन्द्रन मेनन	30.05.2024 से 31.03.2025	4	4

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त ।

18. गैर-कार्यपालक निदेशकों की बैठक

आयोजित बैठकें : 1
बैठकों की तारीखें: 10.05.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री अजय सिंघल	01.04.2024 से 21.12.2024	1	1
श्री अलोक वाजपेयी	01.04.2024 से 08.07.2024	1	1
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2024 से 31.03.2025	1	1
श्री रविंद्रन मेनन	16.05.2024 से 31.03.2025	-	-
श्री विजय दुबे	09.07.2024 से 31.03.2025	-	-

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त ।

निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। वर्तमान में बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वेतन (ए)	परिलब्धियां (बी)	वित्त वर्ष 2024-25 में कुल पारिश्रमिक	कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	छुट्टियों का नकदीकरण/ एलएफसी प्रतिपूर्ति	सेवानिवृत्ति लाभ (डी)
1	श्री देबदत्त चांद	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.07.2023 से)	41,26,716	4,92,130	5,24,000	21,37,680	1,12,200	-
2	श्री ललित त्यागी	कार्यपालक निदेशक 21.11.2022 से	35,27,076	4,30,113	4,08,000	17,87,760	4,56,052	-
3	श्री लाल सिंह	कार्यपालक निदेशक 09.10.2023 से	35,27,076	4,18,591	4,08,000	8,65,462	-	-
4	श्री संजय मुदालियर	कार्यपालक निदेशक 31.01.2024 से	38,41,527	3,05,326	4,08,000	3,09,120	2,10,796	-
5	सुश्री बीना वाहिद	कार्यपालक निदेशक 09.08.2024 से	20,94,224	2,51,658	4,08,000	-	-	-
6	श्री संजीव चड्ढा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.06.2023 को सेवानिवृत्त)	-	-	-	5,38,560	-	-
7	श्री अजय कुमार खुराना	कार्यपालक निदेशक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त	24,600	-	-	9,76,800	-	87,78,089
8	श्री जॉयदीप दत्ता राय	कार्यपालक निदेशक 31.01.2024 तक	7,262	2,67,538	-	7,43,800	-	-

सूचीबद्ध संस्था की तुलना में गैर-कार्यपालक निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेनदेन - शून्य

गैर-कार्यपालक निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क का भुगतान:

सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्णकालिक निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्र. सं.	निदेशक का नाम	राशि (₹)
1	श्रीमती पार्वती सुंदरम*	18,75,000.00
2	श्री अजय सिंघल *	18,75,000.00
3	श्री आलोक वाजपेयी*	8,33,333.00
4	श्रीमती नीना नागपाल	25,00,000.00
5	श्री रविन्द्रन मेनन	22,91,667.00
6	श्री विजय दुबे	18,75,000.00
7	श्री मनोरंजन मिश्रा	8,33,333.00

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम बैठकों/ पोस्टल बैलट के विवरण निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	कार्यवाही
एजीएम	05 जुलाई 2024 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम स्वीकृत। - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश स्वीकृत और घोषित। - श्री विजय दुबे को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया। - डॉ. एम.पी. तंगिराला की गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई।



बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	कार्यवाही
ईजीएम	15 मई 2024 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- श्री रविन्द्रन मेनन को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया। - श्री संजय विनायक मुदालियर की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
ईजीएम	21 दिसंबर 2023 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- श्रीमती नीना नागपाल को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया।
27 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	07 जुलाई 2023 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम स्वीकृत। - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश स्वीकृत एवं घोषित किया गया।
26 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	27 जून 2022 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम स्वीकृत। - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश स्वीकृत एवं घोषित किया गया।

संप्रेषण के साधन

बैंक अपने सदस्यों और हितधारकों को प्रमुख घटनाओं से अवगत कराने की आवश्यकता को समझता है। बैंक के वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां बैंक की प्रतिभूतियां बोर्ड की बैठक के समापन के तुरंत बाद सूचीबद्ध होती हैं। यह परिणाम कम से कम दो या दो से अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें से एक का प्रकाशन पूरे भारत या भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर हो और दूसरा गुजरात राज्य में, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। बैंक प्रत्येक तिमाही में अपनी वेबसाइट के माध्यम से शेयरधारकों को अपने तिमाही वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करता है। बैंक अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करने के लिए विश्लेषकों की बैठक,

मीडिया सम्मेलन आदि का आयोजन भी करता है। बैंक के तिमाही/ ईयर-टू-डेड /वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति की प्रति और बैंक द्वारा की गई अन्य घोषणाएं बैंक की वेबसाइट - <http://www.bankofbaroda.in> पर पोस्ट की जाती हैं।

प्रत्येक तिमाही के अंत में विश्लेषकों और मीडिया की बैठक का वेबकास्ट वेबसाइट पर अपलोड किए गए लिंक के माध्यम से अपलोड किया जाता है। विश्लेषकों की बैठक का लाइव वेबकास्ट हर तिमाही में बैंक की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया जाता है। वित्तीय परिणामों के मुख्य बिंदु बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किए जाते हैं।

वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025
लेखों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक	06 मई 2025
लेखा बंदी तारीख	6 जून 2025
लाभांश के लिए निर्धारित तारीख	घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर
29वीं एजीएम की तारीख, समय और स्थान	29वीं एजीएम की तारीख, समय और स्थान तारीख: 23 जून, 2025 समय : प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

शेयरधारकों से संबंधित सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. "एक्सचेंज प्लाजा" बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 एनएसई कोड : BANKBARODA	बीएसई लि. फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट मुंबई - 400 001 बीएसई कोड : 532134

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

ट्रेडिंग से निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण – शून्य

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर सिस्टम और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक ने मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जिसका काम शेयरों/बांडों के हस्तांतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों को दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना तथा शेयरों/बांडों के निर्गमन से जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करना है। निवेशक अपने हस्तांतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतें आरटीए के पास निम्नलिखित पते पर दर्ज करा सकते हैं:

नाम	केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
पता	यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत – 500032
ई मेल	einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री नं.	1800 309 4001
व्हाट्सएप नं.	(91) 910 009 4099
केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लिकेशन)	https://kprism.kfintech.com/
केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट	https://www.kfintech.com
आरटीए वेबसाइट	https://ris.kfintech.com
निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक)	https://ris.kfintech.com/clientservices/isc

निजी रूप से रखे गए बॉन्ड के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:-

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई – 400001 Tel: +91-22-40807000 Fax: +91-22-66311776/40807080 Email id: itsl@idbitrustee.com	केटलिस्ट ट्रस्टीशिप लि. यूनिट नं- 901, 9वीं मंजिल, टावर बी पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई – 400013 टेलीफोन 91 (022) 49220555 ईमेल आईडी: dt@ctltrustee.com; Complaincectl-mumbai@ctltrustee.com

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : द रूबी, दूसरी मंजिल, द.प.,29,
सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम
मुंबई - 400028
टेली: +91-22- 62300451
ई मेल: debenturetrustee@axitrustee.in

सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग, तृतीय तल
(ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट
मुंबई – 400001
टेलीफोन : (022) 2261 6217
फैक्स: (022) 2261 6208
ई मेल : hv.kamdar@cfsi.in

बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग भी स्थापित किया है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोध / समाधान हेतु शिकायतें निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को भी निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

कंपनी सचिव

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
निवेशक सेवाएं विभाग
सातवीं मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर
सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला
कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व),
मुंबई – 400 051
दूरभाष : (022) 6698 5733/5743

ई-मेल: investorservices@
bankofbaroda.com

(उपरोक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 6(2) (डी) के अनुपालन में निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है।

इसके अलावा यदि कोई शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं –

shareholedirectors@
bankofbaroda.com

महाप्रबंधक,

परिचालन एवं सेवाएं
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
प्रधान कार्यालय
7 वां तल, बड़ौदा भवन
आर.सी. दत्त रोड
अल्कापुरी, वड़ोदरा 390 007
टेलीफोन : (0265) 2316792

ई-मेल : cs.ho@
bankofbaroda.com



शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च 2025 तक की शेयरधारिता का पैटर्न:

क्र.	विवरण	कुल	कुल शेयर	कुल मामले %
1	भारत सरकार	1	3308184689	63.97
2	म्यूचुअल फंड	234	474117292	9.17
3	विदेशी पोर्टफोलियो-कॉर्प	711	464141015	8.98
4	निवासी व्यक्ति	1675270	385510975	7.45
5	बीमा कंपनियां	12	309828859	5.99
6	पात्र संस्थागत क्रेता	55	132841985	2.57
7	कॉर्पोरेट निकाय	4587	31983023	0.62
8	वैकल्पिक निवेश निधि	29	25494701	0.49
9	अनिवासी भारतीय	11224	15619685	0.30
10	एचयूएफ़	26982	9211740	0.18
11	अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय	8573	7977537	0.15
12	आईईपीएफ़	1	3232134	0.06
13	ट्रस्ट	61	1712219	0.03
14	कर्मचारी	994	1023043	0.02
15	बैंक	12	264379	0.01
16	ओवरसीज कॉर्पोरेट निकाय	3	110000	0.00
17	एनबीएफसी	12	33400	0.00
18	निदेशक एवं उनके संबंधी	5	24146	0.00
19	समाशोधन सदस्य	24	15519	0.00
20	विदेशी संस्थागत निवेशक	6	14000	0.00
21	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	1	10000	0.00
22	भारतीय वित्तीय संस्थान	1	4752	0.00
23	विदेशी नागरिक	7	4668	0.00
24	विदेशी पोर्टफोलियो निदेशक	1	1374	0.00
25	निदेशक	4	1000	0.00
26	यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया	1	44	0.00
	कुल	1728811	5171362179	100.00

शेयरधारकों का वितरण – 31 मार्च 2025 तक श्रेणीवार

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

31/03/2025 तक शेयरधारिता का वितरण (कुल)

क्र. सं.	श्रेणी (शेयर)	धारकों की संख्या	धारकों का %	शेयरों की संख्या	इक्विटी %
1	1 - 5000	1717855	99.37	286737916	5.54
2	5001 - 10000	6533	0.38	45219120	0.87
3	10001 - 20000	2118	0.12	29640520	0.57
4	20001 - 30000	648	0.04	15954451	0.31
5	30001 - 40000	289	0.02	10084880	0.20
6	40001 - 50000	199	0.01	9120986	0.18
7	50001 - 100000	402	0.02	28799715	0.56
8	100001 एवं अधिक	767	0.04	4745804591	91.77
	कुल	1728811	100.00	5171362179	100.00

प्रतिभूतियों का डिमैटरलाइजेशन:

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के डिमैटरलाइजेशन के लिए करार किया है। शेयरधारक अपने शेयरों का एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से डिमैटरलाइजेशन कर सकते हैं।

31 मार्च, 2025 तक बैंक के पास भौतिक और अभौतिक रूप में निम्नलिखित संख्या में इक्विटी शेयर हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र सं	धारिता का प्रकार	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	प्रतिशत %
1	भौतिक	102951	28548045	0.55
2	एनएसडीएल	552859	1589176118	30.73
3	सीडीएसएल	1073001	3553638016	68.72
	कुल :	1728811	5171362179	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जब्त किए जिनमें से 24000 इक्विटी शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2025 तक रद्द कर दिए गए।

31 मार्च 2025 तक एस्करो / उंचत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

ए. उंचत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष		वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डेबिट किए गए शेयर		31 मार्च 2025 को उपलब्ध अंतिम शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
26	39500	-	-	-	26	39500

बी. एस्करो / उंचत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष		वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डेबिट किए गए शेयर		31 मार्च 2025 को उपलब्ध अंतिम शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	-	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
25	19125	-	-	-	25	19125

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक उपर्युक्त अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी।

लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से भुगतान

बैंक निवेशकों को, जहां निवेशकों द्वारा मैडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बॉन्डों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

निवेशक अपने मैडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मै. केफिन टेक्नोलॉजिज लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं।

सचिवालय लेखा परीक्षा

बैंक ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के लिए मेसर्स आर एस पाडिया एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न है।

प्रकटीकरण :

- यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए

लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी संबंधी प्रकटीकरण किया गया है।

- बैंक पर पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज/ किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है।
- हम सेबी द्वारा सेबी सूचीयन विनियमन अनुसूची V के उप अनुच्छेद (2) से (10) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर अनुपालन की पुष्टि करते हैं।
- सभी निदेशकों द्वारा ये प्रकटीकरण किया गया है कि 31 मार्च 2025 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
- बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें अथवा अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें अथवा वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव - शून्य।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अतः "कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां" शून्य हैं।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम बैंक के स्वतंत्र निदेशक के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रम का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in> पर "शेयरधारक कॉर्नर" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।



8. व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश

बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है तथा किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

9. संबंधित पक्ष लेनदेन और महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति

संबंधित पक्ष लेनदेन और महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर बैंक की नीति का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in> पर उपलब्ध है।

10. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व निपटान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
22	17	5

11. संबंधित वित्त वर्ष अर्थात् 2024-25 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन सहित, यदि कोई हो, जिसमें उस संस्था के सभी नाम लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची:

बैंक द्वारा जारी सभी ऋण लिखतों एवं सावधि जमा कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष अर्थात् 2024-25 के दौरान रेटिंग में संशोधन के विवरणों के साथ बैंक की रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग के विवरण निम्नानुसार हैं;

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की रेटिंग का सारांश - वित्तीय वर्ष-2024-25

रेटिंग एजेंसी	लिखत	वर्तमान रेटिंग	रेटिंग कार्रवाई
आईसीआरए	बेसल III टियर-I बॉन्ड	[ICRA]AA+ (Stable)	पुनः अभिपुष्ट
	बेसल III टियर II बॉन्ड	[ICRA]AAA (Stable)	पुनः अभिपुष्ट
	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	[ICRA]AAA (Stable)	पुनः अभिपुष्ट
	सावधि जमा कार्यक्रम	[ICRA]AAA (Stable)	पुनः अभिपुष्ट
केयर	टियर II बॉन्ड (बेसल III)	CARE AAA; Stable	पुनः अभिपुष्ट
इंडिया रेटिंग	दीर्घावधि इश्युअर रेटिंग	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट
	जमा प्रमाणपत्र	IND A1+	निर्दिष्ट
	बेसल III टियर 2 लिखत	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट
	बेसल III एटी-I बॉन्ड	IND AA+/Stable	अभिपुष्ट
	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍड अफोर्डेबल हाउसिंग बांड	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट
	सावधि जमा	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट
क्रिसिल	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत)	CRISIL AAA/Stable	निर्दिष्ट
	टियर I बॉन्ड (बेसल III के तहत)	CRISIL AA+/Stable	अभिपुष्ट
	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत)	CRISIL AAA/Stable	अभिपुष्ट
	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	CRISIL AAA/Stable	अभिपुष्ट
मूडीज़	बैंक ऑफ़ बड़ौदा		
	आउटलुक	Stable	अभिपुष्ट
	प्रतिपक्षी जोखिम रेटिंग	Baa3/P-3	अभिपुष्ट
	बैंक जमाराशियां	Baa3/P-3	अभिपुष्ट
	आधारभूत ऋण मूल्यांकन	ba2	Ba 3 में अद्यतित
	समायोजित आधारभूत ऋण मूल्यांकन	ba2	Ba 3 में अद्यतित
	प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन	Baa3(cr)/P-3(cr)	अभिपुष्ट
	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन)		
	आउटलुक	Stable	अभिपुष्ट
	प्रतिपक्षी जोखिम रेटिंग	Baa3/P-3	अभिपुष्ट
	प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन	Baa3(cr)/P-3(cr)	अभिपुष्ट
	सीनियर गैरप्रतिभूत	Baa3	अभिपुष्ट

रेटिंग एजेंसी	लिखत	वर्तमान रेटिंग	रेटिंग कार्रवाई
फिच	बैंक ऑफ़ बड़ौदा		
	दीर्घावधि आईडीआर	BBB-	अभिपुष्ट
	आउटलुक	Stable	अभिपुष्ट
	अल्पावधि आईडीआर	F3	अभिपुष्ट
	व्यवहार्यता रेटिंग	bb-	अभिपुष्ट
	सरकार समर्थित रेटिंग	bbb-	अभिपुष्ट
	अल्पावधि आईडीआर (xgs)	B (xgs)	अभिपुष्ट
	दीर्घावधि आईडीआर (xgs)	BB- (xgs)	अभिपुष्ट
	दीर्घावधि सीनियर गैरप्रतिभूत	BBB-	अभिपुष्ट
	दीर्घावधि सीनियर गैरप्रतिभूत (xgs)	BB- (xgs)	अभिपुष्ट
	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड		
	दीर्घावधि आईडीआर	BBB-	अभिपुष्ट
	आउटलुक	Stable	अभिपुष्ट
	दीर्घावधि आईडीआर (xgs)	BB-(xgs)	अभिपुष्ट

नोट:

• वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा बैंक की रेटिंग में कोई गिरावट नहीं की गई।

• मूडीज ने जून 2024 में बैंक के बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट को ba3 से बढ़ाकर ba2 कर दिया है।

12. इसका पुष्टीकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंधन तंत्र पर निर्भर नहीं हैं – हां

13. जहां वित्त वर्ष 2024-25 में निदेशक मंडल ने, अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया – शून्य

14. विनियमन 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमाम्य आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण – शून्य, क्योंकि वर्ष के दौरान बैंक ने अधिमाम्य आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां नहीं जुटाई हैं।

15. सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा, समेकित आधार पर, सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं को, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल फीस 116.36 करोड़

16. कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।- प्राप्त किया गया।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1	बोर्ड सूचीबद्ध कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी ड्यूटी संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है।	दिनांक 01-03-2024 से कोई गैर कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं।
2	शेयरधारक के अधिकार पिछली छमाही में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जा सकती है।	बैंक अपने तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट एवं बैंक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करता है। बैंक शेयरधारकों की सूचना के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप वित्तीय परिणामों को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है।
3	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत कंपनी को अशर्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए।	बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई शर्त नहीं है।
4	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग-अलग पद सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	बैंक में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद अलग-अलग हैं। हालाँकि, दिनांक 01-03-2024 से कोई गैर कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं।



क्र. सं.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
5	आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

विनियम क्रम.	शीर्षक/संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
17	निदेशक मंडल	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें "बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970" के अधीन है। अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों के अधीन किया जाता है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बोर्ड का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे। बोर्ड मूल्यांकन बैंक पीएसबी गवर्नेंस सुधार - गैर-आधिकारिक निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि संबंधी भारत सरकार के दिनांक 30.08.2019 के दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहा है।
17ए	निदेशकों की अधिकतम संख्या	अनुपालन किया गया है
18	लेखा परीक्षा समिति	अनुपालन किया गया है

विनियम क्रम.	शीर्षक/संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
19	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	अनुपालन किया गया है
20	हितधारक संबंधपरक समिति	अनुपालन किया गया है
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया है
22	सतर्कता प्रणाली	अनुपालन किया गया है
23	संबंधित पार्टी लेनदेन	अनुपालन किया गया है
24	सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता	अनुपालन किया गया है
24ए	सचिवालीय लेखा परीक्षा और सचिवालीय अनुपालन रिपोर्ट	अनुपालन किया गया है
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व	विनियमन 17 के अनुसार – यथा उपर्युक्त
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों एवं प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्व	अनुपालन किया गया है
27	अन्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया है
46	वेबसाइट	अनुपालन किया गया है

शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस पत्राचार से संबंधित किसी भी विषय या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों/ लाभांश से जुड़े किसी अन्य मामले में स्पष्टीकरण/ सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे/ आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार में अपने फ़ोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजी लि.,

यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर – बी,
प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032.

ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

टोल फ्री फोन/नंबर : 1800 309 4001

व्हाट्सएप नंबर : (91) 910 009 4099

केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लिकेशन): <https://kprism.kfintech.com/>

केफिन टेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: <https://www.kfintech.com>

आरटीए वेबसाइट: <https://ris.kfintech.com>

निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक): <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc>

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

निवेशक सेवाएं विभाग,
7वीं मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर
सी-26, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व)
मुंबई 400 051

टेलीफोन: 022-6698 5731/ 5743

सामान्य नंबर: 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स)

ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com

बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का कॉर्नर सेक्शन- <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/>

पारदर्शिता अधिकारी

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप बैंक ने अपने एक वरिष्ठ कार्यपालक को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

- ए) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना।
- बी) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना।
- सी) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना।
- डी) आरटीआई संबंधित सभी विषयों हेतु आम जन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना। बैंक ने इस अधिनियम के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड की है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है।

अनुपालन संबंधी कार्य

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक में इस कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारू बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है। निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है। बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को स्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली लागू की है। शीर्ष प्रबंधन की मान्यताएं किसी संगठन के मार्गदर्शक मूल्यों और नैतिक वातावरण को निर्धारित करती हैं। कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक "उच्च स्तरीय अनुपालन समिति" जिसके अन्य सदस्यों में

व्यावसायिक वर्टिकल और संबद्ध कार्यों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, अनुपालन से संबंधित सभी मामलों पर निगरानी रखती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में मुख्य महाप्रबंधक जिसे मुख्य समूह अनुपालन अधिकारी (सीजीसीओ) के रूप में नामित किया गया है, की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग की स्थापना की गई है।

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारण अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। विदेशों में जहां पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडराल (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिमंडा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्स संघ), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के नियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा आवश्यकतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

बैंक में अनुपालन को और सशक्त करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र, अंचल और विदेशी टेरिटरी में समर्पित अनुपालन अधिकारी पदस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, अनुपालन कार्य के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय के प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी निर्धारित किया गया है। इन अनुपालन अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी कॉर्पोरेट कार्यालय से की जा रही है। इसी प्रकार की अनुपालन व्यवस्था बैंक की घरेलू और विदेशी अनुषंगियों में की गई है जिसमें समर्पित अनुपालन अधिकारी और टीम शामिल हैं। बैंक अनुपालन के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाकर बैंक में अनुपालन संस्कृति में सुधार लाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। बैंक में अनुपालन संस्कृति के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साप्ताहिक अंतराल पर "अनुवृत्ति" शीर्षक से साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।



अनुलग्नक 1 निदेशक मंडल का गठन

श्री देबदत्त चांद - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक)

श्री देबदत्त चांद ने दिनांक 1 जुलाई, 2023 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। श्री चांद को विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों में कार्य के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण करने से पूर्व, आपने मार्च 2021 से जून 2023 तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। बतौर कार्यपालक निदेशक, आप कॉर्पोरेट और संस्थागत ऋण, कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड कॉर्पोरेट व्यवसाय एवं व्यापार और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कर रहे थे, साथ ही आपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवसाय, घरेलू अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों, धन संपदा प्रबंधन, पूंजी बाजार, एनआरआई कारोबार सहित मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और आयोजना, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी, वसूली, विधि, अनुपालन, शिक्षण एवं विकास, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सूचना सुरक्षा और संपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा जैसे प्रमुख संगठन-कार्यों का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बैंक और उसकी समूह कंपनियों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व आपके पास है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा से पूर्व, आप पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और आपने अंचल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, ट्रेजरी ऑपरेशंस के प्रमुख तथा लेखा परीक्षण और जोखिम प्रबंधन विभागों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है। आपने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

वर्तमान में, श्री चांद, बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा बॉबकार्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। आपने इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड के बोर्ड में अपनी सेवाएं दी हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा में श्री चांद, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं।

आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य और एनआईबीएम के गवर्निंग बोर्ड की स्थायी समिति, एमडीआई सोसाइटी, गुडगांव की जनरल बॉडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) की गवर्निंग काउंसिल और नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) संबंधी सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। आप भारतीय बैंकिंग संस्थान (आईआईबीएफ) की कार्यकारी समिति के भी अध्यक्ष हैं।

श्री चांद भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम के तत्वावधान में 'इंफ्रास्ट्रक्चर और फायनेंस' पर कार्यरत जॉइंट वर्किंग ग्रुप के सह-अध्यक्ष हैं। आप भारतीय बैंक संघ की जोखिम प्रबंधन और बेसल कार्यान्वयन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। श्री चांद, पूंजी बाजार कनेक्टिविटी पर भारत-यूके आर्थिक साझेदारी कार्यकारी समूह (आईयूकेएफपी) का भी हिस्सा रह चुके हैं। श्री चांद भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय बैंकिंग समिति के सदस्य भी हैं।

श्री चांद ने बी.टेक, एमबीए और सीएआईआईबी किया है। साथ ही, आपने इक्विटी रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और एक सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। श्री चांद ने प्रबंधन में पीएच.डी भी की है।

श्री ललित त्यागी- कार्यपालक निदेशक

श्री ललित त्यागी ने वर्ष 1996 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और आपको वाणिज्यिक बैंकिंग के विभिन्न आयामों विशेष रूप से कॉर्पोरेट वित्त, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और प्रशासनिक भूमिकाओं में कार्य करने का 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप एक ऑपरेशनल बैंकर रहे हैं। आपको भारत और विदेशों में विभिन्न शाखाओं / कार्यालयों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। आपने बैंक के विदेशी परिचालन के अंतर्गत अपने दो कार्यकालों के दौरान ब्रुसेल्स, बेल्जियम और न्यूयॉर्क, यूएसए में सेवाएं दी हैं।

आपने बैंक की महत्वपूर्ण इकाइयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है, जिनमें बेंगलुरु क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा शाखा, मुंबई के महाप्रबंधक व शाखा प्रमुख और बैंक के सबसे बड़े विदेशी टेरिटरी, यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य कार्यपालक) के रूप में प्रदान की गई सेवाएं प्रमुख हैं।

दिनांक 21 नवंबर, 2022 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व आप बैंक के यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्यरत थे। आपने कैनेडियन कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल - केनरा बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) आईएनसी. के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड में नामित निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वर्तमान में आप, इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड, इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लि. में नामित निदेशक हैं।

वर्तमान में आप बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड-कॉर्पोरेट व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और घरेलू अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम संबंधी कार्य देख रहे हैं।

इससे पूर्व आपने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी, संग्रहण, विधि और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे प्रमुख विभागों से जुड़े कार्यों की निगरानी की है।

श्री त्यागी अपने नेतृत्व और प्रेरणादायी कौशल के लिए जाने जाते हैं।

आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे से बैंकिंग एंड फाइनेंस (पीजीडीबीएफ) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में जाना जाता है) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में भावी नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए चयनित किया गया है।

श्री संजय विनायक मुदालियर – कार्यपालक निदेशक

श्री संजय विनायक मुदालियर ने दिनांक 31 जनवरी, 2024 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व में, आप इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यपालक निदेशक का दायित्व संभाल रहे थे।

आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हैं और लंदन से प्रमाणित परियोजना प्रबंधन प्रैक्टिशनर हैं। आप एक अनुभवी बैंकर हैं जिन्हें विभिन्न उद्योगों एवं वित्तीय संस्थानों में 30 वर्षों से अधिक का कार्य-अनुभव है। इनमें से 25 वर्षों तक आपने देश में और यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न पदों पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा में अपनी सेवाएं दी हैं।

इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़ने से पूर्व आपने, 17 देशों में फैले बैंक ऑफ़ बड़ौदा के वैश्विक परिचालन के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।

अपने तकनीकी-कार्यात्मक ज्ञान के साथ, आपने उत्पाद नवोन्मेषिता और प्रक्रिया उन्नतिकरण पर विभिन्न कार्य समूहों/ समितियों में अहम योगदान दिया है। आप बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रमुख उद्योग स्तरीय पहलों से भी जुड़े रहे हैं। आप बैंक ऑफ़ बड़ौदा की -3- अनुषंगियों में नामित निदेशक रहे हैं एवं एनपीसीआई के बोर्ड में भी आपने बैंक का प्रतिनिधित्व किया है।

आपका दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक है और अत्यधिक परिवर्तनशील परिवेश में कार्य करने के प्रति अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। पर्यटन और पठन-पाठन में आपकी गहरी रुचि है।

श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक

श्री लाल सिंह ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2023 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आपने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1990 में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में की। एक कैरियर उन्मुखी बैंकर के रूप में, आपके पास एमएसएमई क्रेडिट, कॉर्पोरेट वित्त, ग्रामीण एवं कृषि व्यवसाय और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में 33 वर्षों का व्यापक कार्यानुभव है। आपने अंचल प्रमुख के रूप में वाराणसी, लखनऊ, चेन्नई जैसे बड़े और प्रतिष्ठित अंचलों सहित मुंबई पश्चिम और उदयपुर (राजस्थान) जैसे क्षेत्रों का भी का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। श्री सिंह को मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी व ग्रामीण (एमयूएसआर) क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में क्षेत्रीय प्रमुख और शाखा प्रमुख के रूप में आपने बैंक के कारोबार वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के उपरांत, आपने बैंक के एमएसएमई, ग्रामीण और कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में व्यावसायिक रूपांतरण का नेतृत्व किया। यूनियन बैंक में अपने पिछले कार्यदायित्व के दौरान आप बैंक के नीतिपरक मानव संसाधन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान आपने एक नई कार्य-निष्पादन संस्कृति, उत्तराधिकार योजना सुनिश्चित की और बैंक के 75,000+ कर्मचारियों के प्रतिभा जुड़ाव में आवश्यक सुधार से संबंधित बैंक के प्रमुख प्रोजेक्ट 'यूनियन प्रेरणा' का प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया। आपके नेतृत्व में, मानव संसाधन संबंधी पहलों को प्रमुख वैश्विक संगठनों से 12 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए और बैंक ने डिजिटल और डेटा सक्षमता के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया। आपने कर्मचारियों में बाज़ार के अनुरूप कौशल के निर्माण हेतु शिक्षण के क्षेत्र में एक समृद्ध इको सिस्टम बनाते हुए उन्नत शिक्षण एवं विकास इकाई की भी स्थापना की।

आप कई बोर्ड स्तर के और नेतृत्व स्तर के पदों पर सेवा दे चुके हैं। आप राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश की पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने संबंधी योजना (बीजीआरईआई) और ऋण जमा अनुपात उप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। आपने यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (यूपीआईसीओ), मेसर्स नैब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड (नाबार्ड की सहायक कंपनी), पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ़ इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड (सिडबी), भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के ट्रस्टी और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी हेतु यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया सोशल फ़ाउंडेशन ट्रस्ट के साथ-साथ यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के कर्मचारी पेंशन ट्रस्ट, भविष्य निधि एंड ग्रेज्युटी बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। आप मानव संसाधन विकास, टीम निर्माण व अभिप्रेरणा और ग्राहकों के साथ जुड़ाव में कुशलता के लिए जाने जाते हैं।

आप कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर, भारतीय बैंकर संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट हैं और ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन

(डीआईटीआईआईआरएम), एएमएफआई और सीईबीए के डिप्लोमा धारक हैं। आपने माइक्रो फाइनेंस में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और यूवीए डार्डन स्कूल ऑफ़ बिजनेस - वर्जीनिया, यूएसए और आईएसबी, हैदराबाद में ग्लोबल स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप प्रोग्राम में प्रतिभागिता की है। आप आईआईएम बैंगलुरु और ईगॉन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब एफएसआईबी) द्वारा चयनित वरिष्ठ अधिकारियों के पहले बैच का हिस्सा रहे हैं।

श्रीमती बीना वाहिद - कार्यपालक निदेशक

श्रीमती बीना वाहिद ने दिनांक 9 अगस्त, 2024 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आपने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1993 में कॉर्पोरेशन बैंक में अधिकारी के रूप में की। आपने बैंक की व्यावसायिक योजना, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार हेतु किए जाने वाले प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें वर्ष 1997 में बैंक के आईपीओ का सफलतापूर्वक शुभारंभ भी शामिल है। एक प्रतिष्ठित बैंकर के रूप में आपको रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई, ऋण मूल्यांकन, मानव संसाधन, सरकारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और मर्चेन्ट अधिग्रहण एवं लायबिलिटी फ्रैंचाइज़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध और व्यापक कार्यानुभव है।

अपने कैरियर के दौरान आपने बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन किया है। शाखा प्रमुख के रूप में आपने व्यवसाय विकास को सुदृढ़ता प्रदान की, जोखिम एवं परिचालनगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया और बैंक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। उप महाप्रबंधक के रूप में एवं उसके उपरांत महाप्रबंधक के रूप में आपने पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के सबसे बड़े विभागों में से प्रमुख-कॉर्पोरेट खाते विभाग की जिम्मेदारी संभाली एवं आपके नेतृत्व में बैंक के कारोबार और लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ समामेलन के उपरांत कार्य संस्कृति के एकीकरण में आपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आपने समामेलित इकाई में महाप्रबंधक-मानव संसाधन परिचालन के रूप में कार्यदायित्व संभाला। तत्पश्चात अगले कार्यदायित्व में कारोबार की दृष्टि से यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के दूसरे सबसे बड़े अंचल-दिल्ली अंचल के अंचल प्रमुख के रूप में लाभप्रदता, परिचालन और अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ₹2 लाख करोड़ से अधिक के व्यवसाय को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में आपकी कार्यनीति संबंधी दक्षता निर्णायक सिद्ध हुई। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में अपने पिछले कार्यदायित्व के दौरान आपने जमा संग्रहण विभाग के प्रभारी एवं मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सभी जमा उत्पादों के प्रबंधन तथा बैंक के देयता आधार में वृद्धि हेतु कार्यनीतिक पहलों और संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आपने क्रेडिट कार्ड और मर्चेन्ट अधिग्रहण का प्रभार भी संभाला है।

आपको, आपकी कार्यनीति दक्षता, संस्थान के कार्मिकों के कौशल विकास, टीम निर्माण एवं अभिप्रेरणा और ग्राहकों के साथ जुड़ाव स्थापित करने संबंधी कुशलता के लिए जाना जाता है। यह आपके बहुआयामी एवं प्रगतिशील व्यक्तित्व का परिचायक है।

उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यनिष्पादन हेतु आपको प्राप्त विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी उपलब्धि के प्रमाण हैं। हाल ही में, आपकी पेशेवर उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप आपको आईआईएम कोझीकोड द्वारा विशिष्ट पूर्व-छात्र पुरस्कार, 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपने विभिन्न निदेशक मंडल और नेतृत्व के पदों पर कार्य किया है। आपको यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक



मंडल में निदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव है। वर्तमान में, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड के साथ-साथ बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड की भी निदेशक हैं।

आपने केरल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक तथा जनसंचार और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है, आईआईएम कोझिकोड से एक्जीक्यूटिव एमबीए पाठ्यक्रम पूरा किया है तथा साइबर सुरक्षा एवं नेतृत्व कौशल में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप आईआईएम बेंगलुरु और एगॉन ज़ेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (जिसे अब FSIB के नाम से जाना जाता है) द्वारा चुने गए वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरे बैच में शामिल रही हैं।

डॉ. एम. पी. तंगिराला- केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

डॉ. एम पी तंगिराला भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हैं। आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी, आईआईएम कोलकाता, उस्मानिया विश्वविद्यालय, आईआईपीए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां से आपने विधि और गवर्नेंस में पीएचडी प्राप्त की, के पूर्व छात्र हैं।

भारत सरकार में अपने कैरियर के दौरान आपने दूरसंचार नीति, विधि और विनियमन, प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण, बीमा विनियमन और वित्तीय सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। अपने मूल विभाग दूरसंचार के अलावा, डॉ. तंगिराला ने बीएसएनएल, ट्राई, यूपीएससी और आईआरडीएआई में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

श्री मनोरंजन मिश्रा - निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से श्री मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक के नामांकित निदेशक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में तीन दशक से अधिक का कार्यानुभव रखने वाले श्री मनोरंजन मिश्रा 30 सितंबर, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री मिश्रा ने बैंकों और एनबीएफसी के नियमन, बैंकों की निगरानी, मुद्रा प्रबंधन, प्रवर्तन, जोखिम निगरानी, बाहरी निवेश और परिचालन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों में काम किया है। श्री मिश्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्य समूहों के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं और नियामक और पर्यवेक्षी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं।

श्री मिश्रा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और एमबीए (बैंकिंग और वित्त) हैं। उनके पास यूके के एस्टन बिजनेस स्कूल से वित्त और वित्तीय नियमन में मास्टर डिग्री भी है।

श्रीमती नीना नागपाल- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेरधारक निदेशक

श्रीमती नीना नागपाल ने दिनांक 24 दिसंबर, 2023 से हमारे बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेरधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में नियुक्ति से पूर्व, आप सिटीकॉर्प फाइनेंस इंडिया लिमिटेड (सीएफआईएल) की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रह चुकी हैं जो कि सिटीग्रुप की एक गैर-बैंक वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आप बोर्ड ऑफ इंडिया इन्फ्रा डेब्ट लिमिटेड (आईआईडीएल) में नामित निदेशक भी रह चुकी हैं।

वर्ष 2014 में सिटीग्रुप में शामिल होने से पूर्व, श्रीमती नीना नागपाल मॉर्गन स्टैनली इंडिया की प्रबंध निदेशक एवं कंट्री चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तथा इसके एनबीएफसी की सीईओ रह चुकी हैं। इससे पहले, आप भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नेतृत्व टीम में भी रह चुकी हैं। आपने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने भारतीय प्रतिभूति बाजारों के संस्थागत विकास के उद्देश्य से यूएसडी 20 एमएम यूएस-इंडिया द्विपक्षीय परियोजना की अवधारणा एवं दस्तावेजीकरण का कार्य किया।

आप कई विनियामक, उद्योग समितियों और बोर्ड में रही चुकी हैं। सलाहकार, परियोजना प्रबंधन, पूंजी बाजार, निवेश और वाणिज्यिक बैंकिंग में अनुभव रखने के साथ ही आप एक अनुभवी वित्तीय सेवा उद्योग के पेशेवर भी हैं।

श्रीमती नागपाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय, लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर किया है। आपने अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त में स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्य भी किया है।

श्री रवींद्रन मेनन - निदेशक (गैर- कार्यपालक) - शेरधारक निदेशक:

श्री रवींद्रन (रवि) मेनन ने दिनांक 16 मई, 2024 से बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और आप अगले-3- वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेरधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

व्यवसायों के सफल निर्माण एवं विकास के एक विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड के साथ श्री रवींद्रन मेनन वित्तीय सेवा उद्योग के महत्वपूर्ण विचार प्रवर्तक रहे हैं। आपने, अपने सैंतीस वर्षों के अनुभव के दौरान एचएसबीसी, यूबीएस, आईएनजी और एनज़ ग्रिडलेज़ जैसी प्रसिद्ध वैश्विक संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए श्री रवींद्रन मेनन भारत के आर्थिक परिदृश्य के रूपांतरण के साक्षी एवं महत्वपूर्ण अंग रहे हैं।

अपनी आजीविका के दौरान, आपने निवेश प्रबंधन, पूंजी बाजार, कॉर्पोरेट वित्त, नकद प्रबंधन और कॉर्पोरेट बैंकिंग सहित विभिन्न कार्यों से जुड़ी बड़ी टीमों का नेतृत्व किया है। इस व्यापक अनुभव ने आपको क्षेत्र की जटिलताओं और नवाचार व विकास के अवसरों की गहरी समझ प्रदान की है। आपके कुछ प्रमुख कार्यदायित्वों में भारत में एचएसबीसी ग्रुप के रणनीतिक कार्य का नेतृत्व करना शामिल है और आप एचएसबीसी बैंक की प्रबंधन समिति (बोर्ड के समकक्ष) के सदस्य रहे हैं। आप एचएसबीसी ग्रुप से एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (भारत), जो भारत में रिटेल और संस्थागत ग्राहकों को आस्ति प्रबंधन सेवाओं का प्रमुख प्रदाता है, के सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपने 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली एलएंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अधिग्रहण और एचएसबीसी आस्ति प्रबंधन के साथ सफल एकीकरण में अहम भूमिका निभाई, जिसने संस्था को अग्रणी रखने में मजबूत आधार प्रदान किया है।

आपने एम.एस.सी. और एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। उत्कृष्टता को प्राप्त करने की आपकी सोच ने ही आपको बिट्स पिलानी और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पुणे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से आपका प्रवेश कराया, जिसने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में आपके उत्कृष्ट कैरियर की बुनियाद तैयार की।

श्री विजय दुबे - निदेशक (गैर- कार्यपालक) - शेरधारक निदेशक

श्री विजय दुबे ने दिनांक 9 जुलाई, 2024 से बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और आप अगले-3- वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेरधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

श्री दुबे का कैरियर एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर के रूप में रहा है। आपके पास 39 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है। आपने अप्रैल 2020 से अगस्त 2023 तक पंजाब नेशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक और नवंबर 2018 से मार्च 2020 तक ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवा दी। इससे पहले, आपने बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में जैसे कि फील्ड स्तर पर ग्राहक सेवा, शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, कॉर्पोरेट क्रेडिट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आंतरिक लेखापरीक्षा, परिचालन एवं साथ ही मुख्यालय में भी कार्य किया है। आप विभिन्न वित्तीय संस्थानों से जुड़े रहे हैं, जिनमें आपका प्रमुख कार्यकाल पंजाब नेशनल बैंक और विजया बैंक के साथ रहा। आपने स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में भी सेवा दी है।

आप निब्सकॉम, नोएडा के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष और एसआईबीएसटीसी, बेंगलुरु एवं आईआईबीएम, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में भी सेवा दी है। आप भारत सरकार द्वारा गठित बैंकिंग उद्योग से संबंधित कुछ समितियों के सदस्य भी रहे हैं।

आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के एफएमएस से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से स्टैटिस्टिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। आप भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सदस्य (CAIIB) हैं एवं आपने वित्तीय सेवाओं में जोखिम प्रबंधन का प्रमाणपत्र (साआईएसआई, लंदन) भी प्राप्त किया है। वर्तमान समय में आप प्रबंधन में पीएचडी कर रहे हैं एवं आपके शोध का क्षेत्र विलय और अधिग्रहण में सांस्कृतिक एकीकरण के प्रभावों का अध्ययन रहा है।

आपको यात्रा करना तथा फिटनेस के प्रति सजग रहना काफी पसंद है, आपने भारत और अन्य देशों में व्यापक यात्राएं की हैं। आप पीएडीआई ओपन वॉटर प्रमाणित स्कूबा डाइवर हैं, आप दो-पहिया वाहन से खारदुंगला पास (दुनिया की उस समय की सबसे ऊँची मोटरबल सड़क) तक गए हैं, आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी की है और अपने 60वें जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए 600 किमी (प्रोजेक्ट 600@60, इट्स पॉसिबल! के अंतर्गत) साइकिल भी चलाया है।



निदेशकों से संबंधित अन्य विवरण:
अनुलग्नक - 1ए

(यथास्थिति 31.03.2025)

निदेशक का नाम	बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं(*)	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों/ इकाइयों के निदेशक मंडल में निदेशक स्वरूप शामिल
श्री देबदत्त चांद	शून्य	11	2	1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड 2. बॉबकार्ड लिमिटेड 3. इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4. नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनेंस (गवर्निंग काउंसिल के सदस्य)
श्री ललित त्यागी	6500	7	0	1. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड 3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड 4. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड 5. इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
श्री संजय विनायक मुदालियर	6400	8	1	1. बॉबकार्ड लिमिटेड 2. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 3. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया 4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
श्री लाल सिंह	245	8	0	1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड 2. पीएसबी अलायंस लिमिटेड 3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड 4. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज़ 5. नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड
श्रीमती बीना वाहिद	शून्य	9	0	1. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड 2. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
डॉ. एम. पी. तंगिराला	शून्य	3	2	1. भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड 2. जनरल इश्योरेंस कंपनी 3. आईआरडीएआई 4. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
श्री मनोरंजन मिश्रा	230	4	0	शून्य
श्रीमती नीना नागपाल	200	9	0	शून्य
श्री रवींद्रन मेनन	300	10	3	1. एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड 2. एम्पैक्ट नेक्स्ट वेंचर्स लिमिटेड 3. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 4. स्टोव रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
श्री विजय दुबे	230	11	0	शून्य

(*) एसीबी और हितधारक समिति के संबंध में प्रदत्त सूचना ।

Corporate Governance Report 2024-25

BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized corporate governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of the Bank's operations.
- Corporate Governance has emerged as an essential tool in organizational management globally. Strong corporate governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- Bank's corporate governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just a regulatory requirement, as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility, and shareholders' wealth maximization.

The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. The Bank constantly strives to improve these aspects and thereby perpetuates it into generating long-term economic value for all its stakeholders, including shareholders, customers, employees, value chain partners, and the entire society at large. Bank's corporate governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the Shareholders' value.
- Fair, Ethical, and Transparent in dealings with all the stakeholders.
- Protection of the interests of all stakeholders, including customers, employees, and the society at large.
- Ensuring accountability for performance and customer service, and to achieve excellence at all levels.
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank.
- Carrying the business adhering to our Core Values and our Code of Ethics.
- Creating corporate leadership of the highest standard.

The core cardinal values of the Bank are:

- Integrity:** We are ethical and transparent in our words and conduct with all our stakeholders.
- Customer Centricity:** Our customers' interests lie at the core of all our actions.
- Courage:** We are resilient in the face of adversity, drawing strength from our Bank's values.
- Passionate Ownership:** We display energy, enthusiasm, and commitment while working together for our Bank.

- Innovation:** We create value through new ideas.
- Excellence:** We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.
- Respect:** We recognize and value the inherent worth and dignity of every employee.

Bank has formulated its Environmental, Social, and Governance (ESG) policy, which integrates sustainability into its operations, fostering economic growth, empowering communities, serving the underserved, and maintaining the highest standards of governance in all aspects of its operations. It has a well-defined **Code of Ethics** based on a stakeholder-centric approach with the employees at the centre.

Bank believes that sound corporate governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency, and effectiveness, which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity, not a company, but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and is regulated by the Reserve Bank of India. The bank has complied with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, except where the provisions of these regulations are not in conformity with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India.

A report on implementation on provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

BOARD OF DIRECTORS

Role and Composition

The role of the Board includes amongst others:

- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2025 is as per **Annexure-1 and 1A**.

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all Chief General Managers and Departmental Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.in. All the Board Members, Key Managerial Personnel (KMPs) and Senior Management Personnel (SMPs) have affirmed the compliance of the Code.



MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times a year. During the Financial Year 2024-25, Fourteen meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 14

Dates of Meetings:

30.04.2024 10.05.2024 30.05.2024 & 31.05.2024 05.07.2024
31.07.2024 03.10.2024 25.10.2024 13.11.2024 & 14.11.2024
26.11.2024 03.12.2024 18.12.2024 30.01.2025 13.02.2025
20.03.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Debadatta Chand	01.04.2024 to 31.03.2025	14	14
Shri Lalit Tyagi	01.04.2024 to 31.03.2025	14	14
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2024 to 31.03.2025	14	14
Shri Lal Singh	01.04.2024 to 31.03.2025	14	13
Smt. Beena Vaheed	09.08.2024 to 31.03.2025	9	9
Shri Mukesh Kumar Bansal*	01.04.2024 to 12.05.2024	2	2
Dr. M P Tangirala	13.05.2024 to 31.03.2025	12	7
Smt. Parvathy V. Sundaram*	01.04.2024 to 11.12.2024	10	10
Shri Manoranjan Mishra	12.12.2024 to 31.03.2025	4	3
Shri Ajay Singhal*	01.04.2024 to 21.12.2024	11	11
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	4	4
Smt. Nina Nagpal	01.04.2024 to 31.03.2025	14	14
Shri Ravindran Menon	16.05.2024 to 31.03.2025	12	11
Shri Vijay Dube	09.07.2024 to 31.03.2025	10	10

*ceased to be member during the year.

COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Board has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance. The important Committees are as under:

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination & Remuneration Committee
7. Customer Service Committee
8. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of Cases of Frauds
9. IT Strategy Committee
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Steering Committee of the Board on Rural & FI
14. Review Committee on Wilful Defaulters
15. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors

16. Committee of the Board to consider Disciplinary Cases
17. CSR & Sustainability Committee of the Board
18. Meeting of Non-Executive Director

1. Management Committee of the Board (MCB)

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & CEO, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and One Directors from amongst those appointed under sub section (d) (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 38

Dates of Meetings:

05.04.2024, 16.04.2024, 25.04.2024, 07.05.2024, 03.06.2024, 06.06.2024, 12.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024, 09.07.2024, 19.07.2024, 29.07.2024, 12.08.2024, 20.08.2024, 29.08.2024, 06.09.2024, 17.09.2024, 24.09.2024, 26.09.2024, 10.10.2024, 31.10.2024, 11.11.2024, 29.11.2024, 11.12.2024, 21.12.2024, 26.12.2024, 30.12.2024, 07.01.2025, 16.01.2025, 04.02.2025, 17.02.2025, 20.02.2025, 27.02.2025, 07.03.2025, 13.03.2025, 19.03.2025, 21.03.2025, 26.03.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2024 to 31.03.2025	38	34
Shri Lalit Tyagi	01.04.2024 to 31.03.2025	38	37
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2024 to 31.03.2025	38	26
Shri Lal Singh	01.04.2024 to 31.03.2025	38	33
Smt. Beena Vaheed	09.08.2024 to 31.03.2025	26	21
Smt. Parvathy V Sundaram*	01.04.2024 to 11.12.2024	24	24
Shri Manoranjan Mishra	12.12.2024 to 31.03.2025	14	13
Smt. Nina Nagpal	01.04.2024 to 31.03.2025	38	38

*ceased to be member during the year.

2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)

The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and are upto Rs. 800 crores are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, CFO, CRO and respective Heads of verticals. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 31

Dates of Meetings:

05.04.2024 16.04.2024 08.05.2024 13.05.2024 27.05.2024
 12.06.2024 26.06.2024 27.06.2024 15.07.2024 02.08.2024
 17.08.2024 03.09.2024 10.09.2024 12.09.2024 25.09.2024
 26.09.2024 01.10.2024 14.10.2024 15.10.2024 16.11.2024
 22.11.2024 27.11.2024 26.12.2024 01.01.2025 03.02.2025
 04.02.2025 25.02.2025 06.03.2025 11.03.2025 19.03.2025
 26.03.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2024 to 31.03.2025	31	31
Shri Lalit Tyagi	01.04.2024 to 31.03.2025	31	31
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2024 to 31.03.2025	31	22
Shri Lal Singh	01.04.2024 to 31.03.2025	31	26
Smt. Beena Vaheed	09.08.2024 to 31.03.2025	21	15
Shri Ian D'souza, CFO*	01.04.2024 to 25.06.2024	6	2
Shri Manoj Chayani, CFO	26.06.2024 to 31.03.2025	25	19
Shri S Ananthraman, CRO*	01.04.2024 to 25.04.2024	2	2
Shri Ravindra Singh Negi, CRO	26.04.2024 to 31.03.2025	29	26

*ceased to be member during the year.

3. Audit Committee of the Board (ACB)

The functions of ACB, interalia, include

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up the suggestions of Internal / Concurrent/ Statutory / External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It reviews the adequacy of internal control systems and reviews the Financial, Risk Management, IS Audit, and Accounting Policies / System Policies of the Bank.

- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements; reviews them and recommends to the Board for approval.
- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR)

The Committee comprises of -3- members (-2- Non-Executive Independent Directors and RBI Nominee Director). GOI Nominee Director and all the Executive Directors are Invitees to the Committee.



No. of Meetings held: 15

Dates of Meetings:

29.04.2024	09.05.2024	10.05.2024	27.06.2024	30.07.2024	31.07.2024
23.08.2024	20.09.2024	24.10.2024	25.10.2024	18.12.2024	29.01.2025
30.01.2025	28.02.2025	05.03.2025			

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Alok Vajpeyi (Chairperson)*	01.04.2024 to 08.07.2024	4	4
Shri Vijay Dube (Chairperson)	23.07.2024 to 31.03.2025	11	11
Smt. Parvathy Sundaram*	01.04.2024 to 11.12.2024	10	10
Shri Manoranjan Mishra	03.01.2025 to 31.03.2025	4	4
Shri Ajay Singhal*	01.04.2024 to 21.12.2024	11	11
Shri Ravindran Menon	30.05.2024 to 31.03.2025	12	12
Shri Mukesh Bansal (Invitee)@	01.04.2024 to 12.05.2024	3	1
Dr. M P Tangirala (Invitee)	13.05.2024 to 31.03.2025	12	4
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2024 to 31.03.2025	15	15
Shri Sanjay Mudaliar (Invitee)	01.04.2024 to 31.03.2025	15	14
Shri Lal Singh (Invitee)	01.04.2024 to 31.03.2025	15	13
Smt. Beena Vaheed (Invitee)	09.08.2024 to 31.03.2025	9	9

*ceased to be member during the year. @ceased to be an invitee during the year.

During FY 2024-25, ACB inter-alia approved/ reviewed the followings besides Regular Agenda items:

- Approval of the Modified Compliance Policy
- Approval of Policy on Claims against the Bank not acknowledged as Debts
- Approval of revised version of Information Systems Audit Policy (IS Audit) of the Bank.
- Approval of modifications in the existing Structure of Audit Committee of Executives (ACE)
- Approval of Bank's Compliance on Long Form Audit Report –March 2024 for onward submission to Reserve Bank of India
- Approval of Policy on the Roles and Responsibilities of the Bank's Nominee Directors on the Boards of the Bank's Subsidiary Companies, Joint Ventures, Associate Companies, and Investee Companies
- Approval of coverage of branches and Offices of the Bank under Concurrent Audit for the period 01.01.2025 to 31.12.2025
- Approval of Methodology and Framework for carrying out Risk Assessment and RCMs of all the Departments/ Verticals of the Bank
- Approval of the Policy on Floating Provision
- Approval of the Internal Audit Plan of the Bank and Strength of Internal Auditors for FY 2025-26

- Approval of Risk Based IS (Information Systems) Audit Plan for FY 2025-26
- Approval of revised Policy for Determination of Materiality of Event/ Information and Disclosure Practices
- Approval for Renewal of Omnibus Transactions under Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries

4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Chief Risk Officer (CRO) of the Bank is the Convener of the Committee. To strengthen the expertise on Risk Management, the Bank has also inducted specialist in the area of risk management as advisor to the Board who is part of this Committee. The dates of the meetings and attendance of the members of Committee are as under:

No. of Meetings held: 5

Dates of Meetings:

19.06.2024, 21.08.2024, 16.12.2024, 21.02.2025, 11.03.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Smt. Nina Nagpal (Chairperson)	01.04.2024 to 31.03.2025	5	5
Shri Debadatta Chand	01.04.2024 to 31.03.2025	5	3
Shri Ajay Singhal*	01.04.2024 to 21.12.2024	3	3
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	1	1
Shri Ravindran Menon	30.05.2024 to 31.03.2025	5	5
Shri Vijay Dube	23.07.2024 to 31.03.2025	4	4
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2024 to 31.03.2025	5	4
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (Invitee)	01.04.2024 to 31.03.2025	5	4
Shri Lal Singh (Invitee)	01.04.2024 to 31.03.2025	5	3
Smt. Beena Vaheed (Invitee)	09.08.2024 to 31.03.2025	4	4
Shri Himadri Bhattacharya - Advisor	01.04.2024 to 31.03.2025	5	5

*ceased to be member during the year.

During the year, the Committee inter-alia approved/ reviewed/ noted following:

Credit Risk:

- Increase in NBFC MFI Cap
- Summary of Internal Validation Report of Corporate Credit Rating Models for FY 2023-24
- Global Exposure Prudential Caps for FY 2024-25
- Review of Country Risk Management Policy with modifications
- Policy for Internal Rating Based (IRB) Approach Under Credit Risk
- Modifications in Discretionary Lending Powers guidelines
- Position of Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2024 vis-à-vis 31st December 2023 under Basel III adequacy framework
- Portfolio review of Corporate Loan book and the status of incremental advances in corporate portfolio (quarterly basis)
- Portfolio review of NBFC segment of our Bank (quarterly basis)
- Positions of Bank Exposure (quarterly basis)
- Portfolio review of Retail Loan segment (quarterly basis)
- Portfolio review of Personal Loan segment (quarterly basis)
- Portfolio review of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) segment (quarterly basis)
- Review of Rural & Agri segment (quarterly basis)
- Position of Country Risk Exposure (quarterly basis)
- Position of Bank's Overseas Advance Portfolio (quarterly basis)

- Review with modification of "Syndication Loan Policy for Overseas Territories"
- Modifications in Global Credit Exposure Management Policy (GCEMP) 2024
- Renewal of Digital Lending Policy with modifications
- Statistical scorecard model for Personal Loan (PL) and Auto Loan (AL) developed by Ms Transunion CIBIL Ltd
- Statistical Scorecard Models (ETC, NTC and Liability Models) for Home Loan (HL) and Mortgage Loan (ML) developed by M/s Experian Credit Information Company of India Ltd.
- Expected Credit Loss methodology for the Banks Retail Personal, Home, Education Loan, Mortgage Loan, Auto Loan.
- Expected Credit Loss methodology for the Banks MSME – Cash Credit, Overdraft, Term Loan and MSME - Others
- Minutes of Meetings of Credit Policy Committee

Operational Risk:

- Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress Testing Impact Analysis
- Status of various limits under Risk Appetite Framework (RAF) (on quarterly basis)
- Position of Key Risk Indicators (on quarterly basis)
- Position of Operational Risk Loss Data (on half yearly basis)
- Review of Board approved Capital plan and status of various limits
- Group Risk Management Policy 2024
- Renewal of Data Governance Policy
- Operational Risk Profile of the bank as on 31.03.2024



9. Review with modification of Fraud Risk Management Policy 2025
10. Policy on "Identification & Reporting of Money Mule Accounts 2025".
11. Renewal of Integrated Policy on Document Management System (Preservation, Destruction and Document Handling) and Records Digitisation
12. Account Aggregator Policy 2024-26
13. Policy on Safe Deposit Locker Safe Custody Article
14. Renewal of Compensation Policy
15. Policy on Dishonour of Cheque
16. Policy on Collection of Cheque
17. Renewal and modifications of policy on Inoperative Account and Unclaimed Deposits
18. Annual Revision of Information Security & Cyber Security Policy
19. Minutes of first Group Risk Council (GRC) held on 23rd December 2024 based on Group Risk Template - Q2, FY2024-25
20. Minutes of Meeting of Enterprise Risk Management Committee
3. Fund Transfer Pricing Policy for FY 2024 to 27
4. RBI observations on LCR, current position and strategies to shore up LCR
5. Position of Liquidity and Interest Rate Risk Management (on quarterly basis)
6. Market Risk in trading portfolio of Treasury Operations and PD business and derivatives (on quarterly basis)
7. Policy on Integrated Treasury Operations (domestic) 2025
8. Review with modifications of Market Risk Management Policy 2025-26
9. Minutes of the Meeting of Global Asset and Liability Management Committee (ALCO)

5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director(s) and one non-Executive Director as its members with a Non-Executive Director as its Chairman. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 1
Dates of Meetings: 27.06.2024

Market Risk /ALM:

1. Group ALM Policy 2025
2. Modifications/ revision in the Group Asset Liability Management Policy 2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ajay Singhal (Chairman)*	01.04.2024 to 21.12.2024	1	1
Shri Ravindran Menon (Chairman)	13.02.2025 to 31.03.2025	0	0
Shri Lalit Tyagi	01.04.2024 to 31.03.2025	1	1
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2024 to 31.03.2025	1	1
Shri Lal Singh	01.04.2024 to 31.03.2025	1	1
Smt. Beena Vaheed	09.08.2024 to 31.03.2025	0	0
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	1	1
Shri Ravindran Menon (Member)	30.05.2024 to 12.02.2025	1	1
Shri Vijay Dube	23.07.2024 to 31.03.2025	0	0

*ceased to be member during the year.

Following requests/complaints received and resolved during the year :

Pending as on 01.04.2024	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2025
0	993	993	0

Shri P K Agarwal, Company Secretary is the designated "Compliance Officer" of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

6. Nomination & Remuneration Committee

The Committee ascertains 'Fit and Proper' status of persons to be elected as shareholder director on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for these directors. The Committee also decides on the appointment / renewal and fixing the terms of

appointment / renewal including compensation package of Contractual Appointees for Key Managerial Positions (KMPs) and high cost market hires in the Bank (with CTC of more than Rs.2/- crores). The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings: 15.04.2024 07.05.2024 24.06.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ajay Singhal (Chairman)*	01.04.2024 to 21.12.2024	3	3
Shri Ravindran Menon(Chairman)	13.02.2025 to 31.03.2025	0	0
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	3	3
Smt. Nina Nagpal	01.04.2024 to 31.03.2025	3	3
Shri Ravindran Menon(Member)	30.05.2024 to 12.02.2025	1	1
Shri Vijay Dube	23.07.2024 to 31.03.2025	0	0

*ceased to be member during the year.

7. Customer Service Committee

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee has also the following tasks:

- To benchmark the current level of service and initiate steps to further improve the level.
- To review the status of complaints lodged on various portals periodically, conducting Root Cause Analysis of complaints of repetitive nature and suggesting remedial measures to minimize such complaints.
- To review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking

services as observed by the Banking Ombudsman.

- To review the status of the number of deceased claims remaining pending /outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors /locker hirers / depositor of safe custody articles.
- To review the status of the COPRA cases remaining pending.
- To discuss the status of disputed ATM transactions and analyse the Customer Feedback Survey report.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

05.07.2024 19.09.2024 19.12.2024 27.03.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ajay Singhal (Chairman)*	01.04.2024 to 21.12.2024	3	3
Shri Ravindran Menon (Chairman)	13.02.2025 to 31.03.2025	1	1
Shri Debadatta Chand	01.04.2024 to 31.03.2025	4	3
Shri Lalit Tyagi	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
Shri Sanjay Mudaliar	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
Shri Lal Singh	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
Smt. Beena Vaheed	09.08.2024 to 31.03.2025	3	3
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	1	1
Shri Ravindran Menon (Member)	30.05.2024 to 12.02.2025	3	3
Shri Vijay Dube	23.07.2024 to 31.03.2025	3	3

*ceased to be member during the year.



8. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up of Cases of Frauds

The scope of committee is as follows:

- Oversee the effectiveness of the Fraud Risk Management.
- Review and monitor cases of frauds, including root cause analysis.
- Suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimizing the incidence of frauds.
- The coverage shall include, among other categories/ trends of frauds, industry/ sectoral/ geographical concentration of frauds.

- Identify the reasons for delay in detection, if any, and reporting to the Top Management and RBI.
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

28.05.2024 02.09.2024 25.11.2024 20.02.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Debadatta Chand (Chairman)*	01.04.2024 to 30.07.2024	1	1
Shri Ravindran Menon (Chairman)	31.07.2024 to 31.03.2025	3	3
Shri Lalit Tyagi (Member)*	01.04.2024 to 02.10.2024	2	1
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	03.10.2024 to 31.03.2025	2	1
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (Member)*	01.04.2024 to 02.10.2025	2	2
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (Invitee)	03.10.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Lal Singh (Member)*	01.04.2024 to 02.10.2024	2	2
Shri Lal Singh (Invitee)	03.10.2024 to 31.03.2025	2	1
Smt. Beena Vaheed (Member) (ED-FRM (w.e.f. 03.10.2024))	09.08.2024 to 31.03.2025	3	3
Shri Ajay Singhal*	01.04.2024 to 21.12.2024	3	3
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	1	1
Shri Vijay Dube	23.07.2024 to 31.03.2025	3	3
Shri Surendra Kumar Dixit (CVO) (Invitee)*	01.04.2024 to 31.03.2025	4	2
Shri Ravindran Menon (Special Invitee)	28.05.2024	1	1
Shri Ravindran Menon – Member	30.05.2024 to 30.07.2024	0	0

*ceased to be member during the year

9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee. The dates of the

meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 7

Dates of Meetings:

28.05.2024 30.07.2024 02.09.2024 25.11.2024 13.12.2024
21.02.2025 27.03.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ajay Singhal – Chairperson*	01.04.2024 to 29.05.2024	1	1
Shri Ravindran Menon – Chairperson	30.05.2024 to 31.03.2025	6	6
Shri Ravindran Menon – Member	01.04.2024 to 29.05.2024	1	1
Shri Debadatta Chand	01.04.2024 to 31.03.2025	7	7
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar – ED (IT)	01.04.2024 to 31.03.2025	7	7
Smt. Beena Vaheed – ED(CISO)	18.12.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Alok Vajpeyi (Member)*	14.03.2024 to 08.07.2024	1	1
Shri Ajay Singhal – Member*	30.05.2024 to 21.12.2024	4	4
Shri Vijay Dube	23.07.2024 to 31.03.2025	6	6
Dr. Deepak B. Phatak - Advisor	01.04.2024 to 31.03.2025	7	6

*ceased to be member during the year

The bank is revamping its IT architecture to improve the customer experience across all digital channels. It is continually developing AI capabilities to enhance customer satisfaction and refine business models. The bank is progressively building infrastructure agility and resilience to support banking services and transactions. The bank is also in the process of enabling automation in its business processes to achieve efficiencies, increase productivity, and reduce delivery costs.

10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR

The Strategic Advisory Committee of the Board on HR discusses various matters/issues related to Human Resources. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 5

Dates of Meetings:

15.05.2024 27.08.2024 26.11.2024 20.03.2025 27.03.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2024 to 31.03.2025	5	4
Shri Lal Singh	01.04.2024 to 31.03.2025	5	5
Shri Ajay Singhal*	01.04.2024 to 21.12.2024	3	3
Smt. Nina Nagpal	01.04.2024 to 31.03.2025	5	5
Shri Ravindran Menon	30.05.2024 to 31.03.2025	4	3
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2024 to 31.03.2025	5	4
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (Invitee)	01.04.2024 to 31.03.2025	5	5
Smt. Beena Vaheed (Invitee)	09.08.2024 to 31.03.2025	4	4

*ceased to be member during the year

During FY 2024-25, the Committee inter-alia approved/ reviewed the following:

- Revising certain provisions of Staff Housing Loan Scheme of the Bank.
- Salary Revision of India Based Officers (IBOs) posted abroad on account of CPI linked revision w.e.f 01.01.2023 and payment of arrears and revision in reimbursement of Children's Education Expenses of empanelled schools at Auckland and Manukau, New Zealand.
- Implementation of Policy on Apprenticeship in Bank
- Modifications in Policy on Diversity Equity and Inclusion (DEI Policy)
- Standard Operating Procedure (SOP) for reporting change in KMPs/ SMPs to Stock Exchanges and reporting of exit of SMPs to RBI
- Recruitment of manpower on Regular basis, Contractual basis through lateral recruitment & Common Recruitment Process - CRP XIV being conducted by IBPS
- Policy on Staff Accountability (Version 2024)
- Modification to the Policy on Engagement of Officers on Contractual Basis (OCBs)
- Social Media Policy for Employees (Version 4.1)
- Policy for deputation of Officers in the Domestic Subsidiaries, Joint Ventures (JVs) & Associates (other than MD & CEO, Independent and Nominee Directors) and Bank's Sponsored RRBs (Other than Chairman of RRB)
- Centralization of Disciplinary Authority (DA)/ Appellate Authority (AA)/ Reviewing Authority (RA)/ Competent Authority (CA) in the light of proposed centralized set up for Disciplinary Proceedings
- Bank's Policy on Engagement of the Services of Retired Executives of the Bank on Contract - Short Term Assignment Basis
- Provision to allow female training participants for bringing along their toddler kid and a caregiver for training program involving overnight stay
- Budget for Staff Welfare Fund for the Financial Year 2024-25
- Mandatory Leave Policy - Review with Modifications
- Policy on Learning & Development
- To adopt the guidelines issued by the GOI on the revised number of posts of CGMs, GMs, DGMs and AGMs in the Bank and filling up of additional Vacancies.
- Review of Promotion Policy for Officers with Modifications
- Review of Transfer Policy for officers up to MM3
- Formulating the process and other modalities for review of efficiency of workman in terms of memorandum of settlements regarding Fourth Bipartite Settlement and as per advice of Govt. of India.
- Process of Review of Officers under Regulation 19 of Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979.
- Engagement of Mr. Ramakrishna Susarla, ex-GM, SBI as Advisor – KYC & AML/CFT.



- 23 Engagement of Mr. Krish Shankar as Advisor Human Resources.
- 24 Policy on Competency Assessment of Executives.
- 25 Upward Revision of perquisites of Officers up to GM grade and Award Staff.
- 26 Upward Revision of perquisites/ benefits of WTDs and CGMs.
- 27 Review of Transfer Policy for Officers up to MMG/S -III with modifications.
- 28 Health & Wellness Policy.
- 29 Policy on Internship.

- 30 Review of Policy on Engagement of Officers on Contractual Basis-2024.
- 31 Review of HR Resourcing Policy (Recruitment Policy 2025).

11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

28.05.2024 30.07.2024 25.11.2024 21.02.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
Shri Mukesh Kumar Bansal*	01.04.2024 to 12.05.2024	0	0
Smt. Parvathy V. Sundaram*	01.04.2024 to 11.12.2024	3	3
Dr. M P Tangirala	13.05.2024 to 31.03.2025	4	4
Shri Manoranjan Mishra	12.12.2024 to 31.03.2025	1	1
Shri Lal Singh (Invitee)	01.04.2024 to 31.03.2025	4	3
Shri Surendra Kumar Dixit – CVO (Invitee)@	01.04.2024 to 31.03.2025	4	2

*ceased to be member during the year

@ceased to be invitee during the year

12. Committee of Board for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts. The dates of the meetings and

attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 02

Dates of Meetings:

24.07.2024 27.03.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Lalit Tyagi	01.04.2024 to 31.03.2025	2	1
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Lal Singh	01.04.2024 to 31.03.2025	2	2
Smt. Beena Vaheed	09.08.2024 to 31.03.2025	1	1
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	0	0
Smt. Nina Nagpal	01.04.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Ravindran Menon	30.05.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Vijay Dube	23.07.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Ravinder Aggarwal – GM – LCB / Shri Amit Tuli – GM - LCB	01.04.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Pankaj Mittal – GM - CRM	01.04.2024 to 31.03.2025	2	2

*ceased to be member during the year.

The Committee reviewed overall position of recovery in NPA and written off accounts, status of recovery actions in NPA accounts, wilful defaulters, progress under IBC and overall implementation/progress of various strategies/initiatives taken by the Bank for maximization of recovery.

13. Steering Committee of the Board on Rural – FI

The Committee considers the evolution of Financial Inclusion, review and advise the Bank to adopt technology to achieve rapid reach to large territory including difficult terrains at low cost and also advise the Bank on strategy to achieve objectives of Financial Inclusion. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

29.04.2024 24.07.2024 25.11.2024 20.02.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
Shri Lalit Tyagi	01.04.2024 to 31.03.2025	4	3
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
Shri Lal Singh	01.04.2024 to 31.03.2025	4	3
Smt. Beena Vaheed	09.08.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Ajay Singhal*	01.04.2024 to 21.12.2024	3	3
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	1	1
Shri Vijay Dube	23.07.2024 to 31.03.2025	3	3

*ceased to be member during the year

14 . Review Committee on Wilful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Wilful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.:

No. of Meetings held: Nil

15. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors

This Committee is constituted as per Government of India guidelines with regard to annual performance evaluation of

Managing Director & CEO, Executive Directors, Chief General Managers and General Managers:

No. of Meetings held: 02

Dates of Meetings: 22.04.2024 16.01.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Mukesh Kumar Bansal (Chairman)*	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
Dr. M P Tangirala (Chairman)	13.05.2024 to 31.03.2025	1	1
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	1	1
Smt. Nina Nagpal	01.04.2024 to 31.03.2025	2	2
Shri Vijay Dube	23.07.2024 to 31.03.2025	1	1

*ceased to be member during the year



16. Committee of the Board to consider Disciplinary Cases

This Committee is constituted to deal with appeals in the matters of disciplinary cases of General Managers in TEG/S-

No. of Meetings held: 1

Dates of Meetings: 03.10.2024

VII and Chief General Managers in TEG/S-VIII.

- 1) Reviewing Authority for the disciplinary cases of General Managers in TEG/S-VII
- 2) Appellate Authority for the disciplinary cases of the Chief General Managers in TEG/S-VIII

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Mukesh Kumar Bansal (Chairman)*	01.04.2024 to 12.05.2024	0	0
Dr. M P Tangirala (Chairman)	13.05.2024 to 31.03.2025	1	1
Smt. Parvathy Sundaram*	01.04.2024 to 11.12.2024	1	1
Smt. Nina Nagpal	01.04.2024 to 31.03.2025	1	1
Shri Manoranjan Mishra	12.12.2024 to 31.03.2025	0	0

*ceased to be member during the year

17. CSR & Sustainability Committee of the Board

The Committee oversees all CSR activities as per the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank and Government / Regulatory guidelines.

No. of Meetings held: 5

Dates of Meetings:

29.04.2024 24.07.2024 26.11.2024 20.02.2025 27.03.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2024 to 31.03.2025	5	5
Shri Lalit Tyagi	01.04.2024 to 31.03.2025	5	3
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2024 to 31.03.2025	5	5
Shri Lal Singh	01.04.2024 to 31.03.2025	5	5
Smt. Beena Vaheed	09.08.2024 to 31.03.2025	3	3
Shri Ajay Singhal*	01.04.2024 to 21.12.2024	3	3
Smt. Nina Nagpal	01.04.2024 to 31.03.2025	5	5
Shri Ravindran Menon	30.05.2024 to 31.03.2025	4	4

*ceased to be member during the year

18. Meeting of Non-Executive Directors

No. of Meetings held: 1

Dates of Meetings: 10.05.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ajay Singhal*	01.04.2024 to 21.12.2024	1	1
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2024 to 08.07.2024	1	1
Smt. Nina Nagpal	01.04.2024 to 31.03.2025	1	1
Shri Ravindran Menon	16.05.2024 to 31.03.2025	-	-
Shri Vijay Dube	09.07.2024 to 31.03.2025	-	-

*ceased to be member during the year

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. Details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Directors are given below:

Remuneration and incentive paid during the Financial Year 2024-25:

SL No	Name	Designation	SALARY (A)	PERQUISITES (B)	REIMBURSEMENT IN FY 2024-2025	PERFORMANCE LINKED INCENTIVES	LEAVE ENCASHMENT/LFC REIMBURSEMENT	RETIREMENT BENEFIT (D)
1	Shri Debadatta Chand	MD & CEO (w.e.f 01.07.2023)	41,26,716	4,92,130	5,24,000	21,37,680	1,12,200	-
2	Shri Lalit Tyagi	ED (w.e.f 21.11.2022)	35,27,076	4,30,113	4,08,000	17,87,760	4,56,052	-
3	Shri Lal Singh	ED (w.e.f 09.10.2023)	35,27,076	4,18,591	4,08,000	8,65,462	-	-
4	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	ED (w.e.f 31.01.2024)	38,41,527	3,05,326	4,08,000	3,09,120	2,10,796	-
5	Smt. Beena Vaheed	ED (w.e.f 09.08.2024)	20,94,224	2,51,658	4,08,000	-	-	-
6	Shri Sanjiv Chadha	MD& CEO (Retired 30.06.2023)	-	-	-	5,38,560	-	-
7	Shri Ajay Kumar Khurana	ED (Retired on 31.03.2024)	24,600	-	-	9,76,800	-	87,78,089
8	Shri Joydeep Dutta Roy	ED (upto 31.01.2024)	7,262	2,67,538	-	7,43,800	-	-

All pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à-vis the listed entity – NIL

Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2024-25 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India):

Sr. No.	Name of the Director	Amount (₹)
1	Smt. Parvathy Sundaram*	18,75,000.00
2	Shri Ajay Singhal*	18,75,000.00
3	Shri Alok Vajpeyi*	8,33,333.00
4	Smt. Nina Nagpal	25,00,000.00
5	Shri Ravindran Menon	22,91,667.00
6	Shri Vijay Dube	18,75,000.00
7	Shri Manoranjan Mishra	8,33,333.00

*ceased during the year

GENERAL BODY MEETINGS

The 28th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on 05th July, 2024 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in which following directors participated.

1. Shri Debadatta Chand	Managing Director & CEO
2. Shri Lalit Tyagi	Executive Director
3. Shri Sanjay V Mudaliar	Executive Director
4. Shri Lal Singh	Executive Director
5. Shri Ajay Singhal	Director
6. Shri Alok Vajpeyi	Director - Chairperson ACB
7. Smt. Nina Nagpal	Director (Shareholder)
8. Shri Ravindran Menon	Director (Shareholder) – Chairperson SRC

The details of General Body Meetings held / postal ballot conducted during the last three years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
AGM	05 th July 2024 at 11.00 a. m	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Approved Annual Financial Results for the year 2023-24. - Approved and declared dividend for the Financial Year 2023-24. - Elected Shri Vijay Dube as Shareholder Director. - Approved appointment of Dr. M P Tangirala as Non Executive Director.



Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
EGM	15 th May 2024 at 11.00 a. m	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Elected Shri Ravindran Menon as Shareholder Director. - Approved appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar as Executive Director.
EGM	21 st December 2023 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Elected Smt. Nina Nagpal as Shareholder Director.
27th Annual General Meeting (AGM)	07 th July 2023 at 11.00 a. m	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Approved Annual Financial Results for the year 2022-23. - Approved and declared dividend for the Financial Year 2022-23.
26th Annual General Meeting (AGM)	27th June, 2022 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Approved Annual Financial Results for the year 2021-22. - Approved and declared dividend for the Financial Year 2021-22.

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognises the need of keeping its members and stakeholders informed of key events. The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes its quarterly financial results to the Shareholders every quarter through its website. The Bank also organises

analysts' meets, media conferences, etc. to announce the Bank's financial results. The quarterly / year to date / annual financial results of the Bank as well as the copy of the presentation made to analysts as well as other news announcements made by the Bank are posted on the Bank's Website - <http://www.bankofbaroda.in>.

The webcast of the Analysts and Media meet at the end of each quarter is made accessible via a link uploaded on the website. The live webcast of the analyst meet is webcast on Bank's website every quarter. The highlight of Financial results are also posted on official Social Media handles of Bank.

FINANCIAL CALENDAR

Financial Year	1st April, 2024 to 31st March, 2025
Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	06 th May 2025
Cut off Date for Dividend	6 th June 2025
Dividend Payment Date	Within 30 days from the date of declaration
Date, Time & Venue of the 29th AGM	Date: 23 rd June 2025 Time: 11.00 A.M. Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

National Stock Exchange of India Ltd., "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra, (East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA	B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.

Details of securities suspended from trading - NIL

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. KFin Technologies Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

Name	KFIN Technologies Limited
Address	Unit: Bank of Baroda Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032.
Email ID	einward.ris@kfintech.com
Toll Free/ Phone Number	1800 309 4001
WhatsApp No.:	(91) 910 009 4099
KPRISM (Mobile Application)	https://kprism.kfintech.com/
KFINTECH Corporate Website	https://www.kfintech.com
RTA Website	https://ris.kfintech.com
Investor Support Centre (DIY Link)	https://ris.kfintech.com/client-services/isc

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd.

Universal Insurance Building,
Ground Floor, Sir P.M. Road,
Fort, Mumbai – 400001.
Tel: +91-22-40807000
Fax: +91-22-66311776/40807080
Email id: itsl@idbitrustee.com;
teamcoral@idbitrustee.com

Catalyst Trusteeship Ltd

Unit No- 901, 9th Floor, Tower B,
Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower
Parel (W), Mumbai – 400013
Tel: 91 (022) 49220555
Email Id: dt@ctltrustee.com;
Complaincectl-mumbai@ctltrustee.com

Axis Trustee Services Limited

Corporate Office: The Ruby , 2nd Floor,
SW 29, Senapati Bapat Marg , Dadar West,
Mumbai - 400 028
Tel: +91-22-62300451
Email ID : debenturetrustee@axistrustee.in;
teamdelta@axistrustee.in

Centbank Financial Services Ltd

Central Bank of India – MMO Building,
3rd Floor (East Wing), No.55, M.G .Road, Fort, Mumbai
400 001.
Tel:022-22616217, Fax:022)22616208
Email ID : hv.kamdar@cfsl.in;
md@cfsl.in

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

The Company
Secretary
Bank of Baroda
Investors' Services
Department
7th Floor, Baroda
Corporate Centre
C-26, G-Block,
Bandra-Kurla
Complex
Bandra (East),
Mumbai – 400 051
Telephone : (022)
6698 5733/5743
E – mail :
investorservices@bankofbaroda.com

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at – shareholderdirectors@bankofbaroda.com

The General Manager
Operations and Services
Bank of Baroda, Head
Office
7th Floor, Baroda Bhavan,
R C Dutt Road,
Alkapuri, Vadodara 390
007
Telephone : (0265)
2316792
E-mail: cs.ho@bankofbaroda.com



DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2025

Sl	Description	Total Cases	Total Shares	Total Cases %
1	GOVERNMENT OF INDIA	1	3308184689	63.97
2	MUTUAL FUNDS	234	474117292	9.17
3	FOREIGN PORTFOLIO - CORP	711	464141015	8.98
4	RESIDENT INDIVIDUALS	1675270	385510975	7.45
5	INSURANCE COMPANIES	12	309828859	5.99
6	QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER	55	132841985	2.57
7	BODIES CORPORATES	4587	31983023	0.62
8	ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	29	25494701	0.49
9	NON RESIDENT INDIANS	11224	15619685	0.30
10	H U F	26982	9211740	0.18
11	NON RESIDENT INDIAN NON REPATRIABLE	8573	7977537	0.15
12	I E P F	1	3232134	0.06
13	TRUSTS	61	1712219	0.03
14	EMPLOYEES	994	1023043	0.02
15	BANKS	12	264379	0.01
16	OVERSEAS CORPORATE BODIES	3	110000	0.00
17	NBFC	12	33400	0.00
18	DIRECTORS AND THEIR RELATIVES	5	24146	0.00
19	CLEARING MEMBERS	24	15519	0.00
20	FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS	6	14000	0.00
21	KEY MANAGEMENT PERSONNEL	1	10000	0.00
22	INDIAN FINANCIAL INSTITUTIONS	1	4752	0.00
23	FOREIGN NATIONALS	7	4668	0.00
24	FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS	1	1374	0.00
25	DIRECTORS	4	1000	0.00
26	UNIT TRUST OF INDIA	1	44	0.00
	Total	1728811	5171362179	100.00

b. Distribution of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2025

BANK OF BARODA

Distribution of Shareholding as on 31/03/2025 (TOTAL)

SlnO	Category (Shares)	No.of Holders	% To Holders	No.of Shares	% To Equity
1	1 - 5000	1717855	99.37	286737916	5.54
2	5001 - 10000	6533	0.38	45219120	0.87
3	10001 - 20000	2118	0.12	29640520	0.57
4	20001 - 30000	648	0.04	15954451	0.31
5	30001 - 40000	289	0.02	10084880	0.20
6	40001 - 50000	199	0.01	9120986	0.18
7	50001 - 100000	402	0.02	28799715	0.56
8	100001 and above	767	0.04	4745804591	91.77
	TOTAL:	1728811	100.00	5171362179	100.00

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2025 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

Sr No	Nature of holding	No. of Holders	No. of Shares	Percentage %
1	PHYSICAL	102951	28548045	0.55
2	NSDL	552859	1589176118	30.73
3	CDSL	1073001	3553638016	68.72
	Total:	1728811	5171362179	100.00

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2025.

STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2025
a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

Opening Balance as on 01.04.2024		No. of requests received during the Financial Year 2024-25	Shares debited during the Financial Year 2024-25		Closing Balance as on 31st March 2025	
No. of Shareholders	No. of Shares	-	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares
26	39500	-	-	-	26	39500

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

Opening Balance as on 01.04.2024		No. of requests received during the Financial Year 2024-25	Shares debited during the Financial Year 2024-25		Closing Balance as on 31st March 2025	
No. of Shareholders	No. of Shares	-	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares
25	19125	-	-	-	25	19125

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Limited, at the address given in this report.

SECRETARIAL AUDIT

Bank has appointed M/s. R S Padia & Associates, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2025. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is

made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

- There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
- We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations
- All the Directors have disclosed that they have no relationship *inter-se* as on 31st March 2025.
- Outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.
- The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2024-25 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.
- Familiarization programme for Independent Directors

The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank's website under "Shareholder's Corner" section at <https://www.bankofbaroda.in>



8. Whistle Blower Guidelines

The Bank has in place a Whistle Blower Policy and no person has been denied access to the Audit Committee.

9. Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries

The details of the Bank's Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank's website at <https://www.bankofbaroda.in>

10. Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for FY 2024-25

Number of Complaints filed during the financial year	Number of Complaints disposed off during the year	Number of Complaints pending as on end of the financial year
22	17	5

11. List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2024-25, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad

Details of Credit Ratings assigned by the Rating Agencies of the Bank along with details of revisions in rating during financial year i.e. 2024-25, for all debt instruments and fixed deposit programme issued by Bank are as under;

Summary of Ratings of Bank of Baroda - FY-2024-25

Rating Agency	Instrument	Present Rating	Rating Action
ICRA	Basel III Tier-I Bonds	[ICRA]AA+ (Stable)	Reaffirmed
	Basel III Tier II Bonds	[ICRA]AAA (Stable)	Reaffirmed
	Infrastructure Bonds	[ICRA]AAA (Stable)	Reaffirmed
	Fixed Deposit	[ICRA]AAA (Stable)	Reaffirmed
CARE	Tier II Bonds (Basel III)	CARE AAA; Stable	Reaffirmed
INDIA RATINGS	Long-Term Issuer Rating	IND AAA/Stable	Affirmed
	Certificate of deposits	IND A1 +	Assigned
	Basel III Tier 2 Bonds	IND AAA/Stable	Affirmed
	Basel III AT1 bonds	IND AA+/Stable	Affirmed
	Infrastructure and Affordable Housing Bonds	IND AAA/Stable	Affirmed
	Fixed deposit	IND AAA/Stable	Affirmed
CRISIL	Tier II Bonds (Under Basel III)	CRISIL AAA/Stable	Assigned
	Tier I Bonds (Under Basel III)	CRISIL AA+/Stable	Reaffirmed
	Tier II Bonds (under Basel III)	CRISIL AAA/Stable	Reaffirmed
	Infrastructure Bonds	CRISIL AAA/Stable	Reaffirmed
MOODY'S	Bank of Baroda		
	Outlook	Stable	Affirmed
	Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3	Affirmed
	Bank Deposits	Baa3/P-3	Affirmed
	Baseline Credit Assessment	ba2	Upgraded from ba3
	Adjusted Baseline Credit Assessment	ba2	Upgraded from ba3
	Counterparty Risk Assessment	Baa3(cr)/P-3(cr)	Affirmed
	Bank of Baroda (London)		
	Outlook	Stable	Affirmed
	Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3	Affirmed
	Counterparty Risk Assessment	Baa3(cr)/P-3(cr)	Affirmed
	Senior Unsecured	Baa3	Affirmed

Rating Agency	Instrument	Present Rating	Rating Action
FITCH	Bank of Baroda		
	Long Term IDR	BBB-	Affirmed
	Outlook	Stable	Affirmed
	Short-Term IDR	F3	Affirmed
	Viability Rating	bb-	Affirmed
	Government Support Rating	bbb-	Affirmed
	Short-Term IDR (xgs)	B (xgs)	Affirmed
	Long Term IDR (xgs)	BB- (xgs)	Affirmed
	Long Term Senior Unsecured	BBB-	Affirmed
	Long Term Senior Unsecured (xgs)	BB- (xgs)	Affirmed
	Bank of Baroda (New Zealand) Limited		
	Long Term IDR	BBB-	Affirmed
	Outlook	Stable	Affirmed
	Long Term IDR (xgs)	BB-(xgs)	Affirmed

Note:

• There was no downgrade of Bank's rating by any Rating Agencies during FY 2024-25.

• Moody's has upgraded Baseline Credit Assessment of the Bank to ba2 from ba3 in June 2024.

12. Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management. - Yes
13. Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2024-25 – NIL
14. Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – NIL as during the year, Bank has not raised funds through preferential allotment or qualified institutions placement
15. Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part ₹116.36 Crores.
16. Certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.- obtained

NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations &

Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

Sr. No.	Non-mandatory requirements	Status of Implementation
1	The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties.	There is no non executive chairman from 01-03-2024
2	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	Bank publishes quarterly / half yearly / yearly financial results of the Bank on website of Stock Exchanges and on website of Bank also. Bank also publish financial results in newspapers as per prescribed format for information of shareholders.
3	Modified opinion(s) in audit report Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.



Sr. No.	Non-mandatory requirements	Status of Implementation
4	Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Bank is having separate posts of Chairperson and Managing Director and Chief Executive Officer. However, there is no non - executive chairman from 01-03-2024
5	Reporting of Internal Auditor The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Bank inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with.

Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements

Regu No.	Title / Brief description	Compliance Status
17	Board of Directors	The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970". All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured. Board Evaluation Bank is following GOI guidelines dated 30.08.2019 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of Non-Official Directors.
17A	Maximum number of directorships	Complied with
18	Audit Committee	Complied with

Regu No.	Title / Brief description	Compliance Status
19	Nomination and Remuneration committee	Complied with
20	Stakeholders Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with
22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Complied with
24A	Secretarial Audit and Secretarial Compliance Report	Complied with
25	Obligations with respect to independent directors	As per Regulation 17, as above.
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46	Website	Complied with

CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd., Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. Email : einward.ris@kfintech.com Toll Free/ Phone Number : 1800 309 4001 WhatsApp Number : (91) 910 009 4099 KPRISM (Mobile Application) : https://kprism.kfintech.com/ KFINTECH Corporate Website : https://www.kfintech.com RTA Website : https://ris.kfintech.com Investor Support Centre (DIY Link) : https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	Bank of Baroda Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 Tel: 022 - 6698 5731 / 5743 General Number : 022 – 6698 5000-04 (PBX) E-Mail: investorservices@bankofbaroda.com Shareholder's corner section on Bank's Website - https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

Transparency Officer :

In compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Executive as Transparency Officer. The transparency officer is responsible for the following functions:

- To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.
- To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.
- To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIs), deemed CPIOs.
- To be a contact point for the public in all RTI- related matters. The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

Compliance Function

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's Compliance Risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank. The tone at the top sets an organization's guiding values and ethical climate. A "High Level Compliance Committee" under the chair of Executive Director and other members comprising

of Senior Executives from business verticals and support functions, maintains oversight on all compliance related issues.

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Function headed by Chief General Manager designated as Chief Group Compliance Officer (CGCO) has been set up in the Bank.

The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas centres. It also ensures adherence of various guidelines/ instructions issued by IBA (India Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.

To further strengthen the compliance in Bank, dedicated Compliance Officer is posted in each Region, Zone and Overseas Territory. Also, a nodal Officer is identified in each Department of Corporate Office & Head Office for Compliance function. The activities of these Compliance Officials are being monitored from Corporate Office. Similar Compliance Framework is prevalent in Bank's Domestic and Overseas Subsidiary having dedicated Compliance Officer and Team. Bank is making sustained efforts in improving the compliance culture in Bank by increasing awareness amongst the employees about Compliance. Weekly Newsletter titled "Anuvritti" is published on weekly interval to spread awareness of Compliance Culture in Bank.



ANNEXURE 1 COMPOSITION OF THE BOARD

Shri Debadatta Chand – - Managing Director & CEO (Executive)

Shri Debadatta Chand assumed charge as Managing Director & CEO of the Bank on 1st July 2023. Shri Chand has over 31 years of experience in the Banking & Financial services industry, having served in banks and financial institutions. Shri Chand served as the Executive Director at Bank of Baroda from March'21 to June'23, before his elevation as MD & CEO. In the capacity as Executive Director, he was managing Corporate & Institutional Credit, Corporate & Institutional Banking, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business and Trade & Foreign Exchange, oversaw the International Banking Business, Domestic Subsidiaries/ Joint Ventures, Wealth Management, Capital Markets, NRI Business as well as key platform functions such as HRM, Finance & Planning, Risk Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal, Compliance, Learning & Development, Disciplinary Proceedings, Information Security and Estate Management & Security at the Bank.

Shri Chand as MD & CEO of Bank of Baroda responsible for managing the Bank and its group companies. Prior to Bank of Baroda, he was Chief General Manager in Punjab National Bank and has worked as Zonal Head, Regional Head, Head of Treasury operations and also different capacities in Audit and Risk Management. He has also served in Small Industries Development Bank of India and also erstwhile Allahabad Bank.

Shri Chand currently, is Chairman on the Board of BOB Capital Markets Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd. and BOBCARD Ltd. Shri Chand is also on the Board of National Insurance Company Ltd. He served on the Board of India Infradebt Limited. Shri Chand was also the Chairman on the Boards of Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., Bank of Baroda (Kenya) Ltd. and member on the Board of Bank of Baroda (Uganda) Ltd.

He is a member on the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM) & also a member of the Standing Committee on the Governing Board of NIBM, General Body of Management Development Institute (MDI) Society, Gurgaon, Governing Council of the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) and Advisory Board for Financial Inclusion Fund (FIF) of NABARD. He is also Chairman of Executive Committee of IIBF.

Shri Chand is Co-Chair of Joint Working Group on 'Infrastructure and Finance' under the aegis of India-Australia CEOs Forum. He is the Chairman of the IBA Standing Committee on Risk Management and Basel Implementation. Shri Chand had also been part of India-UK Financial Partnership (IUKFP) Working Group on Capital Markets Connectivity. Shri Chand is also a member on CII National Committee on Banking.

Shri Chand holds a B. Tech. degree, an MBA and CAIIB qualification. Additionally, he has a Post Graduate Diploma in Equity Research and is a Certified Portfolio Manager. Shri Chand also holds Ph.D in Management.

Shri Lalit Tyagi – Executive Director

Shri Lalit Tyagi, having started his career as Probationary Officer in Bank of Baroda in 1996, has over 28 years of rich experience in various spectrum of commercial banking, particularly in Corporate Finance, Risk Management, International Banking and Administrative Roles. He has been an operational banker having vast experience of working in different branches/ offices in India and abroad, including two stints in Bank's overseas operations; viz. Brussels, Belgium and New York, USA.

He has successful experience of leading Bank's important units such as Regional Head of Bangalore Region, General Manager & Branch Head of Bank's largest Corporate Financial Services Branch, Mumbai and Chief General Manager (Chief Executive) of Bank's largest overseas territory US Operations, New York.

Prior to his appointment as Executive Director of Bank of Baroda on 21st November 2022, he was the Chief Executive of Bank's US Operations, New York. He has also served as Director in Canbank Computer Services Ltd. (CCSL – a wholly owned subsidiary of Canara Bank), Non-Executive Chairman of Bank of Baroda (Guyana) Inc. and Nominee Director in BOB Capital Markets Ltd in the past. Currently he is serving as Nominee Director in India Infradebt Ltd, IndiaFirst Life Insurance Company Ltd, Indo Zambia Bank Ltd, Bank of Baroda (Uganda) Ltd and Bank of Baroda (UK) Ltd.

As Executive Director in Bank of Baroda, he currently looks after Corporate & Institutional Banking, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business, International Banking, Domestic Subsidiaries/ Joint Ventures.

In the past, he had also overseen the key platform functions such as Compliance, Risk Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal and HRM.

Shri Tyagi is known for his leadership and motivational skills.

He has Post Graduate Diploma in Banking & Finance (PGDBF) from National Institute of Bank Management (NIBM), Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has been identified as one of Public Sector Bankers by Bank's Board Bureau (now known as Financial Services Institutions Bureau) for future leadership roles.

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar – Executive Director

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar took charge as Executive Director of Bank of Baroda w.e.f. 31st January, 2024. Prior to this, he was Executive Director at Indian Overseas Bank (IOB).

Shri Mudaliar is a Post Graduate in Science & Technology and a Certified Project Management Practitioner from London. He is a seasoned banker with a career spanning over 30 years across industries and financial institutions. Of these, he has been associated with Bank of Baroda for over 25 years in various capacities across the country and in the United Kingdom.

In his last assignment at Bank of Baroda before joining IOB, he held the position of Chief Technology Officer of Bank of

Baroda's Global Operations spanning across 17 countries.

With his techno-functional knowledge, Shri Mudaliar has contributed immensely in various working groups/committees on product innovation and process refinement. He has also been part of a number of key industry initiatives on Banking and Technology. He is a Nominee Director in -3- subsidiaries of Bank of Baroda and he also represents the Bank on the Board of NPCI.

Shri Mudaliar is analytical and demonstrates a proactive approach to the highly dynamic environment. He is an avid traveller and reader.

Shri Lal Singh, Executive Director

Shri Lal Singh joined Bank of Baroda as an Executive Director on October 9, 2023.

He started his career as a Rural Development Officer in Union Bank of India in 1990. As a career banker, he has 33 years of deep and distinguished experience including MSME Credit, Corporate Finance, Rural and Agri Business, and Human Resource Development. As the Zonal Head, he has successfully spearheaded large and prestigious zones such as Varanasi, Lucknow, Chennai as well as Regions such as Mumbai West and Udaipur (Rajasthan). Shri Singh has diverse experience across Metro Urban Semi-Urban Rural (MUSR) locations, and has led exponential growth as Regional Head and Branch Head across Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and UP.

Post amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India, he led the business transformation of the Bank's MSME, Rural and Agri Business. In Shri Singh's last assignment, he was the Chief General Manager for the Bank's strategic HR function. He directly led the Bank's flagship project, Union Prerna, establishing a new performance culture, succession planning and improving talent engagement with the 75,000+ employees of the Bank. Under his leadership, the HR function has won 12+ awards from leading global organisations, and an ISO certification for digital and data enablement. He has also anchored the setup of an advanced L&D unit, through the creation of a rich learning ecosystem to build market-ready skills in employees.

Shri Singh has served multiple board and leadership level positions. He was the Chairman of the Sub Committee of the State Level Bankers' Committee, Uttar Pradesh for Credit Deposit Ratio and Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI). He was a nominee director on the board of the UP Industrial Consultants Limited (UPICO), M/s. Nab Samruddhi Finance Ltd (subsidiary of NABARD), PSB Alliance Pvt. Ltd., Supervisory Board of India Micro Finance Equity Fund (SIDBI), Trustee on the Governing Board of Indian Institute of Bank Management (IIBM), Guwahati and also Union Bank of India Social Foundation Trust (UBSFT) for Corporate Social Responsibility as well as Union Bank of India's Employees Trust for Pension, Provident Fund and Gratuity.

Shri Singh is known for his people development, team building and motivation, and customer engagement skills.

He is a Post Graduate in Agricultural Sciences, Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and has completed a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DITIRM), AMFI & CeBA. He has a Certification in Micro Finance, and has attended the Global Strategy & Leadership Program at UVA Darden School of Business - Virginia USA & ISB, Hyderabad. He was part of the 1st batch of senior executives selected by Banks Board Bureau (now FSIB) for the Leadership Development Program organised by IIM Bangalore and Egon Zehnder International Pvt. Ltd.

Smt. Beena Vaheed, Executive Director

Smt. Beena Vaheed joined Bank of Baroda as an Executive Director on August 9, 2024.

She began her career as an Officer at Corporation Bank in 1993, significantly contributing to the Bank's business planning, advertising and publicity efforts, including the successful launch of its IPO in 1997. As a tenured banker, Smt. Vaheed brings in rich and diverse experience of over 30 years across a wide range of verticals including Retail, Agriculture & MSME, Credit Assessment, Human Resources, Government Banking, Credit Card and Merchant Acquisition and Liability franchise.

Throughout her career, Smt. Vaheed has held multiple leadership roles. As a Branch Head, she led strong business growth, ensured risk & operational compliance and improved market share. As a Deputy General Manager and, subsequently General Manager, she managed one of the largest regions for the erstwhile Corporation Bank, overseeing major corporate accounts and driving substantial business volume and profitability.

Following the amalgamation of Corporation Bank with Union Bank of India, Smt. Vaheed played a pivotal role in cultural integration. She assumed the role of General Manager – HR Operations of the amalgamated entity. Thereafter, in her next assignment, her strategic acumen was instrumental in managing over ₹ 2 lakh crore in business as the Zonal Head – Delhi, the second-largest zone for Union Bank of India, focusing on profitability, operations and compliance. In her last stint as Chief General Manager in charge of the Deposit Mobilisation department at Union Bank of India, Smt. Vaheed was responsible for managing all deposit products and spearheading strategic initiatives & structural changes to enhance the Bank's liability base. She was also in charge of credit cards and Merchant Acquisition.

Smt. Vaheed is recognised for her strategic acumen, people development, team building & motivation, and customer engagement skills, making her a well-rounded and dynamic professional.

Her effectiveness as a leader is evidenced by multiple awards and recognition received for outstanding business performance. Most recently, she received the Distinguished Alumni Award, 2024 from IIM Kozhikode, as a mark of appreciation for her professional accomplishments. Additionally, Smt. Vaheed has served in numerous board and leadership positions. She was a Director on the Board of



Union Bank of India Services Ltd. She is currently a Director on the Board of BOB Capital Markets Limited and Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited besides the board of Bank of Baroda.

Smt. Vaheed holds a Bachelor of Science and a Master of Communication and Journalism from the University of Kerala, has completed an Executive MBA from IIM Kozhikode and has received specialised training in Cybersecurity and Leadership. She was a part of the 3rd batch of senior executives selected by Banks Board Bureau (now FSIB) for the Leadership Development Programme organised by IIM Bangalore and Egon Zehnder International Pvt. Ltd.

Dr. M P Tangirala - Representing Central Government

Dr. M P Tangirala is a 1990 batch officer of the Indian P&T Accounts and Finance Service. He is an alumnus of College of Engineering, Guindy, IIM Calcutta, Osmania University, IIPA, and Jawaharlal Nehru University, where he obtained his PhD in law and governance.

In his career in government, he has worked in different functional areas of telecom policy, law, and regulation, administration, personnel management and training, insurance regulation, and financial services. Apart from his parent department of telecommunications, Dr Tangirala has worked in various capacities in BSNL, TRAI, UPSC, and IRDAI.

Shri Manoranjan Mishra - Director (Non-Executive) - Representing Reserve Bank of India

Shri Manoranjan Mishra has been appointed as the RBI nominee Director on the Board of Bank of Baroda vide Government of India notification dated 12th December, 2024.

Shri Manoranjan Mishra has over three decades of experience in the Reserve Bank of India. He has superannuated from RBI services on 30th September 2024. Shri Mishra worked across the RBI departments including Regulation of Banks and NBFCs, Supervision of Banks, Currency Management, Enforcement, Risk Monitoring, External Investments & Operations. Shri Mishra also served as a member of several Working Groups at the national and international levels and contributed to the formulation of regulatory and supervisory policies.

Shri Mishra is a post graduate in Economics and MBA (Banking and Finance). He also holds a Master's degree in Finance and Financial Regulation from Aston Business School, UK.

Smt. Nina Nagpal - Director (Non-Executive) - Shareholder Director:

Smt. Nina Nagpal has joined as a Director on our Board w.e.f. 24th December, 2023 representing shareholders of the Bank for a period of -3- years.

Prior to joining the Bank of Baroda Board, she was the Managing Director & CEO of Citicorp Finance India Ltd (CFIL), a Non-Bank Finance Company (NBFC) of Citigroup.

She was also a Nominee Director on the Board of India Infra Debt Limited (IIDL).

Prior to joining Citigroup in 2014, Smt. Nina Nagpal was the Managing Director and Country Chief Operating Officer of Morgan Stanley India and the CEO of its NBFC. Earlier, she was part of the leadership team at OTC Exchange of India, India's first electronic stock exchange. She also worked with the United States Agency for International Development (USAID), where she conceptualized and documented a USD 20 MM US-India bilateral project aimed at the institutional development of the Indian securities markets.

She had been on several regulatory, industry committees and Boards. She is a seasoned financial services industry professional with experience across advisory, project management, capital markets, investment and commercial banking.

Smt. Nagpal did her Graduation in Economics from University of Delhi, Lady Shriram College, Delhi and Masters in Business Economics from University of Delhi. She also did her Post Graduate Research Work in International Development Finance at American University, Washington DC, USA.

Shri Ravindran Menon - Director (Non-Executive) - Shareholder Director:

Shri Ravindran (Ravi) Menon has joined as a Director on the Board of Bank of Baroda w.e.f. 16th May, 2024 representing shareholders of the Bank for a period of -3- years.

Shri Ravi Menon is a thought leader in the financial services industry with a proven track record of building and growing successful businesses. With thirty-seven years of experience, spanning significant roles at renowned global organisations like HSBC, UBS, ING and ANZ Grindlays, Shri Ravi Menon has witnessed and been part of the transformation of India's economic landscape.

Throughout his career, Shri Ravi Menon has led large teams across multiple functions, including investment management, capital markets, corporate finance, cash management and corporate banking. This breadth of experience equips him with a deep understanding of the sector's complexities and the opportunities for innovation and growth. Some of his key responsibilities included heading the strategy function of the HSBC Group in India and he was a member of the Management Committee (Board Equivalent) of HSBC Bank. He superannuated from HSBC Group as CEO of HSBC Asset Management (India), a leading provider of asset management services to retail and institutional clients in India. He led the USD 425 Mn acquisition of L&T Investment Management and the successful integration with HSBC Asset Management, cementing the entity into a leadership position.

Shri Ravi Menon is an M.Sc., MBA. His pursuit of excellence led him to prestigious institutions, BITS Pilani and Symbiosis Institute of Business Management Pune, laying the foundation for a distinguished career in Banking and Financial services.

Shri Vijay Dube - Director (Non-Executive) - Shareholder Director:

Shri Vijay Dube has been elected as a Director on the Board of Bank of Baroda w.e.f. 9th July, 2024 representing shareholders of the Bank for a period of -3- years.

Shri Dube is a career public sector banker with more than 39 years of experience. He served as Executive Director at Punjab National Bank from April, 2020 to August, 2023 and as Executive Director at Oriental Bank of Commerce from November, 2018 to March, 2020. Prior to this, Shri Dube has worked across all segments of banking viz Customer Service at field level, Branch Head, Regional Head, Corporate Credit, Learning and Development, Internal Audit, Operations and at Head Office. Shri Dube has been associated with number of financial institutions, major tenure of which was with Punjab National Bank and Vijaya Bank. Shri Dube has also served as Chief Vigilance Officer (CVO) at State Bank of Mysore.

Shri Dube has been Chairman of the Governing Board of NIBSCOM, NOIDA and Member of the Governing Boards of SIBSTC, Bangalore and IIBM, Guwahati. Shri Dube has also

been member of few banking industry related Committees set up by Government of India.

Shri Dube holds Master's Degree in Business Administration from FMS Delhi, University of Delhi, Master's Degree in Statistics from Lucknow University, Certified Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and Certificate in Risk in Financial Services (CISI, London). He is currently pursuing PhD in Management – his research interest is in understanding how cultural integration drives Mergers & Acquisitions.

Shri Dube is a travel and fitness enthusiast, having widely travelled in India and other countries. He is PADI Open Water certified Scuba diver, rode a two-wheeler to Khardungla Pass (then highest motorable road in the world), completed the Kailash Mansoravar Yatra and cycled 600 kms to celebrate his 60th birthday (under Project 600@60, It's Possible!).



OTHER DETAILS OF DIRECTORS:
Annexure – 1A

(Position as on 31.03.2025)

Name of Director	No. of shares of Bank	No. of membership in Sub -Committees of the Bank	No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies (*)	Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
Shri Debadatta Chand	Nil	11	2	1. BOB Capital Markets Limited 2. BOBCARD Limited 3. IndiaFirst Life Insurance Co. Limited 4. National Insurance Company Limited 5. Indian Institute of Banking & Finance (Member of Governing Council)
Shri Lalit Tyagi	6500	7	0	1. India Infradebt Limited 2. Bank of Baroda (UK) Limited 3. Bank of Baroda (Uganda) Limited 4. Indo Zambia Bank Limited 5. IndiaFirst Life Insurance Co. Limited
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	6400	8	1	1. BOBCARD Limited 2. Baroda Sun Technologies Limited 3. National Payments Corporation of India 4. Bank of Baroda (Botswana) Limited
Shri Lal Singh	245	8	0	1. Bank of Baroda (Tanzania) Limited 2. PSB Alliance Limited 3. Bank of Baroda (Kenya) Limited 4. Baroda Global Shared Services 5. National E-Governance Services Limited
Smt. Beena Vaheed	Nil	9	0	1. BOB Capital Markets Limited 2. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited
Dr. M.P. Tangirala	Nil	3	2	1. Life Insurance Corporation of India Limited 2. General Insurance Company 3. IRDAI 4. Telecom Regulatory Authority of India
Shri Manoranjan Mishra	230	4	0	Nil
Smt. Nina Nagpal	200	9	0	NIL
Shri Ravindran Menon	300	10	3	1. Accelya Solutions India Limited 2. Empact Nxt Ventures Limited 3. Canara Robecco Asset Management Co. Limited 4. Stowe Research India Private Limited
Shri Vijay Dube	230	11	0	Nil

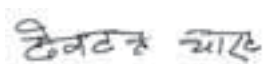
(*) Information provided in respect of ACB and Stakeholders Committee

घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र।

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 26 (3) के अनुसार “बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचरण संहिता” के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं। यह आचरण संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 06 मई, 2025

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V - Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the “Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel” for the financial year ended on 31st March, 2025 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank’s website.

For Bank of Baroda



Debadatta Chand

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date: 06th May 2025



फॉर्म संख्या. एमआर- 3
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में, सेबी के परिपत्र संख्या आईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019] के साथ पठित

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्य,

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (इसके बाद जिसे बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन हेतु सचिवालीय लेखापरीक्षा करवाई थी। सचिवालय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उस पर हमारे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहार्य आधार उपलब्ध हो सके।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी कागजातों, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, बैंक के प्राधिकारियों, द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह कि बैंक के पास निम्नलिखित तरीके और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन-प्रणाली भी है:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त से संबंधित कागजातों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियम बैंक पर जहां तक लागू हों।
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') और इसमें उल्लिखित नियमों;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसमें उल्लिखित विनियमों और उप कानूनों;
- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;
 - ए. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;
 - बी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
 - सी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का अधिक मात्रा में अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियम, 2011;
 - डी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापारका निषेध) विनियम, 2015;
 - ई. सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018.

एफ. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में बनाए गए नियम और विनियम; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

जी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम 2008; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

आई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2021

जे. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

के. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं);

एल. बैंक पर लागू होने वाले निम्नलिखित अन्य कानून:

- (ए) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं एवं परिपत्र।
- (बी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं उसके बाद के संशोधन।
- (सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
- (डी) बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियम, 1998

हमने लागू निम्नलिखित धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i). भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सचिवालीय मानक.
- (ii). बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ किए गए सूचीयन करार.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) के तहत गठित एक नया बैंक है। बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस अधिनियम द्वारा शासित होती है।

केंद्र सरकार प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करती है और अधिनियम के तहत विभिन्न निर्दिष्ट श्रेणियों से चिन्हित और चुने गए गैर-कार्यकारी निदेशकों को नामित करने का अधिकार रखती है, जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

केंद्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारक बैंक में गैर-सरकारी शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर 3 निदेशकों तक का चुनाव करने का अधिकार रखते हैं।

वर्तमान में, बैंक में तीन शेयरधारक निदेशक हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा श्री देबदत्त चांद को दिनांक 1 जुलाई 2023 से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा श्री ललित त्यागी को दिनांक 21 नवंबर 2022 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा श्री लाल सिंह को दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा श्री संजय वी. मुदालियर को 31 जनवरी, 2024 से 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा सुश्री बीना वाहिद को दिनांक 9 अगस्त 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (बी) के तहत भारत सरकार द्वारा डॉ. एम. पी. तंगिराला को दिनांक 13 मई, 2024 से गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक को केंद्र सरकार से अगले आदेश प्राप्त होने तक उनकी नियुक्ति वैध रहेगी।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (सी) के तहत भारत सरकार द्वारा श्री मनोरंजन मिश्रा को दिनांक 12 दिसंबर, 2024 से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक को केंद्र सरकार से अगले आदेश प्राप्त होने तक उनकी नियुक्ति वैध रहेगी।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (i) के तहत बैंक के शेयरधारकों द्वारा श्री रविन्द्रन मेनन को दिनांक 16 मई, 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (i) के तहत बैंक के शेयरधारकों द्वारा श्री विजय दुबे को दिनांक 09 जुलाई, 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (i) के तहत बैंक के शेयरधारकों द्वारा श्रीमती नीना नागपाल को दिनांक 24 दिसंबर, 2023 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया।

बैंकिंग (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ई) और 9(3)(एफ) के तहत बैंक के निदेशक मंडल में दो कर्मचारी निदेशक

शामिल नहीं रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाना था।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अनुसार, निदेशक मंडल में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श पर न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैंक के निदेशक मंडल में नामित किया जाएगा। यह पद 26/07/2019 से रिक्त है।

इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1)(बी) के अनुसार,

जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है, वहां निदेशक मंडल में कम से कम एक-तिहाई संख्या स्वतंत्र निदेशकों की होगी और जहां सूचीबद्ध इकाई का कोई नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, वहां निदेशक मंडल में कम से कम आधी संख्या स्वतंत्र निदेशकों की होगी।

यह पाया गया है कि दिनांक 1 मार्च, 2024 से बैंक में कोई नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है और बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री देबदत्त चांद ही निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। हालांकि, निदेशक मंडल में केवल 3 स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक हैं और सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(बी) के अनुसार कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई है।

बैंक के उच्च अधिकारियों ने निदेशक मंडल स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष इस विषय को रखा है और केंद्र सरकार द्वारा अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति किए जाने पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

इसके अलावा, विनियमन 6 (1) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, बशर्ते कि अनुपालन अधिकारी निदेशक मंडल के केवल एक स्तर नीचे का अधिकारी होगा, सूचीबद्ध इकाई का पूर्णकालिक स्टाफ सदस्य होगा और उसे मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया जाएगा।

दिनांक 1 अप्रैल 2025 के सेबी स्पष्टीकरण परिपत्र के अनुसार, निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे का अर्थ है प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक से एक स्तर नीचे का पद, जो सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल का हिस्सा हैं। बैंक ने दिनांक 03.05.2025 के ज्ञापन के माध्यम से कंपनी सचिव को बैंक के कार्यपालक निदेशक को रिपोर्ट करने को कहा है, जो आश्वासन कार्यों के प्रभारी और जो बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों में से एक हैं। बैंक ने इस प्रावधान का अनुपालन शुरू कर दिया है।

निदेशक मंडल की सभी बैठकें और आम बैठकें हाइब्रिड मोड के माध्यम से अर्थात् भौतिक और ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की गईं और सभी बैठकों के नोटिस ई-मेल के माध्यम से भेजे गए और संदर्भ हेतु उचित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों के निर्णय जिसमें परिचालन के माध्यम से अनुमोदित संकल्प शामिल हैं, सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई असहमति व्यक्त नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में इसके आकार और परिचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी को सुनिश्चित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान:



- 1) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 5 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में अपेक्षित बहुमत के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:
- ए) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के कार्य और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि खातों का अनुमोदन और स्वीकरण।
- (बी) 10.05.2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रति रु. 2/- के इक्विटी शेयर पर रु. 7.60 की दर से अनुशंसित लाभांश की घोषणा।
- (सी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत दिनांक 09 जुलाई, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए श्री विजय दुबे की बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्ति।
- (डी) भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत दिनांक 13 मई 2024 से अगले आदेश तक बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री डॉ. एम. पी. तंगिराला की नियुक्ति।
- 2) बैंक ने 15.05.2024 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में अपेक्षित बहुमत के साथ निम्नलिखित संकल्प पारित किया।
- (ए) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत दिनांक 16 मई, 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए श्री रविंद्रन मेनन की बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्ति।
- 3) बासेल III पूंजी विनियम पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को बासेल III पूंजी विनियम के अनुपालन के संबंध में जारी आरबीआई मास्टर परिपत्र- आरबीआई/2024-25/08डीओआर. सीएपी.आरईसी.4/21.06.201/2024-25 के तहत प्रत्येक 1 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के बैंक के समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु. 5000 करोड़ की राशि के डिबेंचर के रूप में गैर-प्रतिभूत, गौण, मोचन योग्य, गैर परिवर्तनीय, कर योग्य, बासेल III अनुपालन टियर II बॉन्ड सीरीज़ XXVII ("बॉन्ड") निम्नानुसार आबंटित किए गए हैं,

क्र. सं.	श्रेणी	आईएसआईएन	प्रतिभूति का विवरण	निर्गम साइज़	निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख
1	बासेल III टियर II	INE028A08364	7.41% बैंक ऑफ़ बड़ौदा बासेलIII अनुपालित टियर II बॉन्ड सीरीज़ XXVII	3500,00,00,000.00	28-11-2024	28-11-2039
			कुल	3500,00,00,000.00		

- 4) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित दीर्घकालिक इन्फ्रा बॉन्ड भी जारी और आबंटित किए हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	आईएसआईएन	प्रतिभूति का विवरण	निर्गम साइज़	निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख
1	दीर्घकालिक इन्फ्रा	INE028A08349	7.30% बैंक ऑफ़ बड़ौदा 2034 एलटीबी IV सीरीज़	5000,00,00,000.00	27-08-2024	27-08-2034
2	दीर्घकालिक इन्फ्रा	INE028A08356	7.26% बैंक ऑफ़ बड़ौदा 2034 एलटीबी V सीरीज़	5000,00,00,000.00	09-09-2024	09-09-2034
3	दीर्घकालिक इन्फ्रा	INE028A08372	7.23% बैंक ऑफ़ बड़ौदा 2034 एलटीबी सीरीज़ VI	5000,00,00,000.00	16-01-2025	16-01-2035
			कुल	15000,00,00,000.00		

5) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित बॉन्ड्स का मोचन किया है:

क्र. सं.	आईएसआईएन	मोचन का कारण बायबैक, कन्वर्जन, अन्य (यदि कोई हो)	मोचन की गई मात्रा (एनसीडी की संख्या)	मोचन की वास्तविक तिथि (दिन/माह/ वर्ष)	मोचन की गई राशि
1	INE028A09123	परिपक्वता	5,000.00	08-07-2024	5,00,00,00,000.00
2	INE705A08037	परिपक्वता	5,000.00	30-10-2024	5,00,00,00,000.00
3	INE028A08174	कॉल	16,500.00	28-11-2024	16,50,00,00, 000.00
4	INE028A08182	कॉल	17,470.00	18-12-2024	17,47,00,00,000.00
5	INE028A08190	कॉल	9,200.00	03-01-2025	9,20,00,00,000.00
6	INE705A08052	परिपक्वता	5,000.00	18-02-2025	5,00,00,00,000.00
				कुल	58,17,00,00,000.00

दिनांक: 03/05/2025

स्थान: मुंबई

यूडीआईएन: F006804G000263104

कृते आर. एस. पाडिया एंड एसोसिएट
कंपनी सचिव

राजश्री स्वाधीन पाडिया
एफ़सीएस: 6804; सीपी: 7488
(आईसीएसआई यूनिफ़ कोड :S2007MH094000)



Form No. MR - 3
Secretarial Audit Report

For the financial year ended March 31, 2025

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 read along with SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019]

To,
The Members,
BANK OF BARODA

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of Baroda**, (hereinafter called the 'Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Bank of Baroda** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2025 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2025 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
 - b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (Not Applicable during the year under review)
 - c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - d) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

- e) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.
- f) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (Not Applicable during the year under review)
- g) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not Applicable during the year under review)
- h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non Convertible Securities) Regulations, 2021.
- j) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not Applicable during the year under review)
- k) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not Applicable during the year under review)
- l) The Following other Laws as applicable to the Bank:
 - (a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.
 - (b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.
 - (c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
 - (d) Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that

Bank of Baroda is a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act). Composition of the Board of Directors of the Bank is governed by this Act.

The Central Government appoints Whole time Directors including the Managing Director and is entitled to nominate Non- Executive Directors identified and selected from various defined categories under the Act who can be classified as Independent Directors.

Shareholders other than the Central Government are entitled to elect upto 3 Directors depending on the percentage of non governmental shareholding in the Bank.

At present, Bank is having Three Shareholder's Directors who are also classified as Independent Directors.

Shri Debadatta Chand has been appointed as Managing Director & CEO by Government of India under clause 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 1st July 2023 for a period of 3 years.

Shri Lalit Tyagi was appointed as Executive Director by Government of India under clause 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 21st November 2022 for a period of 3 years.

Shri Lal Singh was appointed as Executive Director by Government of India under clause 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 9th October 2023 for a period of 3 years.

Shri Sanjay V. Mudaliar was appointed as Executive Director by Government of India under clause 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 31st January 2024 for a period of 2 years.

Smt. Beena Vaheed was appointed as Executive Director by Government of India under clause 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 09th August, 2024 for a period of 3 years.

Dr. M. P. Tangirala was appointed as Non-Executive Director by Government of India under clause 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 13th May, 2024. His appointment is valid until the bank receives further orders from the Central Government.

Shri Manoranjan Mishra was appointed as RBI Nominee Director by Government of India under clause 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 12th December, 2024. His appointment is valid until the bank receives further orders from the Central Government.

Shri Ravindran Menon was elected by the shareholders on the Bank as Independent Director to the Board under clause 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 16th May, 2024 for a period of 3 years.

Shri. Vijay Dube was elected by the shareholders on the

Bank as Independent Director to the Board under clause 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 09th July, 2024 for a period of 3 years.

Smt. Nina Nagpal was elected by the shareholders on the Bank as Independent Director to the Board under clause 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 24th December 2023 for a period of 3 years.

The Board of Directors of the Bank did not comprise of two Employee Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The post has been vacant since 26/07/2019.

Further as per Regulation 17 (1) (b) of SEBI (LODR),

where the chairperson of the board of directors is a non-executive director, at least one-third of the board of directors shall comprise of independent directors and where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent directors.

It is observed that the Bank does not have a regular Non – executive Chairperson since 1st March, 2024 and Mr. Debadatta Chand, Managing Director and CEO to the Bank is also Chairing the Board meetings. However, the Board has only 3 Independent Shareholders Directors and the requirement of having at least 50% independent directors as per the Regulation 17(1)(b) of SEBI (LODR) is not fulfilled.

The Bank officials have taken up with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate filling up of various vacancies at the Board level and the Central Government is in the process of nominating other Directors. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by Government of India.

Further, as per Regulation 6 (1), a listed entity shall appoint a qualified company secretary as the Compliance officer, provided that the Compliance Officer shall be an officer, who is in whole time employment of the listed entity, not more than one level below the Board of Directors and shall be designated as a Key Managerial Personnel.

As per SEBI Clarification circular dated April 1st 2025, One level below the Board of Directors means one level below the Managing Director or Whole Time Director who are part of the Board of Directors of the Listed entity. The Bank vide memorandum dated 03.05.2025 has made the reporting of the Company Secretary to the Executive Director of the Bank in charge of assurance functions and who is one of the Whole Time Directors of the Bank.. The Bank has initiated compliance for this Provision.



All the Board meetings and General meetings were conducted via hybrid mode ie. physical and audio-visual mode and notices of all the meetings were sent through e-mail and proper recordings are maintained for subsequent reference.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

- 1) The Bank in its Annual General Meeting for the Financial year 2023 – 24, held on 5th July, 2024 passed the following resolutions with requisite majority :
 - a) Approve and adopt the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2024 together with the reports of Board of Directors on the working and activities of the Bank for the Financial Year 2023-24 and Auditors' Report on Balance Sheet and Accounts.
 - b) Declare dividend recommended at Board of Directors Meeting held on 10.05.2024 @Rs.7.60 per equity share of Rs.2/- each.
 - c) Appointment of Shri Vijay Dube, as a Shareholder Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from 09th July, 2024.

- d) Appointment of Shri Dr. M. P. Tangirala, as a Non-Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 by Government of India, from 13th May 2024, until further orders.
- 2) The Bank in its Extra Ordinary General Meeting held on 15.05.2024 passed the following resolution with requisite majority
 - a) Appointment of Shri Ravindran Menon as a Shareholder Director of the Bank under section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years from 16th May 2024.
- 3) The Bank, in compliance with RBI Master Circular on Basel III Capital Regulations, issued– vide RBI/2024-25/08 DOR.CAP. REC.4/21.06.201/2024-25 dated April 1, 2024 issued by Reserve Bank of India (RBI) on Basel III Capital Regulations, has allotted unsecured, subordinated, redeemable, non-convertible, taxable, Basel III Compliant Tier II Bonds Series XXVII ("bonds") in the nature of debentures of face value of Rs.1 Crore each amounting to Rs. 3500 crores during the year under review:

SI NO	CATEGORY	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	ISSUE SIZE	DATE OF ISSUANCE	MATURITY DATE
1	BASEL III TIER II	INE028A08364	7.41% Bank of Baroda Basel III Compliant Tier II Bonds Series XXVII	3500,00,00,000.00	28-11-2024	28-11-2039
			Total	3500,00,00,000.00		

- 4) The Bank has also issued and allotted following Long Term Infra Bonds during the year under review:

SI NO	CATEGORY	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	ISSUE SIZE	DATE OF ISSUANCE	MATURITY DATE
1	LONG TERM INFRA	INE028A08349	7.30% Bank of Baroda 2034 LTB Series IV	5000,00,00,000.00	27-08-2024	27-08-2034
2	LONG TERM INFRA	INE028A08356	7.26% Bank of Baroda 2034 LTB Series V	5000,00,00,000.00	09-09-2024	09-09-2034
3	LONG TERM INFRA	INE028A08372	7.23% Bank of Baroda 2034 LTB Series VI	5000,00,00,000.00	16-01-2025	16-01-2035
			Total	15000,00,00,000.00		

5) The Bank has redeemed following Bonds during the year under review:

SI No	ISIN	Reason for redemption buyback, conversion, others (if any)	Quantity redeemed (no. of NCDs)	Actual date for redemption (DD/MM/YYYY)	Amount redeemed
1	INE028A09123	MATURITY	5,000.00	08-07-2024	5,00,00,00,000.00
2	INE705A08037	MATURITY	5,000.00	30-10-2024	5,00,00,00,000.00
3	INE028A08174	CALL	16,500.00	28-11-2024	16,50,00,00, 000.00
4	INE028A08182	CALL	17,470.00	18-12-2024	17,47,00,00,000.00
5	INE028A08190	CALL	9,200.00	03-01-2025	9,20,00,00,000.00
6	INE705A08052	MATURITY	5,000.00	18-02-2025	5,00,00,00,000.00
				TOTAL	58,17,00,00,000.00

Date : 03/05/2025
Place: Mumbai
UDIN: F006804G000263104

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Rajshree Swadhin Padia
Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488
(ICSI Unique Code: S2007MH094000)



महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

Key Financial Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	6.52%	7.28%	7.19%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	3.51%	4.39%	4.49%
3	निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM)	3.31%	3.18%	3.02%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	3.01%	2.89%	2.70%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	0.73%	0.94%	0.99%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	1.78%	1.83%	1.77%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	47.72%	47.71%	47.94%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	1.96%	2.00%	1.92%
9	निवल लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	1.03%	1.15%	1.16%
10	निवल मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	18.34%	18.95%	16.96%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.97%	1.12%	1.10%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	1.03%	1.17%	1.16%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	7.54%	8.53%	8.39%
14	जमा राशियों की लागत Cost of Deposits	3.89%	4.92%	5.10%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	20.16%	22.09%	22.05%
16	ऋण जमानुपात Credit - Deposit Ratio	82.43%	86.34%	88.56%
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III Capital Adequacy Ratio - BASEL III	16.24%	16.31%	17.19%
	टीयर Tier - I	13.99%	14.07%	14.79%
	टीयर Tier - II	2.25%	2.24%	2.40%

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक
Key Productivity Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	78,122	75,515	75,008
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)	8,240	8,282	8,463
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per employee (₹ in crore)	26.66	30.46	34.33
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु. करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)	24.61	29.31	32.53
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु. लाख में) Gross Profit per employee (₹ in lakhs)	34.39	41.01	43.24
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाख में) Net Profit per employee (₹ in lakhs)	18.06	23.56	26.11
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per branch (₹ in crore)	260.28	289.90	316.86
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु. करोड़ में) Gross Profit per branch (₹ in crore)	3.26	3.74	3.83
9	प्रति शाखा निवल लाभ (रु. करोड़ में) Net Profit per branch (₹ in crore)	1.71	2.15	2.31
10	प्रति शेयर अर्जन (रु.) Earnings per share (Rupees)	27.28	34.40	37.86
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रु.) Book Value per share (Rupees)	148.80	181.48	223.26



परिभाषाएं

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	कुल आस्तियों का मासिक/ दैनिक औसत
औसत जमाराशियां	कुल जमाराशियों का पाक्षिक/ दैनिक औसत
औसत अग्रिम	कुल अग्रिमों का पाक्षिक/ दैनिक औसत
औसत व्यवसाय	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	कुल निवेशों का पाक्षिक/ दैनिक औसत
ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज आय
ब्याज व्यय/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज व्यय
ब्याज स्प्रेड/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित (कुल ब्याज व्यय घटाकर कुल ब्याज आय)
गैर-ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल गैर-ब्याज आय
परिचालन व्यय	ब्याज व्यय घटाकर कुल व्यय
परिचालन व्यय/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालन व्यय
लागत आय अनुपात	(गैर-ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से विभाजित परिचालन व्यय
सकल (परिचालन) लाभ/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालन लाभ
निवल लाभ/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित निवल लाभ
निवल मालियत पर प्रतिलाभ	समायोजित निवल मालियत से विभाजित निवल लाभ
आस्तियों पर प्रतिलाभ	कुल आस्तियों से विभाजित निवल लाभ
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	औसत आस्तियों से विभाजित निवल लाभ
अग्रिमों पर प्रतिफल	औसत अग्रिम से विभाजित अग्रिमों पर अर्जित ब्याज
जमाराशियों की लागत	औसत जमाराशियों से विभाजित जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज
लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	निवल लाभ से विभाजित कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (मूल जमाराशियां + निवल अग्रिम)
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम)
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित सकल लाभ
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित निवल लाभ
प्रति शाखा व्यवसाय	शाखाओं की संख्या से विभाजित (कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम)
प्रति शाखा सकल लाभ	शाखाओं की संख्या से विभाजित सकल लाभ
प्रति शाखा निवल लाभ	शाखाओं की संख्या से विभाजित निवल लाभ
प्रति शेयर आय	अंकित मूल्य हेतु समायोजित भारित औसत बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित निवल लाभ
प्रति शेयर बही मूल्य	अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित निवल मालियत

Definitions

Average Working Funds (AWF)	Monthly/Daily average of total assets
Average Deposits	Fortnightly/Daily average of total deposits
Average Advances	Fortnightly/Daily average of total advances
Average Business	Total of average deposits & average advances
Average Investments	Fortnightly/Daily average of total investments
Interest Income/AWF	Total Interest Income Divided by AWF
Interest Expenses/AWF	Total interest expenses Divided by AWF
Interest Spread/AWF	(Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
Non-Interest Income/AWF	Total Non-Interest Income Divided by AWF
Operating Expenses	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating expenses/AWF	Operating expenses Divided by AWF
Cost Income Ratio	Operating Expenses Divided by (Non-Interest Income plus Interest Spread)
Gross (Operating) Profit/AWF	Operating profit divided by AWF
Net Profit/AWF	Net Profit Divided by AWF
Return on Net Worth	Net Profit Divided by Adjusted Net worth
Return on Assets	Net Profit Divided by Total Assets
Return on Average Assets	Net Profit Divided by Average Assets
Yield on Advances	Interest earned on Advances Divided by Average Advances
Cost of Deposits	Interest paid on Deposits Divided by average deposits
Dividend Payout Ratio (including corporate Dividend Tax)	Dividend including corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
Business Per Employee	Core Deposits plus Net Advances Divided by Total No. of employees
Average Business Per employee	Average Deposits plus average advances divided by Total No. of employees
Gross Profit Per Employee	Gross Profit Divided by Total No. of employees
Net Profit Per Employee	Net Profit Divided by total No. of employees;
Business Per Branch	Total Deposits plus total net advances divided by No. of Branches
Gross Profit Per Branch	Gross Profit Divided by No. of Branches
Net Profit Per Branch	Net Profit Divided by No. of Branches
Earnings Per Share	Net Profit divided by number of average weighted outstanding shares adjusted for face value
Book Value Per Share	Adjusted Net Worth divided by number of outstanding shares adjusted for face value.

31 मार्च 2025 का तुलन पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2025

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)		
		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	1035,53,36	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	135890,15,06	111188,05,47
जमा राशियां	Deposits	3	1472034,84,86	1335136,39,88
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	123716,17,90	94402,25,94
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	48570,60,84	44034,84,41
कुल	TOTAL		1781247,32,02	1585797,09,06
आस्तियां	ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	56068,49,44	54839,83,34
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	69780,70,67	40284,30,49
निवेश	Investments	8	385398,44,60	369816,83,74
अग्रिम	Advances	9	1209557,89,83	1065781,71,51
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	12376,25,69	7912,55,32
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	48065,51,79	47161,84,66
कुल	TOTAL		1781247,32,02	1585797,09,06
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	783841,45,88	576809,14,55
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		62373,20,54	61716,51,02
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न भाग है। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.				

श्री देवदत्त चांद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	श्री ललित त्यागी कार्यपालक निदेशक	श्री संजय विनायक मुदालियर कार्यपालक निदेशक	श्री लाल सिंह कार्यपालक निदेशक	श्रीमती बीना वाहिद कार्यपालक निदेशक
	मनोज सुंदर चयानी मुख्य वित्त अधिकारी		श्री पंकज खत्री उप मुख्य वित्त अधिकारी	

संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 105049W (ऋषिकेश जोशी) साझेदार M. No.: 138738	कृते एस वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन: 004656S/S200095 एस सुंदररमन साझेदार M. No.: 201028	कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित सनदी लेखाकार एफआरएन: 101048W (रमन हंगेकर) साझेदार M. No.: 030615	कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 109574W (विपुल के चोकसी) साझेदार M. No.: 37606	कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 109208W (एस नागाभूषणम) साझेदार M. No.: 107022

स्थान : मुंबई
दिनांक : 6 मई, 2025



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2025

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2024
I. आय	I. INCOME		
अर्जित ब्याज	Interest Earned 13	121441,63,94	112605,94,62
अन्य आय	Other Income 14	16647,33,30	14495,36,61
कुल	TOTAL	138088,97,24	127101,31,23
II. व्यय	II. EXPENDITURE		
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended 15	75782,96,38	67884,41,13
परिचालन व्यय	Operating Expenses 16	29871,38,07	28251,67,56
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions & Contingencies	12853,47,58	13176,44,08
कुल	TOTAL	118507,82,03	109312,52,77
III. लाभ / हानि	III. PROFIT / LOSS		
वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/ (Loss) for the period	19581,15,21	17788,78,46
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation	19581,15,21	17788,78,46
IV. विनियोजन / अंतरण	IV. Appropriations / Transfer		
ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve	4895,28,80	4447,19,62
बी) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve	451,48,99	104,16,52
सी) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves		
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	I) General Reserve	8415,20,73	8079,23,03
II) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	II) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act 1961	1446,53,00	615,92,00
III) निवेश प्रारक्षित निधि खाता	III) Investment Reserve Account	-	563,86,44
IV) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	IV) Statutory Reserve (Foreign)	54,54,95	48,17,32
डी) प्रस्तावित लाभांश	d) Proposed Dividend	4318,08,74	3930,23,53
कुल	TOTAL	19581,15,21	17788,78,46
V. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति शेयर का अंकित मूल्य ₹ 2 /-)	V. Earning Per Equity Share (Face Value of ₹ 2 /- per share)		
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	Basic Earnings per Share (₹)	37.86	34.40
प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्जन (₹)	Diluted Earnings per Share (₹)	37.86	34.40
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies 17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts 18		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.			

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Lalit Tyagi
Executive Director

Sanjay Vinayak Mudaliar
Executive Director

Lal Singh
Executive Director

Beena Vaheed
Executive Director

Manoj Sundar Chayani
Chief Financial Officer

Pankaj Khatri
Deputy Chief Financial Officer

As per our Report of even date attached.

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W
(Rishikesh Joshi)
Partner
M. No.: 138738

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S/S200095
(S Sundarraman)
Partner
M. No.: 201028

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W
(Raman Hangekar)
Partner
M. No.: 030615

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W
(Vipul K Choksi)
Partner
M. No.: 37606

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W
(S Nagabushanam)
Partner
M. No.: 107022

Place: Mumbai
Date: May 06, 2025

तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Balance Sheet

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर (पिछली अवधि प्रति शेयर ₹ 2/- के 1500,00,00,000/-)	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous period 1500,00,00,000/- shares of ₹ 2/- each)	3000,00,00	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 शेयर)	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous period 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)	1037,00,59	1037,00,59
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government (previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)	1034,27,24	1034,27,24
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर 136,67,500 (पिछली अवधि 136,67,500)	Add: Forfeited Shares 136,67,500 (Previous Period 136,67,500)	1,26,12	1,26,12
कुल	TOTAL	1035,53,36	1035,53,36
अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2		
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	RESERVES & SURPLUS		
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	23125,14,49	18677,94,87
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	4895,28,80	28020,43,29
II प्रारक्षित पूंजी	II Capital Reserves		
(₹ 9470.32 करोड़ की पुर्नमूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछली अवधि ₹ 5012.34 करोड़)	(including Revaluation Reserve of ₹ 9470.32 crore (previous period ₹ 5012.34 crore)		4447,19,62
			23125,14,49



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025		31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024	
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	13212,77,52		13956,99,91	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	451,48,99		104,16,52	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	5069,63,89		(3,33,34)	
		18733,90,40		14057,83,09	
कटौतियां :	Deductions:				
सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on revalued fixed assets transferred to General Reserve	587,61,08	18146,29,32	845,05,57	13212,77,52
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	31312,15,13		31312,15,13	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	-	31312,15,13	-	31312,15,13
IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	IV Revenue and other Reserves				
ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	a) Statutory Reserve (Foreign)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	288,81,96		240,64,64	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	54,54,95		48,17,32	
		343,36,91		288,81,96	
बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	b) Special Reserve u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	7559,93,77		6944,01,77	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Addition/Adjustments during the period	1446,53,00		615,92,00	
		9006,46,77		7559,93,77	
सी) विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन प्रारक्षित निधियां	c) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	4247,81,40		4193,89,92	
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Addition/Adjustments during the period	559,82,17		53,91,48	
		4807,63,57		4247,81,40	
डी) पूंजी हेज प्रारक्षित निधि	d) Capital Hedge Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	235,40,15		160,89,25	
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Addition/Adjustments during the period	(23,54,62)		74,50,90	
		211,85,53		235,40,15	
ई) निवेश प्रारक्षित खाता	e) Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	563,86,44		-	
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Addition/Adjustments during the period	(563,86,44)		563,86,44	
		-		563,86,44	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
एफ) निवेश उतार चढ़ाव प्रारक्षित लेखा	f) Investment Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2420,00,00	2420,00,00
अवधि के दौरान परिवर्धन	Addition/Adjustments during the period	-	-
		2420,00,00	2420,00,00
जी) एएफएस प्रारक्षित	g) AFS Reserve	1618,35,15	-
एच) नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित	h) Cash Flow Hedge Reserve	29,70,53	-
इ) अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि	i) Other Revenue Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	28222,14,61	19280,80,28
अवधि के दौरान परिवर्धन	Addition/Adjustments during the period	11751,74,25	8941,34,33
		39973,88,86	28222,14,61
कुल - IV (ए से आई)	TOTAL - IV (a to i)	58411,27,32	43537,98,33
कुल (I से IV)	TOTAL (I to IV)	135890,15,06	111188,05,47
अनुसूची - 3 जमाराशियां		SCHEDULE - 3 DEPOSITS	
ए. I मांग जमाराशियां	A. I Demand Deposits		
i) बैंकों से	i) From Banks	3642,94,91	3574,28,14
ii) अन्य से	ii) From Others	140086,04,55	116836,35,11
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits	412936,98,87	393955,60,40
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits		
i) बैंकों से	i) From Banks	102652,69,42	89012,50,89
ii) अन्य से	ii) From Others	812716,17,11	731757,65,34
कुल (I से III)	TOTAL (I to III)	1472034,84,86	1335136,39,88
बी. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	1242169,22,25	1136692,35,41
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	229865,62,61	198444,04,47
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	1472034,84,86	1335136,39,88

नोट: कुल जमा में ₹ 61,941 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 29,776 करोड़) की जमाराशियां शामिल हैं, जिन पर ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है।

Note: Total Deposit includes, deposits of ₹ 61,941 Crores (Previous Year: ₹ 29,776 Crores) on which lien has been marked.



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
अनुसूची - 4 उधार ली गई राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS		
I. भारत में उधार ली गई राशियां	I Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	30000,00,00	8870,00,00
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	559,35,12	858,32,32
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	29076,57,49	40844,24,03
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) एवं एटी1	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) & AT1	8958,00,00	12355,00,00
v) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	11850,00,00	10770,00,00
vi) दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	vi) Long term infrastructure bonds	26000,00,00	11000,00,00
कुल (i से vi)	TOTAL (i to vi)	106443,92,61	84697,56,35
II. भारत से बाहर उधार ली गई राशियां	II Borrowings outside India	17272,25,29	9704,69,59
कुल - उधार ली गई राशियां (I एवं II)	Total - Borrowings (I & II)	123716,17,90	94402,25,94
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार ली गई राशियां	Secured Borrowings included in above	43024,72,38	30640,22,92
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5		
अन्य देयताएं और प्रावधान	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I देय बिल	I Bills Payable	3664,71,95	3821,60,05
II अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II Inter Office Adjustments (Net)	397,92,47	10,48,82
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued	8421,27,20	6693,45,14
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances	7373,22,49	6917,12,73
V डेरिवेटिव देयताएं	V Derivative Liabilities	693,80,01	-
VI अन्य (प्रावधानों सहित)	VI Others (including provisions)	28019,66,72	26592,17,67
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	48570,60,84	44034,84,41
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	3891,05,93	3938,28,44
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में	in Current Account	49927,43,51	50901,54,90
अन्य खाते में	In Other Account	2250,00,00	-
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	56068,49,44	54839,83,34

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
अनुसूची - 7	SCHEDULE - 7		
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I भारत में	I In India		
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	64,22,26	37,07,86
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	923,13,00	1251,07,50
		987,35,26	1288,15,36
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with		
ए) बैंकों के पास	a) Banks	-	-
बी) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	1010,14,25	-
कुल (i और ii)	TOTAL (i and ii)	1997,49,51	1288,15,36
II भारत से बाहर	II Outside India		
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	44856,07,04	19700,50,20
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	5271,58,22	5905,29,87
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	17655,55,90	13390,35,06
कुल (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)	67783,21,16	38996,15,13
कुल (I और II)	TOTAL (I and II)	69780,70,67	40284,30,49
अनुसूची - 8	SCHEDULE - 8		
निवेश	INVESTMENTS		
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	370478,28,61	356819,69,42
घटायें: मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	1766,50,06	3295,31,81
भारत में निवल निवेश	Net Investments in India	368711,78,55	353524,37,61
अलग - अलग विवरण	B R E A K - U P		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	328108,70,05	322148,96,03
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	55,27,17	1,41,40
iii) शेयर	iii) Shares	6032,47,00	2160,11,86
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	28493,80,71	25215,61,30
v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	4804,79,14	3466,78,49
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, पास-थ्रू सर्टिफिकेट, वेंचर पूंजी निधि, प्रतिभूति रसीदें आदि.)	vi) Other Investments (Mutual Funds, Pass Through Certificates, Venture Capital Fund, Security Receipts etc.)	1216,74,48	531,48,53
		368711,78,55	353524,37,61



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
II भारत के बाहर निवेश (सकल)	II Investments Outside India (Gross)	17098,05,85	17514,04,00
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	411,39,80	1221,57,87
भारत के बाहर निवल निवेश	Net Investments Outside India	16686,66,05	16292,46,13
अलग - अलग विवरण	BREAK - UP		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (Including Local Authorities)	9752,64,51	7564,53,07
ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	2034,31,06	2034,31,06
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि.)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	4899,70,48	6693,62,00
		16686,66,05	16292,46,13
कुल (I और II)	TOTAL (I and II)	385398,44,60	369816,83,74
अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES		
ए i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	63429,80,64	47798,19,38
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	407217,05,88	349522,40,98
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	738911,03,31	668461,11,15
कुल ए (i से iii)	TOTAL A (i to iii)	1209557,89,83	1065781,71,51
बी. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	789548,37,16	727998,92,64
ii) बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा कवरेज	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	126333,26,10	99920,47,33
iii) गैर - जमानती	iii) Unsecured	293676,26,57	237862,31,54
कुल बी (i से iii)	TOTAL B (i to iii)	1209557,89,83	1065781,71,51
सी. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India		
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i. Priority Sector	322571,61,80	291170,76,36
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii. Public Sector	156236,85,68	131702,52,20
iii बैंक	iii. Banks	999,49,90	1026,77,28
iv अन्य	iv. Others	523845,62,83	456916,54,89
		1003653,60,21	880816,60,73
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India		
i बैंकों से देय	i Due from Banks	86908,43,37	78927,21,97
ii अन्य से देय	ii Due from Others		
ए) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	3363,99,98	11639,00,77

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025		31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024	
बी) सिंडीकेटेड ऋण	b) Syndicated Loans	93333,48,91		81829,90,97	
सी) अन्य	c) Others	22298,37,35	205904,29,61	12568,97,08	184965,10,79
कुल सी (I एवं II)	TOTAL C (I & II)		1209557,89,83		1065781,71,51
अनुसूची - 10		SCHEDULE - 10			
अचल आस्तियां		FIXED ASSETS			
I परिसर	I Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत मूल्य पर	At cost as on 31 st March of the preceding year	14442,68,60		14413,66,48	
अवधि के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/adjustments during the period	5123,93,51		65,28,90	
		19566,62,11		14478,95,38	
अवधि के दौरान कटौतियां / समायोजन	Deductions/adjustments during the period	55,32,94		36,26,78	
		19511,29,17		14442,68,60	
घटाएं:- आज की तारीख तक मूल्यहास / परिशोधन	Less:- Depreciation/Amortisation to date	8776,07,91	10735,21,26	8157,34,51	6285,34,09
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत मूल्य पर	At cost as on 31 st March of the preceding year	10053,30,66		9442,57,13	
अवधि के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/adjustments during the period	1076,37,65		973,65,58	
		11129,68,31		10416,22,71	
अवधि के दौरान कटौती / समायोजन	Deductions/adjustments during the period	1267,38,92		362,92,05	
		9862,29,39		10053,30,66	
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यहास	Less:- Depreciation to date	8221,24,96	1641,04,43	8426,09,43	1627,21,23
कुल (I से II)	TOTAL (I to II)		12376,25,69		7912,55,32
अनुसूची - 11		SCHEDULE - 11			
अन्य आस्तियां		OTHER ASSETS			
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued	15589,28,76		13207,40,04	
II अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	10276,18,46		7898,71,64	
III लेखन सामग्री और स्टॉप	III Stationery & Stamps	55,82		2,62,61	
IV दावों पर अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	IV Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (net)	-		-	
V डेरिवेटिव आस्तियां	V Derivative Assets	947,47,31		-	
VI अन्य	VI Others	21252,01,44		26053,10,37	
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	48065,51,79		47161,84,66	



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
अनुसूची - 12	SCHEDULE - 12		
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES		
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts	34295,71,97	33847,28,22
II आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments	28,00	15,28,00
III बकाया वायदा विनिमय करार के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	454102,62,18	330624,54,60
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए) भारत में	a) In India	55319,44,31	52682,99,11
बी) भारत से बाहर	b) Outside India	6186,48,87	8330,96,13
V स्वीकृतियां, एंडोर्समेंट एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations	17518,36,66	24432,75,37
VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें जो बैंक द्वारा देय हैं	VI Other items for which the Bank is Contingently liable	216418,53,89	126875,33,12
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	783841,45,88	576809,14,55

लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां Schedules to Profit & Loss Account

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2024
अनुसूची - 13	SCHEDULE - 13		
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED		
I अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट	I Interest / Discount on Advances / Bills	93050,88,34	85098,22,79
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	25948,75,67	24865,68,47
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1756,36,51	1721,08,00
IV अन्य	IV Others	685,63,42	920,95,36
कुल (I से IV)	TOTAL (I to IV)	121441,63,94	112605,94,62

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2024
अनुसूची - 14	SCHEDULE - 14		
अन्य आय	OTHER INCOME		
I कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I Commission, Exchange and Brokerage	3365,76,82	3561,99,53
II निवेशों के विक्रय पर लाभ	II Profit on sale of Investments	2326,55,24	1618,18,07
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	60,31,90	126,24,61
III निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III Profit on Revaluation of Investments	1061,00,56	513,09,82
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	Less: Loss on Revaluation of Investments	284,61,00	14,86,61
IV भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	IV Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	46,59,53	8,72,23
घटाएं: भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	6,18,23	2,46,07
V विनिमय लेन-देन पर लाभ	V Profit on Exchange/Derivative Transactions	1340,24,73	1500,92,34
घटाएं: विनिमय लेन-देन पर हानि	Less: Loss on Exchange/Derivative Transactions	577,20,14	212,22,41
VI विदेशों / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	VI Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/ in India	247,62,18	237,59,04
VII विविध आय #	VII Miscellaneous Income #	9187,85,51	7410,65,28
कुल (I से VII)	TOTAL (I to VII)	16647,33,30	14495,36,61

विविध आय में बड़े खातों में की गई वसूली ₹ 4766.90 करोड़ में शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 3942.50 करोड़)

Miscellaneous income includes Recoveries made in write off accounts ₹ 4766.90 crore (Previous period ₹ 3942.50 crore)

अनुसूची - 15	SCHEDULE - 15		
अर्जित ब्याज	INTEREST EXPENDED		
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	67847,00,76	59861,51,52
II भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings	4735,84,85	5643,77,06
III अन्य	III Others	3200,10,77	2379,12,55
कुल (I से III)	TOTAL (I to III)	75782,96,38	67884,41,13



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2024
अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16		
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES		
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	16607,63,87	15816,00,19
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting	1819,39,22	1658,74,23
III मुद्रण और लेखन सामग्री	III Printing and Stationery	199,53,41	182,75,95
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	226,13,84	178,58,36
V बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	V Depreciation on Bank's Property	1392,87,01	1619,67,66
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	2,41,29	2,59,68
VII लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	105,71,02	95,94,02
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	429,82,03	366,12,47
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	205,44,51	231,49,26
X मरम्मत और रखरखाव	X Repairs and Maintenance	1131,76,79	1064,47,02
XI बीमा	XI Insurance	2007,97,45	1727,29,24
XII अन्य खर्च	XII Other Expenditure	5742,67,63	5307,99,48
कुल (I से XII)	TOTAL (I to XII)	29871,38,07	28251,67,56

अनुसूची 17

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/ मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गयी अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेश एवं डेरिवेटिव

बैंक निपटान की तारीख के आधार पर निवेशों के लिए लेखांकन की एक समान पद्धतियों का अनुसरण करता है। बैंक के निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/ डीओआर/2023-24/104 डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/ 2023-24 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के अनुसार किया गया है।

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है, जिसमें -

- "परिपक्वता तक धारित" (HTM): "परिपक्वता तक धारित" में ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेश में डिबेंचर/बॉन्ड प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो केवल मूलधन के भुगतान और निर्दिष्ट तारीखों पर बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान ("एसपीपीआई मानदंड") जैसी अपनी संविदात्मक शर्तों की वजह से कैश फ्लो में वृद्धि करती हैं।
- "बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफएस): "बिक्री के लिए उपलब्ध" निवेश में एक उद्देश्य के साथ किए गए निवेश शामिल हैं जो करारगत नकदी प्रवाह के संग्रहण और प्रतिभूतियों के विक्रय दोनों के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं। एएफएस प्रतिभूतियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां भी शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां परिपक्वता तक रखने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में दोनों विकल्प खुले रहते हैं। इसके

अलावा, प्रारंभिक तौर पर, बैंक एक इक्विटी इंस्ट्रुमेंट जिसे 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के तहत ट्रेडिंग के उद्देश्य से नहीं रखा गया है, को वर्गीकृत करने के लिए अपरिवर्तनीय विकल्प का चयन करता है।

- "लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य" (FVTPL): लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य में ऐसे निवेश शामिल हैं जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं। एफवीटीपीएल के तहत "व्यापार हेतु धारित" (HFT) एक अलग उप श्रेणी है।
- "अनुषंगियों, एसोशिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश": "अनुषंगियों, एसोशिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश" श्रेणी अन्य निवेश श्रेणियों (अर्थात् एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग एक विशिष्ट श्रेणी है। इसमें अनुषंगियों, एसोशिएट्स और संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेश शामिल है।

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में प्रकटीकृत के रूप में 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉण्ड और डिबेंचर (ई) अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम (एफ) अन्य।

बी) अधिग्रहण लागत

प्रारंभिक तौर पर सभी निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह प्रमाणित न करें कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। अधिग्रहण के समय प्रदत्त लागत, निवेश संबंधी ब्रोकरेज और आंशिक अवधि के लिए ब्याज जैसी लागत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में डाली जाती है।

सी) वर्गों के बीच अंतरण

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों का पुनःवर्गीकरण, यदि कोई किया गया है तो, वह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। पुनःवर्गीकरण की भावी तारीख से पुनःवर्गीकरण लागू किया जाता है।

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों का पुनर्वर्गीकरण किए जाने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश आरबीआई/डीओआर/2023-24/डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24/104 दिनांक 12 सितंबर 2023 के अध्याय VI- 'श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण' के अनुसार लेखांकन विधि का उपयोग किया जाता है।

3.2 मूल्यांकन

प्रारंभिक तौर पर सभी निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह प्रमाणित न करें कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है।

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य आधारित श्रेणी (MTM) में नहीं रखकर भारत औसत अधिग्रहण लागत/ परिशोधन लागत पर रखा जाता है। हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ये आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं। "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन का लेखांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2023-24/104 डीओआर. एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के अनुसार ब्याज आय के अंतर्गत किया जाता है।



ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेशों का रख-रखाव की लागत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं हेतु खरीदे गए पास थ्रू सर्टिफिकेटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोशिएट्स में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यहास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) की यूनिट्स में बैंक के निवेश का मूल्यांकन वित्तीय विवरणों के अनुसार वीसीएफ द्वारा दर्शायी गई नेट एसेट वैल्यू या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित एनएवी का उपयोग करके किया जाता है। यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 महीने से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं हैं तो 1 रुपये प्रति वीसीएफ की दर से मूल्यांकन किया जाता है।

एएफएस और एफवीटीपीएल श्रेणियों के तहत वर्गीकृत निवेशों का उचित मूल्यांकन आवधिक आधार पर कम से कम तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। एएफएस/एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी डिस्काउंट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर ब्याज आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। रखे गए सभी अच्छे प्रदर्शन वाले निवेशों, चाहे वर्गीकरण कुछ भी हो (यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर, आदि), में लाभ और हानि को एएफएस श्रेणी के तहत संग्रहीत किया जाता है। एफवीटीपीएल के अंतर्गत धारित सभी प्रदर्शन योग्य निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि, वर्गीकरण के बावजूद (यानी, सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर, आदि), सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किए जाते हैं। इसके अलावा, एएफएस/एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं। निवल लाभ या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस-रिज़र्व नामक निधि में जमा या डेबिट किया जाता है। व्यक्तिगत प्रतिभूतियों की बुक वैल्यू निवेशों के उचित आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अद्यतन की जाती है।

अनुषंगियों, एसोशिएट्स और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर रखे जाते हैं। अनुषंगियों, एसोशिएट्स और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई डिस्काउंट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर ब्याज आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों, एसोशिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का मूल्यांकन तिमाही आधार पर किया जाता है। निवेश के मूल्य में किसी भी कमी को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है और यदि मूल्य में कमी की विपरीत स्थिति में, लाभ और हानि खाते के माध्यम में रिवर्सल दे दिया जाता है।

पुनर्गठित अग्रिम योजना के बदले प्राप्त निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। निवेश का उचित मूल्यांकन एएफएस/एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत निवेश के वर्गीकरण के अनुसार किया जाता है। पुनर्गठन योजना के तहत बैंक द्वारा अधिग्रहित और धारित इक्विटी शेयरों पर मूल्यहास की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसी लिखतों के संबंध में समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

- ए) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त प्रतिभूति रसीदों में निवेश का आकलन वित्तीय परिसंपत्ति के
- नेट बुक वैल्यू (एनबीवी) (यानी बुक वैल्यू में से प्रावधान घटाकर) और
 - एसआर के मोचन मूल्य में से, जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

बी) एससी/एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन गैर एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद संबंधित योजना में लिखतों के तहत सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन हैं, वहाँ ऐसे निवेशों के आकलन के लिए एससी/एआरसी से प्राप्त नेट एसेट वैल्यू को गिना जाता है।

सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/2024-25 29 मार्च, 2025 के अनुसार; सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूति रसीदों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, नेट बुक वैल्यू (एनबीवी) से अधिक मूल्य की वसूली की स्थिति में, बैंकों द्वारा इस संबंध में किए गए किसी किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) को ऋण अंतरित करने के वर्ष के लाभ और हानि खाते में रिवर्स किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राप्तियों में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूति रसीदें शामिल हों। एआरसी द्वारा प्रदत्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर इन लिखतों के लिए घोषित नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के आधार पर इन प्रतिभूति रसीदों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

कोटेड इक्विटी शेयर/बांड/ बैंक के पोर्टफोलियो में शामिल श्रेणी I और II एआईएफ की यूनिट्स को नियमित आधार पर 'बाजार मूल्यांकन पर आकलन' किया जाता है।

वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि, यदि लेखापरीक्षित तुलन-पत्र /वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े मूल्यांकन तारीख को लगातार 18 माह से अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो निवेशों के मूल्य ₹1 प्रति श्रेणी I और II एआईएफ हैं।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रख-रखाव की लागत पर किया जा रहा है।

बैंक निश्चित ब्याज दर और अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार शॉर्ट सेल लेनदेन करता है। शॉर्ट सेल पॉजिशन विशेष रूप से इसी उद्देश्य से खोले गए सिक्योरिटीज शॉर्ट सेल्ड (एसएसएस) खाते में परिलक्षित होती है। शॉर्ट पॉजिशन को बाजार मूल्यांकन के लिए रखा जाता है और लाभ/हानि, यदि कोई हो, उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है। शॉर्ट पॉजिशन के

निपटान से हुए लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विशेष बॉन्ड जैसे कि तेल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड, यूडीएवाय बॉन्ड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

‘लाभ/हानि के माध्यम से उचित मूल्य’ तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के कोटेड निवेशों के मूल्यांकन के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दरों हेतु फाइनैसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / कोटेड दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :--

ए	सरकारी / अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता आधारित आय पर.
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	-	नवीनतम तुलन-पत्र (तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार करने की गई वह मूल्यांकन की तारीख से पहले के 18 महीने से अधिक नहीं होगी) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, यदि कोई हो पर विचार किए बिना) अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
सी	अधिमान्नी शेयर और पास थ्रू सर्टिफिकेट (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
डी	पीएसयू बॉन्ड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
ई	म्यूचुअल फंड की यूनिट	-	फंड द्वारा प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश का निर्धारण पहचान और उसके ऊपर मूल्यहास/ प्रावधान किया जाता है। मूल्यहास के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई सीमा से ऊपर और अधिक अतिरिक्त रूप से प्रावधान सृजित करते हैं। इस तरह के अनर्जक निवेशों पर मूल्यहास प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुकाबले निर्धारित नहीं किया जा सकता। अनर्जक निवेशों पर ब्याज को लाभ और हानि खातों में तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक उनकी वास्तविक प्राप्ति नहीं हो जाती है।

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश में से जिसके दिशानिर्देश अधिक सख्त हों, वे लागू होंगे। उन शाखाओं के मामलों में, जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां ऐसे कोई दिशानिर्देश निर्दिष्ट न हो, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश लागू होंगे।

3.3 निवेशों की बिक्री

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों की

बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है तथा “परिपक्वता तक धारित” वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है।

एफएस श्रेणी में किसी डेब्ट लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिज़र्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि की राशि एफएस-रिज़र्व से अंतरित कर दी जाती है और इसे लाभ और हानि खाते में समायोजित कर दिया जाता है। एफएस के तहत नामित इक्विटी लिखत के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर विक्रय के समय कोई भी लाभ या हानि की राशि एफएस-रिज़र्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाती है। इसके बजाय, ऐसे लाभ या हानि की राशि को एफएस-रिज़र्व से पूंजी रिज़र्व में अंतरित कर दिया जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में निवेश की बिक्री या परिपक्वता पर लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में रखा जाता है।

किसी अनुषंगी, एसोशिएट या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/ बिक्री पर प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ/प्राप्तियों को मूलधन आरक्षित खाता संबंधी लाभ और हानि खाते में रखा जाता है तथा इसे लाभ हानि खाते से ‘पूँजी प्रारक्षित निधि खाता’ में समायोजित कर दिया जाता है।

3.4 रेपो / रिवर्स रेपो हेतु लेखांकन

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है [परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17/ एफ एमओडी. एमएओजी.नं./01.01.001 /2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 से संबंधी परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी. डीआईआरडी.21/14.03.038/2019-20 दिनांक 28 नवंबर, 2019 द्वारा भा.रि.बैं. के पास चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित] रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ सांपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है। रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है। लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गयी है।

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित

यील्ड में बढ़ोत्तरी के पेरे संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निर्मित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2023-24/104 डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के माध्यम से सभी बैंकों को निवेश उतार-चढ़ाव निधि (आईएफआर) बनाने हेतु निर्देशित किया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) और एफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है।

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वेप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा वायदा दर



करार शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैज और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं। बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। बैंक हेजिंग लेनदेन की शुरुआत में ही हेज की गई वस्तु (आस्ति या देयता) का निर्धारण करता है। हेज की प्रभावशीलता हेज की शुरुआत के समय और उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सुनिश्चित की जाती है।

3.7 डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन

बैंक डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार मूल्यांकन करता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। हेजेज के रूप में निर्धारित संव्यवहारों के संदर्भ में निम्नलिखित व्यवस्था का पालन किया जाता है –

- उचित मूल्य के हेज के मामले में, हेजिंग लिखतों तथा हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- नकदी प्रवाह हेजेज के मामले में, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित' के तहत प्रारक्षित और अधिशेष में निर्धारित किया जाता है तथा प्रभावी हेजिंग के संदर्भ, यदि कोई हो, के अप्रभावी हिस्से को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। प्रभावी हेजिंग के संदर्भ में नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित में संचित शेष राशि को उसी समय जब हेज किए गए आइटम के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है, लाभ और हानि खाते में रीसाइकल किया जाता है।

डेरिवेटिव्स पोजिशंस, जब तक कि हेजेज के रूप में निर्दिष्ट न हों, का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है और प्राप्त लाभ/हानि को डेरिवेटिव्स आस्तियों और देनदारियों के रूप में क्रमशः अलग-अलग पंक्तियों 'अन्य आस्तियां' और 'अन्य देयताएं' के रूप में दर्शाया जाता है। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय और व्यय दैनिक आधार पर अर्जित होते हैं। ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति तारीख पर प्राप्त लाभ/हानि को तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है। प्राप्त लाभ/हानि को क्रमशः 'अन्य आस्तियां' और 'अन्य देयताएं' में अलग-अलग पंक्ति के रूप में आस्ति और देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

बैंक एफआईडीआई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्ति/ हानियों के रूप में माना जाता है। विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया

जाएगा।

तुलन-पत्र की तिथि को 'एफआईडीआई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

4. अग्रिम

- 4.1 भारत में अग्रिमों को स्टैंडर्ड, सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अग्रिम हेतु प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।
- 4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचित ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं।
- 4.3 सतत प्रक्रिया के तहत, बैंक ने निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त प्रावधानों की व्यवस्था की है-
 - जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान।
 - एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ) का प्रावधान किया गया। प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है।
 - बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण।
 - संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रत्याभूत हैं (संपार्श्विक) तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
 - मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रेक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
- 4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्गठित खातों के संबंध में जहां बैंक को देय कुल राशि रु.1 करोड़ एवं अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है। अन्य खातों के संबंध में उचित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानतः कुल एक्सपोजर के 5% के रूप में की जाती है।
- 4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी) पर की गयी हो (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिक् प्रावधान राशि लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दी जाती है।

बैंकों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामले में और यह बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी), (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान हटा कर) पर हो तो हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो आधिक्य प्रावधान राशि रिवर्स नहीं की जाएगी बल्कि अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि/कमी को पूरा करने लिए उसका उपयोग किया जाएगा।

5. अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानों की एक पॉलिसी है। किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से केवल पॉलिसी में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां परंपरागत मूल्य [या पुनर्मूल्यांकित राशियों, जैसा भी मामला हो] में से संचित मूल्यहास और अक्षत हानियों, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया गया है। लागत में खरीद मूल्य तथा आस्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने हेतु की गई कोई खरीद लागत समाविष्ट है। जब ऐसी आस्ति का/से भविष्य में लाभ/कार्यशील दक्षता बढ़ती है तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है। अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है।

6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

चालू बाजार मूल्यांकन दर्शाने हेतु अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर किया जाता है। बैंक के स्वामित्व वाले और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, स्टाफ के आवासों आदि के रूप में उपयोग की गई सभी भूमि और बिल्डिंग को बैंक के अपने परिसरों को अचल आस्तियों की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन पर प्रारक्षित निधि के तहत पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है।

6.3 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

8. राजस्व का निर्धारण

आय (पैराग्राफ 8.2 में दी गई मदों को छोड़कर)/व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गयी है। आयकर विभाग से रिफंड आदेश/सूचना प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज बुक किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय/व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गयी है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।

8.2 गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, ब्रोकरेज आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज, शुल्क आय, सभी प्रकार के कमीशन (सरकारी कारोबार और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन के अलावा) के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

8.3 अनर्जक आस्तियों/निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।

8.4 जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टेदार अपने पास रखता है उस लीज को लेखा मानक (एएस) 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लीज पर लीज भुगतानों को लेखा मानक (एएस) 19 (लीज) के अनुसार लीज शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

8.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजन:

खातों में समय-समय पर हुई वसूलियों (जन-धन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिए:

- बैंक द्वारा सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं प्रदत्त या अदत्त व्ययों के सापेक्ष
- बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के सापेक्ष

- मूलधन के भुगतान के लिए

दावा-दायर/डिक्री खातों में वसूली को विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित अदालत के निदेशों के अनुसार।
- अदालत के विनिर्दिष्ट निदेशों के अभाव में, गैर वाद-दायर खातों पर यथा लागू।

कॉम्प्रोमाइज / एनसीएलटी समाधान के माध्यम से समझौता द्वारा वसूली: एनसीएलटी या कॉम्प्रोमाइज मंजूर खाते के माध्यम से संकल्प/समझौते के मामले में, वसूली को कॉम्प्रोमाइज मंजूरी/समाधान समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।

8.6 स्टैंडर्ड खातों में वसूलियों का विनियोजन

स्टैंडर्ड खातों में वसूली का विनियोजन दर्ज मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और जल्द से जल्द मांग को निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है।

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किए गए सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के सापेक्ष
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के सापेक्ष
- मूलधन के भुगतान के सापेक्ष



9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

9.2 उपदान (ग्रेच्युटी)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है। यह वित्तीय वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है।

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31 मार्च, 2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियां यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और शेष चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान संचित मूल्य के आधार पर किया जाता है।

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ के लिए सेवानिवृत्ति पर संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है।

10. मूल्यहास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान [पैराग्राफ 10.3 व 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा] निम्नलिखित तालिका के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यहास प्रावधान किया जाता है।

क्र. सं.	श्रेणी	मूल्यहास के प्रभावी दर	मूल्यहास प्रक्रिया
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि	18.1%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन		अवलिखित मूल्य
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे पैरा 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग हैं, पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है।

2 वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ और रु.50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

10.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर लिया जाता है।

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आस्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर आधारित होता है।

11. आस्तियों का मूल्यहास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यहास हानियों (यदि कोई हो) को आस्तियों के मूल्यहास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 28 (आस्तियों का मूल्यहास) के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यहास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। मूल्यहास हानि की पहचान वहां की जाती है जहां आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है। उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है। इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। मूल्यहास के बाद आस्तियों की शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11 लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव" के अनुरूप किया गया है।

12.2 लेखा मानक (एएस) 11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुबंधियों को गैर-एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।

12.3 बैंक विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में वायदा विनिमय अनुबंधों के उपयोग के माध्यम से अपने निवेश को हेज करता है। विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में अपने निवेश को हेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वायदा विनिमय अनुबंधों को आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव अनुबंधों से संबंधित लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार हिसाब लगाया जाता है जिसमें हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स से संबंधित लाभ और हानि उस सीमा तक सीधे इक्विटी में पहचाने जाते हैं जिस सीमा तक हेज को प्रभावी माना जाता है और हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स पर लाभ और हानि के अप्रभावी हिस्से (और हेजिंग संबंध में निर्दिष्ट किसी अनुपात) को लाभ और हानि खाते में तत्काल मान्यता दी जाती है। किसी भी निवल आस्थगित विदेशी मुद्रा लाभ और हानि अर्थात् निवल निवेश और हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स दोनों से उत्पन्न को विदेशी परिचालन के निपटान के समय लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

12.4 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर 'फेडाई' द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ- हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं से संबंधित किसी भी रिवर्सल/ भुगतान को फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार दर पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए रिवर्सल/ भुगतान किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर एवं वायदा बाज़ार संविदा दरों एवं अंतरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इंटरपोलेटेड' दरों पर बाज़ार को चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को भुनाया जाता है। इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाज़िर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12.5 गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) आस्ति एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित बंद हाज़िर दरों पर अंतरित किया जाता है।

बी) तुलन पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर और वायदा आकस्मिक देयताओं को क्रमशः बंद हाज़िर और वायदा दरों पर फेडाई द्वारा अधिसूचित और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपोलेटेड दरों पर अंतरित किया जाता है।

सी) फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित तिमाही औसत दर पर आय और व्यय का अंतरण किया जाता है।

डी) परिणामी विनिमय अंतरों को उस अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक एक अलग "फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व" खाते में जमा किया जाता है।

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानक (एएस) 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक (एएस)



20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक (एएस) 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणी में नहीं दर्शाया जाता है क्योंकि इसके फलस्वरूप ऐसी आय के निर्धारण की संभावना बन सकती है जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणी में नहीं दर्शाया जाता है क्योंकि इसके फलस्वरूप ऐसी आय के निर्धारण की संभावना बन सकती है जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती है।

16. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में मान्यता देता है।

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य जिसमें उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively from the period of change unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS AND DERIVATIVES:

The Bank is following a uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

- i) "Held to Maturity" (HTM): Held to Maturity comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity. Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds where the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.
- ii) "Available for Sale" (AFS): Available for Sale comprising Investments acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities. AFS securities inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the intent is flexible with respect

to holding to maturity or selling before maturity. Further, on initial recognition, the bank makes an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading under AFS.

- iii) "Fair Value Through Profit & Loss" (FVTPL): Fair Value Through Profit & Loss comprising Investments that do not qualify for inclusion in HTM or AFS. "Held for Trading" (HFT) are a separate sub-category within FVTPL.
- iv) "Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures": Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures comprising investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures that are in a distinct category separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) Government Securities (b) Other Approved Securities (c) Shares (d) Bonds and Debentures (e) Subsidiaries and Joint Ventures and (f) Others.

b) Cost of acquisition

All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value. Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. The reclassification are applied prospectively from reclassification date.

On reclassification of investments from one category to another category, the accounting treatment is done as per Chapter VI – Reclassification between categories in RBI master direction RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023.

3.2 Valuation

All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value.

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost / amortized cost and are not marked to market (MTM). However, they are subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as per RBI guidelines. Amortization of premium/discount on investments in the HTM category is accounted under interest income in accordance



with RBI Master Circular RBI/DOR/2023-24/104 DOR. MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023.

Investments in Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit are valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value as per RBI guidelines.

Investments in Regional Rural Banks, subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹ 1/- per VCF.

Investments categorized under AFS and FVTPL categories are fair valued on a periodical basis at least on a quarterly basis as per relevant RBI guidelines. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS/FVTPL are amortized to the interest income over the remaining life of the instrument. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS are aggregated. The net appreciation or depreciation are directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve without routing through the Profit & Loss Account. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under FVTPL are directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Further, Securities under AFS/FVTPL are subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as per RBI guidelines. The book value of individual securities is updated consequent to periodic fair valuation of investments.

All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures are held at acquisition cost. Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures are amortized to the interest income over the remaining life of the instrument. The investments in subsidiaries, associates or joint ventures are evaluated for impairment on a quarterly basis. Any diminution in the value of investment is provided by recognizing it as an expense in the Profit and Loss Account and be reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution in the value.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. The investment is fair valued as per classification of investment under AFS/ FVTPL category. Depreciation on

equity shares acquired and held by the Bank under the restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time.

- a. The investment in Security Receipts (SRs) obtained by way of NPA to SC/ARC, is recognized at lower of
 - (i) Net Book Value (NBV) (i.e. book value less Provision held) of the financial asset
 - (ii) Redemption Value of SR
- b. SRs issued by an SC/ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ARC are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from SC/ARC, is reckoned for valuation of such investments.
- c. As per RBI circular RBI/DOR/2024-25/135 DOR. STR.REC.72/21.04.048/2024-25 March 29, 2025; on guidelines for government-guaranteed security Receipts, banks are permitted to reverse any excess provision to the profit and loss Account in the year of transfer of loan to Asset reconstruction company (ARC) for the value higher than the net book value (NBV), provided the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

The quoted equity shares / bonds/ units of Category I and II AIFs in the bank's portfolio are marked to market preferably on a frequent basis.

The units are valued based on the audited results once in a year. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at Rupee 1 per Category I and II AIF.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short sale position is reflected in Securities Short sold (SSS) account, specifically created for this purpose. The short position is marked to market and profit/loss, if any, is charged to the Profit and Loss account. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, are valued based on FBIL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Fair Value through Profit and Loss" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd (FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (the date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise ₹1 per company.
c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the

related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS-Reserve and recognized in the Profit and Loss Account. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments is not transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss are transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

Profit/loss on sale or maturity of Investment in FVTPL category is recognized in profit and loss account.

Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture are recognized in the Profit and Loss Account and then appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016 and circular no. RBI/2019-20/107 FMRD.DIRD.21/14.03.038/2019-20 Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018 Dated November 28, 2019. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023, advised all banks to create an IFR.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the FVTPL (including HFT) and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency



Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the hedging transaction itself. Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and at each reporting date thereafter.

3.7 Valuation of Derivatives

The Bank values derivatives as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. For transactions designated as hedges, following treatment is followed –

- In case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognized in the Profit and Loss Account,
- In case of cash flow hedges, the changes in fair value of effective portion are recognized in Reserves and Surplus under 'Cash flow hedge reserve' and ineffective portion of an effective hedging relationship, if any, is recognized in the Profit and Loss Account. The accumulated balance in the cash flow hedge reserve, in an effective hedging relationship, is recycled in the Profit and Loss Account at the same time that the impact from the hedged item is recognized in the Profit and Loss Account.

Derivative positions, unless designated as hedges, are marked to market and the resulting profit/losses, are shown as derivative asset and liabilities as separate line "Other Assets & Other Liabilities" respectively. Income and expenditure relating to interest rate swaps are accrued on daily basis. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. The resulting profit/losses are shown as asset and liabilities as separate line items in "Other Assets & Other Liabilities" respectively.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF)/Currency Futures is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES

- 4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.
- 4.3 As constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:
 - Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
 - Provision is made on non-fund-based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund-based facility of the Borrower.
 - Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan.
 - With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision.
 - Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6-month-old.
- 4.4 In respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are ₹ 1 crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI Guidelines.
- 4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the netbook value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess

provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In the case of sales of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall not be reversed but will be utilized to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in the fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred to in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognized on an accrual basis. Interest on income tax refund is booked on receiving the refund order/s/intimation from Income Tax Department. In the case of foreign offices, income/ expenditure is recognized as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third-party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realization basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realization basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realization in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognized in Profit & Loss Account on a straight-line basis over the lease term in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

8.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts :

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution



at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees' Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to March 31, 2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after April 1, 2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		Written Down Value
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		Written Down Value
	- RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	- Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life more than 2 years and in excess of original cost in of ₹ 50,000/- is classified as Intangible asset and amortized over a period of 3 years. Other items of computer software not forming an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/ put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortized over the period of lease.

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to the latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and

Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

- 10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

- 12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non-Integral Operations. Foreign exchange operations of domestic business and Representative Offices are treated as Integral Operations and all Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non-Integral Operations.

- 12.3 The Bank hedges its investments in overseas branches and offshore banking units through use of forward exchange contracts. The forward exchange contracts used to hedge its investments in overseas branches and offshore banking units are accounted for in accordance with Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts issued by ICAI wherein gains and losses on foreign currency derivatives used as hedging instruments are recognized directly in equity to the extent that the hedge is considered to be effective and the ineffective portion of the gains and losses on the hedging instruments (and any proportion not designated in the hedging relationship) is recognized in the Profit and Loss Account immediately. Any net deferred foreign currency gains and losses, i.e., arising from both the net investment and the hedging instruments, are recognized in the Profit and Loss Account at the time of disposal of the foreign operation.

12.4 Translation in respect of Integral Operations:

- The transactions are initially recorded at a rate as per FEDAI guidelines.
- Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at rate as per FEDAI guidelines and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made is reflected in profit and loss account.
- Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

12.5 Translation in respect of Non Integral Operations:

- Assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- Foreign exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and interpolated rates for contracts of interim maturities.
- Income and expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net Investment.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.



14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the period by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

16 SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17 CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

अनुसूची-18: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणियां

Schedule-18: Notes on Account for the year ended March 31, 2025

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

A. Disclosure in terms of RBI requirements

ए-1 (ए) पूंजी

A-1(a) Capital

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र सं. S. No.	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	1,20,497.00	99,650.18
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	Additional Tier 1 capital	8,873.00	12,115.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	Tier 1 capital (i + ii)	1,29,370.00	1,11,765.18
iv)	टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital	20,929.66	17,832.81
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	1,50,299.66	1,29,597.98
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	8,74,581.96	7,94,612.77
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	13.78%	12.54%
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.79%	14.07%
ix)	टियर 2 अनुपात (टियर 2 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.40%	2.24%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (कुल पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.19%	16.31%
xi)	लीवरेज अनुपात	Leverage Ratio	6.80%	6.57%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत निम्नानुसार है: ए. भारत सरकार बी. राज्य सरकार (नाम का उल्लेख करें) सी. प्रायोजक बैंक	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) State Government (specify name) c) Sponsor Bank	63.97%	63.97%
xiii)	वर्ष के दौरान अर्जित प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य NIL	शून्य NIL
xiv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर स्थायी ऋण लिखत और अन्य कोई लिखत	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: Perpetual non-cumulative preference shares Perpetual debt instruments Any Other Instrument	शून्य NIL	शून्य NIL
xv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटी टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर स्थायी ऋण लिखत और अन्य कोई लिखत	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Perpetual non-cumulative preference shares Perpetual debt instruments Any Other Instrument	3,500	5,000



भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई/2023-24/31/ डीओआर .सीएपी. आरईसी. 4/21.06.201/ 2024-25 दिनांक 1 अप्रैल, 2024 के माध्यम से बैंकों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा रूपांतरित आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्ति को स्वीकार करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपर्युक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में संचलन का विवरण निम्नानुसार है:

RBI vide circular No. DOR.CAP.REC.4/21.06.201/2024-25 dated April 1, 2024 has given discretion to Banks to consider Revaluation reserve, foreign currency translation reserve and Deferred tax asset for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-I capital ratio. The Bank has exercised this option in above computation.

The details of the movement in the paid-up equity share capital of the Bank are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance	1034.27	1034.27
जोड़ें: जब्त किए गए शेयर	Add: Forfeited Shares	1.26	1.26
समायोजित प्रारम्भिक	Adjusted Opening	1035.53	1035.53
अधिमानी आबंटन के अनुरूप योग	Addition pursuant to Preferential allotment	-	-
स्टॉक विकल्प के प्रयोग के अनुरूप योग	Addition pursuant to stock options exercised	-	-
क्यूआईपी के अनुरूप योग	Addition pursuant to QIP	-	-
अंतिम शेष राशि	Closing Balance	1035.53	1035.53

1) चालू वर्ष-31.03.2025 के दौरान जुटाए गए आईपीडीआई/एमटीएन (विदेशी) का विवरण

1 Details of IPDI/MTN raised in (Foreign) during the current year-31.03.2025

विवरण Particulars	मूलधन राशि Principal Amount	निर्गम तिथि Date of Issue	ब्याज दर Rate of Interest
शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

पिछले वर्ष-31.03.2024 के दौरान जुटाए गए आईपीडीआई/एमटीएन (विदेशी) का विवरण

Details of IPDI/MTN raised in (Foreign) during the previous year-31.03.2024

विवरण Particulars	मूलधन राशि Principal Amount	निर्गम तिथि Date of Issue	ब्याज दर Rate of Interest
शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

2) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टियर I/ टियर II पूंजी अर्जित की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:
(राशि ₹ करोड़ में)

2) During the year ended 31 March 2025, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I/Tier II Capital, the details of which are as under:
(Amount in ₹ Cr)

लिखत Instrument	पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/Tier II/ Additional)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
INE028A08364	टियर II Tier II	28-11-2039	15 वर्ष 15 Yrs	7.41%	3,500.00
कुल Total					3,500.00

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टियर I / टियर II पूंजी अर्जित की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

लिखत Instrument	पूंजी (टियरI/ टियरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
INE028A08315	टियर II Tier II	21-12-2033	10 वर्ष 10 Yrs	7.75%	2,500.00
INE028A08331	टियर II Tier II	22-02-2034	10 वर्ष 10 Yrs	7.57%	2,500.00
कुल Total					5,000.00

During the year ended 31 March 2024, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I/Tier II Capital, the details of which are as under:

(Amount in ₹ Cr)

3) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

3) During the year ended 31 March 2025, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियरI/टियरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity Redemption	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
टियरII Tier II	INE028A09123	08-07-2024	15 वर्ष 15 years	8.54%	500.00
टियरII Tier II	INE705A08037	30-10-2024	10 वर्ष 10 years	9.15%	500.00
टियरI Tier I	INE028A08174	28-11-2024	स्थायी Perpetual	8.70%	1,650.00
टियर I Tier I	INE028A08182	18-12-2024	स्थायी Perpetual	8.99%	1,747.00
टियरII Tier II	INE028A08190	03-01-2025	10 वर्ष 10 years	7.44%	920.00
टियरII Tier II	INE705A08052	18-02-2025	10 वर्ष 10 years	8.62%	500.00
कुल Total					5,817.00

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

During the year ended 31 March 2024, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियरI/टियरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
टियरII/ Tier II	INE028A08042	01-11-2023	10 वर्ष/10 years	9.80%	1000.00
टियरII/ Tier II	INE028A08125	07-12-2023	10 वर्ष/10 years	8.42%	971.50
टियरII/ Tier II	INE028A08059	17-12-2023	10 वर्ष/10 years	9.73%	1000.00
टियरII/ Tier II	INE028A08133	20-12-2023	10 वर्ष/10 years	8.40%	240.00
टियरII/ Tier II	INE705A08029	23-12-2023	10 वर्ष/10 years	9.73%	250.00
टियरII/ Tier II	INE028A08141	10-01-2024	10 वर्ष/10 years	8.60%	285.00
टियरII/ Tier II	INE028A08158	14-02-2024	10 वर्ष/10 years	8.55%	460.00
टियरII/ Tier II	INE077A08064	26-02-2024	10 वर्ष/10 years	9.86%	780.00
कुल Total					4986.50

ए -1 (बी) आरक्षित पूंजी में कमी

वित्तीय वर्ष 2024-25, के दौरान आरक्षित पूंजी में कोई कमी नहीं हुई है (31 मार्च, 2024: शून्य)

A-1 (b) Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2024-25, there is no draw down from the reserves (March 31, 2024: Nil).

ए-2 आस्ति देयताएं प्रबंधन

A-2. Asset Liability Management

ए) आस्ति और देयताओं की निश्चित मरदों का परिपक्वता स्वरूप

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(राशि ₹ करोड़ में)

31.03.2025 को

As on 31.03.2025

(Amount in ₹ Cr)

समय सीमा Time Bucket	एक दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 Days	8-14 दिन 8-14 Days	15-30 दिन 15-30 Days	31 दिन - 2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक- 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह तक Over 3 M - Up To 6M	6 माह से अधिक - 12 माह तक Over 6 M - Up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक Over 1 Yr - Up To 3 Yr	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक Over 3 Yr - Upto 5 Yr	5 वर्ष से अधिक Over 5 Yr	कुल Total
जमा राशियाँ Deposits	16272.44 (11961.74)	56198.73 (44797.59)	27253.76 (27739.50)	69674.60 (67123.37)	80806.93 (67468.45)	79639.75 (64373.05)	103284.31 (93008.84)	259585.99 (191905.22)	297231.51 (314143.53)	84412.39 (100654.25)	397674.44 (351960.87)	1472034.85 (1335136.40)
अग्रिम Advances	4333.60 (2763.67)	4567.11 (5036.50)	13248.04 (9085.10)	22219.89 (11996.92)	26654.52 (19402.60)	60374.23 (29914.96)	87221.43 (45982.37)	133734.69 (172866.76)	481500.49 (427603.03)	182948.85 (166296.52)	192755.05 (174833.28)	1209557.90 (1065781.72)
निवेश # Investments#	1587.21 (1581.42)	93807.79 (100255.62)	3273.65 (4592.48)	11238.30 (10592.38)	9651.69 (11046.23)	10528.78 (10945.35)	18351.65 (15943.60)	50437.98 (33809.05)	63073.87 (88610.19)	23970.01 (23141.44)	95790.18 (87845.04)	381711.11 (368362.82)
उधार Borrowings	9.58 (3770.18)	34668.22 (25583.72)	272.62 (516.22)	407.64 (486.57)	1341.42 (2016.22)	610.11 (3765.70)	9794.81 (6440.76)	13091.25 (12066.27)	20060.45 (18729.80)	14948.12 (7508.87)	28511.96 (13507.96)	123716.18 (94402.26)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assets	62769.48 (30863.29)	3840.37 (5689.40)	4314.39 (2663.59)	13363.98 (10178.66)	13061.56 (15302.27)	20035.91 (18983.45)	22503.43 (23882.70)	31951.65 (23538.73)	69739.41 (84433.54)	46919.71 (36793.93)	20617.71 (22424.92)	309117.60 (254754.48)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency liabilities	9742.99 (8511.00)	33419.14 (25912.31)	9795.95 (4458.21)	15958.09 (14777.85)	17139.06 (15960.59)	15257.92 (13825.65)	27821.62 (20350.43)	37515.12 (32278.06)	43014.02 (23960.25)	22345.14 (44815.57)	36992.85 (35664.86)	269001.90 (240314.77)

• कोष्ठक में दिखाये गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं।

• Figures in bracket denote previous year numbers

• आस्तियों और देयताओं का वितरण बैंक के "समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2025" के अनुसार किया गया है।

• The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2025" of the Bank.

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों (कार्यनीतिक निवेशों को छोड़कर) को 50% हेयरकट पर माना गया है, जो 31.03.2025 तक ₹ 276.46 करोड़ (31.03.2024 तक ₹ 366.32 करोड़) है और विभिन्न एक्सचेंजों के साथ रखे गए डिफॉल्ट फंड मार्जिन को छोड़कर, जो 31.03.2025 तक ₹ 3410.88 करोड़ (31.03.2024 तक ₹ 1087.70 करोड़) है।

Listed Equity Investments (except Strategic Investments) have been considered at 50% haircut as per RBI directions which amounts to ₹ 276.46 crore as of 31.03.2025 (₹ 366.32 crore as of 31.03.2024) and excluding default fund margin placed with various exchanges which amounts to ₹ 3410.88 Crore as on 31.03.2025 (₹ 1087.70 Crore as on 31.03.2024).



बी) चलनिधि कवरेज अनुपात **b) Liquidity Coverage Ratio**
ए-2 बी(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण **A-2 b(i) Quantitative Disclosure**
अनुलग्नक बी **Annexure B**

(राशि ₹ करोड़ में)
(Amount in ₹ Cr)

समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure	बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda	मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2025		दिसंबर 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2024		सितंबर 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2024		जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2024		मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2024	
		कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्वैलएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		301971.76		295791.36		292654.21		292746.56		274901.25
कैश आउटफ्लो / Cash Outflows											
2	रिटेल जमा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों की जमाएं जिसमें से: Retail deposit and deposits from small business customers, of which:	859541.42	77447.48	844693.55	76078.40	827864.28	74809.20	817578.12	77343.13	787307.53	74384.46
(i)	स्थिर जमाएं Stable Deposits	170133.31	8506.67	167819.11	8390.96	159544.43	7977.22	88293.63	4414.68	86925.83	4346.29
(ii)	घटाएं स्थिर जमाएं Less Stable Deposits	689408.11	68940.81	676874.44	67687.44	668319.85	66831.98	729284.49	72928.45	700381.70	70038.17
3	गैर जमानती होलसेल निधियन जिसमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	294069.69	175931.87	274254.90	164335.49	252815.00	155652.02	255674.23	153239.55	244471.96	146860.74
(i)	परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां) Non-operational deposits (all counterparties)	294069.69	175931.87	274254.90	164335.49	252815.00	155652.02	255674.23	153239.55	244471.96	146860.74
(iii)	गैर जमानती कर्ज Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जमानती होलसेल निधियन Secured wholesale Funding	37945.23	31.91	41487.96	0.00	32085.94	0.00	29488.78	0.00	41767.33	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें से Additional requirements, of which	262473.80	24686.67	262160.96	25088.75	277707.61	26065.12	256407.38	25990.71	202275.30	23288.15
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपादिक आवश्यकताओं से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	519.20	519.20	41.46	41.46	0.84	0.84	874.91	874.91	874.91	874.91

(राशि ₹ करोड़ में)
(Amount in ₹ Cr)



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure		मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2025	दिसंबर 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2024	सितंबर 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2024	जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2024	मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2024
बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda		कुल रै भरित मूल्य Total Unweighted Value	कुल रै भरित मूल्य Total Unweighted Value	कुल रै भरित मूल्य Total Unweighted Value	कुल रै भरित मूल्य Total Unweighted Value	कुल रै भरित मूल्य Total Unweighted Value
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	261954.60	262119.50	277706.77	26064.28	201400.39
6	अन्य संचिदात्मक निधियन दायित्व Other contractual funding obligations	7072.28	7655.97	7407.02	6372.99	6879.03
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other contingent funding obligations	88831.90	87468.46	87583.59	2627.51	92251.56
8	कुल नकद आउटफ्लो TOTAL CASH OUTFLOWS	1549934.32	1517721.80	1485463.44	266560.87	1374952.71
9	कैश इनफ्लो / Cash Inflows	495.98	1173.40	439.04	-	170.31
10	जमानती ऋण (उदाहरण, रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	54104.99	44068.59	43975.08	33773.85	40808.38
11	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से इनफ्लो Inflows from fully performing exposures	3452.22	5783.73	5965.39	5867.29	4509.22
12	अन्य नकद इनफ्लो Other cash inflows	58053.19	51025.72	50379.51	39641.14	45487.91
	कुल नकद इनफ्लो TOTAL CASH INFLOWS					
		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA	3,01,971.76	2,95,791.36	2,92,654.21	2,92,746.56	2,74,901.25
14	कुल नेट नकद आउटफ्लो TOTAL NET CASH OUTFLOWS	2,40,285.85	2,35,752.47	2,26,919.73	2,30,513.12	2,19,219.55
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)	125.67%	125.47%	128.97%	127.00%	125.40%

नोट: ऊपर उल्लिखित लिक्विडिटी कवरेज अनुपात जनवरी-मार्च 25 तिमाही के लिए 69 कार्य दिवसों का दैनिक औसत है।

Note: The Liquidity Coverage Ratio mentioned above is the daily average of 69 working days for the quarter Jan-Mar 25.

ए- 2 बी (ii) गुणात्मक प्रकटीकरण :

01 जनवरी, 2015 से बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि अत्यधिक चलनिधि संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसे नकदी में परिवर्तित किया जा सके। एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रतः बैंक स्तर पर लागू है अर्थात् शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से समेकित आधार पर अर्थात् घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे।

एलसीओआर के दो घटक हैं:

- दबावग्रस्त स्थितियों में उच्च-गुणवत्ता तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य
- कुल निवल नकद आउटफ्लो: लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद आउटफ्लो' में से 'कुल अनुमानित नकद इनफ्लो' को घटाकर 'कुल निवल नकद आउटफ्लो' परिभाषित होता है

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद आउटफ्लो}} \geq 100\%$$

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है। दिनांक 01 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 09 जून 2014 के अनुसार बैंक को 01 जनवरी 2019 से न्यूनतम एलसीआर 100% बनाए रखना होगा।

एचक्यूएलए की संरचना

चलनिधि की सुविधा के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात मार्च 2025, को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात् 65.05% है उसके बाद न्यूनतम एसएलआर आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जो कि एचक्यूएलए का 13.09% है। स्तर 2 की आस्तियाँ, जो स्तर 1 की आस्तियाँ की तुलना में गुणवत्ता में कम हैं, उन्हें शून्य माना गया क्योंकि उनकी विपणन योग्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

A-2 b)(ii) Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity requirements for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1st January 2015 on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

- The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.
- Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

$$\text{LCR} = \frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq 100\%$$

As per the RBI guidelines dated 31st March 2014, the Bank has made LCR disclosure on solo basis from the financial year ending March 2016. In terms of extant guidelines, disclosure on consolidated basis was applicable to the Indian banking system from 1st January 2016. Starting from January 2017, the bank had to disclose LCR on daily average basis. Hence the bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level since March 2017. As per the RBI guidelines on LCR dated 9th June 2014, the bank has to maintain minimum LCR of 100% with effect from January 01, 2019.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2025, Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e. 65.05% followed by Government Securities in excess of minimum SLR requirement which constitute 13.09%. Level 2 assets which are lower in quality compared to Level 1 assets, considered as zero as their marketability could not be ascertained.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए) High Quality Liquid Assets (HQLAs)	समेकित आधार पर एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA at consolidated basis
लेवल 1 आस्तियाँ Level 1 Assets	
हाथ में नकदी Cash in hand	1.33%
आधिक्य सीआरआर शेष Excess CRR balance	9.29%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities in excess of minimum SLR requirement	13.09%
एमएसएफ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियाँ (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक) Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	8.57%



बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क-वेट वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियाँ (मेमो क.सं. 1 के अंतर्गत देशवार विवरण) Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	2.66%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि हेतु सुविधा (वर्तमान में एफएलएलसीआर के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 16.00 प्रतिशत सीमा तक) Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (presently to the extent of 16.00 per cent of NDTL as allowed for FALLCR)	65.05%
कुल समायोजित लेवल 1, आस्तियां Total Adjusted Level 1 Assets	100.00%
कुल समायोजित लेवल 2ए आस्तियां Total Adjusted Level 2A Assets	0.00%
कुल समायोजित लेवल 2बी आस्तियां Total Adjusted Level 2B Assets	0.00%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी - 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजित - 40% उच्चतम सीमा के लिए समायोजित.. Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B - Adjustment for 15% cap - Adjustment for 40% cap	100.00%

एलसीआर के प्रमुख वाहक:

समेकित आधार पर बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान 100% की न्यूनतम एलसीआर विनियामक आवश्यकता पर रु. 3,01,971.76 करोड़ की औसत आवश्यकता के सापेक्ष रु. 2,40,285.85 करोड़ एचक्यूएलए (मार्जिन के बाद) को बनाए रखा था। एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एलसीआर के आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियों, मार्जिनल स्टैण्डिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की सुविधा प्राप्त करने पर आधारित है। इसके अलावा, एचक्यूएलए के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास एक्सेस सीआरआर तथा विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। लेवल-2 एच क्यू एल ए में मुख्य रूप से एए-एवं अधिक रेटिंग प्राप्त कारपोरेट बॉन्ड एवं कमर्शियल पेपर शामिल हैं।

अंतः अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन :

100% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष में दिसंबर 2024 तथा मार्च 2025 में समेकित आधार पर एलसीआर क्रमशः 130.71% तथा 123.17% था।

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है। 31 मार्च, 2025 को कोई महत्वपूर्ण काउंटर पार्टी जमाराशि नहीं थी।

एक 'महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद' को समान लिखतों / उत्पादों के समूह के एकल लिखत/ उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है। निधियन लिखतों/ उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां, जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घवधि बॉन्ड इत्यादि। 31 मार्च 2025 तक घरेलू परिचालनों के महत्वपूर्ण लिखत / उत्पाद, होलसेल जमाराशि अर्थात् वैश्विक देयताओं का 10.73%, रिटेल मीयादी जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 27.90% मांग जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 4.93%, बचत जमाराशियों अर्थात् वैश्विक देयताओं का 22.94% और जमा प्रमाणपत्र अर्थात् वैश्विक देयताओं का 3.24% थे।

वैश्विक परिचालनों में बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं का हमारी कुल जमाराशियों में 4.39% हिस्सा है।

Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended March 31, 2025, had maintained average HQLA (after haircut) of Rs. 3,01,971.76 Crs as against the average minimum requirement of Rs. 2,40,285.85 Crs for maintaining regulatory minimum LCR at 100%. The HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI and other overseas central banks, securities issued by foreign sovereigns are important factors of HQLA. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

Intra-period changes as well as changes over time:

LCR on consolidated basis were 130.71% and 123.17% for the month ended December 2024 and March 2025 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of funding sources

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. There was no significant counterparty Deposit as of 31st March 2025.

A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of a group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Significant instrument/product of Domestic Operations as of 31st March 2025 were Wholesale Deposits i.e. 10.73% of Global Liabilities, Retail Term Deposits i.e. 27.90% of Global Liabilities, Demand Deposits i.e. 4.93% of Global Liabilities, Savings Deposits i.e. 22.94% of Global Liabilities and Certificate of Deposits i.e. 3.24% of Global Liabilities.

Top 20 depositors of the bank at domestic operations constitute 4.39% of our total deposits of Global Operations.

एलसीआर में मुद्रा मिसमैच:

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, जहां केवल एक ही मुद्रा के लिए एलसीआर मानक का अनुपालन आवश्यक है, वहीं संभाव्य मुद्रा- मिसमैच पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक मुद्रा की निगरानी आवश्यक है। तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रुपये में एलसीआर सुनिश्चित कर रहा है और उसकी तुलना नियामक आवश्यकताओं के साथ की जाती है, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं (महत्वपूर्ण मुद्रा उसे कहते हैं जहां उस मुद्रा में दर्शायी गई कुल देयताएं, बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक होती है) के संबंध में बैंक "बीएलआर -4- एलसीआर" के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने हेतु एलसीआर तैयार करता है और इसकी निगरानी करता है। बैंक के लिए यूएसडी डॉलर महत्वपूर्ण मुद्रा है।

बैंक के समग्र तुलन-पत्र को ध्यान में रखते हुए समेकित स्तर पर अमेरिकी डॉलर के आउटफ्लो का प्रभाव न्यूनतम है। यूएसडी टैरिटर्रीज में आउटफ्लो का प्रबंधन टैरिटर्री स्तर से किया जाता है और घरेलू परिचालन का प्रबंधन घरेलू ट्रेजरी द्वारा किया जाता है। घरेलू ट्रेजरी के संबंध में बैंक स्तर पर पर्याप्त एचक्यूएलए बनाए रखा जाता है।

डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल

31 मार्च, 2025 को बैंक का डेरिवेटिव एक्सपोजर निम्नानुसार है-

क्र.सं.	विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)
1.	डेरिवेटिव्स एक्सपोजर की अनुमानित राशि	6,37,472.21
2.	वर्तमान एक्सपोजर प्रक्रिया के अनुसार एक्सपोजर	16,103.55
3.	अगले 30 दिनों के लिए निवल डेरिवेटिव्स नकदी आउटफ्लो	(195.52)

चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण के स्तर तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद का विवरण:

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है। निदेशक मंडल ने अपनी यह जिम्मेदारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल' और "आस्ति देयताएं प्रबंधन समिति (एलसीओ)" कहा जाता है, को सौंपी है। आरएमसीबी/ एलसीओ विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

हमारे बैंक में ए.एल.एम. पॉलिसी ग्रुप है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए बृहद दिशा निर्देश देता है। विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां क्षेत्रीय एलएम पॉलिसी एवं समूह एलएम पॉलिसी, दोनों के अनुरूप अपनी परिचालन चल निधि या अल्पावधि चल निधि को लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबंध कर लेती है।

ए.एल.एम. समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशानिर्देश, जब तक कि विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते हैं। बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चल निधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबंध करती हैं। चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं, अतः वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते हैं। वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों-इनमें से जो ज्यादा सख्त हैं, उनके अनुसार कार्य करती हैं।

सी) निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से प्रकटीकरण के साथ समेकित स्तर पर 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार, बैंक समेकित एनएसएफआर की गणना कर रहा

Currency mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency. In order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement, but on other significant currencies (A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities), bank is preparing LCR on monthly basis for the submission to RBI under "BLR-4 – LCR" and to monitor the same. For the bank, USD currency is the significant currency.

Considering the overall balance sheet of the bank, the impact of USD outflows at consolidated level is minimal. The outflows in USD of territories are managed by territory level and that of domestic operations are managed at domestic treasury where adequate HQLA is maintained at Bank level.

Derivative exposures and potential collateral calls:

The bank's derivative exposure as on 31st March 2025 is as under:

S.No.	Description	(Amt in ₹ Crore)
1	Notional amount of Derivative exposure	6,37,472.21
2	Exposure as per current Exposure method	16,103.55
3	Net Derivatives cash outflows for next 30 days	(195.52)

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board" and "Asset Liability Management Committee (ALCO)". The RMCB/ ALCO is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank manage their operational liquidity on an ongoing basis on their own according to their business models and liquidity requirements. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent.

c) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing



है। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर वित्त पोषण (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) को फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है। आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर सहित बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं का एक कार्य है।

इसके साथ संलग्न तालिका में लेखापरीक्षित वित्तीय के आधार पर 31 मार्च, 2025 तक एनएसएफआर घटकों का गैर-भारित और भारित मूल्य निर्धारित किया गया है।

समेकित स्तर पर, बैंक का एनएसएफआर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 100% की आवश्यकता के सापेक्ष 31 मार्च 2025 तक 123.22% हो गया।

महत्वपूर्ण/ प्रमुख वाहक:

पूंजी, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक और व्होलसेल फंडिंग उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) के महत्वपूर्ण वाहक हैं। संबद्ध भार लागू करने के बाद उपलब्ध स्थायी फंडिंग का पूंजी में 13% रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहक की जमाराशियां का 63% और होलसेल जमाराशियां 24% शामिल हैं।

कुल अपेक्षित स्थिर फंडिंग मुख्य रूप से ऋण और प्रतिभूतियों के निष्पादन द्वारा संचालित होती है, जिसमें विभिन्न हितधारकों जैसे रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक, आवासीय बंधक का निष्पादन और उन प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं जो एचक्यूएलए के रूप में पात्र नहीं हैं। संबंधित भार लागू करने के बाद ये सम्मिलित रूप से कुल आरएसएफ का 72.53% हैं।

अंतः अवधि परिवर्तन:

समेकित स्तर पर एनएसएफआर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, मार्च 2025 की स्थिति 123.22% रही, जबकि मार्च 2024 में यह स्थिति 123.63% थी। इस अवधि के दौरान, भारित एसएफ में ₹1,30,306 करोड़ की वृद्धि हुई और भारित आरएसएफ में ₹1,02,317 करोड़ की वृद्धि हुई।

the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

Available Stable Funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

The table attached herewith sets out the un-weighted and weighted value of the NSFR components as on 31st March 2025 based on audited financials.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 123.63 % as on 31st March 2025 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

Significant /Key Drivers:

The significant drivers of Available Stable Funding (ASF) are Capital, Retail & small business customer deposits & wholesale funding. The capital constitutes 13%, Retail deposits & small business customer deposits constitute 63% & wholesale deposits constitute 24% of Available Stable Funding after applying associated weights.

The Total Required Stable Funding is mainly driven by performing loans and securities which include financing various stake holders such as retail and small Business customers, non-financial corporate clients, performing residential mortgages and Investment in securities that do not qualify as HQLA. These together constitute for 72.53% of total RSF after applying the associated weights.

Intra Period Changes:

There was no significant change in NSFR at consolidated level as on March 2025 position at 123.63% as against March 2024 position of 123.22%. During the period, weighted ASF increased by ~ ₹ 1,30,306 Crore & weighted RSF increased by ~ ₹ 1,02,317 Crore

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

एनएसएफआर प्रकटीकरण प्रारूप NSFR Disclosure Template						
विवरण Particulars		गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
एसएफ मर्दे ASF Item						
1	पूंजी : (2+3) Capital: (2+3)	1,51,212.53	-	-	11,400.00	1,62,612.53
2	विनियामक पूंजी Regulatory capital	1,51,212.53	-	-	11,080.00	1,62,292.53
3	अन्य पूंजीगत लिखत Other capital instruments	-	-	-	320.00	320.00

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

एनएसएफआर प्रकटीकरण प्रारूप NSFR Disclosure Template						
विवरण Particulars		गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
4	रिटेल जमा और जमा लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	4,11,601.59	1,96,479.54	1,86,267.30	85,513.35	8,00,762.88
5	स्थिर जमाराशि Stable deposits	71,150.78	45,654.60	43,193.90	17,746.28	1,68,858.28
6	घटाएँ स्थिर जमाराशियाँ Less stable deposits	3,40,450.81	1,50,824.95	1,43,073.40	67,767.07	6,31,904.60
7	होल सेल फंडिंग: (8+9) Wholesale funding: (8+9)	1,02,650.52	1,69,954.32	1,29,860.61	1,13,464.51	3,08,650.47
8	परिचालनगत जमा Operational deposits	-	152.43	-	-	76.22
9	अन्य होल सेल फंडिंग Other wholesale funding	1,02,650.52	1,69,801.89	1,29,860.61	1,13,464.51	3,08,574.25
10	अन्य देयताएँ : (11+12) Other liabilities: (11+12)	18,422.27	2,41,051.79	269.59	48.23	0.00
11	एनएसएफआर डेरीवेटिव देयताएँ NSFR derivative liabilities	-	22.32	-	-	-
12	अन्य सभी देयताएँ और इक्विटी जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	18,422.27	2,41,029.47	269.59	48.23	-
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					12,72,025.88
आरएसएफ मदें RSF Item						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियाँ (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					15,157.92
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	31.14	3,128.56	-	-	1,579.85
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियाँ: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	-	2,32,807.54	1,49,645.98	7,78,934.52	7,68,457.36
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादक ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	1,010.14	-	-	101.01
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों को गैर जमानती निष्पादक ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	91,712.99	39,108.06	-	33,309.33
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक, रिटेल तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, सोवरेन, केंद्रीय बैंकों तथा पीएसई को ऋण देना जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	1,28,678.93	90,703.97	5,78,362.59	5,67,971.00
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	73,856.27	77,938.42	1,65,603.87	1,83,331.98
21	आवासीय मॉर्गेज का निष्पादन जिसमें से Performing residential mortgages, of which:	-	11,405.48	11,114.41	1,63,538.95	1,31,238.20
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	7,040.68	7,023.21	95,108.51	68,844.33



एनएसएफआर प्रकटीकरण प्रारूप NSFR Disclosure Template						
विवरण Particulars		गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एचक्व्यूएलए के लिए पात्र नहीं हैं, एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities	-	-	8,719.55	37,032.99	35,837.81
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	41686.94	1154.94	0.00	185413.65	228255.54
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	लागू नहीं NA	-	-	-	-
26	डेरिवेटिव करारों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		-	-	-	-
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		149.55	-	-	149.55
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		159.39	-	-	159.39
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	41,686.94	846.00	-	1,85,413.65	2,27,946.60
30	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम Off-balance sheet items	लागू नहीं NA	3,38,699.88	6.97	1,950.37	15,420.53
31	कुल आरएसएफ Total RSF					10,28,871.19
32	निवल स्थिर निधि अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					123.63%

ए-3 निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो का संघटन

A-3 Investments

a) **Composition of Investment Portfolio**

31, मार्च 2025 के अनुसार As at 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

[illegible]

*भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा अर्थात 10% से अधिक निवेश के लिए रु 4.64 करोड़ के मानक निवेश पर प्रावधान शामिल है।

Note: Bank does not mark to market investment in subsidiaries and/or Joint Ventures as per the new valuation guidelines.

ए-3 निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो का संघटन

A-3 Investments

a) Composition of Investment Portfolio

31 मार्च 2024 के अनुसार As at 31.03.2024

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	भारत में निवेश Investments in India				भारत से बाहर निवेश Investments outside India			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	अनुषंगिक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	भारत से बाहर कुल निवेश Total Investments outside India
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity								
सकल Gross	2,54,884.18	-	5.29	-	3,466.78	206.45	2,58,562.70	2,60,618.59
घटाएँ : अनुरक्त निवेश के लिए प्राक्धान (एनपीआई) Less: Provision for non- performing investments (NPI)	-	-	5.29*	-	-	-	5.29	5.29
निवल Net	2,54,884.18	-	-	-	3,466.78	206.45	2,58,557.41	2,60,613.30
विक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale								
सकल Gross	66,837.43	1.41	3,628.23	26,076.37	-	889.34	97,432.78	1,12,890.92
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्राक्धान Less: Provision for depreciation and NPI	394.84	-	1,470.12	860.76	-	564.30	3,290.02	4,511.59
निवल Net	66,442.59	1.41	2,158.11	25,215.61	-	325.04	94,142.76	1,08,379.33
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading								
सकल Gross	822.20	-	2.02	-	-	-	824.22	824.22
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्राक्धान Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01
निवल Net	822.20	-	2.01	-	-	-	824.21	824.21
कुल निवेश Total Investments	3,22,543.81	1.41	3,635.54	26,076.37	3,466.78	1,095.79	3,56,819.70	3,74,333.73
घटाएँ : अनुरक्त निवेश के लिए प्राक्धान Less: Provision for non- performing investments	-	-	5.29	-	-	-	5.29	221.56
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्राक्धान Less: Provision for depreciation and NPI	394.84	-	1,470.13	860.76	-	564.30	3,290.03	4,295.33
निवल Net	3,22,148.97	1.41	2,160.12	25,215.61	3,466.78	531.49	3,53,524.38	3,69,816.84

*भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा अर्थात् 10% से अधिक निवेश के लिए रु 4.64 करोड़ के मानक निवेश पर प्राक्धान शामिल है।

*Includes provision on Standard Investment of Rs. 4.64 crores due to Investment above prescribed limit of RBI i.e. 10%.



(बी). निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि और मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2025 31.03.2025	31 मार्च 2024 31.03.2024
i)	निवेश पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(ए) a)	प्रारंभिक शेष Opening balance	4516.89	5704.21
(बी) b)	संक्रमणकालीन समायोजन का प्रभाव - आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण Impact of Transitional Adjustment - Transfer to General Reserve as per new RBI guidelines	2358.60	-
(सी) c)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	196.96	96.19
(डी) d)	जोड़ें / (घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Add / (Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	(1.84)	19.13
ई) e)	घटाएं : बट्टे खाते डाले गए/वर्ष के दौरान/ अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Less: Write off / write back of excess provisions during the year/ exchange reval adjustment	175.51	1302.64
एफ) f)	अंतिम शेष राशि Closing balance	2177.90	4516.89
ii)	निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि का संचलन Movement of Investment Fluctuation Reserve		
(ए) a)	प्रारंभिक शेष Opening balance	2420.00	2420.00
(बी) b)	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि Add: Amount transferred during the year	-	-
(सी) c)	(घटाएं): कमी Less: Drawdown	-	-
(डी) d)	अंतिम शेष Closing balance	2420.20	2420.00
iii)	एएफएस और एचएफटी/ वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष राशि के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.16%	2.13%

नोट: उपरोक्त आंकड़े परिपक्व निवेश को छोड़कर हैं। आरबीआई के नए मूल्यांकन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के कारण ये आंकड़े तुलनीय नहीं हैं।

Note: Figures above are excluding Matured Investments. The figures are not comparable due to implementation of new RBI valuation guidelines.

सी) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी को /से बिक्री एवं अंतरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री/ अंतरण का मूल्य, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश का बही-मूल्य 5.0% से अधिक नहीं रहा। एचटीएम श्रेणी में/ से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण में प्रतिभूतियों का एक बारगी अंतरण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप एसएलआर धारिताओं को कम करने के लिए एचटीएम से सीधे बिक्री, ओपेन मार्केट परिचालन कार्रवाई और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत आरबीआई को बिक्री और बायबैक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एवं संबंधित राज्य सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद या स्वच परिचालन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण शामिल नहीं है।

c) Sales and transfer to/from Held to Maturity (HTM Category)

During the year ended March 31, 2025, the value of sales/transfers of securities to/from HTM category did not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. In accordance of RBI guidelines Sales and transfers of securities to/ from HTM category does not include one-time transfer of securities, direct sales from HTM for bringing down SLR holdings consequent to a downward revision in SLR requirements by RBI, sales to RBI under open market operation auctions and government securities acquisition program, repurchase of government securities by Government of India and state development loans by concerned state government under buyback or switch operations and additional shifting of securities explicitly permitted by RBI.



डी) गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

I. अनर्जक एसएलआर निवेश

d) Non-SLR investment portfolio

I. Non-performing non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2025	31.03.2024
a)	प्रारंभिक शेष राशि Opening balance	2,483.32	3,141.57
b)	वर्ष के दौरान 01 अप्रैल से जोड़े Additions during the year since 1st April*	63.78	147.34
c)	उक्त अवधि के दौरान कमी Reductions during the above period	254.57	811.54
d)	विनिमय अंतर Exchange Difference	9.97	5.95
e)	अंतिम शेष राशि Closing balance	2,302.50	2,483.32
f)	कुल धारित प्रावधान Total provisions held	2,170.12	2,139.11

नोट: उपरोक्त आंकड़े परिपक्व निवेश को छोड़कर हैं

Note: Figures above are excluding Matured Investments.

II. गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक

II. Issuer composition of Non-SLR Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		मार्च/ Mar-25	मार्च/ Mar-24	मार्च/ Mar-25	मार्च/ Mar-24	मार्च/ Mar-25	मार्च/ Mar-24	मार्च/ Mar-25	मार्च/ Mar-24	मार्च/ Mar-25	मार्च/ Mar-24
a)	पीएसयू PSUs	3,745.27	4,610.33	2,114.17	1,666.63	-	217.77	-	141.12	-	-
b)	एफआई FIs	13,115.86	17,316.23	9,368.81	8,962.28	-	10.08	-	-	-	-
c)	बैंक Banks	17,776.40	8,714.07	7,721.25	2,334.90	-	15.00	30.92	113.58	30.92	113.58
d)	निजी कार्पोरेट Private Corporates	5,974.63	6,498.88	4,106.19	4,117.62	422.29	643.76	637.10	1,629.38	379.51	1,198.63
e)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम* Subsidiaries/ Joint Ventures*	6,839.10	5,501.10	6,522.67	5,501.10	-	-	-	-	-	-
f)	अन्य Others**	33,607.26	30882.93	23,369.22	22,830.82	-	-	425.77	528.79	764.58	547.86
g)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान Provision held towards depreciation	2,177.90	4,132.28								
	कुल Total **	78,880.62	69,391.27	53,202.31	45,413.35	422.29	886.61	1093.79	2,412.87	1,175.01	1860.07

* विदेशी अनुषंगियों में ₹ 2,034.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,034.31 करोड़) के निवेश को शामिल किया गया है।

** राज्य सरकार के गैर-एसएलआर बांड में ₹ 150.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 239.03 करोड़), भारत सरकार के गैर-एसएलआर रिकैप बॉण्ड में ₹ 21,496.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 21,496.00 करोड़) के निवेश शामिल हैं।

* Includes Investments in Overseas Subsidiaries of ₹ 2,034.31 Crores (Previous Year ₹ 2,034.31 Crores)

** Includes in State Gov Non SLR bonds of ₹ 150.17 Crores (Previous Year ₹ 239.03 Crores), investments in GOI Non- SLR Recap Bonds of ₹ 21,496.00 Crores (Previous Year ₹ 21,496.00 Crores)

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2023-24-90 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.58/21.04.048/2023-24 दिनांक 19 दिसंबर, 2023 और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2023-24/140 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.85/21.04.048/2023-24 दिनांक 27 मार्च, 2024 "वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश के अनुसार, बैंक ने एआईएफ में निवेश पर ₹7.78 करोड़ का प्रावधान किया है।

ई) रेपो संव्यवहार: (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

As per RBI Circular RBI/2023-24-90 DOR.STR. REC.58/21.04.048/2023-24 Dated December 19, 2023 and RBI circular RBI/2023-24/140 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 Dated March 27, 2024 on "Investments in Alternate Investment Funds (AIFs), the Bank holds a provision of ₹ 7.78 crore on investments in AIFs.

e) Repo Transactions: (in Market value terms as well as Face value terms) -

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2025:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year		31 मार्च, 2025 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2025	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo								
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	0.00	0.00	38587.99	39102.76	7726.50	7731.68	30353.29	30821.09
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	2598.44	2562.11	4250.86	4004.26	3527.80	3453.35	2598.44	2546.72
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo								
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	0.00	0.00	10226.89	9745.73	354.43	341.39	0.00	0.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2024:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year		31 मार्च, 2025 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2025	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo								
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	102.59	101.24	20801.41	20648.76	3830.40	3794.25	9608.33	9647.07
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	975.84	878.90	4294.60	4167.50	2754.30	2656.76	4294.60	4167.50
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year		31 मार्च, 2025 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2025	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo								
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	-	10797.98	11033.09	151.84	150.92	-	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

एफ) त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार ऐसे रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार हैं जिसमें एक त्रिपक्षीय एजेंट रेपो / रिवर्स रेपो की दोनों पार्टियों के बीच संव्यवहार साइकल के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान एवं निपटान तथा रख-रखाव और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है। ऋण अथवा उधार ली गई धनराशि की गणना नीचे दिए गए टेबल के हिसाब से की गई है।

f) Triparty repo / reverse repo transactions are repo / reverse repo transactions where a triparty agent acts as an intermediary between the two parties to the repo / reverse repo to facilitate services such as collateral selection, payment and settlement and custody and management during the life of the transaction. The details of triparty repo / reverse repo transactions undertaken by the Bank during the year ended March 31, 2025 are given below. Amount of funds borrowed or lent have been reckoned for the purpose of the below table.

31 मार्च, 2025 को As on 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2025 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2025
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	4,131.79	50,269.22	28,386.56	4,131.79
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	4,223.33	178.08	1,010.14
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-

31 मार्च, 2024 को As on 31.03.2024

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2025 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2025
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	8901.22	63988.16	50845.05	16066.29
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	850.18	8.74	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-

जी) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)। 31 मार्च 2025 के अनुसार : Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms). As at 31st March 2025 & 2024:

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily average outstanding during the year		कुल वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा Total volume of transactions during the year		31 मार्च, 2025 को बकाया शेष Outstanding as on	
	वित्त वर्ष FY 2024-25	वित्त वर्ष FY 2023-24	वित्त वर्ष FY 2024-25	वित्त वर्ष FY 2023-24	वित्त वर्ष FY 2024-25	वित्त वर्ष FY 2023-24	वित्त वर्ष FY 2024-25	वित्त वर्ष FY 2023-24	31.03.2025	31.03.2024
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

एच) एसएलआर निवेश

h) SLR Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025		31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	
	बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value	बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value
सरकारी प्रतिभूतियाँ एसएलआर (सीजी, एसजी और टीबी) * Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	3,06,462.53	3,06,462.53	3,00,808.76	3,00,424.63
अनुमोदित प्रतिभूतियाँ - एसएलआर Approved sec-SLR	55.27	55.27	1.41	1.41

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/बीएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियाँ आदि शामिल हैं

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / BSE / NSE, etc

आई) मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ

i) Securities kept as margin

मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के विवरण निम्नानुसार है :

The details of securities that are kept as margin are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 31 को अंकित मूल्य Face value as at March 31	
		2025	2024
i.	भारतीय समाशोधन निगम के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities kept as margin with Clearing Corporation of India towards:		
	ए) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - प्रतिभूति सेगमेंट a) Collateral and funds management - Securities segment	2950.00	600.00
	बी) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - संपार्श्विक ऋण एवं उधार दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट / त्रिपक्षीय रेपो b) Collateral and funds management - Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) segment / Triparty Repo	-	-
	सी) चूक निधि - फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट c) Default fund - Forex Forward segment	267.69	127.69
	डी) चूक निधि - विदेशी मुद्रा निपटान सेगमेंट d) Default fund - Forex Settlement segment	51.92	31.92
	ई) चूक निधि - रुपी डेरिवेटिव्स (गारंटीड निपटान) सेगमेंट e) Default fund - Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segment	13.36	13.36
	एफ) चूक निधि - प्रतिभूति सेगमेंट f) Default fund - Securities segment	15.00	7.00
	जी) चूक निधि - सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट g) Default fund - CBLO / Triparty repo segment	22.40	22.40



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 31 को अंकित मूल्य Face value as at March 31	
		2025	2024
ii	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with the RBI towards:		
	ए) रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) a) Real Time Gross Settlement (RTGS))	-	-
	बी) रेपो संव्यवहार b) Repo transactions	-	-
	सी) रिवर्स रेपो संव्यवहार c) Reverse repo transactions	-	-
iii	एनएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम (एनएससीसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with National Securities Clearing Corporation of India (NSCCIL) towards NSE Currency Derivatives segment.	79.00	249.00
iv	बीएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Indian Clearing Corporation Limited towards BSE Currency Derivatives segment	1.00	1.00
v	एमसीएक्स मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय मेट्रोपॉलिटन समाशोधन निगम के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Metropolitan Clearing Corporation of India towards MCX Currency Derivatives segment.	0.10	0.10
vi	इक्विटी निपटान हेतु स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Stock Holding corporation of India (SHCIL) towards Equity Settlement.	28.00	28.00

i) ए) अनर्जक निवेश

j) A) Non-Performing Investment

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024
(i)	निवल निवेशों में निवल एनपीआई (%) Net NPIs to Net Investment (%)	0.04%	0.10%
(ii)	अनर्जक निवेशों का संचलन (सकल) Movement of NPIs (Gross)		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	2483.32	3141.58
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि (b) Additions during the year	63.78	147.34
	(सी) वर्ष के दौरान कमी (c) Reductions during the year	254.57	811.54
	(डी) विनिमय अंतर (d) Exchange Difference	9.97	5.94
	(इ) अंतिम शेष (E) Closing balance	2302.50	2483.32
(iii)	एनपीआई के प्रावधानों का संचलन Movement of provisions for NPIs		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	2139.11	2843.37
	(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (b) Provisions made during the year	262.02	142.32

विवरण Particulars		31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024
	(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बटुटे खाते डालना/पुनरांकन करना (c) Write off/Write Back of Excess Provision	231.01	846.58
	(डी) अंतिम शेष (d) Closing balance	2170.12	2139.11
(iv)	निवल एनपीआई का संचलन Movement of net NPIs		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	344.21	298.21
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि (b) Additions during the year	(198.24)	5.02
	(सी) वर्ष के दौरान कमी (c) Reductions during the year	13.59	(40.98)
	(डी) अंतिम शेष (d) Closing balance	132.38	344.21

नोट: उपरोक्त आंकड़े परिपक्वता निवेश को छोड़कर हैं

Note: Figures above are excluding Matured Investments

(बी) परिपक्व एनपीआई (अन्य आस्तियों की अनुसूची 11 में शामिल)

(ए) निवेश का मूल्य

B) Matured NPI (Included in Schedule 11 of other Assets)

(a) Value of Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024
(i)	(i) निवेश का सकल मूल्य Gross Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	1078.08	1127.33
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	231.50	225.98
(ii)	(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान Provisions for Depreciation		
	(ए) भारत में (a) In India	1078.08	1110.99
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	231.50	225.98
(iii)	(iii) निवेशों का निवल मूल्य Net Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	-	16.34
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-



(बी) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन

(b) Movement of provisions held towards depreciation on investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024
(i) प्रारंभिक शेष Opening balance	1336.97	1349.94
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	0.00	0.00
(iii) जोड़े /(घटाएँ): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	5.52	3.00
(iv) घटाएँ : अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन Less: Write-back of excess provisions	32.91	15.97
(v) अंतिम शेष Closing balance	1309.58	1336.97

ए- 4 अस्ति गुणवत्ता

A-4 Asset Quality

ए) 31.03.2025 को रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण

a) Classification of advances and provision held as on March 31, 2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए / Gross Standard Advances and NPAs						
आरंभिक शेष Opening Balance	10,58,672.17	7,816.01	13,117.49	10,900.13	31,833.63	10,90,505.80
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Additions during the year					9,310.13	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					13,308.88	
अंतिम शेष Closing balance	12,02,626.28	6,806.13	12,118.72	8,910.03	27,834.88	12,30,461.16
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					1,019.64	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					3,300.42	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना iii) Technical/ Prudential Write-offs					8,243.43	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					736.92	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
रखे गए प्रावधान का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held					24,250.29	

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					6,971.84	
घटाएँ : अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल/ बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					10,873.12	
रखे गए प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of provisions held		2,353.62	9,308.66	8,686.72	20,349.01	
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		4,036.55	3,102.07	74.72	7,213.34	
जोड़े : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					2,338.28	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					2,557.40	
अंतिम शेष Closing Balance		4,415.03	2,579.21	0.00	6,994.22	
अनियत प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						370.00
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						230.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि Less: Amount drawn down during the year						0.00
अनियत प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						600.00
तकनीकी बट्टे खाते डालना और उसमें की गई वसूलियाँ Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						75,799.32
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						9,747.50
घटाएँ : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off-accounts during the year						9,177.43
अंतिम शेष Closing balance						76,369.39



ए) 31.03.2024 को रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण

a) Classification of advances and provisions held 31.03.2024

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए / Gross Standard Advances and NPAs						
आरंभिक शेष Opening Balance	9,32,784.62	5,439.26	19,181.36	12,143.06	36,763.68	9,69,548.31
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Additions during the year					10,396.53	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					15,326.58	
अंतिम शेष Closing balance	10,58,672.17	7,816.01	13,117.49	10,900.13	31,833.63	10,90,505.80
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					1,472.92	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					3,256.37	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना iii) Technical/ Prudential Write-offs					9,299.69	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					1,218.12	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
रखे गए प्रावधान का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held		1,575.51	14,538.99	12,094.86	28,209.36	
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					8,223.90	
घटाएँ :अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल/बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					12,182.97	
रखे गए प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of provisions held					24,250.29	
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		3846.09	4,490.03	48.20	8,384.32	
जोड़े : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					2,172.63	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					3,343.61	
अंतिम शेष Closing Balance		4036.55	3102.07	74.72	7,213.34	

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
अनियत प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						170.00
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						200.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि Less: Amount drawn down during the year						-
अनियत प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						370.00
तकनीकी बट्टे खाते डालना और उसमें की गई वसूलियाँ Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						73,952.71
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						10,783.25
घटाएँ : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						8,936.64
अंतिम शेष Closing balance						75,799.32

आहरण के कारणों को निम्नलिखित नोट के माध्यम से तालिका में समझा जा सकता है।

Rationale for drawdown may be explained by way of a note below the table.

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in percentage)	31.03.2025	31.03.2024
सकल अग्रिमों में सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advances	2.26	2.92
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances	0.58	0.68
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टे खाते डालने सहित) Provision coverage ratio (including Technical W/O)	93.29	93.30
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टे खाते डालने को छोड़कर) Provision coverage ratio (excluding Technical W/O)	74.87	77.34



बी) क्षेत्र वार अग्रिम एवं सकल एनपीए

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr No.	क्षेत्र* Sector	31.03.2025			31.03.2024		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	157513.87	7405.99	4.70	1,37,784.90	6,873.73	4.99
b)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	44035.54	2981.46	6.77	41,051.28	3,370.11	8.21
c)	सेवाएँ Services	92855.18	7153.62	7.70	80,109.07	6,476.21	8.08
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	40877.48	1143.84	2.80	43,961.90	1,018.81	2.32
	उप योग (i) Subtotal (i)	335282.07	18684.91	5.57	3,02,907.15	17,738.86	5.86
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1530.10	193.51	12.65	1,546.01	207.47	13.42
b)	उद्योग Industry	212269.27	1283.51	0.60	1,98,525.53	3,868.73	1.95
c)	सेवाएँ Services	372231.66	3911.11	1.05	3,56,293.11	7,376.90	2.07
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	309148.05	3761.83	1.22	2,31,234.00	2,641.66	1.14
	उप योग (ii) Sub-total (ii)	895179.08	9149.96	1.02	7,87,598.65	14,094.76	1.79
	कुल (i + ii) Total (i + ii)	1230461.15	27834.87	2.26	10,90,505.80	31,833.62	2.92

सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

c) Overseas Assets, NPAs and Revenue :

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024
कुल आस्तियां Total Assets	2,93,069.16	2,23,536.70
कुल एनपीए Total NPAs	4,044.33	8,048.04
कुल राजस्व Total Revenue	15,280.52	14,404.26

डी समाधान योजना और रिस्ट्रक्चरिंग के विवरण

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07 जून, 2019 के अनुसार वर्ष के दौरान क्रियान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	अवधि के दौरान समाधान योजना क्रियान्वित करने वाले खातों की संख्या No of Accounts where RPs Implemented during this time frame		को बकाया राशि Amount Outstanding as on	
	वित्त वर्ष 2025 FY2025	वित्त वर्ष 2024 FY2024	वित्त वर्ष 2025 FY2025	वित्त वर्ष 2024 FY2024
पुनर्संरचना के अधीन अग्रिम आस्तियों की कुल राशि Total amount of Loan assets subjected to restructuring	5	1	420.97	8.44
पुनर्संरचना के अधीन मानक आस्तियों की राशि The amount of standard assets subjected to restructuring	4	-	387.42	-
पुनर्संरचना के अधीन एनपीए आस्तियों की राशि The amount of NPA assets subjected to restructuring	1	1	33.55	8.44

- (ii) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर 7 जून, 2019 को जारी आरबीआई परिपत्र संख्या RBI/2018-19/203 DBR.No.BPBC.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार, समाधान योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें इस आरबीआई परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकताएँ भी शामिल हैं। बैंक 31 मार्च, 2025 तक 4 खातों में ₹ 876.76 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान (31 मार्च, 2024 तक 9 खातों में ₹ 437.67 करोड़) रख रहा है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- ii) As per RBI circular no. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, guidelines for implementation of Resolution Plan has been issued, also containing requirements of additional provisions as per para 17 of this RBI circular. The Bank is holding additional provision of ₹ 876.76 Crore in -4- no. of accounts as on March 31, 2025 (₹ 437.67 Crore in -9- no. of accounts as on March 31, 2024) as detailed below :-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (ए) Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	ऋण की राशि जिसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना है (बी) Amount of Loans to be classified as NPA (B)	(बी) में से ऋण की वह राशि जिसे 31.03.2025 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया (सी) Amount of Loans as on 31.03.2025 out of (B) classified as NPA (C)	31.12.2024 तक रखे गए प्रावधान (डी) Provision held as on 31.12.2024 (D)	31.03.2025 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान (ई) Additional provision/ (reversal) made during quarter ended 31.03.2025 (E)	31.03.2025 तक रखे गए प्रावधान (एफ) Provision held as on 31.03.2025 (F)
4363.31	95.42	95.42	437.67	439.09	876.76

- (iii) आरबीआई के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 के निर्देशों के अनुसार न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण, न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक द्वारा -1- खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कुल बकाया ₹ 28.78 करोड़ है, जिसके विरुद्ध बैंक आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ₹ 24.78 करोड़ का प्रावधान रख रहा है, जिसमें अप्राप्त ब्याज के लिए प्रावधान भी शामिल है।

31 मार्च, 2024 तक, -1- खाते को न्यायालय के आदेश के अनुसार बैंक द्वारा मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें कुल बकाया ₹ 26.44 करोड़ था, जिसके विरुद्ध बैंक 31 मार्च, 2024 तक आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार ₹ 7.08 करोड़ का प्रावधान रख रहा है, जिसमें अप्राप्त ब्याज के लिए प्रावधान भी शामिल है।

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों के लिए 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार ₹ 899.56 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है जो आईआरएसीपी मानदंडों के तहत किए गए प्रावधान के अतिरिक्त है।

- iii) As per directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, -1- account is classified as Standard by the Bank as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 28.78 Crore against which the Bank is holding provision of ₹ 24.78 Crore as on March 31, 2025 as per IRACP norms, including provision for unrealized interest.

As on March 31, 2024, -1- account was classified as Standard by the Bank as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 26.44 Crore against which the Bank is holding provision of ₹ 7.08 Crore as on March 31, 2024 as per IRACP norms, including provision for unrealized interest.

The Bank is holding additional provision of ₹ 123.31 Crore as of 31.03.2025 (₹ 899.56 Crore as of 31.03.2024) over and above the IRACP norms in certain stressed standard advances on prudent basis.



(iv) पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इक्विटी में ऋण के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण

दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र आरबीआई/ 2018-19/203 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

31.03.2025 के अनुसार As on 31.03.2025

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में) Face value per Share (in ₹)	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Cr)	बही मूल्य (करोड़ में) Book Value (In Cr.)
आईएनडी बाराथ एनजी* JINDAL INDIA THERMAL POWER LTD*	45,53,123	10.00	4.55	0.00
एसआरआईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड* ROADSTAR INFRA INVESTMENT TRUST*	1,98,00,000	100.00	198.00	0.00
एचसीपी प्लास्टेन बल्कपैक लिमिटेड* SUMEET INDUSTRIES LTD **	1,59,79,600	10.00	15.98	15.98
कुल Total	4,03,32,723		218.53	15.98

*आरपी के तहत प्राप्त शेयर *Shares received under RP

**आरपी के तहत प्राप्त शेयर ** Shares received under RP, Classified as NPI & 100% provision has been made.

31.03.2024 के अनुसार As on 31.03.2024

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में) Face value per Share (in ₹)	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Cr)	बही मूल्य (करोड़ में) Book Value (In Cr.)
आईएनडी बाराथ एनजी* IND BARATH ENERGY*	21	10	-	-
एसआरआईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड* SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD*	16,640	10	0.02	-
एचसीपी प्लास्टेन बल्कपैक लिमिटेड* HCP PLASTENE BULKPACK LIMITED*	5,12,000	10	0.51	0.51
कुल Total	5,28,661		0.53	0.51

* एनसीएलटी के तहत प्राप्त शेयर. * Shares received under NCLT

ई) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानिकरण में विचलन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निर्देश संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30-08-2021 (समय-समय पर संशोधित) में उल्लिखित शर्तों पर आधारित है।

एफ) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

आरबीआई मास्टर निर्देश संदर्भ संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 51/ 21.04.048/2021-22 "मास्टर निर्देश – आरबीआई (ऋण एक्सपोजर का अंतरण) निर्देश, 2021" दिनांक 24.09.2021 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

i) "उन ऋणों के संबंध में जो चूक में नहीं हैं" #, जो अंतरित या अर्जित किए गए हैं:

e) Divergence in asset classification and provisioning

No Disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required w.r.t RBI's annual supervisory process for year ended Mar 31, 2024, based on the conditions mentioned in RBI Master Direction No RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated 30-08-2021 (as amended from time to time).

f) Disclosure of transfer of Loan exposures

Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 "Master Direction – RBI (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021" dated 24.09.2021 is as under:

i) In respect of "Loans not in default" #, that are transferred or acquired

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्टिंग Reporting for the year ended March 31, 2025		समूहन Syndication		अन्य* Others*	
	विवरण Particulars	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From
(i)	"समनुदेशन" के माध्यम से अधिगृहीत ऋण Loans acquired through "assignment"				
	अधिगृहीत / अंतरित ऋण की कुल राशि (₹ करोड़ में) Aggregate amount of loans acquired / transferred (₹ in Cr.)	-	11961.74	-	16069.70
	भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में) Weighted average residual maturity (In months)	-	43.39	-	130.20
	भारित औसत धारण अवधि (महीनों में) Weighted average holding period (In Months)	-	-	-	28.04
	अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor	-	-	-	10.00%
	अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (टाइम्स) Tangible security coverage of loans acquired/ transferred (times)	-	0.39	-	1.52
(ii)	"नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण Loans acquired / transferred through "novation" (₹ in crores)	2923.21	6766.15	-	-
(iii)	"ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) Loans acquired/ transferred through "Loan participation" (₹ in crores)	-	-	-	2008.66

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर चूककर्ता न होने वाले ऋणों की पहचान की जाती है।

* टीएलई दिशानिर्देशों के अंतर्गत खरीदे गए पूल को बैंक द्वारा रेटिंग नहीं दी जाती है।

The Loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

* Pools purchased under TLE guidelines are not rated by the Bank.

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्टिंग Reporting for the year ended March 31, 2024		समूहन Syndication		अन्य* Others*	
	विवरण Particulars	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From
(i)	"समनुदेशन" के माध्यम से अधिगृहीत ऋण Loans acquired through "assignment"				
	अधिगृहीत / अंतरित ऋण की कुल राशि (₹ करोड़ में) Aggregate amount of loans acquired / transferred (₹ in Cr.)	3156.09	12420.99	-	7348.83
	भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में) Weighted average residual maturity (In months)	-	84	-	67.52
	भारित औसत धारण अवधि (महीनों में) Weighted average holding period (In Months)	7.00	5.50	-	9.13
	अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor	64.81%	-	-	10.19%



31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्टिंग Reporting for the year ended March 31, 2024		समूहन Syndication		अन्य* Others*	
विवरण Particulars		को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From
अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (टाइम्स) Tangible security coverage of loans acquired/ transferred (times)		-	1.62	-	0.83
(ii)	"नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण Loans acquired / transferred through "novation" (₹ in crores)	269.46	1550.12	-	-
(iii)	"ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) Loans acquired/ transferred through "Loan participation" (₹ in crores)	-	-	-	-

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर चूककर्ता न होने वाले ऋणों की पहचान की जाती है।

* टीएलई दिशानिर्देशों के अंतर्गत खरीदे गए पूल को बैंक द्वारा रेटिंग नहीं दी जाती है।

The Loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

* Pools purchased under TLE guidelines are not rated by the Bank.

31 मार्च, 2025 तक समूहन (सिंडिकेशन) ऋणों का रेटिंगवार ब्यौरा निम्नानुसार है: **Rating wise breakup of Syndication loans, as on 31st March 2025, is as below:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाहरी रेटिंग / External Rating	को अंतरण / Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
ए और उससे ऊपर / A and Above	1,495.82	7645.74
बी और उससे ऊपर / B and above	812.01	9439.71
बी से कम / Below B	-	-
अनरेटेड / Unrated	615.38	1642.44

31 मार्च, 2024 तक समूहन (सिंडिकेशन) ऋणों का रेटिंगवार ब्यौरा निम्नानुसार है: **Rating wise breakup of Syndication loans, as on 31st March 2024, is as below:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाहरी रेटिंग / External Rating	को अंतरण / Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
ए और उससे ऊपर / A and Above	539.76	3012.37
बी और उससे ऊपर / B and above	2885.78	9037.96
बी से कम / Below B	0.00	169.54
अनरेटेड / Unrated	0.00	1751.25

ए) अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण निम्नानुसार है: a) Details of stressed loans transferred is as under:
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2024 to 31.03.2025			
	एआरसी को To ARC's	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	5	-	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	379.14	-	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	लागू नहीं NA	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
कुल कन्सिडरेशन Aggregate consideration	197.79	-	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त कन्सिडरेशन की प्राप्ति Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की राशि Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	152.34	-	-

01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2023 to 31.03.2024			
	एआरसी को To ARC's	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	13	1	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	1,892.73	37.4	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
कुल कन्सिडरेशन Aggregate consideration	457.55	41.38	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त कन्सिडरेशन की प्राप्ति Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की राशि Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	456.55	37.40	-



- बी) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अधिगृहीत दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण - शून्य
- सी) 31 मार्च, 2025 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण
- b) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2024-25 – Nil (Previous Year – NIL)
- c) The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on 31.03.2025

31 मार्च, 2025 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दी गई वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का वितरण Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2025	
रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	वहनीय मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Carrying Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर1 RR1	352.42
आरआर2 RR2	60.27
आरआर3 RR3	-
आरआर4 RR4	-
आरआर 5 RR5	-
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	77.34
कुल योग Grand Total	490.03

* एसआर में मानक निवेश उचित मूल्य पर हैं। इसके अलावा, एनपीआई श्रेणी के तहत एसआर हेतु पूर्ण प्रावधान किया गया है।

* आरबीआई परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.72/21.04.048/2024-25 मार्च 29, 2025 के अनुसार; सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा प्राप्तियों के लिए दिशानिर्देशों पर, बैंकों को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) को ऋण हस्तांतरित करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर रिवर्स करने की अनुमति है, बशर्ते कि केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर पर विचार किया जा रहा हो। ऐसे एसआर का मूल्यांकन ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (लागू नहीं) की गणना करके समय-समय पर किया जाएगा। बैंक ने 31.03.2025 तक सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों के उचित मूल्यांकन के कारण ₹ 490.03 करोड़ की राशि के अप्राप्त लाभ को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया है।

*The Standard Investments in SRs are fair valued. Further, SRs under NPI category are fully provided.

*As per RBI circular RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR. REC.72/21.04.048/2024-25 March 29, 2025; on guidelines for government-guaranteed security Receipts, banks are permitted to reverse any excess provision to the profit and loss Account in the year of transfer of loan to Asset reconstruction company (ARC) for the value higher than the net book value (NBV), provided the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. Bank has accounted unrealized gains in the Profit and Loss account amounting to ₹ 490.03 Crore on account of fair valuation of Security Receipts guaranteed by Government as on 31.03.2025.

31 मार्च, 2025 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दी गई वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-11) में धारित एसआर का वितरण Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2025	
रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	वहनीय मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Carrying Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर1 RR1	-
आरआर2 RR2	-
आरआर3 RR3	-
आरआर4 RR4	-
आरआर 5 RR5	-
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	721.00
कुल योग Grand Total	721.00

*एसआर में मानक निवेश उचित मूल्य पर हैं। इसके अलावा, एनपीआई श्रेणी के तहत एसआर हेतु पूर्ण प्रावधान किया गया है।

*The Standard Investments in SRs are fair valued. Further, SRs under NPI category are fully provided.

31 मार्च, 2024 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दी गई वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का वितरण

Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2024

रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	वहनीय मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Carrying Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर1 RR1	54.07
आरआर2 RR2	10.02
आरआर3 RR3	27.31
आरआर4 RR4	42.20
आरआर 5 RR5	9.69
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	382.06
कुल योग Grand Total	525.53

*एसआर में मानक निवेश उचित मूल्य पर हैं। इसके अलावा, एनपीआई श्रेणी के तहत एसआर हेतु पूर्ण प्रावधान किया गया है।

*The Standard Investments in SRs are fair valued. Further, SRs under NPI category are fully provided.

31 मार्च, 2024 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दी गई वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-11) में धारित एसआर का वितरण

Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2024

रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	वहनीय मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Carrying Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर1 RR1	-
आरआर2 RR2	-
आरआर3 RR3	-
आरआर4 RR4	-
आरआर 5 RR5	29.55
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	730.43
कुल योग Grand Total	759.98

*एसआर में मानक निवेश उचित मूल्य पर हैं। इसके अलावा, एनपीआई श्रेणी के तहत एसआर हेतु पूर्ण प्रावधान किया गया है।

*The Standard Investments in SRs are fair valued. Further, SRs under NPI category are fully provided.

जी) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकटीकरण

g) Disclosure on provisioning pertaining to fraud accounts

विवरण Particulars	वित्त वर्ष 2025 FY 2025	वित्त वर्ष 2024 FY 2024
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या Number of frauds reported during the year	3774	12061
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में) Amounts Involved in Fraud (in ₹ Cr)	216.92	402.42
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधानों की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Provisions made for such frauds (in ₹ Cr)	180.20	390.33
समाप्त वर्ष पर धारित प्रावधान (₹ करोड़ में) Provisions held at the end of the year (in ₹ Cr)	25372.28	30885.81
वर्ष के अंत में अन्य आरक्षित निधियों से डेबिट किए गए बिना अपरिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in ₹ Cr)	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि हेतु धोखाधड़ी के लिए देयता उपलब्ध कराने के विकल्प का चयन किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को अग्रिमों को छोड़कर अन्य आगे शामिल किए गए प्रावधान रु. शून्य करोड़ (31 मार्च, 2024 को शून्य करोड़) रहा।

As per the Reserve Bank of India (RBI) circular no. RBI/2015-16/376 DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank had opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision for other than advances as on March 31, 2025 is NIL (NIL as on March 31, 2024).



एच) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020(आरएफ 1.0) एवं 05.05.2022 (आरएफ 2.0) के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कोविड 19 से संबंधित दबाव हेतु समाधान फ्रेमवर्क के तहत क्रियान्वित समाधान योजना का विवरण।

h) Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 (RF 1.0) and 05.05.2021 (RF 2.0) as of March 31, 2025.

31.03.2025 के अनुसार As on 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछली छमाही अर्थात् 30.09.2023 के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2024 (A)	(ए) में से कुल ऐसे ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हो गया Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान बटुटे खाते डाली गई Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान उधारकर्ताओं के द्वारा भुगतान की गई Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही की समाप्ति अर्थात् 31.03.2024 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2025 (A)
वैयक्तिक ऋण \$ / Personal Loans\$	3027.20	71.15	-	216.28	2806.60
कॉर्पोरेट व्यक्ति* / Corporate persons*	357.33	-	-	75.88	-
जिसमें से एमएसएमई / Of which, MSMEs	46.04	-	-	10.37	-
अन्य / Others	646.62	8.46	-	45.35	582.61
कुल / Total	4031.15	79.61	-	337.51	3389.21

* जैसा कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

\$ पूल खातों के मामले में प्रवर्तक द्वारा जानकारी प्रदान की गई है।

\$ In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

नोट: ₹ 281.50 करोड़ के एक्सपोजर वाले 4 कॉर्पोरेट खातों में प्रावधान को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संचित ऋण के 30% के संतोषजनक चुकौती होने पर रिवर्स कर दिया जाएगा और तदनुसार, दिनांक 31.03.2025 तक मानक एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाएगा।

Note: Provision in -4- corporate Accounts having exposure of ₹ 281.50 Crore have been reversed on completion of satisfactory repayment of 30 % of restructured debt as per RBI guidelines and accordingly not included in the standard exposure as on 31.03.2025.

31.03.2024 के अनुसार As on 31.03.2024

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछली छमाही अर्थात् 30.09.2023 के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2023 (A)	(ए) में से कुल ऐसे ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हो गया Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान बटुटे खाते डाली गई Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान उधारकर्ताओं के द्वारा भुगतान की गई Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही की समाप्ति अर्थात् 31.03.2024 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2024 (A)
वैयक्तिक ऋण \$ / Personal Loans\$	3731.72	106.23	-	392.96	3326.33
कॉर्पोरेट व्यक्ति* / Corporate persons*	2,838.33	-	-	93.85	1,408.25
जिसमें से एमएसएमई / Of which, MSMEs	139.25	-	-	16.17	57.5
अन्य / Others	863.92	11.06	-	198.74	672.02
कुल / Total	7573.22	117.29	-	701.72	5464.10

* जैसा कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

\$ पूल खातों के मामले में प्रवर्तक द्वारा जानकारी प्रदान की गई है।

नोट: ₹ 1333.67 करोड़ के एक्सपोजर वाले 6 कॉर्पोरेट खातों में प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संरचित ऋण के 30% के संतोषजनक चुकौती होने पर रिवर्स कर दिया जाएगा और तदनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक मानक एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाएगा।

i) बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016,

\$ In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

Note: Provision in -6- corporate Accounts having exposure of ₹ 1333.67 Cr have been reversed on completion of satisfactory repayment of 30 % of restructured debt as per RBI guidelines and accordingly not included in the standard exposure as on 31.03.2024.

i) Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल ऋणी एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2024-25	-	-	-	-
2023-24	-	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	समूह का नाम Name of Group	समूह ऋणी एक्सपोजर सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2024-25	-	-	-	-
2023-24	-	-	-	-

जे) दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)

i) Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A) as on :-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2024				ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2024			
		बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		रखा गया प्रावधान		बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		रखा गया प्रावधान
		Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held		Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B				भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	1	50.75	13.45	37.30	14.92	1	49.17	13.66	35.51	14.20
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल Total	1	50.75	13.45	37.30	14.92	1	49.17	13.66	35.51	14.20



ए-5 एक्सपोजर

ए) रीयल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

A-5 Exposures

a) Exposure to Real Estate Sector

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

श्रेणी Category	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर i) Direct exposure	1,72,582.08	1,48,621.15
(ए) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages -	1,38,354.59	1,21,816.31
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज, Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	1,38,354.59	1,21,816.31
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण (एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी) Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector Advances (Exposure would also include non-fund based (NFB) limits)	34,173.93	38,799.12
(बी) एस्टेट वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत वाणिज्यिक रियल कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारिक आवासीय भवन, बहु किराएदार परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि)। एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल होंगी। (b) Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	34,227.49	26,804.84
(सी) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	-	-
i. आवासीय i. Residential	-	-
ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट ii. Commercial Real Estate	-	-
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर ii) Indirect Exposure	32,991.25	31,271.51
निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) (i) National Housing Bank (NHB)	649.95	575.00
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) (ii) Housing Finance Companies (HFCs)	32,341.30	30,696.51
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Real Estate Sector	2,05,573.33	1,79,892.66

बी) पूंजी बाजार एक्सपोजर
b) Exposure to Capital Market

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों की यूनिट में प्रत्यक्ष निवेश जिसका कॉर्पोरेट कर्ज में अलग से निवेश नहीं किया गया हो, में प्रत्यक्ष निवेश (i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	2,881.25	1,366.92
(ii) शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपीए सहित), परिवर्तनशील बॉण्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बाध आधार पर दिए गए अग्रिम (ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	2.74	2.05
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; (iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	60.44	78.21
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयरों या परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों के अलावा ली गई प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है. (iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	20.46	526.35
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां (v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	971.29	671.83
(vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी को प्रवर्तकों के अंशदान के लिए निर्बाध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम (vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण. (vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं. (viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना (ix) Financing to stock brokers for margin trading;	150.56	150.14
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) का समग्र एक्सपोजर (x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered);	667.32	685.19
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	4,754.06	3,480.69



पूंजी बाजार में ₹ 4,754.05 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 37,540.30 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2024 को बैंक की निवल मालियत ₹ 93,850.76 करोड़ का 40%) है।

पूंजी बाजार में ₹ 3548.57 करोड़ का प्रत्यक्ष एक्सपोजर ₹ 18,770.15 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2024 को बैंक की निवल मालियत ₹ 93,850.76 करोड़ का 20%) है।

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए मौजूदा नियमों एवं वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन उधारदाताओं को उनके नुकसान/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए कंपनी की इक्विटी जारी करने के माध्यम से शुरु से ही मुआवजा दिया जा सकता है।

- यदि इक्विटी शेयरों के इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा नियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा से अधिक हो जाता है, उसका विवरण निम्नानुसार है- लागू नहीं
- रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के हिस्से के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने का विवरण जो सीएमई सीमा से छूट प्राप्त है, उसका विवरण निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष 2025		वित्त वर्ष 2024	
खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
53	1920.91	45	1430.33

सी) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

देशीय जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19.02.2003 और दिनांक 17.06.2004 के परिपत्र के अनुसार - बैंक जोखिम श्रेणियों के अनुसार, किसी देश विशेष को कुल वित्तपोषित एक्सपोजर के संबंध में प्रावधान करते समय, केवल उस देश के निवल वित्त पोषित एक्सपोजर पर प्रावधान किया जाएगा, जहां बैंक का निवल वित्त पोषित एक्सपोजर उसकी कुल आस्तियों का 1 प्रतिशत या उससे अधिक है। इसके अतिरिक्त, बैंक की सीआरएमएस नीति यह निर्धारित करती है कि प्रावधान करने के प्रयोजन से पिछली तिमाही की कुल आस्तियों पर विचार किया जाएगा।

बोर्ड ने दिनांक 19.06.2024 को आयोजित अपनी बैठक में, देशीय जोखिम के आकलन के लिए आंतरिक रेटिंग ग्रेड के आधार पर किसी देश-विशेष के लिए किए जाने वाले प्रावधान को मंजूरी दी। इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि जहां सार्वजनिक डोमेन में अपेक्षित सूचना की अनुपलब्धता के कारण देश की आंतरिक जोखिम रेटिंग किया जाना संभव नहीं है, वहां ईसीजीसी वर्गीकरण पर आधारित प्रावधान लागू होंगे।

दिनांक 31.12.2024 को बैंक की कुल आस्तियां ₹ 17,14,978 करोड़ रहीं।

कुल आस्तियों का 1% ₹ 17,150 करोड़ है।

31 मार्च, 2025 तक जिन देशों के लिए निवल वित्तपोषित एक्सपोजर अर्थात् ₹ 17,150 करोड़ से अधिक है, वे निम्नानुसार हैं -

The exposure to Capital Market of ₹ 4,754.05 Crores is within the limit of ₹ 37,540.30 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 93,850.76 Crores as on March 31, 2024).

The direct exposure to Capital Market of ₹ 3548.57 Crores is within the limit of ₹ 18,770.15 Crores (i.e. 20 % of the Bank's net worth of ₹ 93,850.76 Crores as on March 31, 2024).

For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be ab initio compensated for their loss / sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements.

- If such acquisition of equity shares results in exceeding the extant regulatory Capital Market Exposure (CME) limit, details of the same is as under- NA
- Details of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from CME limits are as under:

FY 2025		FY 2024	
No. of Accounts	Amount (₹ in Crs.)	No. of Accounts	Amount (₹ in Crs.)
53	1920.91	45	1430.33

c) Risk Category wise Country Exposure

As per the RBI circular dated 19.02.2003 & further dated 17.06.2004 on Country Risk Management Guidelines- Banks shall make provisions on the net funded country exposures, according to the risk categories, only in respect of the country, where a bank's net funded exposure is 1 per cent or more of its total assets. Further Bank's CRMS policy stipulates that total asset to be considered of the preceding quarter, for the purpose of provisioning.

Risk Management Committee of Board, in its meeting held on 19.06.2024, approved the provision against country based on internal rating grade for assessment of country risk. Further, it is stipulated that where internal country risk rating is not possible due to unavailability of required information in public domain, provision based on ECGC Classification will be applicable.

Total Assets of the Bank as on 31st Dec 2024 is ₹ 17,14,978 Crore.

1% of Total Assets is ₹ 17,150 Crore.

The Countries, on which Net Funded Exposure exceeded i.e. ₹ 17,150 crore as on 31st March, 2025 are -

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्रम सं. Sl.No	देश Country	जोखिम श्रेणी Risk Category		निवल वित्त पोषित एक्सपोजर Net Funded Exposure	
		आंतरिक रेटिंग ग्रेड Internal Rating Grade	ईसीजीसी वर्गीकरण ECGC Classification	कुल Total	इसमें से अल्पावधि Of which Short Term
1	यूएसए U.S.A	BOBSOV 1	ए-1 नगण्य A- 1 Insignificant	66,870	44,989
2	यूएई U A E	BOBSOV 2	ए- 2 कम A- 2 Low	62,212	42,720
3	यूके* UK*	BOBSOV 1	ए-1 नगण्य A- 1 Insignificant	26,698	13,498
				1,55,780	1,01,207

*यूके एक्सपोजर में यूके, ग्वेर्नसे, जर्सी, जिब्राल्टर, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, बरमूडा, केमैन द्वीप समूह, आइल ऑफ मैन शामिल हैं। यूएसए एक्सपोजर में प्यूर्टो रिको का एक्सपोजर शामिल है।

*UK exposure comprises of exposure on UK, Guernsey, Jersey, Gibraltar, British Virgin Islands, Bermuda, Cayman Islands, Isle of Man. USA exposure includes exposure on Puerto Rico.

आवश्यक प्रावधान / Required Provision

	यूएसए / USA BOBSOV1/A1	यूएई / UAE BOBSOV2/A2	यूके* / UK* BOBSOV1/A1	कुल / Total
कुल निवल वित्त पोषित एक्सपोजर Total Net Funded Exposure	66,870	62,212	26,698	1,55,780
इसमें से / Of Which				
- अल्पावधि - Short term	44,989	42,720	13,498	1,01,207
- अल्पावधि के अलावा - Other than Short term	21,881	19,492	13,200	54,573
अल्पावधि एक्सपोजर पर प्रावधान (सामान्य प्रावधान दर का 25%) Provision on Short term Exposure (25% of Normal provision rate)	28.12	26.70	8.44	63.25
अल्पावधि एक्सपोजर के अलावा अन्य पर प्रावधान @ 0.25% ^{\$} Provision on other than Short term Exposure @ 0.25% ^{\$}	54.70	48.73	33.00	136.43
प्रावधान / Provision	82.82	75.43	41.44	199.69

यूके* एक्सपोजर में यूके, ग्वेर्नसे, जर्सी, जिब्राल्टर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बरमूडा, केमैन आइलैंड्स पर एक्सपोजर शामिल हैं।

\$ BOBSOV1 और BOBSOV2 ग्रेडेड देशों के लिए, देशीय जोखिम प्रावधान दर 0.25% है।

*UK exposure comprises of exposure on UK, Guernsey, Jersey, Gibraltar, British Virgin Islands, Bermuda, Cayman Islands, Isle of Man. USA exposure includes exposure on Puerto Rico

\$ - For BOBSOV1 & BOBSOV2 graded countries, the Country risk provision rate is 0.25%.



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

ईसीजीसी वर्गीकरण ECGC Classification	ईसीजीसी श्रेणी ECGC Category	31 मार्च 2025, को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 2025	31 मार्च 2025 को प्रावधान Provision held as at March 2025	31 मार्च 2024, को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 2024	31 मार्च 2024 को प्रावधान Provision held as at March 2024
ए1 A1	नगण्य / Insignificant	1,26,699.09	124.26	93,078.36	97.64
ए2 A2	कम / Low	1,05,919.76	75.43	82,956.99	70.82
बी1 B1	मध्यम कम / Moderately Low	10,141.46	-	2,990.51	-
बी2 B2	मध्यम / Moderate	1,391.12	-	1,205.86	-
सी1 C1	मध्यम उच्च / Moderately High	3,240.47	-	5,095.30	-
सी2 C2	उच्च / High	6.24	-	2.88	-
डी D	अधिक उच्च / Very High	48.72	-	49.82	-
	ऑफ कवर Off Cover	0.02	-	0.02	-
	कुल Total	2,47,446.87	199.69	1,85,379.74	168.46

*- भारत पर जोखिम को छोड़कर (ईसीजीसी रेटिंग: ए1) *- excluding exposure on India (ECGC rating: A1)

डी) गैर जमानती अग्रिमों की राशि

d) Amount of Unsecured advances

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को राशि Amount as on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को राशि Amount as on March 31, 2024
(i)	बैंक के कुल गैर जमानती अग्रिम Total unsecured advances of the bank (net)	2,93,676.27	2,37,862.32
(ii)	उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	-	-
	ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	-	-

ई) फैक्टoring एक्सपोजर का विवरण - शून्य

e) Details of factoring exposures - Nil

एफ) इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर

f) Intra Group Exposures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025			31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024		
	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि Total Amount of Intra Group Exposures	4,447.70	5,334.46	9,782.16	7,532.04	5,811.39	13,343.43
शीर्ष 20 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	4,447.70	5,334.46	9,782.16	7,532.04	5,811.39	13,343.43
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए बैंक के कुल एक्सपोजर में इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.26%	0.31%	0.57%	0.50%	0.38%	0.88%

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025			31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024		
	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण और उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

जी) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने मुद्रा आधारित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया स्थापित की है। ऋण मूल्यांकन ज्ञापन को आरंभ में तैयार किया जाता है और विनियम जोखिम पर चर्चा करने कि ग्राहक, व्यापार संबंधी, विदेशी मुद्रा उधार और बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित सभी स्रोतों से कितना एक्सपोज है, के लिए ऋण सुविधा की समीक्षा की आवश्यकता है। यह विनियम जोखिम को कम करने के लिए ग्राहक को उपलब्ध प्राकृतिक हेज के साथ-साथ ग्राहकों द्वारा अपनायी जाने वाली अन्य हेजिंग की पद्धतियों को कवर कर सकता है। बैंक द्वारा परिभाषित प्रारंभिक सीमा के बाहर विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए ग्राहक को बैंक के साथ उचित जोखिम हेजिंग प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वैकल्पिक तौर पर, बैंक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ग्राहक के पास उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान भी विनियम जोखिम को कम करने की वित्तीय क्षमता है और / अथवा जोखिम कम करने के लिए अन्य विकल्प हैं। बैंक के पास विनियम दरों में अधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान ग्राहक के सूचना के मासिक समीक्षा की नीति है। जब किसी ग्राहक को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है उस ग्राहक की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के अनहेज्ड भाग पर जानकारी की मासिक समीक्षा की नीति है। ग्राहक को ऋण सुविधाएं देते समय ग्राहक की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट जोखिम रेटिंग लिंकड सीमा लागू है। विनियम दर में बृहद स्तर पर दुष्प्रभाव के चलन से प्रभावित ग्राहक के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की सीमा सहित अनुपालन का मूल्यांकन ग्राहक की वार्षिक आय में ब्याज और मूल्यहास (ईबीआईडी) के पूर्व गिरावट का आकलन करके किया जाता है। जहां इस तरह के सिमुलेशन में उल्लंघन पाया जाता है, ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह अपने अनहेज्ड एक्सपोजर को कम करे।

प्रावधानों का संचलन निम्नानुसार है:

ग) Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank has in place a policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum prepared at the time of origination and review of a credit facility is required to discuss the exchange risk that the customer is exposed to from all sources, including trade related, foreign currency borrowings and external commercial borrowings. It could cover the natural hedge available to the customer as well as other hedging methods adopted by the customer to mitigate exchange risk. For foreign currency loans granted by the Bank beyond a defined threshold the customer is encouraged to enter into appropriate risk hedging mechanisms with the Bank. Alternatively, the Bank satisfies itself that the customer has the financial capacity to bear the exchange risk in the normal course of its business and has other mitigants to reduce the risk. The Bank has a policy of quarterly review of information on the unhedged portion of foreign currency exposures of customers during the periods of high volatility in exchange rates. A Board approved Policy on Provisioning Requirements for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers is in force. The compliance with the limit is assessed by estimating the extent of drop in a customer's annual Earnings Before Interest and Depreciation ('EBID') due to a potentially large adverse movement in exchange rate impacting the unhedged foreign currency exposure of the customer. Where a breach is observed in such a simulation, the customer is advised to reduce its unhedged exposure.

Movement of the provision is as under:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024
ए. प्रावधान खाते में आरंभिक राशि a. Opening balance provisions account	223.20	281.71
बी. लेखांकन वर्ष में किए गए प्रावधानों का हिस्सा / लेखांकन वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि b. The quantum of provisions made in the accounting year / Amount Reversed during the accounting year	87.71	-58.51
सी. प्रावधान खाते में अंतिम शेष c. Closing balance in the provisions account	310.91	223.20



उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निर्देश, 2022 आरबीआई/2022-23/131 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के तहत अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का आकलन किया है तथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 310.91 करोड़ का प्रावधान (दिनांक 31 मार्च, 2024 को ₹ 223.20 करोड़) किया है। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक यूएफसीई राशियों पर अतिरिक्त आरडबल्यूए की राशि ₹ 4,095.76 करोड़ है। (दिनांक 31 मार्च, 2024 को ₹ 2250.63 करोड़)

ए-6 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का सकेन्द्रन

Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of Reserve Bank of India (Unhedged Foreign Currency Exposure) Directions, 2022 RBI/2022-23/131 DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of ₹ 310.91 crores as on March 31, 2025 (₹ 223.20 crores as on March 31, 2024). Additional RWA on UFCE amounts to ₹ 4,095.76 crore as on March 31, 2025 (₹ 2250.63 crore as on March 31, 2024).

A-6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
(ए) जमाराशियों का सकेन्द्रन (a) Concentration of Deposits		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	70,781.83	60,638.22
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत (% में) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (in %)	4.81%	4.57%
(बी) अग्रिमों का सकेन्द्रन (b) Concentration of Advances		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों को दिया गया कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers/customers	2,06,348.94	1,57,954.02
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत (% में) Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank (in %)	12.58%	14.48%
(सी) एक्सपोजर का सकेन्द्रन (c) Concentration of Exposures		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोजर Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	2,26,360.34	1,99,393.35
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	13.17%	13.14%
(डी) एनपीए का सकेन्द्रन (d) Concentration of NPAs		
शीर्ष बीस एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोजर Total Exposure to top twenty NPA accounts	3,158.19	6,666.58
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest NPA exposure to Total Gross NPAs.	11.35%	20.94%

ए-7 डेरीवेटिव्स

ए) वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वेप (आईआरएस)

A-7 Derivatives

a) Forward Rate Agreement/Interest rate Swaps (IRS)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
स्वेप समझौते का अनुमानित मूलधन / The notional principal of swap agreements	1,57,379.22	73,757.36
समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	633.95	785.50
स्वेप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपाश्रिक Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
स्वेप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	1,849.09	1,421.67
स्वेप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण The fair value Concentration of credit risk arising from the swaps of the swap book	222.24	572.34

31 मार्च, 2025 तक वायदा दर समझौतों एवं ब्याज दर स्वेप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2025 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	40	1,250.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	15	1,175.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	59	1,505.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2	854.75	SOFR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2	854.75	SOFR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2,214	71,963.16	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2,344	70,700.12	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2	50.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	3	75.00	MMIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
बॉण्ड एफआरए BOND FRA	हेजिंग Hedging	6	50.00	7.09GOI54	---
बॉण्ड एफआरए BOND FRA	हेजिंग Hedging	6	105.00	7.34GOI2064	---
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	93	8770.79	SOFR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOATING RECEIVE/ FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	25.65	SOFR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOATING RECEIVES/ FLOATING PAY



31 मार्च, 2024 तक वायदा दर समझौतों एवं ब्याज दर स्वेप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2024 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	96	2,805.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्त / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	31	2,125.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्त/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	102	1,845.00	MIBOR	स्थायी प्राप्त/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	451.64	SOFR	अस्थायी प्राप्त / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	37.92	SOFR	स्थायी प्राप्त/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1413	30,346.15	MIBOR	अस्थायी प्राप्त / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1427	28,644.41	MIBOR	स्थायी प्राप्त/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	12	325.00	MMIFOR	अस्थायी प्राप्त/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	5	175.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्त/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	91	4,602.95	SOFR	अस्थायी प्राप्त/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	2,399.30	SOFR	अस्थायी प्राप्त/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY

बी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का अनुमानित मूलधन (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	-	-
(ii)	यथा दिनांक को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का बकाया अनुमानित मूलधन (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on (instrument-wise)	-	-
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का बकाया अनुमानित मूलधन तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	-	-
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्य तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखत-वार) Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	-	-

सी) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

एकीकृत ट्रेजरी परिचालन (घरेलू) एवं हेजिंग संबंधी बैंक की नीति में वित्तीय डेरिवेटिव्स लिखतों के प्रकार, उपयोग के आयाम, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं। काउंटरपार्टी एक्सपोजर सीमाएं, काउंटरपार्टी बैंकों पर एक्सपोजर सीमाओं संबंधी नीति द्वारा निर्देशित होती हैं। बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाजार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है। मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन-देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम। बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गयी हैं। इनकी बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षतावाली निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है।

लेन-देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान हैं। अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम के आकलन के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसकी गणना अनुबंध के संभावित भावी एक्सपोजर (संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर लागू क्रेडिट रूपांतरण कारक के साथ अनुबंध के अनुमानित मूल्य को गुणा करके प्राप्त) को संविदा की प्रतिस्थापन लागत में जोड़कर परिकलित की जाती है:-

कनवर्जन फैक्टर अनुमानित मूलधन राशि पर लागू किया जाएगा

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) Qualitative Disclosure

Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic) 2024 of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transaction. The bank uses financial derivative transactions for hedging, it's on or off balance sheet exposure as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by the Board), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of the Board, which is presided over by the Bank's Managing Director and CEO.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract		विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract	
	वित्त वर्ष 2025 FY 2025	वित्त वर्ष 2024 FY 2024	वित्त वर्ष 2025 FY 2025	वित्त वर्ष 2024 FY 2024
एक वर्ष से कम Less than one year	0.50%	0.50%	2.00%	2.00%
एक वर्ष से पांच वर्ष One year to Five Year	1.00%	1.00%	10.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक Over five years	3.00%	3.00%	15.00%	15.00%



निम्नलिखित खंड समान्यतः बैंक द्वारा किए जाने वाले डेरिवेटिव लेन-देन की प्रकृति एवं शर्तों की रूपरेखा को प्रदर्शित करते हैं।

ब्याज दर करार

फॉरवर्ड रेट करार खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख (निपटान तारीख) पर शुरू होने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज की अंतर्निहित दर निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मूलधन का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है और निपटान तारीख पर निपटान प्रभावी होता है। निपटान राशि अनुबंधित दर और निपटान तारीख पर प्रचलित बाजार दर के बीच का अंतर है।

ब्याज दर स्वेप में अंतर्निहित (या अनुमानित) मूलधन का आदान-प्रदान किए बिना निर्दिष्ट अवधि के लिए काउंटरपार्टी के साथ ब्याज दायित्वों का आदान-प्रदान शामिल है।

ब्याज दर कैप एंड फ्लोर्स खरीदार को अधिकतम या न्यूनतम ब्याज दर तय करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का राइटर उस राशि का भुगतान करता है जिससे बाजार दर क्रमशः कैप रेट या फ्लोर रेट से अधिक या कम होता है। ब्याज दर कैप्स और फ्लोर का संयोजन ब्याज दर कॉलर, कैप स्प्रेड और फ्लोर स्प्रेड जैसी संरचनाएं बना सकता है।

ब्याज दर वायदा सौदे एक मानकीकृत ब्याज दर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कल्पित प्रतिभूति या अन्य किसी ब्याज के साथ वाले लिखत या इस तरह के लिखतों के इंडेक्स की खरीद या बिक्री करने या कॉन्ट्रैक्ट के समय भविष्य की किसी तारीख के लिए निर्धारित ब्याज दरों पर ट्रेड करने से है।

विनिमय दर करार

फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट भविष्य की तारीख पर विनिमय की सहमत दरों पर निश्चित मात्रा में मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए करार है। इन लिखतों को फेडाई (एफडीडीआई) दरों या बाजार कोटेशन के आधार पर उचित मूल्य पर खरीदा/ बेचा जाता है।

क्रॉस करेंसी स्वेप विभिन्न मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मूलधन राशि का आदान-प्रदान करने के लिए करार हैं। क्रॉस करेंसी स्वेप में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विनिर्दिष्ट मुद्रा में ब्याज भुगतान के लिए एक निर्दिष्ट मुद्रा पर ब्याज भुगतानों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है।

मुद्रा विकल्प (एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों सहित) खरीदार को प्रीमियम के भुगतान पर निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर या उससे पहले एक्सचेंज की सहमत दरों पर मुद्रा की निश्चित मात्रा खरीदने या बेचने के लिए अधिकार, लेकिन दायित्व नहीं, देता है।

मुद्रा वायदा करार निर्दिष्ट मूल्य पर, भविष्य की एक निश्चित तारीख पर निश्चित अंतर्निहित मुद्रा को खरीदने या बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पर कारोबार किया जाने वाला एक मानकीकृत करार है। किसी मुद्रा वायदा करार का अंतर्निहित लिखत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की एक इकाई के बीच विनिमय की दर है।

बैंक का डेरिवेटिव लेन-देन बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है। बिक्री गतिविधियों में समय-समय पर यथा लागू विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ग्राहकों को डेरिवेटिव की स्ट्रक्चरिंग एवं मार्केटिंग भी शामिल है ताकि उनको अपने बाजार जोखिम (ब्याज दर एवं

The following sections outline the nature and terms of the derivative transactions generally undertaken by the Bank.

Interest rate contracts

Forward rate agreements give the buyer the ability to determine the underlying rate of interest for a specified period commencing on a specified future date (the settlement date). There is no exchange of principal and settlement is effected on the settlement date. The settlement amount is the difference between the contracted rate and the market rate prevailing on the settlement date.

Interest rate swaps involve the exchange of interest obligations with the counterparty for a specified period without exchanging the underlying (or notional) principal.

Interest rate caps and floors give the buyer the ability to fix the maximum or minimum rate of interest. The writer of the contract pays the amount by which the market rate exceeds or is less than the cap rate or the floor rate respectively. A combination of interest rate caps and floors can create structures such as interest rate collar, cap spreads and floor spreads.

Interest rate futures are standardized interest rate derivative contracts traded on a recognized stock exchange to buy or sell a notional security or any other interest bearing instrument or an index of such instruments or interest rates at a specified future date, at a price determined at the time of the contract.

Exchange rate contracts

Forward foreign exchange contracts are agreements to buy or sell fixed amounts of currency at agreed rates of exchange on future date. These instruments are carried at fair value, determined based on either FEDAI rates or market quotations.

Cross currency swaps are agreements to exchange principal amounts denominated in different currencies. Cross currency swaps may also involve the exchange of interest payments on one specified currency for interest payments in another specified currency for a specified period.

Currency options (including Exchange Traded Currency Option) give the buyer, on payment of a premium, the right but not an obligation, to buy or sell specified amounts of currency at agreed rates of exchange on or before a specified future date.

Currency futures contract is a standardized contract traded on an exchange, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The underlying instrument of a currency future contract is the rate of exchange between one unit of foreign currency and the INR.

The Bank's derivative transactions relate to sales and trading activities. Sale activities include the structuring

विनिमय जोखिम दोनों) को हेज करने में समर्थ बनाया जा सके। बैंक डेरिवेटिव में स्वयं के खाते (व्यापार गतिविधि) से सौदा करता है जो मूल रूप से मूल्य आय में लघु अवधि में होने वाले उतार-चढ़ाव या अंतर्निहित अस्थिरता से लाभ जनरेट करना है। बैंक अपने दायित्वों या तुलनपत्र आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए भी डेरिवेटिव में सौदा करता है।

डेरिवेटिव व्यवसाय में शामिल घटक

ट्रेजरी फ्रंट-ऑफिस ग्राहकों और अंतर-बैंक प्रतिपक्षों के साथ व्युत्पन्न लेन-देन करता है। नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास एक स्वतंत्र बैंक-ऑफिस और मिड-ऑफिस है।

प्रवधानीकरण, संपार्थिक और ऋण जोखिम को कम करना

बैंक अपनी व्यापारिक रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिपक्षों के साथ डेरिवेटिव लेन-देन करता है। बैंक एक्सपोजर के क्रिस्टलीकरण होने की स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिपक्ष की क्षमता का मूल्यांकन करने के उपरांत उचित सीमा निर्धारित करता है। उचित क्रेडिट प्रसंविदा जहां आवश्यक हो, निर्धारित की जाती हैं, ताकि जोखिम को समाहित करने के लिए संपार्थिक की मांग की जा सके या लेन-देन को निरस्त किया जा सके।

हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए बैंक हेज की शुरुआत में हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट और हेज किए गए आइटम के बीच संबंध, हेज करने हेतु जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और हेज के प्रभावी होने के आकलन हेतु प्रक्रिया को दर्ज करता है। हेज की शुरुआत के समय और इसके बाद समय-समय पर हेज प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। हेज की प्रभावशीलता का आकलन हेज आइटम के अंकित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की सीमा जो हेज जोखिम से व्युत्पन्न है और जो विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के अंकित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन को बराबर करने के माध्यम से किया जाता है।

हेज/ नॉन-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन-देन अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं। डेरिवेटिव की स्थिति को जब तक हेज के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) और परिणामी नुकसान, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में माना जाता है। लाभ, यदि कोई है, को नहीं माना जाता है। ब्याज दर स्वेप से संबंधित आय और व्यय को उपचय आधार पर स्वीकार किया जाता है। ट्रेडिंग स्वेप की समाप्ति पर लाभ/ हानि समाप्ति तिथि पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश आरबीआई/2018-19/222 एफएम आरडी.डीआईआरडी.19/14.03.046/2018-19 दिनांक 26 जून, 2019 के अनुसार बैंक डेरिवेटिव अनुबंधों के हेज लेखांकन हेतु आईसीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करता है। हेज के रूप में निर्दिष्ट लेन-देन के लिए निम्नलिखित उपचार का अनुपालन किया जाता है-

- उचित मूल्य हेज के मामले में हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट और हेज किए गए मदों के उचित मूल्य में परिवर्तन लाभ और हानि खाते में माने जाते हैं,

and marketing of derivatives to customers to enable them to hedge their market risks (both interest rate and exchange risks), within the framework of regulations as applicable from time to time. The Bank deals in derivatives on its own account (trading activity) principally for the purpose of generating a profit from short term fluctuations in price yields or implied volatility. The Bank also deals in derivatives to hedge the risk embedded in some of its Balance Sheet assets or liabilities.

Constituents involved in derivative business

The Treasury front-office enters into derivative transactions with customers and inter-bank counterparties. The Bank has an independent back-office and mid-office as per regulatory guidelines.

Provisioning, collateral and credit risk mitigation

The Bank enters into derivative transactions with counter parties based on their business ranking and financial position. The Bank sets up appropriate limits upon evaluating the ability of the counterparty to honor its obligations in the event of crystallization of the exposure. Appropriate credit covenants are stipulated where required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and contain the risk.

For derivative contracts designated as hedging instruments, the Bank documents, at inception of the hedge, the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management objective for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is ascertained at the time of inception of the hedge and periodically thereafter. Hedge effectiveness is measured by the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument using various qualitative and quantitative methods.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Derivative positions, unless designated as hedges, are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on accrual basis. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

As per the RBI Guideline RBI/2018-19/222 FMRD. DIRD.19/14.03.046/2018-19 dated June 26, 2019 Bank follows the ICAI guidelines for the hedge accounting of derivative contracts. For transactions designated as hedges, following treatment is followed-

- In case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognized in the Profit and Loss Account,



- कैश फ्लो हेज के मामले में, हेजिंग लेनदेन और हेज्ड वस्तुओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'हेज रिज़र्व' के तहत आरक्षित और अधिशेष माना जाता है और अप्रभावी हिस्से, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ उनकी व्यवसाय रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर डेरिवेटिव लेनदेन शुरू करता है। उपयुक्त क्रेडिट प्रसंविदा, जहां आवश्यक हो, का ट्रिगर इवेंट के रूप में निर्धारण किया जाता है ताकि जोखिम कम करने हेतु कोलेटरल की मांग अथवा लेन-देन को रद्द किया जा सके। इसके अलावा, गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव लेनदेन में वर्तमान एक्सपोजर को कम करने के लिए बैंक ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्षकार बैंकों और कुछ भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स ('सीएसए') समझौते किए हैं। बैंक प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की पुष्टि करता है। किसी डेरिवेटिव अनुबंध के क्रिस्टलीकृत सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट वैल्यू से संबद्ध अतिदेय प्राप्य राशियों को उधारकर्ता के खाते में अंतरित कर दिया जाता है और यदि ये 90 दिनों या उससे अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हैं तो गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में मानी जाती हैं।

(ii) गुणात्मक प्रकटीकरण

- In case of cash flow hedges, the changes in fair value of effective portion are recognized in Reserves and Surplus under 'Cash flow hedge reserve' and ineffective portion of an effective hedging relationship, if any, is recognized in the Profit and Loss Account. The accumulated balance in the cash flow hedge reserve, in an effective hedging relationship, is recycled in the Profit and Loss Account at the same time that the impact from the hedged item is recognized in the Profit and Loss Account.

The Bank enters into derivative transactions with counterparties based on their business ranking and financial position. Appropriate credit covenants are stipulated where it is required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and minimize the risk. Further, to mitigate the current exposure in non-centrally cleared forex and derivative transactions, Bank has entered into Credit Support Annex ('CSA') agreements with major international counterparty banks and few Indian financial institutions. The Bank, at the minimum, confirms to the RBI guidelines with regard to provisioning requirements. Overdue receivables representing crystallized positive mark to market value of a derivative contract are transferred to the account of the borrower and treated as non-performing assets, if these remains unpaid for 90 days or more.

(ii) Quantitative Disclosures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S No	विवरण Particular	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025		31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	
		करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	ए) हेजिंग के लिए a) For hedging	9,285.28	12,881.44	14,196.33	14,266.80
	बी) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	12,509.75	1,44,497.78	28,927.93	59,490.56
(ii)	मार्क-टू-मार्केट स्थिति Marked to Market Positions				
	ए) आस्ति (+) a) Asset (+)	227.77	633.95	532.09	785.51
	बी) देयताएं (-) b) Liability (-)	411.16	411.71	987.28	213.16
(iii)	ऋण एक्सपोजर Credit Exposure	1,273.44	1,849.09	1,796.74	1,421.68
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	2.74	50.61	1.54	26.76
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	0.43	15.15	2.72	9.11

क्र.सं. S No	विवरण Particular	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025		31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	
		करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01 Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	ए) हेजिंग पर (घरेलू) अधिकतम Maximum a) on hedging (Domestic) न्यूनतम Minimum	6.71 1.34	75.38 1.81	13.83 0.01	127.11 3.07
	बी) ट्रेडिंग पर (घरेलू) अधिकतम Maximum b) on trading (Domestic) न्यूनतम Minimum	6.85 0.04	43.86 3.60	4.52 0.01	31.05 0.02
	सी) हेजिंग पर (विदेशी) अधिकतम Maximum c) on hedging (Overseas) न्यूनतम Minimum	1.04 0.02	16.55 1.89	0.95 0.95	13.69 1.07
	डी) ट्रेडिंग पर (विदेशी) d) on trading (Overseas)	-	-	-	-

डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया लेन-देन की मात्रा को दर्शाती है और जोखिम वाली राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

इस प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, करेंसी डेरिवेटिव में खरीदे और बेचे जाने वाले मुद्रा ऑप्शंस और क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप, करेंसी फ्यूचर्स शामिल हैं।

प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, ब्याज दर डेरिवेटिव में ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार और ब्याज दर कैप और फ्लोर शामिल हैं।

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

मूल्यांकन पद्धति - दिनांक 10 फरवरी, 2011 को सीडीएस से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों से एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस वक्र या यदि यह अधिक कंजरवेटिव मूल्यांकन में परिणत होता है तो किसी अन्य प्रोप्राइटरी मॉडल का उपयोग करके अपने सीडीएस अनुबंधों का मूल्यांकन करना अपेक्षित है। सीडीएस स्थिति के मूल्यांकन के लिए बैंक एफआईएमएमडीए वक्र का उपयोग करता है; सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक प्रोप्राइटरी मॉडल का उपयोग नहीं करता है। हालांकि, 31 मार्च, 2025 (पिछला वर्ष- शून्य) तक बैंक के पास कोई सीडीएस सौदा बकाया नहीं है।

The The notional principal amounts of derivatives reflect the volume of transactions outstanding as at the Balance Sheet date and do not represent the amounts at risk.

For the purpose of this disclosure, currency derivatives include currency options purchased and sold and cross currency interest rate swaps, Currency Futures.

For the purpose of this disclosure, interest rate derivatives include interest rate swaps, forward rate agreements and interest rate caps and floors.

Credit Default Swaps (CDS)

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated February 10, 2022 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing CDS positions; the Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation. However, the Bank does not have any CDS deal outstanding as on 31st March 2025. (Previous Year-NIL)

ए-8 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
1	प्रवर्तक द्वारा शुरू किए गए प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए एसपीई (विशेष प्रयोजन संस्थाओं) द्वारा धारित आस्तियों की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की रिपोर्ट की जाए) No of (Special Purpose Entities) SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	-	-

A-8 Disclosure relating to Securitization

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में) (Numbers/Amount in ₹ Cr)



क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
2	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	-	-
3	तुलनपत्र की तिथि को एमआरआर के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	-	-
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर a) Off-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	बी) तुलनपत्र का एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
4	एमआरआर से इतर अन्य प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	-	-
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर a) Off-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर i) Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर ii) Exposure to third party securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	बी) तुलन-पत्र का एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर i) Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर ii) Exposure to third party securitisations	-	-
	• प्रथम हानि • First loss	-	-
	• अन्य • Others	-	-
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल एवं प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/ हानि । Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	-	-
6	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण पश्चात आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य) । Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	-	-
7	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन । कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात् क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि सहायता, सेवा एजेंट आदि का अलग-अलग ब्यौरा दें । प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य का कोष्ठक में प्रतिशत के रूप में उल्लेख करें । Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	-	-
	(ए) प्रदत्त राशि (a) Amount paid	-	-
	(बी) प्राप्त चुकौती (b) Repayment received	-	-
	(सी) बकाया राशि (c) Outstanding amount	-	-
8	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें । Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	-	-
9	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त / टॉप अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें । Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	-	-
10	निवेशकों की शिकायतें Investor complaints	-	-
	(ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त एवं; (a) Directly/Indirectly received and;	-	-
	(बी) बकाया शिकायतें (b) Complaints outstanding	-	-



ए-9 प्रायोजित तुलनपत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है)

A-9 Off-balance sheet SPVs sponsored (Which are required to be consolidated as per accounting norms)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
	घरेलू Domestic	विदेशी Overseas
31 मार्च, 2024 को / As on March 31, 2025	शून्य / Nil	शून्य / Nil
31 मार्च, 2023 को / As on March 31, 2024	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-10 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-10 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amount transferred to DEAF	4,503.44	3,941.11
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	739.70	815.07
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	168.13	252.74
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of amounts transferred to DEAF	5,075.01	4,503.44
डीईए फंड में अंतरित राशि की अंतिम शेष राशि, 'अनुसूची 12 - 'आकस्मिक देनदारियां - अन्य' के तहत भी शामिल की गई है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। The closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, are also included under 'Schedule 12 - 'Contingent Liabilities - Others'.		

ए-11 शिकायतों का प्रकटीकरण

A-11 Disclosure of complaints

ए) बैंक को ग्राहकों एवं लोकपाल से प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण अथवा शिकायतें एवं उनका समाधान:

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Ombudsman or complaints and grievances redress:

क्र.सं. S. No	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1	वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	15,618	44,916
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	5,34,900	10,44,419
3	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या. Number of complaints disposed during the year	5,34,778	10,73,717
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	5,836	2,912
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	15,740	15,618
4.1	बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त स्वीकरण योग्य शिकायते Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		

क्र.सं. S. No	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
5	लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त स्वीकरण योग्य शिकायतें Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	7,288	8,651
5.1	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	2,543	2,898
5.2	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी समाधान/ मध्यस्थता/ एडवाइजरी के माध्यम से निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	4742	5,751
5.3	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय जारी करने के बाद निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	3	2
6	निर्धारित समय (जिनमें अपील की गई हैं उन्हें छोड़कर) के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0*	शून्य NIL
*1 स्वीकरण योग्य शिकायतों से आशय उन शिकायतों से है जो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित हैं और इस योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं। नोट: मंटेन करने योग्य शिकायतों से आशय उन शिकायतों से है जो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित हैं और इस योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं। *1 Banking Ombudsman Award dated March 25, 2025 was received during the March 2025 quarter, however the compliance timeline for this Award has not yet expired. Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme.			

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers					
शिकायतों का आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित हैं -) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	बिन्दु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2024-25 / FY 2024-25					
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	12,085	3,12,649	(53.91)%	11,797	78
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	2,160	1,24,872	(50.38)%	3,244	880
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	472	34,098	(14.14)%	177	5
ऋण और अग्रिम Loans and advances	175	10,603	(8.57)%	79	2
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	79	4,619	(54.64)%	43	0
अन्य Others	647	48,059	(9.28)%	400	7



बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers					
शिकायतों का आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित हैं -) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	बिन्दु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2023-24 / FY 2023-24					
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	40376	678314	30.85%	12085	34
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	3116	251634	(18.50)%	2160	27
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	318	39714	(22.62)%	472	4
ऋण और अग्रिम Loans and advances	126	11597	(20.78)%	175	2
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	91	10183	(8.15)%	79	1
अन्य Others	889	52977	(1.39)%	647	3

- बी) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त और निस्तारित की गई निवेशकों की शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:-
- b) Number of Investors' complaints received and disposed off during the year ended March 31, 2025 are :-

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतें Complaints un-resolved at beginning of the Year	प्राप्त Received	निस्तारित Resolved	वर्ष के अंत में लंबित Unresolved at the end of the Year
शून्य NIL	993	993	शून्य NIL

ए- 12 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

A-12 Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

वित्त वर्ष 2024-25 / FY 2024-25

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	उल्लंघन की प्रकृति Nature of Breach	घरेलू / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल / TOTAL	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed by RBI	विनियामक / परिचालनगत Regulatory/ Operational	1417	2.24	-	-	1417	2.24
विदेशी क्षेत्रों पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		-	-	-	-	-	-

वित्त वर्ष 2023-24 / FY 2023-24

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	उल्लंघन की प्रकृति Nature of Breach	घरेलू / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल / TOTAL	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed by RBI	विनियामक / परिचालनगत Regulatory/Operational	1351	6.70	-	-	1351	6.70
विदेशी क्षेत्रों पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		-	-	-	-	-	-

बी) एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए आर्थिक दंड का प्रकटीकरण **b) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms**
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2024-25	-	-	-
2023-24	-	-	-

सी) रिवर्स रेपो लेन-देन में आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (डिफॉल्ट करने वाले प्रतिभागी के लिए लागू) - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य) **c) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant)- Nil (Previous Year - Nil)**

डी) निम्नलिखित विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए किसी अन्य दंड का विवरण: **d) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :**

- 1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)
- 2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)
- 3) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

- 1) Banking Regulation Act, 1949, - Nil (Previous Year - Nil)
- 2) Payment and Settlement Act, 2007, Nil (Previous Year - Nil)
- 3) Government Securities Act, 2006. Nil (Previous Year - Nil)

ए-13 अन्य प्रकटीकरण

ए) व्यावसायिक अनुपात

A-13 Other Disclosures

a) Business Ratios

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय ¹ Interest Income as a percentage to Working Funds ¹	7.19%	7.28%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय ¹ Non-interest income as a Percentage to Working Funds ¹	0.99%	0.94%
जमा राशि की लागत Cost of Deposits	5.10%	4.92%
निवल ब्याज मार्जिन ² Net Interest Margin ²	3.02%	3.18%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.92%	2.00%
आस्तियों पर रिटर्न ³ Return on Assets ³	1.16%	1.17%
प्रति कर्मचारी कारोबार ³ (जमा राशि प्लस अग्रिम) (राशि ₹ करोड़ में) Business ³ (Deposits plus Advances) per employee (Rs. in Crores)	34.33	30.46
प्रति कर्मचारी लाभ (राशि ₹ करोड़ में) Profit per employee (₹ in Crores)	0.26	0.24



व्यवसाय अनुपात/सूचना से संबंधित कुछ मदों की परिभाषाएं:

- कार्यशील निधियों की गणना कुल आस्तियों (संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाएगी जैसे कि वित्त वर्ष के 12 महीनों के दौरान फॉर्म X में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया गया है।
- निवल ब्याज आय / औसत अर्जन वाली परिसंपत्ति। निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय।
- आस्तियों पर रिटर्न औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानि को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा।
- प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि प्लस अग्रिम) की गणना के उद्देश्य से अंतर बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है।

बी) बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्रकटीकरण

थर्ड पार्टी उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

Definitions of certain items in Business ratios / information:

- Working funds to be reckoned as average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X, during the 12 months of the Financial Year.
- Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income - Interest Expense
- Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
- For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded.

b) Disclosure Regarding Bancassurance Business

Income earned for marketing third party products

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024
जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु For selling life insurance policies	255.59	277.88
गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु For selling Non-life insurance policies	86.42	89.23
प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana	10.31	10.67
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना Prime Minister Suraksha Bima Yojana	3.25	3.01

सी) विपणन और वितरण

c) Marketing & Distribution

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024
म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु For selling mutual fund products	143.70	102.11
इक्विटी उत्पाद की बिक्री हेतु For selling on Equity product	-	-
पीएमएस/एआईएफ उत्पादों की बिक्री हेतु For selling PMS/AIF products	1.31	7.33
यूआईडीएआई-आधार UIDAI-Aadhar	21.64	19.38
अटल पेंशन योजना Atal Pension Yojna	14.97	13.55

डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

d) Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीद और बिक्री की है :-

The bank has **purchased and sold** the following PSLCs during the year:-

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान / During FY- 2024-25

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम / PSLC Micro Enterprises	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि / PSLC Agriculture	7,500.00	-
3.	पीएसएलसी सामान्य / PSLC General	60,000.00	-
4.	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान / PSLC Small and Marginal Farmers	-	1550.00
5.	अन्य / Other	-	-
	कुल / Total	67,500.00	1,550.00

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान / During FY- 2023-24

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम / PSLC Micro Enterprises	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि / PSLC Agriculture	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य / PSLC General	-	-
4.	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान / PSLC Small and Marginal Farmers	-	-
5.	अन्य / Other	-	-
	कुल / Total	-	-

ई) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

e) Provisions and Contingencies

लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का मदवार विवरण इस प्रकार है:

Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (बट्टे खाते डाले गए सहित और प्रतिलेखित को घटाकर) Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	37.35	(31.27)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/ एनपीए के लिए प्रावधान (प्रतिलेखित को घटाकर) Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	5252.32	6,561.74
स्टैंडर्ड आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for standard assets	419.11	(688.51)
कर हेतु प्रावधान, आस्थगित करों और संपदा कर सहित (प्रावधानों के रिवर्सल को घटाकर)) Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	6873.23	7,100.83
जिनमें से, मौजूदा कर Out of which, Current Tax	5766.75	5278.03
आस्थगित कर Deferred Tax	1106.48	1822.80
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित स्टैंडर्ड व सब-स्टैंडर्ड खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	(81.97)	(90.88)
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान Provision for Country Risk Management	31.23	12.64
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्ध दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं) । Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	322.21	311.89
कुल Total	12,853.48	13,176.44



सतत् प्रक्रिया के रूप में बैंक ने 15% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष प्रतिभूत उप-मानक अग्रिमों पर 20% का प्रावधान करना जारी रखा है। उपर्युक्त के अलावा बैंक ने उधारकर्ता की निधि-आधारित सुविधा के अस्तित्व वर्गीकरण के आधार पर 50% ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ) को लागू कर एनपीए उधारकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान करना जारी रखा है। बैंक ने अनर्जक रिटेल अग्रिमों की कुछ श्रेणियों के लिए 100% प्रावधान करना जारी रखा है।

एफ) आईएफआरएस स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) का कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक आस्थगित कर दिया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सभी बैंकों से प्रत्येक छमाही में प्रोफार्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली संचालन समिति के अनुमोदन के बाद बैंक प्रत्येक छमाही में प्रोफार्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणी तैयार कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करता है।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान Payment of DICGC Insurance Premium	1,580.99	1,458.63
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया Arrears in payment of DICGC premium	-	-

एच) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण.

बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए के संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1,454.41 करोड़ की अतिरिक्त देयता राशि का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर. एसीसी.आरईसी.57/ 21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 से बैंकों को अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन उक्त अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त प्रावधान का अनुपालन कर रहा है और तदनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में क्रमशः ₹ 72.72 करोड़ और ₹ 290.88 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है और ₹ 290.89 करोड़ के अपरिशोधित शेष को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यदि बैंक द्वारा शेष अतिरिक्त देयता का लाभ एवं हानि खाते में प्रावधान किया गया होता तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद) ₹ 217.67 करोड़ कम हो जाता।

As a consistent practice, the Bank has continued to make provision of 20% on the secured sub- standard advances as against the regulatory minimum requirement of 15%. In addition to the above, the Bank has also continued to maintain provision on non-fund based facilities of NPA borrowers, by applying 50% Credit conversion factor (CCF), based on the asset class of the fund based facility of the borrower. The Bank also continues to make 100% provision on certain classes of non-performing retail advances.

f) Implementation of IFRS Converged Indian Accounting standards (Ind AS)

RBI vide Circular DBR.BPBC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 deferred implementation of Ind AS till further notice. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS financial statements every half year. Accordingly, the Bank is preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS financial statements every half year after approval of Steering Committee, headed by the Executive Director, formed for monitoring the implementation of Ind AS in the Bank.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

h) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks

The Bank has estimated an additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹ 1454.41 Crore. RBI vide their Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021 has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted for the said provision of RBI and accordingly charged an amount of ₹ 72.72 Crore and ₹ 290.88 Crore to the Profit & Loss account for the quarter and year ended March 31, 2025 respectively and the balance unamortized expense of ₹ 290.89 Crore has been carried forward. Had the Bank charged the remaining additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit for the quarter and year ended March 31, 2025 would have been lower by ₹ 217.67 Crore (net of taxes).

i. प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष

सांविधिक आरक्षित निधि

बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई के दिनांक 23 सितंबर, 2000 के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसरण में 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में से ₹4,895.29 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹4,447.20 करोड़) का समायोजन सांविधिक प्रारक्षित निधि हेतु किया है।

प्रारक्षित पूंजी

प्रारक्षित पूंजी में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, भारत सरकार द्वारा लघु/मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत सदस्यता राशि शामिल है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री और अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, निवल कर और सांविधिक प्रारक्षित निधि, लाभ एवं हानि खाते से प्रारक्षित पूंजी से ₹ 451.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 104.17 करोड़) का समायोजन किया है।

निवेश उतार – चढ़ाव संबंधी प्रारक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को राजकोषीय वर्ष 2019 की शुरुआत से तीन वर्षों की अवधि के भीतर निवेश संबंधी उतार – चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर) का निर्माण करना है जो उनके एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियों के 2% के समतुल्य होगी। बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2025 तक आरबीआई के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व है। दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते से निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि के लिए ₹ शून्य करोड़ राशि समायोजित की है। (पिछले वर्ष: ₹शून्य करोड़)

निवेश प्रारक्षित निधि खाता

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुरूप, बैंक निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व की न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है, अतः बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 तक निवेश प्रारक्षित खाते में ₹ 563.86 करोड़ की शेष राशि को जनरल रिज़र्व में अंतरित कर दिया है।

विशेष प्रारक्षित निधि

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष प्रारक्षित निधि में ₹1466.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 615.92 करोड़) का समायोजन किया है, जिसमें से ₹446.53 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित है।

एएफएस रिज़र्व

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2025 तक ₹ 1618.35 करोड़ (आस्थगित कर के बाद निवल) का एएफएस रिज़र्व बनाया है (पिछले वर्ष: ₹ शून्य)

i. Reserves and Surplus

Statutory Reserve

The Bank has made an appropriation of ₹ 4,895.29 Crore (Previous Year: ₹ 4,447.20 Crore) out of profits for the year ended March 31, 2025 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000.

Capital Reserve

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

During the year ended March 31, 2025, the Bank appropriated ₹ 451.49 Crore (Previous Year: ₹ 104.17 Crore), being the profit from sale of investments under HTM category and profit on sale of immovable properties, net of taxes and transfer to statutory reserve, from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve.

Investment Fluctuation Reserve

In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. Bank holds adequate Investment Fluctuation Reserve as on March 31, 2025 to cover the prescribed RBI norms. During the year ended March 31, 2025, the Bank has made ₹ NIL appropriation to the Investment Fluctuation Reserve from the Profit and Loss Account. (Previous Year: ₹ NIL).

Investment Reserve Account

In accordance with RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks, as the bank meets the minimum regulatory requirements of Investment Fluctuation Reserve, the bank has transferred the balance of ₹ 563.86 crore in the Investment Reserve Account as on March 31, 2024 to General Reserve.

Special Reserve

During the year ended March 31, 2025, the Bank appropriated ₹ 1466.53 crore (Previous Year ₹ 615.92 crore) in Special Reserve created u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961, Out of which ₹ 446.53 crores pertains to the FY 2023-24.

AFS Reserve

In accordance with RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks, bank has created AFS reserve of ₹ 1618.35 crore (net of Deferred Tax) as on March 31, 2025 (Previous Year: ₹ NIL)



j) लेटर ऑफ़ कम्फर्ट की स्थिति

j) Status of Letters of Comfort

जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण Brief details of LOC issued		आकलित वित्तीय प्रभाव Assessed Financial Impact
ए A	वर्ष के दौरान जारी Issued during the year	चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन में सहयोग के लिए विदेशी नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। During the current financial year the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas Branches/Subsidiaries /Joint ventures
31 मार्च, 2024 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31, 2025		
बी	बकाया एलओसी (संचयी वित्तीय दायित्व) LOC Outstanding (Cumulative financial obligations)	
ए)	पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी - बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड के जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों को संपूर्ण ऋणग्रस्तता की गारंटी देते हुए वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड को प्रस्तुत की गई गारंटी विलेख।	31 मार्च, 2025 को अनुषंगी कंपनी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाओं के एवज में ऋण का निवल) ₹ 281.21 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹ 6.13 करोड़। (अर्थात् ₹287.34 करोड़ की कुल देयताएं) हैं। 31 मार्च, 2025 को अनुषंगी कंपनी की निवल मालियत ₹266.87 करोड़ है। इस संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता ₹20.47 करोड़ है।
a)	Deed of Guarantee submitted to Reserve Bank of New Zealand during FY 2008-09 guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors.	As on 31st Mar 2025, the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 281.21 Crore and outside liabilities are ₹ 6.13 Crore (i.e. total liabilities of ₹ 287.34 Cr). The net worth of the subsidiary as on 31st Mar 2025 is ₹ 266.87 Crore. The net contingent liability on Bank of Baroda is ₹ 20.47 Crore in this regard.
बी)	वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया को संयुक्त उद्यम बैंक - 'इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी)' में हमारे बैंक की 40% शेयरधारिता तक एलओसी जारी किया गया था।	31 मार्च, 2025 को आईआईबीएमबी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमा राशि के एवज में ऋण का निवल) ₹0.41 करोड़ हैं और अन्य देयताएं ₹0.41 करोड़ (अर्थात् ₹0.41 करोड़ की कुल देयताएं) हैं। 31 मार्च, 2025 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹623.67 करोड़ है। कुल देयताओं के साथ-साथ नेटवर्थ में मूल बैंक का हिस्सा 40% यानी क्रमशः ₹0.16 करोड़ और ₹ 249.47 करोड़ है।
b)	LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia Upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - 'India International Bank (Malaysia) Bhd.(IIBMB)'	As on 31st Mar 2025, the deposits of IIBMB (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are Nil and other liabilities are ₹ 0.41 Crore (i.e. Total liabilities of ₹ 0.41 Crore). The net worth of the IIBMB as on 31st Mar 2025 is ₹ 623.67 Crore. Parent Bank share in the total liabilities as well as net worth is 40% i.e. ₹ 0.16 Crore and ₹ 249.47 Crore respectively.
सी)	आईएफएससी, गिफ्ट सिटी शाखा के लिए नियामक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को 25 अक्टूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया।	31 मार्च, 2025 को आईएफएससी शाखा की कुल जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाराशि के एवज में ऋण का निवल) ₹ 41,014.22 करोड़ है, उधार ₹8,573.45 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹832.35 करोड़ (अर्थात् ₹38,165.32 करोड़ की कुल देयताएं) हैं। 31 मार्च, 2025 को शाखा की नेटवर्थ ₹3,910.21 करोड़ है।
c)	LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. International Financial Services Centres Authority (IFSCA) for IFSC, Gift City Branch.	आईएफएससीबीयू को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है और विदेशी शाखा की आस्ति एवं देयताएं बैंक की स्टैंडअलोन तुलन पत्र में दर्शाई जाती हैं। इसलिए, आईएफएससी गिफ्ट सिटी शाखा के लिए जारी किए गए लेटर ऑफ़ कम्फर्ट को बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। As on 31st Mar 2025, IFSC branch's Total Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 41,014.22 Crore, borrowings are ₹ 8,573.45 Crore and outside liabilities are ₹ 832.35 Crore (i.e. total liabilities of ₹ 50,420.02 Crore). The net worth of the branch as on 31st Mar 2025 is ₹ 3,910.21 Crore. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's Standalone Balance Sheet.

बी. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी-1 इस अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि से संबंधित मदें तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

(i) पूर्व अवधि से संबंधित मद:

इस वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि से संबंधित आय / व्यय के कोई महत्वपूर्ण मद नहीं थे।

(ii) लेखांकन नीति:

01 अप्रैल, 2024 से लागू आरबीआई मास्टर निर्देश में उल्लिखित, नीचे दिए गए आवश्यक परिवर्तनों को छोड़कर बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने समय उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का पालन करना जारी रखा है, जिनका 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 12 सितंबर, 2023 को जारी वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर मास्टर निर्देश, 2023, जो कि दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हैं, के अनुसार, बैंक ने वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन और लाभ और हानि के उचित मूल्यांकन के लिए अपनी लेखांकन नीतियों में अपेक्षित परिवर्तन किए हैं। संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंक ने दिनांक 01 अप्रैल, 2024 तक अपने निवेश पोर्टफोलियो को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों तथा एफवीटीपीएल की उप-श्रेणी के रूप में ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) के साथ उचित मूल्यांकन द्वारा (एफवीटीपीएल) के अंतर्गत लाभ और हानि श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

उक्त नीति के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, संशोधन की तारीख अर्थात् 01 अप्रैल, 2024 को करें को छोड़कर, आरक्षित निधियों पर ₹ 3022.07 करोड़ का सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया। निवेश पोर्टफोलियो से संबंधित क्रमशः पिछली अवधि और दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक आंकड़ों 31 मार्च, 2025 के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

बी-2 - एएस 11- विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन :

विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व का संचलन

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Accounting policy:

The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of Audited financial statements for the year ended March 31, 2025 as followed in the previous financial year ended March 31, 2024 except for the changes required on account of RBI Master Direction applicable from April 01, 2024 as stated below:

Pursuant to the Master Direction dated September 12, 2023 issued by Reserve Bank of India on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 applicable from April 01, 2024, the Bank has carried out the requisite changes in its accounting policies for classification, accounting of investment portfolio and symmetric treatment of fair value gains and losses. In accordance with the revised norms, the Bank has classified its investment portfolio as on April 01, 2024 under the categories of Held To Maturity (HTM), Available For Sale (AFS), subsidiaries, associates and joint ventures and Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) with Held For Trading (HFT) as a sub-category of FVTPL.

Consequent to the implementation of the said policy, there was a positive transitional impact on the reserves, net of taxes, of ₹ 3022.07 Crore as on the date of transition i.e. April 01, 2024. The corresponding previous period and yearly figures related to Investments portfolio in respect of financial year ended 31st March, 2024 respectively are not comparable with those of 31st March, 2025.

B-2 - AS 11- Changes in foreign exchange rates:

Movement of foreign currency translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	2024-25	2023-24
प्रारंभिक शेष Opening balance	4247.81	4,193.90
वर्ष के दौरान जमा Credited during the year	559.82	53.91
वर्ष के दौरान आहरण Withdrawn during the year	-	-
अंतिम शेष Closing Balance	4807.64	4,247.81



बी -3 कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक- 15)

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस- 15) को अपनाया है।

बी-3.1 ग्रेच्युटी

जो कर्मचारी प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवा के पश्चात बैंक की सेवा से एक्जिट हो जाते हैं, बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। तदनुसार, बैंक भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए प्रत्येक वर्ष एक आंतरिक ट्रस्ट में अंशदान करता है। ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, अनुमानित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयताओं के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है। निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना तीन विभिन्न योजनाओं (बीओबीएसओआर, 1979/ बीपीएस, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियम) के तहत की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता का निर्धारण कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी योजना आधार पर किया जाता है।

बी-3.2 पेंशन

बी-3.2.1- बैंक अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें पेंशन, विनिर्दिष्ट लाभ का भुगतान करता है। यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अनुरूप उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है। कार्यकाल के समापन के समय, पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन के कम्प्यूटेशन का भुगतान उक्त विनियमन के तहत किया जाता है। बैंक पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन एवं निश्चित भत्तों के 10% के बराबर अपना अंशदान करते समय बीमांकिक गणनाओं के आधार पर अतिरिक्त अंशदान भी करता है।

बी-3.2.2 नई पेंशन योजना पेंशन का अन्य विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी बैंक द्वारा दिनांक 27.04.2010 के संयुक्त नोट/ समझौते के तहत शुरू की गई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, जो कि दिनांक 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से संचालित योजना के समान है। अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा विनियमित किया जाता है।

B-3 Employee Benefits (Accounting Standard -15)

The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI.

B-3.1 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who Exit from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes (BOBOSR, 1979 /BPS, Gratuity Act, 1972 and Bank of Baroda Gratuity Fund Rules) and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-3.2 Pension

B-3.2.1- Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund. At the time of cessation, those eligible for pension are paid commutation of Pension as provided by the said Regulations. While the Bank contributes its contribution at 10% of eligible employees' Basic and certain allowances, additional contribution is also made based on the Actuarial calculations.

B-3.2.2 New Pension Scheme- In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010 similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme i.e. National Pension System (NPS) introduced for the employees of Central Government w.e.f 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence, they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. The Defined Contributory Pension Scheme i. e. National Pension System (NPS) is regulated by PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority).

दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवा ग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जाता है तथा एनएसडीएल को भेजा जाता है जो इन खातों को प्रबंधित करता है। निधियों का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है। हालांकि, 11वें द्विपक्षीय समझौते / 8वें संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार, बैंक के योगदान को 11 नवंबर 2020 से वेतन और महंगाई भत्ते के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।

बी-3.3 भविष्य निधि

बैंक के लिए अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने बैंक की सेवा दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व ज्वाइन की हैं, के सेवानिवृत्ति लाभों के भाग के रूप में भविष्य निधि रखना सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि को बैंक द्वारा प्रबंधित ट्रस्ट द्वारा शासित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पीएफ का सदस्य है, अपने मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान करता है और बैंक पीएफ चयनकर्ता के लिए उस राशि के बराबर राशि का अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

बी-3.4 छुट्टी का नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तारीख पर अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के अधिकतम 255 (संदर्भ-12वां बीपीएस/ दिनांक 09.03.2024 के 9वां संयुक्त नोट) दिनों के नकदीकरण के लिए पात्र है।

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के 50% तक, अधिकतम 120 दिनों के अधीन, नकदीकरण के लिए पात्र है।

बी-3.5 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

अवकाश अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने दिनांक 01.07.1979 से पूर्व बैंक की सेवाएं ग्रहण की हैं, वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 6 माह का वेतन पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना और अन्य समामेलित बैंक को छोड़कर) में 25 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर ली हो और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता/ करती हो।

इसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य जिन्होंने दिनांक 01.04.2019 से पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा में सेवा ग्रहण की थी वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना बैंक और अन्य समामेलित बैंकों को छोड़कर) में तीस वर्षों की सेवाएं पूरी की हों और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता/ करती हो।

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे कर लिए गए हों।

In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme i.e. National Pension System (NPS) at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution is made by the Bank and remitted to the NSDL which maintains the accounts. Funds are managed by the Pension Fund Manager. However, in terms of 11th BPS / 8th Joint Note dated 11.11.2020, Bank's contribution has been enhanced from 10 % to 14 % of pay plus dearness allowance w.e.f. 11th November, 2020.

B-3.3 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee who is member of PF contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the PF in case of PF optee. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-3.4 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 255 days (reference 12th BPS / 9th Joint Note dated 08.03.2024) on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-3.5 Additional Retirement Benefit (ARB)

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer who had joined the Bank prior to 01.07.1979 on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he/ she had completed twenty-five years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB and any other amalgamated Banks) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member who had joined the Bank prior to 01.04.2019 on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided he/ she had completed thirty-years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB and any other amalgamated Banks) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.



बी-3.6 प्रकटीकरण

B-3.6 Disclosures

I. परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी एवं पेंशन)

I. Defined Benefit Plans (Gratuity and Pension)

ए) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी* / Gratuity*	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	31,004.03	29,280.20	4,181.17	3,031.44
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	1989.17	2012.89	279.66	207.31
जोड़ें- पिछली सेवा लागत Add - Past Service Cost	-	-	-	-
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	2561.68	2551.45	279.70	249.22
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2894.55	2724.31	326.26	320.11
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि / लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(208.69)	(116.2)	963.29	1,013.31
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	32,451.64	31,004.03	5,377.56	4,181.17

* इसमें संविदागत कर्मचारियों के लिए देनदारी शामिल है।

* It includes liability for contractual employees.

बी) योजनागत आस्तियों के समुचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष Opening Fair Value of plan assets	29,496.79	25,695.94	3,040.42	2,905.68
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न Add- Expected Return on Plan Assets	2,212.26	1,927.20	228.03	217.93
जोड़ें- अंशदान Add- Contributions	925.47	4,502.50	1140.75	225.75
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,894.55	2,724.31	326.26	320.11
जोड़ें- बीमांकिक लाभ /(-) हानि Add- Actuarial gain/(-)loss	204.45	95.46	87.91	11.16
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष Closing Fair Value of Plan Assets	29,944.42	29,496.79	4,170.85	3,040.42

सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
i) परिभाषित लाभ देयताओं का अंतिम शेष i) Closing Defined Benefit Obligation	32,451.64	31,004.03	5,377.56	4,181.17
ii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष ii) Closing Fair Value of Plan Assets	29,944.42	29,496.79	4,170.85	3,040.42
iii) अंतर iii) Difference	2,507.22	1,507.24	1,206.71	1,140.75
iv) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता iv) Unrecognized transitional liability	(290.89)	(581.77)	-	-
v) तुलन-पत्र में मान्य देयता v) Liability Recognized in the BS	2216.33	925.47	1,206.71	1,140.75

डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024
i) वर्तमान सेवा लागत i) Current Service Cost	2,561.68	2,551.45	279.70	249.22
ii) पूर्व सेवा लागत ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	1,989.17	2,012.89	279.66	207.31
iv) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न iv) Expected Return on Plan Assets	2,212.26	1,927.20	228.03	217.93
v) निवल बीमांकिक हानि/लाभ (-) v) Net Actuarial Loss/gain(-)	(413.14)	(502.55)	875.38	1,002.15
vi) वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता का निर्धारण vi) Transitional liability recognized in the year	290.88	290.88	-	-
लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च (i+ii+iii-iv+v+vi) Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii-iv+v+vi)	2,216.33	2,425.47	1,206.71	1,240.75

ई) निवेश पैटर्न: (% में)

e) Investment Pattern: (In %)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
सरकारी प्रतिभूतियां Govt. Securities	13.39	12.60	6.20	9.67
कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां Corporate Securities	14.93	14.71	6.20	9.97



विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
अल्पकालिक प्रतिभूतियां Short-term Securities	-	-	-	-
इक्विटी Equity	3.16	2.98	1.78	2.48
बीमा Insurance	68.40	69.71	85.55	77.88
अन्य Others	0.12	-	0.27	-
कुल Total	100.00	100.00	100.00	100.00

एफ) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में]

f) **Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]**

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024
रियायती दर Discount rate	6.73%	7.21%	6.96%	7.22%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर Expected Rate of Return on plan Assets	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%

मॉर्टेलिटी दर : आईएएलएम (2012-2014) यूएलटी * Mortality Rate: IALM (2012-2014) ULT

जी) पेंशन हेतु पाँच वर्ष का प्रकटीकरण

g) **Five year's disclosure for Pension**

i) योजना में अधिशेष /कमी

i) **Surplus/Deficit in the plan**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
i. वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year		24,197.43	27,280.10	29,280.20	31,004.03	32,451.64
ii. वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year		22,009.80	25,429.17	25,695.94	29,496.79	29,944.42
iii. अंतर (ii-i) Difference (ii-i)		(2,187.63)	(1,850.93)	(3,584.26)	(1,507.24)	(2,507.22)
iv. अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost		-	-	-	-	-
v. अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability		-	(1163.53)	(872.65)	(581.77)	(290.89)
vi. तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)		(2,187.63)	(687.40)	(2,711.61)	(925.47)	(2,216.33)

एच) ग्रेच्युटी के लिए पाँच वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/ कमी

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
i.	वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year	3,017.96	3,053.69	3,029.60	4,181.17	5,377.56
ii.	वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year	2,348.73	2,986.54	2,905.68	3,040.42	4,170.85
iii.	अंतर (ii-i) Difference (ii-i)	(669.23)	(67.15)	(123.92)	(1,140.75)	(1,206.71)
iv.	अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost	-	-	-	-	-
v.	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
vi.	तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)	(669.23)	(67.15)	(123.92)	(1,140.75)	(1,206.71)

II. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व): संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित तालिका संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और एआरबी की स्थिति निर्धारित करती है:-

ए) देयता के प्रारंभिक और अन्तिम शेष का समायोजन

II) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	2,260.53	1,895.23	287.76	275.22
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	149.85	131.01	19.20	18.93
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	472.61	417.15	7.50	6.45
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	215.09	161.39	23.95	25.85
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(1.22)	(21.47)	26.43	13.01
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	2,666.68	2,260.53	316.94	287.76



बी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024
i) मौजूदा सेवा लागत i) Current Service Cost	472.61	417.15	7.50	6.45
ii) विगत सेवा लागत ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	149.85	131.01	19.20	18.93
iv) निवल बीमांकिक हानि/ लाभ (-) iv) Net Actuarial Loss/gain(-)	(1.22)	(21.47)	26.43	13.01
लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च Expenses Recognized in P&L	621.24	526.69	53.13	38.39

**सी) तुलन-पत्र में मान्य प्रारंभिक और अंतिम देयता/ (आस्तियों)
का समायोजन**

c) Reconciliation of opening and closing liability/ (assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण* Leave Encashment*		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
i) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष i) Opening Defined Benefit Obligation	2,260.53	1,895.23	287.76	275.22
ii) निवल अधिग्रहण लागत ii) Net Acquisition Cost	-	-	-	-
iii) उपरोक्तानुसार व्यय iii) Expenses as above	621.24	526.29	53.13	38.39
iv) प्रदत्त लाभ iv) Benefit paid	215.09	161.39	23.95	25.85
v) तुलन-पत्र में मान्य कुल देयता v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	2,666.68	2,260.53	316.94	287.76

*इसमें संविदागत कर्मचारियों हेतु देयता शामिल है।

* It includes liability for contractual employees.

डी) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024
रियायती दर Discount rate	6.96%	7.22%	6.96%	7.22%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

मॉर्टैलिटी दर: आईएएलएम (2012-2014) यूएलटी Mortality Rate: IALM (2012-2014) ULT

भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित विगत अनुभव/ तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और मान्यताओं को लेखापरीक्षकों द्वारा आधार बनाया गया है।

बी-4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक - 17)

बी- 4.1 सेगमेंट निर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय सेगमेंट): बैंक के प्रमुख सेगमेंट निम्नानुसार हैं: -

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी सेगमेंट में समग्र निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा संविदा तथा डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल है। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से ट्रेडिंग परिचालनों से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है।

ii. कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 7.5 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं।

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 7.5 करोड़ तक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता के खाते शामिल हैं। रिटेल खंड के तहत डिजिटल बैंकिंग उप खंड भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में कार्यरत डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की शेष राशि को दर्शाता है।

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उपयुक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) गौण (भौगोलिक सेगमेंट)

i) घरेलू परिचालन - भारत में कार्यरत शाखाएं / कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफसोर बैंकिंग इकाइयां

III) राजस्व सेगमेंट बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।

IV. आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है। ट्रेजरी परिचालन की आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं।

अन्य सेगमेंट की आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

ए) ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है।

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

B-4. Segment Reporting (Accounting Standard -17)

B-4.1 Segment Identification

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 7.5 Crores and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of upto ₹ 7.5 Crores. Digital Banking sub segment under retail segment represents balances of Digital Banking Units functioning in the bank as per RBI directive.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognized as under:

a) The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.



- बी) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/भुगतान किए गए शेष ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है।
- सी) अन्य आय/ अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग/ रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में अनाबंटित किया गया है।
- बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें अनाबंटित माना गया है।

- b) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.
- c) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

बी- 4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी B-4.2 Segment Information
भाग ए: कारोबार सेगमेंट Part A: Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking				अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total			
					रिटेल बैंकिंग (ए+बी) Total Retail Banking (A+B)									
					वि.व. : 2024-25 FY:2024-25	वि.व. : 2023-24 FY:2023-24	वि.व. : 2024-25 FY:2024-25	वि.व. : 2023-24 FY:2023-24	डिजिटल बैंकिंग (ए) Digital Banking (A)	अन्य रिटेल बैंकिंग (बी) Other Retail Banking (B)	कुल रिटेल बैंकिंग (ए+बी) Total Retail Banking (A+B)	वि.व. : 2024-25 FY:2024-25	वि.व. : 2023-24 FY:2023-24	वि.व. : 2024-25 FY:2024-25
सेगमेंट राजस्व Segment Revenue	32234.69	30668.58	51375.21	48513.32	1.14	0.55	53133.66	47133.18	53134.80	47133.73	1344.27	785.68	138088.97	127101.31
सेगमेंट परिणाम Segment Result	6947.09	4942.02	16559.87	16408.56	-15.31	-12.26	7960.82	11004.55	7945.51	10992.29	1344.27	785.68	32796.74	33128.55
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense													6342.36	8238.94
कर पूर्व लाभ Profit before tax													26454.38	24889.61
घटाएं : कर के लिए प्रावधान Less: Provision for tax													6873.23	7100.83
विशिष्ट लाभ/हानि Extra-Ordinary Profit/Loss			-	-	-									
निवल लाभ Net Profit													19581.15	17788.78
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	522144.15	474624.13	709789.49	635854.42	17.03	13.85	519399.39	454344.96	519416.42	454358.81	-	-	17,51,350.06	15,64,837.36
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets													29897.26	20959.73
कुल आस्तियां Total Assets													1781247.32	1585797.09
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	482006.57	441035.96	655227.49	590856.32	15.71	12.87	479472.81	422191.90	479488.53	422204.77	-	-	16,16,722.59	14,54,097.05
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities													27599.05	19476.46
कुल देयताएं Total Liabilities													1644321.64	1473573.51



भाग बी - भौगोलिक खंड

Part B - Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
	वि.व.: 2024-25 FY: 2024-25	वि.व.: 2023-24 FY: 2023-24	वि.व.: 2024-25 FY: 2024-25	वि.व.: 2023-24 FY: 2023-24	वि.व.: 2024-25 FY: 2024-25	वि.व.: 2023-24 FY: 2023-24
राजस्व* Revenue*	122808.45	112697.06	15280.52	14404.25	138088.97	127101.31
आस्तियां** Assets**	1488178.16	1343574.42	293069.16	242222.67	1781247.32	1585797.09

*वर्ष के लिए **31 मार्च, 2025 तक

*For the year, ** As on 31st March 2025

बी-5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध:

I. संबंधित पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी

1. दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी
4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
7. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii) घरेलू गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
2. बॉब कार्ड्स लिमिटेड (जिसे पहले बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
7. इंडियाफर्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बी) एसोसिएट्स

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

B-5 Related Party Disclosures (Accounting Standard -18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

I. Name of Related Parties & their relationship

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1. Bank of Baroda (Kenya) Limited
2. Bank of Baroda (Uganda) Limited
3. Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4. Bank of Baroda (UK) Limited.
5. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6. Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
7. Bank of Baroda (Botswana) Limited

iii) Domestic Non- Banking Subsidiaries

1. BOB Capital Markets Limited
2. BOB Cards Ltd (formerly known as BOB Financial Solutions Limited)
3. Baroda Global Shared Services Ltd
4. Baroda Sun Technologies Ltd.
5. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited
6. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (formerly known as Baroda Trustee India Private Limited)
7. IndiaFirst Life Insurance Company Limited

b) Associatess

i) Regional Rural Banks

1. Baroda U P Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) अन्य

1. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड

सी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
2. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

c) Joint Ventures

1. India International Bank (Malaysia) Bhd.
2. India Infra debt Limited

d) Key Management Personnel

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक (प्रतिपूर्ति सहित) Remuneration (Incl. Reimbursement)	
			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
1	श्री संजीव चड्ढा Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.06.2023 को सेवानिवृत्त) MD & CEO (Retired on 30.06.2023)	5,38,560	2,22,53,762
2.	श्री देबदत्त चांद Shri Debadatta Chand	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	73,92,726	58,70,137
3.	श्री अजय कुमार खुराना Shri Ajay Kumar Khurana	कार्यपालक निदेशक (31.03.2024 को सेवानिवृत्त) Executive Director (Retired on 31.03.2024)	97,79,489	49,46,515
4.	श्री जयदीप दत्ता राय Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 तक) Executive Director (Up to 31.01.2024)	10,18,600	40,20,956
5.	श्री ललित त्यागी Shri Lalit Tyagi	कार्यपालक निदेशक (21.11.2022 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 21.11.2022)	66,09,001	43,46,508
6.	श्री लाल सिंह Shri Lal Singh	कार्यपालक निदेशक (09.10.2023 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 09.10.2023)	52,19,129	21,84,695
7.	श्री संजय मुदालियर Shri Sanjay Mudaliar	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 31.01.2024)	50,74,769	10,92,054
8.	श्रीमती बीना वाहिद Smt. Beena Vaheed	कार्यपालक निदेशक (09.08.2024 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 09.08.2024)	27,53,882	-

लेखों पर टिप्पणियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं।

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस 18) के पैरा 9 के अनुसार “राज्य नियंत्रित उद्यम” हैं। साथ ही लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक के बीच लेनदेनों के स्वरूप का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State Controlled Enterprises” as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.



ई) संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों का विवरण (प्रबंधन द्वारा समेकन के अनुसार)

e) Details of transactions with Related parties (as compiled by the Management)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मद/ संबंधित पार्टी Items/ Related Party	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
प्रदत्त ब्याज Interest paid	-	-	0.58	-	-	0.58
प्राप्त ब्याज Interest received	-	-	50.44	-	-	50.44
प्राप्त लाभांश Dividend received	-	-	10.32	-	-	10.32

एफ) शेष राशियों का विवरण -

f) Details of balances outstanding -

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मद/ संबंधित पार्टी* Items/ Related Party*	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
जमा * Deposit *	-	-	18.04 (200.05)	-	-	18.04 (200.05)
निवेश Investments	-	-	880.50 (1296.50)	-	-	880.50 (1296.50)
उपचित ब्याज Interest accrued	-	-	31.81 (77.16)	-	-	31.81 (77.16)

*दिनांक 31.03.2025 को चालू खाता में शेष राशि सहित

कोष्ठक में दी गई राशि वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि को दर्शाती हैं।

*Amount includes balance in current accounts as on March 31, 2025.

Amount in brackets denote maximum balance outstanding during the year.

बी-6 लेखांकन मानक -19 - “पट्टा”

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है।

निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

B-6 Accounting Standard -19 - “Lease”

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
एक वर्ष से अधिक नहीं Not later than one year	1.32	1.34
एक वर्ष से अधिक व पांच वर्षों से अधिक नहीं Later than one year and not later than five years	2.86	2.95
पांच वर्षों से अधिक Later than five years	1.87	1.86
कुल Total	6.05	6.15

* इसमें मासिक किरायेदारी/समाप्त पट्टे वाले परिसर शामिल हैं।

* includes premises with monthly tenancy/expired lease.

प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹ 915.56 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 846.50 करोड़)

Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 915.56 Crore (Previous Year: ₹ 846.50 Crore)

बी-7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 - “प्रति शेयर आय” के अनुरूप प्रति शेयर इक्विटी में बुनियादी और न्यून आय दर्ज करता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके “मूल आय” प्रति शेयर की गणना की जाती है।

B-7 Earning per Share (Accounting Standard -20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - “Earnings per Share”. “Basic earnings” per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या Number of share at the beginning of the year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	-	-
वर्षांत पर शेयरों की संख्या Number of share at the end of year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्षांत पर इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना करने के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	19,581.15	17,788.78
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	37.86	34.40
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earnings per share (In ₹)	37.86	34.40
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	₹ 2/- Face Value	₹ 2/- Face Value

बी-8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक -22)

आय पर करों के लिए लेखांकन

वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान की राशि

B-8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard -22)

Accounting for Taxes on Income

Amount of Provisions for Taxation during the year:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान Provision for Tax including deferred tax	6911.40	6985.96
जोड़ें/ (घटाएं) : पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल Add/ (Less): Tax Provision relating to previous years	-37.96	114.87
कर के लिए कुल प्रावधान Total provision for Tax	6873.24	7100.83



ए) वर्तमान कर:

वर्ष के दौरान वर्तमान कर के कारण बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹5,804.73 करोड़ (विगत वर्ष: ₹5163.16 करोड़) डेबिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) आस्थगित कर:

- वर्ष के दौरान आस्थगित कर के कारण लाभ और हानि खाते में ₹1,106.47 करोड़ (विगत वर्ष: ₹1,822.80 करोड़) डेबिट किया गया है।
- उपर्युक्त (i) के अलावा, भा.रि.बैंक के मास्टर निर्देशों आरबीआई/ डीओआर/ 2023-24/ 104 डीओआर.एमआरजी. 36/ 21.04.141/ 2023-24 दिनांक 12.09.2023 के क्रियान्वयन के तहत वर्ष के दौरान ₹ 544.71 करोड़ को एफएस-रिजर्व श्रेणी से आस्थगित कर देयता में अंतरित किया गया है, एफएस रिजर्व श्रेणी के तहत निवेश की बिक्री पर इसे रिवर्स कर दिया जाएगा।
- बैंक के पास ₹ 3124.31 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 4767.46 करोड़ की शुद्ध डीटीए) की शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) है।

a) Current Tax:

During the year the Bank has debited to Profit & Loss Account ₹ 5,804.73 Crore (Previous Year ₹ 5163.16 Crores) on account of current tax. The Current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.

b) Deferred Tax:

- During the year ₹1,106.47 Crore has been Debited to Profit and Loss Account (Previous Year ₹ 1,822.80 Crores) on account of deferred tax.
- Apart from (i) above ₹544.71 Crore has been transferred during the year to Deferred Tax Liability out of AFS - Reserve category pursuant to implementation of RBI Master Directions ref RBI/ DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated 12.09.2023. The same will be reversed upon Sale of Investments under AFS Reserve Category.
- The Bank has a Net Deferred Tax Asset (DTA) of ₹3124.31 Crore (Previous year: Net DTA of ₹ 4767.46 Crores).

डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

The major components of DTA and DTL is given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
ए. घरेलू A. Domestic		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) Deferred Tax Assets (DTA)		
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	204.82	207.03
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for fraud	168.75	167.05
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई और वसूल की गई) Foreign Currency Translation Reserve (Unrealized and Realized)	695.19	554.28
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	672.42	570.15
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	5675.67	6434.37
गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	72.05	67.15
कुल डीटीए Total DTA	7,488.90	8,000.03
आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) Deferred Tax Liabilities (DTL)		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2461.63	2097.54
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1532.51	1398.49
डीटीएल DTL on Valuation of Investment – AFS Portfolio	544.71	0.00
कुल डीटीएल Total DTL	4538.86	3,496.03

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
निवल आस्थिगत कर देयताएं (ए) Net Deferred Tax Assets (A)	2,950.03	4,504.00
बी. वैश्विक (घरेलू एवं विदेशी परिचालन) B. GLOBAL (Domestic & Overseas operations)		
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीए) Deferred Tax Assets (DTA)		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच का अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	204.18	206.69
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	672.90	570.58
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	5843.65	6690.13
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित Foreign Currency Translation Reserve	695.19	554.28
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for Fraud	168.75	167.05
गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	78.50	74.76
कुल डीटीए Total DTA	7,663.17	8,263.49
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) Deferred Tax Liabilities (DTL)		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2461.63	2097.54
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1532.51	1398.49
डीटीएल DTL on valuation of Investment - AFS Portfolio*	544.71	-
कुल डीटीएल Total DTL	4,538.85	3,496.03
निवल आस्थिगत कर देयताएं (बी) Net Deferred Tax Assets (B)	3,124.32	4,767.46

*भा. रि. बैंक मास्टर निर्देश संदर्भ आरबीआई/ डीओआर/ 2023-24/ 104 डीओआर. एमआरजी.36/ 21.04.141/2023-24 दिनांक 12.09.2023 के क्रियान्वयन के तहत वर्ष के दौरान ₹ 544.71 करोड़ एएफएस-रिजर्व से आस्थिगत कर देयता में अंतरित किए गए हैं। एएफएस श्रेणी के अंतर्गत निवेश की बिक्री पर इसे रिवर्स कर दिया जाएगा।

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित डिस्प्यूट राशि शामिल है। ₹12,036.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9,381.66 करोड़) की डिस्प्यूट आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं।

*₹ 544.71 Crore has been transferred during the year to Deferred Tax Liability out of AFS – Reserve pursuant to implementation of RBI Master Direction ref. RBI/ DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated 12.09.2023. The same will be reversed upon sale of investments under AFS Category.

Tax Paid in advance/ Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/ paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹12,036.63 Crore (previous year ₹9,381.66 Crore) as in the bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same matter, additions / disallowances made are not sustainable.



बी-9 समेकित वित्तीय विवरणी में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन (लेखांकन मानक 23) -

चूंकि अपने एसोसिएट्स संस्था में बैंक के निवेश सहभागी के रूप में होते हैं और बैंक के पास उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्तियां होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 05.04.2025 दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी, के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में समाहित करने का प्रावधान किया है। इन आरआरबी में बैंक के निवेश को दिनांक 31 मार्च 2025 तक के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य State	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी Transferor RRB	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of Transferor RRB	समामेलित आरआरबी Amalgamated RRB	हस्तांतरी आरआरबी का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of transferee RRBs
गुजरात Gujarat	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक Baroda Gujarat Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda	गुजरात ग्रामीण बैंक Gujarat Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक Saurashtra Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India		
राजस्थान Rajasthan	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक Rajasthan Marudhara Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	राजस्थान ग्रामीण बैंक Rajasthan Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda		
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	बड़ौदा यूपी बैंक Baroda U P Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक Uttar Pradesh Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
	आर्यावर्त बैंक Aryavart Bank	बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India		
	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक Prathama U P Gramin Bank	पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank		

बी-10 परिचालन बंद करना (लेखांकन मानक - 24)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी विदेशी टेरिटरी/अनुषंगियों को बंद नहीं किया है।

हालांकि, ओमान में बैंक के संचालन को बैंक धोफर को हस्तांतरित करने के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बैंक धोफर के बीच दिनांक 27 जनवरी, 2025 को एक व्यवसाय हस्तांतरण समझौता (बीटीए) निष्पादित किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ़ ओमान ने दिनांक 27 फरवरी, 2025 को व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए अंतिम स्वीकृति दे दी है और बैंक की ओमान शाखा में बैंक धोफर के साथ व्यवसाय का वित्तीय एकीकरण दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।

B-9 Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements (Accounting Standard 23)-

Investments of the Bank in its Associates are participative in nature and the Bank is having the power to exercise significant influence on their activities, hence, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

The Government of India, vide gazette notification CG-DL-E-07042025-262329 dated 05.04.2025, has provided for the amalgamation of Regional Rural Banks (RRBs) into a single Regional Rural Bank (RRB) in different states effective from 01.05.2025. The Bank's investments in these RRBs are included in its financial statements as at 31st March 2025.

Details of the Amalgamation of RRBs sponsored by the Bank of Baroda are as under:

B-10 Discontinuing operations (Accounting Standard-24)

During the Financial year 2024-25, the Bank has not closed any of its overseas territories/ subsidiaries:

However, a Business Transfer Agreement (BTA) has been executed between the Bank of Baroda and Bank Dhofar on January 27, 2025 with regard to the transfer of the Bank's operations in Oman to Bank Dhofar. The Central Bank of Oman has granted final approval for the transfer of business on February 27, 2025 and the financial integration of the business at Bank's Oman branch with Bank Dhofar is effective from April 1, 2025.

बी-11 संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -27)

एएस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

B-11 Disclosure of Interest in Joint Ventures (Accounting Standard -27)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

नाम Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निवेश का स्वरूप Nature of Investments	स्वामित्व का % % of owner ship	
			31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी India International Bank (Malaysia) Bhd	मलेशिया Malaysia	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.00%	40.00%
इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड India Infradebt Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.99%	40.99%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
देयताएं Liabilities		
पूंजी एवं प्रारक्षित निधि Capital & reserve	1,917.66	1,645.19
जमाएं Deposits	-	246.98
ऋण Borrowings	9,437.21	7,642.08
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & provisions	420.01	383.13
कुल Total	11,774.88	9,917.38
आस्ति Asset		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमाशेष Cash and Balances with RBI	0.37	1.11
बैंक के पास जमाशेष तथा मांगे जाने एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with banks and Money at call and short notice	831.80	710.27
निवेश Investments	2,492.76	2,963.94
ऋण एवं अग्रिम Loans & Advances	8,143.77	6,043.77
अचल आस्तियां Fixed Assets	16.20	1.07
अन्य आस्तियां Other Assets	289.98	197.22
कुल Total	11,774.88	9,917.38



विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	-	16.90
आय Income		
अर्जित आय Income Earned	912.69	791.64
अन्य आय Other Income	78.96	59.28
कुल Total	991.65	850.92
व्यय Expenditure		
ब्याज व्यय Interest expended	690.68	586.63
परिचालनगत व्यय Operating expenses	31.16	28.76
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय Provisions & contingencies	4.89	13.44
कुल Total	726.73	628.83
लाभ Profit	264.92	222.09

बी-12 आस्तियों की हानि (लेखांकन मानक - 28)

एएस-28 के अनुसार "परिसंपत्तियों की क्षति" के संदर्भ में ₹ 12.82 करोड़ का हानि प्रभार लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया है, जहां वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है।

बी.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक - 29):

बी-13.1 बैंक की नीति के अनुसार, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों हेतु प्रावधान निम्नानुसार किया गया है।

दावों के लिए प्रावधानों में परिवर्तन

B-12 Impairment of Assets (Accounting Standard-28)

In terms of AS – 28 "Impairment of Assets" impairment charge of ₹ 12.82 Crore has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property .

B-13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Accounting Standard-29)

B-13.1 As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

Movement of provisions for Claims

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण विधिक मामले/ आकस्मिकताएं Particulars Legal Cases/Contingencies	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
प्रारंभिक शेष राशि Opening balance	288.36	172.95
वर्ष के दौरान प्रावधान/समायोजन Provided / Adjustment during the year	78.40	115.41
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि Amount Used during the year	-	-
31 मार्च को शेष राशि Balance as on 31st March	366.76	288.36
आउटफ्लो/ अनिश्चितताओं का समय Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization	

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता फैसलों/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान मांग राशि, करार बाध्यता संबंधी शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर करती है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

बी) आकस्मिक आस्तियां वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं हैं।

बी.13.2 आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12 में भी उल्लिखित)

ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है:

ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित सामान्य व्यवसाय में बैंक के विरुद्ध दायर दावों को दर्शाते हैं। इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई मांग और बैंक द्वारा रोज़ किए गए डिस्पुट भी शामिल हैं।

बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता हेतु शेष अदत्त राशि को दर्शाता है।

आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश ₹ 0.28 करोड़ में केंद्रीय भंडारण निगम तथा आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए भुगतान नहीं की गई राशि शामिल है।

सी) फारवर्ड एक्सचेंज एवं डेरिवेटिव करारों के कारण देयता:

बैंक ने अपने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा करार, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वाय फारवर्ड रेट करार किए हैं।

- i. फारवर्ड एक्सचेंज करार अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है।
- ii. मुद्रा स्वैप, मौजूदा स्पोर्ट रेट के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।
- iii. ब्याज दर स्वैप, स्थायी और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।
- iv. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेड करार है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देते हैं।
- v. फारवर्ड रेट करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है।
- vi. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है।
- vii. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन करार, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव करार है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि की बाध्यता के बिना विनिमय का अधिकार देता है।
- viii. करेंसी फ्यूचर्स करार निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत एक्सचेंज-ट्रेडेड करार है।

a) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

b) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

B-13.2 Description of contingent liabilities. (Also Refer Schedule 12)

a) Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank.

b) Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. Liability for partly paid investments of ₹ 0.28 Crore represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of Central Ware Housing Corporation.

c) Liability on account of forward exchange and derivative contracts:

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers.

- i. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate.
- ii. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates.
- iii. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows.
- iv. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date.
- v. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period.
- vi. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time.
- vii. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry.
- viii. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price.



आकस्मिक देयता की राशि संबंधित फारवर्ड एक्सचेंज और डेरिवेटिव करार के अनुमानित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है।

डी) संघटकों के पक्ष में दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक अंश के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है। वह गारंटी अप्रतिसंहरणीय एश्योरेंस का प्रतिनिधित्व करती है कि ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा।

ई) स्वीकृति, एंडोर्समेंट और अन्य दायित्व

इसमें अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत या एंडोर्स किया गया है, को शामिल किया गया है।

एफ) और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

सी. अतिरिक्त प्रकटीकरण

सी-1 बैलेंसिंग ऑफ बुक्स एवं मिलान

31.03.2025 तक बकाया मिलान- चूंकि सभी शाखाएं सीबीएस के तहत कार्यरत हैं, इसलिए सिस्टम द्वारा बैलेंसिंग ऑफ बुक्स का कार्य किया जाता है। अंतर शाखा खातों में शामिल और आईबीओ विभाग को आबंटित खातों के विभिन्न हेड्स में डेबिट और क्रेडिट बकाया प्रविष्टियों का दिनांक 31.03.2025 तक का प्रारंभिक मिलान पूरा कर लिया गया है। कार्यालयीन खातों से संबंधित मिलान और प्रावधान का लेखा-परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।

सी-2 निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश के एक भाग को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी एवं एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरित कर दिया है। परिणामी मूल्यहास रु.शून्य (मार्च 31, 2024 रु.1.86 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित कर दिया गया है।

सी-3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अतः एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और हमने उसे आधार के रूप में लिया है।

सी-4 परिसर

सी-4.1 बैंक की कुल रु.79.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹79.88 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।

सी-4.2 पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यहास – वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रभारित मूल्यहास ₹587.61 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹845.06 करोड़) और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल प्रभारित मूल्यहास ₹1392.87 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1619.68 करोड़) रहा है।

The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

d) Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e) Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f) And other items for which Bank is contingently liable.

C. Additional Disclosures

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Balancing Arrears as at 31.03.2025 - As all the branches are under CBS, the balancing of books is taken care of by the system. Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter branch accounts and allotted to IBO department has been completed up to 31.03.2025. The reconciliation and provisioning related to office accounts is audited by statutory auditors.

C-2 Investments.

In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from HTM category to AFS category and AFS to HTM Category. The resultant depreciation is NIL (March 31, 2024: ₹ 1.86 Crore).

C-3 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

C-4 Premises

C-4.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 79.88 Crore (Previous Year: ₹ 79.88 Crore).

C-4.2 Depreciation on Revalued Portion: ₹ 587.61 Crore depreciation charged for FY 2024-25 (Previous year: ₹ 845.06 Crore) and Total depreciation charged during FY 2024-25 is ₹ 1392.87 Crore (Previous Year: ₹ 1619.68 Crore).

सी-4.3 बैंकों द्वारा स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त अधिशेष राशि ₹ 5,055.31 करोड़ है जिसे चालू वर्ष के दौरान "पुनर्मूल्यांकन रिजर्व" में जोड़ा गया है। साथ ही, एस - 28 "संपत्तियों की हानि" के अनुसार ₹ 12.82 करोड़ को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया है, जहां संपत्ति का वर्तमान मूल्य लागत से कम है।

C-4.3 In terms of Banks approved revaluation policy, the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amounts to ₹ 5,055.31 Crore has been added to "Revaluation Reserve" during the current year. Also, in terms of AS - 28 "Impairment of Assets" ₹12.82 Crore has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property.

सी-5 'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत भूमि/परिसंपत्ति से संबंधित प्रावधान पर प्रकटीकरण'

C - 5 Disclosure on provisioning pertaining to Land/Asset held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत धारित भूमि की राशि Amount of Land held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'	51.95	51.95
वर्ष के प्रारंभ में धारित प्रावधान Provisions held at the beginning of the year	51.95	51.95
वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते को नामे करते हुए किए गए प्रावधान Provisions made during the year by debiting profit and loss account	-	-
'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि से नामे करते हुए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'Balance in profit and loss account' under 'Reserves and Surplus'	-	-

अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन सबसे पहले प्रभारों के लिए किया जाएगा उसके बाद ब्याज आय के लिए और अंत में बकाया मूलधन के लिए किया जाएगा।

Appropriation of Recoveries in Non-Performing Assets is first appropriated towards charges, then interest income and last in principal outstanding.

सी-6 वर्ष के दौरान ₹2.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹शून्य करोड़) के अदावी लाभांश को अविलंब निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को अंतरित किया गया।

C-6 During the year unclaimed dividend amount transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) without any delay is ₹2.02 Crore (Previous Year: NIL).

सी-7 भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 एवं दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों में शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2025 को कुल ₹ 6,571 करोड़ (कुल बकाये का 100.00%) का प्रावधान किया है।

C-7 As per RBI letters no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6,571 Crore (100.00% of total outstanding) as on March 31, 2025.

सी - 8 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

C-8 Corporate social responsibility

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु परिचालन खर्च ₹ 23.94 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹11.17 करोड़) रहा है।

Operating expenses include ₹ 23.94 Crore (previous year: ₹ 11.17 Crore) for the year ended March 31, 2025 towards Corporate Social Responsibility (CSR), in accordance with Companies Act, 2013.

बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अपने सीएसआर के एक हिस्से के रूप में ₹. 23.94 करोड़, जिनमें से ₹ 177.88 करोड़ पिछले वर्ष बैंक के प्रकाशित लाभ का 1% का खर्च और अपने सीएसआर के हिस्से के रूप में सैंड्री जमा खाते में रखी शेष सीएसआर निधि के शून्य का विनियोजन किया है। एक जिम्मेदार बैंक के रूप में, हमने सीएसआर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करते हुए सकारात्मक रूप से व्यय की एक ऐसी नींव रखी है, जिस पर बैंक आगामी परियोजनाओं

The Bank has spent total amount of ₹ 23.94 Crores, ₹ 177.88 Crores being 1% of the published profit of the Bank for the previous year and NIL being appropriation of residual CSR fund lying in Sundry Deposit A/c, as part of its CSR for the year ended March 31, 2025. As a responsible bank, it has approached the mandatory requirements of CSR spends positively by laying a foundation on which it would build and scale future projects and partnerships. The Bank continues to



और साझेदारी के आगे बढ़ा सके। बैंक अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए सीएसआर खर्च हेतु अपनी कार्यनीतियों का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। आने वाले वर्षों में, बैंक आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगा।

संबंधित वर्ष के दौरान सीएसआर हेतु खर्च राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

evaluate strategic avenues for CSR expenditure in order to deliver maximum impact. In the years to come, the Bank will further strengthen its processes as per requirement.

The details of amount spent during the respective year towards CSR are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025			31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024		
	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total
शिक्षा एवं प्रशिक्षण Education and training	19.39	-	19.39	8.98	-	8.98
स्वास्थ्य Health	1.17	-	1.17	1.36	-	1.36
समाज कल्याण Social Welfare	3.34	-	3.34	0.80	-	0.80
अन्य Others (Women Welfare)	0.04	-	0.04	0.03	-	0.03
गतिविधि ए Activity A	-	-	-	-	-	-
गतिविधि बी Activity B	-	-	-	-	-	-
कुल Total	23.94	-	23.94	11.17	-	11.17

सी - 9 गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों को शुल्क के रूप में ₹1.21 करोड़ के पारिश्रमिक (पिछले वर्ष: ₹1.48 करोड़) का भुगतान किया गया।

सी - 10 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल- III फ्रेमवर्क के तहत लिवरेज अनुपात सहित पिलर 3 प्रकटीकरणों को हमारी वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii> पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एनएसएफआर और एलसीआर फ्रेमवर्क के तहत प्रकटीकरण लिंक: <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/financial-reports/> पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा/समीक्षा के अधीन नहीं हैं।

सी- 11 'अग्रिमों की रिस्ट्रक्चरिंग - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एकबारगी रिस्ट्रक्चरिंग) विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 और डीओआर. सं. बीपी. बीसी./4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार रिस्ट्रक्चर किए गए एमएसएमई खातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

C - 9 Disclosure on remuneration to Non-Executive Directors

Remuneration by way of sitting fees to the Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its committees during the year ended March 31, 2025 amounted to ₹ 1.21 Crore (Previous year: ₹ 1.48 Crore).

C-10 In terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio under the Basel- III framework are being made available on our website in the following link: <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii>. Additionally, disclosures under NSFR & LCR framework are being made available on the following link: <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/financial-reports/>. These disclosures have not been subjected to audit/ review by the SCAs of the Bank.

C-11 In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured accounts is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Accounts	31 मार्च, 2025 को राशि Amount as on 31.03.2025
33392	1558.89

सी- 12 समाधान फ्रेमवर्क - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधी दबाव का समाधान" विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 और डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 04.06.2021 के अनुसार रिस्ट्रक्चर किए गए खातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

C-12-In accordance with RBI circular No DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Accounts	31.03.2025 को बकाया निधियन राशि funded O/s as on 31.03.2025	प्रावधान Provision held
6708	664.82	309.44

सी- 13 "समाधान फ्रेमवर्क - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड -19 संबंधी दबाव का समाधान" विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार ऐसे उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधित ऋणसीमा मंजूर कर क्रियान्वित की गई, को दिया गया कुल एक्सपोजर निम्नानुसार है: -

C-13 In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 related stress of Individuals and Small Business", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Accounts	31.03.2025 तक कुल एक्सपोजर Aggregate exposure as on 31.03.2025
3705	343.37

(भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.सं.बीपी. बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार व्यक्ति श्रेणी के तहत केवल पर्सलन लोन को कवर किया गया है और अब भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर. एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के पैरा 5 (ए) में भी इसे शामिल किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.सं.बीपी. बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार छोटे व्यवसायों (रिटेल व्यापार और थोक व्यापार सहित) के लिए व्यक्तियों को दी गई ऋण सुविधाओं को एमएसएमई के अंतर्गत शामिल किया गया था और अब भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के पैरा 5 (बी) में भी इसे शामिल किया गया है।

सी-14 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2005-06/421/ डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89 /21.04.048/2005-06 दिनांक 22 जून, 2006 के अनुसार बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्लोटिंग प्रावधान नीति लागू की है। नीति के अनुसार 31 मार्च, 2025 को, बैंक का फ्लोटिंग प्रावधान ₹ 600.00 करोड़ (31 मार्च, 2025 को समाप्त और वर्ष के दौरान ₹ 230.00 करोड़) रहा है।

(Individual covers only personal loan segment as per RBI circular No. DOR.No.BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in para 5 (a) of RBI circular No.DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021).

Small Business (including retail trade and wholesale trade) extended to individuals which were covered under MSME as per RBI circular No DOR.No. BP/BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(b) of RBI circular No DOR. STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021).

C-14 As per the RBI Circular no. RBI/2005-06/421/DBOD. NO.BP/BC.89 /21.04.048/2005-06 dated June 22, 2006, Bank has in place Floating Provision Policy approved by the Board. As on March 31, 2025, the Bank has floating provision of ₹ 600 Crore (₹ 230 Crore created during the year ended March 31, 2025) in accordance with the policy.



सी-15 ग्रीन डिपॉजिट

बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरणों में ग्रीन डिपॉजिट से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो से संबंधित सूचनाएं इस प्रकार हैं:

C-15 Green Deposits

Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits in the Bank's Annual Financial Statements is as follows:

मद Particulars	चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (31 मार्च 2025 तक) Current Financial Year 2024-25 (as of March 31, 2025)	गत वित्तीय वर्ष 2023-24 (07 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक) Previous Financial Year 2023-24 (from March 07, 2024 to March 31, 2024)	संचयी* Cumulative*
ग्रीन डिपॉजिट से राशि जुटाई गई कुल राशि (ए) Total green deposits raised (A)	1063.44	19.65	1083.09
ग्रीन डिपॉजिट राशि निधियों का उपयोग** Use of green deposit funds			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा (सौर परियोजनाएं) Renewable Energy (Solar Projects)	1063.44	19.65	1083.09
(2) ऊर्जा दक्षता Energy Efficiency	-	-	-
(3) स्वच्छ परिवहन Clean Transportation	-	-	-
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन Climate Change Adaptation	-	-	-
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन Sustainable Water and Waste Management	-	-	-
(6) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण Pollution Prevention and Control	-	-	-
(7) हरित भवन Green Buildings	-	-	-
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का संवहनीय प्रबंधन Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	-	-	-
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	-	-	-
कुल ग्रीन डिपॉजिट निधि आबंटित (बी = 1 से 9 का योग) Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	1063.44	19.65	1083.09
आबंटित न की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी = ए - बी) Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A - B)	-	-	-
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आबंटित किए जाने तक ग्रीन डिपॉजिट राशि के अस्थायी आबंटन का विवरण Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*ऊपर दी गई तालिका में बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरू करने के बाद से संचयी जानकारी दी गई है। बैंक ने दिनांक 07 मार्च, 2024 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना आरंभ किया है, इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में दिनांक 07 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आबंटित की गई जमाराशियों का विवरण शामिल है। वर्ष के दौरान जुटाई गई ग्रीन डिपॉजिट की वास्तविक राशि और इन निधियों के उपयोग को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल किया गया है।

**नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के अंतर्गत, उप-क्षेत्र अर्थात् सौर ऊर्जा को आबंटित धनराशि के आधार पर बैंक ने संबंधित उप-श्रेणी में ब्यौरा प्रदान किया है

सी-16 आवश्यकतानुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

जहां भी कोष्ठक में आंकड़े दिए गए हैं वे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

*This above table contain the cumulative since the Bank has started offering green deposits. The Bank has commenced raising green deposits from March 07, 2024, hence the annual financial statement for the period ending March 31, 2025, will contain particulars of deposits raised and allocated from March 07, 2024, till March 31, 2025. The actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds has been included in the above disclosure.

**Under the Renewable Energy category, Bank has provided its related sub-category i.e., Solar Energy based on the funds allocated to the said subsector.

C-16 Previous year's figures have been regrouped/reclassified where necessary to conform to current year classification.

Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण-पत्र

Statement of Standalone Cash Flow for the year ended 31st March, 2025

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)			
		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2024
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	A. Cash flow from operating activities:		
कर पूर्व निवल लाभ	Net Profit before taxes	26,45,438	24,88,961
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	1,39,287	1,61,968
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	3,735	(3,126)
बटुटे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	5,17,035	6,47,086
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	41,911	(68,851)
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	35,344	32,452
अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(4,041)	(626)
बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान	Payment/provision for interest on bonds	3,12,585	1,91,013
अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/others	(24,762)	(23,759)
उप योग	Sub total	36,66,532	34,25,118
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(11,45,740)	(7,30,751)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(1,48,94,653)	(1,31,25,431)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in other assets	1,47,380	4,35,166
उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	19,13,307	(17,55,878)
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	1,36,89,845	1,23,27,005
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	3,50,412	(3,26,305)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(9,25,070)	(7,94,624)
परिचालन गतिविधियों (ए) (में प्रयुक्त) से निवल नकदी प्रवाह	Net cash from operating activities (A)	28,02,013	(5,45,700)



(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2024
बी. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण	Purchase/Transfer in of fixed assets	(1,14,500)	(1,03,894)
अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण	Sale/ Transfer out of fixed assets	38,415	21,955
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(34,160)	730
अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/others	24,762	23,759
निवेश संबंधी गतिविधियों (बी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह	Net cash used in investing activities (B)	(85,483)	(57,450)
सी. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूंजी / शेयर आवेदन पूंजी/ शेयर प्रीमियम	Share Capital /Share application money/ Share premium	-	-
गैर-जमानती गौण बॉन्ड	Unsecured Subordinated Bonds	10,18,085	10,05,055
प्रदत्त लाभांश	Dividend paid	(3,93,024)	(2,84,425)
बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान	Payment/provision for interest on bonds	(2,69,084)	(1,75,391)
वित्तपोषण गतिविधियों (सी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह	Net cash from financing activities (C)	3,55,977	5,45,239
नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि/ (कमी)	Net increase in cash & cash equivalents (A) + (B) + (C)	30,72,507	(57,911)
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	95,12,413	95,70,324
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the period	1,25,84,920	95,12,413
टिप्पणी:	Notes:		
नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी एवं एटीएम में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल हैं ।	Cash & Cash equivalents includes Cash in Hand & ATMs, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	Components of Cash & Cash Equivalents	31 मार्च 2025 को As on 31st March 2025	31 मार्च 2024 को As on 31st March 2024
1 नकदी एवं भा.रि.बैं. के पास शेष राशि	1 Cash & Balance with RBI	56,06,849	54,83,983
2 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	2 Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	69,78,071	40,28,430
कुल	Total	1,25,84,920	95,12,413

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी नोट का समावेश है जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय स्थित विभिन्न वर्टिकल्स और मुंबई स्थित कॉर्पोरेट सेंटर सहित, 22 अंचल कार्यालयों, 20 शाखाओं और 1 विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, संबंधित सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3105 घरेलू शाखाओं (3 कार्यालयों सहित) और संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 29 विदेशी शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया है।

तुलन-पत्र में लाभ एवं हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण संबंधी 5298 घरेलू शाखाओं और 1 विदेशी शाखा के रिटर्न भी शामिल हैं जो लेखा परीक्षा के अध्वधीन नहीं हैं। दिनांक 31 मार्च 2025 तक इन गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं और अन्य कार्यालयों में कुल अग्रिम का 16.55%, कुल जमाराशियों का 30.22%, राजस्व आय का 19.46%, ब्याज आय का 17.59%, ब्याज व्यय का 27.74% और गैर-निष्पादित आस्तियां 37.37% थीं।

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ("अधिनियम") के तहत वे बैंक पर लागू और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वांछित जानकारी देते हैं।

- नोट के साथ पठित पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे समुचित तरीके से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2025 को बैंक के कार्यकलापों की सही और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।
- लाभ एवं हानि खाता, जो उसमें दिए गए नोट के साथ पठित है, लाभ संबंधी वास्तविक शेष को दर्शाता है; और
- नकदी प्रवाह विवरण जो संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही और उचित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

राय हेतु आधार

- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन लेखापरीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचरण संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई है और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचरण संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किए हैं वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय वस्तु का प्रभाव

- हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं:

₹ 1454.41 करोड़ की पारिवारिक पेंशन की कुल राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में अनुसूची 18 की नोट सं. ए-13(एच)। बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और ₹290.89 करोड़ के अपरिशोधित शेष व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक की परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के अनुसार कैरी फॉरवर्ड किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

- लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो हमारी पेशेवर राय के अनुसार चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। इन मुद्दों की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई है और उस पर हमारी राय दी गई है, और हम इन मुद्दों पर अलग से राय व्यक्त नहीं करते हैं। हमने हमारी रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किए जाने वाले बैंक के प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दों के रूप में निम्नलिखित मुद्दों का निर्धारण किया है:



(i) अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक के निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 67.91 प्रतिशत हैं, जो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, जिनके मामलों में अग्रिमों का वर्गीकरण और उनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर करता है। निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान की प्रक्रिया में उचित पद्धति का उपयोग जरूरी है। बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख-रखाव करता है जो अग्रिमों के निष्पादक या गैर-निष्पादक होने की पहचान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी निर्धारित नीतियां हैं। आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन व्यक्तिगत या समेकित रूप से न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) के आंकड़े गलत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक कुछ क्षेत्रों में अग्रिमों और निर्धारित अग्रिमों अथवा समूह अग्रिमों सहित ऐसे एक्सपोजर पर प्रावधान करता है जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। लेनदेन के स्वरूप, विनियामक आवश्यकताओं, मौजूदा व्यावसायिक परिदृश्यों, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल आकलन/निर्णय और प्रावधानों की गणना को ध्यान में रखते हुए यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय के निर्धारण के कारण अनर्जक अग्रिमों के लिए ऋणकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर निर्भरता के कारण हमने इसे लेखापरीक्षा संबंधी कुछ मुद्दे के रूप में उपर्युक्त क्षेत्र को चिन्हित किया है।	हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नानुसार महत्वपूर्ण परीक्षण शामिल हैं: ए) हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान, प्रावधान के निर्धारण के लिए इनके प्रकार, समय सीमा और विस्तृत प्रक्रिया के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में बैंक की प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, जांच बिंदुओं और संतुलन प्रक्रियाओं के स्वरूप के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की, तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई। बी) हमें आबंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की हमने जांच की। हमें आबंटित शाखाओं में मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमने बड़ी राशि वाले अग्रिमों/दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना के आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वतंत्र मूल्यांकनों की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा भी शामिल है। सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई। डी) लेखापरीक्षा के अध्यक्ष नहीं आने वाली शाखाओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न पर विश्वास किया गया है और इस संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए नमूने संबंधी आंकड़ों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए बैंक की आंतरिक निगरानी प्रणाली/प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई तथा बैंक द्वारा हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों/विचलनों/त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया। ई) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान तथा आय के तदनुसार रिवर्सल की जांच की गई। एफ) एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा क्रियाचिंत आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी भरोसा किया है। आई) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों में विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया है।

II सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली नियंत्रक प्रणालियां

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक के वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियों की जटिलता को देखते हुए बैंक अपने आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर है। बैंक का आईटी आर्किटेक्चर बैंक के दैनिक व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करता है। बैंक के आकार को देखते हुए, बड़ी संख्या में हो रहे लेनदेनों को कई ऐप्लिकेशनों के माध्यम से प्रोसेस और रिकॉर्ड किया जा रहा है। आईटी सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा बैंक के परिचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः ऐप्लिकेशनों द्वारा डेटा को अपेक्षित रूप से प्रोसेस किया जा रहा है और सभी परिवर्तन उचित स्वरूप में किए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर में उपयुक्त नियंत्रण आवश्यक है। आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, उच्च स्तरीय स्वचालन, आईटी सिस्टम के सतत और महत्वपूर्ण उपयोग को देखते हुए, इस प्रकार के अंतर्निहित जोखिम हो सकते हैं कि स्वचालित लेखांकन के तौर-तरीके, प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण इसकी परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से तैयार न किए गए हों और इसका प्रभाव इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर रहा हो। अतः आईटी सिस्टम नियंत्रणों को प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दे के रूप में चिन्हित किया गया है।	हमने बैंक द्वारा उपयोग किए जा रहे आईटी सिस्टम और कार्यरत ऐप्लिकेशनों को समझा। इस उद्देश्य से, हमने बैंक के आईटी नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्धारित नीति / प्रक्रिया / तौर-तरीकों के बारे में प्रोसेस ओनर्स के साथ लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक विषयों पर चर्चा की और मानवीय हस्तक्षेप और तकनीक के कारण उत्पन्न वित्तीय जोखिमों को समझने के लिए प्रमुख ऐप्लिकेशनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा की। लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित चरण शामिल रहे हैं (नमूना जांच परीक्षण के आधार पर): ए) सिस्टम से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना; बी) वित्तीय रिपोर्टिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐप्लिकेशन, नियंत्रण के एक्सेस सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना; सी) सिस्टम से प्राप्त परिणामों को सूचना के अन्य स्रोतों से सत्यापित करना; और डी) डेटा एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की टेस्टिंग करना। हमने शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों, बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट, बैंक के आईटी सिस्टम पर स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पर भी भरोसा जताया।

III निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड्स, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। निवेश बैंक की कुल आस्तियों का 21.64% है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनु रूप अमान्यता और इसके लिए प्रावधान शामिल हैं। अनकोटेड निवेशों और कम मार्जिन वाले कारोबारी निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है। निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण कार्य दायित्व हैं। उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा कोटेड दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से सम्बंधित डेटा / सूचना का संग्रहण शामिल है। मूल्यांकन के विवेकाधिकार दायरे और जटिलताओं, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामकीय निगरानी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में चिन्हित किया गया है।	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है – ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है; बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुर्नमूल्यांकन के संबंध में दिशानिर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं; सी) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर अन-कोटेड निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है।



लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
	डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है; हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार किए गए प्रावधानों की पुनः गणना की है।

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक के विरुद्ध विभिन्न दावे दायर किए गए हैं जिनमें कर और गैर कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले भी शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ फोरम पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संसाधनों के संभावित आउटफ़्लो का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों की परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी।	ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमों के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है। बी) हमने विवादों के संभावित आउटफ़्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन के अंतर्निहित अनुमान की समीक्षा की है। इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है। सी) इसके अलावा, संभावित आउटफ़्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है। डी) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है। ई) कर से इतर मुख्य विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए मुख्य पत्राचारों, लिए गए आंतरिक/ बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया है। एफ) वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा कर प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन की अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है। जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है। एच) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा शाखा लेखा परीक्षा/ प्रधान कार्यालय द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त सूचना पर की गयी संशोधित प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया।

5. अन्य मामले

ए) हमने 3105 घरेलू शाखाओं (3 कार्यालयों सहित) और 29 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹7,24,932 करोड़ की कुल आस्तियां और ₹53,539 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में निर्धारित किया गया है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कुल अग्रिमों का 48.98%, कुल जमा का 67.06%,

कुल राजस्व का 51.18%, ब्याज आधारित आय का 51.49%, 69.57% ब्याज व्यय और 31 मार्च, 2025 को गैर-निष्पादित आस्तियों का 55.45% कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचनाएं और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाओं और बेसेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का निष्कर्षात्मक आश्वासन नहीं देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य सूचनाओं का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा पर प्रदत्त सूचना वस्तुतः गलत प्रतीत होती है।

यदि अन्य सूचना जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य सूचनाओं में महत्वपूर्ण त्रुटियाँ शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है।

निदेशकों की रिपोर्ट, महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन, शेयरधारक सूचना को पढ़ने के क्रम में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि परिलक्षित होती है, तो हमारे द्वारा इसे गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करना आवश्यक होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

7. बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करवाने के लिए उत्तरदायी है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई गलत सूचना नहीं दी गई है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के लिए यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन का उद्देश्य बैंक को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने की न हो या ऐसा न करने के लिए कोई उचित विकल्प न हो। बैंक का निदेशक मण्डल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के सम्बंध में, इस बात की पर्याप्त पुष्टि करना है कि इसमें धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई गलत तथ्य नहीं है और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित पुष्टि एक पूर्ण विश्वास पर आधारित होती है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद त्रुटियों की हमेशा पहचान हो जाए। यदि धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण गलत तथ्य दृष्टिगोचर होता है तो इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र डीओएस. एआरजी.नं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) के तहत यथा आवश्यक, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था है और ऐसे नियंत्रणों के लिए परिचालन प्रभावी हैं अथवा नहीं।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या उन



घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर अधिक संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।

वस्तुनिष्ठता, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का वह प्रभाव है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तर्कसंगत जानकारी यूरर के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; तथा (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किन्हीं भी निर्धारित मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणात्मक वस्तुनिष्ठता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता, और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है।

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाए गए हैं।
10. उपर्युक्त पैरा 5, 7 से 8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अधीन तथा उसमें निहित अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी हम रिपोर्ट करते हैं कि;

- ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
 - बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की विवेकाधिकार शक्तियों के तहत किए गए हैं, और
 - सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।
11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:
 - ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;
 - बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त रिटर्न के अनुसार हैं;
 - सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और
 - डी) हमारी राय में, तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है।
 12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- 2019-20 से एससीए के रिपोर्टिंग दायित्व" भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तदुपरान्त जारी 19 मई 2020 के पत्र के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:
 - ए) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है;
 - बी) बैंक के वित्तीय लेनदेन या मामले जो बैंक के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन पर हमारी कोई टिप्पणी या राय नहीं है।
 - सी) जैसा कि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) 'बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता' बैंक पर लागू नहीं होती है।
 - डी) खातों के रख-रखाव और उसके साथ जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई कालिफ़िकेशन प्रतिबंध, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ई) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभाव पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है। हमारी रिपोर्ट में

यथा 31 मार्च, 2025 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बैंक के परिचालनगत प्रभाव पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई है।

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 105049W

(ऋषिकेश जोशी)

पार्टनर

एम. नं.: 138738

यूडीआईएन: 25138738BMLJPW5024

कृते एस वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 004656S/S200095

(एस.सुंदररमन)

पार्टनर

एम. नं.: 201028

यूडीआईएन: 25201028BMLMCP5310

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 101048W

(रमन हंगेकर)

पार्टनर

एम. नं.: 030615

यूडीआईएन: 25030615BMOCPI8627

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109574W

(विपुल के. चोकसी)

पार्टनर

एम. नं.: 037606

यूडीआईएन: 25037606BMMBTJ7818

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109208W

(एस नागाभूषणम)

पार्टनर

एम. नं.: 107022

यूडीआईएन: 25107022BMLYRR4599

दिनांक: 06 मई, 2025

स्थान: मुंबई



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ए

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत पैराग्राफ 12 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पत्र सं डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई का पत्र") के अनुसार अपेक्षित, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंक) के दिनांक 31 मार्च, 2025 के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है जोकि वर्ष की समाप्ति के लिए उस तारीख को बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के अनुक्रम में है, जिनमें बैंक की शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों" के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणियाँ") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए ऑडिटिंग (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है जोकि आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के अनुसार है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों

के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में संदर्भित रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रबंधन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुरूप दर्ज किया गया है, और बैंक की आय और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय पर पहचान के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन और राइड की संभावना शामिल है, और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण इसमें भौतिक मिथ्या कथन विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गंभीरता कमजोर हो सकती हैं।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च, 2025 को ऐसे आंतरिक

वित्तीय नियंत्रण "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए लेखापरीक्षा मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार पर" प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं।

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट में 3105 घरेलू शाखाओं और 29 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनगत प्रभावशीलता उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 105049W

ऋषिकेश जोशी

पार्टनर

एम. नं.: 138738

यूडीआईएन: 25138738BMLJPW5024

कृते एस वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 004656S/S200095

एस.सुंदररमन

पार्टनर

एम. नं.: 201028

यूडीआईएन: 25201028BMLMCP5310

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 101048W

रमन हंगेकर

पार्टनर

एम. नं.: 030615

यूडीआईएन: 25030615BMOCPI8627

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109574W

विपुल के. चोकसी

पार्टनर

एम. नं.: 037606

यूडीआईएन: 25037606BMMBTJ7818

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109208W

एस नागाभूषणम

पार्टनर

एम. नं.: 107022

यूडीआईएन: 25107022BMLYRR4599

दिनांक: 06 मई, 2025

स्थान: मुंबई



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Bank of Baroda

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Bank of Baroda** ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included the returns for the year ended on that date of the Head office (including various Verticals and Corporate Centre located in Mumbai), 22 Zonal offices, 20 branches and 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 3105 domestic branches (including 3 offices) audited by the respective Statutory Branch Auditors and 29 foreign branches audited by the respective Local Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ('RBI').

Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement are the returns from 5298 domestic branches and 1 foreign branch which have not been subjected to audit. These unaudited branches and other offices account for 16.55% of advances, 30.22% of deposits, 19.46% of revenue, 17.59% of interest income, 27.74% of interest expended and 37.37% of Non-performing assets as on March 31, 2025.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (**the "Act"**), in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

- a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2025;
- b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and

- c) the Cash Flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibility under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the RBI from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to the following:

Note No.A-13 (h) of Schedule 18 regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 1454.41 Crores. The Bank has charged an amount of ₹ 290.88 Crores to the Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2025 and the balance unamortized expense of ₹ 290.89 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

(i) **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 17 to the financial statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The net advances of the Bank constitute 67.91 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non-performing assets. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed. Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPA including advances to certain sectors and identified advances or group advances. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements. Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.	We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following: a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures. b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non-performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank. d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank. e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI. h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank. i) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.



(ii) **Information Technology (IT) architecture and system controls impacting financial Reporting:**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank's financial accounting and reporting systems given its complexity are highly dependent on the Bank's IT systems. The Bank's IT architecture supports the Bank's day-to-day business operations. Given the size of the Bank, enormous volume of transactions are being processed and recorded on multiple applications. The reliability and security of IT systems plays a very important role in the operations of the Bank. Hence controls in the system architecture are required to ensure that the applications process the data as expected and that changes are made in an appropriate manner. Given the complexity of the IT architecture, high level automation, simultaneous and significant use of IT systems, there is an inherent risk that automated accounting procedures, processes and related internal controls may not be accurately designed to ensure its operative effectiveness and its impact on the financial reporting. Hence IT system controls has been considered as a Key Audit Matter.	We obtained an understanding of IT systems used by the Bank and the applications implemented. For this purpose, we had discussions with the process owners on the defined policy/process/procedures of the Bank's IT control environment that is relevant to the audit and reviewed the processes followed with regard to the major applications to understand the financial risks posed by people-process and technology. Our audit procedures to obtain audit evidence included (on a test check basis): (a) verifying, testing and reviewing the operating effectiveness of the IT system on the basis of reports, generated from the system; (b) review of the operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting; (c) verifying the results obtained from the systems with the other information sources; and (d) testing of logic used for extracting the data. We also placed reliance on the work performed by the statutory branch auditors, external vendor inspection reports, specialised audits undertaken by independent experts on the Bank's IT systems.

(iii) **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the financial Statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. Investments constitute 21.64 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty. Valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments are critical functions. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on – a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments. b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample. c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2025 or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.	d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision. We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

(iv) Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 17 to the financial statements):

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow of resources in such matters. There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/interpretation of law involved.	a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters. b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions. c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions. d) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate. e) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters. f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions. g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases. h) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.

5. Other Matters

- a) We did not audit the financial Statements/financial information of 3105 domestic branches (including 3 offices) and 29 foreign branches whose financial statements reflects total Assets of ₹ 7,24,932 Crores and total revenue of ₹ 53,539 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches

cover 48.98% of total advances, 67.06 % of total deposits, 51.18 % of revenue, 51.49 % of interest income, 69.57% of Interest expended for the year ended March 31, 2025 and 55.45% of Non-performing assets as at March 31, 2025. The financial statements/information of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the



amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

Our opinion is **not** modified in respect of above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation

and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. As required by the Reserve Bank of India's letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 and 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
11. We further report that:
 - a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
 - b) The Balance Sheet, Profit and Loss account and Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;
 - c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
12. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17,2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;



- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
- d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls with reference to financial statements is given in **Annexure 'A'** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Banks's operating effectiveness of internal financial controls with reference to financial statements as at March 31,2025.

For Khandelwal Jain & Co

Chartered Accountants

FRN: 105049W

Rishikesh Joshi

Partner

M. No.: 138738

UDIN: 25138738BMLJPW5024

For S Venkatram & Co LLP

Chartered Accountants

FRN: 004656S/S200095

S.Sundarraman

Partner

M. No.: 201028

UDIN:25201028BMLMCP5310

For Batliboi & Purohit

Chartered Accountants

FRN: 101048W

Raman Hangekar

Partner

M. No.: 030615

UDIN: 25030615BMOCP18627

For Shah Gupta & Co

Chartered Accountants

FRN: 109574W

Vipul K. Choksi

Partner

M. No.: 037606

UDIN: 25037606BMMBTJ7818

For V Sankar Aiyar & Co

Chartered Accountants

FRN: 109208W

S Nagabushanam

Partner

M. No.:107022

UDIN: 25107022BMLYRR4599

Place: Mumbai

Date: May 06, 2025

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 12(e) under “Report on Other Legal and Regulatory Requirements” of our report of even date)

Report on the Internal financial controls with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter no. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)

We have audited the internal financial controls with reference to Financial Statements of **Bank of Baroda** (the “Bank”) as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to Financial Statements of the Bank’s branches.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on “the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India”. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with

reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank’s internal financial controls with reference to Financial Statements.

Meaning of Internal financial controls with reference to Financial Statements

A Bank’s internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank’s internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank’s assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal financial controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with



reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2025, based on "the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

Other Matters

Our aforesaid opinion in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 3105 domestic branches and 29 foreign branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches. Our opinion is not modified in respect of this matter.

For Khandelwal Jain & Co

Chartered Accountants

FRN: 105049W

Rishikesh Joshi

Partner

M. No.: 138738

UDIN: 25138738BMLJPW5024

For S Venkatram & Co LLP

Chartered Accountants

FRN: 004656S/S200095

S.Sundarraman

Partner

M. No.: 201028

UDIN:25201028BMLMCP5310

For Batliboi & Purohit

Chartered Accountants

FRN: 101048W

Raman Hangekar

Partner

M. No.: 030615

UDIN: 25030615BMOCPI8627

For Shah Gupta & Co

Chartered Accountants

FRN: 109574W

Vipul K. Choksi

Partner

M. No.: 037606

UDIN: 25037606BMMBTJ7818

For V Sankar Aiyar & Co

Chartered Accountants

FRN: 109208W

S Nagabushanam

Partner

M. No.:107022

UDIN: 25107022BMLYRR4599

Place: Mumbai

Date: May 06, 2025

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल है।

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Accounts of the Bank for Financial Year ended 31st March, 2025 contain unmodified opinion.



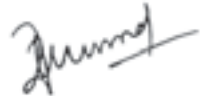
मनोज सुंदर चयानी
मुख्य वित्त अधिकारी



Manoj Sundar Chayani
Chief Financial Officer



देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



Debadatta Chand
Managing Director & CEO

दिनांक: 06.05.2025
Date: 06.05.2025
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai



स्टैन्डअलोन सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- स्टैन्डअलोन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं:

- ए. हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
 - i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं हैं।
 - ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की नैतिक आचरण संहिता के विरुद्ध हो।
- सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
- डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:
 - i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - ii. अवधि के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और
 - iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

मनोज सुंदर चयानी
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 06.05.2025

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Standalone CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2025 - Standalone

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

- a. We have reviewed Standalone financial statements for the quarter/full year ended March 31, 2025 and that to the best of our knowledge and belief:
 - i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 - i. Significant changes in internal control over financial reporting during the period;
 - ii. Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Manoj Sundar Chayani
Chief Financial Officer

Place : Mumbai

Date : 06.05.2025

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

दिनांक 31 मार्च, 2025 की समेकित तुलन पत्र

Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2025

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)		
	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024	
पूंजी एवं देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	1035,53,36	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	Reserves and Surplus	2	145467,18,17	118676,70,77
माइनोरिटी इंटरेस्ट	Minority Interest	2A	1247,56,11	1017,91,26
जमा राशियां	Deposits	3	1496687,95,89	1359980,40,10
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	135812,76,78	101959,10,13
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	81523,07,44	72109,72,83
कुल	TOTAL		1861774,07,75	1654779,38,45
आस्तियां	ASSETS			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	58190,84,45	56720,31,50
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	74286,88,80	43569,53,08
निवेश	Investments	8	427379,68,32	407136,32,19
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	9	1237240,40,10	1088983,40,22
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	12633,73,51	8148,34,73
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	51131,74,67	49310,68,83
समेकन पर सुनाम	Goodwill on Consolidation		910,77,90	910,77,90
कुल	TOTAL		1861774,07,75	1654779,38,45
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	786466,10,56	578782,81,50
वसूली हेतु बिल	Bills for Collection		62537,98,87	61980,18,98
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग है। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.				

श्री देबदत्त चांद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	श्री ललित त्यागी कार्यपालक निदेशक	श्री संजय विनायक मुदालियर कार्यपालक निदेशक	श्री लाल सिंह कार्यपालक निदेशक	श्रीमती बीना वाहिद कार्यपालक निदेशक
श्री मनोज सुंदर च्यानी मुख्य वित्त अधिकारी		श्री पंकज खत्री उप मुख्य वित्त अधिकारी		
संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार				
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 105049W	कृते एस वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन: 004656S/S200095	कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित सनदी लेखाकार एफआरएन: 101048W	कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 109574W	कृते वी शंकर अय्यर एंड व सनदी लेखाकार एफआरएन: 109208W
(ऋषिकेश जोशी) साझेदार M. No.: 138738	एस सुंदररमन साझेदार M. No.: 201028	(रमन हंगेकर) साझेदार M. No.: 030615	(विपुल के चोकसी) साझेदार M. No.: 37606	(एस नागाभूषणम) साझेदार M. No.: 107022

स्थान : मुंबई
दिनांक : 6 मई, 2025



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March 2025

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2024
I. आय	I. INCOME			
अर्जित व्याज	Interest Earned	13	127944,77,23	118379,21,60
अन्य आय	Other Income	14	24939,36,79	23399,48,70
कुल	TOTAL		152884,14,02	141778,70,30
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
खर्च व्याज	Interest Expended	15	78264,92,43	69899,07,56
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	36720,75,34	34336,81,04
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		17439,11,12	19133,17,44
कुल	TOTAL		132424,78,89	123369,06,04
माइनोरिटी इंटररेस्ट से पूर्व समेकित लाभ एवं एसोसिएट्स से आय का हिस्सा	Consolidated Profit before Minorities' Interest and share of earning in Associates		20459,35,13	18409,64,26
एसोसिएट्स से आय का हिस्सा	Share of earnings in Associates	17	405,91,06	459,22,87
माइनोरिटी इंटररेस्ट में कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ	Consolidated Net Profit for the period before deducting Minorities' interest		20865,26,19	18868,87,13
घटाएं: माइनोरिटी इंटररेस्ट	Less : Minorities' Interest		148,93,39	101,49,24
समूह हेतु स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ	Consolidated Profit for the period attributable to the group		20716,32,80	18767,37,89
आगे लायी गई लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		2516,67,50	2086,27,67
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation		23233,00,30	20853,65,56
III. विनियोजन	III. Appropriations			
शेयर प्रीमियम से अंतरण	Transfer from Share Premium		-	-
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		4965,31,91	4509,56,93
पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		451,48,99	97,74,04
धारा 36 (1) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		1448,06,90	617,68,79
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		8894,23,09	8603,68,27
निवेश में उत्तार - चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		-	-
निवेश प्रारक्षित निधि खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		-	578,06,53
प्रस्तावित लाभांश	Proposed Dividend		4318,08,74	3930,23,53
समेकित तुलन पत्र पर ले जायी गई शेष राशि	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		3155,80,67	2516,67,47
कुल	TOTAL		23233,00,30	20853,65,56
प्रति शेयर मूल आय (₹)	Basic Earnings per Share (₹)		40.06	36.29
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय (₹)	Diluted Earnings per Share (₹)		40.06	36.29
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखा संबंधी नोट	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Lalit Tyagi
Executive Director

Sanjay Vinayak Mudaliar
Executive Director

Lal Singh
Executive Director

Beena Vaheed
Executive Director

Manoj Sundar Chayani
Chief Financial Officer

Pankaj Khatri
Deputy Chief Financial Officer

As per our Report of even date attached.

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W
(Rishikesh Joshi)
Partner
M. No.: 138738

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S/S200095
(S Sundarraman)
Partner
M. No.: 201028

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W
(Raman Hangekar)
Partner
M. No.: 030615

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W
(Vipul K Choksi)
Partner
M. No.: 37606

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W
(S Nagabushanam)
Partner
M. No.: 107022

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत - पूंजी	AUTHORISED CAPITAL		
(प्रति ₹ 2/- के 1,500,00,00,000 शेयर) (पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर)	1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous year 1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each)	3000,00,00	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि प्रति ₹ 2 के 518,50,29,679 शेयर)	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous year 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)	1037,00,59	1037,00,59
मांगी गयी पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं। (पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ की राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government (previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)	1034,27,24	1034,27,24
जोड़े: जब्त किए गए शेयर 136,67,500 (पिछली अवधि 136,67,500) इक्विटी शेयर	Add: Forfeited Shares 136,67,500 (previous period 136,67,500)	1,26,12	1,26,12
कुल	TOTAL	1035,53,36	1035,53,36
अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2		
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	RESERVES & SURPLUS		
I सांविधिक आरक्षित निधियां	I Statutory Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	23567,92,78	19063,10,13
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	4965,31,91	4509,56,93
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the period	(2,52,72)	(4,74,28)
		28530,71,97	23567,92,78
II ए) प्रारक्षित पूंजी	II a) Capital Reserves		
(पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि ₹ 9513.23 करोड़ सहित (पिछली अवधि में ₹5056.93 करोड़)	(including Revaluation Reserve of Rs. 9513.23 crore (previous periods Rs 5056.93 crore)		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	13262,35,67	13990,52,82
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	451,48,99	97,74,04
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the period	4475,37,38	(825,91,19)
		18189,22,04	13262,35,67



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025		31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024	
बी समेकन पश्चात आरक्षित पूंजी	b) Capital Reserve on Consolidation				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	80,83,47		73,53,39	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the period	-	80,83,47	730,08	80,83,47
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	31430,95,22		31430,95,22	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the period	80,98	31431,76,20	-	31430,95,22
IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	IV Revenue & Other Reserves				
ए धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	a) Special Reserves u/s 36 (1) (viii)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	7586,87,63		6969,18,84	
जोड़े: सामान्य प्रारक्षित निधियों से अंतरित	Add: Trf from General Reserves	-		-	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the period	1448,06,90	9034,94,53	617,68,79	7586,87,63
बी रूपांतरित प्रारक्षित निधियां	b) Translation Reserve		5473,33,21		4500,42,11
सी पूंजी हेज प्रारक्षित निधि	c) Capital Hedge Reserve		211,85,53		235,40,15
डी निवेश प्रारक्षित खाता	d) Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	582,43,04		4,36,50	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the period	(582,43,04)	-	578,06,54	582,43,04
ई निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	e) Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2440,94,37		2440,94,37	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the period	-	2440,94,37	-	2440,94,37
एफ एफएस प्रारक्षित	f) AFS Reserve		1842,79,88		-
जी राजस्व प्रारक्षित निधि	g) Revenue Reserves				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	32471,88,86		23087,81,66	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	8894,23,09		8603,68,27	
जोड़े: अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add: Additions/ Adjustments during the period	3679,13,82	45045,25,77	780,38,93	32471,88,86
एच नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित	h) Cash Flow Hedge Reserve		29,70,53		-
V लाभ एवं हानि खाते में शेष	v Balance in Profit & Loss Account		3155,80,67		2516,67,47
कुल प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष (I से V)	Total Reserves & Surplus (I to V)		145467,18,17		118676,70,77
अनुसूची - 2 ए	SCHEDULE - 2A				
माइनोरिटी इंटररेस्ट	MINORITY INTEREST				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	1017,91,26		994,59,01	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the period	229,64,85	1247,56,11	23,32,25	1017,91,26
कुल माइनोरिटी इंटररेस्ट	Total Minority Interest		1247,56,11		1017,91,26

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
अनुसूची - 3 जमाराशियां	SCHEDULE - 3 DEPOSITS		
ए. I मांग जमाराशियां	A. I Demand Deposits		
i) बैंकों से	i) From Banks	3578,34,84	3414,53,25
ii) अन्य से	ii) From Others	142781,68,92	146360,03,76
			119191,48,38
			122606,01,63
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		
			418050,27,66
			399046,77,26
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits		
i) बैंकों से	i) From Banks	100597,00,38	89759,72,96
ii) अन्य से	ii) From Others	831680,64,09	932277,64,47
			748567,88,25
			838327,61,21
कुल (I, II एवं III)	TOTAL (I, II & III)		
			1496687,95,89
			1359980,40,10
बी I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	1249702,89,87	1136242,92,81
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	246985,06,02	215558,91,59
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	1496687,95,89	1351801,84,40
नोट: कुल जमा में ₹ 61,956 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 29,802 करोड़) की जमाराशियां शामिल हैं, जिन पर ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है। Note: Total Deposit includes, deposits of ₹ 61,956 Crores (Previous Year: ₹ 29,802 Crores) on which lien has been marked.			
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS		
I भारत में उधार ली गयी राशियां	I Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	30000,00,00	8870,00,00
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	2626,56,37	2332,72,15
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	38205,04,12	48249,58,29
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	8958,00,00	12355,00,00
v) गौण बॉन्ड	v) Subordinated Bonds	12428,93,66	11130,43,99
vi) दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	vi) Long term infrastructure bonds	26000,00,00	118218,54,15
			11000,00,00
			93937,74,43
II भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां	II Borrowings outside India	17594,22,63	8021,35,70
कुल (I और II)	Total - (I & II)	135812,76,78	101959,10,13
उपरोक्त I एवं II में शामिल जमानती उधार ली गयी राशियां	Secured Borrowings included in I & II above	49477,71,97	31372,99,12



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान	SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I देय बिल	I Bills Payable	3706,51,64	3864,10,87
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued	8806,24,14	7020,30,09
III अंतर कार्यालय समायोजन	III Inter office Adjustments (Net)	399,06,53	10,40,89
IV आस्थगित कर देयता	IV Deferred Tax Liabilities	8,22,53	4,44,11
V मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	V Contingent Provision against Standard Advances	7583,82,92	7058,56,89
VI डेरिवेटिव देयताएं	VI Derivative Liabilities	771,76,30	-
VII अन्य (प्रावधानों सहित)#	VII Others (including provisions)#	60247,43,38	54151,89,98
कुल (I से VI)	Total (I to VII)	81523,07,44	72109,72,83
# बीमा पॉलिसी देयताएं एवं लिंकड देयताएं हेतु प्रावधान ₹ 29309.63 करोड़ शामिल (पिछले वर्ष ₹ 24818.20 करोड़)			
# Includes Insurance Policy Liabilities & Provision for Linked Liabilities ₹ 29309.63 crore (Previous Period ₹ 24818.20 crore)			
अनुसूची - 6 नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	4051,61,42	4061,50,60
II भारतीय रिज़र्व बैंक/केंद्रीय बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank :		
i) चालू खाते में	i) in Current Account	51388,80,61	52186,16,96
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Account	2750,42,42	472,63,94
कुल (I एवं II)	TOTAL (I & II)	54139,23,03	52658,80,90
		58190,84,45	56720,31,50
अनुसूची - 7 बैंक में शेष राशि और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I भारत में	I In India		
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खाते में	a) in Current Accounts	276,26,02	167,44,92
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	3321,14,40	3351,70,16
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों के पास	a) with Banks	47,00,00	47,00,00
बी) अन्य संस्थाओं के पास	b) with Other institutions	1690,73,69	75,00,00
कुल (i और ii)	TOTAL (i and ii)	5335,14,11	122,00,00
II भारत से बाहर	II Outside India		
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	44999,08,98	19790,45,40
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	5736,90,98	6375,36,34
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	18215,74,73	13762,56,26
कुल (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)	68951,74,69	39928,38,00
कुल (I और II)	Grand Total (I and II)	74286,88,80	43569,53,08

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
अनुसूची - 8 निवेश		SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	
I भारत में निम्नलिखित में निवेश	I Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	339672,18,94	331683,78,69
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	13027,11,72	11131,03,32
iii) शेयर	iii) Shares	11457,34,56	7682,64,85
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स	iv) Debentures and Bonds	33074,99,46	28737,72,38
v) सहयोगियों में निवेश	v) Investment in Associates	2696,08,75	2144,30,28
vi) अन्य	vi) Others	1779,42,05	1726,53,98
कुल (i से vi)	Total (i to vi)	401707,15,48	383106,03,50
II भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश	II Investments Outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	20519,28,12	17058,94,76
ii) सहयोगियों में निवेश	ii) Investment in Associates	174,55,28	145,11,71
iii) अन्य	iii) Others	4978,69,44	6826,22,22
कुल (i से iii)	Total (i to iii)	25672,52,84	24030,28,69
कुल (I और II)	Grand Total (I & II)	427379,68,32	407136,32,19
III भारत में निवेश	III Investments in India		
निवेश का सकल मूल्य	Gross value of Investments	403497,09,73	386432,90,17
घटाएं : मूल्यहास के लिए प्रावधानों का योग	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	1789,94,25	3326,86,67
भारत में निवल निवेश	Net Investments in India	401707,15,48	383106,03,50
IV भारत के बाहर निवेश	IV Investments outside India		
निवेश का सकल मूल्य	Gross value of Investments	26083,92,64	25585,64,15
घटाएं : मूल्यहास के लिए प्रावधानों का योग	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	411,39,80	1555,35,46
बाहरी निवल निवेश	Net Investments outside	25672,52,84	24030,28,69
		427379,68,32	407136,32,19
अनुसूची - 9 अग्रिम		SCHEDULE - 9 ADVANCES	
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	63439,58,14	47817,55,00
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	417644,42,69	358751,88,03
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	756156,39,27	682413,97,19
कुल (i से iii)	Total (i to iii)	1237240,40,10	1088983,40,22



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
बी	i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋणों के पेटे अग्रिम शामिल)	812817,84,90	747514,37,43
	ii) बैंक/सरकारी गारंटी से द्वारा प्रत्याभूत	126825,69,36	100282,66,49
	iii) गैर जमानती	297596,85,84	241186,36,30
	कुल (i से iii)	1237240,40,10	1088983,40,22
सी. I	भारत में अग्रिम		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	324528,29,53	293368,66,39
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	154036,75,79	130028,17,50
	iii) बैंक	999,49,90	1026,77,28
	iv) अन्य	540628,01,99	470026,01,88
		1020192,57,21	894449,63,05
	II भारत से बाहर अग्रिम		
	i) बैंकों से देय	86908,43,37	78927,21,97
	ii) अन्य से देय		
	ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	3372,51,73	11653,66,78
	बी) सिंडीकेटेड ऋण	93333,48,91	81829,96,06
	सी) अन्य	33433,38,88	22122,92,36
		217047,82,89	194533,77,17
	कुल (सी.I + सी.II)	1237240,40,10	1088983,40,22
अनुसूची - 10 अचल आस्तियां			
I परिसर			
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31 st March of the preceding period	12236,32,77	12456,17,20
	Additions/Adjustments during the period	5112,04,58	64,62,45
		17348,37,35	12520,79,65
वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन (पुनर्मूल्यांकन राशि सहित)	Deductions/adjustments during the period (Includes revalued amount)	55,32,94	284,46,88
		17293,04,41	12236,32,77
आज की तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	8442,30,59	7886,89,54
		8850,73,82	4349,43,23
I ए निर्माणाधीन परिसर	I A Premises under construction	154,35,92	106,97,37

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)	Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :		
पिछली अवधि के दौरान 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31 st March of the preceding period	10603,82,17	9983,91,69
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/Adjustments during the period	1169,39,24	1040,07,24
		11773,21,41	11023,98,93
अवधि के दौरान कटौतियां	Deductions during the period	1293,14,29	420,16,95
		10480,07,12	10603,81,98
आज की तारीख में मूल्यह्रास	Depreciation to date	8707,99,48	8809,14,28
		1772,07,64	1794,67,70
II ए लीज पर दी गई आस्तियां	II A Leased Assets		
पिछली अवधि के दौरान 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31 st March of the preceding period	2227,42,28	2012,32,72
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/Adjustments during the period	8,47,05	218,97,76
		2235,89,33	2231,30,48
वर्ष के दौरान प्रावधान सहित कटौतियां	Deductions during the year incl. Provisions	7,98,04	3,87,99
		2227,91,29	2227,42,49
आज की तारीख में मूल्यह्रास	Depreciation to date	372,09,63	335,72,10
कुल (I, IA, II और IIA)	TOTAL (I, IA, II AND IIA)	1855,81,66	1891,70,39
		12632,99,04	8142,78,69
III - पूंजीगत-कार्य-प्रगति में (लीज पर आस्तियों सहित) प्रावधानों के निवल	III - Capital-Work-in progress (Including Leased Assets) net of Provisions		
		74,47	5,56,04
कुल(I, IA, II, IIA और III)	TOTAL (I, IA, II, IIA AND III)	12633,73,51	8148,34,73
अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS		
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued	16107,63,23	13652,09,31
II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source(net of Provisions)	10669,56,01	8200,71,10
III लेखन सामग्री एवं स्टॉप	III Stationery and Stamps	59,23	2,66,24
IV दावों की संतुष्टि पर अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	IV Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
V आस्थगित कर आस्तियां	V Deferred Tax assets	3185,25,48	4814,70,11
VI डेरिवेटिव आस्तियां	VI Derivative Assets	947,47,31	-
VII अन्य	VII Others		
		20221,23,41	22640,52,07
कुल (I से VII)	TOTAL (I to VII)	51131,74,67	49310,68,83



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को As at 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 st March 2024
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES		
I दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts	34299,33,91	33888,76,02
II आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments	28,00	15,28,00
III बकाया वायदा विनिमय करारों के कारण देयताएं	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts	454127,53,53	330634,62,06
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :		
ए) भारत में	a) In India	55364,94,37	52738,62,99
बी) भारत से बाहर	b) Outside India	6843,84,21	8963,39,62
V स्वीकृतियां, एंडोर्समेंट एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations	17765,76,70	24655,79,02
VI आकस्मिक देयताएं की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability	218064,39,84	127886,33,79
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	786466,10,56	578782,81,50

समेकित लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां

Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2024
अनुसूची 13 अर्जित ब्याज और लाभांश	SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ डिस्काउंट	I Interest/Discount on Advances/ Bills	96106,54,05	87647,68,73
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	29284,19,00	27842,14,08
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1981,88,67	1934,23,03
IV अन्य	IV Others	572,15,51	955,15,76
कुल (I से IV)	TOTAL (I to IV)	127944,77,23	118379,21,60

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2024
अनुसूची 14	SCHEDULE - 14		
अन्य आय	OTHER INCOME		
I कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I Commission, Exchange and Brokerage	3545,78,52	3710,90,07
II निवेशों की बिक्री पर लाभ	II Profit on sale of Investments	4027,62,76	2984,47,66
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	516,08,13	499,97,36
III निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III Profit on Revaluation of Investments	1065,28,74	1056,76,95
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	Less: Loss on revaluation of Investments	915,37,30	26,20,85
IV भूमि, इमारतों, और अन्य आस्तियों के बिक्रय पर लाभ	IV Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	46,67,06	8,81,47
घटाएं: भूमि, इमारतों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	7,02,40	2,50,03
V विनिमय लेनदेन पर लाभ	V Profit on Exchange/Derivative Transactions	1389,45,01	1542,58,71
घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि	Less: Loss on Exchange/Derivative Transactions	584,46,35	215,36,92
VI अर्जित बीमा प्रीमियम	VI Insurance Premium earned	6865,51,44	6827,67,31
VII ए) लीज वित्तपोषण आय	VII a) Lease Finance Income	-	-
बी) लीज प्रबंधन शुल्क	b) Lease Management Fee	-	-
सी) अतिदेय प्रभार	c) Overdue Charges	-	-
डी) लीज किराया प्राप्तियों पर ब्याज	d) Interest on lease rent receivables	-	88
VIII विविध आय#	VIII Miscellaneous Income#	10021,97,44	8012,30,81
कुल (I से VIII)	TOTAL (I to VIII)	24939,36,79	23399,48,70

विविध आय में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में हुई वसूली ₹ 4867.57 करोड़ शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 4000.35 करोड़)

Miscellaneous income includes Recoveries made in write off accounts of ₹4867.57 crore (Previous Period ₹ 4000.35 crore)

अनुसूची - 15	SCHEDULE - 15		
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED		
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	69580,03,20	61281,10,70
II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	4688,15,15	5627,10,44
III अन्य	III Others	3996,74,08	2990,86,42
अन्य (I से III)	TOTAL (I to III)	78264,92,43	69899,07,56



(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2024
अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16		
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES		
I कर्मचारियों को भुगतान व तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	17910,44,69	16966,69,19
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting	1933,06,08	1775,53,70
III प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery	211,99,59	200,19,73
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	350,65,36	439,50,35
V ए) लीज की गई आस्तियों को छोड़कर बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	1403,99,34	1632,50,73
बी) लीज की गई आस्तियों पर मूल्यहास	b) Depreciation on Leased Assets	62,96,14	61,02,04
VI निदेशकों की फीस एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	8,34,77	7,89,29
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	116,35,71	104,75,64
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	470,03,34	393,72,64
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	239,87,58	264,69,13
X मरम्मत एवं रखरखाव	X Repairs and Maintenance	1159,85,91	1094,75,82
XI बीमा	XI Insurance	2040,55,56	1756,22,18
XII सुनाम का परिशोधन	XII Amortisation of Goodwill	-	8,12,34
XIII अन्य खर्च #	XIII Other Expenditure#	10812,61,27	9631,18,26
कुल (I से XIII)	TOTAL (I to XIII)	36720,75,34	34336,81,04

अन्य खर्चों में पॉलिसी शेयरधारकों को प्रदत्त लाभ ₹ 3641.35 करोड़ शामिल है (पिछले वर्ष ₹3275.94 करोड़)

Other Expenditure includes Benefits Paid to Insurance Policy Holders of ₹ 3641.35 crore (Previous Period ₹ 3275.94 crore)

अनुसूची - 17	SCHEDULE - 17		
एसोसिएट्स से अर्जित आय का हिस्सा	SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES		
I क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	I RRB's	361,52,68	420,46,45
II अन्य	II Others	44,38,38	38,76,42
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	405,91,06	459,22,87

अनुसूची 18 - 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गये हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/ मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

- i. समेकित वित्तीय विवरणों में बैंक और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिन्हें एक साथ ("समूह"), संयुक्त उद्यम और सहयोगी के रूप में और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए संदर्भित किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:
 - ए. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
 - बी. मूल संस्था की संबंधित मदों के साथ अनुषंगियों की अस्ति/देयता/आय/ व्यय की प्रत्येक मद के क्रमवार समेकन और सभी महत्वपूर्ण अंतः समूह शेष / लेन- देन, अप्राप्त लाभ/ हानि को घटाने तथा आईसीएआई द्वारा जारी एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार असमान लेखांकन नीतियों हेतु यथा अपेक्षित आवश्यक समायोजन करने के बाद।
 - सी. संयुक्त उद्यमों का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 "संयुक्त उद्यमों में वित्तीय हितों की रिपोर्टिंग" के अनुसार 'अनुपातिक समेकन'।
 - डी. आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार 'इक्विटी प्रक्रिया' के अंतर्गत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन।
 - ii. अनुषंगी संस्थाओं में अपने निवेश पर समूह की लागत और अनुषंगियों की शेयर पूंजी एवं प्रीमियम में समूह के हिस्से के बीच अंतर की गणना वित्तीय विवरणों में साख/ पूंजीगत प्रारक्षित निधि के रूप में की गई है। विदेशी अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों (जेवी) के मामले में ऐसे अंतर को विनिमय प्रारक्षित निधियों के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।
 - iii. समेकित अनुषंगियों की निवल अस्तियों में माइनॉरिटी ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - ए. अनुषंगी में निवेश की तारीख को माइनॉरिटी के लिए आरोप्य इक्विटी की राशि, और
 - बी. मूल - अनुषंगी के बीच संबंधों की शुरुआत की तारीख से राजस्व प्रारक्षित निधियों/ हानि (इक्विटी) में संचलन का कुछ भाग

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई अस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय में प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/ संशोधन वर्तमान और भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेश एवं डेरिवेटिव्स:

बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख के आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। बैंक के निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/डीओ आर/2023-24/104 डीओआर. एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के अनुसार किया गया है।

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

- i. "परिपक्वता तक धारित" (HTM): "परिपक्वता तक धारित" में ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेश में डिबेंचर/बॉन्ड शामिल हैं, केवल मूलधन के भुगतान और निर्दिष्ट तारीखों पर बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') जैसी अपनी संविदात्मक शर्तों की वजह से, ये प्रतिभूतियां केश फ्लो में वृद्धि करती हैं।
- ii. "बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफएस): 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेश में एक उद्देश्य के साथ किए गए निवेश शामिल हैं जो करारगत नकदी प्रवाह के संग्रहण और प्रतिभूतियों के विक्रय दोनों के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं। एएफएस प्रतिभूतियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां भी शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां परिपक्वता तक रखने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में दोनों विकल्प खुले रहते हैं। इसके अलावा, प्रारंभिक तौर पर, बैंक एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसे 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के तहत ट्रेडिंग के उद्देश्य से नहीं रखा गया है, को वर्गीकृत करने के लिए अपरिवर्तनीय विकल्प का चयन करता है।
- iii. "लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य" (FVTPL): लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य में ऐसे निवेश शामिल हैं जो HTM या AFS में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं। FVTPL के तहत "व्यापार हेतु धारित" (HFT) एक अलग उप श्रेणी है।
- iv. "अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश": 'अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश' श्रेणी अन्य निवेश श्रेणियों (अर्थात एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग एक विशिष्ट श्रेणी है। इसमें अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेश शामिल है।

तुलन-पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ("निवेश") में छः समूहों (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉन्ड एवं डिबेंचर (ई) अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम और (एफ) अन्य के अंतर्गत यथा प्रकटीकृत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



बी) अधिग्रहण की लागत

प्रारंभिक तौर पर सभी निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह प्रमाणित न करें उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। निवेशों से संबंधित ब्रोकरेज जैसे लागत, जिसका अर्जन के समय भुगतान किया गया है और ब्रोकर अवधि का ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

सी) श्रेणियों के बीच अंतरण

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों का पुनःवर्गीकरण, यदि कोई किया गया है तो, वह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। पुनःवर्गीकरण की भावी तारीख से पुनःवर्गीकरण लागू किया जाता है।

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों का पुनर्वर्गीकरण किए जाने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश आरबीआई/2023-24/104 डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 दिनांक 12 सितंबर 2023 के अध्याय VI- 'श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण' के अनुसार लेखांकन विधि का उपयोग किया जाता है।

3.2 मूल्यांकन

प्रारंभिक तौर पर सभी निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह प्रमाणित न करें उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है।

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिह्नित श्रेणी (MTM) में नहीं रखकर भारित औसत अधिग्रहण लागत/परिशोधन लागत पर रखा जाता है। हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ये आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं। "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन का लेखांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र RBI/DOR/2023-24/10 4DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के अनुसार ब्याज आय के अंतर्गत किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेशों का रख-रखाव की लागत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं हेतु खरीदे गए पास थ्रू सर्टिफिकेटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोशिएट्स में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यहास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) की यूनिट्स में बैंक के निवेश का मूल्यांकन वित्तीय विवरणों के अनुसार वीसीएफ द्वारा दर्शायी गई नेट एसेट वैल्यू या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित एनएवी का उपयोग करके किया जाता है। यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 महीने से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं हैं तो 1 रुपये प्रति वीसीएफ की दर से मूल्यांकन किया जाता है।

एफएस और एफवीटीपीएल श्रेणियों के तहत वर्गीकृत निवेशों का उचित मूल्यांकन आवधिक आधार पर कम से कम तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। एफएस/एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी डिस्काउंट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर ब्याज आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। रखे गए सभी अच्छे प्रदर्शन वाले निवेशों, चाहे वर्गीकरण कुछ भी हो (यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर, आदि), में लाभ और हानि को एफएस श्रेणी के तहत संग्रहीत किया जाता है। निवल लाभ या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एफएस-रिज़र्व नामक निधि में जमा या डेबिट किया जाता है। व्यक्तिगत प्रतिभूतियों की बुक वैल्यू निवेशों के उचित आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अद्यतन की जाती है।

अनुषंगियों, एसोशिएट्स और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर रखे जाते हैं। अनुषंगियों, एसोशिएट्स और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई डिस्काउंट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर ब्याज आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों, एसोशिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का मूल्यांकन तिमाही आधार पर किया जाता है। निवेश के मूल्य में किसी भी कमी को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है और यदि मूल्य में कमी की विपरीत स्थिति में, लाभ और हानि खाते के माध्यम से रिवर्सल दे दिया जाता है।

पुनर्गठित अग्रिम योजना के बदले प्राप्त निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। निवेश का उचित मूल्यांकन एफएस/एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत निवेश के वर्गीकरण के अनुसार किया जाता है। पुनर्गठन योजना के तहत बैंक द्वारा अधिग्रहित और धारित इक्विटी शेयरों पर मूल्यहास की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि समाप्ति पर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसी लिखतों के संबंध में समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

ए) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त प्रतिभूति रसीदों में निवेश का आकलन वित्तीय परिसंपत्ति के i) नेट बुक वैल्यू (एनबीवी) (यानी बुक वैल्यू में से प्रावधान घटाकर) और ii) एसआर के मोचन मूल्य में से, जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

बी) एससी/एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन गैर एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद संबंधित योजना में लिखतों के तहत सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन हैं, वहाँ ऐसे निवेशों के आकलन के लिए एससी/एआरसी से प्राप्त नेट एसेट वैल्यू को गिना जाता है।

सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/2024-25 29 मार्च, 2025 के अनुसार; सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूति रसीदों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, नेट बुक वैल्यू (एनबीवी) से अधिक मूल्य की वसूली की स्थिति में, बैंकों द्वारा इस संबंध में किए गए किसी किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) को ऋण अंतरित करने के वर्ष के लाभ और हानि खाते में रिवर्स किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राप्तियों में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत

प्रतिभूति रसीदें शामिल हों। एआरसी द्वारा प्रदत्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर इन लिखतों के लिए घोषित नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के आधार पर इन प्रतिभूति रसीदों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

कोटेड इक्विटी शेयर/बांड/ बैंक के पोर्टफोलियो में शामिल श्रेणी I और II एआईएफ की यूनित्स को नियमित आधार पर 'बाजार के लिए चिह्नित' किया जाता है।

वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि, यदि लेखापरीक्षित तुलन-पत्र/वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े मूल्यांकन तारीख को लगातार 18 माह से अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो निवेशों के मूल्य ₹1 प्रति श्रेणी I और II एआईएफ हैं।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रख-रखाव की लागत पर किया जा रहा है।

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है। अल्प बिक्री की स्थिति सिक्वोरिटीज शॉर्ट सेल (एसएसएस) खाते में जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए खोला गया है, परिलक्षित होती है। शॉर्ट पोजीशन को बाजार मार्केट टू मार्केट और हानि, यदि कोई हो, उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जब कि लाभ यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुए लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विशेष बॉन्ड जैसे कि तेल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड, यूडीएवाय बॉन्ड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

'लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य' तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के कोटेड निवेशों के मूल्यांकन के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पर बाज़ार दरों हेतु फाईनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / कोटेड दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

ए	सरकारी / अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता आधारित आय पर.
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	-	नवीनतम तुलन-पत्र (तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार करने की गई वह मूल्यांकन की तारीख से पहले के 18 महीने से अधिक नहीं होगी) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, यदि कोई हो पर विचार किए बिना) अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
सी	अधिमानी शेयर और पास थ्रू सर्टिफिकेट (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर

डी	पीएसयू बॉन्ड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
ई	म्यूचुअल फंड की यूनिट	-	फंड द्वारा प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश की पहचान और उसके ऊपर मूल्यहास/ प्रावधान किया जाता है। मूल्यहास के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई सीमा से ऊपर और अधिक अतिरिक्त रूप से प्रावधान सृजित करते हैं। इस तरह के अनर्जक निवेशों पर मूल्यहास प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुकाबले निर्धारित नहीं किया जा सकता। अनर्जक निवेशों पर ब्याज को लाभ और हानि खातों में तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक उनकी वास्तविक प्राप्ति नहीं हो जाती है।

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश में से जिसके दिशानिर्देश अधिक सख्त हों, वे लागू होंगे। उन शाखाओं के मामलों में, जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां ऐसे कोई दिशानिर्देश निर्दिष्ट न हो, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश लागू होंगे।

जीवन बीमा व्यवसाय:

बीमा अधिनियम 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियमन, 2002 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं और उनका लेखांकन किया जाता है।

निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर निवेशों को दर्ज किया जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टॉप ड्यूटी, कर आदि, यदि कोई हों, शामिल हैं, लेकिन खरीद पर उपचित पूर्व-अधिग्रहण ब्याज (अर्थात् पिछली कूपन तारीख से लेनदेन निपटान की तारीख तक), यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाता है।

बोनस पात्रता को 'एक्स-बोनस तारीख' पर निवेश माना जाता है। राइट पात्रता को 'एक्स-राइट डेट' पर निवेश माना जाता है। निवेश पर किसी भी प्रकार की अग्रिम छूट को निवेश की लागत से घटा दिया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख पर निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी के अलावा, को राजस्व/ लाभ एवं हानि खाते में व्यय माना जाता है।

प्रदत्त/ प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट / क्रेडिट किया जाता है और इसे खरीद/ बिक्री मूल्य की लागत में शामिल नहीं किया जाता है।

ए. पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों और शेयरधारकों के निवेश की कर्ज प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार लिखत और अतिरिक्त टियर - 1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):

ए. पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों और शेयरधारकों के निवेश के तहत धारित सभी कर्ज प्रतिभूतियों, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां और मुद्रा बाजार लिखतें शामिल हैं को "परिपक्वता तक धारित" माना जाता है तथा परिशोधन के अधीन हिस्टोरिकल लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है।



बी. छूट या प्रीमियम जो निश्चित आय प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों के खरीद मूल्य और मोचन राशि के बीच का अंतर है, इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता में शेष अवधि पर राजस्व खाते या लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाइन के आधार पर परिशोधित और निर्धारित किया जाता है।

सी. पॉलिसीधारक की गैर-लिंक निधियों के तहत एटी1 बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके किया गया है।

डी. ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ या हानि, कंपनी की बही में निवल बिक्री प्रतिफल और परिशोधित लागत के बीच अंतर है।

बी. पॉलिसीधारकों के लिंक निधि की ऋण प्रतिभूतियां, मुद्राबाजार लिखत और अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):

ए. पॉलिसीधारकों के लिंक निधियों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और एटी1 बॉन्ड को मूल्यांकन यथालागू क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर/क्रिसिल गिल्ट मूल्यों, का उपयोग करके किया जाता है।

बी. नियत आय प्रतिभूतियों / मुद्रा बाजार लिखतों पर छूट या प्रीमियम, जो खरीद मूल्य और शोधन राशि के बीच का अंतर होता है, को और इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता के लिए शेष अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर राजस्व खाते में परिशोधित और निर्धारित किया जाता है।

सी. सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले अप्रাপ्त लाभ या हानि का लेखांकन राजस्व खाते में किया जाता है।

डी. लिंक कारोबार के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियों और लिंक कारोबार के साथ-साथ उससे इतर कारोबार के लिए एटी1 बॉन्ड पर प्राप्त लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है।

सी. लिंक और गैर लिंक दोनों के लिए:

ए. तुलन-पत्र की तारीख को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन मूल्यों का उपयोग करके सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि एनएसई पर इक्विटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का व्यापार नहीं होता है तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है।

बी. असूचीबद्ध इक्विटी शेयर का उल्लेख हिस्टोरिकल लागत पर किया जाता है। इन शेयरों के मूल्य में हास, यदि कोई हो, के लिए उस सीमा तक प्रावधान किया जाता है कि यह हास अस्थायी के अतिरिक्त है।

सी. प्राइमरी बाजारों के माध्यम से अधिगृहीत इक्विटी शेयर जिनकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है उनका मूल्यांकन अपने निर्गम मूल्य पर किया जाता है।

डी. म्यूचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है। एआईएफ इकाइयों का मूल्यांकन संबंधित निधि के नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है।

ई. प्राप्त लाभ/हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है। लिंक निधि के मामले में, अप्रাপ्त लाभ/हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में उचित मूल्य परिवर्तन के रूप में निर्धारित किया जाता है लिंक कारोबार के अतिरिक्त कारोबार के लिए, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तन पर अप्रাপ्त लाभ/ हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है और तुलन-पत्र में भी शामिल किया जाता है।

एफ. कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या कॉल ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर

किया जाता है। यदि कई कॉल ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न कॉल तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है।

जी. पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या पुट ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त उच्च मूल्य पर किया जाता है। यदि कई पुट ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न पुट तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है।

एच. एक ही दिन पुट और कॉल दोनों विकल्पों के साथ प्रतिभूतियों को पुट/ कॉल तारीख पर परिपक्व माना जाएगा और उनका मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा जारी मैट्रिक्स के आधार पर बेंचमार्क दर पर स्प्रेड का उपयोग करके परिपक्वता के आधार पर प्रतिफल पर किया जाएगा।

आई. 'रिवर्स रेपो' आधार पर खरीदे गए लिखतों का मूल्यांकन लागत और रिवर्स रेपो दर पर उपचित ब्याज पर किया जाता है।

जे. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले सभी निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

के. पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारकों की निधियों से पॉलिसीधारकों की निधियों में निवेश का अंतरण मुद्रा बाजार लिखतों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में परिशोधित लागत/ बुक लागत या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में बाजार मूल्य पर किया जाता है।

एल. लिंक निधि के मामले में पॉलिसीधारकों की निधियों से संबंधित ऋण प्रतिभूतियों का अंतर-निधि अंतरण मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाता है। इक्विटी, अधिमानी शेयर, ईटीएफ और सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण नवीनतम ट्रेड के बाजार मूल्य पर बाजार के कार्य-अवधि के दौरान किया जाता है।

एम. गैर-लिंक पॉलिसीधारकों की निधियों के बीच निवेश का कोई अंतरण नहीं किया जाता है।

एन. यूनिट लिंक निधियों के बीच इक्विटी, अधिमानी शेयरों, ईटीएफ, आईएनवीआईटी और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की गणना, निवेश की खरीद या बिक्री की तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेश के अंतरण की तारीख पर किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसे अंतिम उपलब्ध मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, निवेश के अंतरण को प्रचलित प्रतिफल पर लेखांकित किया जाता है।

ओ. यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यहास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो निवेशों की रख-रखाव लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। मूल्यहास हानि की पहचान व्यय के रूप में की जाती है और इसे राजस्व/ लाभ या हानि खाते में "निवेश (निवल) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान शीर्ष के तहत पुनर्निर्धारित उचित मूल्य और राजस्व/ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी पूर्व हास हानि द्वारा घटाई गई अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक प्रकट किया जाता है। हास हानि का कोई भी रिवर्सल जिसे पहले राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया था, को क्रमशः राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा।

पी. "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर विनियम के अनुसार, सभी एनपीए से संबंधित बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। सभी आस्तियां जहां तुलन-पत्र की तारीख को ब्याज और/या मूलधन चुकौती की किस्त 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय होती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क्यू. InvIT के लिए, सभी ट्रेड किए गए InvIT का मूल्यांकन, मूल्यांकन दिवस पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन मूल्य के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी विशेष मूल्यांकन दिवस पर एनएसई पर स्क्रिप का व्यापार नहीं होता है तो वह मूल्य जिस पर बीएसई पर इसका व्यापार हुआ, पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी एक्सचेंज पर इसका व्यापार नहीं होता है तो पिछले दिन के शुरुआती मूल्य पर एनएसई/बीएसई के समापन मूल्य का इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा पिछला दिन, मूल्यांकन दिवस से पहले तीस दिन से अधिक न हो।

3.3 निवेशों की बिक्री

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है तथा "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है।

एफएस श्रेणी में किसी डैब्ट लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि की राशि एफएस-रिजर्व से अंतरित कर दी जाती है और इसे लाभ और हानि खाते में समायोजित कर दिया जाता है। एफएस के तहत नामित इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर विक्रय के समय कोई भी लाभ या हानि की राशि एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाती है। इसके बजाय, ऐसे लाभ या हानि की राशि को एफएस-रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित कर दिया जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में निवेश की बिक्री या परिपक्वता पर लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में रखा जाता है।

किसी अनुषंगी, एसोशिएट या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ/प्राप्तियों को लाभ और हानि खाते में रखा जाता है तथा इसे लाभ-हानि खाते से 'पूंजी प्रारक्षित खाता' में समायोजित कर दिया जाता है।

3.4 रेपो / रिवर्स रेपो हेतु लेखांकन

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है [परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17/ एफ एमओडी. एमएओजी.नं./01.01.001 /2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 से संबंधी परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी. डीआईआरडी.21/14.03.038/2019-20 दिनांक 28 नवंबर, 2019 द्वारा भा.रि.बैं. के पास चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ सांपाष्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है। रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है।

लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गयी है।

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व

यील्ड में वृद्धि के विरुद्ध पर्याप्त रिज़र्व निर्मित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2023-24/104 डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के माध्यम से सभी बैंकों को निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) बनाने हेतु निर्देशित किया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एचएफटी और एफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है।

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वेप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा वायदा दर करार शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेज और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं। बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मेकिंग/ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है।

3.7 डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन

बैंक डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार महत्व देता है:

हेज/नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। हेजेज़ के रूप में नामित संव्यवहारों के संदर्भ में निम्नलिखित व्यवस्था का पालन किया जाता है -

- उचित मूल्य के हेज के मामले में, हेजिंग लिखतों तथा हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- नकदी प्रवाह हेजेज़ के मामले में, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित' के तहत प्रारक्षित और अधिशेष में निर्धारित किया जाता है तथा प्रभावी हेजिंग के संदर्भ, यदि कोई हो, के अप्रभावी हिस्से को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। प्रभावी हेजिंग के संदर्भ में नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित में संचित शेष राशि को उसी समय जब हेज किए गए आइटम के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है, लाभ और हानि खाते में रीसाइकल किया जाता है।

डेरिवेटिव्स पोजिशंस, जब तक कि हेजेज़ के रूप में निर्दिष्ट न हों, का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है और प्राप्त लाभ/हानि को डेरिवेटिव्स आस्तियों और देनदारियों के रूप में क्रमशः अलग-अलग पंक्तियों 'अन्य आस्तियां' और 'अन्य देयताएँ' के रूप में दर्शाया जाता है। ब्याज दर स्वेप से संबंधित आय और व्यय दैनिक आधार पर अर्जित होते हैं। ट्रेडिंग स्वेप की समाप्ति तारीख पर प्राप्त लाभ/हानि को तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वेप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वेप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय



राशि के आधार पर की जाती है। प्राप्त लाभ/हानि को क्रमशः 'अन्य आस्तियां' और 'अन्य देयताएं' में अलग-अलग पंक्ति के रूप में आस्ति और देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

बैंक एफ़ईडीआई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्ति/ हानियों के रूप में माना जाता है। विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्ति/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

तुलन-पत्र की तिथि को 'एफ़ईडीआई' द्वारा अधिसूचित विनियम दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

4 अग्रिम

- 4.1 भारत में अग्रिमों को स्टैण्डर्ड, सब-स्टैण्डर्ड, डाउटफुल या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों में से जो भी अधिक कठोर हो, के अनुरूप किया गया है।
- 4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचित ब्याज, वाद- दायर विविध जमाओं में प्राप्त एवं धारित राशि एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं।
- 4.3 सतत प्रक्रिया के रूप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है:
 - जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान।
 - एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया। प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित हैं।
 - बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण।
 - संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रतिभूत (संपार्श्विक) हैं तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
 - मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रेडर्स/ टिलर/ पावर टिलर हेतु ऋण जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
- 4.4 पुनर्संचित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संचित अग्रिमों के लिए निवल मौजूदा मूल्य शर्तों पर

आकलन करते हुए प्रावधान किया गया है। जहां बैंक को कुल बकाया रूप एक करोड़ और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 5% पर की जाती है।

- 4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशानिर्देश ये हैं कि यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य घटाकर किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को उसी वर्ष कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाए। यदि बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है।

बैंकों को बेची गई वित्तीय आस्तियों तथा निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य - किए गए प्रावधान) से कम मूल्य पर बिक्री के मामले में कमी को उसी वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाएगा। यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधानों को रिवर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य अनर्जक आस्तियों की बिक्री के कारण कमी / हानि को पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा।

5 अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग से अस्थायी प्रावधान बनाने की एक पॉलिसी है। प्रति वर्ष किए जाने वाले प्रावधानों की मात्रा का आकलन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक व्यय के लिए अस्थायी प्रावधान का उपयोग किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

- 6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियां परंपरागत (या पुनर्मूल्यांकित राशि, जैसा भी मामला हो), कम संचित मूल्यहास और हास से नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर पर दर्शाई गई हैं। लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने संबंधी लागत शामिल है। उपयोग करने के लिए आस्तियों पर बाद में उपचित व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियों के/ से भविष्य के लाभ/ कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ बैंक के लाभ और हानि खाते का हिस्सा हैं।
- 6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। बैंक के स्वामित्व वाली और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, कर्मचारियों के क्वार्टर आदि के रूप में उपयोग की जाने वाली सभी भूमि और भवन, बैंक की अचल संपत्तियों की श्रेणी में स्वयं के परिसर के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यदि कोई हो, को प्रारक्षित पूंजी के तहत पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।
- 6.3 परिसर में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में उल्लिखित मदों को छोड़कर) / व्यय का निर्धारण सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है। आयकर विभाग से रिफंड आदेश/सूचना प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज बुक किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के मामले में, उस देश के जहां संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय/ व्यय का निर्धारण किया गया है।

8.2 शुल्क के माध्यम से प्राप्त आय, सभी कमीशन (सरकारी कारोबार और अन्य पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन को छोड़कर), गारंटी पर कमीशन, साख पत्र, विनिमय, दलाली तथा अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर लेखांकित किया है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर लेखांकित किया है।

8.3 अनर्जक आस्तियों/ निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गयी है।

8.4 ऐसे पट्टे जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टादाता के पास रहता है उसे एस 19 (पट्टा देना) के अनुसार परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह के पट्टे के भुगतान का रिकॉर्ड एस 19 के अनुसार पट्टा मानदंड के ऊपर लाभ-हानि खाते में स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाता है।

8.5 एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन:

समय-समय पर खातों में प्रभावी वसूली (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) निम्नलिखित तरीके से विनियोजित होनी चाहिए :

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति वाद दायर/ डिब्री खातों में वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया जाना चाहिए:
- संबंधित न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार
- न्यायालय से कोई विशेष आदेश प्राप्त नहीं होने के मामले में गैर वाद दायर खातों में लागू अनुसार

समझौता /एनसीएलटी समाधान के माध्यम से निपटान द्वारा वसूली:

एनसीएलटी के माध्यम से संकल्प/ निपटान या समझौता स्वीकृत खातों के मामले में वसूली को समझौता स्वीकृति / समाधान निपटान के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए।

8.6 स्टैंडर्ड खातों में वसूलियों का विनियोजन

स्टैंडर्ड खातों में वसूली का विनियोजन दर्ज मांग की तारीख के अनुसार

किया जाता है और जल्द से जल्द मांग को निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति

मर्चेन्ट बैंकिंग:

राजस्व को गतिविधि की प्रकृति के आधार पर तब निर्धारित किया जाता है जबकि प्रतिफल की तर्कसंगत रूप से गणना की जा सके और इसकी वसूली के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हो।

ए. निवेश बैंकिंग से होने वाली आय में संगठन की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त राजस्व और मूल्यांकन सेवाओं, पुनरीक्षण परियोजना मूल्यांकन, डेब्ट एवं इक्विटी निर्गम प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाओं, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और लीड अरेंजर सर्विसेज, ऋण समूहन, ऋण-पुनर्संरचना तथा संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित हैं।

बी. ऐसे मामलों में राजस्व, कंपनी और ग्राहक के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की नियम एवं शर्तों के अनुरूप असाइनमेंट के विभिन्न स्तरों के पूरा होने तथा इसकी वसूली की निश्चितता का आकलन होने पर जब कभी राशि देय होती है तो इसे उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सी. ब्रोकिंग गतिविधियों से होने वाली आय में एक्सचेंजों में निष्पादित ट्रेड पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं। ब्रोकरेज की गणना स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी शुल्क, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्रभार और लागू अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर / जीएसटी) को घटाकर केवल यथोचित आधार पर राशि निर्धारित होने के बाद उपचित आधार पर की गई है।

डी. धनसंपदा प्रबंधन में परामर्श एवं रिसर्च शुल्क से प्राप्त आय और म्यूचुअल फंड वितरण से प्राप्त आय शामिल हैं। म्यूचुअल फंड वितरण से होने वाली आय में म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश उत्पादों के वितरण पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं। ब्रोकरेज राशि में ट्रेल कमीशन और अपफ्रंट कमीशन दोनों शामिल हैं। इसे राशि के केवल यथोचित आधार पर निर्धारण योग्य होने के बाद ही उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ई. मीयादी जमा से होने वाली आय, जो अल्पावधि के लिए अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में बैंक से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एफ. कर-मुक्त बॉन्ड से होने वाली आय को, जो एक दीर्घावधि के लिए अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में ऐसे लिखतों को जारी करने वाली संस्थान से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जी. लिक्विड म्यूचुअल फंड से होने वाली आय को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें निवेश का मोचन किया जाता है और उसकी उगाही की जाती है।

न्यासी परिचालन:

ए. म्यूचुअल फंड न्यासिता शुल्क संबंधित योजनाओं से साथ सहमत निर्दिष्ट दरों पर निर्धारित की जाती है जो प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल



आस्तियों पर लागू होती है और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत निर्दिष्ट सीमा के अनुरूप होती है।

- बी. राजस्व का निर्धारण तब किया जाता है जब उसकी अंतिम उगाही/संग्रहण की पूरी निश्चितता हो।

आस्ति प्रबंधन

- ए. निवेश प्रबंधन शुल्क:

निवेश प्रबंधन शुल्क को बड़ौदा म्यूचुअल फंड की योजनाओं (कंपनी द्वारा योजनाओं में किए गए निवेश को छोड़कर, इंट्रा- योजना निवेश और योजना की कुछ श्रेणियों के लिए सावधि जमा में निवेश की योजनाएं), की औसत दैनिक निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचित आधार पर जीएसटी घटाकर इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 और किसी भी अन्य संशोधन (विनियम) अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफ़र दस्तावेज़ द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक न हो।

- बी. निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क :

निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क को काउंटर पक्षों के साथ करार की संबंधित शर्तों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

- सी. अन्य आय

ब्याज आय को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

निवेश की खरीद और बिक्री को ट्रेड की तारीख पर रिकॉर्ड किया जाता है। निवेश पर लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरणों में ट्रेड की तारीख पर निर्धारित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण सामान्य औसत लागत प्रणाली से किया जाता है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- ए. सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है, अन्यथा कि अन्य रूप से उल्लिखित हो।

- बी. शुल्क आय को तब लेखांकित किया जाता है जब इसे ग्राहक को प्रभारित (बिल) किया जाता है।

- सी. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के मामले में आय की उगाही की अनिश्चितता को देखते हुए ऐसी आय का लेखांकन केवल इनके प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है।

- डी. बट्टे खाते में डाले गए अशोध ऋणों से वसूली को ग्राहक से वास्तविक उगाही के आधार पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

- ई. निधियों के नियोजन पर आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

- एफ. ऐसे उपचित आय जिन्हें वर्ष के अंत तक बिल नहीं किया गया है, उन्हें जीएसटी जैसे लागू अप्रत्यक्ष करों पर विचार किए बिना अनुमानित आधार पर लेखांकित किया जाता है। ऐसी आय पर लागू अप्रत्यक्ष करों को वास्तविक बिलिंग के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

जीवन बीमा:

- ए. गैर-लिंक पॉलिसियों के लिए प्रीमियम को पॉलिसीधारकों से देय होने पर

आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। यूनिट लिंक व्यवसाय के लिए प्रीमियम आय को तब निर्धारित किया जाता है जब संबद्ध यूनिट सृजित हो जाते हैं।

- बी. गैर-लिंक परिवर्तनीय बीमा व्यवसाय के लिए, प्रीमियम को प्राप्ति की तारीख पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

- सी. व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है जब ऐसी पॉलिसियों को पुनः शुरू किया जाए।

- डी. प्रीमियम में शुल्क पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं।

- ई. यूनिट लिंक व्यवसाय के मामले में, पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है और संबद्ध यूनिट के सृजन पर इसे आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

- एफ. यूनिट लिंक पॉलिसियों से आय, जिसमें आस्ति प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रभार शामिल हैं, यदि कोई हो, तो इसे यूनिट लिंक फंड से पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर निर्धारित किया जाता है।

- जी. सत्तांतरित पुनर्बीमा प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संबंधित करार के नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय लेखांकित किया जाता है। प्रीमियम में बाद के संशोधनों या निरस्त करने के कारण प्रभाव को उस वर्ष में निर्धारित किया जाता है, जिस वर्ष में वे होते हैं।

- एच. निवेश से होने वाली आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है। निवेश पर ब्याज आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

- आई. ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित प्रीमियम में छूट और परिशोधन में वृद्धि को होल्डिंग/ परिपक्वता अवधि पर स्ट्रेट-लाइन आधार पर निर्धारित किया जाता है।

- जे. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य के संबंध में लाभांश आय और लिंक व्यवसाय के संबंध में लाभांश आय को "पूर्व-लाभांश तारीख" पर निर्धारित किया जाता है।

- के. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/ हानि, बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत परिशोधन लागत के बीच का अंतर है। लिंक व्यवसाय के लिए ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/ हानि बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है।

- एल. इक्विटी शेयरों/ म्यूचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि, व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है। यूनिट लिंक व्यवसाय के अलावा लाभ या हानि में "राजस्व और अन्य आरक्षित पूंजी (अनुसूची 2)" और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताओं (अनुसूची 5)" के रूप में तुलन पत्र में पूर्व में शामिल उचित मूल्य के संचयी प्रभार शामिल हैं।

- एम. मृत्यु और राइडर के दावों को सूचना मिलने पर लेखांकित किया जाता है। भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां लागू हो, शामिल हैं।

- एन. गैर-लिंक व्यवसाय के लिए वार्षिकी लाभ, मनी बैक पेमेंट्स, सर्वाइवल बेनिफिट और परिपक्वता दावा को देय होने पर लेखांकित किया जाता है। सरेंडर और आहरण का लेखांकन अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है।

ओ. लिंक किए गए व्यवसाय के लिए, संबंधित यूनिटों को रद्द किए जाने पर परिपक्वता दावों को नियत आधार पर लेखांकित किया जाता है। सरेंडर और निकासी का लेखांकन तब किया जाता है जब संबंधित यूनिटों को रद्द कर दिया जाता है।

पी. उस पर वसूली योग्य पुनर्बीमा को संबंधित दावे की समान अवधि के लिए लेखांकित किया जाता है। न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्रबंधन के विवेक के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

क्यू. अधिग्रहण लागत उसके क्रियान्वित होने की अवधि में व्यय हुई लागत है। अधिग्रहण लागत में मुख्य रूप से बीमा मध्यस्थों को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी की छपाई का खर्च, स्टॉप शुल्क और पॉलिसी को सोर्स करने और जारी करने में हुए अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। भविष्य में पहले वर्ष के कमीशन के भुगतान पर कर सहित वसूली, यदि कोई हो, तो उसे वसूली के समय लेखांकित किया जाता है।

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ़ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

9.2 उपदान

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है जो कि उपदान भुगतान से अधिक है। इसका वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित लाभ देयता के रूप में परिभाषित है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संचित मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा पेंशन देयता के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है।

नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदान योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) तथा अप्रयुक्त चिकित्सा अवकाश का प्रावधान एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी) और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि को एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों के लिए, संबंधित देश में लागू कानून के आधार पर लाभों का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है।

10 मूल्यहास:

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास (पैराग्राफ 10.3 एवं 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा) निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय उन पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यहास प्रावधान किया जाता है।

क्रम सं.	श्रेणी	मूल्यहास के प्रभावी दर	मूल्यहास प्रक्रिया
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.1%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप स्कूटर एवं अन्य वाहन		अवलिखित मूल्य
	-दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	-चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग हैं, पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है।

2 वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ और ₹.50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।



- 10.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।
- 10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास खरीद/ उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।
- 10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।
- 10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन अस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास, लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और इसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।
- 10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति का मूल्यहास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

11. आस्तियों का मूल्यहास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यहास हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यहास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का मूल्यहास") के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

यदि आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यहास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। मूल्यहास हानि की पहचान वहां की जाती है जहां आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है। उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है। इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। मूल्यहास के बाद आस्तियों के शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

- 12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11 लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव" के अनुरूप किया गया है।
- 12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। घरेलू व्यापार और प्रतिनिधि कार्यालयों के विदेशी मुद्रा परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है और सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, विदेशी सहायक कंपनियों को गैर-एकीकृत परिचालनों के रूप में माना जाता है।
- 12.3. बैंक विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में वायदा विनिमय अनुबंधों के उपयोग के माध्यम से अपने निवेश को हेज करता है। विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में अपने निवेश को हेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वायदा विनिमय अनुबंधों को आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव अनुबंधों से संबंधित लेखांकन पर गाइडेंस नोट के अनुसार हिसाब लगाया जाता है जिसमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप

में उपयोग किए जाने वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स से संबंधित लाभ और हानि उस सीमा तक सीधे इक्विटी में पहचाने जाते हैं जिस सीमा तक हेज को प्रभावी माना जाता है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर लाभ और हानि के अप्रभावी हिस्से (और हेजिंग संबंध में निर्दिष्ट किसी अनुपात) को लाभ और हानि खाते में तत्काल मान्यता दी जाती है। किसी भी निवल आस्थगित विदेशी मुद्रा लाभ और हानि अर्थात् निवल निवेश और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स दोनों से उत्पन्न को विदेशी परिचालन के निपटान के समय लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

12.4 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

- ए) संव्यवहार को प्राथमिक तौर पर एफईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचित दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।
- बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।
- सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ- हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं से संबंधित किसी भी रिवर्सल/ भुगतान को एफईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार दर पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए रिवर्सल/ भुगतान किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।

12.5 गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

- ए) आस्ति एवं देयताओं को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित बंद हाजिर दरों पर अंतरित किया जाता है।
- बी) तुलन पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर और वायदा आकस्मिक देयताओं को क्रमशः बंद हाजिर और वायदा दरों पर एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपोलेटेड दरों पर अंतरित किया जाता है।
- सी) एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित तिमाही औसत दर पर आय और व्यय का अंतरण किया जाता है।
- डी) परिणामी विनिमय अंतरों को उस अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक एक अलग "फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व" खाते में जमा किया जाता है।

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार यथानिर्धारित (संबद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आय एवं व्यय की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना उस अवधि के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं डाइल्यूटेड सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि इससे ऐसे आय के निर्धारण की संभावना बनेगी, जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

16. सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में मान्यता देता है।

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है।

18. जीवन बीमा व्यवसाय – अन्य पॉलिसियां

ए. ऋणों का मूल्यांकन कुल बही मूल्य (चुकोतियों को घटाकर) और पूंजीकृत ब्याज के आधार पर किया जाता है, जो क्षति के प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है। यदि परिपक्वता अवधि 12 महीने से कम है तो ऋण को अल्पावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पावधि से इतर अन्य ऋणों को दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बी. भावी विनियोजन की निधियों को ऐसे अधिदेश आस्तियों में अतिरिक्त देयताओं को दर्शाने वाली सहभागी निधि में अलग रखा गया है ताकि पॉलिसीधारक की उचित अपेक्षा (पीआरई) को पूरा किया जा सके। यह राशि शेयरधारक या पॉलिसीधारक को तुलन-पत्र की तारीख पर आबंटित नहीं की गयी है। भावी विनियोजन के लिए निधि जब पॉलिसीधारकों को भविष्य में आबंटित की जाती है तो विनियमन द्वारा निर्धारित अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में परिणामस्वरूप अंतरण होगा।

सी. कंपनी की बीमांकिक देनदारियों की गणना, बीमा अधिनियम, 1938 और उसमें संशोधनों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्ति, देयताएं और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियमन, 2016, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्चुअरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी एक्चुअरीअल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट्स तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के अनुसार की गई हैं। दीर्घावधि गैर-लिंक्ड संविदाओं का मूल्यांकन सकल प्रीमियम मूल्यांकन (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

यूनिट लिंक जीवन बीमा संविदाओं के तहत, यूनिट रिज़र्व की गणना मूल्यांकन तारीख पर यूनिट मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकन तारीख पर लागू पॉलिसियों को आबंटित यूनिटों के संबंध में की जाती है। मृत्यु और व्यय के लिए गैर-यूनिट देनदारियां एक संभावित सकल प्रीमियम (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं, जिसके तहत भावी शुद्ध नकदी प्रवाह को पॉलिसी-दर-पॉलिसी आधार पर मूल्यांकन की तारीख तक डिस्काउंट बैंक कर दिया जाता है और यह मूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि कोई भावी नकारात्मक नकदी प्रवाह जो अन्यथा उत्पन्न हों, को समाप्त कर दिया गया है। भावी नकदी प्रवाह को व्यक्त करने में, भावी मृत्यु/ रुग्णता, भावी चूक, खर्च और यूनिट निधि के लिए निवेश वृद्धि दर और ब्याज दर के संबंध में अनुमान लगाए गए हैं। ये धारणाएं अपेक्षित भावी अनुभव पर आधारित हैं। इन अनुमानों में प्रतिकूल विचलन के लिए उपयुक्त मार्जिन रखा गया है। एक साल के नवीकरणीय संविदाओं का मूल्यांकन अनएक्सपायर्ड प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। राइडर्स को जीपीवी और यूपीआर से अधिक महत्व दिया जाता है।

निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं-

- (i) अनर्जित मृत्यु/ रुग्णता प्रभार
- (ii) व्यय किए गए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावे (आईबीएनआर)
- (iii) बहाली की अवधि के भीतर गतावधि और प्रदत्त पॉलिसियां
- (iv) फ्री लुक पॉलिसी
- (v) आकस्मिकता



SCHEDULE 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

- i. The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and its subsidiaries together referred to as ("Group"), Joint Ventures and Associates as at and for the year ended 31 March, 2025. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of:
 - a. Audited financial statements of Bank of Baroda (Parent).
 - b. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealised profit/ loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.
 - c. Consolidation of Joint Ventures — 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.
 - d. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.
- ii. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the share capital and premium of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve. In case of overseas subsidiaries and JVs such difference is accounted under translation reserves.
- iii. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:
 - a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and
 - b. The minority share of movements in revenue reserves/ loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions

considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively from the period of change unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS AND DERIVATIVES:

The Bank is following a uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

- i) "Held to Maturity" (HTM): "Held to Maturity" comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity. Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures/ bonds where the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI Criterion') on specified dates.
- ii) "Available for Sale" (AFS): Available for Sale comprising Investments acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities. AFS securities inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity. Further, on initial recognition, the bank makes an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading under AFS.
- iii) "Fair Value Through Profit & Loss" (FVTPL): Fair Value Through Profit & Loss comprising Investments that do not qualify for inclusion in HTM or AFS. "Held for Trading" (HFT) are a separate sub category within FVTPL.
- iv) "Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures": Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures comprising investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures that are in a distinct category separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL)

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government

securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

All investment are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value. Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. The reclassification is applied prospectively from reclassification date.

On reclassification of investments from one category to another category, the accounting treatment is done as per Chapter VI-Reclassification between categories in RBI master direction RBI/2023-24/104 DOR. MRG.36/21.04.141/2023-24 dated 12th September 2023.

3.2 Valuation

All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value.

Investments classified as “Held to Maturity” are carried at weighted average acquisition cost/amortized cost and are not marked to the market (MTM). However they are subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as per RBI guidelines. Amortization of premium/discount on investments in the HTM category is accounted under interest income in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2023-24/10 4DOR. MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12,2023.

Investment in Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposits are valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value as per RBI guidelines.

Investments in Regional Rural Banks, subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹ 1/- per VCF.

Investments categorized under AFS and FVTPL categories are fair valued on a periodical basis at least on a quarterly basis as per relevant RBI guidelines. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS/FVTPL are amortized to the interest income over the remaining life of the instrument. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e. Government Securities, other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS are aggregated. The net appreciation or depreciation are directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve without routing through Profit & Loss Account. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e. Government Securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.) held under FVTPL are directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Further securities under AFS/FVTPL are subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as per RBI guidelines. The book value of individual securities is updated consequent to periodic fair valuation of investments.

All investments (i.e. including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures are held at acquisition cost. Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures are amortized to the interest income over the remaining life of the instrument. The investments in subsidiaries, associates or joint ventures are evaluated for impairment on quarterly basis. Any diminution in the value of investment is provided by recognizing it as an expense in the profit and Loss Account and be reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution in the value.

Investments received in lieu of the restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. The investment is fair valued as per classification of investment under AFS/FVTPL Category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time.

- a) The investment in security receipts obtained by way of sale of NPA to SC/RC is recognized at lower of i) Net Book Value(NBV) (i.e. book value less provisions held) of the financial asset and ii) Redemption value of SR.
- b) SR issued by an SC/ARC are valued in accordance with guidelines applicable to non SLR instruments. Accordingly, in cases where the SR issued by the SC/ ARC are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for such investments.



- c) As per RBI circular RBI/DOR/2024-25/135 DOR. STR.REC.72/21.04.048/2024-25 March 29, 2025; on guidelines for government-guaranteed security Receipts, banks are permitted to reverse any excess provision to the profit and loss Account in the year of transfer of loan to Asset reconstruction company (ARC) for the value higher than the net book value (NBV), provided the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

The quoted equity shares / bonds/ units of Category I and II AIFs in the bank's portfolio are marked to market on a frequent basis.

The units are valued based on the audited results once in a year. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at ₹1 per Category I and II AIF.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short sale position is reflected in Securities Short sold (SSS) account, specifically created for this purpose. The short position is marked to market and profit/loss, if any, is charged to the Profit and Loss account. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc. which are directly issued by Government of India, are valued based on FBIL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Fair Value through Profit and Loss" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd.(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (the date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise ₹ 1 per company.

c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/ provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

Life Insurance Business:

Investments are made and accounted for in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2000, Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, and various other circulars / notifications issued by the IRDAI in this context from time to time.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and stamp duty, taxes, etc, if any, but excludes pre-acquisition interest accrued i.e. (from the previous coupon date to the transaction settlement date), if any, on purchase.

Bonus entitlements are recognized as investments on 'ex-bonus date'. Right entitlements are recognized as investments on 'ex-right date'. Any front end discount on investments is reduced from cost of investments.

Diminution in the value of investments as at the balance sheet date, other than temporary, is recognised as an expense in the Revenue / Profit & Loss account.

Broken period interest paid/received is debited/credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale value.

A. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' non-linked funds and shareholders' investments:

- a. All debt securities, including government securities, and Money market instruments held under policyholders' non-linked funds and shareholders' investments are considered as 'held to maturity' and stated at historical cost subject to amortisation.
- b. The discount or premium which is the difference between the purchase price and the redemption amount of fixed income securities and money market instruments is amortised and recognized in the revenue account or the profit and loss account, as the case may be, on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.
- c. AT1 Bonds, under policyholder's non-linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer.
- d. The realised gain or loss on debt securities is the difference between the net sale consideration and the amortised cost in the books of the company.

B. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' linked funds:

- a. All debt securities, including government securities and AT1 Bonds, under policyholders' linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer/ CRISIL Gilt Prices, as applicable.
- b. The discount or premium on fixed income securities/ money market instruments which is the difference between the purchase price and the redemption amount is amortised and recognized in the revenue account on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.
- c. Unrealised gains or losses arising on valuation of debt securities including Government Securities are accounted for in the Revenue Account.
- d. The realised gain or loss on debt securities held for linked business and AT1 bonds for linked as well as other than linked business is the difference between the net sale consideration and weighted average cost.

C. For both Linked and Non Linked:-

- a. Listed equity shares and equity ETFs are valued and stated at fair value, using the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE), at the balance sheet date. If the equity shares and equity ETFs are not traded on the NSE, then closing prices of the Bombay Stock Exchange (BSE) is considered.
- b. Unlisted equity shares are stated at historical cost. A provision is made for diminution, if any, in the value of these shares to the extent that such diminution is other than temporary.

- c. Equity shares acquired through primary markets and awaiting listing are valued at their issue price.
- d. Mutual fund units are valued at previous day's Net Asset Value. AIF units are valued at the latest available net asset value of the respective fund.
- e. The realised gain / loss is the difference between the net sale consideration and weighted average cost. In case of linked funds, unrealised gains / losses are recognised in the respective fund's revenue account as fair value change. For other than linked business, unrealized gain / loss on changes in fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change account and are carried to the Balance Sheet.
- f. Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call dates or upto the final maturity date.
- g. Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put dates or upto the final maturity date.
- h. The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/call date and would be valued on a yield to maturity basis, by using spreads over the benchmark rate based on the matrix released by CRISIL.
- i. Instruments bought on 'reverse repo' basis are valued at cost plus interest accrued on reverse repo rate.
- j. All investments maturing within twelve months from the balance sheet date are classified as short-term investments. All other investments are classified as long-term investments.
- k. Transfers of Investments from Shareholders' funds to the Policyholders' funds to meet the deficit in the policyholders' account are effected at the lower of amortised cost / book cost or market value in respect of all debt securities including money market instruments and at the market value in case of other securities.
- l. In case of linked funds, Inter-fund transfer of debt securities relating to Policyholders' Funds is effected at current market value. Inter fund transfer of equity, preference share, ETFs and government securities are effected during market hours at the market price of the latest trade.
- m. No transfers of investments are made between non linked Policyholders' funds.
- n. The purchase and sale of equity, preference shares, ETF's, InvIT's and Government Securities between unit linked



funds is accounted for at the prevailing market price on the date of purchase or sale of investments, if prevailing market price of any security is not available on the date of transfer of investment, then the last available price is considered. In case of debt securities other than Government Securities, transfer of investments is accounted at prevailing yield.

- o. The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the re-measured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in the Revenue /Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.
- p. In accordance with regulations on "Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio", adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA's. All assets where the interest and / or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA.
- q. For InvIT, All traded InvIT shall be valued at the last quoted closing price on the National Stock Exchange (NSE) on valuation day. In case on any particular valuation day the scrip is not traded on NSE then the value at which it is traded on BSE will be considered. In case it is not traded on either of the exchanges, the closing price on NSE/ BSE on the earliest previous day will be used, provided such previous day is not more than thirty days prior to the valuation day.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from AFS-Reserve and recognized in the Profit and Loss Account. In the case of Equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments is not transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss are transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

Profit/loss on sale of or maturity Investment in FVTPL category is recognized in profit and loss account.

Any gain/Profit arising on the reclassification /Sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture are recognized in the Profit and Loss Account and then appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016 and circular no. RBI/2019-20/107 FMRD.DIRD.21/14.03.038/2019-20 Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018 Dated November 28, 2019. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023, advised all banks to create an IFR.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the FVTPL (including HFT) and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/ trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the hedging transaction itself. Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and at each reporting date thereafter.

3.7 Valuation of Derivatives

The Bank values derivatives as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. For transactions designated as hedges, following treatment is followed –

- in case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognised in the Profit and Loss Account,
- in case of cash flow hedges, the changes in fair value of effective portion are recognised in Reserves and Surplus under 'Cash flow hedge reserve' and ineffective portion of an effective hedging relationship, if any, is recognised in the Profit and Loss Account. The accumulated balance in the cash flow hedge reserve, in an effective hedging relationship, is recycled in the Profit and Loss Account at the same time that the impact from the hedged item is recognised in the Profit and Loss Account.

Derivative positions, unless designated as hedges, are marked to market and the resulting profit/losses are shown as derivative assets and liabilities as separate line 'Other Assets' and 'Other Liabilities' respectively. Income and expenditure relating to interest rate swaps are accrued on daily basis. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. The resulting profit/losses, are shown as asset and liabilities as separate line items in "Other Assets & Other Liabilities" respectively.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF)/ Currency Futures is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

- 4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a consistent practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In Respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed at 5% as per RBI Guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies



under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. Interest on income tax refund is booked on receiving the refund order/s/intimation from Income Tax Department. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19

(Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time is appropriated in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards repayment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts is appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery is appropriated as per the terms of compromise sanction/resolution settlement.

8.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts :

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Merchant Banking:

Revenue is recognized based on the nature of activity, when consideration can be reasonably measured and there exists a reasonable certainty of its recovery.

- a. Income from Investment Banking comprises of revenue from different activities of the organization and Includes revenue from Valuation Services, Vetting Project Appraisal, Debt and Equity Issue Management, investment Banking Services, Techno-Economic Viability studies, and Lead Arranger Services, debt syndication, debt restructuring and related areas.
- b. The revenue in these cases recognized on the basis of accrual as and when the amount becomes due on the completion of various stages of the assignment as per the terms and Conditions of the Memorandum of Understanding entered into between the Company and the Client and assessing the certainty of its recovery.

- c. Income from Broking activities comprises brokerage received on trades executed on the exchanges. The brokerage, net of Stamp Duty, STT Charges, Exchanges Transaction Charge and applicable indirect tax (service tax / GST), is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.
- d. Income from Wealth Management activities comprises income from advisory and research fees and income from mutual fund distribution. Income from mutual fund distribution comprises brokerage received on distribution of mutual funds and other investment products. The brokerage amount includes both Trail Commission and Upfront Commission. It is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.
- e. Income from Term Deposits being the interest received from Bank in respect of the Investment of the surplus funds for a short term period is recognized on accrual basis.
- f. Income from Tax-free bonds being the interest received from the entity issuing such instruments in respect of the investment of the surplus fund for a long-term period is recognized on accrual basis.
- g. Income from Liquid Mutual Fund is recognized in the period in which the investment is redeemed and realized.

Trustee Operations:

- a. Mutual Fund Trusteeship fee is recognised at specific rates agreed with relevant schemes, applied on the average daily Net Assets of each scheme, and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
- b. Revenue is recognized when there is reasonable certainty of its ultimate realization /collection.

Asset Management:

- a. Investment Management fee:
Investment management fee are recognised net of GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of schemes of Baroda Mutual Fund (excluding on investments made by the company in the schemes, intra – scheme investments and schemes investment in fixed deposit for certain category of schemes), such that it does not exceed the expense limit prescribed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments (the Regulations) or offer document of the respective schemes.
- b. Investment Advisory & Research fees:
Investment advisory & research fee are recognised in accordance with the respective terms of contract with counter parties.

c. Other income:

Interest income is accounted on accrual basis.

Purchase and sale of investments is recorded on the trade date. The Profit/Loss on sale of investments is recognized in the Statement of profit and loss on the trade date. Profit or loss on sale of investments is determined using simple average cost method.

Credit Card Operations:

- a. Revenue from services is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.
- b. Fees income is accounted as and when billed to customer.
- c. In view of uncertainty of realization of income in case of Non-Performing Assets (NPA) such income is accounted for only on receipt basis.
- d. Recovery from bad debts written off is recognized as income on the basis of actual realization from customer.
- e. Income on deployment of funds is recognized on accrual basis.
- f. The income accrued but not billed till the year end, are accounted for on estimated basis without considering the applicable indirect taxes like GST. The applicable indirect taxes, on such income are accounted for in the year of actual billing.

Life Insurance:

- a. Premium for non-linked policies is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income is recognized when the associated units are created.
- b. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt.
- c. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.
- d. Premium is inclusive of Good and Service Tax (GST) applicable on charges.
- e. In case of unit linked business, Top up premiums paid by policyholders are considered as single premium and recognized as income when the associated units are created.
- f. Income from unit linked policies, which include asset management fees and other charges, if any, are recovered from the unit linked funds in accordance with terms and conditions of policies and recognized when due.
- g. Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Impact on account of subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur.



- h. Income from Investments are recognised on an accrual basis. Interest income on investments is recognised on accrual basis.
- i. Accretion of discount and amortisation of premium relating to debt securities is recognised over the holding / maturity period on a straight-line basis.
- j. Dividend income, in respect of other than linked business and in respect of linked business, is recognised on the 'ex-dividend date'.
- k. Realised gain / loss on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average amortised cost as on the date of sale. Realised gain / loss on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost as on the date of sale.
- l. Profit or loss on sale of equity shares / mutual fund units is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost. In respect of other than unit linked business, the profit or loss includes the accumulated changes in the fair value previously recognised in Balance Sheet as "Revenue & Other Reserves (Schedule 2)" and "Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business (Schedule 5)" respectively, in the Balance Sheet.
- m. Deaths and rider claims are accounted for on receipt of intimation. Benefits paid consist of policy benefit amounts and claim settlement costs, where applicable.
- n. For non linked business, Annuity benefits, money back payments, survival benefit and maturity claims are accounted for when due. Surrender and withdrawals are accounted on the receipt of request.
- o. For linked business, Maturity claims are accounted for on due basis when the associated units are cancelled. Surrenders and withdrawals are accounted for on receipt of intimation when associated units are cancelled.
- p. Reinsurance recoverable thereon is accounted for in the same period as the related claim. Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.
- q. Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy. Clawback of the first year commission paid, if any, in future are accounted at the time of recovery.

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions

are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories..

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		Written Down Value
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		Written Down Value
	- RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	- Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life of more than 2 years and in excess of original cost of ₹ 50,000/- is classified as Intangible asset and amortised over a period of 3 years. Other items of computer software not forming integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance

useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. Foreign exchange operations of domestic business and Representative Offices are treated as Integral Operations and all Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations.

12.3 The Bank hedges its investments in overseas branches and offshore banking units through use of forward exchange contracts. The forward exchange contracts used to hedge its investments in overseas branches and offshore banking units are accounted for in accordance with Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts issued by ICAI wherein gains and losses on foreign currency derivatives used as hedging instruments are recognised directly in equity to the extent that the hedge is considered to be effective and the ineffective portion of the gains and losses on the hedging instruments (and any proportion not designated in the hedging relationship) is recognised in the Profit and Loss Account immediately. Any net deferred foreign currency gains and losses, i.e., arising from both the net investment and the hedging instruments are recognised in the Profit and Loss Account at the time of disposal of the foreign operation.

12.4 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded at rate as per FEDAI guidelines.



- b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at rate as per FEDAI guidelines and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

12.5 Translation in respect of Non Integral Operations:

- a) Assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- b) Foreign exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and interpolated rates for contracts of interim maturities.
- c) Income and expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net Investment.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the period by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

18. LIFE INSURANCE BUSINESS - OTHER POLICIES

- a. Loans are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalised interest subject to provision for impairment, if any. Loan are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.
- b. The funds for future appropriation in the participating fund represent the surplus assets in excess of the liabilities set aside to meet Policyholder Reasonable Expectation (PRE). This amount is not allocated to the shareholders or policyholders at the balance sheet date. The funds for future appropriation when allocated in the future to policyholders would give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the proportion stipulated by regulation.
- c. The actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of Insurance Act, 1938 and amendments thereon, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2016, Actuarial Practice Standards and

Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial practices. Long term non-linked contracts are valued using a gross premium valuation (GPV) method.

Under unit linked life insurance contracts, unit reserves are calculated in respect of the units allocated to the policies in force at the valuation date using unit values at the valuation date. The non-unit liabilities for mortality and expenses are determined using a prospective gross premium method (GPV) under which future net cash flows are discounted back to the date of valuation on policy-by policy basis to ensure that any future negative cash flows which would otherwise arise are eliminated. In projecting the future cash flows, assumptions have been made in respect of future mortality/morbidity, future lapses, expenses & expense inflation and investment growth rate for unit funds and interest rate. These

assumptions are based on emerging and expected future experience. Appropriate margins for adverse deviations have been kept in these assumptions. The one year renewable contracts are valued using the Unexpired premium reserve (UPR) methodology. Riders are valued as the higher of GPV and UPR.

Additional provisions are made in respect of:

- (i) Unearned mortality/morbidity charges
- (ii) Incurred but not reported claims (IBNR)
- (iii) Lapsed and paid up policies within period of reinstatement.
- (iv) Free look policies
- (v) Contingency



अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर नोट
Schedule-19 : Notes on the Consolidated Financial Statements (CFS) for the year ended 31st March 2025

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) 'समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन' पर लेखांकन मानक 21, 'सहयोगियों में निवेश' के लिए लेखांकन मानक 23 और 'संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक 27 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल/ बैंक) और निम्नलिखित अनुषंगियों/ सहयोगियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

1.1 अनुषंगियां

The Consolidated Financial Statements (CFS) are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on Accounting for "Investment in Associates" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Venture".

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the Financial statements of the Bank of Baroda (Parent/Bank) and the following Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures:

1.1 Subsidiaries

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31 मार्च, 2025 को March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को March 31, 2024
घरेलू अनुषंगियां	Domestic Subsidiaries			
ए) बैंकिंग	a) Banking:			
i. द नैनीताल बैंक लि.	i. The Nainital Bank Limited	भारत / India	98.57	98.57
बी) गैर-बैंकिंग:	b) Non-Banking:			
i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	i. BOB Capital Markets Limited	भारत / India	100.00	100.00
ii. बॉबकार्ड लिमिटेड (पूर्व में बॉब फाइनेंशियल सॉल्युशन लिमिटेड)	ii. BOBCard Limited (Formerly known as BOB Financial Solutions Limited)	भारत / India	100.00	100.00
iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड	iii. Baroda Global Shared Services Limited	भारत / India	100.00	100.00
iv. बड़ौदा सन टेक्नॉलोजीज लिमिटेड	iv. Baroda Sun Technologies Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
v. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	v. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited	भारत / India	50.10	50.10
vi. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	vi. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited	भारत / India	50.10	50.10
vii. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	vii. IndiaFirst Life Insurance Company Limited	भारत / India	64.98	65.00
विदेशी अनुषंगियां:	Overseas Subsidiaries:			
ए) बैंकिंग:	a) Banking:			
i. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड	i. Bank of Baroda (Botswana) Limited	बोत्सवाना / Botswana	100.00	100.00
ii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	ii. Bank of Baroda (Kenya) Limited	केन्या / Kenya	86.70	86.70
iii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड	iii. Bank of Baroda (Uganda) Limited	युगांडा / Uganda	80.00	80.00
iv. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी	iv. Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गुयाना / Guyana	100.00	100.00
v. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड	v. Bank of Baroda (Tanzania) Limited	तंजानिया / Tanzania	100.00	100.00

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31 मार्च, 2025 को March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को March 31, 2024
vi. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड	vi. Bank of Baroda (New Zealand) Limited	न्यूजीलैंड / New Zealand	100.00	100.00
vii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड	vii. Bank of Baroda (UK) Limited	युनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00	100.00
बी) गैर-बैंकिंग:	b) Non-Banking:			
i. बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)	i. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Wholly Owned subsidiary of Bank of Baroda Uganda Limited)	युगांडा / Uganda	-	100.00

1.2 एसोसिएट्स / Associates

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में समाहित एसोसिएट्स के विवरण निम्नानुसार हैं:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

एसोसिएट्स के नाम Name of Associates	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निम्नलिखित तारीख को मूल संस्था का स्वामित्व हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on	
		31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
ए) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया / Zambia	20.00	20.00
बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i. बड़ौदा यूपी बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक) b) Regional Rural Banks i. Baroda UP Bank (Formerly known as Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank)	भारत / India	35.00	35.00
ii. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक) ii. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत / India	35.00	35.00
iii. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक iii. Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत / India	35.00	35.00

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 05.04.2025 के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में समाहित करने का प्रावधान किया है, जो 01.05.2025 से प्रभावी होगा। इन आरआरबी में बैंक के निवेश को 31 मार्च 2025 तक के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का विवरण निम्नानुसार है:

The Government of India, vide gazette notification CG-DL-E-07042025-262329 dated 05.04.2025, has provided for the amalgamation of Regional Rural Banks (RRBs) into a single Regional Rural Bank (RRB) in different states effective from 01.05.2025. The Bank's investments in these RRBs are included in its financial statements as at 31st March 2025.

Details of the Amalgamation of RRBs sponsored by the Bank of Baroda are as under:



राज्य State	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी Transferor RRB	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of Transferor RRB	समामेलित आरआरबी Amalgamated RRB	हस्तांतरी आरआरबी का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of transferee RRBs
गुजरात Gujarat	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक Baroda Gujarat Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda	गुजरात ग्रामीण बैंक Gujarat Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक Saurashtra Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India		
राजस्थान Rajasthan	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक Rajasthan Marudhara Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	राजस्थान ग्रामीण बैंक Rajasthan Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda		
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	बड़ौदा यूपी बैंक Baroda U P Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक Uttar Pradesh Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
	आर्यावर्त बैंक Aryavart Bank	बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India		
	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक Prathama U P Gramin Bank	पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank		

1.3. संयुक्त उद्यम / Joint Ventures

संयुक्त उद्यम का नाम Name of Joint Ventures	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
		31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया / Malaysia	40.00	40.00
इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड India Infradebt Limited	भारत / India	40.99	40.99

2. एसोसिएट्स में निवेश के विवरण: / Particulars of the Investment in Associates:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
ए a.	एसोसिएट्स में निवेश की लागत Cost of Investment in Associates	298.49	256.89
बी b.	उपर्युक्त निवेश हेतु निर्धारित अधिग्रहण से संबंधित प्रारक्षित निधि Capital Reserve on acquisition identified on above investment	292.43	292.43
सी c.	अधिग्रहण के उपरान्त लाभ (निवल) और एसोसिएट्स की प्रारक्षित निधि का हिस्सा Share of post-acquisition profits (Net) and Reserve of Associates	2572.15	2032.53
डी d.	31 मार्च को धारित निवेश की राशि (ए+सी) Carrying amount of Investment as at 31st March (a + c)	2870.64	2289.42
ई e.	भारत में निवेश Investment in India	2696.09	2144.30
एफ f.	भारत के बाहर निवेश Investment outside India	174.55	145.12
जी g.	कुल (ई + एफ) Total (e + f)	2870.64	2289.42

3. अनुषंगियों/एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण:

- 3.1 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट्स के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2025 तक तैयार किए गए हैं जो मूल कंपनी के लिए तैयार की गई तारीख है, केवल बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड को छोड़कर, जिनके विवरण 31 दिसंबर, 2024 तक तैयार किये गए हैं। जैसा कि लेखा परीक्षक/ प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेन-देन या अन्य गतिविधियां नहीं हैं जिनके लिए उसमें समायोजन की आवश्यकता हो।
- 3.2 चालू वित्तीय वर्ष के लिए समूह और इसके संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स के समेकित वित्तीय विवरणों में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक लिमिटेड, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड, इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, इंडियन इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) लिमिटेड, बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड, बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड, बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, बॉबकार्ड लिमिटेड (पूर्व में बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), बीओबी न्यूजीलैंड लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं।
- 3.3 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित घरेलू अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं:
- बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
 - बॉब कार्ड्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड)
 - बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
 - बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
 - इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी
- 3.4 अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध विवरण सीमा के आधार पर दिए गए हैं। प्रबंधन की दृष्टि से इन व्यौरों का उपलब्ध न होना, बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को प्रभावित नहीं करेगा।
- 3.5 एस 21 के अनुसार, खंड 20 "समेकित वित्तीय विवरण, लेन-देन और अन्य समान परिस्थितियों में अन्य गतिविधियों जैसी एकसमान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार की जानी चाहिए। तथापि, इंडियाफर्स्ट इश्योरेंस कंपनी में निवेश और राजस्व निर्धारण के संबंध में विभिन्न लेखांकन नीतियों को लागू करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यह आईआरडीए दिशानिर्देशों द्वारा शासित है। अनुषंगी का समेकित राजस्व और निवेश निम्नानुसार है:

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

- 3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2025 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2024. As certified by the Auditor/ Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2025 to 31st March, 2025 requiring adjustment therein.
- 3.2 The Consolidated financial statements for the current financial year of the Group, and its Joint Ventures and Associates include unaudited financial statements of Baroda Gujarat Gramin Bank Limited, Baroda UP Grameen Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Grameen Bank, Baroda Sun Technologies Ltd, Bank of Baroda (UK) Ltd., Indo Zambia Bank Ltd., Indian International Bank (Malaysia) Ltd., Baroda BNP Paribas Asset Management India Ltd., Baroda Global Shared Services Ltd., BOB Capital Markets Ltd., BOBCARD Ltd (Formerly known as BOB Financial Solutions Limited), BOB New Zealand Ltd.
- 3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2025 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:
- BOB Capital Markets Ltd
 - BOBCard Ltd (Formerly known as BOB Financial Solutions Limited)
 - Baroda Global Shared Services Ltd
 - Baroda Sun Technologies Ltd
 - IndiaFirst Life Insurance Company
- 3.4 The disclosures in respect of subsidiaries and joint ventures are given to the extent details available with the management. In view of the management, non-availability of such details would not materially impact disclosure under the consolidated financial statements of the Bank.
- 3.5 As per AS 21, Clause 20 "Consolidated Financial Statements should be prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. However, in IndiaFirst Life Insurance Company, it is not practicable to quantify the impact of different accounting policies with respect to Investment and Revenue recognition because as the same is governed by IRDA guidelines. The consolidated Revenue and investments of the subsidiary is provided below:



(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. SN	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2025 तक As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As on March 31, 2024
1	समेकित राजस्व / Consolidated Revenues	1,52,884.14	1,41,778.70
1.1	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से राजस्व Revenues from IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	9,179.59	9,929.16
2	समेकित निवेश / Consolidated Investments	4,27,379.68	4,07,136.32
2.2	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से निवेश Investments from IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	29,853.16	26,661.32

4. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां

पूंजीगत प्रारक्षित निधियों में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि तथा भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत निर्यात विकास परियोजनाओं/ लघु/मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए सदस्यता राशि शामिल है।

5. करों के लिए प्रावधान

अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय और सलाहकारों की सलाह पर विधिवत् विचार करने के बाद करों के लिए प्रावधान किया गया है।

6. आरक्षित निधियों से निकासी

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरक्षित निधियों से निकासी शून्य है (31 मार्च, 2024: ₹ शून्य)।

7. फ्लोटिंग प्रावधान / काउंटर साइक्लिकल प्रावधान बफर

4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

5. Provision for Taxes

Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

6. Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2024-25, draw down from the Reserves is NIL (March 31, 2024: ₹ Nil).

7. Floating Provision/Countercyclical Provisioning Buffer:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण /Particulars	31.03.2025	31.03.2024
ए. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि a. Opening balance in the floating provisions account	432.85	232.85
बी. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान b. Provisions made during the year	230	200
सी. लेखा वर्ष के दौरान निकाली गई राशि c. Amount of draw down made during the accounting year	0	0
डी. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि d. Closing balance in the floating provisions account	662.85	432.85

8. प्रावधान और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे :

समेकित लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे निम्नानुसार है:

8. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in consolidated Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	31.03.2025	31.03.2024
बदटे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / एनपीए के लिए किए गए प्रावधान Bad debts written off / Provision made towards NPA	5553.12	6956.80
पुनर्गठित स्टैंडर्ड और सब-स्टैंडर्ड खातों में छोड़ दिए गए ब्याज के लिए प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	-81.97	-90.88

विवरण / Particulars	31.03.2025	31.03.2024
कंट्री रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रावधान Provision for Country Risk Management	31.23	12.64
करों के लिए प्रावधान (स्थगित कर समेत) Provision for taxes (including deferred Taxes)	7159.61	7389.71
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on investment	32.93	-28.31
स्टैंडर्ड आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for standard assets	470.97	-671.01
अन्य / Others	4273.22	5564.23
कुल / Total	17439.11	19133.17

9. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) की स्थिति
I. वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)
9. Status of Letters of Comfort
I. Letters of Comfort (LOC's) issued during the Year

जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण Brief details of LOC issued	आकलित वित्तीय प्रभाव Assessed Financial Impact
ए वर्ष के दौरान जारी A. Issued during the year शून्य NIL	चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन में सहयोग के लिए विदेशी नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। During the current financial year the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas Branches/Subsidiaries /Joint ventures
बी. बकाया एलओसी (संचयी वित्तीय दायित्व) B. LOC Outstanding (Cumulative financial obligations)	
1. पूर्व में बैंक द्वारा जारी एलओसी और संचयी वित्तीय दायित्व निम्नानुसार है: 1. The LOC issued by the Bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:-	
ए) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी - बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड के जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों को संपूर्ण ऋणग्रस्तता की गारंटी देते हुए वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड को प्रस्तुत की गई गारंटी विलेख। a) Deed of Guarantee submitted to Reserve Bank of New Zealand during FY 2008-09 guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors.	31 मार्च, 2025 को अनुषंगी कंपनी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाओं के एवज में ऋण का निवल) ₹ 281.21 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹ 6.13 करोड़ हैं। (अर्थात् ₹ 287.34 करोड़ की कुल देयताएं)। 31 मार्च, 2025 को इस अनुषंगी कंपनी की निवल मालियत ₹ 266.87 करोड़ है। इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता ₹ 20.47 करोड़ है। As on 31st Mar 2025, the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 281.21 crore and outside liabilities are ₹ 6.13 crore (i.e. total liabilities of ₹ 287.34 crore). The net worth of the subsidiary as on 31st Mar 2025 is ₹ 266.87 crore. The net contingent liability on Bank of Baroda is ₹ 20.47 crore in this regard.
बी) वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया को संयुक्त उद्यम बैंक - 'इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी)' में हमारे बैंक की 40% तक शेयरधारिता के संबंध में एलओसी जारी किया गया था। b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia Upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - 'India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB)'	31 मार्च, 2025 को आईआईबीएमबी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमा राशि के एवज में ऋण का निवल) शून्य हैं और अन्य देयताएं ₹ 0.41 करोड़ हैं (अर्थात् ₹ 0.41 करोड़ की कुल देयताएं)। 31 मार्च, 2025 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 623.67 करोड़ है। कुल देयताओं के साथ-साथ निवल मालियत में मूल बैंक का हिस्सा क्रमशः 40% यानी ₹ 0.16 करोड़ और ₹ 249.47 करोड़ है। As on 31st Mar 2025, the deposits of IIBMB (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are Nil and other liabilities are ₹ 0.41 crore (i.e. Total liabilities of ₹ 0.41 crore). The net worth of the IIBMB as on 31st Mar 2025 is ₹ 623.67 crore. Parent Bank share in the total liabilities as well as net worth is 40% i.e. ₹ 0.16 crore and ₹ 249.47 crore respectively.



जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण Brief details of LOC issued	आकलित वित्तीय प्रभाव Assessed Financial Impact
सी) आईएफएससी, गिफ्ट सिटी शाखा के लिए नियामक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को 25 अक्टूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया c) LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. International Financial Services Centers Authority (IFSCA) for IFSC, Gift City Branch	31 मार्च, 2025 को आईएफएससी शाखा की कुल जमाराशि (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाराशि के एवज में ऋण का निवल) ₹ 41,014.22 करोड़ है, उधार ₹ 8573.45 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹ 832.35 करोड़ हैं। (अर्थात् ₹ 50,420.02 करोड़ की कुल देयताएं)। 31 मार्च, 2025 को शाखा की निवल मालियत ₹ 3,910.21 करोड़ है। आईएफएससीबीयू को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है और विदेशी शाखा की आस्ति एवं देयताएं बैंक की स्टैंडअलोन तुलन पत्र में दर्शाई जाती हैं। As on 31st Mar 2025, IFSC branch's Total Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 41,014.22 crore, borrowings are ₹ 8,573.45 crore and outside liabilities are ₹ 832.35 crore (i.e. total liabilities of ₹ 50,420.02 crore). The net worth of the branch as on 31st Mar 2025 is ₹ 3,910.21 crore. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's Standalone Balance Sheet.

10. आस्ति वर्गीकरण और एनपीए हेतु प्रावधानीकरण के लिए विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश सं. आरबीआई/डीओआर/2021 22/83डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30-08-2021 (समय-समय पर अद्यतित) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के अंतरण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन पर कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

11. ऋण एक्सपोजर के अंतरण संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश संदर्भ सं. आरबीआई/डीओआर/2021 -22/86 डीओआर.एसटीआर. आरईसी. 51/21.04.048/ 2021-22 'मास्टर निदेश-आरबीआई (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021' दिनांक 24.09.2021 के अनुरूप प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

1) अंतरित या अधिगृहीत किए गए ऐसे "ऋण जो चूक" # की श्रेणी में नहीं हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए -12 महीनों की रिपोर्टिंग

10. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

No Disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required w.r.t RBI's annual supervisory process for year ended March 31, 2024, based on the conditions mentioned in RBI Master Direction No RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC. REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated 30-08-2021 (as amended from time to time).

11. Disclosure of transfer of Loan exposures

Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2021-22/86DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 "Master Direction – RBI (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021" dated 24.09.2021 is as under:

1) In respect of "Loans not in default" #, that are transferred or acquired.

Reporting for the -12- months ended March 31, 2025

विवरण / Particulars	सिंडिकेशन / Syndication		अन्य / Others*	
	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
(i) "असाइनमेंट" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (i) Loans acquired / transferred through "assignment"				
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में) - Aggregate amount of loans acquired/transferred (₹ in Cr.)	-	11961.74	-	16069.70
- भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में) - Weighted average residual maturity (In months)	-	43.39	-	130.20
- भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) - Weighted average holding period (In Months)	-	-	-	28.04
- अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण (% में) - Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor	-	-	-	10.00%

विवरण / Particulars	सिंडिकेशन / Syndication		अन्य / Others*	
	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (आवृत्ति) - Tangible security coverage of loans acquired/ transferred (times)	-	0.39	-	1.52
- "नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (ii) Loans acquired / transferred through "novation" (₹ in crores))	2923.21	6766.15	-	0.00
- "ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (iii) Loans acquired/ transferred through "Loan participation" (₹ in crores)	-	-	-	2008.66

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर गैर- डिफॉल्ट ऋणों को निर्धारित किया गया है।

* टीएलई दिशानिर्देशों के तहत खरीदे गए पूल के लिए बैंक द्वारा रेटिंग नहीं दी जाती है।

सिंडिकेशन ऋणों का रेटिंग अनुसार विवरण निम्नानुसार है:

The Loans not in default are identified based on DPD in each underlying account at the time of purchase.

* Pools purchased under TLE guidelines are not rated by the Bank.

Rating wise breakup of Syndication loans is as below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाह्य रेटिंग/External Rating	को अंतरित/Transferred to	से अधिगृहीत /Acquired From
ए और उससे अधिक A and Above	1495.82	7645.74
बी और उससे अधिक B and above	812.01	9439.71
बी के नीचे Below B	-	-
अनरेटेड Unrated	615.38	1642.44

समूह में अन्य संस्थाओं द्वारा ऋण एक्सपोजर को अंतरण (टीएलई) दिशानिर्देशों के पैरा 86 के अनुसार अन्य संस्थाओं से अधिगृहीत "गैर-डिफॉल्ट ऋण खातों" के संबंध में प्रकटीकरण:

Disclosure in respect of "loan accounts not in default" # acquired from other entities as per the para 86 of Transfer of Loan Exposure (TLE) guidelines by other entities in the Group:

विवरण / Particulars	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
(i) "असाइनमेंट" / "नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (i) Loans acquired / transferred through "assignment" / "novation"	लागू नहीं Not Applicable	
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में) - Aggregate amount of loans acquired/transferred (₹ in Cr.)		124.68
- भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में) - Weighted average residual maturity (In months)		122.34
- भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) - Weighted average holding period (In Months)		8.75
- अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण - Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor		शून्य / Nil
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (आवृत्ति) - Tangible security coverage of loans acquired (times)		1.15 से 1.24 गुना
(ii) "नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (ii) Loans acquired through "novation" (₹ in crores))	उपरोक्तानुसार Same as above	
(iii) "ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (iii) Loans acquired through "Loan participation" (₹ in crores)	लागू नहीं Not Applicable	
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण Rating-wise distribution of rated loans		ए+ A+



गणना पद्धति

Calculation Modality

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर गैर-डिफॉल्ट ऋणों को चिन्हित किया जाता है।

The Loans not in default are identified based on DPD in each underlying account at the time of purchase.

2) अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

2) Details of stressed loans transferred is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) के विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2024 to 31.03.2025			
विवरण / Particulars	एआरसी को / To ARCs	अनुमत अंतरिती को / To permitted transferees	अन्य अंतरिती को / To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	5	-	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया सकल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	379.14	-	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
कुल प्रतिफल Aggregate consideration	197.79	-	-
पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री पर लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान का हिस्सा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	152.34	-	-

3) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) के विवरण- शून्य

3) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2024-25 – Nil

4) 31.03.2025 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण

4) The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on 31.03.2025

31 मार्च, 2025 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का संवितरण

Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2025

वसूली रेटिंग बैंड / Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) / Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर 1 / RR1	352.42
आरआर 2 / RR2	60.27
आरआर 3 / RR3	-
आरआर 4 / RR4	-
आरआर 5 / RR5	-
हटाई गई रेटिंग / Rating withdrawn	77.34
कुल योग / Grand Total	490.03

*डीओआर.एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/2024-25 मार्च 29, 2025 के अनुसार; सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों के लिए दिशानिर्देशों पर, बैंकों को निवल बही मूल्य(एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) को ऋण अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स करने की अनुमति है, बशर्ते कि प्रतिफल में केवल नकदी और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हों। ऐसे एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की समय-समय पर गणना की जाएगी। बैंक ने 31.03.2025 तक सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 490.03 करोड़ की अवास्तविक आय को लेखांकित किया है।

*As per RBI circular RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR. REC.72/21.04.048/2024-25 March 29, 2025; on guidelines for government-guaranteed security Receipts, banks are permitted to reverse any excess provision to the profit and loss Account in the year of transfer of loan to Asset reconstruction company (ARC) for the value higher than the net book value (NBV), provided the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. Bank has accounted unrealized gains in the Profit and Loss account amounting to ₹ 490.03 Crore on account of fair valuation of Security Receipts guaranteed by Government as on 31.03.2025.

31 मार्च, 2025 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार परिपक्व निवेश (अनुसूची-11) का हिस्सा रहे

एसआर का वितरण

Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2025

वसूली रेटिंग बैंड / Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) / Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर 1 / RR1	-
आरआर 2 / RR2	-
आरआर 3 / RR3	-
आरआर 4 / RR4	-
आरआर 5 / RR5	-
हटाई गई रेटिंग / Rating withdrawn	721.00
कुल योग / Grand Total	721.00

12. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) संबंधी प्रकटीकरण

12.1 अवधि के दौरान निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

i) पूर्व अवधि की मदें:

वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण आय/व्यय नहीं था।

ii) लेखांकन नीति:

01 अप्रैल, 2024 से लागू भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के कारण आवश्यक परिवर्तनों को छोड़कर 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की तैयारी में उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का पालन करना जारी रखा है, जैसा कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले वर्ष में किया गया था:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर 12 सितंबर, 2023 को जारी मास्टर निर्देश, 2023 के अनुसार, जो 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है, बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, लेखांकन और उचित मूल्य लाभ और हानि के उचित आकलन के लिए अपनी लेखांकन नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किए हैं। संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंक ने 01 अप्रैल, 2024 को अपने निवेश पोर्टफोलियो को हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), अनुबंधित, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों

12. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

12.1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5) :

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Accounting policy:

The Group has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 as followed in the previous year ended March 31, 2024 except for the changes required on account of RBI Master Direction applicable from April 01, 2024 as stated below:

Pursuant to the Master Direction dated September 12, 2023 issued by Reserve Bank of India on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 applicable from April 01, 2024, the Bank has carried out the requisite changes in its accounting policies for classification, accounting of investment portfolio and symmetric treatment of fair value gains and losses. In accordance with the revised



और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के तहत एफवीटीपीएल की उप-श्रेणी के रूप में ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) के तहत वर्गीकृत किया है।

उक्त नीति के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, संशोधन की तिथि अर्थात् 01 अप्रैल, 2024 को करों के बाद निवल भंडार पर ₹ 3043 करोड़ का सकारात्मक परिवर्तनीय प्रभाव पड़ा। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो से संबंधित संगत पिछली अवधि और वार्षिक आंकड़े की 31 मार्च, 2025 के साथ तुलना संभव नहीं है।

norms, the Bank has classified its investment portfolio as on April 01, 2024 under the categories of Held To Maturity (HTM), Available For Sale (AFS), subsidiaries, associates and joint ventures and Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) with Held For Trading (HFT) as a sub-category of FVTPL.

Consequent to the implementation of the said policy, there was a positive transitional impact on the reserves, net of taxes, of ₹ 3043 crore as on the date of transition i.e. April 01, 2024. The corresponding previous period and yearly figures related to Investments portfolio in respect of financial year ended 31st March, 2024 respectively are not comparable with those of 31st March, 2025.

12.2 एस 11 - विदेशी मुद्रा विनियम दरों में परिवर्तन

विदेशी मुद्रा विनियम प्रारक्षित निधियों का संचलन

विवरण / Particulars	31 मार्च, 2025 March 31, 2025	31 मार्च, 2024 March 31, 2024
प्रारंभिक शेष राशि / Opening Balance	4,500.42	4,711.58
वर्ष के दौरान जमा / Credited during the year	972.91	-
वर्ष के दौरान आहरण / Withdrawn during the year	-	211.16
अंतिम शेष राशि / Closing Balance	5,473.33	4,500.42

12.2AS 11 - Changes in Foreign Exchange Rates

Movement of Foreign Currency Translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ Cr)

12.3 कर्मचारी अनुलाभ (लेखांकन मानक -15)

I. निर्धारित लाभ योजना (निधिगत बाध्यता - पेंशन, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी) लाभ

ए) निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

12.3 Employee Benefits (Accounting Standard-15)

I. Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
आरंभिक निर्धारित लाभ बाध्यता Opening Defined Benefit Obligation	31,445.38	29,671.69	39.92	31.96	4,248.13*	3,088.58
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
जोड़ें : अधिग्रहण समायोजन Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-	-	-
जोड़ें : ब्याज लागत Add: Interest Cost	2,020.47	2,041.73	2.85	2.36	284.39	211.47
जोड़ें : विगत सेवा लागत Add : Past Service Cost	-	-	-	-	0.87	0.81
जोड़ें : चालू सेवा लागत Add: Current Service Cost	2,566.40	2,556.53	4.16	3.85	288.08	255.45

विवरण Particulars	पेंशन Pension		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
घटाएं: प्रदत्त लाभ Less: Benefits Paid	2,899.38	2,728.69	7.39	6.81	316.95	330.79
जोड़ें: बाध्यता पर एक्ट्यूअरियल लाभ/ हानि(-) Add: Actuarial loss/ gain(-) on obligation	-220.23	-95.88	7.38	8.56	970.21	1,018.34
अंतिम निर्धारित लाभ बाध्यता Closing Defined Benefit Obligation	32,912.64	31,445.38	46.92	39.92	5,474.73	4,243.86

* इसमें एक अनुषंगी कंपनी, जो गैर-फंडेड से फंडेड में परिवर्तित हुई है, शामिल है।

* Includes 1 subsidiary which has been converted from Unfunded to funded during the year

बी) उचित मूल्य की योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening Fair Value of plan assets	29,620.37	25,825.45	35.24	28.86	3,102.81	2,964.68
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
जोड़ें- योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Add- Expected Return on Plan Assets	2,220.66	1,935.52	2.38	1.96	232.40	221.99
जोड़ें- अंशदान Add- Contributions	942.97	4,535.62	13.03	6.55	1,164.30	234.98
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,868.30	2,771.06	2.39	2.99	326.60	330.79
जोड़ें: एक्ट्यूअरियल लाभ/ हानि(-) Add- Actuarial gain/(-)loss	212.26	94.84	0.23	0.86	89.55	11.94
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing Fair Value of Plan Assets	30,127.96	29,620.37	48.49	35.24	4,262.46	3,102.81



सी) तुलन पत्र में निर्धारित राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
ए) अंतिम निर्धारित लाभ बाध्यता a) Closing Defined Benefit Obligation	32,915.70	31,445.38	46.92	40.48	5,453.99	4,243.85
बी) योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य b) Closing Fair Value of Plan Assets	30,071.76	29,620.36	43.49	35.24	4,251.97	3,102.81
सी) अंतर (ए-बी) c) Difference (a-b)	2,843.94	1,825.02	3.43	5.24	1,202.02	1,141.04
डी) गैर निर्धारित अंतरण योग्य देयता d) Unrecognized transitional liability	-290.89	-150.19	-	26.34	-	29.16
ई) तुलन पत्र में निर्धारित देयता e) Liability Recognized in the Balance Sheet	2,553.05	1,674.83	28.14	25.47	1,202.02	1,170.20

डी) लाभ व हानि खाते में निर्धारित राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
ए) मौजूदा सेवा लागत a) Current Service Cost	2,566.40	2,556.53	4.16	4.10	288.96	256.26
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	-	-	-	-	-	0.41
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	2,020.03	2,041.32	1.99	1.60	284.39	209.32
डी) योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय d) Expected Return on Plan Assets	2,204.30	1,919.29	-1.53	-1.20	227.55	215.61
ई) निवल एक्टुअरियल हानि/ लाभ (-) e) Net Actuarial Loss/gain(-)	(422.16)	(481.63)	7.40	7.70	882.19	1,005.89
एफ) वर्ष में निर्धारित अंतरण योग्य देयता f) Transitional liability recognized in the year	290.88	290.88	-	-	-	-
लाभ-हानि खाते में दर्ज व्यय (ए+बी+सी-डी+ई+एफ) Expenses Recognized in P&L (a+b+c-d+e+f)	2,250.85	2,487.81	15.08	14.60	1,227.99	1,256.27

ई) प्रिंसिपल एक्चुरियल पूर्वानुमान

e) Principal Actuarial Assumptions

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
डिस्काउंट दर Discount rate	5.64%-7.14%	4.65%- 7.21%	6.90%- 7.14%	7.11%- 7.22%	6.44%- 7.14%	7.09%- 7.22%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	2.68%- 5.00%	2.75%- 5.50%	5.00%- 7.00%	5.00%- 8.00%	5.00%- 10.00%	6.00%- 10.00%
एट्रीशन दर Attrition Rate	2.00%-3.18%	2.00%- 6.5%	5.00%- 10.00%	5.00%- 10.00%	15.00%- 44.00%	2.00%- 55.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय दर Expected Rate of Return on plan Assets	6.50%-7.50%	7.15%- 7.50%	6.50%- 6.90%	6.50%- 7.50%	6.44%- 6.90%	7.09%- 7.50%

II. निर्धारित लाभ योजनाएं (गैर-निधिगत बाध्यता): संचित अनुपस्थिति प्रतिपूरक (अर्जित अवकाश), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एक्चुरी द्वारा एक्चुरियल वैल्यूएशन के अनुसार संचित प्रतिपूरक अवकाश (अर्जित अवकाश), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी) की स्थिति को दर्शाती है:

II. Defined Benefit Plans (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank.

ए) देयता के प्रारंभिक व अंतिम शेष का मिलान

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
आरंभिक निर्धारित लाभ बाध्यता Opening Defined Benefit Obligation	2,266.37	1,900.10	29.77*	30.64	287.76	275.22
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	149.94	131.09	0.16	0.41	19.20	18.93
जोड़ें- मौजूदा सेवा लागत Add- Current Service Cost	474.15	418.51	10.72	3.39	7.50	6.45
जोड़ें- विगत सेवा लागत Add- Past Service Cost	0.32	-	-	-	-	-
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	214.80	161.76	0.88	0.41	23.95	25.85



विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
जोड़ें- बाध्यता पर एक्टुअरियल हानि/ लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain (-) on obligation	-1.15	-21.57	0.05	0.16	26.43	13.01
शेष निर्धारित लाभ बाध्यता Closing Defined Benefit Obligation	2,674.83	2,266.37	39.82	34.19	316.94	287.76

* इसमें एक अनुषंगी कंपनी, जो गैर-फंडेड से फंडेड में परिवर्तित हुई है, शामिल है।

* Includes 1 subsidiary which has been converted from Unfunded to funded during the year

बी) लाभ व हानि खाते में निर्धारित राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
ए) मौजूदा सेवा लागत a) Current Service Cost	474.16	418.51	10.72	3.39	7.50	6.45
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	0.32	-	-	-	-	-
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	149.94	131.09	0.16	0.41	19.20	18.93
डी) निवल एक्टुअरियल हानि/ लाभ (-) d) Net Actuarial Loss/gain(-)	-1.15	-21.57	0.05	0.16	26.43	13.01
लाभ हानि खातों में निर्धारित व्यय Expenses Recognized in P&L	623.27	528.03	10.93	3.96	53.13	38.39

सी) तुलन पत्र में निर्धारित देयता/ (आस्ति) की प्रारंभिक व अंतिम शेष का मिलान -

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
ए) आरंभिक निर्धारित लाभ बाध्यता a) Opening Defined Benefit Obligation	2,266.37	1,900.09	29.77*	30.64	287.76	275.22
बी) आरंभिक समायोजन b) Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-

विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
सी) निवल अधिग्रहण लागत c) Net Acquisition Cost	1.01	0.43	0.00	0.00	-	-
डी) उपर्युक्त अनुसार व्यय d) Expenses as above	622.25	527.60	10.93	3.96	53.13	38.39
ई) प्रदत्त लाभ e) Benefit paid	214.80	161.35	0.88	0.41	23.95	25.85
एफ) तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता f) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	2,674.41	2,266.37	39.82	34.15	316.94	287.76

डी) प्रिंसिपल एक्ट्यूरियल पूर्वानुमान

d) Principal Actuarial Assumptions

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
डिस्काउंट दर Discount rate	6.59%- 6.90%	7.17%- 7.25%	6.59%- 6.90%	7.17%- 7.25%	-	7.20%- 7.30%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	6.00%- 10.00%	5.5%- 10.00%	8.00%- 10.00%	8.00%- 10.00%	-	5.5%- 10.00%
एट्रीशन दर Attrition Rate	15.00%- 18.00%	2.00%- 18.00%	5.00%- 15.00%	5.00%- 15.00%	-	2.00%- 18.00%

एक्ट्यूरियल वैल्यूएशन में भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान में रखा जाता है। ये अनुमान बहुत दीर्घकालिक होते हैं और निकट अतीत के अनुभव/ तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं होते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। लेखापरीक्षकों ने इन्हीं आकलन और अनुमानों को आधार बनाया है।

The estimates of future salary growth factored in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

12.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस - 17)

12.4 Segment Reporting (AS – 17)

12.4.1 खंड की पहचान:

12.4.1 Segment Identification:

I. प्राथमिक (व्यावसायिक सेगमेंट): निम्नलिखित खंड बैंक के प्राथमिक खंड हैं:-

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. ट्रेजरी

i. Treasury

ट्रेजरी सेगमेंट में निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा व व्युत्पन्न करार में लेनदेन कारोबार शामिल हैं। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से लेनदेन परिचालनों से प्राप्त शुल्क, लाभ या हानि होती है और निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त ब्याज आय शामिल है।

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.



ii. कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग

कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 7.50 करोड़ और उससे अधिक राशि के एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं।

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 7.50 करोड़ तक एक्सपोजर वाले उधारकर्ता की ऋण गतिविधियां शामिल हैं। रिटेल सेगमेंट के तहत डिजिटल बैंकिंग सब सेगमेंट में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में कार्यरत डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की शेष राशि को दर्शाता है।

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत है।

II. गौण (भौगोलिक सेगमेंट)

- घरेलू परिचालन- शाखाएं/ कार्यालय जिनका परिचालन भारत में होता है।
- विदेशी परिचालन- शाखाएं / कार्यालय जिनका भारत के बाहर परिचालन है और विदेशी बैंकिंग इकाइयां जो भारत में परिचालन कर रही है।

III. सेगमेंट राजस्व में बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।

IV. आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है। ट्रेजरी परिचालन के आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं।

अन्य सेगमेंट के आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

- ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है।
- उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद प्राप्त/ प्रदत्त अवशिष्ट ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है।
- अन्य आय / अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग / रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है।

इस समूह की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है और उन्हें अनाबंटित माना गया है।

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure ₹ 7.50 Crores and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure upto ₹ 7.50 Crores. Digital Banking sub segment under retail segment represents balances of Digital Banking Units functioning in the bank as per RBI directives.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

- The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.
- After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.
- Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Group has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

12.4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी 12.4.2 Segment Information
भाग ए: व्यावसायिक सेगमेंट Part A - Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/व्हालसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking				रिटेल बैंकिंग Retail Banking						अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations				कुल Total	
							डिजिटल बैंकिंग (ए) Digital Banking (A)		अन्य रिटेल बैंकिंग (बी) Other Retail Banking (B)		कुल रिटेल बैंकिंग (ए+बी) Total Retail Banking (A+B)							
	वित्त वर्ष: FY: 2024-25	वित्त वर्ष: FY: 2023-24	वित्त वर्ष: FY: 2024-25	वित्त वर्ष: FY: 2023-24	वित्त वर्ष: FY: 2024-25	वित्त वर्ष: FY: 2023-24	वित्त वर्ष: FY: 2024-25	वित्त वर्ष: FY: 2023-24	वित्त वर्ष: FY: 2024-25	वित्त वर्ष: FY: 2023-24	वित्त वर्ष: FY: 2024-25	वित्त वर्ष: FY: 2023-24	वित्त वर्ष: FY: 2024-25	वित्त वर्ष: FY: 2023-24	वित्त वर्ष: FY: 2024-25	वित्त वर्ष: FY: 2023-24	वित्त वर्ष: FY: 2024-25	
सेगमेंट राजस्व Segment Revenue	34004.27	32205.46	52291.85	49574.96	1.14	0.55	55743.05	49088.17	55744.19	49088.72	10843.83	10909.56	152884.14	141778.7				
सेगमेंट परिणाम Segment Result	7638.52	5470.36	16791.86	16795.57	-15.31	-12.26	8247.49	11210.19	8232.18	11197.93	1788.99	1050.8	34451.55	34514.66				
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense													6575.6	8357.57				
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax													27875.95	26157.09				
घटाएं: कर के लिए प्रवधान Less: Provision for tax													7159.62	7389.71				
असाधारण लाभ/ हानि Extra-Ordinary Profit/ Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
निवल लाभ Net Profit													20716.33	18767.38				
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	541280.36	491627.71	719688.39	645559.93	17.03	13.85	534809.99	465150.27	534827.02	465164.12	36006.49	30771.6	1831802.26	1633123.36				
अनाबंटित अस्तियां Unallocated Assets													29971.82	21656.02				
कुल आस्तियां Total Assets													1861774.08	1654779.38				
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	498687.09	456061.73	663056.22	598857.98	15.69	12.85	492725.87	431499.75	492741.56	431512.6	33173.14	28545.48	1687658.01	1514977.79				
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities													27613.36	20089.35				
कुल देयताएं Total Liabilities													1715271.37	1535067.14				

भाग बी - भौगोलिक सेगमेंट

Part B - Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	घरेलू परिचालन Domestic Operations		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल Total	
	वित्त वर्ष : 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष : 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष : 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष : 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष : 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष : 2023-24 FY: 2023-24
राजस्व* Revenue*	1,34,817.84	1,24,938.85	18,066.30	16,839.85	1,52,884.14	1,41,778.70
आस्तियां** Assets**	15,40,270.89	13,87,900.65	3,21,503.19	2,66,878.73	18,61,774.08	16,54,779.38

*वर्ष के लिए **As on 31st March 2025



12.5 संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

I. संबद्ध पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

समूह से संबद्ध पार्टियां:

ए) अनुषंगियां

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड

बी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी
2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

सी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (नवीनतम नाम सहित)

12.5 Related Party Disclosures (Accounting Standard-18)

I. Name of Related Parties & their relationship

Related Parties to the Group:

a) Associates

i) Regional Rural Banks

1. Baroda U P Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

b) Joint Ventures

1. India International Bank (Malaysia) Bhd.
2. India InfraDebt Limited

c) Key Management Personnel (Includes the latest Names)

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक (प्रतिपूर्ति सहित) Remuneration (Incl. Reimbursement)	
			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
1	श्री संजीव चड्ढा* Shri Sanjiv Chadha*	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.06.2023 को सेवानिवृत्त) MD & CEO (Retired on 30.06.2023)	5,38,560	2,22,53,762
2.	श्री देबदत्त चांद Shri Debadatta Chand	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	73,92,726	58,70,137
3.	श्री अजय कुमार खुराना Shri Ajay Kumar Khurana	कार्यपालक निदेशक (31.03.2024 को सेवानिवृत्त) Executive Director (Retired on 31.03.2024)	97,79,489	49,46,515
4.	श्री जयदीप दत्ता राय Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 तक) Executive Director (Up to 31.01.2024)	10,18,600	40,20,956
5.	श्री ललित त्यागी Shri Lalit Tyagi	कार्यपालक निदेशक (21.11.2022 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 21.11.2022)	66,09,001	43,46,508
6.	श्री लाल सिंह Shri Lal Singh	कार्यपालक निदेशक (09.10.2023 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 09.10.2023)	52,19,129	21,84,695
7.	श्री संजय मुदालियर Shri Sanjay Mudaliar	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 31.01.2024)	50,74,769	10,92,054
8.	श्रीमती बीना वाहिद Smt. Beena Vaheed	कार्यपालक निदेशक (09.08.2024 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 09.08.2024)	27,53,882	-

*सेवानिवृत्ति लाभ सहित

लेखों की टिप्पणियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण के लिए निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

*includes retirement benefits

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

12.6 लेखांकन मानक -19 "लीज" :

12.6 Accounting Standard-19 "Leases":

वित्तीय लीज Financial Lease

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
कुल न्यूनतम लीज बकाया Total Minimum Lease Outstanding	8.69
एक वर्ष से कम Less than 1 year	13.82
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	-
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	22.51
कुल Total	8.69
देय ब्याज लागत Interest Cost Payable	-
एक वर्ष से कम Less than 1 year	0.91
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	2.35
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	-
कुल Total	3.26

परिचालन लीज पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं :

Premises taken on operating lease are given below:

परिचालन लीज में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक के विवेक पर निर्भर है।

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके परिचालन लीज रद्द नहीं की जा सकती है:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option.

ii) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
एक वर्ष से कम Less than 1 year	51.79	40.74
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	156.93	102.13
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	50.31	28.82

ii) परिचालन लीज के लिए लाभ और हानि खाते में दर्ज लीज के भुगतान की राशि ₹ 965.30 करोड़ (विविध वर्ष: ₹ 894.61 करोड़) नवीकरण/ खरीद विकल्प और किराया वृद्धि इस प्रकार के करारों में प्रचलित शर्तों के अनुरूप होते हैं। इन करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुष्कर शर्तें शामिल नहीं हैं।

ii) Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 965.30 Crores (Previous Year: ₹ 894.61 Crores)

The terms of renewal/purchase options and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.



12.7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक-20)

बैंक लेखांकन मानक-20 "प्रति शेयर आय" के अनुरूप प्रति इक्विटी शेयर में मूल और डायल्यूटेड आय दर्ज करता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके "मूल आय" प्रति शेयर की गणना की जाती है।

12.7 Earnings per Share (Accounting Standard-20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
वर्ष के आरंभ में शेयर की संख्या Number of share at the beginning of the year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	-	-
वर्ष के अंत में शेयर की संख्या Number of share at the end of year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	20,716.33	18,767.38
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	40.06	36.29
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earnings per share (In ₹)	40.06	36.29
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	2.00	2.00

12.8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक-22)

12.8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard-22):

ए. आस्थगित कर आस्तियां

a. Deferred Tax Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	227.51	219.74
डारुटफूल ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	5,850.57	6,705.97
अवकाश के नकदीकरण हेतु प्रावधान Provision for leave encashment	690.34	574.62
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित निधि Foreign Currency Translation Reserve	695.19	554.28
धोखाधड़ी हेतु प्रावधान Provision for Fraud	168.75	74.89
गैर-बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य हेतु प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & Others	91.77	183.66
कुल आस्थगित कर आस्तियां Total Deferred tax Asset	7,724.12	8,313.16

बी. आस्थगित कर देयताएं

b. Deferred Tax Liabilities

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौतियां Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	2468.90	2,104.41
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,532.50	1,398.49
डीटीएल-एएफएस रिजर्व DTL-AFS Reserve	545.66	
अन्य / Others	-	-
कुल आस्थगित कर देयताएं Total Deferred tax Liability	4,547.06	3,502.90
निवल आस्थगित कर देयताएं Net Deferred tax Asset	3,177.03	4,810.26

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित मूल बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित डिस्पुट राशि शामिल है। ₹12036.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9381.66 करोड़) के डिस्पुट आय कर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि मूल बैंक के विचार में, कर सलाहकारों की विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं।

Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Parent Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 12036.63 Crore (previous year ₹ 9381.66 Crore) as in the Parent bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

12.9 समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन (एस-23)

चूंकि बैंक का अपने एसोसिएट्स में निवेश सहभागी प्रकृति का होता है और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

12.9 Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements (AS-23)

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

12.10 परिचालन बंद करना (एस-24)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने किसी भी विदेशी टेरिटरी/अनुषंगी/ एसोसिएट्स को बंद नहीं किया है।

हालांकि, ओमान में बैंक के संचालन को बैंक धोफर को हस्तांतरित करने के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बैंक धोफर के बीच दिनांक 27 जनवरी, 2025 को एक व्यवसाय हस्तांतरण समझौता (बीटीए) निष्पादित किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ़ ओमान ने दिनांक 27 फ़रवरी, 2025 को व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए अंतिम स्वीकृति दे दी है और बैंक की ओमान शाखा में बैंक धोफर के साथ व्यवसाय का वित्तीय एकीकरण दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।

12.10 Discontinuing operations (AS-24)

During the Financial year 2024-25, the Bank has not closed any of its overseas territories/ subsidiaries:

However, a Business Transfer Agreement (BTA) has been executed between the Bank of Baroda and Bank Dhofar on January 27, 2025 with regard to the transfer of the Bank's operations in Oman to Bank Dhofar. The Central Bank of Oman has granted final approval for the transfer of business on February 27, 2025 and the financial integration of the business at Bank's Oman branch with Bank Dhofar is effective from April 1, 2025.

12.11 आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन और क्षति

हमारे बैंक की दिनांक 27.06.2023 की स्वीकृत "बैंक की अपनी संपत्तियों की मूल्यांकन नीति" के अनुसार, बैंक को प्रत्येक 3 वर्ष में कम से कम एक बार संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है।

सभी अचल संपत्तियों (भूमि और भवन) के पुनर्मूल्यांकन करवाने के संबंध में भा.रि.बैं. के परिपत्र के अनुसार, हमारे बैंक ने 31.03.2025 तक सभी पात्र अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक संपत्ति के लिए -2- स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के

12.11 Revaluation and Impairment of Assets

AS per our Bank's approved policy "Valuation Policy of bank's Own Properties" dated 27.06.2023, the Bank is required to carry out the revaluation of properties at least once every 3 years.

In terms of the RBI circular on conducting a revaluation of all the immovable properties (Land & Building), our bank has revalued all the eligible immovable assets as



आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन बैंक के सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन दो स्वतंत्र रिपोर्टों में साधारण औसत मूल्यांकन पर किया जाता है।

परिणामस्वरूप, 31.03.2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में ₹ 5055.31 करोड़ की वृद्धि हुई है।

एस-28 “संपत्ति की हानि” के संदर्भ में हानि के रूप में ₹12.82 करोड़ लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए जहां वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है।

12.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (एस-29):

प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

of 31.03.2025. Revaluation of immovable properties is done basis -2- independent valuation reports for each property. The valuation is carried out by the Bank's empaneled valuers. Each property is revalued at simple average valuation in the two independent reports.

As a result, revaluation reserve is increased by ₹ 5055.31 Crores for year ending 31.03.2025.

In terms of AS – 28 “Impairment of Assets” impairment charge of ₹ 12.82 Crores has been debited to Profit & Loss Accounts wherein current value is less than cost of the property.

12.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	विधिक मामले / आकस्मिकताएं Legal Cases/Contingencies	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
प्रारम्भिक शेष राशि Opening balance	329.55	195.72
वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत Provided during the year	97.98	119.49
वर्ष के दौरान समायोजन Adjustment during the year	15.68	14.43
दिनांक 31 मार्च को शेष राशि Balance as on 31st March	423.47	329.55
आउटफ्लो / अनियमितताओं का समय Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/ क्रिस्टलीकरण संबंधी आउटफ्लो Outflow on settlement / crystallization	

चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को समूहीकृत/ पुनः वर्गीकृत किया गया है।

Previous year's figures have been regrouped/reclassified to match current year's presentation.

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता अवार्ड/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान के परिणामों, मांगी गई राशि क्रमशः करारगत बाध्यताओं की शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि एवं डेवलेपमेंट पर निर्भर है। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

बी) मेसर्स एसटीसीआई - स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (संयुक्त मर्चेन्ट बैंकर) ने वर्ष 2010 में बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के साथ-साथ जारीकर्ता कंपनी (एसवीपीसीएल लिमिटेड) के विरुद्ध एसपीवीसीएल द्वारा दावाकृत ₹15.23 करोड़ की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मामला दर्ज किया गया था। उपरोक्त विवादित मामला माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित है। प्रबंधन की राय में यह निराधार मुकदमेबाजी है और कंपनी पर कोई देयता नहीं होगी और अनुमान के अनुसार न्यायालय का निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा।

सी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है।

डी) (आकस्मिक देयताओं के विवरण)

ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है

ये व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों के क्रम में वर्तमान में चल रहे विभिन्न मामलों के संबंध में बैंक के विरुद्ध दायर दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं।

A) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

B) M/s STCI — Standard Chartered Capital Markets Limited (joint merchant banker) filed a case against BOB Capital Markets Limited in the year 2010 as well as the issuer company (SVPCL Limited) for indemnifying the damage of ₹15.23 Crore claimed by SVPCL Limited. The above disputed matter is pending before the Hon'ble High Court, Mumbai. In the opinion of the management this is a frivolous litigation and there would not be any liability on the company and the case, in all probability, would be decided in the company's favour.

C) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

D) Description of contingent liabilities

a) Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank.

बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता में अदत्त राशि को प्रदर्शित करता है। ₹0.28 करोड़ के आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश के लिए देयता सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता के प्रति बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

सी) फॉरवर्ड एक्सचेंज एवं डेरिवेटिव करारों के कारण देयता:

बैंक ने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा करार, करेंसी/स्वैप, ब्याज दर/करेंसी फ्यूचर्स एवं फॉरवर्ड रेट करार किया है।

- i. फॉरवर्ड एक्सचेंज करार अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है।
- ii. करेंसी स्वैप, लागू स्पाट रेट के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।
- iii. ब्याज दर स्वैप, सावधि और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।
- iv. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड करार है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है।
- v. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है।
- vi. विदेशी करेंसी ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है।
- vii. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन करार, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव करार है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर बिना बाध्यता के एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है।
- viii. करेंसी फ्यूचर्स करार निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड करार है।
- ix. आकस्मिक देयता की राशि संबंधित फॉरवर्ड एक्सचेंज और डेरिवेटिव अनुबंधों के अनुमानित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है।

डी) संघटकों की ओर से दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है। वह गारंटी निश्चित आश्वासन को दर्शाती है कि ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा।

b) Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. Liability for partly paid investments of ₹ 0.28 Crore represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of Central Ware Housing Corporation.

c) Liability on account of forward exchange and derivative contracts

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers.

- i. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate.
- ii. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates.
- iii. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows.
- iv. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date.
- v. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period.
- vi. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time.
- vii. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry.
- viii. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price.
- ix. The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

d) Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.



ई) स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व

इसमें बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया है, को शामिल किया गया है।

और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से (कंटीजेंटली) उत्तरदायी है।

13 नियामकों द्वारा लगाया गया जुर्माना

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

विवरण Particulars	मामले का प्रकार Nature of Breach	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed by RBI	नियामक/ परिचालनगत Regulatory/ Operational	1442	2.91	1375	6.74
विदेशी टेरिटरी/अनुषंगियों पर उनके संबंधित नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		0	0	0	0

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

2) एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

समाप्त वर्ष	एसजीएल फॉर्म लौटाए जाने की तारीख	राशि	टिप्पणियां
2024-25	-	-	-
2023-24	-	-	-

3) रिवर्स रेपो लेन-देन में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (चूककर्ता प्रतिभागी हेतु लागू)

मौजूदा वर्ष - शून्य

पिछले वर्ष- शून्य

4) विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए अन्य जुर्माने के विवरण निम्नानुसार हैं:

	मौजूदा वर्ष	पिछले वर्ष
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	शून्य	शून्य
भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007	शून्य	शून्य
सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम, 2006	शून्य	शून्य

14. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

14.1 समूह की संस्थाओं के बीच आपस में अंतर-बैंक / कंपनी की शेष राशियों का रिकंसिलेशन सतत आधार पर किया जाता है। बैंक के मामले में, अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल विभिन्न खाता शीर्षों में डेबिट और क्रेडिट बकाया प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान दिनांक 31.03.2025 तक पूरा कर लिया गया है, जिसका रिकंसिलेशन किया जा रहा है। अनुषंगी

e) Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

And other items for which Bank is contingently liable.

13. Penalty Imposed by Regulators

1) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

2) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2024-25	-	-	-
2023-24	-	-	-

3) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant).

Current Year - NIL

Previous Year - NIL

4) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions is as under:

	Current Year	Previous Year
Banking Regulation Act, 1949	NIL	NIL
Payment and Settlement Act, 2007	NIL	NIL
Government Securities Act, 2006	NIL	NIL

14. Additional Disclosures

14.1 Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. In case of Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2025, the reconciliation of which is in progress.

बही खातों का मिलान, अंतर-कार्यालय खातों, माइग्रेशन खातों, अन्य कार्यालय खातों की पुष्टि/ रिकंसिलेशन आदि सतत आधार पर जारी है। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त का, समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

14.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण पर तैयार करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को अपनाया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का प्रकटीकरण किया गया है जिसका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही जो मदें वस्तुगत नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक प्रकटीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया है।

14.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर. सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 (आरएफ 1.0) और 05.05.2022 (आर एफ 2.0) के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक कोविड 19 संबंधी दबाव के लिए निपटान फ्रेमवर्क के तहत लागू निपटान योजना के विवरण।

Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.

14.2 In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

14.3 Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.August 2020 (RF 1.0) and 05.05.2022 (RF 2.0) as of March 31, 2025.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार Type of borrower	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पूर्व छमाही अर्थात् 30.09.2024 की समाप्ति पर स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2024 (A)	(ए) में से, सकल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हो गया Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही अर्थात् 31.03.2025 की समाप्ति पर स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2025(A)
वैयक्तिक ऋण Personal Loans	3027.20	71.15	-	216.28	2806.60
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate persons*	357.33	-	-	75.88	-
जिसमें से एमएसएमई Of which, MSMEs	46.04	-	-	10.37	-
अन्य / Others	646.62	8.46	-	45.35	582.61
कुल Total	4,031.15	79.61	-	337.51	3,389.21

* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किए गए अनुसार।

\$ पुल खातों के मामले में, जानकारी प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध किए गए अनुसार है।

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

\$ In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.



14.4 दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2018-19/203 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के अनुसार निपटान योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता शामिल है। बैंक के पास 31.03.2025 को 04 खातों में ₹877 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

14.4 As per RBI circular no. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, guidelines for implementation of Resolution Plan has been issued, also containing requirements of additional provisions as per para 17 of this RBI circular. The Bank is holding additional provision of ₹ 877 Crores as on 31.03.2025 in 4 nos. of accounts as detailed below.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋण की राशि (ए)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (बी)	31.03.2025 को (बी) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (सी)	31.03.2024 को धारित प्रावधान (डी)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/ (रिवर्सल) (ई)	31.03.2025 को धारित प्रावधान (एफ)
Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	Amount of Loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31.03.2025 out of (B) classified as NPA (C)	Provision held as on 31.03.2024 (D)	Additional provision/ (reversal) made during year ended 31.03.2025 (E)	Provision held as on 31.03.2025 (F)
4363.31	95.42	95.42	437.67	439.09	876.76

14.5. आईबीसी-एनसीएलटी संबंधी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199/ 21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906/ 21.04.048/ 2017-18 दिनांक 23 जून, 2017 और दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल खातों के लिए समूह ने 31 मार्च, 2025 को कुल ₹ 6571 करोड़ (कुल बकाया के 100% के रूप में) का प्रावधान किया है।

14.5 IBC-NCLT Provision –

As per RBI letters no. DBR. No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR. No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6571 Crores (100% of total outstanding) as on March 31, 2025.

14.6 उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश (अनहेजेड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) आरबीआई/2022-23/131 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के अनुसार अनहेजेड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31 मार्च, 2025 तक ₹311 करोड़ का प्रावधान किया है।

14.6 Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of Reserve Bank of India (Unhedged Foreign Currency Exposure) Directions, 2022 RBI/2022-23/131 DOR. MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of ₹ 311 crores as on March 31, 2025.

14.7. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत लीवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात सहित पिलर 3 प्रकटीकरण हमारी वेबसाइट "https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii" पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एनएसएफआर एवं एलसीआर फ्रेमवर्क के तहत प्रकटीकरण निम्नलिखित लिंक https://www.bankofbaroda.in/sharekeepers-corner/financial-reports/ पर उपलब्ध हैं। ये प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा के अधीन नहीं हैं।

14.7 In terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio under the Basel- III framework are being made available on our website in the following link: https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii. Additionally, disclosures under NSFR & LCR framework are being made available on the following link: https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/financial-reports/. These disclosures have not been subjected to review by the SCAs of the Bank.

14.8. न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 निर्देशों के अनुसार, एक (1) खाते को न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक द्वारा मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सकल बकाया ₹ 29 करोड़ है जिसके सापेक्ष अप्राप्त ब्याज के प्रावधान सहित आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक ₹25 करोड़ का प्रावधान किया है।

14.8 As per Directions of RBI vide letter no. 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, 1 account is classified as Standard as per Court orders, with outstanding of ₹ 29 crores as on March

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों में आईआरएसीपी मानदंडों के अलावा 31.03.2025 तक ₹ 123 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

14.9. बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1454 करोड़ की राशि की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/ 2021-22/ 105 डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के द्वारा बैंकों को प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ 5 (पांच) वर्ष की अवधि तक की अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है। बैंक ने आरबीआई के उक्त प्रावधान के विकल्प को चुना है और तदनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में क्रमशः ₹ 73 करोड़ और ₹ 291 करोड़ की राशि प्रभारित की है और शेष ₹ 291 करोड़ का असंशोधित व्यय कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यदि बैंक ने लाभ और हानि खाते में संपूर्ण अतिरिक्त देयता को प्रभारित किया होता, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (करों के बाद शुद्ध) ₹ 218 करोड़ कम होता।

14.10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, इसलिए एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान का प्रकटीकरण लागू नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बारे में विवरण प्रबंधन द्वारा प्रदान किया गया है और हमने उस पर भरोसा किया है।

14.11 'अग्रिमों की पुनर्संरचना-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एक बारगी पुनर्संरचना) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, परिपत्रांक डीओआर.संख्या.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं परिपत्रांक डीओआर.संख्या.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार, 31.03.2025 को एमएसएमई पुनर्संरचित उधारकर्ताओं के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2025 को राशि
33,392	1,559

14.12 निपटान फ्रेमवर्क 2.0-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीओआर.एसटीआर. आरईसी.12/21.04.048/2022-22 दिनांक 05.05.2022 एवं परिपत्रांक डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2022-23 दिनांक 04.06.2022 के अनुसार पुनर्संरचित खातों के विवरण निम्नानुसार हैं:

31, 2025, against which the Bank is holding provision of ₹ 25 crores as on March 31, 2025 as per IRAC norms, including provision for unrealized interest.

Apart from above, the Bank is holding additional provision of ₹ 123 crore as of March 31, 2025 over and above the IRAC norms in certain stressed standard advances on prudent basis.

14.9 The Bank has estimated an additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹ 1454 crore. RBI vide their Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021 has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted for the said provision of RBI and accordingly charged an amount of ₹ 73 Crore and ₹ 291 Crore to the Profit & Loss account for the quarter and year ended March 31, 2025 respectively and the balance unamortized expense of ₹ 291 Crore has been carried forward. Had the Bank charged the remaining additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit for the quarter and year ended March 31, 2025 would have been lower by ₹ 218 Crore (net of taxes).

14.10 Pay Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006.

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

14.11 In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured borrowers as on 31.03.2025 is as under:

(Amount in ₹ Cr)

No of Accounts	Amount as on 31.03.2025
33,392	1,559

14.12 In accordance with RBI circular No DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.



(राशि ₹ करोड़ में)

ऋणधारकों की संख्या	31.03.2025 को राशि	किया गया प्रावधान
6,762	670.13	309.56

14.13 "निपटान फ्रेमवर्क - 2.0: व्यक्तियों और लघु व्यवसाय के कोविड-19 संबंधी दबाव का निपटान" संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, ऐसे उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन अनुमोदित और क्रियान्वित किया गया और ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोजर निम्नानुसार हैं: -

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2025 को समग्र एक्सपोजर
3,790	353

14.14 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

(Amount in ₹ Cr)

No of Borrowers	Amount as on 31.03.2025	Provision Held
6,762	670.13	309.56

14.13 In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 related stress of Individuals and Small Business", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

(Amount in ₹ Cr)

No of Accounts	Aggregate exposure as on 31.03.2025
3,790	353

14.14. Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	श्रेणी Category	वित्त वर्ष 2024-25 FY 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24 FY 2023-24	
		खरीद Purchase	बिक्री Sale	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम PSLC Micro Enterprises	-	-	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि / PSLC Agriculture	7,500	-	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य / PSLC General	60,000	-	-	-
4.	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान PSLC Small and Marginal Farmers	-	1,550	-	-
5.	एमएसएमई / MSME	-	-	-	-
	कुल Total	67,500	1,550	-	-

14.15 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र से आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048 /2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि में धोखाधड़ी के लिए देयता प्रदान करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 तक अग्रिमों के अलावा अन्य के लिए कैरी फॉरवर्ड प्रावधान शून्य है (31 मार्च, 2024 तक शून्य)।

14.16 चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

14.15 As per the Reserve Bank of India (RBI) circular no. RBI/2015-16/376 DBRNo.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank had opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision for other than advances as on March 31, 2025 is NIL (NIL as on March 31, 2024).

14.16 Previous year's figures have been regrouped/reclassified where ever necessary to conform to current year classification.

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र

Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2025

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2024
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:		
कर पूर्व निवल लाभ	Net Profit before taxes	27,87,595	26,15,709
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on fixed assets	1,46,695	1,69,353
निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	3,293	(2,831)
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	5,47,114	6,86,592
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	47097	(67101)
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	4,30,446	5,57,687
अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) हानि (निवल)	(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(3,965)	(631)
बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान	Payment/provision for interest on bonds	3,12,585	1,91,013
उप योग	Sub total	42,70,860	41,49,791
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(19,69,507)	(9,21,426)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(1,53,72,814)	(1,32,19,748)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in other assets	64,779	4,10,202
उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	23,67,282	(16,00,160)
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	1,44,88,611	1,17,11,984
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	6,02,794	(3,27,691)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(9,62,847)	(8,30,348)
परिचालन गतिविधियों (ए) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह	Net cash from operating activities (A)	34,89,158	(6,27,396)



(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2024
बी. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण	Purchase/Transfer in of fixed assets	(6,33,249)	(1,35,546)
अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण	Sale/ Transfer out of fixed assets	41,979	47,667
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(58,122)	(40,651)
निवेश संबंधी गतिविधियों (बी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह	Net cash used in investing activities (B)	(6,49,392)	(1,28,530)
सी. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर केपिटल / शेयर ऐप्लिकेशन राशि / शेयर प्रिमियम	Share Capital/ Share Application Money/ Share Premium	81	-
गैर-जमानती गौण बॉन्ड	Unsecured Subordinated Bonds	10,18,085	10,05,055
प्रदत्त लाभांश	Dividend paid	(3,93,024)	(2,84,425)
बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान	Payment/provision for interest on bonds	(2,69,085)	(1,75,390)
माइनोरिटी ब्याज में वृद्धि/(कमी)	Increase/(Decrease) in Minority Interest	22,965	2,332
वित्तपोषण गतिविधियों (सी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह	Net cash from financing activities (C)	3,79,022	5,47,572
नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि	Net increase in cash & cash equivalents (A) + (B) + (C)	32,18,788	(2,08,354)
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	10,028,985	10,237,339
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the period	13,247,773	10,028,985
नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास एवं एटीएम में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है.	Cash & Cash equivalents includes Cash in Hand & ATM, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	Components of Cash & Cash Equivalents	31 मार्च, 2025 को As on 31st March 2025	31 मार्च, 2024 को As on 31st March 2024
1) भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष राशि	1) Cash & Balance with RBI	58,19,084	56,72,032
2) बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	2) Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	74,28,689	43,56,953
कुल	Total	13,247,773	10,028,985

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा ("मूल संस्था"/ "बैंक") और इसकी अनुषंगियों (मूल संस्था और इसकी अनुषंगियां मिलकर "समूह" के रूप में संदर्भित), इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2025 का समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता तथा समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) संबंधी नोट का समावेश है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ए) बैंक की लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी;
- बी) 3 घरेलू अनुषंगियों, 5 विदेशी अनुषंगियों, 1 घरेलू संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और
- सी) 5 घरेलू अनुषंगी, 2 विदेशी अनुषंगियों, 1 विदेशी संयुक्त उद्यम, 3 घरेलू सहयोगी और 1 विदेशी सहयोगी की अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी।

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों, अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और अनुषंगियों एवं सहयोगियों की अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं निदेशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समूह और इनकी सहयोगी संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यमों के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराते हैं और ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ए) 31 मार्च, 2025 तक समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित समेकित तुलन पत्र के मामले में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण;
- बी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों का वास्तविक लाभ; और
- सी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण।

राय हेतु आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार की है। उन लेखा परीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। हम उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "नैतिक आचरण संहिता" के अनुसार समूह और इनकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक होने के साथ-साथ लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषयवस्तु का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं: अनुसूची 19 की नोट सं. 14.9 जो ₹1454.41 करोड़ की पारिवारिक पेंशन की राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन से संबंधित है। बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और ₹290.89 करोड़ के अपरिशोधित व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक की परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के अनुसार शामिल किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

4. लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहे। इन मुद्दों को समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में और इस पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को संबंधित संघटक लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ प्रिंसिपल लेखापरीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के रूप में निर्धारित किया है, जो हमारी राय में महत्वपूर्ण हैं।



(i) अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान करना (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 66.46% है जो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, जिनके मामलों में अग्रिमों का वर्गीकरण और उनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर करता है। निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान की प्रक्रिया में उचित पद्धति का उपयोग जरूरी है। बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख-रखाव करता है जो अग्रिमों के निष्पादक या गैर-निष्पादक होने की पहचान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी निर्धारित नीतियां हैं। आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन व्यक्तिगत या समेकित रूप से न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) के आंकड़े गलत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक कुछ क्षेत्रों में अग्रिमों और निर्धारित अग्रिमों अथवा समूह अग्रिमों सहित ऐसे एक्सपोजर पर प्रावधान करता है जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। लेनदेन के स्वरूप, विनियामक आवश्यकताओं, मौजूदा व्यावसायिक परिदृश्यों, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल आकलन/निर्णय और प्रावधानों की गणना को ध्यान में रखते हुए यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभीष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय के निर्धारण के कारण अनर्जक अग्रिमों के लिए ऋणकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर निर्भरता के कारण हमने इसे लेखापरीक्षा संबंधी कुछ मुद्दे के रूप में उपर्युक्त क्षेत्र को चिन्हित किया है।	हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नानुसार महत्वपूर्ण परीक्षण शामिल हैं: ए) हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान, प्रावधान के निर्धारण के लिए इनके प्रकार, समय सीमा और विस्तृत प्रक्रिया के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में बैंक की प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, जांच बिंदुओं और संतुलन प्रक्रियाओं के स्वरूप के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की, तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई। बी) हमें आबंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की हमने जांच की। हमें आबंटित शाखाओं में मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमने बड़ी राशि वाले अग्रिमों/दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना के आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वतंत्र मूल्यांकनों की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा भी शामिल है। सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई। डी) लेखापरीक्षा के अध्यक्ष नहीं आने वाली शाखाओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न पर विश्वास किया गया है और इस संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए नमूने संबंधी आंकड़ों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए बैंक की आंतरिक निगरानी प्रणाली/प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई तथा बैंक द्वारा हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों/विचलनों/त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया। ई) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान तथा आय के तदनुसार रिबर्सल की जांच की गई। एफ) एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा क्रियान्वित आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी भरोसा किया है। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों में विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया है।

II सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली नियंत्रक प्रणालियां

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक के वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियों की जटिलता को देखते हुए बैंक अपने आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं। बैंक का आईटी आर्किटेक्चर बैंक के दैनिक व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करता है। बैंक के आकार को देखते हुए, बड़ी संख्या में हो रहे लेनदेनों को कई ऐप्लिकेशनों के माध्यम से प्रोसेस और रिकॉर्ड किया जा रहा है। आईटी सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा बैंक के परिचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः ऐप्लिकेशनों द्वारा डेटा को अपेक्षित रूप से प्रोसेस किया जा रहा है और सभी परिवर्तन उचित स्वरूप में किए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर में उपयुक्त नियंत्रण आवश्यक है। आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, उच्च स्तरीय स्वचालन, आईटी सिस्टम के सतत और महत्वपूर्ण उपयोग को देखते हुए, इस प्रकार के अंतर्निहित जोखिम हो सकते हैं कि स्वचालित लेखांकन के तौर-तरीके, प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण इसकी परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से तैयार न किए गए हों और इसका प्रभाव इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर रहा हो। अतः आईटी सिस्टम नियंत्रणों को प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दे के रूप में चिह्नित किया गया है।	हमने बैंक द्वारा उपयोग किए जा रहे आईटी सिस्टम और कार्यरत ऐप्लिकेशनों को समझा। इस उद्देश्य से, हमने बैंक के आईटी नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्धारित नीति / प्रक्रिया / तौर-तरीकों के बारे में प्रोसेस ओनर्स के साथ लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक विषयों पर चर्चा की और मानवीय हस्तक्षेप और तकनीक के कारण उत्पन्न वित्तीय जोखिमों को समझने के लिए प्रमुख ऐप्लिकेशनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा की। लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित चरण शामिल रहे हैं (नमूना जांच परीक्षण के आधार पर): ए) सिस्टम से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना; बी) वित्तीय रिपोर्टिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐप्लिकेशन, नियंत्रण के एक्सेस सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना; सी) सिस्टम से प्राप्त परिणामों को सूचना के अन्य स्रोतों से सत्यापित करना; और डी) डेटा एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की टेस्टिंग करना। हमने शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों, बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट, बैंक के आईटी सिस्टम पर स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पर भी भरोसा जताया।

III निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड्स, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। निवेश बैंक की कुल आस्तियों का 22.95% है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुसूच अमान्यता और इसके लिए प्रावधान शामिल हैं। अनकोटेड निवेशों और कम मार्जिन वाले कारोबारी निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है। निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण कार्य दायित्व हैं। उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा कोटेड दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से सम्बंधित डेटा / सूचना का संग्रहण शामिल है। मूल्यांकन के विवेकाधिकार दायरे और जटिलताओं, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामकीय निगरानी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में चिह्नित किया गया है।	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है – ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है; बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं; सी) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर अन-कोटेड निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है।



लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
	डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है; हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुनः गणना की है;

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12 का संदर्भ लें)

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक के विरुद्ध विभिन्न दावे दायर किए गए हैं जिनमें कर और गैर कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले भी शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ फोरम पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संसाधनों के संभावित आउटफ़्लो का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों की परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी।	ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमों के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है। बी) हमने विवादों के संभावित आउटफ़्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन के अंतर्निहित अनुमान की समीक्षा की है। इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है। सी) इसके अलावा, संभावित आउटफ़्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है। डी) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है। ई) कर से इतर मुख्य विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए मुख्य पत्राचारों, लिए गए आंतरिक/ बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया है। एफ) वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा कर प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन की अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है। जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है। एच) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा शाखा लेखा परीक्षा/ प्रधान कार्यालय द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त सूचना पर की गयी संशोधित प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया।

5. अन्य मामले

- ए) हमने 8 अनुषंगियों और 1 संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ₹79,134 करोड़ की कुल आस्ति, ₹13,526 करोड़ के कुल राजस्व और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,534 करोड़ का निवल नकदी इनफ़्लो को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

विदेशी अनुषंगियों के मामले में, वित्तीय सूचना उनके संबंधित देशों में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और उनके संबंधित देशों में लागू सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गई है। कंपनी के प्रबंधन ने ऐसी अनुषंगियों की वित्तीय सूचना को उनके संबंधित देशों में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में रूपांतरित किया है और इन रूपांतरण समायोजनों की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है। जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी अनुषंगियों के बकाया शेष का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रूपांतरण समायोजन पर आधारित है।

बी) हमने 7 अनुषंगियों और 01 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ₹10,356 करोड़ की कुल आस्ति, ₹2,477 करोड़ के कुल राजस्व और दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹544 करोड़ के निवल नकदी इनप्लो को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का ₹406 करोड़ के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि 4 एसोसिएट्स के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। यह समेकित वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है। हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना समूह के लिए प्रासंगिक नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

सी) इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अनुषंगी कंपनी के मामले में लेखा परीक्षकों ने दिनांक 2 मई, 2025 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एक अपरिवर्तित निष्कर्ष दिया है और 'अन्य मामले' खंड में रिपोर्ट किया है कि मौजूदा चालू जीवन बीमा पॉलिसी और पॉलिसी जहां प्रीमियम बंद कर दिया गया है, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन की देयताएं कंपनी के नियुक्त एक्चुअरी ("अपॉइंटेड एक्चुअरी") की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए इन देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन 31 मार्च 2025 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों पर देनदारी मौजूद है, नियुक्त एक्चुअरी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा आईआरडीएआई की सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि मौजूदा जारी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए और उन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल है, पर हमारी राय बनाई जा सके।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य जानकारियां

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे

इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाओं और बेसेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का निष्कर्षात्मक आश्वासन नहीं देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य सूचनाओं का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा पर प्रदत्त सूचना वस्तुतः गलत प्रतीत होती है।

यदि अन्य सूचना जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य सूचनाओं में महत्वपूर्ण त्रुटियाँ शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है।

निदेशकों की रिपोर्ट, महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन, शेयरधारक सूचना को पढ़ने के क्रम में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि परिलक्षित होती है, तो हमारे द्वारा इसे गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करना आवश्यक होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

7. बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करवाने के लिए उत्तरदायी है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई गलत सूचना नहीं दी गई है। जिसे उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किया है, के लिए जवाबदेह हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के लिए यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन का उद्देश्य बैंक को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने की न हो या ऐसा न करने के लिए कोई उचित विकल्प न हो। बैंक का निदेशक मण्डल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।



समूह, उसकी एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में शामिल संस्थानों के संबंधित निदेशक मंडल समूह, उसकी एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का निगरानी करने के लिए भी जवाबदेह हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

- हमारा उद्देश्य, समेकित वित्तीय विवरणों के सम्बंध में, इस बात की पर्याप्त पुष्टि करना है कि इसमें धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई गलत तथ्य नहीं है और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित पुष्टि एक पूर्ण विश्वास पर आधारित होती है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद त्रुटियों की हमेशा पहचान हो जाए। यदि धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण गलत तथ्य दृष्टिगोचर होता है तो इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम:

- समेकित वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियाँ समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि समेकित वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यवसाय की गतिविधियों की वित्तीय सूचना पर पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थानों के लिए, जिन्हें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा जांचा गया है, उनकी दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वैसे अन्य लेखा परीक्षक ही जवाबदेह होंगे। हम केवल अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए ही उत्तरदायी हैं।

वस्तुनिष्ठता, समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का वह प्रभाव है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह संभावित करता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के तर्कसंगत जानकारी यूजर के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; तथा (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किन्हीं भी निर्धारित मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणान्तरक वस्तुनिष्ठता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है।

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाए गए हैं।
- उपर्युक्त पैरा 5, 7 से 8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अधीन तथा उसमें निहित अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हमारी लेखापरीक्षा और अलग

वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित तथा अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी, जिसे 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नोट किया गया है, के यथालागू अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

- ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
- बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और
- सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।
11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
- ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;
- बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन एवं बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई रिटर्न के अनुसार हैं ;
- सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और
- डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 105049W

(ऋषिकेश जोशी)

पार्टनर

एम. नं.: 138738

यूडीआईएन: 25138738BMLJPX6805

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 101048W

(रमन हंगेकर)

पार्टनर

एम. नं.: 030615

यूडीआईएन: 25030615BMOCPJ2447

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109574W

(विपुल के. चोकसी)

पार्टनर

एम. नं.: 037606

यूडीआईएन: 25037606BMMBTK4059

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109208W

(एस नागाभूषणम)

पार्टनर

एम. नं.: 107022

यूडीआईएन: 25107022BMLYRS4109

12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- 2019-20 से एससीए के रिपोर्टिंग दायित्व" भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तदुपरान्त जारी 19 मई 2020 के पत्र के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:
- ए) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं;
- बी) वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसे कोई अवलोकन या टिप्पणियां नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- सी) जैसा कि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है। भारत में गठित सरकारी कंपनी के अतिरिक्त अनुषंगियां, सहायक एवं संयुक्त उद्यम के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित अनुषंगी, सहायक एवं संयुक्त उद्यमों के कोई भी निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक नियुक्त हुए हैं, 31 मार्च 2025 तक के अनुसार अयोग्य नहीं है।
- डी) खातों के रखरखाव और उनसे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई पात्रता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ई) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी तकनीकी दिशानिर्देश" के पैरा 1.14 के अनुसार आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

कृते एस वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 004656S/S200095

एस.सुंदररमन

पार्टनर

एम. नं.: 201028

यूडीआईएन: 25201028BMLMCQ3977



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Bank of Baroda
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements
Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Bank of Baroda** ("the Parent"/ "the Bank") and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and joint ventures, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2025, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "**the Consolidated financial statements**") which includes:
 - a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
 - b) Audited Financial Statements of 3 domestic Subsidiaries, 5 Foreign Subsidiaries, 1 domestic Joint Ventures and
 - c) Unaudited financial statements/financial information of 5 Domestic Subsidiary, 2 Foreign Subsidiaries, 1 Foreign Joint Venture, 3 Domestic Associate and 1 Foreign Associate.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates, the unaudited financial statements and other financial information of the subsidiaries and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its joint ventures and associates and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

- a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at March 31, 2025;
- b) true balance of Profit of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

- c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates & joint ventures in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standard, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to following:

Note No. 14.9 of Schedule 19 regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 1,454.41 Crores. The Bank has charged an amount of ₹ 290.88 Crores to the Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2025 and the balance unamortized expense of ₹ 290.89 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report with reference to the Key Audit Matters identified by the Principal Auditors along with the Key Audit Matters reported by the respective component auditors which, in our opinion, are material.

(i) **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 18 to the financial statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The net advances of the Bank constitute 66.46 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non-performing assets. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed. Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPA including advances to certain sectors and identified advances or group advances. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements. Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.	We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following: - We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures. - The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. - Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank. - Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank. - Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. - Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. - Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI. - We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank. Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.



(ii) Information Technology (IT) architecture and system controls impacting financial Reporting:

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank's financial accounting and reporting systems given its complexity are highly dependent on the Bank's IT systems. The Bank's IT architecture supports the Bank's day-to-day business operations. Given the size of the Bank, enormous volume of transactions is being processed and recorded on multiple applications. The reliability and security of IT systems plays a very important role in the operations of the Bank. Hence controls in the system architecture are required to ensure that the applications process the data as expected and that changes are made in an appropriate manner. Given the complexity of the IT architecture, high level automation, simultaneous and significant use of IT systems, there is an inherent risk that automated accounting procedures, processes and related internal controls may not be accurately designed to ensure its operative effectiveness and its impact on the financial reporting. Hence IT system controls have been considered as a Key Audit Matter.	We obtained an understanding of IT systems used by the Bank and the applications implemented. For this purpose, we had discussions with the process owners on the defined policy/ process/procedures of the Bank's IT control environment that is relevant to the audit and reviewed the processes followed with regard to the major applications to understand the financial risks posed by people-process and technology. Our audit procedures to obtain audit evidence included (on a test check basis): - verifying, testing and reviewing the operating effectiveness of the IT system on the basis of reports, generated from the system; - review of the operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting; - verifying the results obtained from the systems with the other information sources; and - testing of logic used for extracting the data. We also placed reliance on the work performed by the statutory branch auditors, external vendor inspection reports, specialised audits undertaken by independent experts on the Bank's IT systems.

(iii) Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 18 to the financial Statements)

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. Investments constitute 22.95 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty. Valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments are critical functions. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on - - We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments. - For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample. - Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2025 or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.	d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision. We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

(iv) **Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 18 to the financial statements):**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non-tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow of resources in such matters. There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.	a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters. b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions. c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions. d) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate. e) Read and analysed select key correspondences, internal/ external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters. f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions. g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases. h) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.

5. Other Matters

- a) We did not audit the Financial Statements/information of 8 subsidiaries and 1 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 79,134 Crores as at March 31, 2025, total revenue of ₹ 13,526 Crores, and net cash inflow of ₹ 1,534 Crores for the year ended on March 31, 2025, as considered

in the consolidated Financial Statements. This financial statements /financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint ventures and associates is based solely on the report of such auditors.



In the case of foreign subsidiaries, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries and has been audited by the other auditors under generally accepted Auditing standards as applicable in their respective countries. The Company's management has converted the financial information of such subsidiaries from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India and these conversion adjustments have been audited by the other auditors. Our opinion in so far as it relates to the balances of such subsidiaries located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Company and audited by the other auditors.

- b) We did not audit the Financial Statements/ financial information of 7 subsidiaries and 1 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 10,356 Crores as at March 31, 2025, total revenue of ₹ 2,477 Crores and net cash inflow of ₹ 544 Crores for the year ended on 31st March, 2025, as considered in the consolidated Financial Statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net Profit of ₹ 406 crores for the year ended March 31, 2025, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 4 associates whose financial statements / financial information have not been audited by us. This financial statements/ financial information is unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, associates and joint ventures is based solely on such unaudited Financial Statements/financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, this Financial Statements/ Financial information are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management.

- c) In the case of India First Life Insurance Company Ltd., a subsidiary company, the auditors have vide their Audit report dated May 2, 2025 expressed an unmodified conclusion and have reported in the 'Other Matter' section that "the actuarial valuation of liabilities for life policies in force and policies where premium is discontinued is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists on financial statements of the Company as at March 31, 2025 has been duly certified by the Appointed Actuary and in

her opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied on the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists, as contained in the Financial Statements of the Company."

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flow of the Group, its associates & joint ventures in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provision of section 29 of the Banking Regulation

Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associates & joint ventures and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for assessing the ability of the Group and its associates and joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and its associates and joint ventures.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures

responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and joint ventures to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and joint ventures to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associates and joint ventures to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.



We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 and 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint ventures, as noted in the 'other matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that;
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
11. We further report that:
 - a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
 - b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;
 - c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
12. As required by the letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - c) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank. On the basis of the reports of the statutory auditors of subsidiaries, associate and joint ventures companies other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of the subsidiaries, associates & joint ventures companies incorporated in India is disqualified as on March 31, 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

- d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) As per par 1.14 of the “Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks” issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group’s Internal Financial Control over financial reporting with reference to consolidated financial statements.

For Khandelwal Jain & Co

Chartered Accountants

FRN: 105049W

(Rishikesh Joshi)

Partner

M. No.: 138738

UDIN: 25138738BMLJPX6805

For S Venkatram & Co LLP

Chartered Accountants

FRN: 004656S/S200095

(S Sundarraman)

Partner

M. No.: 201028

UDIN: 25201028BMLMCQ3977

For Batliboi & Purohit

Chartered Accountants

FRN: 101048W

(Raman Hangekar)

Partner

M. No.: 030615

UDIN: 25030615BMOC PJ2447

For Shah Gupta & Co

Chartered Accountants

FRN: 109574W

(Vipul K Choksi)

Partner

M. No.: 037606

UDIN: 25037606BMMBTK4059

For V Sankar Aiyar & Co

Chartered Accountants

FRN: 109208W

(S Nagabushanam)

Partner

M. No.: 107022

UDIN: 25107022BMLYRS4109

Place: Mumbai

Date: May 06, 2025



अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल है।

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Accounts of the Bank for Financial Year ended 31st March, 2025 contain unmodified opinion.

मनोज सुंदर चयानी
मुख्य वित्त अधिकारी

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Manoj Sundar Chayani
Chief Financial Officer

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

दिनांक: 06.05.2025
Date: 06.05.2025
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

समेकित सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- समेकित

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं:

- ए. हमने वर्ष 2024-25 (समेकित) हेतु समेकित वित्तीय विवरणी और नकद प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
- इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं है।
 - ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की नैतिक आचरण संहिता के विरुद्ध हो।
- सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
- डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

मनोज सुंदर चयानी
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 06.05.2025

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Consolidated CEO / CFO Certification

Board of Directors,

Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended March 31, 2025 - Consolidated

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

- We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statement for the year 2024-25 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
- These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:
- These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
 - Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
 - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Manoj Sundar Chayani
Chief Financial Officer

Place : Mumbai
Date : 06.05.2025

Debadatta Chand
Managing Director & CEO



लाभांश संवितरण नीति

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [इसके बाद सेबी (एलओडीआर) विनियम के रूप में संदर्भित] के विनियम 43ए के अनुसार, बाजार पूंजीकरण 'जिसकी गणना प्रत्येक वित्त वर्ष के 31 मार्च को की जाती है' के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं को एक लाभांश संवितरण नीति तैयार करने की आवश्यकता होती है जिसे सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब-लिंक भी दिया जाएगा। इससे निवेशकों को इन हाई प्रोफाइल कंपनियों में निवेश करते समय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

हमारा बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत गठित एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं भारत सरकार द्वारा जारी लाभांश के संबंध में दिशानिर्देशों जिनको नीति में विधिवत शामिल किया गया है, का अनुपालन करना हमसे अपेक्षित है।

उद्देश्य

बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक में शेयर-पूंजी में उनके निवेश पर दो तरीकों से प्रतिफल अर्जित करते हैं:

- (1) शेयर की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्यवृद्धि, एवं
- (2) आवधिक लाभांश के रूप में नकद प्रतिफल।

बैंक मानता है कि शेयरधारकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं संबंधी पूर्ति के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है। साथ ही, लाभांश का भुगतान बैंक की भावी संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है। बैंक का यह प्रयास रहता है कि अतिरिक्त नकद राशि अपने शेयरधारकों में संवितरित की जाए।

सामान्यतया, बैंक लाभजनक वर्षों में लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं। कितनी राशि लाभांश के रूप में संवितरित की जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित सहित कई तथ्यों को ध्यान में लेते हुए किया जाता है:

- (ए) बैंक का वर्तमान और भविष्य का वित्तीय कार्य-निष्पादन,
- (बी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताएं
- (सी) बैंक की निवेश एवं विस्तार की योजना, और
- (डी) उसके शेयरधारकों की अपेक्षाएं।

चूंकि बैंक वैश्विक आधार पर परिचालन कर रहा है, उसके लाभांश संबंधी

निर्णय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों और नियामक-आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

लाभांश की घोषणा हेतु पात्रता मानदंड:

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं तथा अपने निवेश के वित्तपोषण एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। प्रतिधारित अर्जन अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में कुशन भी उपलब्ध कराता है। बैंक निवेश की मांग के साथ उचित नकद प्रतिफल हेतु शेयरधारकों की आवश्यकता के साथ संतुलन का प्रयास करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/2004-05/451; डीबीओडी.नं. बीपी. बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04 मई, 2005 के माध्यम से सभी बैंकों के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

- 1) लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ में से ही किया जाएगा।
- 2) बैंक के पास निम्नलिखित होने चाहिए:

ए) पूरे किए गए दो वर्षों के लिए तथा जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए कम से कम 9% का पूंजी से जोखिम वेटेड आस्ति अनुपात (सीआरएआर) तथा

बैंक के लिए 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी शामिल है जो 9% का विनियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के अतिरिक्त है। जब भी बफर 2.5% से कम होता है, तो अर्जन के विवेकाधीन संवितरण (उदाहरण के लिए, लाभांश, शेयर बायबैक और विवेकाधीन स्टाफ बोनस भुगतान) पर स्वतः प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि बफर/पूंजी स्तर को न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए फिर से उपयुक्त किया जा सके।

और

बी) निवल एनपीए (अनर्जक आस्तियां) 7% से कम।

यदि बैंक उपर्युक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु जिस लेखांकन वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है, उस वर्ष के लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा बशर्ते उसका निवल एनपीए अनुपात 5% से कम हो।

- 3) बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध) एवं 17 (लाभांश की घोषणा से पहले निधि आरक्षित करने हेतु लाभ के हिस्से का न्यूनतम 25% अंतरण) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।¹

¹ धारा 15 - लाभांश के भुगतान के बारे में प्रतिबंध

[(1)] कोई भी बैंककारी कंपनी अपने शेयरों पर तब तक किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेगी, जब तक कि उसके सभी पूंजीगत व्यय (जिनके अंतर्गत प्रारंभिक व्यय, संगठन व्यय, शेयर-विक्रय कमीशन, ब्रोकरेज, उपगत हानियों की राशि तथा व्यय की कोई ऐसी अन्य मद जिन्हें मूर्त आस्तियां द्वारा दर्शाया नहीं गया है) पूरी तरह से बट्टे खाते न डाल दिए गए हों।

[(2)] उपधारा (1) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी निम्नलिखित को बट्टे खाते डाले बिना अपने शेयरों पर लाभांश दे सकेगी।

- (i) अनुमोदित प्रतिभूतियों में उसके निवेशों के मूल्य में मूल्यहास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसा मूल्यहास वस्तुतः पूंजीकृत नहीं किया गया है या हानि के रूप अन्यथा लेखांकन में नहीं लिया गया है;
- (ii) शेयरों, डिबेंचर या बॉण्ड (अनुमोदित प्रतिभूतियों से भिन्न) में उनके निवेशों के मूल्य में मूल्यहास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसे मूल्यहास के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरूप कर दिया गया है;
- (iii) अशोध्य ऋण, यदि कोई हों, उस दशा में, जिसमें ऐसे ऋणों के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरूप कर दिया गया है।"

धारा 17 - प्रारक्षित निधि

"(1) भारत में निर्गमित प्रत्येक बैंककारी कंपनी एक प्रारक्षित निधि सृजित करेगी तथा धारा 29 के अधीन तैयार किए गए लाभ-हानि खाते में प्रकट किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष में से तथा लाभांश घोषित किए जाने के पूर्व न्यूनतम, ऐसे लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि प्रारक्षित निधि को अंतरित करेगी।"

वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश दिनांक 30 अगस्त 2021 (01.04.2025 को अद्यतन) के अनुरूप लेखा मानक-26 के अनुपालन में बैंकों के तुलन पत्र में मान्य और शामिल अमूर्त आस्तियां, बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) के प्रावधानों की ओर संकेत करती हैं, जिसके अनुरूप बैंकों को तब तक किसी भी लाभांश की घोषणा करने से प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि तुलन पत्र में शामिल मूर्त आस्तियों में किसी व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी अमूर्त आस्ति को अपनी बहियों में शामिल करते हुए लाभांश का भुगतान करने के इच्छुक बैंकों को केंद्र सरकार से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) से छूट प्राप्त करनी होगी।

वित्तीय विवरणियां - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश - 30 अगस्त 2021 (01.04.2025 को अद्यतन) के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. बीपी.बीसी.24/21.04.018/2000-2001 दिनांक 23.09.2000 के अनुरूप पूंजी में वृद्धि के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) को विनियोजन से पूर्व 'निवल लाभ' का कम से कम 25 प्रतिशत सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरित करना आवश्यक है।

- 4) वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार, बैंक को अनिवार्य विनियोजन के बाद वर्ष के लिए निवल लाभ से निवेश उत्तार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर) और निवेश प्रारक्षित निधि के लिए विनियोजन करना चाहिए।
- 5) लाभांश की घोषणा से पूर्व, बैंक को मौजूदा वर्ष के लाभ से आस्तियों की क्षति के संबंध में पर्याप्त प्रावधान करने, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों, सांविधिक प्रारक्षित निधि में लाभ अंतरण, सांविधिक प्रारक्षित निधि, निवेश उत्तार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर), निवेश प्रारक्षित निधि, विशेष प्रारक्षित निधि, पूंजी प्रारक्षित निधि और अन्य विनियोजनों हेतु पर्याप्त प्रावधान करने सहित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- 6) रिजर्व बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया होना चाहिए।
- 7) लाभांश की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी प्रकार के निदेशों या पत्रों के अध्यक्षीन होगी।
- 8) लाभांश की घोषणा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु "त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क" के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021 द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अध्यक्षीन है।
- 9) लाभांश केवल प्रति शेयर के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए।
- 10) इस नीति और मौजूदा विनियम के बीच अंतर की स्थिति में, विनियम प्रभावी होंगे।

देय लाभांश का हिस्सा:

ए. भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के दिशानिर्देश:

ए1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश:

- (ए) लाभांश भुगतान का अनुपात (अर्थात् कर पश्चात लाभ के सापेक्ष लाभांश का अनुपात) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा।

निवल एनपीए अनुपात					
श्रेणी	सीआरएआर	शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम तक	3% से लेकर 5% से कम तक	5% से लेकर 7% से कम तक
लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा					
ए	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या उससे अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या उससे अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
सी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या उससे अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	वर्तमान वर्ष में 9% या उससे अधिक	10 तक	5 तक	शून्य	

लाभांश भुगतान अनुपात की गणना 'वर्ष के दौरान निवल लाभ' के सापेक्ष 'वर्ष के दौरान देय लाभांश' (लाभांश कर को छोड़कर, जहां भी लागू हो) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।

(बी) यदि संबंधित अवधि के लाभ में कोई असाधारण लाभ/आय शामिल हो, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

(सी) वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियां जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी ऐसी योग्यता से मुक्त होनी चाहिए जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। उस प्रभाव के लिए किसी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

ए2. भारत सरकार के दिशानिर्देश:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18 जनवरी 2013 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंक प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 20% अथवा निवल लाभ का 20% (जो भी अधिक हो) लाभांश के रूप में भुगतान करेगा।

यदि बैंक अंतरिम लाभांश भुगतान का निर्णय लेता है, बैंक द्वारा वार्षिक परिणामों के आधार पर कुल लाभांश का भुगतान उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा इन प्रावधानों में किसी भी छूट के मामले में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी।



वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 04 जून 2021 के अपने पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि न्यूनतम लाभांश का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अध्वधीन होगा, तदनुरूप विशेष पूर्वानुमति की आवश्यकता तभी होगी जब भुगतान दिशानिर्देशों और नियामक दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अंतर्गत अपेक्षित से कम लाभांश के भुगतान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

बी. अंतरिम लाभांश

बैंक लाभप्रदता के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में इसे अंतिम लाभांश घोषित करते समय समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति/भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित सीमा (अधिकतम/न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अध्वधीन किया जाएगा।

सी. आंतरिक और बाह्य कारक:

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाह्य कारकों जैसे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, सांविधिक और विनियामक प्रावधानों, कर विनियम पर भी निर्भर करेगा, जो लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकते हैं। उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, निदेशक मण्डल विभिन्न आंतरिक कारकों जैसे कि व्यवसाय विकास संबंधी योजनाओं, भावी पूंजीगत आवश्यकताओं, पूंजीगत आस्तियों के प्रतिस्थापन, प्रदत्त अंतरिम लाभांश, लेखा विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षक की समझ और एनपीए खातों के निर्धारण में विचलन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण संबंधी निष्कर्षों और प्रावधानीकरण में कमी आदि को भी ध्यान में रखेगा। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी निदेशक मण्डल को लाभांश के भुगतान हेतु सिफारिश करेंगे। लाभांश के प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

ऐसी परिस्थितियां जिसमें शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं।

लाभांश का वितरण निम्नलिखित यथा लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

- समीक्षाधीन वर्ष में लाभ
- सीआरएआर $\geq 11.50\%$ (सीईटी 1 $\geq 5.50\%$ सहित) (न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात + पूंजी संरक्षण बफर $[9\% + 2.50\% = 11.50\%]$ आरबीआई/2022-23/12डीओआर.सीएपी.आरईसी 3/21-06-201/2022-23, दिनांक 1 अप्रैल, 2022) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार
- निवल एनपीए 7% से कम (आरबीआई पेआऊट मैट्रिक्स के अनुसार श्रेणी D के लिए 5%)

iv) बासेल III अनुपालन

v) टियर 1 लीवरेज कवरेज अनुपात $> 3.50\%$

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की दीर्घकालिक विकास योजनाओं, पूंजी आवश्यकताओं या बैंक निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार, बैंक और उसके हितधारकों के लाभ के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए किया जाएगा।

विभिन्न श्रेणी के शेयरों हेतु लाभांश

वर्तमान में बैंक के पास शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है अर्थात् इक्विटी शेयर। विभिन्न श्रेणी के शेयरों के अभाव में लाभांश की घोषणा/ वितरण हेतु मापदंडों का एकल सेट निर्धारित किया गया है।

लाभांश भुगतान का माध्यम:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 12 के अनुसार बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करेगा।

जहां भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पात्र शेयरधारकों को 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे। यदि लाभांश के रूप में देय राशि एक हजार पांच सौ रुपये से अधिक है, तो 'सममूल्य पर देय' वारंट या चेक स्प्रीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे।

कॉर्पोरेट लेखा विभाग के समन्वय में कंपनी सचिव विभाग, लाभांश संवितरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

लाभांश का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

वैधता:

यह पॉलिसी अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष तक वैध रहेगी। पॉलिसी की वैधता अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी/ भारत सरकार और किसी भी अन्य सांविधिक निकायों से प्राप्त दिशानिर्देश बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का एक भाग बन जाएंगे और इसके नवीनीकरण के समय पॉलिसी दस्तावेज़ में शामिल किए जाएंगे।

यदि नियत तारीख को या उससे पूर्व पॉलिसी की समीक्षा नहीं की जाती है, तो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी समीक्षा की नियत तारीख के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए पॉलिसी को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।

अनुलग्नक - 'अनुपालन संबंधी अध्याय'

लाभांश संवितरण नीति हेतु नियामकों/ प्राधिकारियों के संक्षिप्त दिशानिर्देश/ आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परिपत्र/संप्रेषण संख्या	विषय
1	भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र - बासेल III पूंजी विनियमन (परिपत्र सं.: डीबीआर. सं.बीपी. बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01.07.2015 जिसे परिपत्र सं. डीबीआर. बीपी. बीसी.सं.20/21.06.201/2018-19 दिनांक 10.01.2019, परिपत्र सं.: आरबीआई/2020-21/42 डीओआर.बीपी.बीसी. सं.15/21.06.201/2020-21 दिनांक 29.09.2020 एवं परिपत्र सं.: आरबीआई/2020-21/93 डीओआर.सीएपी. बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 दिनांक 05.02.2021. के माध्यम से संशोधित किया गया) के साथ पठित "बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा पर" भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र - परिपत्र सं.: डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04.05.2005.	बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
2	डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी. सं.4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021.	अनूसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
3	भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर. एसीसी आरईसी.सं. 45/21.04.018/2021- 22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (01.04.2025 को अद्यतन), यथा संशोधित	वित्तीय विवरण-प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण पर मास्टर निर्देश
4	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 [धारा 15 (1) एवं (2) और धारा 17]	लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध और प्रारक्षित निधि का अनिवार्य विनियोजन
5	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियमन 43ए	लाभांश संवितरण नीति
6	भारत सरकार के पत्र एफ सं. 10/3/2010-बीओए, दिनांक 18 जनवरी, 2013 एवं भारत सरकार के पत्र एफ सं. 10/4/2021, बीओए, दिनांक 4 जून, 2021 और भारत सरकार के पत्र एफ सं. 7/7/2022-बीओए 1, दिनांक 20 मई 2022	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
7	भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देश.	



Dividend Distribution Policy

As per Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [hereinafter referred to as SEBI (LODR) Regulations], the top 1000 listed entities based on market capitalization, calculated as on March 31 of every financial year are required to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed on the website of the listed entity and a web-link shall also be provided in their annual reports. This would enable the investors to take informed decisions while making investments in these high profile companies.

Our Bank is a Nationalized Bank constituted under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is also required to comply with the guidelines in respect of Dividend, issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India, which have been duly incorporated in the Policy.

Objective

Bank of Baroda's shareholders earn a return on their investment in the Bank's share capital in two ways:

- (1) Capital appreciation resulting from increase in the share price, and
- (2) Cash return in the form of a periodic dividend.

The Bank recognizes that its shareholders need periodic dividend to meet their liquidity needs. Also, payment of dividend is seen as a signal of the Bank's future prospects. The Bank endeavors to distribute surplus cash to its shareholders.

Normally, the Bank expects to pay dividend in profitable years. The decision on how much to distribute as dividend takes into consideration a number of factors including:

- (a) The Bank's current and prospective financial performance,
- (b) Capital adequacy requirements specified by Reserve Bank of India (RBI)
- (c) The Bank's investment and expansion plans, and
- (d) The expectations of its shareholder

Since the Bank has operations worldwide, its dividend decision is based on an assessment of domestic and international economic and financial conditions and regulatory requirements.

Eligibility Criteria for declaration of dividend:

Retained earnings are utilized to meet the Bank's capital requirements and finance its investment and expansion activities. Retained earnings also provide a cushion to tide over unexpected events. The Bank strives to balance the demands for investment with the shareholders' need for a fair cash return.

The RBI vide their Circular No. RBI/2004-05/451;DBOD. NO.BPBC.88/21.02.067/2004-05 dated May 04, 2005 has laid down the following eligibility conditions, among others, for payment of dividend by the bank:

- 1) Dividend will be paid only out of current year's profit.
- 2) A bank should have:
 - (a) capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of at least 9% for preceding two completed years and the year for which it proposes to declare dividend.
Bank is required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. Whenever the buffer falls below 2.5%, automatic constraints on discretionary distributions of earnings (for example, dividends, share buybacks and discretionary staff bonus payments) will be imposed so that the buffer/capital level can be replenished to minimum requirements.
and
 - (b) Net NPA (non-performing assets) of less than 7%.

In case bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA ratio is less than 5%.

- 3) The bank should comply with the provisions of Sections 15 (Restrictions on Payment of Dividend) and 17 (Transfer of part of profit, not less than 25%, to reserve fund before declaration of dividend) of the Banking Regulation Act, 1949.¹

¹Section 15 - Restrictions as to payment of dividend

"[(1)] No banking company shall pay any dividend on its shares until all its capitalised expenses (including preliminary expenses, organisation expenses, share-selling commission, brokerage, amounts of losses incurred and any other item of expenditure not represented by tangible assets) have been completely written off.

[(2)] Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) or in the Companies Act, 1956(1 of 1956), a banking company may pay dividends on its shares without writing off-

- (i) the depreciation, if any, in the value of its investments in approved securities in any case where such depreciation has not actually been capitalised or otherwise accounted for as a loss;
- (ii) the depreciation, if any, in the value of its investments in shares, debentures or bonds (other than approved securities) in any case where adequate provision for such depreciation has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company;
- (iii) the bad debts, if any, in any case where adequate provision for such debts has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company."

Section 17 - Reserve Fund

"(1) Every banking company incorporated in India shall create a reserve fund and shall, out of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account prepared under section 29 and before any dividend is declared, transfer to the reserve fund a sum equivalent to not less than twenty percent of such profit."

In terms of RBI Master Direction on Financial Statements Presentation and Disclosures dated 30.08.2021 (Updated as on 01.04.2025), the intangible assets recognized and carried in the Balance Sheet of Banks in compliance with Accounting standard-26 shall attract the provisions of Section 15 (1) of Banking Regulation (BR) Act, 1949, in terms of which banks are prohibited from declaring any dividend until any expenditure not represented by tangible assets is carried in the balance sheet. Banks desirous of paying dividend while carrying any intangible assets in its books must seek exemption from section 15 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 from the Central Government.

RBI circular no. BPBC.24/21.04.018/2000-2001 dated 23.09.2000 read with RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures dated August 30, 2021(Updated as on 01.04.2025), In order to augment capital, Commercial Banks (excluding LABs and RRBs) are required to transfer not less than 25 per cent of the 'net profit' before appropriations to the Statutory Reserve.

- 4) As per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021 dated 25th August, 2021, the bank should appropriate for Investment Fluctuation Reserve (IFR) and Investment reserve from Net Profit for the year after mandatory appropriations.
- 5) Before dividend declaration, the bank should comply with the prevailing regulations/ guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets, staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves, Investment Fluctuation Reserve (IFR), Investment Reserve, Special Reserves, Capital reserves and other appropriations from the current year profit.
- 6) The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the bank for declaration of dividends.
- 7) The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI/ Government of India/Ministry of Finance from time to time.
- 8) The declaration of dividend is subject to the any restriction imposed by RBI vide its Circular DOS.CO.PPG.SEC. No.4/11.01.005/2021-22 dated 2nd November, 2021 on 'Prompt Corrective Action Framework" (PCA) for scheduled commercial banks'.
- 9) The dividend should be declared on per share basis only.
- 10) In the event of conflict between this policy and extant regulations, the regulations shall prevail.

Quantum of Dividend Payable:

A. RBI / Govt. Of India Guidelines:

A1. RBI Guidelines:

- (a) The dividend payout ratio (i.e. the ratio of dividend to profit after tax) shall not exceed 40 per cent and shall be

as per the matrix furnished herein below.

Net NPA Ratio					
Category	CRAR	Zero	More than Zero but less than 3%	From 3 % to less than 5%	From 5% to less than 7 %
Range of Dividend Payout Ratio					
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the Current year	Up to 10		Up to 5	Nil

Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax, wherever applicable) to 'net profit during the year'.

- (b) In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/ income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.
- (c) The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

A2. Government Of India Guidelines:

The Ministry of Finance, Govt. of India vide Letter dated 18th January, 2013 has advised Bank to Pay a minimum of 20% of paid up capital or 20 % of Net Profit (Whichever is higher) as dividend.

In case, Bank decided to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the Bank based on the annual results shall be as per the above guidelines. Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission of the Ministry of Finance, Govt. of India.

The Ministry of Finance, Govt. of India vide letter dated 04th June, 2021 has clarified that the payment of minimum dividend is subject to regulatory guidelines issued by RBI and, therefore, specific prior permission shall be sought only if the dividend proposed to be paid is



less than the minimum required under the guidelines as well as that permissible under the regulatory guidelines/instructions.

B. Interim Dividend

Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy/RBI guidelines.

C. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, interim dividend paid, auditor's qualifications pertaining to statement of accounts & annual financial inspection findings of the RBI with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning etc. The MD & CEO shall recommend the dividend payout to Board. The decision of the Board regarding proposal of dividend shall be final.

Circumstances under which the shareholders may or may not expect dividend

The distribution of dividend is subject to compliance of the following conditions, as applicable;

- i) Profit in the year under consideration,
- ii) $CRAR \geq 11.50\%$ (including CET 1 $\geq 5.50\%$) (Minimum total capital ratio plus capital conservation buffer $\{9\% + 2.50\% = 11.50\%\}$ as per RBI Master Circular vide RBI/2022-23/12 DOR.CAP.REC3/21.06.201/2022-23 dated April 1, 2022)
- iii) Net NPA less than 7% (5% for Category D as per RBI Payout Matrix)
- iv) BASEL III Compliance
- v) Tier 1 Leverage Coverage Ratio $> 3.50\%$

Utilization of Retained Earnings

The retained earnings will be used for the Bank's long term growth plans, capital requirements or as per the decision of the bank's board, for the benefit of the bank and its stakeholders or for the compliance of instructions/guidelines received from RBI/ Government of India.

Dividend for Various class of Shares

At present, the bank has only one class of shares i.e. equity shares. In absence of varied class of shares, a single set of parameters has been prescribed for declaring/ distribution of dividend.

Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic mode of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends.

Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand drafts will be issued to the eligible shareholders. If the amount payable as dividend exceeds one thousand and five hundred rupees, the 'payable-at-par' warrants or cheques shall be sent by speed post.

The Company Secretary Department in coordination with Corporate Accounts Department shall ensure the compliance of procedural aspects of distribution of Dividend.

Dividend shall be paid within 30 days from the date of declaration.

Validity:

This policy shall remain valid for three years from the date of approval. Guidelines received from RBI / SEBI/ Government of India and any other statutory bodies during the validity period of the policy will become part of the bank's existing guidelines and will be incorporated in the policy document at the time of its renewal.

The M.D.& CEO may allow continuation of the Policy for a maximum period of six months after the due date of review in case the Policy cannot be reviewed on or before the due date.

Annexure – ‘Chapter on Compliance’

Following are the brief guidelines/requirements of the regulators/authorities for Dividend Distribution Policy:

SI No	Circular/Communication No	Subject
1	RBI Circular on ‘Declaration of dividends by Banks’ - Circular No.: DBOD.NO.BPBC.88/21.02.067/2004-05 dated 04.05.2005 read with RBI Master Circular – Basel III Capital Regulations (Circular No.: DBR.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated 01.07.2015 as amended by Circular No.: DBR.BPBC.No.20/21.06.201/2018-19 dated 10.01.2019, Circular No.: RBI / 2020-21/42 DOR.BPBC.No15/21.06.201/2020-21 dated 29.09.2020 and Circular No.: RBI/2020-21/93 DOR. CAP. BC. No. 34/21.06.201/2020-21 dated 05.02.2021.)	Declaration of Dividends by Banks
2	DOS.CO.PPG.SEC.No.4/11.01.005/2021-22 dated November 02, 2021	Prompt Corrective Action (PCA) framework for scheduled commercial banks
3	RBI circular RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021- 22 dated August 30, 2021(updated as on 01.04.2025), as amended	Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures
4	Banking Regulation Act, 1949 [Section 15 (1) & (2) and Section 17]	Restriction as to payment of dividend and Mandatory appropriation of Reserve Fund.
5	Regulation 43A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015	Dividend Distribution Policy
6	GOI Letter F. No. 10/3/2010-BOA dated 18th January, 2013 and GOI letter F. No. 10/4/2021-BOA dated 4th June 2021 and GOI Letter F. No. 7/7/2022-BOA 1 dated 20th May, 2022.	Declaration of Dividend by Public Sector Banks
7	Other relevant guidelines issued by RBI, SEBI and Government of India from time to time.	



29वीं वार्षिक आम बैठक हेतु नोटिस

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय: अलकापुरी, बड़ौदा – 390007

कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, “जी” ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 (वेबसाइट: www.bankofbaroda.in)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 29वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओवीएम) से सोमवार, दिनांक 23 जून, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाएगा:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2025 के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना।

मद सं. 2:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश को अनुमोदित और घोषित करना।

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 3: पूंजी योजना 2025-26

निम्नलिखित संकल्प पर एक “विशेष संकल्प” के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे संशोधन सहित अथवा रहित पारित करना।

“संकल्प पारित किया जाता है कि जहां भी आवश्यक हो, शेयरधारकों के अनुमोदन सहित सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अध्वधीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”) और / अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्वधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2018 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण) विनियमन, 2017, यथा संशोधित, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य, सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉफ़ एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी

हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा रु. 8500/- करोड़ (रु. आठ हजार पांच सौ करोड़) की अतिरिक्त पूंजी को ऐसी संख्या में, रु. 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के एक अथवा अधिक बार में सृजन, ऑफ़र, जारी और आबंटित कर (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) प्राप्त करने के कालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) / फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र (एफपीओ) / राइट इश्यू/एडीआर-जीडीआर/ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ़ इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 3000/- करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो।

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफ़र या आवंटन कालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र (एफपीओ) / राइट इश्यू /एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त, अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफ़र के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), अधिनियम, 2018 (“आईसीडीआर विनियम”) के प्रावधानों के अनुरूप और सेबी, आरबीआई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, द्वारा जारी दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर किया जाए, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपयुक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों, जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/ या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार तय करने का समस्त प्राधिकार निदेशक मंडल के पास होगा और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं।”

आगे यह संकल्प पारित किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार कालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के मामले में-

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार

की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 365 दिनों के भीतर या ऐसे किसी समय में पूरा हो जाएगा, जिसकी आईसीडीआर अधिनियम में समय-समय पर अनुमति दी गई है।

ख) बैंक आईसीडीआर विनियम के विनियमन 176(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर पांच प्रतिशत तक के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है।

ग) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे संशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आबंटित की जा रही हैं तो वह यथालागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जोकि अधिनियम और अन्य विनियमों के तहत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी।

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा (शेयर व बैठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत होगा, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(रों), डिपोजिटरी(यों), कानूनी सलाहकार(रों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबंधित हो या उसमें शामिल हो, के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे।

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटर्स, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियां या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे।"

'आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिभूतियों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड की पूंजी प्राप्ति समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें।"

मद संख्या 4:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती बीना वाहिद की नियुक्ति को मंजूरी देना:

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना तथा इसे पारित करना:

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त, 2024 के माध्यम से दिनांक 09 अगस्त, 2024 से तीन वर्षों के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्रीमती बीना वाहिद की नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है"

मद संख्या 5:

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी देना:

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना तथा इसे पारित करना:

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 (3) (सी) के तहत, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना 1970 और 1980 के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) के साथ पठित, केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या 6/3/2011-बीओ.1 दिनांक 12 दिसंबर 2024 के अनुसार, 12.12.2024 से प्रभावी और आगे के आदेशों के तहत, बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"



मद संख्या 6:

मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी मुंबई, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देना

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना तथा इसे पारित करना:

“यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए और अन्य लागू कानूनों, यदि कोई हो, के अनुसरण में सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी मुंबई, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज फर्म पंजीकरण संख्या BA92897 को 5 साल की अवधि के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए बैंक के सदस्यों का अनुमोदन दिया जाता है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देवदत्त चांद

देवदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 06 मई, 2025

नोट:

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक

- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर, 2025 तक अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप सेबी ने भी अपने परिपत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है।
- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है। **29वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, वडोदरा माना जाएगा।**

2. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति:

चूंकि बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः इस एजीएम में शेयरधारकों के लिए बैठक में सहभागिता करने तथा वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/ संस्था के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर यह v-rajv.sv@kfintech.com/ companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 18

जून, 2025 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है।

3. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक की कार्यवाही के मद संख्या 3, 4, 5 एवं 6 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक इसके साथ संलग्न है।

4. एजीएम में प्रतिभागिता

बैंक ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स हेतु नियुक्त किया है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में:

ए) शेयरधारक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सी) निकाय कॉर्पोरेट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र हैं।

- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं।

- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो के कारण प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट evoting@nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक एक्सेस के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम संबंधी "Join Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM Link" का लिंक

देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि Join Meeting मेनू के अंतर्गत दिए गए VC/OAVM Link पर क्लिक करें। VC/OAVM का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।
3. साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन (ऑन रखने की अनुमति) रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके। शेयरधारक पहले भी उसी पोर्टल में "स्पीकर रजिस्ट्रेशन" के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।
4. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने हेतु कैमरे की अनुमति के साथ अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से शामिल सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/ रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।
7. जो सदस्य वार्षिक आम बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे **19 जून 2025** को सुबह 9:00 बजे से **20 जून 2025** को शाम 5:00 बजे तक नोटिस में दर्शाए गए उप शीर्षक रिमोट ई वोटिंग के तहत "स्टेप 1: एक्सेस टू एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के तहत बताई गई लॉगिन विधि का उपयोग करके स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्य बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ईवीईएन के सामने उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके स्वयं को वक्ता शेयरधारक के रूप में पंजीकृत कर सकेंगे।
8. एजीएम से पहले/ उस दौरान लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या नंबर: 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं।
9. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

6. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार से इतर प्रतिनिधि नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत** से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम अंकित व्यक्ति ही एजीएम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा।

7. लाभांश भुगतान और वार्षिक आम बैठक में मतदान के लिए रिकॉर्ड/कट-ऑफ तिथि

लाभांश 2024-25 के भुगतान के लिए रिकॉर्ड/कट ऑफ तिथि, 29वीं वार्षिक आम बैठक में घोषणा के अधीन, शुक्रवार दिनांक **06 जून 2025** होगी। तदनुसार, दिनांक **06 जून 2025** को कारोबार समय की समाप्ति पर बैंक के शेयर भौतिक/ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने वाले शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008 के विनियम 12 के अनुसरण में, वे शेयरधारक जिनके पास सोमवार, **16 जून 2025 (कट-ऑफ तारीख)** तक बैंक के शेयर हैं, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से भाग लेने एवं बैठक की कार्यसूची पर मतदान करने में सक्षम होंगे तथा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

8. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 06 मई, 2025 को संपन्न अपनी बैठक में दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रति रु. 2/- के इक्विटी शेयर पर @ रु.8.35 (आठ रुपये पैंतीस पैसे मात्र) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित और 29वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

- ए) दिनांक 06 जून, 2025 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति तक नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामी को;
- बी) दिनांक 06 जून, 2025 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक/ बैंक के आरटीए के पास दर्ज किए गए ट्रांसफर अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसफर को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को;



सी) ये लाभांश 29वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को वितरित किए जाएंगे।

डी) आयकर दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान पर लागू कर की कटौती की जाएगी।

9. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

बी. रिमोट ई-वोटिंग हेतु पोर्टल **गुरुवार, 19 जून, 2025** को सुबह 9.00 बजे से **रविवार, 22 जून, 2025** को शाम 5.00 बजे तक पूरे

समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित)।

सी. रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

इस कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 16 जून 2025 को बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक अथवा अमूर्त (डिमेंटेरिलाइज्ड) रूप में शेयर रखते हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं।

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली हेतु एक्सेस

ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्ति शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारक।	- ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करते हुए ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। - मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर NSDL की ई-सर्विसेज वेबसाइट अर्थात् https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर "Login" के अंतर्गत "Beneficial owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के संकेत देगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। - यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for Portal IDeAS" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। - एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल सत्यापन के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

	5. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए निम्नानुसार क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play 
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi / Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अन्य सत्यापन के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन तथा नए सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपने मौजूदा Myeasi उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद Easi/Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं मतदान में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर पहुंच सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा लॉगिन एवं न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक के माध्यम से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर दर्ज करके सीधे ई-वोटिंग पेज को एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता की पहचान करेगा। सफल सत्यापन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होंगे।
अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्ति शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले)	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सत्यापन के बाद आपको एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या सीडीएसएल हेल्पडेस्क या 1800-21-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।



बी) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्ति शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन प्रक्रिया।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, को दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाएं यानी IDeAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें पर आगे बढ़ सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी यूजर आईडी है:
ए) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	8 वर्ण की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है, तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
बी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है, तो आपकी यूजरआईडी 12***** है।
सी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं।	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्ति शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और वोट करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको संप्रेषित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको आवश्यक रूप से अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाता में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल को देखें। ईमेल को खोलें और संलग्नक यानी a.pdf फाइल को खोलें। .pdf फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है और सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड है। .pdf फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

ए) "यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए?" पर क्लिक करें (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

बी) भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड?" (यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

सी) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए ईमेल evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

डी) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स में "नियम और शर्तों" का चयन करके सहमत हूँ पर टिक करें।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से जुड़ें।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से कैसे जुड़ें?

1. चरण-1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" को देख पाएंगे जिनके आप शेयर धारक हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट करना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको "Join Meeting" के तहत "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपर्युक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट करें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि करने पर, "वोट सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ" संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके भी अपने द्वारा किए गए वोटों का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप रिसोल्यूशन पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल द्वारा और एक प्रति evoting@nsdl.com पर संवीक्षक को मार्क करके प्रेषित करनी होगी।
2. यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
3. किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या फोन नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) v-raj@kfintech.com पर ईमेल द्वारा प्रेषित करें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 अंक DPID + CLID या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरणी की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) v-raj@kfintech.com पर प्रेषित करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ई-वोटिंग के लिए लॉगिन प्रक्रिया और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए चरण 1 (ए) में बताई गई लॉगिन प्रक्रिया अर्थात् डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि देखें।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग संबंधी सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ मेनटेंड अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अद्यतन करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं किया है एवं अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान करने के पश्चात् उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
5. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

10. वार्षिक आम बैठक में मतदान प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को एजीएम में आयोजित की जाने वाली वोटिंग में अपना वोट देने हेतु पात्र होंगे।

11. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग के संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे



12. रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

13. पते में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश

ए) बैंक नोटिस भेजने/ पत्राचार के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरणों का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनका पता संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि उसे तत्काल अद्यतन किया जा सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पते में किसी भी बदलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित किया जाना चाहिए।

बी) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को अपने पते में किसी भी प्रकार के बदलाव को केवल संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास रजिस्टर करना चाहिए न कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास।

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना संबंधित डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें।

14. भौतिक शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाना

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/ 2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना दी है:

1. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।
2. दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उसे आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।
3. जिन प्रतिभूति धारकों के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है, वे (1) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने या शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगे। (2) दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से ऐसे फ्रीज किए गए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित कोई भी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।
4. फ्रीज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहते हैं, को आरटीए/ बैंक द्वारा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 एवं/ अथवा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

15. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

उक्त पत्राचार के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश संबंधी किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट 31 एवं 32, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा,
सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारडुडी, तेलंगाना,
भारत - 500 032

ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

टोल फ्री/फोन नंबर: 1800-309-4001

व्हाट्सएप नंबर: (91) 9100094099

केप्रिज्म (मोबाइल एप्लिकेशन): <https://kprism.kfintech.com/>

केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: <https://www.kfintech.com>

आरटीए वेबसाइट: <https://ris.kfintech.com>

निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक): <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc>

बैंक ऑफ़ बड़ौदा,

निवेशक सेवाएं विभाग,
7 वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (ईस्ट) मुंबई - 400 051
टेलीफोन : 022 - 66985731/ 5743,
सामान्य नंबर : 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स)
ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com
बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का खंड -<https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/>

16. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में न हों। अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डीमैट करवा लें।
2. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों।
3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/पी/ सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से अभौतिक रूप में परिवर्तन करा लें।

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

- i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है;
- ii. शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii. अभौतिकीकरण, शेयरों की पेपरलेस ट्रेडिंग की सुगम और आसान सुविधा प्रदान करता है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

17. भौतिक शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया:

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्र के विवरणों में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में अभौतिकीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नजदीकी शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोला होगा, जिसमें शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक (कों) को डीपी को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) प्रस्तुत करना होगा, जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और सही पाये जाने पर शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा कर दिए जाएंगे।

- बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचने की आवश्यकता होगी कि क्या मौजूदा डीमैट खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता के अनुरूप उसी नाम और स्वरूप में है। यदि हां, तो शेयरधारक (कों) को मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और, यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

यदि मौजूदा डीमैट खाते में तदनुसूच नाम नहीं है, तो शेयरधारक (कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए।

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्रों के विवरणों में परिवर्तन की स्थिति में, कृपया बिंदु संख्या 14 में उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क करें।

18. आईईपीएफ को अदावी लाभांश/ शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और उसके अनुवर्ती संशोधन ("नियमावली") के अनुसार, सभी अदावी लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करना आवश्यक है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ सं.13/2/2015-बीओ.॥ दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के अनुसार ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावी रहा है और आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है, भी आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं।

इसके अनुपालन में बैंक को ऐसे शेयरधारक (कों), जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है, अदावी शेयरों को आईईपीएफ को ट्रांसफर करना होगा। बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2016-17 तक के अदावी लाभांश को आईईपीएफ को ट्रांसफर कर चुका है।

शेयरधारकों के अदावी लाभांश के विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend> और केफिन <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> पर उपलब्ध हैं।

हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें। यदि बैंक को 30 जून, 2025 तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन शेयरों को बिना किसी सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।



कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को ट्रांसफर की गई अदावी लाभांश राशि और शेयरों से संबंधित किसी भी दावे के लिए बैंक जवाबदेह नहीं होगा।

19. आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश/ शेयरों का दावा करना:

अदावी लाभांश के संबंध में जो पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं या ऐसे शेयर जिन्हें आईईपीएफ को ट्रांसफर किया जाना है, कृपया नोट करें कि आप आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ -5- में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

20. पिछले वर्ष के अदावी/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में शेष अदावी/ अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण हेतु भावी नियत तारीखें निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
		बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2017-2018	लागू नहीं	04 अगस्त 2025	लागू नहीं
2	2018-2019	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	2019-2020	लागू नहीं		
4	2020-2021	लागू नहीं		
5	2021-2022	27 जुलाई, 2029		
6	2022-2023	07 अगस्त, 2030		
7	2023-2024	05 अगस्त, 2031		

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण नहीं कराया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (यूनिट – बैंक ऑफ़ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबोवली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com टोल फ्री नं. – 1-800-309-4001	निवेशक सेवाएं विभाग बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई – 400 051 ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com

21. ऐसे शेयरधारक, जिनके ई-मेल पते डिपोजीटरी के पास या भौतिक फोलियो आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया:

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश को शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा है। भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें।

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सहित मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपोजीटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध / अद्यतन कराएं।
- शेयरधारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक <https://ris.kfintech.com/client-services/mobilereg/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें ताकि नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- शेयर धारकों से यह अनुरोध भी है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें।
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति और क्लॉक मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं।

व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या 3: पूंजी योजना 2025-26

निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय / लिए जा सकने वाले निर्णय के अनुसार व्यवसाय आस्तियों में विस्तार करने के लिए बेसल III के दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी एवं लीवरेज अनुपात आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2018 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य लागू विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार कालीफाइट इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/ राइट इश्यू / एडीआर-जीडीआर/ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी

/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों या अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जरिए सामान्य इक्विटी जुटाने का प्रस्ताव करता है क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करने के ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप होने चाहिए।

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है।

विशेष संकल्प के अनुसार में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। आपके निदेशकगण इस सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्पों की सिफारिश करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्पों में हितबद्ध या संबद्ध नहीं समझा जाएगा।

निदेशक मंडल प्रस्तावित संकल्प को पास करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 4: श्रीमती बीना वाहिद की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी

भारत सरकार ने दिनांक 09 अगस्त 2024 की अपनी अधिसूचना के द्वारा श्रीमती बीना वाहिद (जन्म तिथि: 17 मई 1969) को दिनांक 09 अगस्त 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ़ बड़ौदा का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती बीना वाहिद की नियुक्ति के लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

संक्षिप्त परिचय:

श्रीमती बीना वाहिद ने दिनांक 9 अगस्त, 2024 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आपने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1993 में कॉर्पोरेशन बैंक में अधिकारी के रूप में की। आपने बैंक की व्यावसायिक योजना, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार हेतु किए जाने वाले प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें वर्ष 1997 में बैंक के आईपीओ का सफलतापूर्वक शुभारंभ भी शामिल है। एक प्रतिष्ठित बैंकर के रूप में आपको रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई, ऋण मूल्यांकन, मानव संसाधन, सरकारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और मर्चेन्ट अधिग्रहण एवं लायबिलिटी फ्रैंचाइज़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध और व्यापक कार्यानुभव है।

अपने कैरियर के दौरान आपने बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन किया है। शाखा प्रमुख के रूप में आपने व्यवसाय विकास को सुदृढ़ता प्रदान की, जोखिम एवं परिचालनगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया और बैंक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। उप महाप्रबंधक के रूप में एवं उसके उपरांत महाप्रबंधक के रूप में आपने पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के सबसे बड़े क्षेत्र जिसमें बड़े कॉर्पोरेट्स के खाते थे की जिम्मेदारी संभाली एवं आपके नेतृत्व में बैंक के कारोबार और लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।



कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन के उपरान्त कार्य संस्कृति के एकीकरण में आपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आपने समामेलित इकाई में महाप्रबंधक-मानव संसाधन परिचालन के रूप में कार्यदायित्व संभाला। तत्पश्चात अगले कार्यदायित्व में कारोबार की दृष्टि से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे सबसे बड़े अंचल-दिल्ली अंचल के अंचल प्रमुख के रूप में लाभप्रदता, परिचालन और अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ₹2 लाख करोड़ से अधिक के व्यवसाय को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में आपकी कार्यनीति संबंधी दक्षता निर्णायक सिद्ध हुई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने पिछले कार्यदायित्व के दौरान आपने जमा संग्रहण विभाग के प्रभारी एवं मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सभी जमा उत्पादों के प्रबंधन तथा बैंक के देयता आधार में वृद्धि हेतु कार्यनीतिक पहलों और संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आपने क्रेडिट कार्ड और मर्चेन्ट अधिग्रहण का प्रभार भी संभाला है।

आपको, आपकी कार्यनीति दक्षता, संस्थान के कार्मिकों के कौशल विकास, टीम निर्माण एवं अभिप्रेरणा और ग्राहकों के साथ जुड़ाव स्थापित करने संबंधी कुशलता के लिए जाना जाता है। यह आपके बहुआयामी एवं प्रगतिशील व्यक्तित्व का परिचायक है।

उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यनिष्पादन हेतु आपको प्राप्त विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी उपलब्धि के प्रमाण हैं। हाल ही में, आपकी पेशेवर उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप आपको आईआईएम कोझीकोड द्वारा प्रतिष्ठित पूर्व-छात्र पुरस्कार, 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपने विभिन्न निदेशक मंडल और नेतृत्व के पदों पर कार्य किया है। आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव है। वर्तमान में, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड के साथ-साथ बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड की भी निदेशक हैं।

आपने केरल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक तथा जनसंचार और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है, आईआईएम कोझीकोड से एक्जीक्यूटिव एमबीए पाठ्यक्रम पूरा किया है तथा साइबर सुरक्षा एवं नेतृत्व कौशल में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप आईआईएम बेंगलुरु और एगॉन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (जिसे अब एफएसआईबी के नाम से जाना जाता है) द्वारा चुने गए वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरे बैच में शामिल रही हैं। आपने आईआईसीए/एमसीए द्वारा संचालित ईएसजी लीडरशिप के तहत निदेशक प्रमाणन कार्यक्रम में भी सहभागिता की है।

श्रीमती बीना वाहिद को देय पारिश्रमिक/ मुआवजा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

श्रीमती बीना वाहिद या उनके रिश्तेदारों (बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक), यदि कोई हो, के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वार्षिक आम बैठक की सूचना के मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशकों के मध्य आपसी संबंध : कोई नहीं

मद संख्या 5: श्री मनोरंजन मिश्रा की गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआई नामित निदेशक) के रूप में नियुक्ति की मंजूरी।

भारत सरकार ने 13 दिसंबर 2024 की अपनी अधिसूचना के द्वारा श्री मनोरंजन मिश्रा को बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर-कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति दिनांक 13 दिसंबर 2025 से और अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगी।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, बैंक के गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति के लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

संक्षिप्त परिचय:

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से श्री मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक के नामांकित निदेशक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में तीन दशक से अधिक का कार्यानुभव रखने वाले श्री मनोरंजन मिश्रा दिनांक 30 सितंबर, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री मिश्रा ने बैंकों और एनबीएफसी के नियमन, बैंकों की निगरानी, मुद्रा प्रबंधन, प्रवर्तन, जोखिम निगरानी, बाहरी निवेश और परिचालन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों में काम किया है। श्री मिश्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्य समूहों के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं और नियामक और पर्यवेक्षी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं।

श्री मिश्रा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और एमबीए (बैंकिंग और वित्त) हैं। उनके पास यूके के एस्टन बिजनेस स्कूल से वित्त और वित्तीय नियमन में मास्टर डिग्री भी है।

श्री मनोरंजन मिश्रा को देय पारिश्रमिक/ मुआवजा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

श्री मनोरंजन मिश्रा या उनके रिश्तेदारों (बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक), यदि कोई हो, के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वार्षिक आम बैठक की सूचना के मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशकों के मध्य आपसी संबंध : कोई नहीं

मद संख्या 6: मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी मुंबई, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को 5 वर्ष की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-2030 तक के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति।

सेबी से (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) ('एलओडीआर') विनियम, 2015 के विनियमन 24ए के अनुसार, निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेगी। तदनुसार, निदेशक मंडल की सिफारिश पर, मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी की नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के लिए प्रस्तावित है। लेखा परीक्षा अवधि 2025-26 से 2029-30 तक होगी। पारिश्रमिक 99,999/- रुपये प्रति वर्ष एवं लागू कर और हर साल 10% वार्षिक शुल्क वृद्धि होगा।

मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी 1991 में स्थापित प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की एक फर्म है। फर्म कॉर्पोरेट कानूनों, सेबी विनियमों के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें सचिवीय ऑडिट, समुचित सावधानी ऑडिट और अनुपालन ऑडिट शामिल हैं। इस फर्म की समीक्षा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा की जाती है। मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी ने पुष्टि की है कि फर्म अयोग्य नहीं है और वह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24 (1ए) के संदर्भ में बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में

नियुक्त होने के लिए पात्र है। सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/सीआईआर/पी/2024/185 दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24 (1बी) के दायरे में हैं।

उपरोक्त उल्लिखित संकल्प में, बैंक के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और/ या उनके संबंधियों का वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई सरोकार या हित निहित नहीं है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देवदत्त चांद

देवदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 06 मई, 2025



NOTICE OF 29th AGM

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda-390 007

Corporate Office: Baroda Corporate Center, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
(Website: www.bankofbaroda.co.in)

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio - Visual Means (OAVM) on Monday, 23rd June 2025 at 11.00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2025, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2025, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item Number 2:

To approve and declare dividend for the Financial Year 2024-25.

SPECIAL BUSINESS

Item Number 3: Capital Plan 2025-26

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a **"Special Resolution"**.

"RESOLVED THAT subject to Statutory/Regulatory approvals including Shareholders' approval wherever required as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the

Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad to raise additional capital up to Rs. 8500/- crore (Rupees Eight Thousand Five Hundred crore) through equity capital by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of Rs.3000 crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

"RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations,

other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) , Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number

to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Capital Raising Committee of the Board/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/ (s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

Item Number 4:

To approve appointment of Smt. Beena Vaheed as Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Smt. Beena Vaheed, as Executive Director on the Board of Bank of Baroda, under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref No. 4/5/(i)/2023-BO.I dated 09th August 2024 issued by Government of India, for a period of three years with effect from 09.08.2024 or until further order, whichever is earlier be and is hereby approved.”

Item Number 5:

To approve appointment of Shri Manoranjan Mishra as Non-Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)



Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Manoranjan Mishra, as Non- Executive Director on the Board of Bank of Baroda, with effect from 12.12.2024 and under further orders, under Section 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980, read with sub paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and 1980 the Central Government, vide Notification Ref No. 6/3/2011-BO.I dated 12th December 2024 issued by Government of India, be and is hereby approved.”

Item Number 6:

To approve appointment M/s Ragini Chokshi & Co Mumbai, Practising Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-2030.

To consider and, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws, if any, the relevant circulars issued by SEBI (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) approval of the members of the Bank be and is hereby accorded, for appointment of M/s Ragini Chokshi & Co Mumbai, Practising Company Secretaries FIRM REGN NO BA92897 as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-2030.

FOR BANK OF BARODA

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 06th May, 2025

NOTES:

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM))

- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024, permitted companies to hold their AGM through VC/ OAVM by 30th September 2025. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular dated 03rd October 2024.
- In compliance with the above guidelines, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the 29th AGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara..**

2. Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):

As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to v-raju.sv@kfintech.com/ companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on 18th June 2025.

3. Explanatory Statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of meeting at item no 3, 4 5 & 6 is annexed hereto.

4. AGM Participation

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM:

- Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.
 - Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.
 - Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
- The Shareholders can join the AGM -15- minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.
 - There will no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
 - The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.

- The Notice calling the AGM is being uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on the website of NSDL, the e-voting agency at the website address evoting@nsdl.com.

5. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

- Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- Facility of joining the AGM through VC / OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for AGM and will be available for Members on first come first served basis.
- Further, Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
- Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by using the login method explained in the notice under the sub head Remote e-Voting "Step 1: Access to NSDL e-Voting system" from 9:00 a.m. on **19th June 2025** to 5:00 p.m. on

20th June 2025. After successful login, Members will be able to register themselves as a speaker shareholder by clicking on the link available against the EVEN of Bank Of Baroda.

- Members facing any technical issue in login before / during the AGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 48867000
- Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

6. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

7. Record/Cut-Off Date for Dividend Payment and voting at the AGM

Record/Cut off date for the purpose of payment of Dividend 2024-25, subject to declaration at 29th AGM will be Friday **06th June 2025**. Accordingly, shareholders holding Bank's shares as on the close of business hours on **06th June 2025** either in physical/electronic form will be entitled to receive the dividend.

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Shareholders holding Bank's Shares as on Monday, **16th June 2025 (Cut-off Date)** will be able to attend and vote on the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM.

8. Payment of Dividend

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 06th May 2025 has recommended dividend @ Rs. 8.35 (Eight Rupees Thirty Five Paise Only) per equity share of Rs.2/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2025. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 29th Annual General Meeting will be paid as under:

- To all beneficial owners in respect of shares held



in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 06th June 2025;

- b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's RTA on or before the close of business hours on 06th June 2025;
- c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 29th Annual General Meeting.
- d) Applicable Tax will be deducted on Dividend Payment as per Income Tax guideline

9. Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- a) The Bank has appointed National Securities

Depository Limited (NSDL) as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.

- b) The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on **Thursday, 19th June 2025** and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on **Sunday, 22nd June 2025** (both days inclusive).
- c) Remote e-voting is optional.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. Monday, 16th June 2025, may cast their vote electronically.

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

- A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	- For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. - Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under “IDeAS” section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting - If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp - Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

	5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. NSDL Mobile App is available on    
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	- Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password. - After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. - If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. - Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSD	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at toll free no.: 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800-21-09911

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

- Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.



2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the ‘initial password’ which was communicated to you. Once you retrieve your ‘initial password’, you need to enter the ‘initial password’ and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your ‘initial password’?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your ‘initial password’ is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your ‘User ID’ and your ‘initial password’.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**.
6. If you are unable to retrieve or have not received the “Initial password” or have forgotten your password:
 - a) Click on “Forgot User Details/Password?” (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) Physical User Reset Password? (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to “Terms and Conditions” by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on “Login” button.
9. After you click on the “Login” button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “EVEN” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select “EVEN” of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on “VC/OAVM” link placed under “Join Meeting”.
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
5. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to v-rajv@kfintech.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to v-rajv@kfintech.com. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
5. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

10. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

11. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

12. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.

13. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

- a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.



- b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

14. FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

1. It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for

their corresponding folio numbers.

2. The folios wherein any one of the above cited document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
3. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.
4. Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.
- 15. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS**

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd., Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. Email : einward.ris@kfintech.com Toll Free/ Phone Number : 1800 309 4001 WhatsApp Number : (91) 910 009 4099 KPRISM (Mobile Application) : https://kprism.kfintech.com/ KFINTECH Corporate Website : https://www.kfintech.com RTA Website : https://ris.kfintech.com Investor Support Centre (DIY Link) : https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	Bank of Baroda Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 Tel: 022 - 6698 5731 / 5743 General Number : 022 - 6698 5000-04 (PBX) E-Mail: investorservices@bankofbaroda.com Shareholder's corner section on Bank's Website - https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

16. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.
2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided

that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

- i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
- ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
- iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

17. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned in point 14.

18. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated 29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed

for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2016-17 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend> and that of KFin at <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx>

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents. In case Bank does not receive any claim by 30th June 2025, these shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice.

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

19. CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFERRED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

20. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2016-17 to IEPF. For the details of unpaid dividend from



FY 2017-18 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
		Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2017-2018	Not Applicable	04th August 2025	Not Applicable
2	2018-2019	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3	2019-2020	Not Applicable		
4	2020-2021	Not Applicable		
5	2021-2022	27th July 2029		
6	2022-2023	07th August 2030		
7	2023-2024	05th August 2031		

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2017-18 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

KFin Technologies Ltd. (Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1- 800-309-4001	Investors' Services Department Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

21. PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:

In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Shareholders holding shares in Physical form are requested to register their email address by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited in case the shares held in physical form.
- Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar

and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively, Shareholder may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

EXPLANATORY STATEMENT:

Item Number 3 – Capital Plan 2025-26

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other

mode or combinations of these, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item Number 4: To approve the appointment of Smt. Beena Vaheed, as Executive Director

The Government of India vide its notification dated 09th August 2024 has appointed Smt. Beena Vaheed (DOB: 17th May 1969), Executive Director, Bank of Baroda w.e.f. 09th August 2024 for a period of three years or until further order, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Smt. Beena Vaheed as the Executive Director of the Bank.

Brief Profile:

Smt. Beena Vaheed joined Bank of Baroda as an Executive Director on August 9, 2024.

She began her career as an Officer at Corporation Bank in 1993, significantly contributing to the Bank's business planning, advertising and publicity efforts, including the successful launch of its IPO in 1997. As a tenured banker, Smt. Vaheed brings in rich and diverse experience of over 30 years across a wide range of verticals including Retail, Agriculture & MSME, Credit Assessment, Human Resources, Government Banking, Credit Card and Merchant Acquisition and Liability franchise.

Throughout her career, Smt. Vaheed has held multiple leadership roles. As a Branch Head, she led strong business growth, ensured risk & operational compliance and improved market share. As a Deputy General Manager and, subsequently General Manager, she managed one of the largest regions for the erstwhile Corporation Bank, overseeing major corporate accounts and driving substantial business volume and profitability.

Following the amalgamation of Corporation Bank with Union Bank of India, Smt. Vaheed played a pivotal role in cultural integration. She assumed the role of General Manager - HR Operations of the amalgamated entity. Thereafter, in her next assignment, her strategic acumen was instrumental in managing over Rs 2 lakh crore in business as the Zonal Head - Delhi, the second-largest zone for Union Bank of India, focusing on profitability, operations and compliance. In her last stint as Chief General Manager in charge of the Deposit Mobilisation department at Union Bank of India, Smt. Vaheed was responsible for managing all deposit products and spearheading strategic initiatives & structural

changes to enhance the Bank's liability base. She was also in charge of credit cards and Merchant Acquisition.

Smt. Vaheed is recognised for her strategic acumen, people development, team building & motivation, and customer engagement skills, making her a well-rounded and dynamic professional.

Her effectiveness as a leader is evidenced by multiple awards and recognition received for outstanding business performance. Most recently, she received the Distinguished Alumni Award, 2024 from IIM Kozhikode, as a mark of appreciation for her professional accomplishments. Additionally, Smt. Vaheed has served in numerous board and leadership positions. She was a Director on the Board of Union Bank of India Services Ltd. She is currently a Director on the Board of BOB Capital Markets Limited and Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited besides the board of Bank of Baroda.

Smt. Vaheed holds a Bachelor of Science and a Master of Communication and Journalism from the University of Kerala, has completed an Executive MBA from IIM Kozhikode and has received specialised training in Cybersecurity and Leadership. She was a part of the 3rd batch of senior executives selected by Banks Board Bureau (now FSIB) for the Leadership Development Programme organised by IIM Bangalore and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. She also undergone a Director's certification program in ESG leadership conducted by IICA/MCA.

Remuneration / Compensation payable to Smt. Beena Vaheed is as per guidelines issued by Government of India

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Smt. Beena Vaheed or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

Relationships between directors inter-se : NIL

Item Number 5: To approve the appointment of Shri Manoranjan Mishra, as Non-Executive Director (RBI Nominee Director)

The Government of India vide its notification dated 13th December 2024 has appointed Shri Manoranjan Mishra, Non Executive Director, Bank of Baroda w.e.f. 13th December 2024 and until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Manoranjan Mishra as the Non Executive Director of the Bank.

Brief Profile:

Shri Manoranjan Mishra has been appointed as the RBI nominee Director on the Board of Bank of Baroda vide Government of India notification dated 12th December, 2024.

Shri Manoranjan Mishra has over three decades of experience in the Reserve Bank of India. He has superannuated from RBI services on 30th September 2024. Shri Mishra worked across the RBI departments including Regulation of Banks



and NBFCs, Supervision of Banks, Currency Management, Enforcement, Risk Monitoring, External Investments & Operations. Shri Mishra also served as a member of several Working Groups at the national and international levels and contributed to the formulation of regulatory and supervisory policies.

Shri Mishra is a post graduate in Economics and MBA (Banking and Finance). He also holds a Master's degree in Finance and Financial Regulation from Aston Business School, UK.

Remuneration / Compensation payable to Shri Manoranjan Mishra is as per guidelines issued by Government of India

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Mr. Manoranjan Mishra or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

Relationships between directors inter-se : NIL

Item No. 6: To appoint M/s Ragini Chokshi & Co Mumbai, Practising Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-2030

In terms of Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ('LODR') Regulations, 2015, on the basis of recommendation of Board of Directors, a listed entity shall appoint Secretarial Auditors. Accordingly, on the recommendation of the Board, the appointment of M/s Ragini Chokshi & Co is proposed for shareholders approval.

The audit period will be from 2025-26 to 2029-30. The remuneration will be Rs 99,999/- p.a plus applicable taxes and 10% annual fee increment every year.

M/s Ragini Chokshi & Co is a firm of Practising Company Secretaries founded in 1991. The firm provides professional services in the field of Corporate Laws, SEBI Regulations, including carrying out Secretarial Audit, Due Diligence Audits and Compliance Audits. The firm is Peer Reviewed by the Institute of Company Secretaries of India. M/s Ragini Chokshi & Co confirmed that the firm has not incurred any disqualification and eligible to be appointed as Secretarial Auditor of the Bank in terms of Regulation 24 (1A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The services to be rendered by M/s Ragini Chokshi & Co as Secretarial Auditor are within the purview of Regulation 24 (1B) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/P/2024/185 dated December 31, 2024.

None of the Directors and/ or Key Managerial Personnel of the Bank and/ or their relatives are concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out.

FOR BANK OF BARODA

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 06th May, 2025

दिव्यांगजनों का वित्तीय समावेशन

दिल्ली उच्च न्यायालय में जॉर्ज अब्राहम बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) नंबर 694/2020) के मामले में गठित उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के अनुसार दिव्यांगजनों का वित्तीय समावेशन

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 और उसके पश्चात 2017 के नियम दिव्यांगता अधिकारों और पहुँच के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। ये नियम डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म सहित सेवाओं तक समान पहुँच पर ज़ोर देते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी. सं. लेग.बीसी. 91/09.07.005/2007-08 दिनांक 4 जून, 2008; डीबीओडी. सं.लेग.बीसी.123/09.07.005/2008-09 दिनांक 13 अप्रैल 2009, डीबीओडी. सं. लेग.बीसी.38/09.07.005/2012-13 दिनांक 5 सितम्बर 2012, डीबीओडी. सं. लेग.बीसी.113 09.07.005/2013-14 दिनांक 21 मई 2014 और डीबीआर. सं. लेग.बीसी.96/09.07.005/2017-18 दिनांक 9 नवम्बर, 2017 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

भारत में जिम्मेदार और समावेशी आर्थिक विकास के वाहक के रूप में, बैंक ऑफ़ बड़ौदा बिना किसी भेदभाव के दिव्यांग ग्राहकों को अपनी सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, संगठन ने अपने शाखा नेटवर्क में रैंप सुविधाएँ प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 31 मार्च, 2025 तक, 6,492 शाखाओं में रैंप सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जोकि 31 मार्च, 2024 तक उपलब्ध 4,326 शाखाओं से उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।

दृष्टिबाधित/दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, हम एटीएम, नेट बैंकिंग (बॉब वर्ल्ड इंटरनेट) और सभी मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशनों (बॉब वर्ल्ड, बॉब ई-पे) को वेब सामग्री एक्सेसिबिलिटी दिशानिर्देश (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 लेवल एए के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

1. स्क्रीन रीडर अनुकूलता
2. अक्षरों के आकार बदलना (एक्सेसिबिलिटी के विकल्प)
3. सुसंगत नेविगेशन प्रणाली
4. कीबोर्ड नेविगेशन
5. कलर कॉन्ट्रास्ट
6. सहायक प्रौद्योगिकी उत्पादों का उपयोग
7. भारतीय मानक ब्यूरो 1517802 भाग 1 और 2 द्वारा समय-समय पर संशोधित एक्सेसिबिलिटी मानकों के अनुरूप ऑडियो कैंप्वा
8. एटीएम ध्वनि मार्गदर्शन सुविधा युक्त हैं, जो दृष्टिहीन उपयोगकर्ताओं को चरण-दर-चरण निर्देश प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास 'एक्सेसेबल एटीएम सुविधा के संबंध में भारतीय बैंक संघ के मानकों' के अनुसार स्थापित एक्सेसेबल एटीएम हैं। हमारे सभी एटीएम ब्रेल कीपैड और वॉयस गाइडेंस के साथ स्थापित हैं ताकि दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा उनका उपयोग किया जा सके। दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय स्वतंत्रता दिलाने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के एटीएम और कैश रीसाइकिलर टॉकिंग सुविधा से लैस हैं। हमारे टॉकिंग एटीएम दृष्टिहीन व्यक्तियों को कभी भी स्वयं नकदी प्राप्त करने के लिए वित्तीय पहुँच प्रदान करते हैं और कम दृष्टि, निरक्षर और वृद्धजनों के लिए बेहतर बैंकिंग उपयोगिता प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, हमारे एसएसपीबीपी कियोस्क दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए ध्वनि मार्गदर्शन सुविधा से युक्त हैं।

हमारे एंड्रॉयड पीओएस टर्मिनल में वॉयस नोटिफिकेशन फीचर है जो उपभोक्ताओं को लेनदेन की स्थिति और लेनदेन की राशि के बारे में सचेत करता है। डिवाइस पीओएस स्क्रीन पर प्रदर्शित मानक 12-अंकीय लेआउट का पालन करते हैं।

सभी डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण तैयार करने हेतु, हमारे बैंक ने सूचना सुरक्षा ऑडिट के समान, हमारे उत्पादों/सेवाओं अर्थात मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट शुरू की है।

दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 बैंकिंग संस्थाओं के लिए डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानूनी दायित्व स्थापित करता है। अनुपालन से परे, वित्तीय संस्थाओं के पास भारत में अनुमानित 26.8 मिलियन दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करने की व्यावसायिक अनिवार्यता है। सुलभ डिजिटल बैंकिंग सेवाएं केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी प्रदर्शित करने का अवसर भी है।

इन डिजिटल सुलभता मानकों को लागू करके, हमारा बैंक दिव्यांगता स्थिति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित कर रहा है, और इस प्रकार अपने विधिक दायित्वों और सामाजिक जिम्मेदारियों दोनों को पूरा कर रहा है।

दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है: -

- कोई व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से जैसे शाखा में विजिट कर, टोल फ्री नंबर (1800 5700/1800 5000) पर हमारे संपर्क केंद्र से संपर्क कर, बैंक की वेबसाइट पर जाकर बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) पोर्टल यानी सिबेल सीआरएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल को निम्न लिंक <https://bobcrm.bankofbaroda.co.in/onlinecomplaint/> के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- दिव्यांगजनों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए बैंक की आईजीआर में एक विशिष्ट शिकायत श्रेणी "शारीरिक रूप से अक्षम/दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अनुचित व्यवहार" उपलब्ध है।
- बैंक के पास एक शिकायत निवारण नीति है, जो यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांगजनों सहित ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों का उचित एवं शीघ्रता से निस्तारण किया जाए।
- बैंक ने शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समितियों की स्थापना की है ताकि ग्राहकों और बैंक के बीच संवाद के एक औपचारिक माध्यम को बढ़ावा दिया जा सके, जहाँ भी संभव हो, समिति के सदस्यों में से एक दिव्यांग हो। शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करती है ताकि ग्राहकों/ समिति के सदस्यों द्वारा अनुभव की गई, रिपोर्ट की गई शिकायतों/ सुझावों, देरी के मामलों और कठिनाइयों का विश्लेषण किया जा सके और ग्राहक सेवा में सुधार के तरीके और साधन विकसित किए जा सकें।
- बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली है। दिव्यांगजन अगर बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।



Financial Inclusion of PwDs

"Financial inclusion of PwDs" as per the recommendations of the High Powered Committee (Constituted in the case of George Abraham vs. Union of India & Ors. (WP(C) No. 694/2020) in Delhi High Court

The Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, and the subsequent Rules of 2017 mark a significant shift in India's approach to disability rights and accessibility. These regulations emphasize equal access to services, including digital banking platforms.

As per RBI circulars DBOD. No. Leg BC. 91 /09.07.005/2007-08 dated June 4, 2008; DBOD.No.Leg.BC.123/09.07.005/2008-09 dated 13th April 2009, DBOD.No.Leg.BC.38 /09.07.005/2012-13 dated 5th September 2012, DBOD. No.Leg.BC.113 09.07.005/ 2013-14 dated May 21, 2014 and DBR.No.Leg.BC.96/09.07.005/2017-18 dated 9th November, 2017 all banking services are being provided to persons with disabilities.

As a vehicle of responsible & inclusive economic growth in India, Bank of Baroda is committed to providing all our services to customers with disabilities without any discrimination.

As part of its ongoing commitment to improving accessibility, the organization has made notable progress in providing ramp facilities across its branch network. As of March 31, 2025, ramp access has been made available at 6,492 branches, marking a significant improvement from 4,326 branches as of March 31, 2024.

For visually challenged/ impaired persons, we are committed to making ATM, net banking (BOB World Internet) and all mobile banking applications (BOB World, BOB E-Pay) compliant to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA, with the following features-

1. Screen Reader Compatibility
2. Text Resizing (Accessibility Options)
3. Consistent Navigation Mechanism
4. Keyboard Navigation
5. Colour Contrast
6. Use of Assistive Technology Products
7. Audio Captchas in line with the accessibility standards notified by the Bureau of Indian Standards 1517802 parts 1 and 2 as amended from time to time.
8. ATMs are enabled with voice guidance, which provides step-by-step instructions for visually impaired users.

Further, Bank of Baroda has accessible ATMs set up as per the 'IBA Standards on Accessible ATM'. All our ATMs are installed with Braille keypads & with voice guidance to facilitate use by persons with visual impairments. Bank of Baroda ATMs and Cash recyclers are equipped with talking facility to bring financial independence to persons with disabilities. Our Talking ATMs provide financial access to blind persons to get cash on their own anytime and also provide greater banking usability for the low vision, illiterate and aged population.

Also, our SSPBP Kiosks are enabled with voice guidance feature for visually impaired users.

Our Android POS terminals have a voice notification feature to alert consumers about the status of transactions and the amount of transactions. The devices follow the standard 12-digit layout displayed on the POS screen.

To formulate a focused approach to make all digital services accessible, our Bank has initiated an accessibility audit of our products/services i.e. Mobile Banking, UPI, and Internet Banking, similar to information security audit.

The RPwD Rules, 2017, establish clear legal obligations for banking institutions to ensure digital accessibility. Beyond compliance, financial institutions have a business imperative to serve the estimated 26.8 million persons with disabilities in India. Accessible digital banking services represent not just a legal requirement but an opportunity to expand market reach & demonstrate corporate social responsibility.

By implementing these digital accessibility standards, our bank is ensuring equal access to financial services for all citizens, regardless of disability status, fulfilling both our legal obligations and social responsibilities.

The details of the grievance redressal process of the Bank available to persons with disabilities are hereunder: -

- A person can register his/her grievance through various channels like visiting the Branch, can contact our Contact Centre at Toll free numbers (1800 5700/1800 5000), lodging the complaint in the bank's Internal Grievance Redressal (IGR) portal i.e., SIEBEL CRM portal by visiting our Bank's website. The online complaint Portal can be accessed via the following link <https://bobcrm.bankofbaroda.co.in/onlinecomplaint/>.
- A specific complaint category "Improper behaviour to Physically challenged/ Disabled person" exists in the bank's IGR to lodge the grievances of PwDs.
- The Bank has a Grievance Redressal Policy to ensure that complaints raised by customers, including PwDs, are dealt with properly and promptly.
- The Bank has established Customer Service Committees at the branch level in order to encourage a formal channel of communication between the customers and the Bank at the branch level where one of the members of the committee is a Divyang, wherever possible. The Branch Level Customer Service Committee meets at least once a month to study complaints / suggestions, cases of delay and difficulties faced/ reported by customers/ members of the committee and evolves ways and means of improving customer service.
- Banking Ombudsman Scheme is an alternate grievance redress mechanism for customer complaints against banks. PwDs can lodge complaints with the Banking Ombudsman if they are not satisfied with the bank's response.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



प्रधान कार्यालय
बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड,
अलकापुरी, बड़ौदा - 390007
फ़ोन: (0265) 2316010

HEAD OFFICE
Baroda Bhavan, RC Dutt Road,
Alkapuri, Baroda - 390007
Ph: (0265) 2316010

कॉर्पोरेट सेंटर
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, प्लॉट नंबर, सी-26, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
फ़ोन: (022) 6698 5000-04 (पीबीएक्स)

CORPORATE CENTRE
Baroda Corporate Centre, Plot No. C- 26, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Ph: (022) 6698 5000-04 (PBX)

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें (24x7): 1800 5700 / 1800 5000

www.bankofbaroda.in

हमें फॉलो करें      

Call Toll Free No. (24x7): 1800 5700 / 1800 5000

www.bankofbaroda.in

Follow us on      